माला, खंड 23, अंक 13

सोमवार, 18 मार्च, 2002
27 फाल्गुन, 1923 (शक)

Not To Be Issued

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 53
Date 24/9/2002

(खंड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)]

अंक 13, सोमवार 18 मार्च, 2002/27 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के लिखित उत्तर.

तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 220 9–49

अतारांकित प्रश्न संख्या 2125 से 2354 49–409

उड़ीसा विधान सभा परिसर में हिंसा की घटना और तोड़फोड़ की कार्यवाही के बारे में. 409–462

सभा पटल पर रखे गए पत्र.. 462–472

नियम 377 के अधीन मामले. 473–481

(एक) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले मे मणिकर्ण को बाढ़ से होने वाले भूक्षरण से बचाने के लिए राज्य सरकार को वितीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर सिंह 473

(दो) झारखंड के रांची में रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 474

(तीन) कानूनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. एन. वेंकटस्वामी 474

(चार) झारखंड के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

प्रो. दुखा भगत 475

(पांच) छत्तीसगढ़ में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले 475

(छह) राजस्थात के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में तेल की खोज में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी 476

(सात) केरल में त्रिवेन्द्रम में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन टर्मिनल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री वी. एस. शिवकुमार 477

विषय		कॉलम
(आठ)	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने हेतु नि:शक्तता अधिनियम, 1996 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	477
(नौ)	बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए राज्य सरकार को वितीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुबोध राय	478
(दस)	केरल के कन्नूर जिले में थलई में मत्स्य बंदरगाह परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. ए.के. प्रेमाजम	478
(ग्यारह)	आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गुजरने वाली बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला	479
(बारह)	उतर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इफ्को कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री धर्मराज सिंह पटेल	479
(तेरह)	बिहार के खगड़िया जिला मुख्यालय को सहरसा से जोड़ने के लिए बागमती नदी पर पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वितीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती रेनु कुमारी	480
(चौदह)	देश के व्यावसायिक महाविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. चिन्नासामी	481
(पन्द्रह)	बिहार के अररिया जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री सुकदेव पासवान	481
अंतर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक		
	राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन	482–484
आतंकवाद निवारण (दूसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और आतंकवाद निवारण विधेयक		484–600, 601–628
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	484
	श्री अजय चक्रवर्ती	484
	श्री लालकृष्ण आडवाणी	485, 606

विषय **कॉलम**

श्री एस. जयपाल रेड्डी 488

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी 499

श्री शिवराज वि. पाटील 506

श्री हन्नान मोल्लाह 508

श्री अरुण जेटली 518

श्री के. येरननायडू 543

कुंवर अखिलेश सिंह 546

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल 552

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 554

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम 559

श्री टी.एम. सेल्वागनपति 561

श्री अनादि साहू 568

श्री सी.के. जाफर शरीफ 576

श्रीमती रेनु कुमारी 579

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 582

श्री भर्तृहरि महताब 585

श्रीमती कैलाशो देवी 592

श्री सनत कुमार मंडल 593

चौधरी तालिब हुसैन 594

श्री बीर सिंह महतो 596

श्री ए.के. मूर्ति 597

श्री जी.एम. बनातवाला 597

श्री सुकदेव पासवान 599

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल 601

श्री सोमनाथ चटर्जी 603

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 604

श्री रामदास आठवले 604

खंड 2 से 64 और 1 612

पारित करने के लिए प्रस्ताव 613

राष्ट्रपति से संदेश 601

लोक सभा

सोमवार, 18 मार्च, 2002/27 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा पर बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने हमला किया। हमने इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आप सबकी बात बारी-बारी से सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश में दंगा करने की साजिश है। यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)* हमने इस बारे में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा पर हमला हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 201 – श्री दिलीप संघाणी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे प्रश्न काल स्थगित करने की सूचनाएं मिली हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, 13 दिसम्बर को आतंकवादियों ने हमारी संसद पर हमला किया था परन्तु शनिवार को वी.एच.पी. के सदस्यों ने उड़ीसा विधान सभा पर हमला किया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं कुछ कह रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण मामला कोई नहीं हो सकता है। यह पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, मैं कुछ कह रहा हूं। क्या आप कृपया अपने पर बैठेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री एच.डी. देवगौड़ा की ओर से प्रश्न काल का निलम्बन करने और सदन को स्थगित करने की सूचनाएं मिली हैं।

...(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): हमने भी सूचनाएं दी हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : हमारा भी कार्य स्थगन प्रस्ताव है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे आपकी ओर से भी सूचना प्राप्त हुई है। अब प्रश्न काल चलने दें और इसे हम बाद में लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आज प्रश्न काल कैसे हो सकता है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री सोमनाथ चटर्जी अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यदि सोमनाथ जी बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा इसका व्यवहार है, उससे सदन एक दिन भी नहीं चल सकता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, आइए हम इस समस्या को सुलझाएं। आप चाहते हैं कि मैं प्रश्न काल निलंबित कर दूं। उन्होंने सूचना दी है। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज पाटील ने भी सूचना दी है। उड़ीसा विधान सभा पर हमले का मामला महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह राज्य का विषय है परन्तु यह लोकतंत्र पर हमला है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। सदन इस पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में या नियम 193 के अधीन या अन्य नियम के तहत चर्चा कर सकता है। सदन में इस पर चर्चा हो सकती है। मैं इसे रोकने वाला कौन होता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा की सारे देश में ऐसी स्थिति लाने की साजिश हो रही है। *...(व्यवधान)* यह पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। वी.एच.पी. और बजरंग दल के लोग वहां घुसे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समय निकालना होगा। आइए, पहले प्रश्न काल का कामकाज करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह गंभीर मामला है। हम इसको प्रश्न काल के बाद लेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती भावना चीखलीया, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: उपाध्यक्ष महोदय, यदि सोमनाथ बाबू बोलेंगे तो सब लोग बोलेंगे। *...(व्यवधान)* ऐसे ही जीरो ऑवर खत्म हो जाएगा। *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, आप क्वश्चन ऑवर के बाद लें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, शायद मेरे संसदीय जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। पिछले शनिवार को जो कुछ हुआ वह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)* अध्यक्षपीठ ने मुझे बोलने की अनुमति दी है। कृपया मुझे बोलने दें। *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व): हम भी प्रश्नों के रूप में इस महत्वपूर्ण मसले को उठाना चाहते हैं। हम भी इस सभा के सदस्य हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): लेकिन अध्यक्षपीठ ने मुझे बोलने की अनुमति दी है। *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व): पहले प्रश्न काल होने दीजिए। अन्य मौकों पर आपने अध्यक्षपीठ का सम्मान नहीं किया।

आप वरिष्ठ नेता हैं। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, राज्य के विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : महोदय, पहले प्रश्नकाल होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह नियमानुसार हैं। नियमों के अनुसार मैं ऐसी सूचना दे सकता हूं। आपने मेरा नाम पुकारा है। मेरा विश्वास है कि मेरी सूचना के समर्थन में कुछ प्रावधान है। ये मुझे कैसे रोक सकते हैं? यह क्या है? ...*(व्यवधान)* महोदय, बाहर यह हुआ है, उड़ीसा में यह हुआ है और यहां यह हो रहा है। ...*(व्यवधान)* यह पार्टी जानबूझकर ऐसा करती है। यह घटना इस पार्टी के लिए शर्म की बात है ...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी को आपने अनुमति दी है। उनके बोलने पर टोकाटोकी नहीं की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)* पार्टी के नेता की बात सुनने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से हाउस नहीं चल सकता। ...*(व्यवधान)* ये लोग पूरे देश में दंगा कराने पर लगे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लाटूर): महोदय, क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे? ...*(व्यवधान)* क्या मैं अपनी बात आपके समक्ष कह सकता हूं? हम सामान्य स्थिति में प्रश्न काल के निलंबन की बात नहीं करते। ऐसा बहुत ही कम होता है जब ऐसी असाधारण स्थिति आती है कि हम प्रश्नों पर चर्चा के नियमों से हटकर बहुत महत्व वाले मामलों को लेते हैं।

महोदय, विधान सभा पर हमला हुआ है। यह संसद पर हुए हमले से कम गंभीर नहीं है। ये राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रभुसत्ता सम्पन्न निकाय हैं, जिन पर हमला हो रहा है; इसलिए यह उचित होगा कि हम इस मामले पर चर्चा करें। ...*(व्यवधान)* यदि हम इस मसले पर प्रश्न काल को निलंबित कर अभी चर्चा नहीं करते तो अन्य मसलों के लिए समय नहीं मिलेगा। ...*(व्यवधान)* अत: महोदय, इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए हमने सूचना दी है इसलिए प्रश्न काल को निलंबित करें और इस मुद्दे पर दो घंटे की चर्चा कराएं। महोदय, आप चाहें तो इसके बाद हम आप अन्य काम निपटा सकते हैं। अन्यथा, हम समय नहीं निकाल जाएंगे और अपनी कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, हम अपने देश की प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं बचा पाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : यह मामला क्वैश्चन ऑवर के बाद उठा सकते हैं, ये लोग जीरो ऑवर में बोल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि देश में एक बहुत गंभीर घटना हुई है और इसका निशाना कार्यशील लोकतंत्र प्रणाली, संसदीय संस्था, जनता द्वारा निर्वाचित वैधानिक संस्थाएं हैं। मुझे देश की सर्वोच्च संस्था में बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। हमें तो रहना है हमें इन लोगों की वजह से ऐसा कहना पड़ रहा है जिन्होंने यह हमला करवाया है। इन्हें शर्म नहीं आती। ...*(व्यवधान)* महोदय, आर.एस.एस. ने एक प्रस्ताव पारित किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, अभी इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसकी अनुमति 'शून्य काल' में दी जा सकती है। प्रश्न काल होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उच्चतम न्यायालय पर आरोप लगाया गया है और सरकार पर आरोप लगाया गया है। वे जानबूझकर और खुले आम यह कह रहे हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे। वे कहते हैं कि वे जबरदस्ती जाएंगे और इस भूमि पर कब्जा करेंगे। उनके बहुत से आदमी वहां पर हैं। वे संसदीय संस्था के लुटेरे हैं। इस देश में संसदीय लोकतंत्र के लुटेरे हैं और हम यह बात भारतीय संसद में नहीं उठा सकते हैं। वे यह कार्य कैसे कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा के अंदर बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के पांच सौ से ज्यादा कार्यकर्ता घुस गये, उन्होंने वहां तोड़फोड़ की। वे राम मन्दिर बनवाने की बातें कर रहे थे। इस बारे में जो आर.एस.एस. का प्रस्ताव पास हुआ है, उस प्रस्ताव में ...*(व्यवधान)* अल्पसंख्यकों को धमकाने का काम किया गया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि केवल राज्य का विषय नहीं है, यह पूरे देश में दंगा कराने की साजिश है। इसलिए आप सब काम स्थगित

करके उड़ीसा विधान सभा पर हुए हमले की घटना पर सदन में चर्चा करायें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): क्या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सीनियर लीडर रोज क्वैश्चन ऑवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। राज्य में कोई घटना घटी है, यदि उस बारे में कुछ कहना है तो ये जीरो ऑवर में बोल सकते हैं। मेरी आपसे विनती है

[अनुवाद]

कि प्रश्न काल जारी रहना चाहिए और जो कुछ भी विपक्षी दलों के नेता कहना चाहते हैं, वे शून्य काल के दौरान कह सकते हैं। प्रश्न काल जारी रहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : इनकी दंगा कराने की साजिश है, यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, उन्होंने मुख्य मंत्री के कार्यालय को भी नहीं बक्शा। बी.जे.डी. इस सरकार की भागीदार है और इसका इस सरकार के साथ गठबंधन है। वे कहते हैं कि हमला इसलिए संगठित था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इन मुद्दों पर चर्चा हो। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : तो मेरी आपसे अपील है कि प्रश्न काल होने दो। हम यह मुद्दा प्रश्न काल के बाद उठाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, आप उन्हें बोलने का अवसर दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। विधान सभा पर हमला बाकायदा उग्रवाद जैसा काम है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद : प्रश्न काल को कैसे निलंबित किया जा सकता है? ...*(व्यवधान)* हर रोज कोई न कोई अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप जा रहा है और वे सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : वहां हमला करने से पहले बाकायदा खाना बनाया गया ...*(व्यवधान)* और बजरंग दल और वी.एच.पी. के लोगों को पहले खाना दिया गया। खाना खाकर पूरी तैयारी के साथ विधान सभा पर हमला किया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : हम प्रश्न काल चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : रोजाना एक ही बात की जा रही है। हम यह कैसे कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : भिवानी में मस्जिद पर हमला किया गया। यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): ऐसे गंभीर मामलों पर चर्चा के लिए प्रधान मंत्री जी को सदन में बुलाया जाए। उनकी मौजूदगी यहां बहुत आवश्यक है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद : वे पूरक प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार कैसे छीन सकते हैं? ...*(व्यवधान)* कोई अध्यक्ष के आसन के समीप आ रहा है तो कोई बाहर जा रहा है ...*(व्यवधान)* वे सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आइये हम प्रश्न काल शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें उड़ीसा में हुई घटना की निन्दा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए। लोगों को इस बात का पता लगना चाहिये कि संसद इस बारे में चिन्तित हैं। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाया जाये और वह इस घातक हमले की निन्दा करते हुए उपाध्यक्ष की ओर से लाया जाये। क्या सरकार और देश इसी प्रकार चलेगा? महोदय, हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : क्या सदस्यों के प्रश्न पूछने का अधिकार छीनने का यही तरीका है? कुछ सदस्यों द्वारा प्रश्न काल मैं कैसे बाधा पहुंचाई जा सकती है? *...(व्यवधान)* वे यहां इन मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं *...(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जल स्तर का सर्वेक्षण

***201. श्री दिलीप संघाणी :**
श्री सवशीभाई मकवाना :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात सहित कुछ राज्य अब तक का सबसे कम जलस्तर होने के कारण पानी के अभाव के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे राज्यों के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपग्रह से प्राप्त चित्रों के माध्यम से कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रभावित क्षेत्रों में किन्हीं बांधों से जल आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) जी, हां। गुजरात राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों के कुछ भागों में जल स्तर में धीरे-धीरे गिरावट आई है जिससे जल की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(ख) और (ग) अन्तरिक्ष विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अनुरोध पर आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए उपग्रह दूरस्थ संवेदी तकनीकों का प्रयोग करके भूजल की संभावना वाले मानचित्र तैयार करने के कार्य में लगा है। हाल में, उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करके, भूजल अन्वेषण, वर्षा जल संचयन संरचनाओं और मृदा एवं जल संरक्षण के लिए संभावित स्थलों का पता लगाने के लिए गुजरात के कच्छ जिले में भी कार्य शुरू किया गया है। यह मानचित्र उपग्रह दूरस्थ संवेदी और सम्बद्ध भू-आंकड़ों से प्राप्त भौगोलिक (स्थल मण्डलीय और संचरनात्मक), भू आकृति विज्ञान और जल वैज्ञानिक सूचना को शामिल करके तैयार किए जाते हैं। भूजल संभावित मानचित्रों में दी गई ऐसी एकीकृत सूचना से लक्ष्य जोनों को कम करने और पेयजल स्रोत स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती भू-सर्वेक्षण (जल भू-वैज्ञानिक/भू-भौतिकी) करने के बाद ड्रिलिंग के लिए स्थलों का प्रणालीबद्ध चयन करने में सहायता मिलती है। अब तक ऐसे लगभग 700 मानचित्र तैयार किए गये हैं और सम्बन्धित प्रयोक्ता अभिकरणों को प्रदान किए गये हैं।

(घ) और (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण जलाशयों/बांधों से विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, वर्ष 1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार उपलब्ध जल के किसी भी स्रोत में पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिये।

पर्यटन संवर्धन कृतिक बल

***202. श्री प्रबोध पण्डा** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में पर्यटक यातायात में कमी के प्रभाव की निगरानी करने के लिए एक पर्यटन संवर्धन कृतिक बल (टी.पी.टी.एफ.) गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों में पर्यटन संवर्धन कृतिक बल विद्यमान हैं; और

(घ) पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) अमेरिका में 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमले के पश्चात्, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में गिरावट से निपटने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की इच्छुक सरकार ने, यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के सभी खण्डों को शामिल करने के उद्देश्य से, भारत में पर्यटन के उद्यमशील संवर्धन एवं विपणन तथा देश में पर्यटन आगमनों में सुधार हेतु हाथ मिलाने के लिए एक विशेष पर्यटन कार्यबल स्थापित किया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा यात्रा उद्योग के साथ पारस्परिक क्रिया हेतु विशेष पर्यटन संवर्धन कार्यबल गठित किया गया है। यह

मुख्यतया आवश्यकता पर आधारित है और किसी अन्य देश के नमूने पर गठित नहीं किया गया है।

(घ) पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने सहित कुछ मामले, जिनका दिनांक 28.2.2002 को वित्त मंत्री के बजट भाषण में जिक्र किया गया था, उद्योग को आवश्यक भरोसा भी देंगे। पर्यटन विभाग भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने पर विचार भी कर रहा है:-

(1) दक्षिण-पूर्व एशिया, उत्तरी एशिया तथा आस्ट्रेलिया में मार्केटिंग पर पुनः ध्यान देना।

(2) घरेलू पर्यटन के सृजन के लिए अधिक उद्यमशील समर्थन।

(3) अन्य कम ठहरने वाले गंतव्यों में विपणन के लिए नीति।

(4) एक लागत प्रभावी मीडिया के रूप में इन्टरनेट का प्रयोग।

(5) भारत में शान्तिपूर्ण स्थिति के बारे में प्रथम दृष्टि बोध कराने के लिए, विदेशी मीडिया तथा व्यापार के लिए विशेष ''फैम'' टूअरों की व्यवस्था करना।

(6) विदेश स्थित कार्यालयों की पुनर्संरचना।

(7) अंतराष्ट्रीय यात्रा में विश्वास पैदा करने के लिए विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों का विदेशी मीडिया के साथ पारस्परिक क्रिया करना।

(8) महत्वपूर्ण मार्किटों में यात्रा एवं पर्यटन मेलों तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना।

(9) निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त एवं सहयोगी प्रयासों के माध्यम से भारत के पर्यटन उत्पादों का संवर्धन एवं विपणन करना।

[हिन्दी]

निजी एअर लाइनों के हवाई मार्ग

***203. श्री हरिभाई चौधरी :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत निजी एयरलाइनों तथा इनके मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन निजी एयरलाइनों को विभिन्न मार्गों पर उड़ानों की अनुमति देने के लिए क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) इन एयरलाइनों में से, प्रत्येक से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी आय प्राप्त हुई है;

(घ) क्या कुछ कंपनियों द्वारा उनके लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किए जाने की जानकारी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) वर्तमान में देश में निजी क्षेत्र के केवल दो घरेलू अनुसूचित वैमानिकी प्रचालक - जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस की विमानें प्रचालित हो रही हैं। सहारा एयरलाइंस की विमानें 20 और जेट एयरवेज 71 मार्गों पर अपनी विमानें प्रचालित कर रही हैं। इन मार्गों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वायुयान नियम, 1937 के नियम 134 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विमान परिवहन सेवाओं का बेहतर विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवा की जरूरत का ध्यान रखते हुए दिनांक 1 मार्च, 1994 के अपने आदेश में मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इन मार्ग-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता तक विमान सेवाएं उपलब्ध कराना एयरलाइनों के ऊपर निर्भर करता है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रदत्त सुविधा के बदले मार्ग दिक्चालन प्रभार, पार्किंग और अवतरण प्रभारों की वसूली करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इन लेखों में राजस्व प्राप्ति के बारे में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय भी एयरलाइनों से प्रचालन परमिटों के नवीनीकरण, तकनीकी श्रेणी के कार्मिकों को अनुज्ञा-पत्र जारी करने/नवीनीकरण/पृष्ठांकन के लिए और विहित शुल्क के अनुसार विमानों के प्रमाणन के लिए प्रभार वसूलता है।

(घ) और (ङ) जब कभी भी इसके उल्लंघन का मामला नागर विमानन महानिदेशालय के नोटिस में आता है, नियमों/विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

जेट एयरवेज द्वारा परिचालित मार्ग

1. मुम्बई-दिल्ली-मुम्बई
2. मुम्बई-त्रिवेंद्रम-मुम्बई
3. मुम्बई-कोलकाता-मुम्बई
4. मुम्बई-बंगलौर-मुम्बई
5. मुम्बई-हैदराबाद-मुम्बई
6. मुम्बई-चेन्नै-मुम्बई
7. दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली
8. मुम्बई-बंगलौर-चेन्नै-बंगलौर-मुम्बई
9. मुम्बई-चेन्नै-त्रिवेंद्रम-चेन्नै-मुम्बई
10. दिल्ली-बंगलौर-दिल्ली
11. दिल्ली-बंगलौर-मुम्बई-बंगलौर-दिल्ली
12. दिल्ली-चेन्नै-दिल्ली
13. दिल्ली-हैदराबाद-दिल्ली
14. चेन्नै-कोलकाता-चेन्नै
15. कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता
16. कोलकाता-बागडोगरा-कोलकाता
17. कोलकाता-जोरहाट-गुवाहाटी-जोरहाट-कोलकाता
18. दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दिल्ली
19. दिल्ली-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली
20. कोलकाता-गुवाहाटी-इम्फाल-गुवाहाटी-कोलकाता
21. दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर-दिल्ली
22. दिल्ली-श्रीनगर-जम्मू-दिल्ली
23. दिल्ली-लेह-दिल्ली
24. चेन्नै-पोर्टब्लेयर-चेन्नै
25. मुम्बई-अहमदाबाद-मुम्बई
26. मुम्बई-वडोदरा-मुम्बई
27. मुम्बई-कालीकट-मुम्बई
28. मुम्बई-कोयम्बटूर-मुम्बई
29. मुम्बई-कोचीन-मुम्बई
30. मुम्बई-गोवा-मुम्बई
31. मुम्बई-इंदौर-मुम्बई
32. मुम्बई-मंगलौर-मुम्बई
33. मुम्बई-औरंगाबाद-मुम्बई
34. मुम्बई-जयपुर-मुम्बई
35. मुम्बई-पूणे-मुम्बई
36. कोलकाता-हैदराबाद-बंगलौर-हैदराबाद-कोलकाता
37. बंगलौर-हैदराबाद-बंगलौर
38. दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली
39. दिल्ली-जयपुर-दिल्ली
40. दिल्ली-लखनऊ-दिल्ली
41. दिल्ली-पूणे-दिल्ली
42. दिल्ली-वाराणसी-खजुराहो-वाराणसी-दिल्ली
43. चेन्नै-बंगलौर-चेन्नै
44. चेन्नै-बंगलौर-पूणे-बंगलौर-चेन्नै
45. चेन्नै-कोयम्बटूर-चेन्नै
46. चेन्नै-कोचीन-चेन्नै
47. मुम्बई-राजकोट-मुम्बई
48. मुम्बई-भुज-मुम्बई
49. दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-मुम्बई
50. मुम्बई-उदयपुर-जयपुर-दिल्ली
51. मुम्बई-दीव-पोरबंदर-मुम्बई
52. मुम्बई-उदयपुर-मुम्बई
53. दिल्ली-चण्डीगढ़-दिल्ली
54. दिल्ली-इंदौर-दिल्ली
55. मुम्बई-भावनगर-मुम्बई
56. बंगलौर-कोचीन-बंगलौर

57. बंगलौर-मंगलौर-बंगलौर

58. बंगलौर-गोवा-बंगलौर

59. बंगलौर-कोयम्बटूर-बंगलौर

60. चेन्नै-हैदराबाद-चेन्नै

61. हैदराबाद-विजाग-हैदराबाद

62. हैदराबाद-तिरुपति-हैदराबाद

63. मुम्बई-जोधपुर-मुम्बई

64. मुम्बई-भोपाल-मुम्बई

65. मुम्बई-नागपुर-मुम्बई

66. दिल्ली-उदयपुर-दिल्ली

67. दिल्ली-वडोदरा-दिल्ली

68. दिल्ली-जोधपुर-दिल्ली

69. दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली

70. चेन्नै-मंगलौर-चेन्नै

71. चेन्नै-मदुरै-चेन्नै।

सहारा एयरलाइंस द्वारा परिचालित मार्ग

1. बंगलौर-हैदराबाद और वापसी

2. मुम्बई-बंगलौर और वापसी

3. मुम्बई-कोलकाता और वापसी

4. मुम्बई-गोवा और वापसी

5. मुम्बई-लखनऊ और वापसी

6. मुम्बई-पूणे और वापसी

7. मुम्बई-बंगलौर और वापसी

8. दिल्ली-मुम्बई और वापसी

9. दिल्ली-कोलकाता और वापसी

10. दिल्ली-गुवाहाटी और वापसी

11. दिल्ली-गोवा और वापसी

12. दिल्ली-लखनऊ और वापसी

13. दिल्ली-पटना

14. दिल्ली-पूणे और वापसी

15. डिब्रुगढ़-गुवाहाटी और वापसी

16. हैदराबाद-कोलकाता और वापसी

17. लखनऊ-पटना और वापसी

18. पटना-कोलकाता और वापसी

19. पटना-वाराणसी

20. वाराणसी-दिल्ली।

विवरण-II

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस द्वारा चुकाए गए मार्ग दिक्चालन प्रभार, पार्किंग प्रभार और अवतरण प्रभार

(लाख रुपए में)

एयरलाइंस	1998-99	1999-2000	2000-01
जेट एयरवेज	14,916.75	18,102.59	23,193.86
सहारा एयरलाइंस	2,619.48	3,444.42	4,598.89
कुल योग	17,536.23	21,547.01	27,792.75

इंडियन एयरलाइंस में अनियमितताओं संबंधी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

***204. श्री माणिकराव होडल्या गावित :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) ने चालू वर्ष की अपनी रिपोर्ट में इंडियन एयरलाइंस और इसकी अनुषंगी कम्पनी एलाइन्स एयर के कार्यकरण में कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2001 की अपनी अद्यतन रिपोर्ट में इंडियन एयरलाइंस तथा इसकी सहायक कंपनियों से संबंधित निम्नलिखित पैराओं को शामिल किया है:-

क्र.सं.	रिपोर्ट सं.	पैरा सं.	विषय
1.	1	1.1(4)	बकाया लेखे-इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, एयरलाइंस एलायड सर्विस लिमिटेड तथा वायुदूत लिमिटेड
2.	3	4.4.1	कर्मीदल को फ्लाइंग भत्ते का अधिक भुगतान—इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड
3.	3	4.4.2	इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के कर्मचारियों को अनियमित भुगतान

उक्त पैराओं की अलग-अलग स्थिति निम्नानुसार है:-

2001 रिपोर्ट संख्या-1 का पैरा संख्या 1(4):

31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखों को वित्तीय वर्ष अर्थात् 30 सितम्बर के अंत से छह महीने की अवधि के अन्दर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाना होता है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 166 के उप खंड 1 में यह व्यवस्था है कि वैध कारणों से देरी होने की स्थिति में, कम्पनी कार्य विभाग के अनुमोदन से इस अवधि को 31 दिसम्बर, तक बढ़ाया जा सकता है।

इंडियन एयरलाइंस, एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड और वायुदूत लिमिटेड के लिए इस संबंध में अनुपालन के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है:

1. *इंडियन एयरलाइंस :*

सीएजी ने यह रिकार्ड किया है कि वर्ष 1999-2000 के लिए लेखाओं को लेखा-परीक्षा के लिए समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। वर्ष 1999-2000 के लिए इंडियन एयरलाइंस के वार्षिक लेखे को 5 नवम्बर, 2000 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और 27 दिसम्बर, 2000 अर्थात् 31 दिसम्बर, 2000 से पूर्व सदस्यों की वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया था। वह समय था जब कम्पनी कार्य विभाग से इंडियन एयरलाइंस द्वारा लेखा-परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना था, ली गई थी।

2. *एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड :*

सीएजी ने यह रिकार्ड किया है कि वर्ष 1999-2000 लेखाओं को लेखा परीक्षा के लिए समय पर नहीं प्रस्तुत किया गया था। 1999-2000 में एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड के लिए वार्षिक लेखाओं को समय रहते संग्रहीत किया गया और इसे 29 दिसम्बर, 2000 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। उन्हें लेखा परीक्षा के लिए सीएजी को प्रस्तुत किया गया था। सीएजी कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा किये जाने के उपरांत 28 फरवरी, 2001 को सदस्यों की वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन किया गया था।

3. *वायुदूत लिमिटेड :*

सीएजी ने यह रिकार्ड की है कि वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के लिए लेखाओं को समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। सरकार ने मई, 1993 में वायुदूत को इंडियन एयरलाइंस में मिलाने का निर्णय किया था और उस समय 5 वर्षों से अधिक के लेखे पूरे नहीं हुए थे। इंडियन एयरलाइंस ने अपने अथक प्रयासों से अब अपने वर्ष 1999-2000 तक के वायुदूत लिमिटेड के लेखाओं को अद्यतन बनाने में सक्षम हो सका था। लेखाओं को पूरा करने में देरी का मुख्य कारण पुराने रिकार्डों को मिलाने में आ रही कठिनाई का होना था। पिछले तीन वर्षों के लिए वायुदूत लिमिटेड की बोर्ड द्वारा लेखाओं के अनुमोदन की तारीख और इन लेखाओं की वार्षिक सामान्य बैठक की तारीखें निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	अनुमोदन की तारीख	वार्षिक आम सभा की बैठक में अपनाने की तारीख
1997-98	7.11.2000	31.1.2001
1998-99	21.3.2001	2.7.2001
1999-2000	3.8.2001	23.10.2001

वर्ष 2001 की रिपोर्ट संख्या-3 का पैरा संख्या 4.4.1 :

यह लेखा परीक्षा पैरा उड़ान भत्ते के भुगतान के संशोधित विधि के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं लिए जाने के बारे में है। लेखा परीक्षा आपत्ति की विधिवत् जांच के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के मामले को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी है और इंडियन एयरलाइंस ने इस बात की पुष्टि की है कि मामले के अनुसमर्थन हेतु इसे यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

वर्ष 2001 की रिपोर्ट संख्या-3 की पैरा संख्या 4.4.2

इस लेखा परीक्षा पैरा में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के उन कर्मचारियों को मुआवजे की संदायगी दिए जाने पर आपत्ति जतायी है जो फरवरी, 2000 में अधिवर्षिता की आयु संबंधी निर्णय को 60 से घटाकर 58 किये जाने के कारण सेवानिवृत्त हुए थे। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडियन एयरलाइंस के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बहुत कम अवधि का नोटिस दिए जाने के दृष्टिगत और संभाव्य विवाद के निवारण हेतु भी मुआवजे का भुगतान आवश्यक था।

दलदल भूमि में धान की खेती

***205. श्री वाई.जी. महाजन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में दलदल भूमि पर धान की खेती करने के लिए फिलीपीन्स की सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त समझौता कितनी अवधि तक लागू रहेगा?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करना

***206. श्री जी. गंगा रेड्डी :**
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग स्थापित करने के लिए पर्यटन को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों की राय पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "पर्यटन" को समवर्ती सूची में रखने के प्रस्ताव पर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अपने विचार भेजने के लिए कहा गया था। राज्य/संघ शासित राज्य प्रशासन जिन्होंने इसके पक्ष में, विरोध में, और अभी तक अपने विचार नहीं भेजे, वे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम
1	2	3
I. राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है :		
1.	राज्य	**अरुणाचल प्रदेश**
2.		**असम**
3.		**बिहार**
4.		**छत्तीसगढ़**
5.		**दिल्ली**
6.		**गोवा**
7.		**गुजरात**
8.		**हिमाचल प्रदेश**

1	2	3
9.		मणिपुर
10.		मेघालय
11.		मिजोरम
12.		नागालैण्ड
13.		उड़ीसा
14.		सिक्किम
15.		त्रिपुरा
16.		उत्तर प्रदेश
17.		उत्तरांचल
18.		पश्चिम बंगाल
19.	संघ शासित क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार
20.		चंडीगढ़
21.		दादरा एवं नगर हवेली
22.		दमन एवं दीव
23.		लक्षद्वीप
24.		पांडिचेरी
II. राज्य, जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया है:-		
1.		आन्ध्र प्रदेश
2.		मध्य प्रदेश
3.		तमिलनाडु
4.		केरल
5.		पंजाब
6.		कर्नाटक
7.		जम्मू एवं कश्मीर
III. राज्य, जिन्होंने अभी तक अपने विचार नहीं भेजे हैं:-		
1.		हरियाणा
2.		झारखण्ड
3.		महाराष्ट्र
4.		राजस्थान

राष्ट्रीय जल नीति

[हिन्दी]

***207. श्री के. येरननायडू :**
श्री पी.आर. खूंटे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे संबंधी दिशानिदेशों की समीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा और इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) राज्यों के बीच जल के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय नीति दिशा-निर्देशों के मसौदे पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की 7 जुलाई, 2000 को हुई चौथी बैठक में विचार किया गया था। इस परिषद् के सदस्यों ने दिशा-निर्देशों के मसौदे पर भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् ने यह निर्णय लिया कि इन दिशा-निर्देशों पर विचारों में अधिक समानता लाने एवं समझौता करने और आम सहमति प्राप्त करने के लिए सिंचाई/जल संसाधन मंत्रियों के कार्यकारी दल द्वारा इनकी जांच की जाए।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के कार्यकारी दल की दो बैठकें जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 22 मई, 2001 और 24 सितम्बर, 2001 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों में राज्यों के बीच जल के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे और राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों के मसौदे पर विभिन्न राज्यों के विचारों पर गौर किया गया। राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे पर जब आम सहमति प्राप्त की जा रही थी तो राज्यों के बीच जल आबंटन के लिए राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे पर राज्यों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किए। कार्यकारी दल की 24 सितम्बर, 2001 को हुई दूसरी बैठक में राज्यों के बीच जल के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय नीति दिशा-निर्देशों के मसौदे के पुन: अवलोकन और उस पर आम सहमति कायम करने के लिए उसे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के राष्ट्रीय जल बोर्ड को भेजने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय जल नीति के समौदे को अपनाने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया गया। नई (संशोधित) राष्ट्रीय जल नीति का कार्यान्वयन राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा इसे अपनाने के बाद ही किया जा सकता है।

सोने का भंडार

***208. डा. चरण दास महंत :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सोने की खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खनिज विभाग और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जी.एस.आई.) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुछ स्थानों, विशेषत: छत्तीसगढ़ राज्य में सोने के भंडारों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार ये स्थान कौन-कौन से हैं;

(घ) इन क्षेत्रों में सोने के अनुमानत: कितनी मात्रा के भंडार हैं; और

(ङ) सरकार ने इसके खनन के लिए क्या प्रबंध किए हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 1.1.2002 की स्थिति के अनुसार देश में सोने का खनन, हट्टी गोल्ड माइंस, कर्नाटक राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा कर्नाटक राज्य में हट्टी, उटी, हीरा बुड्डिनी, वोंडाल्ली और मेंगलूर खानों के खनन तक सीमित है।

(ख) से (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में किसी तरह के सोने के भंडार का पता नहीं लगा पाया। खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो की राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार देश में राज्यवार सोने के प्रमाणित अयस्क भंडार निम्नवत हैं:

(टन में)

राज्य	प्रमाणित अयस्क	
	अयस्क	धातु
आंध्र प्रदेश	438446	1
बिहार (झारखंड सहित)	7200	नगण्य
कर्नाटक	3270984	20
केरल	462280	0.16

(ङ) सोने के भंडारों का गवेषण/विदोहन, राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार प्रशासित होता है। इस नीति के अनुसार सोना जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के विदोहन के लिए आरक्षित था, को घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों के प्राइवेट क्षेत्र के निवेशकों की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों, को निवेशक अनुकूल बनाने के लिए 1999 में संशोधित किया गया था।

[अनुवाद]

खुम्भी उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता

***209. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय और कृषि उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) द्वारा खुम्भी उत्पादन और इसके निर्यात हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा खुम्भी उत्पादन और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नौवीं योजना के दौरान खुम्भी के विकास से संबंधित एक स्कीम कार्यान्वित की गई, जिसके अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वर्ष 1998-99 के दौरान 197.92 लाख रुपये, 1999-2000 के दौरान 178.96 लाख रुपये तथा 2000-01 के दौरान 50 लाख रुपये निर्गत किए गए। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को विगत तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

अक्तूबर, 2000 से उक्त स्कीम ''कृषि का वृहद प्रबंध - कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता'' नामक स्कीम में मिला दी गई है। इस स्कीम में राज्यों को अपनी आवश्यकताओं को वरीयता क्रम देने के लिए अधिक सुविधा प्रदान की गई है। वृहद प्रबंध स्कीम में क्षेत्रीय आधार पर भिन्न-भिन्न विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें खुम्भी के विकास हेतु कार्यक्रम कार्यान्वित करना संबंधित राज्य की आवश्यकता आधारित गतिविधि है। इस स्कीम के कार्यक्रम अब राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी कार्य योजनाओं के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। वृहद प्रबंध के अन्तर्गत निर्गत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

खुम्भी के निर्यात संवर्द्धन हेतु कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 23.79 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह वित्तीय सहायता विभिन्न निर्यातकों को दी गई है।

खुम्भी के निर्यात संवर्द्धन हेतु कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारतीय खुम्भी उद्योग की वर्तमान स्थिति जानने, पारम्परिक तथा बड़े उत्पादकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तुलना में निर्यात की क्षमता, विभिन्न देशों के आपूर्तिकर्त्ताओं के बारे में एक अध्ययन कराया है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निर्यात हेतु गुणवत्ता युक्त खुम्भी की फसल-पूर्व तथा फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी के बारे में सम्मेलनों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न कर रहा है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान 7 खुम्भी परियोजनाओं के लिए 60.97 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा यह सहायता अपनी स्कीम ''उत्पादन एवं फसलोपरान्त प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास'' के माध्यम से दी जा रही है।

खुम्भी विकास केन्द्र, सोलन प्रशिक्षण तथा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशनों के माध्यम से खुम्भी उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करके खुम्भी उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन दे रहा है और उत्पादकों को स्थान भी उपलब्ध करा रहा है। इस केन्द्र ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से खुम्भी के बारे में एक पत्राचार पाठ्यक्रम भी शुरू किया है।

विवरण-I

मशरूम की खेती से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1998-1999, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान राज्यवार निर्गत धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	0.00	5.00	3.00
अरुणाचल प्रदेश	8.75	6.16	0.00

1	2	3	4
असम	0.00	0.00	0.00
बिहार (झारखंड सहित)	65.90	0.00	2.00
गोआ	0.00	0.00	2.00
गुजरात	0.00	29.80	5.00
हरियाणा	3.00	6.00	3.00
हिमाचल प्रदेश	36.77	5.30	1.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	1.00
कर्नाटक	17.00	8.33	6.00
केरल	21.00	12.00	2.00
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	1.50	5.10	2.00
महाराष्ट्र	0.00	6.68	3.00
मणिपुर	0.00	3.66	0.00
मेघालय	0.00	4.00	0.00
मिजोरम	4.00	0.80	0.00
नागालैण्ड	4.00	15.00	0.00
उड़ीसा	2.00	4.93	2.00
पंजाब	0.00	0.00	2.00
राजस्थान	0.00	3.00	2.00
तमिलनाडु	8.50	4.10	5.00
त्रिपुरा	5.50	3.10	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	53.00	2.00
पश्चिम बंगाल	0.00	3.00	2.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	5.00
उप-योग	197.92	178.96	50.00
कुल	197.92	178.96	50.00*

*यह राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी राशि का 25% है। शेष 75% राशि अक्तूबर, 2000 से कृषि के वृहद प्रबंध से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से जारी की गई।

विवरण-II

वृहद प्रबंध स्कीम के अन्तर्गत, वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान जारी धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य	2000-2001			2001-2002 (तारीख तक)		
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत जारी धनराशि	वृहद प्रबंध स्कीम के अन्तर्गत जारी धनराशि	कुल	अनुदान	ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	889.38	1362.79	2252.17	1347.44	677.56	2025.00
अरुणाचल प्रदेश	60.85	473.15	534.00	80.97	138.53	219.50
असम	82.59	409.47	492.06	336.91	186.59	523.50
बिहार	91.49	261.07	352.56	1387.79	412.21	1800.00
झारखंड	19.47	–	19.47	876.00	219.00	1095.00
गोआ	29.42	–	29.42	144.00	36.00	180.00
गुजरात	1488.57	1511.43	3000.00	1137.71	662.29	1800.00
हरियाणा	317.11	916.28	1233.39	982.72	475.26	1457.98
हिमाचल प्रदेश	553.78	687.51	1241.29	1158.50	461.50	1620.00
जम्मू और कश्मीर	355.68	492.64	848.32	549.47	260.53	810.00
कर्नाटक	1838.38	4222.00	6060.38	35756.00	1949.40	37705.40
केरल	353.77	2672.93	3026.70	905.41	894.59	1800.00
मध्य प्रदेश	2402.02	1518.40	3920.42	3296.32	1203.68	4500.00
छत्तीसगढ़	–	963.00	963.00	827.40	447.60	1275.00
महाराष्ट्र	2050.34	6884.75	8935.09	5823.05	3176.95	9000.00
मणिपुर	88.78	390.35	479.13	197.93	147.07	345.00
मेघालय	76.02	466.30	542.32	68.93	133.81	202.74
मिजोरम	155.64	466.39	622.03	482.72	237.28	720.00
नागालैण्ड	154.20	1016.47	1170.67	413.19	363.61	776.80
उड़ीसा	614.89	–	614.89	1188.00	297.00	1485.00

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	214.65	500.00	714.65	728.00	307.00	1035.00
राजस्थान	3136.60	3438.55	6575.15	3392.29	1707.71	5100.00
तमिलनाडु	1634.27	2807.00	4441.27	3038.60	1461.40	4500.00
त्रिपुरा	135.32	340.59	475.91	435.88	194.12	630.00
उत्तर प्रदेश	2254.95	4033.00	6287.95	4665.40	2174.60	6840.00
उत्तरांचल	230.00	690.00	920.00	870.00	390.00	1260.00
पश्चिम बंगाल	349.18	728.65	1077.83	1654.33	595.67	2250.00
सिक्किम	102.58	635.28	737.86	133.51	192.20	325.71
चंडीगढ़	0.65	–	0.65	50.00	–	50.00
दादर और नगर हवेली	21.61	–	21.61	135.00	–	135.00
दमन और दीव	4.34	–	4.34	45.00	–	45.00
दिल्ली	61.03	–	61.03	–	–	0.00
अण्डमान और निकोबार	38.87	–	38.87	90.00	–	90.00
पांडिचेरी	15.14	–	15.14	108.00	27.00	135.00
लक्षद्वीप	10.18	–	10.18	90.00	–	90.00
कुल	19831.75	37888.00	57719.75	72396.47	19430.16	91826.63

[हिन्दी]

कोयला खानें

***210. श्री रामटहल चौधरी :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें कोयला उद्योग वर्तमान में खनन कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) इसके खान-वार कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके कारण देश और संबंधित राज्यों को रायल्टी की कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से अक्षम इन खानों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड (एस.सी.सी.एल.) की कोयला खानों की, जिनमें इस समय खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य	खानों की संख्या
पश्चिम बंगाल	59
बिहार/झारखण्ड	44

राज्य	खानों की संख्या
मध्य प्रदेश	37
छत्तीसगढ़	13
महाराष्ट्र	17
आंध्र प्रदेश	9
जोड़	179

उपर्युक्त खानों में खनन कार्य न किए जाने के कारण इस प्रकार हैं:-

खानों की सं.	बंद करने/कार्य न करने के कारण
134	भंडारों का समाप्त होना
23	तकनीकी-आर्थिक कारण
5	सुरक्षा
2	भू-खनन स्थितियां
4	आग
5	पिटों का डूब जाना
3	दूसरी इन्क्लाइन के माध्यम से कार्य करना/ दूसरी खानों के साथ मिला दिया जाना
1	बहुत कम उठान होना
2	कोयले का अव्यवहार्य घटिया ग्रेड होना
179	जोड़

(ग) खानों के बंद होने के कारण उत्पादन में कमी को, कर्मचारियों को तथा मशीनों को दूसरी चालू खानों में तथा नई परियोजनाओं में परिनियोजित करके, लगातार पूरा किया जाता है।

(घ) से (च) सरकार का किसी खान को किसी निजी पार्टी को सौंपने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत, निजी क्षेत्र की कंपनियां केवल विद्युत उत्पादन, लोहा तथा इस्पात उत्पादन अथवा सीमेंट उत्पादन अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे अन्य अन्त्य प्रयोगों के लिए ग्रहीत कोयला खनन कर सकती है।

[अनुवाद]

मूंगफली उत्पादक किसान

***211. श्री रामसिंह राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और कुछ अन्य राज्यों के मूंगफली का उत्पादन करने वाले किसानों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) सरकार ने मूंगफली उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सामान्य औसत गुणवत्ता की मूंगफली हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2000 तथा 2001 मौसम हेतु क्रमश: 1220 रुपये प्रति क्विंटल तथा 1340 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केन्द्रीय शीर्षस्थ अभिकरण, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) को यह निर्देश दिया गया था कि ज्यों ही मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर के बराबर हो जाए, वह मूल्य समर्थन संबंधी कार्य करना शुरू कर दे। वर्ष 2000 के दौरान गुजरात राज्य में मूंगफली के मंडी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक थे, अत: इस स्कीम के अधीन खरीद कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों के कुछ स्थानों पर मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम थे और तदनुसार नैफेड द्वारा मंडी हस्तक्षेप शुरू किया गया। वर्ष 2001 के दौरान भी गुजरात राज्य सहित कुछ क्षेत्रों में मूंगफली के मंडी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम थे, अत: नैफेड ने अपने सहकारी नेटवर्क के जरिये 16.2.2002 तक 1,62,738 मी. टन मूंगफली की खरीद की। चूंकि गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में मंडी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर स्थिर रहे, अत: 31.1.2002 के बाद खरीद रोक दी गई। बहरहाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में अभी भी खरीद कार्य जारी है, क्योंकि इन राज्यों के कुछ केंद्रों पर मूंगफली के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान, इस स्कीम के अन्तर्गत मूंगफली की राज्यवार खरीद का विवरण इस प्रकार है:-

(मात्रा मी. टन में)

राज्य	खरीफ, 2000 रबी 2001	खरीफ, 2001
गुजरात	–	1,16,145
राजस्थान	–	27,794
आंध्र प्रदेश	28,099	14,128
कर्नाटक	609	2,651
उत्तर प्रदेश	–	2,020
उड़ीसा	427	–
कुल	29,135	1,62,738

नहरों के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक से ऋण

*212. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहरों के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी-कितनी राशि की सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) किसी भी राज्य सरकार ने केवल नहरों के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, नहरों का आधुनिकीकरण करना विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित जल संसाधन समेकन परियोजनाओं का एक मुख्य घटक है। इस समय, महाराष्ट्र सरकार ने 2041.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की जल सेवा सुधार परियोजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसे विश्व बैंक को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। सामान्यत: विश्व बैंक को परियोजना का मूल्यांकन करने और उस पर बातचीत करने के लिए लगभग एक वर्ष लगता है।

हाल में पूर्ण हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना और उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना, आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-III, आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक), यू.पी. जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना और राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना नामक चल रही परियोजनाओं में नहरों के आधुनिकीकरण का घटक भी शामिल है।

तटीय विनियमन जोन अधिसूचना में संशोधन

*213. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तटीय विनियमन ज़ोन (सी.आर. जैड) अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक सामान्य जनता, पर्यावरणविदों और राज्य सरकारों से कोई सुझाव आमंत्रित किए गए हैं/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसे प्रत्येक अनुरोध/सुझाव पर क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को तटीय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों, पर्यावरणविदों और अन्यों से तटीय विनयमन जोन (सी आर जैड) अधिसूचना, 1991 में संशोधन के लिए कई सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ अन्तर्राज्यीय क्षेत्रों में सौर वाष्पन द्वारा नमक बनाना, गुजरात में तटीय विनियमन क्षेत्र के अन्दर चूना पत्थर निकालना, महाराष्ट्र में आवास परियोजनाएं विकसित करने के लिए तटीय विनियमन जोन में छूट देना, गोवा में तटीय पर्यटन परियोजनाएं विकसित करने के लिए छूट देना, केरल के बैकवाटर के साथ आवासीय गृहों के निर्माण के लिए तटीय विनियमन जोन के क्षेत्र को कम करना, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तटीय विनियमन जोन में बालू निकालना और अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के लिए तटीय विनियमन जोन के क्षेत्र में कमी करना शामिल है।

उक्त सुझावों पर विचार करने के उपरान्त सरकार ने तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 में संशोधन जारी किया है जिसमें अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय विनियमन जोन में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रेत निकालना, तटीय विनियमन जोन में लिक्वीफाइड नेचुरल गैस (तरल प्राकृतिक गैस) का भण्डारण और रीगैसीफिकेशन, अन्तर्ज्वारीय क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक

गैस का अन्वेषण तथा वाटर फ्रंट एवं फार शोर संबंधी गतिविधियों के लिए सुधार की व्यवस्था की गई है।

जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए 11.1.2002 को एस ओ संख्या 51 के अनुसार एक प्रारूप अधिसूचना भी जारी की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कतिपय शर्तों के अध्यधीन स्थानीय निवासियों के लिए आवास गृहों के निर्माण हेतु तटीय विनियमन जोन में 50 मीटर या नदी, खाड़ी या बैकवाटर की चौड़ाई में से जो भी कम हो, के बराबर की कमी करना, (2) तटीय विनियमन जोन-॥ क्षेत्रों में 19.02.1991 से पूर्व शुरू हुए राज्य शहरी विकास प्राधिकरणों को आवासीय स्कीमों के निर्माण को अनुमति देना (3) अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन और मौजूदा अधिसूचित पत्तन सीमाओं के भीतर ''गैर विकसित जोन'' को हटा देना, (4) तटीय विनियमन जोन-III क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवासियों के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवासीय इकाइयों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अनुमति देना, (5) अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में सौर वाष्पन द्वारा नमक बनाने की व्यवस्था की गई थी।

प्रारूप अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 365 दिनों के भीतर अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।

नारियल की गिरी का न्यूनतम समर्थन मूल्य

*214. **श्री एन.एन. कृष्णदास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (ए.सी.पी.सी.) ने वर्ष 2002 के दौरान नारियल की गिरी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) संबंधी अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केरल के किसानों को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के बावजूद नारियल की गिरी का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या नैफेड ने नारियल की गिरी की खरीद के प्रति उत्सुकता दिखाई है;

(ङ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान नैफेड और इसकी एजेंसियों ने कुल कितनी मात्रा में नारियल की गिरी की खरीद की है; और

(च) गत वर्ष के दौरान नैफेड ने नारियल की गिरी की कुल कितनी मात्रा जारी की है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 2002 मौसम के लिए खोपरे की मूल्य नीति से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार इस रिपोर्ट पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है।

(ग) और (घ) खोपरे के मूल्य 2001 मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जो खोपरे की खरीद के लिए केन्द्रीय शीर्ष एजेन्सी है, द्वारा अच्छी औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरे की खरीद 3300 रुपये प्रति क्विंटल तथा अच्छी औसत गुणवत्ता के बॉल खोपरे की खरीद 3550 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है, जो 2001 मौसम के लिए निर्धारित है।

(ङ) मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा मिलिंग तथा बॉल खोपरे की 2000 मौसम के दौरान 2,34,845 मीटरी टन तथा 2001 मौसम (27.2.2002 तक) के दौरान 44,690 मीटरी टन खरीद की गई।

(च) मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत 2000 मौसम के दौरान मिलिंग खोपरे की 1,96,663 मीटरी टन मात्रा तथा प्रसंस्कृत एवं साबुत रूप में बॉल खोपरे की 6,336 मीटरी टन मात्रा के स्टॉक का निपटान किया गया।

कोयला माफिया

*215. **श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी** : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धनबाद के कोयला माफिया ने अपनी गतिविधियों का विस्तार पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र तक कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला माफिया ग्रुपों ने जघन्य गतिविधियों द्वारा देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों को रेलगाड़ियों द्वारा कोयले के परिवहन में भारी बाधाएं उत्पन्न की हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने देश में कोयला माफिया ग्रुपों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के वायु क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध का प्रभाव

***216. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान द्वारा एक-दूसरे के वायु क्षेत्र के प्रयोग पर पाबंदी लगाए जाने के मद्देनजर एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है कि खाड़ी के देशों को जाने वाली इनकी उड़ानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वजह से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली से खाड़ी देशों, लंदन और पेरिस को नए मार्गों से जाने वाली इनकी उड़ानों की प्रचालन लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) कुछ भारतीय स्थानों और पश्चिम में गंतव्य स्थानों (सऊदी अरेबिया, खाड़ी, मध्य-पूर्व यूरोप, यू.के. और अमरीका) के बीच एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें दोनों दिशाओं में पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को छोड़ते हुए उड़ानें प्रचालित कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दिशा में 30-60 मिनट की अतिरिक्त उड़ान समय लग रहा है। इसके परिणामस्वरूप, अधिक ईंधन, अधिक उड़ान समय और कर्मीदल लागत इत्यादि जैसी अन्य सहायक समस्याएं बढ़ रही हैं। तथापि, किरायों में वृद्धि नहीं की गई है चूंकि इससे विमान कंपनी को और साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय विमान कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक हानि उठानी पड़ेगी। तथापि, पाकिस्तान को वैमानिकी प्रभारों के भुगतान करने पर भी बचत हुई है। एअर इंडिया ने स्थायी तौर पर अपने प्रचालनों को दिल्ली से मुम्बई के लिए स्थानांतरित कर दिया है जिससे हानियों को कम किया जा सके। दिल्ली के यात्रियों के लिए दिल्ली और मुम्बई के बीच एक शटल उड़ान प्रचालित की जा रही है। इसी प्रकार, इंडियन एयरलाइन्स उनके विमान बेड़े में अनुमोदित सीमित मात्रा में विस्तारित दोहरी इंजिन प्रचालनों वाले विमान की समस्या से निजात पाने के लिए खाड़ी के लिए चौबीसों घंटों उनकी अनुसूचित उड़ानों के लिए मार्गस्थ वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में रक्षा मंत्रालय के जामनगर हवाई अड्डे का उपयोग कर रही है। इंडियन एयरलाइंस अपने विमानचालकों और फ्लाइट डिस्पैचरों को एटीओपी प्रशिक्षण दिए जाने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(घ) पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिए जाने के कारण उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के कारण एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अदा की गई अतिरिक्त राशि क्रमश: प्रति सप्ताह लगभग 80 लाख रुपए और 16.50 लाख रुपए है।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी आंकड़े और एकीकृत डाटाबेस

***217. श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 8 फरवरी, 2002 के ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार देश में पर्यावरण संबंधी आंकड़े पांच वर्ष पुराने हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मानवीय स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रदूषकों के प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषकों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो कई समितियों की सिफारिशों के बावजूद इस प्रकार का डाटाबेस तैयार किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) क्षेत्र-वार रणनीतियां तैयार करने के लिए निष्कर्षात्मक, वैज्ञानिक और अद्यतन डाटाबेस संकलित करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2000 तक के कुछ आंकड़ों सहित मई, 2000 में दी है।

(ग) से (च) सरकार द्वारा पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गठित समिति ने पर्यावरणीय प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव

के संबंध में एक एकीकृत डाटाबेस तैयार करने की सिफारिश की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर डाटाबेस तैयार करने के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य अध्ययन शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

खान और खनिज क्षेत्र में निजी निवेश

***218. श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान और खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन क्षेत्रों और विभिन्न कोलफील्ड में कोयले की खोज के लिए निवेश करने हेतु निजी कंपनियों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी निवेश के प्रस्तावों, यदि कोई हों, को किन-किन शर्तों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है?

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 ने खनिज क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहित निजी निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को 1994 और 1999 में संशोधित किया गया जिसके परिणामस्वरूप खनिज रियायतें प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण और राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन संभव हुआ।

तदनुसार, 13 खनिज, जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित थे, उन्हें निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है। इनमें लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, सल्फर, स्वर्ण, तांबा, सीसा, जस्ता, मॉलीब्डेनम, टंगस्टन, हीरा, निकल और प्लेटिनम समूह की धातुएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में पंजीकृत, खनन क्षेत्र की कंपनियों में विदेशी इक्विटी होल्डिंग पर प्रतिबंध 1994 में हटा दिया गया था। खनन पट्टों की समयावधि न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष करके इन्हें स्थायित्व प्रदान किया गया। 1994 में, 15 खनिजों के संबंध में, खनिज रियायत प्रदान करने से पूर्व केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता को हटा दिया गया और इसके अतिरिक्त, 1999 से, चूनापत्थर के लिए भी ऐसी अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। 1999 से, पूर्वेक्षण प्रचालनों से पूर्व तथा प्रचालन के लिए विशिष्ट स्टेज के रूप में, टोही प्रचालनों की अवधारणा की शुरूआत भी की गई है। राज्य सरकारों को सभी गैर-ईंधन तथा गैर-परमाणु खनिजों के खनन पट्टों का नवीकरण, अंतरण और समामेलन करने की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।

इसके अलावा, खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश सहित निजी निवेश को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सभी प्रस्ताव स्वत: अनुमोदन के पात्र हैं (रत्नों और हीरों को छोड़कर) जिनके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु स्वत: अनुमोदन 74% तक अनुमेय है और ईंधन एवं परमाणु खनिजों को भी छोड़कर, जिन पर एक पृथक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू होती है।

उदारीकरण के उपायों के प्रत्युत्तर में, उद्यमियों ने 65 वृहद क्षेत्र पूर्वेक्षण लाइसेंस लिए हैं जिनमें 90 हजार वर्ग कि.मी. से भी अधिक क्षेत्र कवर हुआ है। इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में, 1999 में, किए गए संशोधन के बाद, केन्द्र सरकार द्वारा 72 टोही परमिट अनुमोदित किए गए हैं जिनके अंतर्गत 86,500 वर्ग कि.मी. से भी अधिक क्षेत्र कवर हुआ है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अब तक खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 70 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं जिनमें 3963 करोड़ रु. का सम्भावित निवेश शामिल है।

कोयले के लिए, सरकार ने कोयला क्षेत्र को गैर-सरकारी सहभागिता के लिए खोलने हेतु कदम उठाए हैं। तदनुसार, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को संशोधित करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक, 2000 संसद में, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ, पेश किया गया है:-

(1) भारतीय कंपनियों अर्थात् भारत में पंजीकृत कंपनियों को गृहीत उपभोग के मौजूदा प्रतिबंध के बिना कोयले और लिग्नाइट के खनन की अनुमति देना; और

(2) देश में कोयले और लिग्नाइट के संसाधनों के गवेषण में संलग्न होना।

[अनुवाद]

भारतीय वन्यजीव बोर्ड

***219. श्री सुबोध मोहिते :**
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन्यजीवों के संरक्षण को प्राथमिकता प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने वन्यजीवन और वनों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) सरकार ने देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या ठोस योजनाएं तैयार की हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए बोर्ड की बैठक प्रतिवर्ष हो?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) प्रशासनिक और वित्तीय दबावों को ध्यान में रखते हुए देश के अनेक क्षेत्रों में वन्यजीव संरक्षण के लिए जितनी प्राथमिकता जरूरी है, नहीं दी गई है।

(ग) से (ङ) भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने 21 जनवरी, 2002 को आयोजित अपनी बैठक में यह सिफारिश की कि वन्यजीव और वानिकी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा जिसके लिए धनराशि निर्धारित की जाएगी। बोर्ड द्वारा अंगीकृत वन्यजीव संरक्षण नीति-2002 का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस बोर्ड की उक्त बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-2016 को भी अंगीकार किया गया। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

''वन्यजीव संरक्षण नीति, 2002'' और ''वन्यजीव कार्य योजना 2002-2016'' सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को अनुपालनार्थ भेजी गई है। इन्हें शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए इस संबंध में योजना आयोग से भी सम्पर्क रखा गया है। बैठक के दौरान प्रधान मंत्री जी ने यह निदेश दिया कि इस बोर्ड की बैठक बार-बार होनी चाहिए।

विवरण-I

भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा अंगीकृत वन्यजीव संरक्षण रणनीति, 2002 का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव और वनों को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया जाएगा जिसके लिए निधियां अलग से निर्धारित की जाएं।

2. कानून लागू करने वाले अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि वे लोग जो वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों, उनके वासस्थलों को नष्ट करने और अन्य ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और उन्हें शीघ्र और कठोर दंड दिया जाए।

3. हमें वन्यजीव पर्यटन की संभाव्यता का पूरी तरह से पता लगाना चाहिए और इसके साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इससे वन्यजीव और सुरक्षित क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बढ़े हुए पर्यटन से अर्जित राजस्व को संरक्षण के लिए संसाधन को बढ़ाने में पूर्णत: उपयोग में लाया जाये।

4. सुरक्षित क्षेत्रों के इर्द-गिर्द रहने वाले निर्धन और आदिवासियों के हितों की रक्षा संवेदनशीलता से की जाए और उसमें प्रभावित लोगों की अधिकतम सहभागिता भी होनी चाहिए। उन्हें लघु वन उत्पाद राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बाहर स्थित वन क्षेत्रों से आसानी से प्राप्त हो। वनों, वन्यजीव और जनता के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए इन लोगों के लिए रोजगार का सृजन अत्यावश्यक है। नए क्षेत्रों में वनीकरण और संरक्षण को शुरू करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।

5. वन्यजीवों को होने वाले परम्परागत खतरों के खिलाफ सुरक्षात्मक उपायों को सुदृढ़ बनाते समय हमें नए खतरों पर भी ध्यान देना चाहिए अर्थात् विषैले रसायन और कीटनाशक दवाएं आदि।

6. वन्यजीव संरक्षण में लगे अनेक गैर-सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक शासकीय तथा सामाजिक मान्यता और समर्थन होना चाहिए।

7. वन्यजीवों और पारिस्थितिकी के बारे में सृजनात्मक ढंग से तैयार टी.वी. कार्यक्रमों को युवा व बुजुर्ग, दोनों वर्गों द्वारा समान रूप से पसन्द किया जाता है, जो कि डिस्कवरी चैनल नेशनल जियोग्राफिक और ''एनिमल पलैनेट'' जैसे समर्पित टी.वी. चैनलों की लोकप्रियता

से स्पष्ट होता है। इसमें प्रस्ताव किया गया कि प्रसार भारती और निजी चैनल तथा अन्य डब्ल्यू डब्ल्यू एफ फॉर नेचर जैसी एजेंसियों द्वारा हमारे टेलीविजन पर मूल भारतीय विषय-वस्तु को विभिन्न भाषाओं में दिखाए जाने के संबंध में सहयोग करना चाहिए और इसमें वृद्धि करनी चाहिए।

8. महत्वपूर्ण व पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक वन्यजीव वासस्थलों में वन भूमि का वनेत्तर प्रयोजनों के लिए अपवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के 10 कि.मी. के भीतर पड़ने वाली भूमियों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 3(V) के अंतर्गत और पर्यावरण (सुरक्षा) नियम के नियम 5 उपनियम 5(VIII) और (X) के तहत पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अंचलों के रूप में अधिसूचित किया जाए।

10. वनभूमियों और सुरक्षित क्षेत्रों से अनधिकृत कब्जों और अवैध गतिविधियों को समाप्त किया जाए।

11. प्राकृतिक वनों को अपवर्तित करने के लिए वाणिज्यिक मोनोकल्चर की अनुमति न दी जाए।

12. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में अधिकारों के निस्तारण का उपयोग ऐसे क्षेत्रों को अलग करने अथवा उनमें कमी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है और वन्यजीव वासस्थल का अभिन्न हिस्सा है।

13. सुरक्षित क्षेत्रों के अग्रिम पंक्ति वाले स्टाफ में 2000 से अधिक रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा और प्रभावी कर्त्तव्य पालन हेतु स्टाफ के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया कराया जाएगा। पुलिस विभाग की तर्ज पर रिक्त पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाए। इस स्टाफ द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अन्य विभागों में सरप्लस कर्मचारियों को इसके लिए ड्यूटी पर लगाया जाए, स्वैच्छिक अथवा मानदेय आधार पर स्थानीय लोगों को लगाया जाए, व्यापारिक घरानों और अन्य सार्वजनिक जीवन के लोगों से दान लेने की संभावना का पता लगाया जाना आवश्यक है।

14. वन्यजीव प्रबंधन में प्रशिक्षित वन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सुरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन।

15. राज्यों द्वारा मानव पशु संघर्ष की घटनाओं को कम करने और फसल बीमा के मैकेनिज़्म तथा अनुग्रह राशियों का शीघ्रता से भुगतान करने के लिए सघन उपाय शुरू किए जाएं।

16. देश में समूचे वानिकी ढांचे और इससे संबद्ध संस्थानों के पुनर्गठन, सुधार और उन्हें सुदृढ़ बनाने से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक वन आयोग की स्थापना की जाए।

17. वन्यजीव कार्ययोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्यदल की स्थापना की जाए।

विवरण-III

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की प्रमुख विशेषताएं

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें जल की सतत उपलब्धता और लोगों की जीवका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पारि-तंत्रों के संरक्षण के महत्व का विशेष उल्लेख किया गया है। इस कार्य योजना में वन्यजीवों के प्रभावी संरक्षण हेतु अपेक्षित कार्रवाई और प्राथमिकता परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है। इस कार्य योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख प्राचल ये हैं:-

1. सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना और उसका विस्तार करना।

2. सुरक्षित क्षेत्रों का प्रभावशाली प्रबंधन।

3. वन्य और संकटापन्न प्रजातियों तथा उनके निवास स्थानों का संरक्षण।

4. सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर अवक्रमित आवासों का पुनरुद्धार।

5. वन्यप्राणियों और पादप प्रजातियों के अवैध शिकार, चर्म-प्रसाधन और अवैध व्यापार का नियंत्रण।

6. मानीटरी एवं अनुसंधान।

7. मानव संसाधन विकास और कार्मिक नियोजन।

8. वन्यजीवों के संरक्षण में लोक-सहभागिता।

9. संरक्षण जागरूकता और शिक्षा।

10. वन्यजीव पर्यटन।

11. आन्तरिक विधान और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन।

12. वन्यजीव क्षेत्र को निर्बाध धनराशि का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय आबंटन को बढ़ाना।

13. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं

***220. श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रदूषण नियंत्रण हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयार की गई महत्वपूर्ण स्कीमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:-

(1) नदी जल की गुणवत्ता की बहाली के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों और समूहों में स्थित उद्योगों के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना।

(3) अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की सत्रह श्रेणियों में आने वाले उद्योगों में तथा अपशिष्ट जल को नदियों और झीलों में प्रवाहित करने वाले उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण।

(4) वाहन उत्सर्जन मानकों का क्रियान्वयन और ईंधन गुणवत्ता में सुधार।

(5) पर्यावरणीय पहलुओं पर आधारित उद्योग स्थल निर्धारण के लिए जोनल एटलस।

(6) पटाखों व अन्य स्रोतों से होने वाले ध्वनि से प्रदूषण नियंत्रण।

(7) जैव चिकित्सा और नगरीय ठोस अपशिष्टों और प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन।

(ख) प्रदूषण नियंत्रण स्कीमों के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को दी गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता

(रुपयों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	549110	68026775	516680	504525
अरुणाचल प्रदेश	0	875000	0	100000
असम	769955	387880	101757	386613
बिहार	892155	260530	39912073	2711625
चंडीगढ़	0	0	27778	5556
दिल्ली	20000000	13500000	8150000	221870000
गोवा	67600	74360	0	181120
गुजरात	23515740	172103540	51457830	6656460
हरियाणा	265144835	148278715	69798285	170016667

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	917755	119545	1217818	208127
जम्मू व कश्मीर	800000	1000000	0	500000
कर्नाटक	11708755	43911095	32411785	2159265
केरल	1485440	487500	1217110	1590287
लक्षद्वीप	21590	15100	8940	9290
मध्य प्रदेश	51091130	115365125	71902587	815995
महाराष्ट्र	757070	25913515	122024031	53494690
मणिपुर	170090	1006730	520440	31850
मेघालय	1569000	1233100	2502500	3499583
मिजोरम	1425000	800000	0	0
नागालैंड	100000	1335000	897400	0
उड़ीसा	1413435	801160	9117337	30698194
पंजाब	50138800	129774130	66703610	154136435
पांडिचेरी	48765	45840	791675	38568
राजस्थान	903150	5170340	1075893	979677
सिक्किम	600000	800000	860400	0
तमिलनाडु	10200320	108187355	291055438	401969745
त्रिपुरा	902790	852020	59020	13880
उत्तर प्रदेश	656230035	798966785	591791624	771562675
पश्चिम बंगाल	40429395	40000000	15000000	50094820

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में जातीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु उत्सव

2125. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में जातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष फरवरी में जोरहाट में चाय पर्यटन उत्सव का आयोजन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस उत्सव के आयोजन हेतु कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) असम राज्य सरकार ने जोरहाट में 4 से 9 फरवरी, 2002 तक प्रथम बार

"टी टूरिज्म फेस्टिवल" का आयोजन किया। टी टूरिज्म आयोजन के लिए कोई स्थान नहीं है तथापि, यह ऊपरी असम के चाय बागानों वाले क्षेत्र तक अवस्थित है।

(ख) यहां पूरे वर्ष भर विभिन्न मेलों और उत्सवों का आयोजन होता रहता है जिनमें भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत की झलक होती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित होने वाले इन मेलों के अतिरिक्त विशेष मेलों के आयोजन को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन हेतु प्रचार-प्रसार सहायता तथा मेलों/उत्सवों से संबंधित मुद्रित प्रचार-प्रसार सामग्री और स्थायी/अर्ध-स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) असम राज्य सरकार के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपयों में)
1998-99	5.00
1999-2000	2.50
2000-2001	शून्य

वर्ष 2001-2002 के दौरान टी फेस्टिवल के लिए 5.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को प्राथमिकता दी गयी है।

पर्यटन उद्योग में रोजगार

2126. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पर्यटन उद्योग में आदिवासी युवकों को रोजगार देने हेतु किसी योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी

2127. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व यथा नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, पोटाशियम, सल्फर, मैंगनीज और बॉरोन कम होते जा रहे हैं और ये भोजन/भोजन श्रृंखला द्वारा मनुष्य/पशुओं में पहुंचते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका मनुष्यों और पशुओं पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इन खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) देश के कुछ भागों में मृदा पोषक तत्वों में कमी आने के उदाहरण देखे गए हैं। मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति की तुलना में उन्हें मृदा से अधिक मात्रा में हटा लिए जाने से कमी पैदा हो जाती है। मानव/पशुओं द्वारा पोषक तत्वों की कमी युक्त खाद्यान्न/आहार के सेवन से चयापचय संबंधी गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके समग्र स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पौध पोषक तत्वों के अत्यधिक तथा असन्तुलित उपयोग के कारण कोई दुष्प्रभाव न हों सरकार मृदा परीक्षणों के आधार पर रासायनिक उर्वरकों, जैविक खाद तथा जैव उर्वरकों के मिश्रित प्रयोग के साथ समेकित पोषक तत्वों के उपयोग का प्रचार-प्रसार करती है।

मृदा उर्वरता में सततता को कायम रखने के लिए पौध पोषक तत्वों के सन्तुलित एवं समेकित उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है:-

(1) मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति के अनुसार उर्वरकों के उपयोग के बारे में सिफारिशें करने के लिए मृदा परीक्षण कार्यक्रम को समय-समय पर सुदृढ़ बनाया जाता है।

(2) विनियंत्रित पोटाशिक तथा फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि उनकी खपत बढ़ाकर एन.पी.के. खपत को सन्तुलित किया जा सके।

(3) मृदा उर्वरता को बनाए रखने एवं फसलों को पौध पोषक तत्वों का सस्ता स्रोत उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से समेकित पोषक तत्वों, जैविक स्रोतों जैसे जैव उर्वरकों, कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अलग बीज अधिनियम

2128. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से एक अलग बीज अधिनियम के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र बीज विधेयक, 2000 गृह मंत्रालय से जुलाई, 2000 में टिप्पणियों हेतु प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच की गई और भारत सरकार ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया क्योंकि केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय बीज अधिनियम, 1966 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित केन्द्रीय बीज अधिनियम का मसौदा तैयार करते समय महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

दुग्ध उत्पादन

2129. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादक दुग्ध की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और दुग्ध के आयात के संबंध में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें राहत प्रदान कराने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय को दूध के आयात के कारण दुग्ध उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही दूध की मात्रा संबंधी प्रतियोगिता और किसी अन्य समस्या के बारे में अभी हाल में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय डेयरी किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण के आयात पर शुल्क 0 से 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है जो कि ''गेट'' के अनुच्छेद 18 के तहत इसके व्यापार साझीदारों के साथ बातचीत करके 10,000 मी. टन के वार्षिक टैरिफ रेट कोटा के साथ दोनों लाइन पर सार्वभौमिक आधार पर 15 प्रतिशत है। इसे वित्त मंत्रालय ने 12 जून, 2000 को राजपत्र में विधिवत अधिसूचित किया था।

मसूर का उत्पादन

2130. श्री मोहन रावले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मसूर का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में मसूर सहित दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत, बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, राइजोबियम कल्चर, छिड़काव यंत्रों, उन्नत कृषि उपस्करों, सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, देश में मसूर सहित दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु खेतों पर प्रदर्शन एवं कृषकों के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

सरकार ने मसूर की खेती करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम में शामिल किया है। इससे देश के किसान बड़े पैमाने पर मसूर की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बकाया का भुगतान

2131. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अग्रिमों और बकाया अग्रिमों के भुगतान को रोकने में असफल रहा है और अधिकारियों, निजी पार्टियों और सरकारी संस्थानों का अग्रिम बकाया 1013.61 लाख रुपये हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी या की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूरे देश में 98 अुसंधान

संस्थान; राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र; परियोजनाएं निदेशालय हैं। यह सरकारी विभागों जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, सी.पी.एस., डी.ए.वी.पी. आदि से क्रमश: विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन तथा स्टोर की अधिप्राप्ति से संबंधित सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पूर्व-जमाकर्ता पक्षकार (प्री-डिपोजिट पार्टी) है। अत: विभिन्न सरकारी विभागों को तथा अपने कर्मचारियों को आकस्मिक राशि, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत संबंधी अग्रिम प्रदान करना एक नियमित प्रक्रिया है। नियमानुसार इन अग्रिमों के शीघ्र समायोजन के कार्य की समय-समय पर तत्परता से निगरानी का जा रही है। इन अग्रिमों में से अधिकांश केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं, जो कि निर्माण कार्य की एक अधिकृत एजेंसी है। यह अग्रिम तीन किस्तों में दिया जाता है तथा इसका समायोजन निर्माण कार्य पूरा होने तथा भवन के हस्तांतरण के समय दिया जाता है।

(ख) समस्त सरकारी विभागों को समायोजित लेखा शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से कहा जाता है। विभाग के कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम के समायोजन का कार्य सामान्य वित्त नियमों के अनुसार किया जाता है। संबंधित यूनिटों के अलावा भा.कृ.अ.प. मुख्यालय भी अपनी समस्त घटक यूनिटों से निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट प्राप्ति के माध्यम से प्रत्येक तिमाही में बकाया अग्रिमों के समायोजन के प्रगति कार्य की निगरानी करता है। बकाया अग्रिमों की स्थिति की निगरानी वर्ष में दो बार भा.कृ.अ.प. की स्थायी वित्त समिति तथा शासी निकाय द्वारा भी की जाती है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना का चरण-II

2132. श्री टी. गोविन्दन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के चरण-॥ केरल सरकार का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) केरल सहित, 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विश्व बैंक सहाय्यित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के 1998 में पूरा हो जाने के बाद केरल सहित बहुत से राज्यों से परियोजना के दूसरे चरण हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। समेकित परियोजना प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

काबीनी द्वितीय चरण लिफ्ट सिंचाई परियोजना

2133. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से काबीनी द्वितीय चरण लिफ्ट सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इस परियोजना को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण और जल निकास परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन प्रचालन और रख-रखाव स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। ''व्यापक कबीनी जलाशय परियोजना'' नामक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए अक्तूबर, 1973 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। इस परियोजना की जांच की गई और मुख्यत: अंतर्राज्यीय मुद्दों से संबंधित टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं। परियोजना राज्य सरकार को जून, 1983 में लौटा दी गई थी क्योंकि राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। कावेरी जल आबंटन विवाद अब कावेरी जल विवाद अधिकरण के समक्ष है।

संयुक्त वन प्रबंधन

2134. श्री ए.सी. जोस : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से उजड़े वनों को फिर से हरा-भरा करने के संबंध में केरल समेत विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इसके लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) जी, हां। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मंजूर किए गए हैं। एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम (आई.ए.ई.पी.एस.), क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम (ए.ओ.एफ.एफ.पी.) औषधीय पौधों समेत गैर-इमारती वन उत्पाद स्कीम (एन.टी.एफ.पी.), भोगाधिकार हिस्सेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्भव में अनुसूचित आदिवासियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करने (ए.एस.टी.आर.पी.) से संबंधित योजना के अंतर्गत कार्यान्वित सभी परियोजनाओं का संयुक्त वन प्रबंधन एक अभिन्न अंग है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण-I

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-02) के दौरान वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

वास्तविक : क्षेत्र हेक्टेयर में

क्र. सं.	राज्य का नाम	एन.टी.एफ.पी.		आई.ए.ई.पी.एस.		ए.ओ.एफ.एफ.पी.		2000-01 तक ए.एस.टी.आर.पी.	
		स्वीकृत	जारी की गई	स्वीकृत	जारी की गई	स्वीकृत	जारी की गई	स्वीकृत	जारी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	815.77	688.55	1128.90	767.91	695.87	593.74	123.96	47.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	163.75	80.00	304.57	286.37	40.12	33.88	85.40	30.99
3.	असम	270.53	222.03	437.31	250.80	858.31	355.53	0.00	0.00
4.	बिहार	324.98	88.00	0.00	0.00	737.98	275.52	151.61	66.95
5.	गुजरात	764.99	564.58	748.48	728.19	1036.94	882.36	99.45	61.80
6.	हरियाणा	208.67	207.67	437.82	330.82	1437.04	1340.30	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	202.89	167.35	327.48	233.11	744.62	598.15	0.00	0.00
8.	जम्मू व कश्मीर	994.44	845.16	1801.76	1596.76	797.81	162.64	98.51	75.24
9.	कर्नाटक	320.90	302.08	847.43	660.42	900.22	706.91	132.50	88.14
10.	केरल	179.48	116.98	1926.19	1557.59	467.66	383.34	0	0.00
11.	मध्य प्रदेश	841.00	481.34	1711.05	1199.02	2110.30	1632.16	219.37	156.91
12.	महाराष्ट्र	298.71	280.17	1110.17	499.67	378.41	303.53	142.13	63.03
13.	मणिपुर	325.76	237.55	1697.46	1376.08	975.23	454.27	89.21	60.69
14.	मिजोरम	308.29	277.01	604.55	538.74	854.73	825.17	59.67	44.55
15.	नागालैंड	209.10	106.00	329.19	246.47	77.65	24.10	59.02	15.80
16.	उड़ीसा	674.50	520.53	3779.72	1810.50	565.47	415.33	0.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	पंजाब	158.75	78.50	507.31	123.99	1204.13	190.12	0.00	0.00
18.	राजस्थान	698.35	679.02	2047.98	1596.22	970.01	773.83	112.32	72.97
19.	सिक्किम	568.58	568.68	795.68	708.77	346.66	308.74	64.43	0.00
20.	तमिलनाडु	167.78	106.75	433.18	202.57	595.97	483.21	0.00	0.00
21.	त्रिपुरा	107.37	73.19	407.71	304.18	314.51	232.49	48.73	21.80
22.	उत्तर प्रदेश	377.87	153.87	229.39	203.15	1062.55	854.06	0.00	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	377.52	320.55	859.07	674.39	894.61	855.76	0.00	21.61
24.	पांडिचेरी	0.00	0.00	90.32	20.12	0.0	00.00	0.00	0.00
25.	छत्तीसगढ़	143.23	110.52	364.55	266.18	67.13	88.20	40.00	0.00
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	1911.72	1594.10	381.80	184.11	0.00	0.00
27.	झारखंड	–	–	364.31	243.11	0.00	119.92	–	–
	कुल	9503.21	7275.98	25203.30	18019.23	18515.73	13077.37	1526.31	837.44

विवरण-II

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-02) के दौरान वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

वास्तविक : क्षेत्र हेक्टेयर में

क्र. सं.	राज्य का नाम	एन.टी.एफ.पी.		आई.ए.ई.पी.एस.		ए.ओ.एफ.एफ.पी.	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9082	9057	14326	11584	15214	14458
2.	अरुणाचल प्रदेश	1820	900	3078	2288	750	510
3.	असम	3322	1790	3700	2250	16800	10593
4.	बिहार	3225	0	0	0	10609	2698
5.	गोवा	1160	965	0	0	500	465
6.	गुजरात	4795	4225	6890	6890	15365	13225
7.	हरियाणा	1250	1250	2995	2995	13575	13139

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	1611	1283	3460	2613	14015	13079
9.	जम्मू व कश्मीर	8241	6190	16289	12550	16110	4938
10.	कर्नाटक	2246	2331	6872	6451	15244	13060
11.	केरल	1224	1053	12572	12036	4090	3474
12.	मध्य प्रदेश	7275	4821	18525	16963	59753	54435
13.	महाराष्ट्र	3101	2573	10235	3084	5474	4636
14.	मणिपुर	3660	940	12363	9808	14400	8270
15.	मेघालय	1400	915	500	250	3200	800
16.	मिजोरम	3300	3100	4500	4400	14000	14000
17.	नागालैंड	3247	1100	3850	1925	2280	293
18.	उड़ीसा	9000	8170	43855	31176	16665	15926
19.	पंजाब	1075	810	3270	1165	16222	5417
20.	राजस्थान	5200	5200	13800	10200	13383	13000
21.	सिक्किम	4500	4325	7500	7000	5834	3858
22.	तमिलनाडु	1405	847	2500	250	12900	12000
23.	त्रिपुरा	1560	1091	5325	4178	9461	7882
24.	उत्तर प्रदेश	4270	1100	469	34	16879	14647
25.	पश्चिम बंगाल	2827	2562	5950	3868	14942	11942
26.	पांडिचेरी	0	0	448	0	0	0
27.	छत्तीसगढ़	2125	2125	3980	3321	3057	975
28.	उत्तरांचल	0	0	15600	14154	8965	4600
29.	झारखंड	0	0	3500	1510	–	–
	कुल	91921	68723	222852	171433	339687	262320

ए.एस.टी.आर.पी. योजना का राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 16747 हैक्टेयर के विरुद्ध नवीं योजना के दौरान 10639 हैक्टेयर क्षेत्र कों आवरण में लिया गया है।

कृषि भूमि

2135. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कृषि-भूमि जोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत भूमि जोतों की तुलना में कृषि उत्पादन का राज्य-वार औसत क्या है;

(ग) क्या सरकार गैर-कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु किसानों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कृषि संगणना 1990-91 के अनुसार ''परिचालनात्मक जोतों'' की राज्य-वार संख्या, परिचालित क्षेत्र तथा औसत परिचालित जोतों संबंधी ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I, II और III में हैं।

(ख) भू जोतों के अनुसार कृषि उत्पादन की औसत के अनुमानों का संकलन नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकारों द्वारा अकृष्य भूमि के विकास के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम जैसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाता है जिसमें सम्बन्धित कार्यक्रम क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के भूमिहीनों सहित स्व सहायता समूहों तथा उपयोगकर्ता समूहों के माध्यम से लोगों की सहभागिता है।

विवरण-I

भारत में परिचालनात्मक जोतों की राज्य-वार संख्या 1990-91

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य	सीमान्त	छोटी	अर्ध-मध्यम	मध्यम	बड़ी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5211	1972	1345	644	118	9290
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	17	30	26	5	94
3.	असम	1521	560	343	95	5	2523
4.	बिहार	10193	1438	945	351	39	12966
5.	गोआ	58	7	4	2	1	72
6.	गुजरात	924	915	890	669	118	3517
7.	हरियाणा	622	304	336	222	46	1530
8.	हिमाचल प्रदेश	532	166	94	36	6	834
9.	जम्मू और कश्मीर	902	197	98	20	1	1217
10.	कर्नाटक	2262	1586	1163	636	129	5776
11.	केरल	5016	280	98	21	3	5418
12.	मध्य प्रदेश	3136	1917	1738	1287	323	8401
13.	महाराष्ट्र	3275	2728	2126	1171	171	9470

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	69	49	21	3	नगण्य	142
15.	मेघालय	59	51	46	13	1	171
16.	मिजोरम	29	23	9	1	नगण्य	61
17.	नागालैंड	13	21	26	47	33	142
18.	उड़ीसा	2118	1035	594	186	15	3948
19.	पंजाब	296	204	289	261	67	1117
20.	राजस्थान	1517	1019	1061	1017	493	5107
21.	सिक्किम	26	11	9	5	1	53
22.	तमिलनाडु	5848	1275	618	228	31	7999
23.	त्रिपुरा	217	69	28	4	नगण्य	318
24.	उत्तर प्रदेश	14819	3118	1543	548	45	20074
25.	पश्चिम बंगाल	4639	1107	457	79	1	6284
26.	सभी संघ शासित प्रदेश	70	19	13	7	नगण्य	109
	अखिल भारत	63389	20092	13923	7580	1654	106637

नगण्य (अर्थात् 500 परिचालनात्मक जोतों से कम)

विवरण-II

भारत में राज्य-वार परिचालित क्षेत्र 1990-91

(हजार हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	सीमान्त	छोटी	अर्ध-मध्यम	मध्यम	बड़ी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2369	2827	3640	3777	1848	14460
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	26	84	147	82	350
3.	असम	607	784	918	492	404	3205
4.	बिहार	3591	1954	2576	1982	640	10743
5.	गोआ	19	11	9	9	19	67
6.	गुजरात	489	1343	2515	4005	1941	10292
7.	हरियाणा	295	463	944	1300	709	3711

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	215	235	258	205	97	1010
9.	जम्मू और कश्मीर	347	272	264	108	23	1014
10.	कर्नाटक	1072	2308	3200	3771	1971	12321
11.	केरल	865	383	255	114	178	1796
12.	मध्य प्रदेश	1409	2783	4838	7772	5309	22111
13.	महाराष्ट्र	1618	3983	5880	6856	2588	20925
14.	मणिपुर	३8	6७	54	15	1	175
15.	मेघालय	32	68	117	71	13	302
16.	मिजोरम	18	36	25	4	नगण्य	84
17.	नागालैण्ड	9	30	76	298	656	908
18.	उड़ीसा	1045	1426	1561	1012	252	5296
19.	पंजाब	164	328	842	1622	1077	4033
20.	राजस्थान	725	1469	3021	6334	9422	20971
21.	सिक्किम	11	19	27	31	22	111
22.	तमिलनाडु	2118	1794	1687	1301	574	7474
23.	त्रिपुरा	87	106	77	18	20	308
24.	उत्तर प्रदेश	5653	4391	4206	3042	694	17986
25.	पश्चिम बंगाल	2064	1694	1269	426	203	5656
26.	सभी संघ शासित प्रदेश	25	25	34	38	18	140
	अखिल भारत	24894	28827	38375	44752	28659	165507

नगण्य (अर्थात् 500 हैक्टेयर से कम)

विवरण-III

भारत में जोतों के अनुसार राज्य-वार औसत क्षेत्र 1990-91

(हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	सीमान्त	छोटी	अर्ध-मध्यम	मध्यम	बड़ी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.45	1.43	2.71	5.86	15.66	1.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.63	1.53	2.80	5.65	16.40	3.72

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	0.40	1.40	2.68	5.18	80.80	1.27
4.	बिहार	0.35	1.36	2.73	5.65	16.41	0.83
5.	गोवा	0.33	1.57	2.25	4.50	19.00	0.93
6.	गुजरात	0.53	1.47	2.83	5.99	16.45	2.93
7.	हरियाणा	0.47	1.52	2.81	5.86	15.41	2.43
8.	हिमाचल प्रदेश	0.40	1.42	2.74	5.69	16.17	1.21
9.	जम्मू और कश्मीर	0.38	1.38	2.69	5.40	23.00	0.83
10.	कर्नाटक	0.47	1.46	2.75	5.93	15.28	2.13
11.	केरल	0.17	1.37	2.60	5.43	59.33	0.33
12.	मध्य प्रदेश	0.45	1.45	2.78	6.04	16.44	2.63
13.	महाराष्ट्र	0.49	1.46	2.77	5.85	15.13	2.21
14.	मणिपुर	0.55	1.37	2.57	5.00	12.16	1.23
15.	मेघालय	0.54	1.33	2.54	5.46	13.00	1.77
16.	मिजोरम	0.62	1.57	2.78	4.00	150.00	1.38
17.	नागालैंड	0.69	1.43	2.92	6.34	16.85	6.82
18.	उड़ीसा	0.49	1.38	2.63	5.44	16.80	1.34
19.	पंजाब	0.55	1.61	2.91	6.21	16.07	3.61
20.	राजस्थान	0.48	1.44	2.85	6.23	19.11	4.11
21.	सिक्किम	0.42	1.73	3.00	6.20	22.00	2.09
22.	तमिलनाडु	0.36	1.41	2.73	5.71	18.52	0.93
23.	त्रिपुरा	0.40	1.54	2.75	4.50	121.56	0.97
24.	उत्तर प्रदेश	0.38	1.41	2.73	5.55	15.42	0.90
25.	पश्चिम बंगाल	0.44	1.53	2.78	5.39	203.00	0.90
26.	सभी संघ शासित प्रदेश	0.36	1.32	2.62	5.43	18.78	1.25
	अखिल भारत	0.39	1.43	2.76	5.90	17.33	1.55

[हिन्दी]

लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के लिए अनुदान

2136. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री एम.के. सुब्बा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीमांत किसानों और किसान समूहों द्वारा चलाई जा रही लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के लिए दिए जा रहे अनुदानों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेषत: मध्य प्रदेश में ये योजनाएं सफल सिद्ध नहीं हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी हां।

(ख) देश में सीमान्त किसानों और किसान समूहों को लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के लिए अनुदान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) नामक स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदान का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश की स्कीमों सहित ये स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के तहत अनुमोदित लिफ्ट सिंचाई विशेष परियोजना की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य और विशेष परियोजना का नाम	जिस अवधि में परियोजना स्वीकृत की गई	परियोजना की कुल अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	परियोजना लागत का केन्द्र का हिस्सा	अब तक जारी कुल केन्द्रीय निधियां	परियोजना के तहत शामिल किया जाने वाला क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	प्रकासम जिला के अलेख ड्रेन इन्कोलू मंडल को गोलापालेम लिफ्ट सिंचाई स्कीम के लिए एस.जी.एस.वाई. के तहत विशेष परियोजना	2001-2002	295.000	221.250	88.500	1725 एकड़
हिमाचल प्रदेश						
2.	हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सोलन और लाहौल स्पीति जिलों में अवसंरचना विकास (हाईड्राम लगाना) के लिए विशेष परियोजना	1999-2000	771.000	578.250	243.750	3750 हेक्टेयर
मध्य प्रदेश						
3.	मध्य प्रदेश के नीमच जिला की खानखेड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम के लिए विशेष परियोजना	1999-2000	1500.00	1125.00	1125.00	3350 हेक्टेयर

1	2	3	4	5	6	7
4.	नीमच जिला (मध्य प्रदेश) के मनसा ब्लाक की दिओरी सोमिया लिफ्ट सिंचाई स्कीम के लिए विशेष परियोजना (बास्खेदा)	2000-2001	1497.000	1122.750	200.000	2810 हेक्टेयर
5.	नीमच जिला (मध्य प्रदेश) के मनसा ब्लाक की दिओरी-सोमिया लिफ्ट सिंचाई स्कीम के लिए विशेष परियोजना	2000-2001	1497.000	1122.750	200.000	1240 हेक्टेयर
	कुल		5560.000	4170.000	1857.250	

[अनुवाद]

अनुकम्पा के आधार पर नौकरी

2137. श्री अमर राय प्रधान : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत नौकरी के दौरान मरने वाले अधिकारियों के कार्यालय-वार नाम और पदनाम क्या हैं;

(ख) उनके नाम क्या हैं जिनके योग्य आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई है;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं दी गई है; और

(घ) मृत अधिकारियों के योग्य आश्रितों को कब तक अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दे दिए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) कोयला विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों जैसे कोयला नियंत्रक का संगठन (सी.सी.ओ.), कोलकाता तथा भुगतान आयुक्त का कार्यालय (सी.ओ.पी.), कोलकाता में पिछले तीन वर्षों (1999, 2000 तथा 2001) के दौरान अपने सेवाकाल में दिवंगत हुए कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम नीचे दिए गए हैं:-

कार्यालय का नाम	वर्ष/तिथि	कर्मचारी का नाम तथा पदनाम
कोयला विभाग	1999	-
	2000	-
	2001/23 अक्तूबर	1. श्री हरि किशन, चपरासी
	1 नवम्बर	2. श्री विजय कुमार, दफ्तरी
सी.सी.ओ.	1999/5 मार्च	श्री संतोष कुमार चक्रवर्ती, विधि सहायक
	2000/9 नवम्बर	श्री नीताई चक्रवर्ती, प्रबंधक, कैन्टीन
	2001/4 मार्च	श्री सुकुमार साहा, पी. एण्ड यू. आपरेटर
सी.ओ.पी.		शून्य

(ख) *कोयला विभाग :*

ग्रुप ''डी'' में पर्याप्त रिक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण तथा अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिए जाने हेतु कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग निर्देशों के अनुसार, स्वर्गीय हरिकिशन तथा स्वर्गीय विजय कुमार के किसी भी आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई है।

सी.सी.ओ. :

स्वर्गीय संतोष कुमार चक्रवर्ती तथा स्वर्गीय सुकुमार साहा के कोई आश्रित नहीं थे। स्वर्गीय निताई कुमार चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती शान्ति चक्रवर्ती को अनुकम्पा के आधार पर दिनांक 24.1.2001 को रोजगार दे दिया गया था।

(ग) *कोयला विभाग :*

(1) श्री सूरज, स्वर्गीय हरि किशन के पुत्र

(2) श्री अशोक कुमार, स्वर्गीय विजय कुमार के पुत्र

सी.सी.ओ. और सी.ओ.पी., कोलकाता :

शून्य

(घ) *कोयला विभाग :*

स्वर्गीय हरिकिशन तथा विजय कुमार के आश्रितों सर्वश्री/सूरज तथा अशोक कुमार को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दिए जाने के मामलों पर रिक्तियां उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।

सी.सी.ओ. और सी.ओ.पी. :

प्रश्न नहीं उठता है।

उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) से (घ) के संबंध में कोयला तथा खान मंत्रालय के अधीन खान विभाग की सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मृदा उर्वरता में कमी

2138. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मृदा उर्वरता में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस चलन को रोकने के प्रयास करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) जी, नहीं। देश में खाद्यान्न उत्पादन में क्रमश: वृद्धि हो रही है, जिससे यह ज्ञात होता है कि मृदा उर्वरता में सामान्यत: गिरावट नहीं आई है। वर्ष 1998-99 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 203.61 मिलियन मी. टन था जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 208.81 मिलियन मी. टन हो गया। तथापि, 2000-01 में खाद्यान्न उत्पादन में आई गिरावट का प्रमुख कारण अनेक राज्यों में सूखे जैसी स्थिति होना है। चालू वर्ष के दौरान उत्पादन 210 मिलियन मी. टन होने की आशा है।

बहरहाल, देश के कुछ भागों में उर्वरकों का अपर्याप्त तथा असन्तुलित उपयोग किए जाने के कारण मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में गिरावट के कुछ उदाहरण देख गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उर्वरकों के अत्यधिक तथा असन्तुलित उपयोग के कारण कोई दुष्प्रभाव न हों सरकार मृदा परीक्षणों के आधार पर रासायनिक उर्वरकों, जैविक खाद तथा जैव उर्वरकों के मिश्रित प्रयोग के साथ समेकित पोषक तत्वों के उपयोग का प्रचार-प्रसार करती है।

मृदा उर्वरता में सततता को कायम रखने के लिए पौध पोषक तत्वों के सन्तुलित एवं समेकित उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है:-

(1) मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति के अनुसार उर्वरकों के उपयोग के बारे में सिफारिशें करने के लिए मृदा परीक्षण कार्यक्रम को समय-समय पर सुदृढ़ बनाया जाता है।

(2) विनियंत्रित पोटाशिक तथा फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि उनकी खपत बढ़ाकर एन.पी.के. खपत को सन्तुलित किया जा सके।

(3) मृदा उर्वरता को बनाए रखने एवं फसलों को पौध पोषक तत्वों का सस्ता स्रोत उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से समेकित पोषक तत्वों, जैविक स्रोतों जैसे जैव उर्वरकों, कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि. और भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा विकास कार्य

2139. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. और भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा कोयला उत्पादक राज्यों विशेषत: उड़ीसा के चक्रवात और बाढ़ग्रस्त जिलों में कुछ सामाजिक विकास के कार्य और अन्य संबद्ध कार्य शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इस प्रकार के कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि खर्च की गई?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बी.सी.सी.एल. समेत कोल इंडिया की सहायक कंपनियों का प्रचालन क्षेत्राधिकार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा असम आदि कोयला उत्पादक राज्यों में फैला हुआ है।

कोल इंडिया की सहायक कंपनियां मूल रूप से संरचनात्मक निर्माण कार्यों जैसे, हैंड पम्पों की स्थापना द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने, तालाबों/कुंओं की खुदाई/नवीकरण, शैक्षिक संस्थानों का निर्माण/विस्तार/मरम्मत, सड़कों/पुलियों का निर्माण/मरम्मत, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य कैम्प लगाने, बिजली की व्यवस्था तथा अन्य विविध कार्यों हेतु ऊपर उल्लिखित कोयला उत्पादक राज्यों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत विकास संबंधी क्रियाकलाप करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत उपर्युक्त विकासात्मक क्रियाकलापों में खर्च की गई राशि इस प्रकार है:-

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी/राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	ईसीएल (पश्चिम बंगाल और झारखंड)	38.00	46.00	58.95
2.	बीसीसीएल (झारखंड और पश्चिम बंगाल)	46.00	56.18	43.24
3.	सी.सी.एल. (झारखंड)	75.00	65.58	56.25
4.	डब्ल्यू.सी.एल. (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश)	56.00	64.32	74.78
5.	एस.ई.सी.एल. (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़)	301.00	237.00	225.34
6.	एम.सी.एल. (उड़ीसा)	380.00	289.92	369.58
7.	एन.सी.एल. (एम.पी. तथा यू.पी.)	60.00	76.25	88.19
8.	एन.ई.सी. (असम)	10.00	20.00	7.48
9.	सी.एम.पी.डी.आई.एल. (झारखंड और अन्य)	0.28	–	–
	अन्य	966.28	855.31	919.81

कोल इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी, महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा, उड़ीसा राज्य में सामुदायिक विकास कार्यों के तहत विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान 389.48 लाख रु. की राशि खर्च की गई है और वर्ष 2001-2002 के बजट में 742.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार के किसानों के लिए विकसित प्रौद्योगिकी

2140. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा नई विकसित प्रौद्योगिकी को बिहार के किसानों को देने और उनको अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु भी कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देने और उनके लाभ के लिए खेतों में प्रदर्शन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिहार में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) किसानों को नई विकसित प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बिहार के चौदह जिलों यथा मुंगेर, बांका, सहरसा, बेगूसराय, बाढ़, नालन्दा, शेखपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नावदा, कैमूर (भभुआ), जमुई तथा मधूबनी में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्ष 2001 के दौरान, इन कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें किसानों, महिला किसानों, ग्रामीण युवकों सहित 26,727 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अलावा किसानों के भूखण्डों पर उत्पादन क्षमता निर्मित करने के लिए विभिन्न तिलहन, दलहन तथा अन्य महत्वपूर्ण फसलों से संबंधित 1185 क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित किए गए।

(2) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय देश के छः अन्य राज्यों के अलावा बिहार में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के ''प्रौद्योगिकी प्रचार-प्रसार में नवीनता'' घटक का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि परिस्थितिकीय स्थितियों के आधार पर चुने गए चार जिलों यथा मुजफ्फरपुर, मधुबनी तथा मुंगेर में जिला स्तर पर एक स्वायत्त निकाय के रूप में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेन्सी की स्थापना के माध्यम से नई विकसित प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु संस्थागत प्रबंध किया जाता है। चौथे जिला ग्रामीण पटना में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेन्सी की स्थापना की जा रही है। ये कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेन्सियां किसानों तक प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए उत्तरदायी पणधारियों (स्टेकहोल्डरों) की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा एकीकृत कृषक उपयोगी तथा नई प्रौद्योगिकी के शीघ्र अन्तरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए परियोजना वाले जिलों में विकास खण्ड प्रौद्योगिकी दल (बी.टी.टी.) तथा कृषक सलाहकार समितियों (एफ.ए.सी.) का एवं ग्राम स्तर पर कृषक हित समूहों (एफ.आई.जी.) का गठन किया गया है।

(3) तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बिहार में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हेतु कुछ घटकों जैसे प्रदर्शनों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अग्रणी प्रदर्शनों, राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शन किसानों के प्रशिक्षण एवं बीज मिनिकिटों के वितरण आदि के माध्यम से नवीनतम तथा उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का कारगर अन्तरण किया जाता है।

(4) बिहार में वृहद प्रबंध पद्धति के माध्यम से चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-चावल) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार एवं महिलाओं सहित किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु सहायता दी जा रही है।

(5) नारियल विकास बोर्ड के कार्यक्रमों के अन्तर्गत, नारियल की जोतों में समेकित खेती हेतु प्रदर्शन आयोजित करने के लिए राज्य में कृषि विभाग/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों के माध्यम से किसानों को सहायता दी जाती है।

(6) भारत सरकार की स्कीम "स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार" के अन्तर्गत बिहार के किसानों में प्रौद्योगिकी अन्तरण हेतु नवादा, नालन्दा तथा मुजफ्फरपुर में तीन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है।

(7) जिला स्तर पर कृषक-वैज्ञानिक विचार-विमर्श के आयोजन तथा कृषि की दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में किसानों के दौरों के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य को सहायता दी जाती है।

(8) विस्तार प्रयासों में मदद हेतु भाषाई समाचार-पत्रों के माध्यम से विस्तार तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसान मेलों के आयोजन हेतु सहायता दी जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) किसानों को प्रशिक्षण देने तथा उनके लाभार्थ खेतों पर प्रदर्शन आयोजित करने में सरकार तथा विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। ब्यौरा निम्नवत है :

(1) बागवानी में मानव संसाधन विकास से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अन्तर्गत मालियों को प्रशिक्षण देने हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर को अभिज्ञात किया गया है।

(2) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के सहयोग से बिहार के कृषि विभाग द्वारा कुछ जिलों जैसे दरभंगा, गया, बेगूसराय, पटना, नालन्दा, भोजपुर, समस्तीपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि में "जीरो टिलेज सीड ड्रिल स्कीम" कार्यान्वित की जा रही है।

(3) बिहार में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक स्कीमें शुरू की गई हैं, जैसे (1) समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (2) समेकित कीट प्रबंध (3) कृषि विस्तार का सुदृढ़ीकरण एवं विकास (4) सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंध (5) गन्ना विकास स्कीम (6) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (7) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (8) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (9) समेकित पोषक तत्व प्रबंध (10) बागवानी विकास स्कीम (11) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम (12) कृषि फार्मों का यंत्रीकरण एवं मशीनें (13) राष्ट्रीय पनधारा विकास स्कीम (14) ताल क्षेत्र विकास स्कीम (15) डियेरा विकास स्कीम।

(4) राज्य सरकार ने वृहद प्रबंध पद्धति के अन्तर्गत 4000 अर्द्ध-विस्तार कार्मिकों को भी प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है, जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्य के प्रत्येक गांव में किसानों तक प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए कार्य करेंगे।

[अनुवाद]

मुम्बई हवाई अड्डे पर एयरो ब्रिज का काम न करना

2141. श्री किरीट सोमैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई हवाई अड्डे पर चार एयरो ब्रिज काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुविधाएं धीरे-धीरे कम हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न एजेन्सियों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर समन्वय के अभाव के कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है और उड़ानों में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त हवाई अड्डे पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी नहीं। टर्मिनल-2 सी पर एरोब्रिज सं. 52 के दो फिंगरों में से केवल एक फिंगर (एल. 2) एक दिशा में वर्टिकल कालम के थोड़ा हट जाने के कारण नवम्बर 2001 से कार्य नहीं कर रहा है। इस मामले को निर्माताओं के साथ पहले ही उठाया जा चुका है और इस एरोब्रिज में सुधार करने के लिए इस माह के दौरान निर्माताओं के आने की आशा है। तथापि, एल 1 फिंगर की मदद से एरोब्रिज सुविधा का संचालन हो रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मुम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनल पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय प्रणाली एयरपोर्ट सुरक्षा समिति, एयरपोर्ट सुविधा समिति एवं कोर ग्रुप के पारस्परिक परामर्श और नियमत बैठक के माध्यम से संतोषजनक रूप में कार्य कर रही है। तथापि, देश एवं विश्व में प्रबल सुरक्षा परिदृश्य तथा विमानपत्तन सुरक्षा इकाईयों द्वारा हैंड

बैगेज इत्यादि की जांच जैसे बढ़ते सुरक्षा उपायों के कारण कई बार यात्रियों को परेशानी हो सकती है और इससे उड़ानों के प्रस्थान में भी थोड़ा विलम्ब हो सकता है।

(ङ) महाराष्ट्र पुलिस ने यात्रियों की तत्काल क्लीयरेंस के लिए और अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती की है। टी-1 बी पर सुरक्षा नियंत्रित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त द्वार की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को होने वाली परेशानी एवं उड़ानों में विलम्ब होने से बचने के लिए पुलिस द्वारा हैंड बैगेज फ्रिस्किंग हेतु अतिरिक्त मेजों की भी व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में खनिज भण्डार

2142. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में उपलब्ध खनिजों के नाम क्या हैं;

(ख) खनिज भण्डार को खोजने के लिए खोजी तरीके का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान में नए खनिज भण्डार ढूंढ़ने के लिए यह तरीका अपनाया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन सी एजेंसियां संलग्न हैं और उनके निष्कर्ष क्या हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों के नाम ऐपेटाइट, एस्बेस्टोस, बालक्ले, बेराइट्स, बाक्साइट, बेन्टोनाइट, केल्साइट, चाइनाक्ले, तांबा, कोरंडम, डायाटोमाइट, डोलोमाइट, एमराल्ड, फैल्सपर, फायरक्ले, फ्लोराइट, फूलर्स अर्थ, गारनेट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, जिप्सम, लोह अयस्क, डायानाइट, सीसा एवं जस्ता अयस्क, चूना-पत्थर, मैग्नेसाइट, संगमरमर, अभ्रक, मैंगनीज अयस्क, ओकर, फॉस्फोराइट, पोटाश, पाइराइट, पाइरोफाइलाइट, क्वार्ट्ज/सिलिका सेंड, क्वार्टजाइट, सिलिमेनाइट, चांदी, टाल्क/स्टीटाइट/सोपस्टोन, टंगस्टन, वर्मिक्यूलाइट एवं वोलास्टोनाइट हैं।

(ख) खनिज निक्षेप खोजने में प्रयुक्त टोही प्रणालियों में क्षेत्र का क्षेत्रीय मानचित्रण, वायुवाहित भूभौतिकीय सर्वेक्षण (मैग्नेटिक, इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक एवं रेडियो मीट्रिक), वायुवाहित सर्वेक्षण डाटा का संसाधन, जमीनी भूभौतिकीय सर्वेक्षण भूरासायनिक नमूनीकरण तथा इनके बाद, वृहद पैमाने पर, भूवैज्ञानिक मानचित्रण एवं परीक्षण वेधन हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। पूर्वेक्षण कार्य में संलग्न एजेंसियों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अलावा, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, बी.एच.पी. मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड, मेरिडियन मिनरल्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, डब्ल्यु एस आई एल मिनरल्स सेंड्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, ए सी सी-रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन (प्रा.) लिमिटेड, इंग्लेवुड मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड, फैल्प्स डॉज एक्सप्लोरेशन इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, आर बी डब्ल्यू मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेटमिन फाइनेन्स एंड होल्डिंग (प्रा.) लिमिटेड, पासमिन्को एक्सप्लोरेशन (प्रा.) लिमिटेड एवं लेक रिसोर्सिज होल्डिंग इंडिया (प्रा.) लिमिटेड शामिल हैं।

राजस्थान में 87298.22 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में वृहत क्षेत्रों के लिए कुल 63 पूर्वेक्षण लाइसेंस/टोही परमिट दिए गए। इसमें से 30013.52 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र छोड़ दिया गया है। तांबा, सीसा, जस्ता एवं सोने के कुछ ही निम्न ग्रेड वाले भंडारों की पहचान की गई है।

[अनुवाद]

पर्यटन स्थलों के लिए विदेशी सहायता

2143. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषत: आन्ध्र प्रदेश के पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जिन्हें विकास हेतु विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) पर्यटन स्थलों को विदेशी सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया; और

(ग) उक्त सहायता द्वारा विकसित पर्यटक स्थलों के राज्यवार नाम क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) सरकार ने, महाराष्ट्र स्थित अजन्ता और एल्लोरा के संरक्षण तथा विकास के लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ.ई.सी.एफ.) के साथ एक ऋण समझौता जनवरी, 1992 में किया था। इसके तहत 3745 मिलियन जापानी येन की सहायता मिलनी थी। परियोजना के मार्च, 2002 तक पूरा होने की आशा है।

सरकार ने, उत्तर प्रदेश और बिहार में अभिनिर्धारित बौद्ध परिपथों के साथ-साथ अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए भी जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ.ई.सी.एफ.) के साथ दिसम्बर, 1988 में एक ऋण समझौता किया था। इस

समझौते के तहत 7.7 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता मिलनी थी। यह परियोजना दिसम्बर, 1998 में 251.050 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुकी है।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में आन्ध्र प्रदेश को कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) परियोजना प्रस्तावों के लिए विदेशी सहायता की स्वीकृति वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली एजेंसी पर निर्भर है।

(ग) अजन्ता, एल्लोरा (महाराष्ट्र), सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश), बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली (बिहार)।

किसानों के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले बीज

2144. श्री रघुनाथ झा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को उत्तम गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किसानों को उत्तम गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/शुरू किए गए हैं;

(घ) क्या खराब गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति से उत्पादन पर सीधा बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। किसानों को गुणवत्ता बीज उपलब्ध हो रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बेहतर गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन एवं उनकी किसानों को आपूर्ति हेतु विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों के तहत सहायता प्रदान की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) किसानों को वितरित बीजों की गुणवत्ता के विनियमन हेतु बीज अधिनियम (1966) तथा बीज (नियंत्रण) आदेश (1983) में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। इन प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त बीज निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।

आई.सी.ए.आर. में परिसम्पत्ति रजिस्टर को अद्यतन बनाना

2145. श्री रामजी मांझी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के पैरा 12.1.13 में की गई टिप्पणी के उत्तर में आई.सी.ए.आर. ने अपने ए.टी.एन. में परिसम्पत्ति रजिस्टर को उद्यतन बनाने का आश्वासन दिया था लेकिन आई.वी.आर.आई. द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था;

(ख) क्या परिसम्पत्ति रजिस्टर न रखने से आई.वी.आर.आई. द्वारा मार्च, 2000 तक 52.21 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित प्रमाणित नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां, यह सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट के पैरा 12.1.13 के उत्तर में प्रस्तुत किए गए अपने कार्रवाई संबंधी नोट में परिसम्पत्ति रजिस्टर को उद्यतन बनाने का आश्वासन दिया था तथा इस संस्थान ने वर्ष 1995 तक का परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार भी कर लिया है और इसको इस संस्थान के वर्ष 1994-95 के लेखा परीक्षा निरीक्षण के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिखाया जा चुका है। वर्ष 1995-96 और 1996-97 की अवधि के लिए परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार कर लिया गया है तथा यह निरीक्षण करने हेतु उपलब्ध है।

(ख) आई.वी.आर.आई. द्वारा मार्च, 2000 तक अर्जित की गई 52.21 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियां बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने संस्थान की प्रत्येक प्रयोगशाला/प्रभाग/अनुभाग के लिए परिसम्पत्ति रजिस्टर के अलावा सम्पत्ति-सूची रजिस्टर भी बना रखा है। जिसका प्रत्यक्ष सत्यापन भी भारत सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को किया जाता है।

(ग) कोई टिप्पणी नहीं।

(घ) इस प्रयोजन के लिए गठित एक कार्य बल द्वारा संस्थान के परिसम्पत्ति रजिस्टर को, पूरा करने तथा अद्यतन बनाने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

समुद्री उत्पादों में कमी

2146. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों से कड़ी प्रतियोगिता के कारण समुद्री उत्पादों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुद्री उत्पादों और इसके निर्यात में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

खाद्योत्पादों की जांच हेतु मानदंड

2147. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जैव-उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और जैव-विधि से उत्पादित खाद्योत्पादों की जांच हेतु कोई मानदंड निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन मानदंडों को कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार जैव-विधि से उत्पादित खाद्योत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये प्रयोगशालाएं कब तक कार्य करना शुरू कर देंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) जी, हां। दसवीं योजना के दौरान जैविक खेती पर एक राष्ट्रीय परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें एक राष्ट्रीय जैविक कृषि बोर्ड की स्थापना करना भी शामिल है। इस बोर्ड के कार्यों में जैविक खेती की प्रक्रिया के प्रमाणीकरण के साथ-साथ इसके मानक तैयार करना भी सम्मिलित होगा। इस परियोजना में जैविक प्रयोगशालाओं की स्थापना की परिकल्पना भी की गई है।

[अनुवाद]

कृषि और पशु पालन का विकास

2148. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि और पशुपालन के विकास हेतु राज्यों विशेषकर मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु जिलों को वितरित की जाने वाली धनराशि के लिए निर्धारित मार्ग निर्देशों/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए राज्यों को कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत निर्गत धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार द्वारा जिलावार धनराशि निर्गत नहीं की जाती। बहरहाल, सरकार द्वारा राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत धनराशि राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, स्कीमों के दायरे, विभाग के समग्र आवंटन तथा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत उन्हें पहले निर्गत धनराशि में से बची अव्ययित शेष राशि के आधार पर जारी की जाती है।

विवरण

विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 1998-99 से 2000-2001 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा निर्गत धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	कृषि एवं सहकारिता विभाग			पशुपालन एवं डेयरी विभाग		
		1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6334.92	6175.51	3914.84	406.00	58.85	573.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	473.63	475.05	761.31	5.25	58.00	129.91

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	540.19	386.91	1099.27	115.00	91.00	44.74
4.	बिहार	352.53	240.70	419.59	60.00	41.00	17.56
5.	छत्तसीगढ़	0.00	0.00	963.00	0.00	0.00	42.50
6.	गोआ	233.92	202.06	49.12	7.12	19.76	26.69
7.	गुजरात	4533.67	4789.31	4713.47	88.20	251.30	238.78
8.	हरियाणा	1634.97	1648.80	1833.74	67.60	441.08	62.40
9.	हिमाचल प्रदेश	1322.19	1116.09	1338.17	62.10	434.29	68.61
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
11.	जम्मू और कश्मीर	1054.35	1060.35	917.87	2.50	386.80	25.91
12.	कर्नाटक	8476.45	8159.30	7180.52	203.69	625.98	228.48
13.	केरल	4071.73	2571.59	3724.72	234.12	281.17	96.73
14.	मध्य प्रदेश	7692.98	7696.70	5506.69	548.00	49.22	437.64
15.	महाराष्ट्र	12378.62	8324.33	10633.31	53.11	153.56	224.34
16.	मणिपुर	571.95	984.03	935.68	7.00	187.84	58.36
17.	मेघालय	431.65	598.02	724.74	35.50	70.06	86.34
18.	मिजोरम	961.45	894.94	1088.99	154.80	166.50	106.82
19.	नागालैण्ड	1142.08	1223.07	1489.72	160.00	192.94	121.92
20.	उड़ीसा	3622.31	4594.78	1680.81	81.00	493.77	54.08
21.	पंजाब	1295.49	1206.84	849.49	66.59	325.62	15.52
22.	राजस्थान	9268.88	8470.36	8133.23	41.50	94.93	276.08
23.	सिक्किम	475.81	541.89	825.29	0.00	64.85	108.88
24.	तमिलनाडु	5740.11	5513.83	5665.59	144.17	55.47	93.07
25.	त्रिपुरा	570.09	951.07	817.25	68.20	269.43	114.42
26.	उत्तर प्रदेश	8322.90	7603.00	7068.83	469.03	134.45	195.89
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	1285.97	1534.60	1537.09	77.00	229.78	135.25
	कुल	82788.84	76963.13	74754.33	3157.48	5177.65	3586.11

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विमानपत्तनों का विकास

2149. डा. बलिराम : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के विभिन्न विमानपत्तनों को उनका निजीकरण करके विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किसी भी हवाई अड्डे के विकास के लिए उसके निजीकरण का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यातायात की संभावनाओं भूमि एवं धन आदि की उपलब्धता को देखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश राज्य के एयरपोर्टों पर नागर विमानन संबंधी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए परियोजनाएं प्रारंभ की हैं?

पर्यटन को बढ़ावा

2150. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए हमले से भारतीय पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत की ओर अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्रियान्वयन में पर्यटकों के आवागमन में किस हद तक वृद्धि होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित उपायों सहित अनेक उपाय विचारणीय हैं:-

1. पर्यटन विकास कार्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना।
2. एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना।
3. नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार।
4. विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन।
5. सतत् एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास।
6. ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल, तथा
7. सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना।

(घ) यह आशा है कि उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप भारत में पर्यटक आवागमन में पर्याप्त वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

मिलावटी ईंधन से पर्यावरण की सुरक्षा

2151. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सी.एस.ई.) ने मिलावटी ईंधन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस संबंध में विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं;

(घ) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा दिए गए सुझावों पर तेल कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा मिलावटी ईंधन के कारण होने वाली क्षति से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सी.एस.ई.) ने राष्ट्रीय राजधानी संघ क्षेत्र, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंधन वितरक केन्द्रों, तेल

डिपुओं और टैंक लारियों में ईंधन की गुणता का अचानक निरीक्षण किया है।

(ख) विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र ने ईंधन गुणता के निरीक्षण आंकड़ा का विश्लेषण किया और 26 प्रतिशत पेट्रोल के नमूनों में कमी की सूचना दी जो अपमिश्रण जांच के अध्यधीन थे, अपमिश्रण का पता लगाने हेतु ईंधन गुणता को मानीटर करने के लिए अभिकल्पित परीक्षण प्रविधियां अपर्याप्त थीं तथा तेल डिपुओं और खुदरा दुकानों के पेट्रोल में सल्फर की मात्रा, तेल-शोधक कारखानों की मात्रा की तुलना में कम थी।

(ग) और (घ) विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र ने पेट्रोल और डीजल की प्रतिचयन एवं जांच पद्धतियों, गुणता विशिष्टियों आदि के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं और यह उल्लेख किया है कि मौजूदा गुणता विशिष्टियां और जांच पद्धतियां अपर्याप्त हैं। तेल कम्पनियों को निम्नलिखित कारणों से विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र की टिप्पणियां/निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं हैं:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी संघ क्षेत्र/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश में अंगीकृत पेट्रोल और डीजल की विशिष्टियां विश्व में अन्यत्र, विशेषकर यूरोपीय संघ में अंगीकृत विशिष्टियों पर आधारित हैं। पूरे विश्व में पेट्रोल और डीजल की विशिष्टियां, कई प्राचलों और कई अन्य प्राचलों की रेंज के लिए अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करके की जाती हैं। भारत की विशिष्टियों के लिए भी यही प्रेक्टिस अपनाई जाती है।

(2) देश में अपनाई जाने वाली जांच प्रविधियां वही हैं जो विकसित देशों सहित विश्व में अन्यत्र प्रयोग में लाई जाती है।

(ङ) मिलावटी ईंधन द्वारा होने वाली क्षति से पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- तेल कम्पनियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे फिल्टर पेपर टैस्ट, डेंसिटी चैक्स, ब्लू डाइंग आफ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (पी.डी.एस.) केरोसीन, परफ्यूरल डोपिंग ऑफ पी.डी.एस. केरोसीन, खुदरा दुकानों के नियमित/अकस्मात् निरीक्षण, औद्योगिक दलों द्वारा खुदरा दुकानों के संयुक्त निरीक्षण, गश्ती प्रयोगशालाओं द्वारा नियमित/अकस्मात् निरीक्षण, विशेष सतर्कता अभियान आदि जैसे कदम उठाएं।

- राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को समय-समय पर यह परामर्श दिया गया है कि वे पी.डी.एस. केरोसीन के अपवर्तन को रोकने के उपाय करें।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मोटर स्पिरिट/हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं विनियमन तथा कदाचार निवारण) आदेश, 1998 जारी करके मोटर स्पिरिट/हाई स्पीड डीजल नियंत्रण आदेश का संशोधन किया गया है।

- अक्तूबर, 1998 में केरोसीन नियंत्रण आदेश का संशोधन किया गया था तथा समतुल्य विक्रेताओं के लिए, उनके औद्योगिक ग्राहकों का अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र तथा ग्राहक-वार बिक्री, राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था।

- नैफ्था (अधिग्रहण, विक्रय, भंडारण तथा मोटर-कारों में उपयोग निवारण) आदेश 2000 और साल्वेंट, रेफिनेट एंड स्लॉप (अधिग्रहण, विक्रय, भंडारण तथा मोटर-कारों में उपयोग निवारण) आदेश, 2000 को अधिसूचित किया गया है।

- केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के संयुक्त दलों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) में डीजल की खुदरा दुकानों से नमूने उठाने और संयुक्त निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

- पेट्रोल और डीजल में अपमिश्रण को रोकने के लिए किए गए अन्य उपाय हैं— टैंक ट्रकों को सुरक्षा तालों से सीलबन्द करना, गश्ती प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाना, नई प्रतिचयन पद्धति विकसित करना, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन अपमिश्रण-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना करना आदि।

- नोएडा में एक स्वावलम्बी ईंधन जांच प्रयोगशाला प्रारम्भ की गई है।

पशुओं की देखभाल के लिए लंबित परियोजनाएं

2152. श्री राजैया मल्याला :
श्री के. येरननायडू :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पशुओं की देखभाल के संबंध में कोई परियोजना/प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं। निर्धारित दस्तावेजों की कमी के कारण प्राप्त हुए प्रस्ताव अपूर्ण हैं।

(ख) उपर्युक्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आवेदकों से वांछित दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश सरकार के गैर-सरकारी संगठनों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अपूर्ण प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम/पता
	पशुओं के लिए आश्रय आवास के प्रावधान के लिए योजना :
1.	श्री विद्या समिति, गांव-मुलागुन्टापाडु, पोस्ट एवं मंडल-सिंगरायाकोंडा, जिला-प्रकाशम, आंध्र प्रदेश।
2.	ग्राम अभ्युदय सेवा युवाजन संगम, गांव एवं पोस्ट-मेघावरम, वाया-नौपाड़ा, जिला-श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश।
	व्यथित पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवाओं के प्रावधान के लिए योजना :
1.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण विकास कल्याण सोसाइटी, 62/206, चिदम्बराव गली, कुरनूल-518001
2.	शिवाजी युवाजन संगम, 7-2-20, डी.एल. रोड, हिन्दपुर-515201, अनंतपुर, जिला-आंध्र प्रदेश
3.	ग्राम अभ्युदय सेवा युवाजन संगम, गांव एवं पोस्ट-मेघावरम, वाया नौपाड़ा, जिला-श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश
4.	साई राम पशु कल्याण सोसाइटी, ए.पी.एच.बी. कॉलोनी, कुडप्पा, आंध्र प्रदेश।
	आवारा कुत्तों के संतति-निरोध और प्रतिरक्षण के लिए योजना :
1.	नवभारत एजुकेशनल सोसायटी, के.वी.एस. कालोनी, कोठापेठा धोन-518222, कुरनूल (जिला), आंध्र प्रदेश।

वरही लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत "पिक अप" बांध

2153. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरही लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत "पिक अप" बांध के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में अप्रैल, 1993 में तकनीक-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त वरही सिंचाई परियोजना संबंधी संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई है और टिप्पणियां अनुपालना के लिए राज्य सरकार को भेजी गई है। जनवरी, 2002 में राज्य सरकार ने सतही और लिफ्ट सिंचाई घटकों को शामिल करते हुए वरही सिंचाई परियोजना संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा सिंचाई और बहुद्देशीय परियोजनाएं प्रस्तुत करने, मूल्यांकन करने और स्वीकृति देने संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उसे स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। इस रिपोर्ट की जांच की गई है और उसमें मुख्य कमियां यह पाई गई हैं कि इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाने वाला अपेक्षित ब्यौरा/सूचना शामिल नहीं है। राज्य सरकार से हाल में अंतिम रूप दिये गये संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की तत्परता से तथा संतोषजनक रूप से अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

लखनऊ से खाड़ी देशों के लिए उड़ान

2154. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया का विचार लखनऊ से खाड़ी देशों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लखनऊ से परिचालित की जाने वाली अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं। तथापि, लखनऊ तथा जेद्दाह के बीच बाई-वीकली (By-weekly) सेवाओं के प्रचालन का प्रस्ताव एअर इंडिया के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली-लखनऊ-शारजाह सेक्टर में आवाजाही के लिए सप्ताह में दो बार वैमानिकी सेवाएं प्रचालित करती है।

आई.ए.एस.आर.आई. की बाह्य रूप से वित्त पोषित परियोजनाएं

2155. श्री चन्द्र प्रताप सिंह :
डा. बलिराम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने संस्थान के अधिकार क्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं के अलावा एन.ए.टी.पी., ए.पी. उपकर निधि परियोजनाओं जैसी कोई बाह्य रूप से वित्त पोषित परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्त-पोषण एजेंसी, परियोजना की लागत और संस्थान के संभावित लाभ सहित शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के अंतर्गत कोई प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर लैपटॉप, वातानुकूल यंत्र का अन्य उपकरण खरीदे गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) संस्थानों ने बाह्य वित्त पोषण वाली किसी परियोजना को हाथ में नहीं लिया है। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजनाओं तथा कृषि उत्पाद उपकर निधि परियोजनाओं को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निधि उपलब्ध कराई जाती है। ये सभी परियोजनाएं संस्थान के अधिदेश के अन्तर्गत आती हैं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) लागू नहीं होता।

लिग्नाइट भंडार

2156. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में तमिलनाडु के नेवेली और उसके आसपास लिग्नाइट भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन भंडारों के दोहन के लिए कितनी परियोजनाएं/योजनाएं शुरू की गई हैं/शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) खनन के लिए अधिग्रहित भूमि वाले परिवार के सदस्यों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) तमिलनाडु में नेयवेली तथा उसके आसपास लिग्नाइट के भंडारों को दिसम्बर, 2001 के दौरान लगभग 30275 मिलियन टन आकलित किया गया था, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	फील्ड	जिला	भू-गर्भीय भंडार (मिलियन टन में)
1.	नेयवेली लिग्नाइट फील्ड	कुड्डालोर	3300.00
2.	बहूर फील्ड	पोंडी और कुड्डलोर	633.60
3.	जयमकोंडम फील्ड	अरतयालुर	1168.00
4.	वीरनाम फील्ड	कुड्डलोर	1490.80
5.	मन्नारगुड्डी फील्ड	नागापट्टीनम/थीरूवरूर/थन्जावुर	22893.00
6.	अन्य	अरतयालुर/कुड्डलोर	789.45
	जोड़		30274.85

(ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. द्वारा लिग्नाइट के दोहन की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:-

दोहन के अंतर्गत परियोजनाएं

क्र.सं.	खानें	क्षमता मिलियन टन प्रतिवर्ष में (एम.टी.पी.ए.)
1.	खान-1	6.5
2.	खान-2	10.5
कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं :		
1.	खान-1 विस्तार (6.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 10.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष)	4
2.	खान-1ए	3
प्रस्तावित परियोजनाएं :		
1.	खान-2 विस्तार (10.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष)	4.5
2.	खान-3	8

उपर्युक्त के अतिरिक्त, मेसर्स तमिलनाडु इंडस्ट्रीज कैप्टिव पावर कंपनी द्वारा 604 मिलियन टन के भू-गर्भीय भंडारों वाली श्रीमुषनाम (वेल्लोर के दक्षिण में) लिग्नाइट खान परियोजना तथा मेसर्स तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा 550 मिलियन टन के भू-गर्भीय भंडारों वाली जयमकोंडम (उत्तर) परियोजना को संयुक्त उद्यम आधार पर विकसित किए जाने की योजना है।

(ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहीत भूमि हेतु मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। अधिनियम के तहत, प्रभावित परिवारों को अभ्यर्पित भूमि की विभिन्न श्रेणियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, एन.एल.सी. में एक अनुमोदित पुनर्वास कार्रवाई योजना है जिसमें आवास अभ्यर्पित करने वालों के लिए एक भौतिक पुनर्वास पैकेज तथा भू-वंचितों के लिए एक आर्थिक पुनर्वास पैकेज शामिल है, जिसमें स्वरोजगार प्रशिक्षण, अस्थायी रोजगार, अनुबंध कार्य आदि समाहित हैं।

गन्ने का उत्पादन

2157. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू मौसम में गन्ने का उत्पादन 300 मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 280 मीट्रिक टन होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) अगले वर्ष अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) 22.1.2002 तक के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2001-2002 में गन्ने का उत्पादन 325 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 295 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ख) मानसून मौसम के दौरान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों में मुख्यतया नमी के दबाव के कारण वर्ष 2001-02 में गन्ने के उत्पादन में कमी आई।

(ग) गन्ने का उत्पादन उतार-चढ़ाव के साथ उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दर्शाता है। तथापि, गन्ने के उत्पादन सहित कृषि क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने विभिन्न नए प्रयास शुरू किए हैं, यथा-पनधारा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, नई प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रवर्धन पर जोर देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपाय, बाजार सूचना नेटवर्क और राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम आदि। इसके अलावा, सरकार मूल्य नीति कार्यान्वित करके उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देती है जो

गन्ना सहित मुख्य कृषि जिंसों के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है ताकि कृषि में वर्धित निवेश करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके।

नैफेड द्वारा नारियल गरी की खरीद

2158. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैफेड ने किसानों से नारियल गरी की खरीद शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998-99 के बाद केरल से खरीदी गई नारियल गरी का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) नैफेड ने केन्द्रीय शीर्षस्थ अभिकरण के रूप में, 2001 मौसम के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम के अधीन खोपरा की निम्नलिखित मात्रा की खरीद की है:-

राज्य		खरीद की गई मात्रा (मी. टन में)
मिलिंग खोपरा		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,269
2.	तमिलनाडु	1,674
3.	आंध्र प्रदेश	821
4.	गोआ	666
5.	लक्षद्वीप	320
6.	कर्नाटक	329
7.	केरल	101
बॉल खोपरा		
1.	कर्नाटक	34,112
	कुल	45,292

(ग) केरल में मूल्य समर्थन स्कीम के अधीन नैफेड द्वारा की गयी खोपरा की वर्ष-वार खरीद नीचे दी गयी है:-

वर्ष	खरीद की गई मात्रा (मी. टन में)
1998-99	164
1999-2000	2,849
2000-2001	82,561
2001-2002 (9.3.2002 तक)	101

[हिन्दी]

बिहार में दुग्ध उत्पादन

2159. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में उत्पादित दुग्ध की मात्रा क्या है;

(ख) क्या राज्य में दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) और अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान करने का निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार में एक बृहत डेयरी या इससे संबंधित उद्योग स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में उत्पादित दूध की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	दुग्ध उत्पादन ('000 मी. टन/वर्ष)
1998-99	3440
1999-2000	3446
2000-2001	2489*

*वर्ष 2000-2001 के लिए उत्पादन आंकड़ा झारखंड राज्य के बनने के बाद पुनर्गठित बिहार राज्य से संबंधित है।

(ख) दूध तथा डेयरी उत्पादों के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि हुई है।

(ग) बिहार सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ लिमिटेड (सी.ओ.एम.एफ.ई.डी.) ने मदर डेयरी दिल्ली से उन्हें दूध की आपूर्ति की संभावनाओं के लिए अनुरोध किया है। इस समय, मदर डेयरी दिल्ली को अतिरिक्त दूध की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जब आवश्यकता होगी वे सी.ओ.एम.एफ.ई.डी. के अनुरोध पर भविष्य में विचार करेंगे।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

बाघ अभयारण्य

2160. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कितने बाघ अभयारण्य हैं;

(ख) नए बाघ अभयारण्य बनाने हेतु क्या मानदंड बनाए गए हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से कुछ अभयारण्यों को बाघ अभयारण्य में बदलने के संबंध में कोई निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक निवेदन पर क्या निर्णय लिए गए?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) देश में बाघ रिजर्वों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) किसी क्षेत्र को नया बाघ रिजर्व अधिसूचित किए जाने के लिए क्षेत्र का निम्नलिखित के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है:-

(1) बाघ रिजर्व नेटवर्क में प्रत्येक जीव-भौगोलिक क्षेत्र का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(2) प्रस्तावित रिजर्व पर्याप्त आकार का और वन्यजीव प्रबंधन की दृष्टि से जीवनक्षम होना चाहिए।

(3) क्षेत्र में बाघों की संख्या आनुवांशिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए और साथ ही उनके खाने के लिए पर्याप्त शिकार उपलब्धता भी होना चाहिए।

(4) क्षेत्र न्यूनतम जीवीय भार अर्थात् सीमित मानव आवास, कम चराई भार के अन्तर्गत और वरीयत: क्षेत्र अवैध कब्जों से मुक्त हो।

(5) संरक्षण के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा पर्याप्त बजट प्रावधानों की उपलब्धता।

(ग) से (ङ) जी हां। नए बाघ रिजर्व सृजित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

1. सतकोसिया गोर्ज एण्ड बाइसीपाडा वन्यजीव अभयारण्य — (988 वर्ग कि.मी.) - उड़ीसा
2. उदन्ति वन्यजीव अभयारण्य — (1580 वर्ग कि.मी.) - छत्तीसगढ़
3. चन्दोली वन्यजीव अभयारण्य — (364 वर्ग कि.मी.) - महाराष्ट्र
4. वान, अम्बाबरवा, नारनाला वन्यजीव अभयारण्य — (350 वर्ग कि.मी.) - महाराष्ट्र

सीमित वित्तीय आवंटनों को ध्यान में रखते हुए किसी नए बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

देश में बाघ रिजर्व की संख्या

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	2
4.	बिहार	1
5.	झारखण्ड	1
6.	कर्नाटक	2
7.	केरल	1
8.	मध्य प्रदेश	5
9.	महाराष्ट्र	3
10.	मिजोरम	1
11.	उड़ीसा	1

1	2	3
12.	राजस्थान	2
13.	तमिलनाडु	1
14.	उत्तर प्रदेश	1
15.	उत्तरांचल	1
16.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	27

तमिलनाडु में फसलों को नुकसान

2161. श्री मणिशंकर अय्यर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, 2002 के पहले सप्ताह में कावेरी डेल्टा में बेमौसम की भारी बरसात के कारण सांबा धान की फसल, दाल, गन्ना, कपास और केले की फसल को कितना नुकसान हुआ;

(ख) इस प्राकृतिक आपदा द्वारा कितने क्षेत्रफल भूमि, कितने किसानों और कृषि श्रमिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की तुलना में प्रति हेक्टेयर कितनी अनुमानित आय/हानि हुई;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित लोगों के लिए क्षतिपूर्ति बढ़ाने में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) अगली करुवई फसल की समयानुसार बुवाई के लिए पर्याप्त वित्तीय और अन्य संसाधन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) राज्य सरकार से इस मामले में कोई विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बेमौसमी भारी वर्षा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक राहत उपाय करना मुख्यतया तमिलनाडु सरकार की जिम्मेवारी है। आपदा राहत कोष का 8083 करोड़ रुपये का समस्त केन्द्रीय अंश राज्य को निर्मुक्त कर दिया गया है तथा राहत के प्रतिमानों के अनुसार खर्च करने के लिए राज्य के पास आपदा राहत कोष के अधीन निधियां उपलब्ध हैं।

कर्मचारियों से बकाया भविष्य निधि

2162. डा. रमेश चंद तोमर : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों में निरीक्षण का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप नए कर्मचारियों को इसमें शामिल करने की संख्या में गिरावट आई है और चूककर्ताओं की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का चूककर्ताओं की संख्या को कम एवं हतोत्साहित करने हेतु सावधिक निरीक्षण करने हेतु प्रस्ताव पर विचार करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का औद्योगिक कामगारों के हितों की किस तरह से रक्षा करने और उनके कर्मचारियों से भविष्य निधि बकाए का समयानुसार भुगतान किस तरह से सुनिश्चित करने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा माह-दर-माह आधार पर चूकों का पता लगाने के लिए एक नव विकसित साफ्टवेयर "कम्पलाएंस कन्ट्रोल ट्रैकिंग सिस्टम (सी.सी.टी.एस.)" आरंभ किया गया है जिससे कम विवरण देना, अपवंचन और संभावित नयी व्याप्तियों का भी पता चलता है।

(ख) दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि हुयी है और पिछले तीन वर्ष के आंकड़े निम्नवत् हैं:-

1998-1999	-	3,18,430
1999-2000	-	3,26,541
2000-2001	-	3,40,013

नए साफ्टवेयर सी.सी.टी.एस. के उपयोग से ज्यादा चूकों का पता चल रहा है और ज्यादा बकायों की वसूली हो रही है। पिछले तीन वर्षों का विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	बकाया (करोड़ रु. में)	वसूल की गई राशि (करोड़ रु. में)
1998-1999	732.10	158.92
1999-2000	1684.63	626.33
2000-2001	1981.08	796.98

(ग) से (ङ) जैसा कि उपर्युक्त (ग) में दिया गया है दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में वृद्धि हुयी है और ज्यादा चूकों का पता लगने के साथ बकायों में वृद्धि सहित वसूल की गई राशि में भी वृद्धि हुई है। बेहतर सेवा प्रदान करने और सदस्यों के हितों का संरक्षण करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी वाली पद्धति आरंभ की गई है। इसके अलावा समय पर बकायों के भुगतान में चूक करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कानूनी और दाण्डिक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

समुद्री जीवन को खतरा

2163. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1 जनवरी, 1997 से आज तक गुजरात के जामनगर जिले में नेशनल मरीन पार्क के तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव/तेल परत बनने के कारण समुद्री जीवन को हुई भारी हानि के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे वन्यजीवों को कितनी हानि हुई है;

(घ) तेल के रिसाव के लिए किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) भविष्य में तेल के रिसाव/परत बनने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जनवरी 1997 से लेकर आज तक तेल रिसाव की दुर्घटनाओं जैसे कि सिंगल प्वाइंट मूरिंग बाय एण्ड शोर के बीच डूबी हुई पाईपलाईन में खराबी, बीच समुद्र में एक पोत में आग लगना, पोत भंजन यार्ड से तेल रिसाव आदि के छह मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) नरारा द्वीप में 23.11.1999 को हुए रिसाव के कारण दो डाल्फिन और एक समुद्री कछुए की मौत हुई थी। अन्य मामलों में, समुद्री जीवों को किसी प्रकार की हानि का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

(घ) भारतीय तेल निगम लि., रीतू शिपिंग कम्पनी एवं गुजरात इमएक्स लि. के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। रीतू शिपिंग कम्पनी लि., से 3000 रुपए की राशि वसूल कर ली गई है।

(ङ) सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अंतर्गत तेल शोधन कारखाना एवं संबंधित सुविधाएं स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान करते समय समुद्री जल गुणत्ता की निगरानी, हरित पट्टी विकास, कच्छ वनस्पति वनीकरण और तेल रिसाव आपातस्थिति एवं विनाश प्रबंधन योजनाओं सहित कड़ी शर्तें एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं। गुजरात सरकार एवं गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल गुणता की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। गुजरात सरकार, कोस्ट गार्ड से परामर्श करके कच्छ की खाड़ी हेतु एक एकीकृत "क्षेत्रीय तेल रिसाव आपात स्थिति योजना" तैयार कर रही है।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण योजना

2164. श्री अम्बरीश : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जिलेवार बाढ़ से प्रभावित राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए विशेषकर कर्नाटक के लिए एक व्यापक बाढ़ नियंत्रण योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) गत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ समस्या का समाधान करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया है, जिसने गंगा बेसिन के सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबंधन की व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। उसी प्रकार भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के तहत गठित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ मुख्य ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी के लिए मास्टर योजना तैयार की है। ये योजनाएं भू सर्वेक्षणों पर आधारित विस्तृत स्कीमें तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गयी हैं।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों का विवरण

2001 के दौरान	असम (12), बिहार (उपलब्ध नहीं), छत्तीसगढ़ (उपलब्ध नहीं), गुजरात (उपलब्ध नहीं), हिमाचल प्रदेश (13), उड़ीसा (उपलब्ध नहीं), पंजाब (उपलब्ध नहीं), राजस्थान (19), उत्तर प्रदेश (उपलब्ध नहीं), तथा प. बंगाल (उपलब्ध नहीं)।
2000 के दौरान	अरुणाचल प्रदेश (4), असम (19), बिहार (20) और हिमाचल प्रदेश (7)।
1999 के दौरान	अरुणाचल प्रदेश (13), असम (11), बिहार (24), गुजरात (17), हिमाचल प्रदेश (12), केरल (उपलब्ध नहीं), राजस्थान (12), त्रिपुरा (उपलब्ध नहीं), तमिलनाडु (29), उत्तर प्रदेश (11) तथा प. बंगाल (15)।
1998 के दौरान	असम (21), बिहार (28), गुजरात (25), हिमाचल प्रदेश (13), महाराष्ट्र (5), मेघालय (5), उड़ीसा (12), पंजाब (10) और राजस्थान (15)।
1997 के दौरान	आन्ध्र प्रदेश (11), असम (18), बिहार (28), गुजरात (15), हिमाचल प्रदेश (13), जम्मू एवं कश्मीर (14), कर्नाटक (12), मध्य प्रदेश (2), मिजोरम (2), उड़ीसा (24) एवं राजस्थान (14)।

नोट : प्रत्येक राज्य के सामने कोष्ठक में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या दर्शायी गई है। उपलब्ध नहीं का अर्थ है : ''जिला-वार सूचना उपलब्ध नहीं है''।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता

2165. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा देश में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सहित अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकारों से विभिन्न स्रोतों से फैल रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से, प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मांगी गई सहायता का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों को दी गई सहायता के मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) देश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) प्रदूषक उद्योगों की पहचान और प्रदूषण भार का मूल्यांकन।

(2) निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने हेतु उद्योगों को प्रेरित करना।

(3) औद्योगिक क्षेत्रों अथवा समूहों में स्थित उद्योगों के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करना।

(4) प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना।

(5) जल की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और कार्य योजनाएं तैयार करना।

(6) परिवेशी वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन और रखरखाव।

(7) परिसंकटमय अपशिष्ट डिसचार्ज करने वाले उद्योगों के परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन।

(8) स्थानीय निकायों की सहमति से नगर अपशिष्ट (सीवेज और ठोस अपशिष्ट) का प्रबंधन।

(9) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम चलाना।

(10) अत्यधिक प्रदूषण उद्योगों की सत्रह श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उद्योगों तथा नदियों और झीलों में अपशिष्ट प्रवाहित करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई।

(11) अत्यधिक प्रदूषक क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली के लिए कार्य बिन्दुओं का क्रियान्वयन।

(ख) से (घ) देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनेक कदम

उठाए हैं। प्रदूषण में कमी लाने से संबंधित स्कीमों की स्वीकृति तथा धनराशि जारी करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) देश में प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की सत्रह श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उद्योगों और अपशिष्ट जल को नदियों व झीलों में प्रवाहित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(2) अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली के लिए कार्य बिन्दु क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(3) औद्योगिक क्षेत्रों अथवा समूहों में स्थित उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट जल के शोधन के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(4) देश में वाहन उत्सर्जन मानदंड लागू करना तथा स्वच्छ ईंधन की शुरूआत करना।

विवरण

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता

(रुपयों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	549110	68026775	516680	504525
अरुणाचल प्रदेश	0	875000	0	100000
असम	769955	387880	101757	386613
बिहार	892155	260530	39912073	2711625
चंडीगढ़	0	0	27778	5556
दिल्ली	20000000	13500000	8150000	221870000
गोवा	67600	74360	0	181120
गुजरात	23515740	172103540	51457830	6656460
हरियाणा	265144835	148278715	69798285	170016667
हिमाचल प्रदेश	917755	119545	1217818	208127
जम्मू और कश्मीर	800000	1000000	0	500000
कर्नाटक	11708755	43911095	32411785	2159265
केरल	1485440	487500	1217110	1590287
लक्षद्वीप	21590	15100	8940	9290
मध्य प्रदेश	51091130	115365125	71902587	815995

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	757070	25913515	122024031	53494690
मणिपुर	170090	1006730	520440	31850
मेघालय	1569000	1233100	2502500	3499583
मिजोरम	1425000	800000	0	0
नागालैंड	100000	1335000	897400	0
उड़ीसा	1413435	801160	9117337	30698194
पंजाब	50138800	129774130	66703610	154136435
पांडिचेरी	48765	45840	791675	38568
राजस्थान	903150	5170340	1075893	979677
सिक्किम	600000	800000	860400	0
तमिलनाडु	10200320	108187355	291055438	401969745
त्रिपुरा	902790	852020	59020	13880
उत्तर प्रदेश	656230035	798966785	591791624	771562675
पश्चिम बंगाल	40429395	40000000	15000000	50094820

[हिन्दी]

फर्जी कोयला उद्योग

2166. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत फर्जी कोयला उद्योग, सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं का गैर-कानूनी रूप से लाभ उठा रहे हैं और बाजार मूल्य से कम मूल्य पर कोयला प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्योगों द्वारा कितनी धनराशि का चूना लगाया गया है और इससे राजस्व की कितनी हानि हुई; और

(घ) इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. कोर तथा नॉन-कोर दोनों क्षेत्र के वैध लिंकेज धारी उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति करता है। नॉन-कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं का अस्तित्व कार्य करने की स्थिति तथा कोयले के उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए उनका सत्यापन किया जा रहा है। नॉन-कोर क्षेत्र के कुल 4798 लिंक्ड उपभोक्ताओं में से अब तक कुल 3110 यूनिटों का सत्यापन किया जा चुका है। कुल 224 यूनिटों को अविद्यमान/अप्रचालित पाया गया है तथा इन उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति रोक दी गई है।

(ग) और (घ) चूंकि कोयला, कोर तथा नॉन-कोर दोनों क्षेत्र के लिए लिंक्ड उपभोक्ताओं को अधिसूचित मूल्य पर बेचा जाता है अत: कोयला कंपनियों को कोई हानि होने का प्रश्न नहीं उठता है।

मनोरंजन के लिए स्थलों का विकास

2167. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को जंगलों, तालाबों और पहाड़ों की भूमि को मनोरंजन के स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु कब्जे में लेने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इन निर्देशों का पालन किया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल के भीतर मछलीघर परियोजना

2168. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई (महाराष्ट्र) में जल के भीतर मछलीघर परियोजना की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना कार्य में विलम्ब किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जल के भीतर मछलीघर स्थापित करने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि एलायंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट लि., सिंगापुर द्वारा, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह परियोजना सौंपी गई थी, क्रमश: 9 जून, 2000 तथा 2 दिसम्बर, 2000 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और संयुक्त उद्यम समझौते का अनुपालन नहीं किया गया।

(घ) महाराष्ट्र सरकार परियोजना को हाथ में लेने तथा उसे पूरा करने के लिए अब नये निदेशक की तलाश कर रही है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना सौंपे जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि अपेक्षित है।

बाल श्रमिकों का कल्याण

2169. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बाल श्रमिकों के कल्याण संबंधी योजना को अन्तिम रूप दिए जाने में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही देरी पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इससे संबंधित कोई योजना मंजूरी हेतु लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(छ) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (छ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29 मार्च, 2001 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को बाल श्रम के कल्याण के लिए आवश्यक सभी पहलुओं जो अपेक्षित है को ध्यान में रखते हुए एक स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया। यह स्कीम इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर तैयार की जानी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जनवरी, 2002 को इस स्कीम को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ''स्कीम फॉर वेल्फेयर आफ वर्किंग चिल्ड्रेन इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन'', नामक एक स्कीम तैयार की है जिसके लिए वित्तीय अनुमोदन दिनांक 4 मार्च, 2002 को प्राप्त किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्कीम प्रस्तुत करने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश सरकार को सहायता

2170. श्री महेश्वर सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मणिकरण में विकास और बाढ़ नियंत्रण हेतु राज्य सरकार को विशेष अनुदान जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आम का उत्पादन/निर्यात

2171. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में आम का उत्पादन हुआ, इसका उपभोग और निर्यात किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या चालू वर्ष में आमों के निर्यात में कोई गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इससे कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आम का उत्पादन बढ़ाने हेतु आम बोर्ड के गठन का है; और

(च) यदि हां, तो इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आम के उत्पादन, मात्रा और निर्यात मूल्य तथा अनुमानित खपत के बारे में उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1998-1999 की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान भारत से आम के निर्यात की मात्रा में 10,780 मीटरी टन कमी आई। इस अवधि के दौरान निर्यात मूल्य में 759.00 लाख रुपये कमी आई। वर्ष 2000-01 के दौरान आम का निर्यात बढ़कर 37,110 मीटरी टन हो गया, जो वर्ष 1999-2000 में 2479 मीटरी टन वृद्धि दर्शाता है। तथापि आम के निर्यात का मूल्य घटाकर 6861.00 लाख रुपये रह गया।

(ङ) और (च) इस समय आम बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आम के उत्पादन, मात्रा और निर्यात मूल्य तथा अनुमानित खपत

मात्रा 000' मी. टन में, मूल्य लाख रुपये में

वर्ष	उत्पादन	निर्यात		अनुमानित खपत
		मात्रा	मूल्य	
1997-1998	10234.20	42.89	7360.00	10191.31
1998-1999	9781.80	45.41	7914.00	9736.39
1999-2000	10503.50	34.63	7155.00	10468.87

[अनुवाद]

विदेशी एयरलाइनों द्वारा उड़ानों को बंद किया जाना

2172. श्री के. करुणाकरन :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी एयरलाइनें भारत से अपनी उड़ानों को धीरे-धीरे कम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें कमी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया को समग्र रूप से मजबूत बनाने ताकि वे चुनौतियों का मुकाबला कर सकें, के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी हां।

(ख) एयरलाइंस द्वारा सेवाओं का प्रचालन/हटाया जाना उनके विभिन्न मार्गों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और तुलनात्मक आय से संबद्ध मामले हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में 11 सितंबर को हुए आतंकवादी हमले और इसके पश्चात् के घटनाक्रम से विमान यात्रा की मांग में कमी आई है। इसका दुष्परिणाम पूरी दुनिया की एयरलाइनों की वित्तीय स्थति पर पड़ा है और उन्होंने अपने प्रचालनों की पुनर्संरचना का कार्य आरंभ किया है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया ने भी अपने राजस्व में अधिकतम बढ़ोत्तरी करने के लिए अपने प्रचालनों की पुनर्संरचना की है और कुछ सैक्टरों पर अतिरिक्त विमानों को लगाया है। दोनों एयरलाइनें पट्टे पर और अधिक विमानों को लेने की प्रक्रिया में भी हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने में बढ़ावा मिलेगा।

प्लास्टिक के थैलों पर रोक

2173. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्लास्टिक के थैलों के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने संबंधी किसी महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अब इस पर सीमित प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना को लागू करने में असफल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(छ) सरकार ने इस योजना को लागू करने में असफल रहे बोर्डों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है;

(ज) क्या सरकार को इस संबंध में श्री रंगनाथ मिश्र के सभापतित्व में गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने और इसे लागू करने की संभावना संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ग), (घ), (ज) और (झ) पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को 27 फरवरी, 2002 को प्राप्त हुई है।

प्लास्टि की थैलियों से संबंधित सिफारिश निम्नलिखित है:-

> "छोटी तथा मोटी आकर की प्लास्टिक थैलियों के अंधाधुंध प्रयोग तथा उन्हें फेंकने को रोकने के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के माध्यम से ऐसी प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है ताकि यह देश भर में लागू हो सके। तथापि, कुछ सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं और उनके अनुसार प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्व प्रतिबंध लगाना वांछनीय कदम नहीं होगा। इसके बजाए 8/12" और कम आकार की ऐसी प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाया जाए।"

रिसाइकिल्ड प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 में अवैध सामग्री के जब्त करने की व्यवस्था नहीं है तथा अपराध के प्रशमन का प्रावधान भी नहीं है। चूंकि अभियोजन में अनावश्यक अधिक समय लगता है इसलिए जब्ती/प्रशमन के लिए प्रशमन प्रावधान, जिनका कि हितकारी प्रभाव होगा, रखना वांछनीय होगा।

राज्य स्तर पर संबंधित एजेंसियों से प्लास्टिक पैकेजिंग तथा पैकेजिंग अपशिष्टों से संबंधित दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जनता को प्लास्टिक की थैलियां इधर-उधर फेंकने के लिए हतोत्साहित करने के लिए विनियामक उपाय प्रदान किए जाने चाहिए और अधिकारों में कम्पाउन्डिंग और मौके पर जुर्माना लगाना शामिल है। स्थानीय कानूनों में इस आशय के उपयुक्त उपबंध शामिल किए जाने चाहिए।"

प्लास्टिक थैलियों के आकार को 8 × 12 इंच (20 × 30) से.मी. या उससे अधिक तक सीमित करने के लिए रिसाइकिल्ड प्लास्टिक विनिर्माण तथा उपयोग नियम, 1997 नियमों में संशोधन करने के लिए प्राथमिक अधिसूचना का प्रारूप तैयार किया गया है। प्रारूप अधिसूचना जारी करने के बाद आपत्तियों और सुझाव दायर करने के लिए 60 दिनों की अवधि की अनुमति दी जानी है। प्रारूप अधिसूचना जारी होने की तारीख से 365 दिनों के अन्दर अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सहायता

2174. श्री सुबोध राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने हेतु उसे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान, बिहार सरकार से बाढ़ एवं सूखे से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुए। तथापि, बाढ़/सूखे की स्थिति में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बिहार भेजे गए केन्द्रीय दलों के ज्ञापन एवं रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया कि राज्य के आपदा राहत कोष में पर्याप्त बकाया राशि को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से और कोई सहायता अनुमत्य नहीं है। बहरहाल, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1 लाख मी. टन चावल नि:शुल्क जारी किया है।

[अनुवाद]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

2175. श्री महबूब जहेदी : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) की नीमच कोयला खान के नजदीक हावड़ा-धनबाद रेलवे लाइन के दोनों तरफ जमीन के नीचे कोयले में लगी आग से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ई.सी.एल. ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को ई.सी.एल. द्वारा किए जा रहे अनियोजित कोयला खनन से उत्पन्न खतरे की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) रेलवे लाईन के दक्षिण तथा उत्तर दिशा में क्रमश: अमृतनगर और जे.के. नगर/नीमच कोलियरी में भूमिगत खदानों में आग विद्यमान है। तथापि, आग से कोई गंभीर खतरा नहीं है।

(ख) इस बारे में ई.सी.एल. द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं:-

(1) दक्षिण दिशा में अमृतनगर कोलियरी : भू-तल पर मिट्टी/बालू के ब्लैंकटिंग कार्य किया जा रहा है। लगभग 3.14 लाख घन मीटर ब्लैंकटिंग पदार्थ पहले ही फैलाया जा चुका है।

(2) उत्तर दिशा में जे.के. नगर/नीमच कोलियरियां : भू-तल पर मिट्टी/बालू से ब्लैंकटिंग कार्य किया जा रहा है। लगभग 5 लाख घन मीटर ब्लैकटिंग पदार्थ पहले ही फैलाया जा चुका है। ई.सी.एल. द्वारा नीमच गांव को अलग-थलग करने के लिए ट्रैन्च कटाव कार्य भी किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ई.सी.एल. अनियोजित कोयला खनन में शामिल नहीं है।

सरदार सरोवर परियोजना

2176. श्री जी.जे. जावीया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरदार सरोवर परियोजना को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह कार्य समय से पीछे चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) सरदार सरोवर बांध को पूरा करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार बांध की 100 मी. तक की ऊंचाई के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आर. एंड आर.) गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा दिसम्बर, 2001 तक पूरा किया जाना था और मध्य प्रदेश द्वारा फरवरी, 2002 तक, जिससे बांध की ऊंचाई जून, 2002 तक 100 मी. तक बढ़ाई जा सके। बाद में प्रधानमंत्री द्वारा 23.1.2002 को मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्य मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश फरवरी, 2002 तक 95 मी. तक

का पुनर्स्थापना और पुनर्वास पूरा करेगा। संबंधित राज्य सरकारों ने उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार पुनर्स्थापना और पुनर्वास पूरा नहीं किया है।

एम.सी.एल. और नालको के निर्यात उत्पादों का परिवहन

2177. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप पत्तन होने के बावजूद एम.सी.एल. और नालको के निर्यात उत्पाद अर्थात् ई.बी. कोयला और अल्यूमिनियम उत्पाद विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के रास्ते होकर भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कारगो को पारादीप के रास्ते होकर भेजने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) एम.सी.एल. भारत के बहार किसी भी देश को कोयले का निर्यात नहीं करता है। तथापि, एम.सी.एल. की ईब-वैली कोलफील्ड का कोयला विशाखापट्टनम पत्तन द्वारा दक्षिण के उपभोक्ताओं को प्रेषित किया जाता है। एम.सी.एल. के तलचर कोलफील्ड के कोयले की ढुलाई पारादीप पत्तन से होकर की जाती है। एम.सी.एल. के कोयले का पारादीप अथवा विशाखापट्टनम पत्तन से होकर ढुलाई करना, रेलवे द्वारा बनाए गए परिवहन लाजिस्टिक्स और युक्तियुक्त मार्ग तंत्र पर निर्भर करता है।

नालको अपने अल्यूमिनियम उत्पादों को कोलकाता तथा विशाखापट्टनम के अतिरिक्त पारादीप पत्तन से होकर भी निर्यात करता है।

(ग) और (घ) एम.सी.एल. का कोयला तथा नालको के अल्यूमिनियम उत्पाद विशाखापट्टनम के साथ-साथ पारादीप पत्तन से होकर भेजे जा रहे हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2178. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और 31 दिसम्बर, 2001 को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य-वार और फसल-वार कितने दावे प्राप्त हुए और इनमें से कितनों को निपटाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसान इस संबंध में अपनाए गये मापदंड से संतुष्ट नहीं हैं और वह व्यक्तिगत किसानों/सर्वेक्षक संख्या मापदंड की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 से लागू की गई। रबी 1999-2000 से रबी 2000-01 (3 फसल मौसमों) तक क्रियान्वयक अभिकरणों द्वारा 1234.39 करोड़ रुपये के देय दावों की सूचना दी गई है। सूचित कुल दावों में से 1154.51 करोड़ रु. के दावों का निपटान कर दिया गया है। राज्य-वार और फसल-वार स्वीकार्य दावों और निपटान किए गए दावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) किसान और उनके प्रतिनिधि फसल बीमा योजना के अंतर्गत एकल किसान/सर्वेक्षण के संख्यावार कवरेज की हमेशा मांग करते रहते हैं ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई फसल-क्षति का यथार्थवादी मूल्यांकन किया जा सके। किंतु एकल फार्म/किसान स्तर पर पर्याप्त उपज आंकड़े की अनुपलब्धता और रचनात्मक सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता जैसी कुछ बाधाओं के कारण एकल फार्म/किसान आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम-वार और फसल-वार कुल दावे एवं चुकता दावों को दर्शाने वाला विवरण

रा.कृ.बी.यो. - रबी 1999-2000

क्र.सं.	राज्य	फसल	दावे 100%	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	असम	खाद्य फसल एवं तिलहन		
		साली धान	7414.74	
		गेहूं	666.58	

1	2	3	4	5
		सरसों	5115.05	
		कुल	13196.37	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें :		
		आलू	36760.30	
		गन्ना	0.00	
		कुल	36760.30	
		राज्य का योग	49956.67	
2.	गोवा	खाद्य फसलें एवं तिलहन :		
		धान	9963.62	चुकता
		कुल	9963.62	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें :		
		गन्ना	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	9963.62	
3.	गुजरात	खाद्य फसलें एवं तिलहन :		
		गेहूं (1)	16857167.37	चुकता
		गेहूं (2)	175842.91	चुकता
		साली बाजरा	125.79	चुकता
		साली मूंगफली	0.00	–
		तोरिया व सरसों	4676179.63	चुकता
		चना	93046.23	चुकता
		कुल	21602361.93	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें :		
		आलू	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	21802361.93	

1	2	3	4	5
4.	हिमाचल प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं	263.00	चुकता
		जौ	0.00	
		कुल	263.00	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	263.00	
5.	केरल	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान (रबी-1)	2376165.53	चुकता
		धान (रबी-2)	577943.19	चुकता
		कुल	2954108.72	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	2954108.72	
6.	मध्य प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं (आई)	596191.42	चुकता
		गेहूं (यू.आई.)	300197.75	चुकता
		चना	237001.92	चुकता
		अलसी	0.00	
		तोरिया व सरसों	0.00	
		कुल	1133391.09	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		आलू	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	1133391.09	
7.	महाराष्ट्र	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं (आई)	1969997.22	चुकता

1	2	3	4	5
		गेहूं (यू.आई.)	0.00	
		ज्वार (आई)	35324.60	चुकता
		ज्वार (यूआई)	5281935.23	चुकता
		धान	1197.72	चुकता
		चना	1131.48	चुकता
		सूरजमुखी	594.41	चुकता
		कुसुम	3684.39	चुकता
		मूंगफली	15533.85	चुकता
		कुल	7309398.50	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		गन्ना	43522844.45	
		कुल	43522844.45	
		राज्य का योग	50832242.95	
8.	उड़ीसा	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	16940.00	
		मूंगफली	0.00	
		कुल	16940.00	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		गन्ना	0.00	
		आलू	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	16940.00	
9.	पांडिचेरी	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान-I (गैर-अधिसूचित)	0.00	
		धान-III	126713.21	चुकता
		कुल	126713.21	

1	2	3	4	5
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	126713.21	
	सकल योग	खाद्य फसलें एवं तिलहन	33366336.44	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें	43559604.75	
		संचयी	76925941.19	
		रा.कृ.बी.यो. – खरीफ 2000		
1.	आंध्र प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	1810.18	चुकता
		ज्वार	1.13	चुकता
		बाजरा	0.00	चुकता
		मक्का	9.50	चुकता
		रागी	0.00	चुकता
		कोरा	0.00	चुकता
		उड़द	5.73	चुकता
		मूंग	30.54	चुकता
		चुकाथी	0.00	चुकता
		अरहर	0.00	चुकता
		मूंगफली	10.48	चुकता
		एरंड	2.01	चुकता
		सूरजमुखी	0.00	चुकता
		तिल	0.00	चुकता
		कुल	1869.57	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी		
		कपास	645.49	चुकता
		गन्ना (पौध)	37.58	चुकता
		गन्ना (पेड़ी)	49.14	चुकता
		कुल	732.21	
		राज्य का योग	2601.78	

1	2	3	4	5
2.	असम	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		आह धान	0.01	
		सालीधान	0.74	
		कुल	0.75	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.75	
3.	बिहार	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	481.24	चुकता
		मक्का	0.00	
		कुल	481.24	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कपास	0.00	
		आलू	0.00	
		गन्ना	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	481.24	
4.	छत्तीसगढ़	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान (यूआई)	5365.30	चुकता
		धान (आई)	2636.35	चुकता
		सोयाबीन	2.15	चुकता
		मूंगफली	1.04	चुकता
		कुल	8004.84	
		वार्षिक वाणिज्यक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	8004.84	

1	2	3	4	5
5.	गोवा	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	0.08	चुकता
		कुल	0.08	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		गन्ना	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.08	
6.	गुजरात	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	4974.17	चुकता 4911.12 अतिरिक्त दावे
		बाजरा	489.07	चुकता 488.91 लम्बित है
		मक्का	564.43	चुकता 564.43
		उड़द	1.38	चुकता 1.38
		मूंग	3.79	चुकता 3.79
		तुर	512.62	चुकता 512.56
		मूंगफली	53129.98	चुकता 53050.46
		एरंड	355.89	चुकता 355.83
		तिल	8.12	चुकता 8.21
		चना	0.00	
		कुल	60039.54	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कपास	16852.67	
		कुल	16852.67	
		राज्य का योग	76892.21	
7.	हिमाचल प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	0.00	
		मक्का	0.00	
		कुल	0.00	

1	2	3	4	5
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		आलू	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.00	
8.	कर्नाटक	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान (डब्ल्यू.सी.)	0.00	
		धान (आई.आर.आर.)	6.00	
		धान (बी.एफ.)	15.85	
		ज्वार	0.00	
		बाजरा	0.02	
		मक्का (डब्ल्यू.सी.)	0.00	
		मक्का (आई.आर.आर.)	1.30	
		मक्का (आर.एफ.)	3.38	
		दागी	0.00	
		तूर	183.43	
		मूंगफली	0.00	
		सूरजमुखी	0.00	
		उड़द	0.00	
		मूंग	3.07	
		सोयाबीन	0.00	
		कुल	213.05	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	213.05	
9.	केरल	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	242.88	
		कुल	242.88	

1	2	3	4	5		
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें				
		कुल	0.00			
		राज्य का योग	242.88			
10.	मध्य प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन				
		धान (यू.आई.)	541.44	चुकता		
		धान (आई.आर.आर.)	38.39	चुकता		
		ज्वार	25.61	चुकता		
		बाजरा	0.11	चुकता		
		मक्का	125.09	चुकता		
		कोबो-कुटकी	0.00	चुकता		
		तुर	20.37			
		मूंगफली	278.57	चुकता		
		तिल	0.00			
		सोयाबीन	4507.81	चुकता		
		कुल	5537.40			
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें				
		कपास	2657.74			
		कुल	2657.74			
		राज्य का योग	8195.40			
11.	महाराष्ट्र	खाद्य फसलें एवं तिलहन				
		बाजरा	412.16	चुकता	412.16	अतिरिक्त दावे लम्बित हैं
		मूंगफली	1835.56	चुकता	1835.56	
		ज्वार	693.87	चुकता	693.84	
		मूंग	105.08	चुकता	105.08	
		तिल	2.72	चुकता	2.72	
		सोयाबीन	241.33	चुकता	241.33	

1	2	3	4	5
		सूरजमुखी	9.72	चुकता 9.72
		तुर	56.28	चुकता 56.28
		धान	2490.18	चुकता 2483.87
		उड़द	53.15	चुकता 53.15
		रामतिल	0.01	चुकता 0.01
		रागी	18.16	चुकता 18.16
		कुल	5918.22	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कपास	4346.08	चुकता 4323.30
		गन्ना	0.00	
		कुल	4346.08	
		राज्य का योग	10264.30	
12.	मेघालय	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		आड धान	0.00	
		साली धान	0.14	चुकता
		कुल	0.14	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.14	
13.	उड़ीसा	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	10552.89	चुकता 10543.09 अतिरिक्त दावे लम्बित हैं
		मूंगफली	8.42	चुकता
		मक्का	0.11	चुकता
		रामतिल	0.24	चुकता
		कुल	10551.86	
		वार्षिक वणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	10551.86	

1	2	3	4	5
14.	तमिलनाडु	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान-1	0.00	
		मूंगफली	0.66	
		कुल	0.66	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कपास	0.00	
		आलू	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.66	
15.	उत्तर प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	363.80	चुकता
		मक्का	0.00	
		अरहर	49.26	
		मूंगफली	0.03	चुकता
		सोयाबीन	0.00	
		उड़द	0.00	
		कुल	413.09	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		गन्ना	114.97	चुकता
		कुल	114.97	
		राज्य का योग	528.06	
16.	अ. व नि. द्वीप समूह	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान-1	0.36	चुकता
		कुल	0.36	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.36	
17.	पांडिचेरी	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान-1	0.00	

1	2	3	4	5
		कुल	0.00	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.00	
	सकल योग	खाद्य फसलें एवं तिलहन	93273.68	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें	24703.67	
		संचय	117977.35	
		रा.कृ.बी.यो. - रबी 2000-01		
1.	आंध्र प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	341.63	
		ज्वार (यू.आई.)	0.09	
		मक्का	0.00	
		रागी	0.01	
		उड़द	0.00	
		मूंग	0.00	
		कुलथी	0.00	
		मूंगफली	206.07	
		सूरजमुखी	1.21	
		तिल	0.00	
		कुल	549.41	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		मिर्च	0.00	
		प्याज	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	549.41	
2.	असम	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	0.16	
		गेहूं	0.01	

1	2	3	4	5
		तोरिया व सरसों	0.00	
		कुल	0.17	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		आलू	0.01	
		गन्ना	0.00	
		कुल	0.01	
		राज्य का योग	0.18	
3.	बिहार	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं	45.45	चुकता
		तोरिया व सरसों	0.00	
		मसूर	0.00	
		चना	0.00	
		अरहर	0.00	
		कुल	45.45	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		आलू	1.98	चुकता
		गन्ना (पौध)	0.00	
		कुल	1.98	
		राज्य का योग	47.43	
4.	छत्तीसगढ़	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं (यू.आई.)	0.00	
		गेहूं (आई.आर.आर.)	0.00	
		चना	0.00	
		अलसी	0.00	
		तोरिया व सरसों	0.00	
		कुल	0.00	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		

1	2	3	4	5
		आलू	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.00	
5.	गोवा	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	0.00	
		कुल	0.00	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		गन्ना	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.00	
6.	गुजरात	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं (आई)	258.35	
		गेहूं (यूआई)	14.79	
		साली बाजरा	0.03	
		साली मूंगफली	0.23	
		तोरिया व सरसों	1.80	
		चना	16.15	
		कुल	291.35	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		आलू	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	291.35	
7.	हिमाचल प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं	42.50	
		जौ	0.00	
		कुल	42.50	

1	2	3	4	5
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	42.50	
8.	झारखण्ड	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं	0.00	
		तोरिया व सरसों	0.00	
		बंगाल चना	0.00	
		कुल	0.00	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	0.00	
9.	कर्नाटक	धान	0.00	
		ज्वार	0.02	
		गेहूं (आई.आर.आर.)	34.63	
		गेहूं (वर्षा)	0.00	
		गेहूं (डब्ल्यू.सी.)	0.00	
		सूरजमुखी	0.00	
		बंगाल चना	0.05	
		कुसुम	0.01	
		ग्रीष्म 2000-01		
		धान	1.42	
		रागी	0.00	
		मूंगफली	77.79	
		कुल	113.92	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	113.92	

1	2	3	4	5
10.	केरल	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान-II	7.50	
		धान-III	0.02	
		कुल	7.52	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	7.52	
11.	मध्य प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं (यू.आई.)	227.28	
		गेहूं (आई:आर.आर.)	904.71	
		चना	318.29	
		अलसी	0.02	
		तोरिया व सरसों	0.02	
		कुल	1450.32	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		आलू	126.81	
		कुल	126.81	
		राज्य का योग	1577.13	
12.	महाराष्ट्र	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं (आई)	183.95	
		गेहूं (यूआई)	0.24	
		ज्वार (आई)	262.51	
		ज्वार (यूआई)	353.88	
		साली धान	3.88	
		चना	659.84	
		सूरजमुखी	0.00	
		कुसुम	17.87	

1	2	3	4	5
		मूंगफली	0.30	
		कुल	1482.47	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		गन्ना	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	1482.47	
13.	मेघालय	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		बोरो धान	4.05	
		तोरिया व सरसों	0.02	
		कुल	4.07	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		आलू	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	4.07	
14.	उड़ीसा	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान	93.44	
		मूंगफली	55.71	
		सरसों	0.00	
		कुल	149.15	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		गन्ना	0.00	
		आलू	4.40	
		कुल	4.40	
		राज्य का योग	153.55	
15.	तमिलनाडु	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान-II	40.45	
		धान-III	0.00	

1	2	3	4	5
		ज्वार	0.00	
		उड़द	0.00	
		मूंगफली	9.84	
		कुल	50.29	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कपास-I	0.00	
		कपास-II	0.00	
		आलू	0.00	
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	50.29	
16.	पश्चिम बंगाल	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		बोरो धान	57.24	
		गेहूं	0.00	
		सरसों	0.00	
		कुल	57.24	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		आलू	1.71	
		कुल	1.71	
		राज्य का योग	58.95	
17.	उत्तर प्रदेश	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		गेहूं	242.46	
		चना	1.90	
		तोरिया व सरसों	0.00	
		मटर	10.54	
		कुल	254.90	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		आलू	2.72	

1	2	3	4	5
		कुल	2.72	
		राज्य का योग	257.62	
18.	पाण्डिचेरी	खाद्य फसलें एवं तिलहन		
		धान- II	66.12	
		धान- III	0.00	
		कुल	56.16	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें		
		कुल	0.00	
		राज्य का योग	56.16	
	सकल योग	खाद्य फसलें एवं तिलहन	4554.92	
		वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें	137.63	
		संचयी	4692.55	

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2179. डा. अशोक पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए इसमें शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

नर्मदा परियोजना

2180. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :
श्री सईदुज्जमा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों ने सरदार सरोवर बांध के आगे निर्माण के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विस्थापितों को बांध की ऊंचाई बढ़ाने से पूर्व पुनर्स्थापन का कोई आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा प्रस्तुत दिनांक 18 जनवरी, 2002 का अभ्यावेदन सदस्य (पर्यावरण और पुनर्वास), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भेजा गया था। इस अभ्यावेदन में पक्षकार राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के लिए कार्यान्वित किये जा रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यक्रम के संबंध में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की बहुत सी शिकायतें बताई गई हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार परियोजना के कार्यान्वयन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन कर रही है।

वैनिला का उत्पादन

2181. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वैनिला का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की मात्रा और क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैनिला या इसके मूल्य संबंधित उत्पादों का निर्यात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास वैनिला की खेती को बढ़ावा देने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में वैनिला के क्षेत्र एवं उत्पादन के कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, मोटा अनुमान यह है कि केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में इस फसल का क्षेत्र 1000 हेक्टेयर और उत्पादन 40-50 मी. टन प्रति वर्ष है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान वैनिला की मात्रा एवं निर्यात मूल्य निम्नवत है।

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1999-2000	12	2.2
2000-2001	29	10.93

(ङ) और (च) वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत मसाला बोर्ड द्वारा वैनिला की खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:-

	कार्यक्रम	प्रदत्त प्रोत्साहन/सहायता
1.	नए रोपण	रोपण की लागत एवं रख-रखाव के 25% के रूप में 10,000 रुपये प्रति हैक्टेयर (6,500 रुपये तथा 3,500 रुपये की 2 वार्षिक किस्तें)।
2.	किसानों के खेतों में रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु प्रमाणित नर्सरी	1000 जडयुक्त कलमों के उत्पादन लक्ष्य के लिए लागत के 25% के रूप में 1,250 रुपये प्रति नर्सरी।
3.	वैनिला प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना	प्रत्येक उत्पादक को लागत के 50% के रूप में 5,000 रुपये प्रति यूनिट तथा 5 यूनिटों की स्थापना के लिए उत्पादक संगठनों/समितियों के लिए अधिकतम 25,000 रुपये।
4.	श्रेष्ठ उत्पादकों को पुरस्कार	25,000 रुपये का एक प्रथम पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं प्रमाण-पत्र तथा 15000-15000 रुपये के दो द्वितीय पुरस्कार, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रमाण-पत्र।

इसके अलावा, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कृषि का वृहत प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता" भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत वैनिला की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए शामिल कार्यक्रम हैं: (1) गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन एवं वितरण के लिए 25% राजसहायता, तथा (2) आदान की लागत की 25% की दर से सहायता, जो 500 रुपये प्रति भूखण्ड तक सीमित है, देकर वैनिला उत्पादन की क्षमता वाले राज्यों में किसानों के खेतों पर प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना तथा रखरखाव।

अरण्डी के तेल की अधिक उपज वाले संकर बीज

2182. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं ने अरण्डी के तेल अर्थात् जी.सी.एच.-5 और जी.सी.एच.06 की अधिक उपज वाले संकर बीजों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को वे बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरण्डी की संकर किस्मों जैसे जी.सी.एच.-5 तथा जी.सी.एच.-6 विकसित की हैं। ये संकर किस्में फसल मानकों पर केन्द्रीय उप समिति द्वारा जारी की गई हैं जिसे वर्ष 1996 तथा 1999 के दौरान क्रमश: अधिसूचित एवं जारी कर दिया गया है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इन दो संकर किस्मों के प्रजनक बीज का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। ये प्रजनक बीज बारी-बारी से प्रगुणन के लिए बीज उत्पादक अभिकरणों को सप्लाई किये जाते हैं। पिछले दो वर्षों में अरण्डी संकर जी.सी.एच.-5 के 2085 क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं। जी.सी.एच.-6 (तुलनात्मक रूप में एक नई संकर किस्म) के प्रजनक, मूल तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन का कार्य भी सरकार ने अपने हाथ में लिया है। अरण्डी की इन तथा अन्य संकर किस्मों को अपनाने के फलस्वरूप देश में अरण्डी का उत्पादन वर्ष 1990 में 7.2 लाख टन की तुलना में बढ़कर वर्ष 2000 में 10 लाख टन हो गया।

[हिन्दी]

विदेशों में रोजगार के अवसरों को सुकर बनाने हेतु लाइसेंस

2183. श्री रामसिंह राठवा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कुल कितनी कम्पनियों को विदेशों में रोजगार के अवसर सुकर बनाने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या ये कम्पनियां सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के बारे में कुछ कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत विदेश में ठेकागत आधार पर भारतीय कामगारों की नियुक्ति के लिए भर्ती एजेंटों को रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (लाइसेंस) जारी किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भर्ती एजेंटों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	लाइसेंसों की संख्या
1999	28
2000	22
2001	29

(ख) से (घ) सामान्यत: ये पंजीकृत भर्ती एजेंट उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत निर्धारित पंजीकरण की शर्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान 24 पंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें मुख्य रूप से नियमों के अन्तर्गत निर्धारित राशि से अधिक सेवा प्रभार वसूल करने, इच्छुक उत्प्रवासियों से पैसा इकट्ठा करना परन्तु वास्तविकता में उन्हें विदेश में रोजगार के लिए न भेजना, कुछ कामगारों को अन्य देशों में उन नौकरियों के लिए भेजना जो वहां मौजूद नहीं हैं और कुछ मामलों में कामगारों के विदेश पहुंचने पर उनके रोजगार की शर्तों में परिवर्तन कर देने से संबंधित हैं। इनमें से अधिकांश शिकायतें संबंधित भर्ती एजेंटों के द्वारा हल करवा ली गई थी। सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण आठ एजेंटों के प्रमाण-पत्र निलंबत कर दिये गए थे।

[अनुवाद]

हज यात्रियों को विमान में बैठने से वंचित करना

2184. श्री कमल नाथ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में हज यात्रियों, जिनमें अधिकतर मध्य प्रदेश के थे, को विमान टिकट होने के बावजूद नई दिल्ली में विमान में बैठने से मना कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कुल कितने हज यात्री प्रभावित हुए; और

(घ) विमानपत्तन पर इस अव्यवस्था के लिए कितने अधिकारी उत्तरदायी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं। केवल उन हज यात्रियों, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों की वजह से अपने टिकट रद्द करवा लिए थे अथवा जिन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में रिपोर्ट नहीं की थी, को छोड़कर, मध्य प्रदेश से यात्रा के लिए पुष्टि किए (कन्फर्म्ड) सभी हज यात्रियों ने हज के लिए प्रस्थान किया था। तथापि, मध्य प्रदेश के कुछ लोग फरवरी, 2002 में हज यात्रा पर जाने संबंधी नए आवेदनों के साथ अंतिम क्षणों में नई दिल्ली स्थित हज समिति के संपर्क कार्यालय में एकत्रित हुए थे। जबकि इस वर्ष बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी टिकट रद्द करवाई अथवा जिन्होंने यात्रा संबंधी रिपोर्ट नहीं दी थी। वे लोग जिन्होंने नया आवेदन किया था वे हज के लिए रवाना नहीं हो सके। इसके अलावा निर्धारित समय अवधि के अनुसार दिनांक 16.2.2002 को जेद्दाह हवाई अड्डे पर हज टर्मिनल को भी बंद कर दिया गया था और अतिरिक्त उड़ानें जिनकी हज के लिए व्यवस्था की गई थी, वे दिल्ली से प्रस्थान नहीं कर सकीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लखनऊ और नागपुर विमानपत्तनों से हज यात्री

2185. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के हज यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष से हज उड़ानें चालू करने के लिए लखनऊ को एक अतिरिक्त स्थल बनाने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विदर्भ क्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों की मुस्लिम जनता नागपुर विमानपत्तन पर ऐसी सुविधा देने के लिए सरकार से लगातार अनुरोध करती रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस वर्ष से कुछ उड़ानें शुरू करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो नागपुर से हज उड़ान शुरू न करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) सरकार ने भारत के 10 आरोहण स्थलों से 72,000 हज यात्रियों को जेद्दाह पहुंचाने तथा हज, 2002 के वापसी के लिए इंडियन एअरलाइंस, एअर इंडिया तथा सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की आवश्यक व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद, मुम्बई, बंगलौर, कालीकट, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ तथा श्रीनगर आरोहण स्थल हैं। प्रथम बार के लिए, विन्नि रंगों के रिटर्न बोर्डिंग कार्डस उपलब्ध करवाये गए थे। टर्मिनल पर भीड़-भाड़ को रोकने के लिए भी रिमोट चैक-इन की सुविधा की व्यवस्था की गई थी। भारत जेद्दाह काउंसिल जनरल के कार्यालय सहित सभी आरोहण स्थलों से समय सम्पर्कता उपलब्ध की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) नागपुर हवाई अड्डे से हज उड़ानें शुरू करने के लिए संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) और (च) नागपुर को नया आरोहण स्थल बनाना एक नीति विषयक मामला है जिस पर विदेश मंत्रालय और केन्द्रीय हज समिति से विचार-विमर्श के बाद ही फैसला किया जा सकता है। सामान्यतया सरकार की प्रत्येक राज्य में एक से अधिक आरोहण स्थल बनाने की योजना नहीं है चूंकि बहुत से राज्यों में एक भी नहीं है।

खानों की सुरक्षा और निगरानी कार्य का निजीकरण

2186. श्री मंजय लाल : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास खानों की सुरक्षा और निगरानी कार्य का निजीकरण करने और उसे गैर-सरकारी एजेंसियों को सौंपने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) खानों की सुरक्षा और संबंधित निगरानी कार्य श्रम मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उन्होंने सूचित किया है कि खानों की सुरक्षा और निगरानी कार्य का निजीकरण करने और उसे गैर-सरकारी एजेंसियों को सौंपने हेतु उनका कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खनन क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

2187. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खनन क्षेत्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा खनन क्षेत्र हेतु कोई लक्ष्य निर्धरित नहीं किए जाते हैं। भारत सरकार के खान विभाग ने देश में उपलब्ध खनिज भंडारों के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए, राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 निर्धारित की थी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, देश की मौजूदा आवश्यकताओं एवं भावी जरूरतों के मद्देनजर, खनिज संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति तथा श्रेष्ठ प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय तथा महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, खनिज संसाधनों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों को, समय-समय पर, संशोधित किया गया है ताकि नीतिगत ढांचे को और अधिक वद्धि के अनुकूल बनाया जा सके।

विवरण

खनिज उत्पादन का सूचकांक
(परमाणु खनिजों को छोड़कर)
(आधार : 1993-94 = 00)

खनिज समूह	वजन	पूर्ण वर्ष 1999-00 (आर)	2000-01 (पी)	प्रतिशत वृद्धि/कमी (कालम4/ कालम 3)	अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000	अप्रैल-दिसम्बर 2000-01	अप्रैल-दिसम्बर 2001-02	प्रतिशत वृद्धि/ कमी (कालम 7/ कालम 6)	प्रतिशत वृद्धि/ कमी (कालम 8/ कालम 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सभी खनिज	1000.000	127.47	131.73	3.34	123.52	128.87	130.25	4.33	1.07
ईंधन खनिज	857.180	127.01	129.72	2.13	123.61	127.53	128.19	3.17	0.52
कोयला एवं लिग्नाइट	324.628	122.31	124.83	2.06	111.75	118.16	121.97	5.74	3.22
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	532.552	129.88	132.71	2.18	130.85	133.23	131.98	1.82	-0.94
एमसीडीआर खनिज	123.092	127.27	143.04	12.39	119.59	135.84	142.44	13.59	4.86
धात्विक खनिज	80.765	121.36	144.62	19.17	109.45	136.59	146.24	24.80	7.06
गैर-धात्विक खनिज	42.327	138.56	140.02	1.05	138.94	134.41	135.19	-3.26	0.58

(आर) : संशोधित वार्षिक प्राप्ति के आधार पर
(पी) : अनन्तिम मासिक प्राप्तियों के औसत पर आधारित
नोट : गौण खनिजों (ग्रेनाइट, मार्बल एवं स्लेट) का वजन खनिज उत्पादन सूचकांक में 19.728 है।

श्रम विवादों के लंबित मामले

2188. श्री मोइनुल हसन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार अनेक श्रम न्यायालयों में कुल कितने श्रम विवाद लंबित हैं और उनकी निपटान दर क्या है;

(ख) वर्ष-वार और राज्य-वार अलग-अलग कर्मचारियों और श्रमिकों और नियोक्ताओं के पक्ष में कितने मामलों में किस गति से निर्णय दिया गया; और

(ग) कितने मामलों में नियोक्ताओं ने देश के औद्योगिक श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) सांख्यिकीय आंकड़े केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय-वार रखे जाते हैं न कि राज्य-वार। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लंबित औद्योगिक विवादों की संख्या तथा निपटाए गए विवादों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	लम्बित	निपटाए गए
1999	9649	896
2000	12132	849
2001	11626	1803

(ख) और (ग) यह सूचना केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम-न्यायालयों में नहीं रखी जाती।

अनौपचारिक क्षेत्र के आयाम

2189. डा. साहिब सिंह वर्मा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के बारे में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) महानगरों में अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से श्रमिक बल को मान्यता देने और औपचारिक बनाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की कोई सिफारिश नहीं की है। फिर भी अनेक अध्ययनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों इत्यादि के आधार पर यह पाया गया है कि अनौपचारिक क्षेत्र को वैद्यता, मान्यता एवं नीति समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1993-94 के दौरान किए गए श्रम बल सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार दिल्ली, मुम्बई, मद्रास एवं कोलकाता नगरों में पुरुष जनसंख्या का क्रमश: 79.6%, 77.3%, 77.3% एवं 80.3% सामान्य, प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार रोजगार युक्त था। महिलाओं के संगत आंकड़े क्रमश: 13.2%, 22.1%, 22.7% एवं 18.3% थे। अनौपचारिक क्षेत्र हेतु आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) अनौपचारिक क्षेत्र भारत में श्रम बल के उस अधिकांश हिस्से को रोजगार प्रदान करता है जिसके पास जीवनयापन का अन्य कोई साधन नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना एवं आर्थिक विकास में योगदान की अत्यधिक क्षमता है। अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास में योगदान को सरकार द्वारा पहचाना गया है। अनौपचारिक क्षेत्र में गुणवत्तात्मक रोजगार का मामला सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उपाय सुझाए जाने को क्रियान्वित किए जाने के लिए योजना आयोग में एक समिति का गठन किया गया है। अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दे राष्ट्रीय श्रम आयोग की कार्यसूची में हैं।

चावल और गेहूं का उत्पादन

2190. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान चावल और गेहूं के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और उस अवधि में कितना वास्तविक उत्पादन रिकार्ड किया गया;

(ख) क्या कुछ राज्यों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) दसवीं योजना के दौरान चावल और गेहूं के उत्पादन हेतु क्या अनुमान लगाए गए हैं; और

(ङ) उच्च उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कार्यनीति अपनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) चावल और गेहूं के लिए योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना (2001-02) का लक्ष्य तथा साथ ही इन लक्ष्यों की तुलना में अग्रिम अनुमान इस प्रकार हैं:-

(मिलियन टन)

फसल	लक्ष्य	अग्रिम अनुमान (22.1.2002 के अनुसार)
चावल	92.00	91.05
गेहूं	78.00	73.06

कुछ राज्यों में सूखे जैसी स्थिति के कारण लक्ष्यों को पूर्णतया प्राप्त किये जाने की आशा नहीं है। तथापि, लक्ष्यों के मुकाबले समग्र उत्पादन में मामूली कमी आई है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने सूचित किया है कि दसवीं योजना अभी भी तैयार किये जाने की प्रक्रिया में है। अत: दसवीं योजना के दौरान उत्पादन के लक्ष्यों और अपनायी जाने वाली कार्यनीतियों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

दक्षिणी राज्यों में पर्यटन का विकास

2191. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):
श्री अम्बरीश :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी राज्यों ने राज्यों में पर्यटकों के आवागमन को सुदृढ़ करने और सुकर बनाने हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस करार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को सुधारने के लिए कोई नए पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) देश में, विशेषत: दक्षिण भारत में पर्यटन उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों के पर्यटन मंत्रियों तथा पर्यटन सचिवों का सम्मेलन जनवरी, 2002 में कोवलम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दक्षिणी राज्यों में पर्यटन प्रचालन को सुदृढ़ तथा सरल बनाने की दृष्टि से सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए:-

(1) भारत सरकार व्यय कर हटा दे जिसके बाद राज्य सरकारें वास्तविक विलासिता कर में 10% की कमी लाएगी।

(2) सभी दक्षिणी राज्यों-केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय पर्यटक परमिट संबंधी सिफारिशें लागू की जाएं।

(3) भारत सरकार सभी दक्षिण भारतीय हवाई अड्डों पर आगमन पर वीजा सुविधा शुरू करे।

(4) पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से दक्षिण भारतीय हवाई अड्डों तथा भारतीय हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उतरने की अनुमति तुरंत देनी चाहिए।

(5) भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एल.टी.सी. सुविधा पुन: बहाल की जाए ताकि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। विकल्प के रूप में व्यक्तियों तथा कम्पनियों को कर में राहत दी जाए।

(6) घरेलू यात्रा को स्पर्धात्मक और तुलनीय बनाने हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को कराधान में कमी लाने के तुरंत प्रयास करने चाहिए।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकृष्ट करने की दृष्टि से अल्पावधि तथा दीर्घावधि की निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई हैं:

1. पर्यटन विकास कार्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना।
2. एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना।
3. नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार।
4. विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन।

5. सतत् एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास।

6. ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल, तथा

7. सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना।

बी.सी.सी.एल. के सम्मुख भूमि विवाद के लंबित मामले

2192. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला और खान मंत्री** बी.सी.सी.एल. के सम्मुख भूमि विवाद के लंबित मामले के बारे में 21.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4305 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. में भूमि विवाद के लंबित मामलों को निपटाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) निपटान में विलंब के कारण उत्पादन में कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या यह घाटा भूमि खोने वालों की अत्यधिक मांग से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) पिछले तीन महीनों के दौरान भूमि विवाद के लम्बित मामलों के निपटान में कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ख) मामलों के निपटान में विलंब होने के कारण प्रति वर्ष उत्पादन में लगभग 5 मिलियन टन की हानि होने का अनुमान है।

(ग) यह संभव नहीं है कि भू-वंचितों की अत्यधिक मांग को देखते हुए वास्तविक उत्पादन को सह-सम्बद्ध किया जा सके और हानि की मात्रा को बताया जा सके क्योंकि इससे न केवल बी.सी.सी.एल. में अपितु अन्य स्थानों पर भी भावी भूमि विवादों के निपटारे में इसके व्यापक अप्रत्याशित प्रभाव होंगे। कंपनी की नीति और मानदंडों से परे अत्यधिक रोजगार की मांग को स्वीकार करने से अन्य स्थानों पर भी रोजगार की नए सिरे से मांग उठने लगेगी और परिणामस्वरूप विवादों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त, बी.सी.सी.एल. में पहले ही से फालतू जनशक्ति है और इन परिस्थितियों में कंपनी के मानदंडों के परे भूमि विस्थापितों की रोजगार के लिए की गई मांग पर विचार करने का लेशमात्र भी औचित्य नहीं है।

(घ) जहां तक व्यवहार्य है, जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के सहयोग से विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत जारी है।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2193. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% है (अनुसूचित जातियां 8.41% और अनुसूचित जनजातियां 2.27% हैं) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% है (अनुसूचित जातियां 9.68% और जनजातियां 3.52%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो संस्कृति मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधीन (1) प्रथम श्रेणी (समूह क) और (2) द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार पता लगाए गए ऐसे कुल पदों पर (1) सामान्य, (2) अनुसूचित जातियों, (3) अनुसूचित जनजातियों, और (4) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

फलों और वनस्पतियों का वाणिज्यिक प्रसंस्करण

2194. श्री अरुण कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक देश है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में फलों और सब्जियों का वाणिज्यिक प्रसंस्करण तुलनात्मक रूप से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। चीन के बाद भारत फलों एवं सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बहरहाल, फलों के कुल 45.5 मिलियन मी. टन उत्पादन तथा सब्जियों के कुल 90.8 मिलियन मी. टन उत्पादन में से अनुमानत: मात्र 2% का ही प्रसंस्करण किया जाता है। प्रसंस्करण कम होने के प्रमुख कारण हैं— प्रसंस्करण हेतु अपेक्षित आधारभूत ढांचे की अपर्याप्तता, प्रसंस्कृत उत्पादों में मुनाफे की गुंजाइश कम होना, उत्पादन की मौसम पर निर्भरता, जल्दी खराब हो जाना, कानून एवं कर संरचना जटिल होना।

(घ) फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्लान स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्रवाई के माध्यम से प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपाय किए हैं:-

(1) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण को बैंक ऋण हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल करना।

(2) ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी।

(3) प्रसंस्कृत फलों व सब्जियों पर उत्पादन शुल्क 16% से घटाकर शून्य स्तर पर लाना।

(4) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति के प्रारूप का निरूपण।

इसके अलावा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा ''फसलोपरान्त प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास'' नामक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत बागवानी उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण सहित वाणिज्यिक बागवानी से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं की स्थापना हेतु 25.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन कुल लागत 20% की दर से पश्चान्त (बैंक एण्डेड) सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर, जनजातीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए परियोजना की अधिकतम सीमा 30.00 लाख रुपये है।

एशियाटिक लॉयन रिइन्ट्रोडक्शन परियोजना

2195. श्रीमती जयश्री बैनर्जी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 68 करोड़ रुपए की ''एशियाटिक लॉयन रिइन्ट्रोडक्शन परियोजना'' नामक एक उत्साही परियोजना, जिसमें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पालपूर कुनू अभयारण्य में शेरों के लिए वैकल्पिक पर्यावास विकसित करने की मांग की गई है, अनिश्चितताओं से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना के चरण-1 के वर्ष 2001 तक पूरा होने की संभावना थी;

(घ) यदि हां, तो अब तक इसमें की गई प्रगति के बारे में ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रथम चरण में 8 गांवों से 663 परिवारों को कुनो-पालपुर अभयारण्य से बाहर बसाया जाना था। इसकी तुलना में 18 गांवों के 1400 परिवारों को पहले ही अभयारण्य के बाहर ले जाया गया है। गांवों को अन्यत्र बसाने के बाद वास स्थलों और शिकार उपलब्धता में सुधार होने की सूचना मिली है। कृषि क्षेत्रों को घास के मैदानों में बदल दिया गया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण सैन्य तंत्र और मानव शक्ति में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र हेतु सहायता

2196. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र के 22 जिले गम्भीर सर्दी/असामयिक वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान की है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई सहायता का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस सहायता राशि का पूर्ण उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया है जिसके लिए यह धनराशि आवंटित की गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (च) महाराष्ट्र सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद एक केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने यह निर्णय लिया कि आपदा राहत कोष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के कारण राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से कोई केन्द्रीय सहायता अनुमत्य नहीं है। वर्ष 2001-2002 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की समस्त राशि राज्य को निर्मुक्त कर दी गई है। निचले स्तर पर राहत वितरण का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गोला नारियल गरी

2197. श्री आर.एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गोला नारियल गरी खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान कर्नाटक को कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के तहत खोपरा तथा दलहनों सहित तिलहनों की खरीद के लिए केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण के रूप में नैफेड, खरीदे गए स्टाक को रेहन पर रखकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत नकद ऋण सीमा तक खरीद हेतु निधि आहरित करता है और भण्डागारों में खरीदे गए भण्डारों के निक्षेप के लिए राज्य-स्तरीय नामित अभिकरण को भुगतान करता है। इसलिए, मूल्य समर्थन स्कीम के तहत खरीद के लिए सरकार ने, राज्य सरकारों को अलग से कोई धनराशि नियत नहीं की है।

(ग) वर्ष 2001 मौसम के दौरान, नैफेड ने मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कर्नाटक में 129.65 करोड़ रुपये मूल्य के 34,112 मी. टन बॉल खोपरा तथा 329 मी. टन मिलिंग खोपरा की खरीद की, जिसकी तुलना में नैफेड द्वारा 100.71 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

विमानन उद्योग की व्यवहार्यता

2198. श्री सुरेश कुरूप : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानन उद्योग को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कोई ठोस उपाय शुरू किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) नागर विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:-

(1) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चेन्नई हवाई अड्डों को दीर्घ अवधि पट्टे द्वारा आधुनिकीकरण उपग्रह पर आधारित संचार एवं नेवीगेशन प्रणाली की शुरूआत, अत्याधुनिक इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग/वायु यातायात प्रबंध प्रणाली को लगाना/बदलना इत्यादि,

(2) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा अपने वर्तमान विमान बेड़े में बढ़ोत्तरी के लिए लीज पर और विमान लेने की व्यवस्था की जा रही है,

(3) वर्तमान घरेलू वायु परिवहन नीति नागर विमानन सेक्टर में और निजी भागीदारी को बढ़ावा देती है।

(4) नागर विमानन सेक्टर को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने टर्बो-प्रोप विमान को सप्लाई किए जाने वाले एविएशन टर्बाईन ईंधन को केन्द्रीय बिक्री

कर अधिनियम के अंतर्गत डिक्लेयर्ड गुड्स की श्रेणी में रखा है ताकि बिक्री कर 4 प्रतिशत तक ही सीमित रहे।

(5) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रचालन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के सभी सात राज्यों के सभी मार्गों पर अंतरदेशीय हवाई यात्रा कर से छूट प्रदान करना भी सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

[हिन्दी]

मजदूर संघ की सदस्यता

2199. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मजदूर संघों की सदस्यता सेवारत सरकारी कर्मचारियों तक ही प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में व्यवसाय संघ (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का 31) के द्वारा कतिपय संशोधन किए गए थे। इस अधिनियम के उपबंधों को दिनांक 9.1.2002 की अधिसूचना के द्वारा प्रवर्तित किया गया है।

अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुसार, किसी श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए और श्रमिक संघ को हर समय बनाए रखने के लिए, श्रमिक संघ की सदस्य संख्या उस प्रतिष्ठान या उद्योग, जिससे वह सम्बद्ध है, में कार्यरत या नियोजित कर्मकारों का कम से कम 10 प्रतिशत या 100 कर्मकार, जो भी कम हो परन्तु सात से कम नहीं आवश्यक होगी।

इस अधिनियम के उपबंध केन्द्र सरकार के विभागीय उपक्रमों में नियोजित कर्मकारों और अन्य प्रतिष्ठानों या उद्योगों में नियोजित कर्मकारों पर भी लागू हैं।

ठेका श्रमिक अधिनियम

2200. श्री रामदास आठवले : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ठेका श्रमिक अधिनियम संबंधी मुद्दों पर विचार करने हेतु उद्योगपतियों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अवैध खनन

2201. श्री सुनील खां : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. के सलतोरा और मेजिया जैसे खनन क्षेत्रों से अवैध खनन के कारण दिसम्बर में पश्चिम बंगाल के गंगाजल घाट पुलिस स्टेशन में कोयला से लदे कई ट्रक पकड़े गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि दिसम्बर माह में सलतोरा तथा मेजिया में कोयले से लदे हुए ट्रकों को जब्त किए जाने की कोई सूचना गंगाजलघाट पुलिस स्टेशन से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि निर्यात जोन बनाया जाना

2202. श्री आर.एल. जालप्पा :
श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री विजय कुमार सोराके :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जेड.) स्थापित करने के लिए मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) ने अपनी मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रेप वाहन के निर्यात के अलावा फूलों और फलों के निर्यात के लिए भी कृषि निर्यात जोन बनाए जाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन्हें कब तक बनाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित कृषि निर्यात क्षेत्रों हेतु मंजूरी देने का अनुरोध किया है:-

1. कर्नाटक में खीरा,

2. मध्य प्रदेश में आलू, प्याज तथा लहसुन।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक में खीरे हेतु कृषि निर्यात क्षेत्र संबंधी प्रस्ताव पर दिनांक 7 सितम्बर, 2001 को मंजूरी दी गई एवं राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर दिनांक 19 सितम्बर, 2001 को हस्ताक्षर किए गए।

मध्य प्रदेश में आलू, प्याज तथा लहसुन के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र संबंधी प्रस्ताव पर 23 जनवरी, 2002 को मंजूरी दी गई एवं राज्य सरकार से समझौता ज्ञापन पर 11 फरवरी, 2002 को हस्ताक्षर किए गए।

(घ) जी हां।

(ङ) वाणिज्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति द्वारा निम्नलिखित 20 कृषि निर्यात क्षेत्रों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है:-

1. पश्चिम बंगाल में अनन्नास
2. कर्नाटक में खीरा
3. उत्तरांचल में लीची
4. पंजाब में सब्जियां
5. उत्तर प्रदेश में आलू
6. उत्तर प्रदेश (लखनऊ) में आम
7. पंजाब में आलू
8. उत्तर प्रदेश (सहारनपुर) में आम
9. महाराष्ट्र में अंगूर तथा अंगूर की शराब
10. आंध्र प्रदेश में आम का गूदा तथा ताजी सब्जियां
11. त्रिपुरा में अनन्नास
12. मध्य प्रदेश में आलू, प्याज तथा लहसुन
13. महाराष्ट्र में आम
14. जम्मू एवं कश्मीर में सेब
15. तमिलनाडु में फूल
16. महाराष्ट्र में केसर आम
17. महाराष्ट्र में फूल
18. जम्मू एवं कश्मीर में अखरोट
19. पश्चिम बंगाल में लीची
20. बिहार में लीची।

(च) 13 परियोजनाओं से संबंधित कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि शेष 7 परियोजना प्रस्तावों से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हेतु मंजूरी दे दी गई है।

यमुना की सफाई

2203. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यमुना नदी से प्रदूषण दूर करने के लिए एक ऐसी योजना शुरू करने का है जिसमें बड़े पैमाने पर नदी तल से गाद निकालना और नदी किनारे वनरोपण करना शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है और इसके लिए यदि कोई धन आवंटित किया गया है, तो वह धनराशि कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, नहीं। परन्तु संरक्षण के लिए सर्वेक्षण और कार्य

योजना और यमुना नदी के दिल्ली के भाग में तथा 30 कि.मी. उर्ध्वप्रवाह में बाढ़ मैदानों में नमभूमियों के उपयोग पर दो अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए गए हैं। ये अध्ययन इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	परियोजना शीर्षक	प्रकार	मंजूरी की तारीख	अवधि	बजट
1.	यमुना नदी के ''दिल्ली के भाग में बाढ़ मैदानों की पारिस्थितिकी एवं जल-विज्ञान संबंधी कार्यों का मूल्यांकन और एकीकृत नदी घाटी प्रबंधन कार्यनीति विकसित करना'' पर परियोजना	सर्वेक्षण एवं कार्य योजना	1.2.2002	दो वर्ष	11.25 लाख रुपए
2.	''दिल्ली में यमुना नदी के जल प्रवाह में वृद्धि करने हेतु विस्तृत अनुसंधान एवं कार्य योजना तैयार करना'' पर परियोजना	केवल संरक्षण	20.2.2002	छः महीने	7.41 लाख रुपए

घोड़ों के साथ निर्दयता

2204. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के हॉफकिन इंस्टीट्यूट में घोड़ों के सीरम निकालने में घोड़ों के साथ की जाने वाली तथाकथित निर्दयता की जांच करने वाले विशेषज्ञों के पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

विशेषज्ञों के सी.पी.सी.एस.ई.ए. पैनल ने 13 दिसम्बर, 2001 को पुणे महाराष्ट्र स्थित हॉफकिन बायो-फार्मास्यूटीकल कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.बी.सी.एल.), का निरीक्षण किया। विशेषज्ञ पैनल ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

1. स्टालों में पशुओं के लिए अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी तथा प्रत्येक स्टाल 3-4 पशुओं से भरा था।
2. अस्तबलों में बिछौना उपलब्ध नहीं था। अस्तबलों को ठीक से साफ नहीं किया गया था।
3. रोगाणुनाशी का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
4. मूत्र/जल और साफ न किए गए गोबर के स्थिर नालों सहित रखरखाव और सफाई अत्यधिक कमजोर थी।
5. पूरा पशु आवास अस्वच्छ था।
6. अस्तबलों में जल के टैंकों और जल की नालियों में कीचड़ की तह जमी हुई थी।
7. साईपरमेथ्रिन (कीटनाशी/पेस्टीसाईड) का उपयोग नियमित रूप से तथा अप्रासंगिक रूप से किया जा रहा है।
8. यद्यपि रोगीकक्ष में 20 पशुओं के लिए कमरे थे लेकिन केवल 9 पशुओं का ही इलाज चल रहा था जबकि अनेक पशुओं को प्रखर चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता थी।
9. पशुओं के इलाज के लिए अलग से कक्ष का कोई प्रावधान नहीं था।
10. खुले पशु-बाड़ों में बालू-अस्मक नहीं थे।

11. अश्वों (इक्वाइन्स) को 3-4 कि.ग्रा. प्रति पशु प्रतिदिन वाणिज्यिक सांद्रित अश्वीय चारा और 3-4 कि.ग्रा. प्रति पशु प्रतिदिन रिजका चराया जाता है।

12. कोई भी खनिज/विटामिन संपूरक उपलब्ध नहीं थे। पशुओं को सूखी घास/चारा दिया जाता था।

13. अनेक पशुओं को निम्नलिखित समस्याओं में से एक अथवा एक से अधिक समस्याएं थीं:-

    (क) अश्रुधारा सहित नेत्र श्लेष्मला।

    (ख) गर्दन के दोनों तरफ पिण्डाकार पाईवरोज्ड सूजन।

    (ग) टांगों, कन्धों और शरीर पर खुले घाव।

    (घ) सूजा हुआ टखना जोड़ और लंगड़ापन।

    (ङ) स्वास्थ्य क्षीणता।

    (च) शुष्क लोमचर्म आवरण तथा चमड़ी की दयनीय स्थिति।

    (छ) सूजे हुए घुटने के जोड़।

    (ज) एक पार्श्वी/द्विपार्श्व अंधापन।

14. सी.पी.सी.एस.ई.ए. संधि की अवज्ञा में, एच.वी.सी.एल. द्वारा बीमार, निम्न तथा लंगड़े सहित पशुओं को टीका लगाना तथा उनका खून बहाना जारी रहा।

15. एच.बी.सी.एल. द्वारा 3 दिनों की अवधि के दौरान कुल खून का 3-4 प्रतिशत खून निकालना जारी रहा जब कि संधि के अनुसार दो बार खून निकालने के बीच दो सप्ताह का विश्राम देना चाहिए।

16. एच.वी.सी.एल. ने घायल और अंधे पशुओं का खून निकालना जारी रखा।

17. एच.बी.सी.एल. ने 14 गेज की सुईयों के बजाय 8-10 गेज की सुईयों का उपयोग जारी रखा।

18. प्लाजमा फैरिसिस अर्थात् खून का पुर्नआर्वतन नहीं किया जा रहा है।

संस्थान में उपलब्ध अवसंरचना तथा कार्मिकों को देखते हुए घोड़ों/खचरों की संख्या को अधिकतम 200 तक कम करने के लिए सुविज्ञ समिति ने सिफारिशें कीं कि सी.जी.सी.एम.ई.ए. के मानकों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाए।

विवरण-II

ओ.पी. तेहलान बनाम भारत संघ द्वारा फाइल किए गए दिनांक 3 दिसम्बर के डब्ल्यू.पी.(सी.)/216/2001 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए विशेषज्ञों के पैनल की निरीक्षण रिपोर्ट भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई थी।

रिपोर्ट के प्रवर्तन में 18.1.2002 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी.पी.सी.एस.ई.ए. को सी.बी.सी.एल. को यह कारण बताने के लिए कि समिति द्वारा किए गए प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 'वैक्सीन/सीरम के उनके उत्पादनों को बंद करने के निर्देश क्यों नहीं दिए जाएं' का नोटिस जारी किया।

सी.पी.सी.एस.ई.ए. के सदस्य सचिव ने पशु (नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण) संबंधी नस्लों के प्रयोग नियमावली, 1998 के नियम 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एच.बी.सी.एल. को कारण बताने को कहा कि उन्हें दिए गये पंजीकरण का प्रतिसंहरण क्यों नहीं कराया जाए। इसके अतिरिक्त नियम 14(ख) और (ग) के अंतर्गत एच.बी.सी.एल. को एंटी स्नैक वेनम सीरम के निर्माण के लिए घोड़ों से खून निकासी को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया था। एच.बी.सी.एल. से कथित नयाचार के सत्यापन के अनुपालन के क्रम में पुनः निरीक्षण की तारीख और समय सूचित करने तथा उनके अधिकार वाले पशुओं के उपचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया था।

एच.बी.सी.एल. ने अपने 11 फरवरी, 2002 के उत्तर में सी.पी.सी.एस.ई.ए. को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने अशवीय की आयु खून निकालने का निर्धारित समय, कन्नूला का आकार, पशु चारा और पंजीकृत प्रणनकों से पशुओं की प्राप्ति की सूचना से संबंधित प्रश्न पूछना जारी रखा। पशुओं के प्रजनन तथा पशुओं पर प्रयोग (नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण) नियमावली, 1998 की प्रयोज्यता विवादित हो गई है।

आगे यह भी कहा गया कि सी.पी.सी.एस.ई. के प्रतिनिधियों ने एच.बी.सी.एल. का कई बार निरीक्षण किया। मान्य मानकों की जानकारी के अभाव तथा वैक्सीन उत्पादन अधिक आयु के तथा बीमार घोड़ों के प्रयोग, शारीरिक स्वीकार्य सीमा से अधिक खून निकालना, दबाव का अपर्याप्त देखभाल करना, कमजोर और बीमार पशुओं की अपर्याप्त देखभाल रिकार्ड की गई है।

अप्रैल, 2000 से नवम्बर, 2000 के मध्य की अवधि के दौरान अर्थात् लगभग 8 महीनों में 84 घोड़ों की मृत्यु हो गई थी। फरवरी, 2001 में 6 घोड़े मर गए। एच.बी.सी.एल. के प्राधिकारियों द्वारा मृत्यु का कारण तीव्र आघात बताया गया है जो टीकाकरण

के लिए समुचित नयाचार, टीकाकरण अवधि के दौरान सीरम परिछेदिका की निगरानी तथा पशु-चिकित्सा देखभाल का अभाव दर्शाता है।

घोड़े जिन्हें वृद्धावस्था तथा कार्य हेतु आयोग्यता के कारण सेना सेवाओं से सेवा निवृत्त किया गया था, कार्य हेतु अयोग्य थे को एच.बी.सी.एल., महाराष्ट्र द्वारा प्राप्त किए गए थे। इन वृद्ध घोड़ों को अचानक गहन टीकाकरण कार्यक्रम में धकेला जाता है जिनमें उन्हें नियमित अंतरालों में उच्च मात्रा में विषेली खुराकें दी गई तथा तत्पश्चात् स्वीकार्य सीमा से अधिक खून निकाला गया।

इनमें से अनेक घोड़े जो फौज की लम्बी सेवा में खुद को खपा चुके थे, उन्हें अमानवीय टीकाकरण के दौर से तथा खून निकालने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, उदाहरणत: एक घोड़ा जो 30.5.2000 को मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसे मृत्यु से चार दिन पूर्व विषैले पदार्थ से टीकाकरण किया गया था। उसी घोड़े से मृत्यु से 30 दिन पूर्व 18 लिटर खून निकाला गया था। एच.बी.सी.एल. के अधिकारियों ने एक ऐसे घोड़े का स्मारक खड़ा किया है जिसका 5000 लीटर खून निकाला गया था।

एक अवसर पर, एच.वी.सी.एल. के अधिकारियों ने अपने दुष्कर्मों को छिपाने के लिए सी.पी.एस.ई.ए. के प्रतिनिधियों को डराना-धमकाना शुरू कर दिया था। 23.6.2001 को सी.पी.सी.एस.ई.ए. के मनोनीत सदस्य को एच.बी.सी.एल. के कर्मचारियों द्वारा बंद कर के मारा गया था। सी.पी.एस.ई. के सदस्यों तथा सुविज्ञ परामर्शदाताओं की एक टीम उसी दिन एच.बी.सी.एल. गई तथा एच.बी.सी.एल. के अधिकारियों के गैर-समझौता पूर्ण तथा अन्यायपूर्ण रवैए को व्यक्त करने वाली तथा सी.पी.सी.एस.ई.ए. के प्रतिनिधियों पर हमला करने एवं उन्हें डराने-धमकाने संबंधी एक रिपोर्ट दर्ज की।

माननीय मंत्री महोदया श्रीमती मेनका गांधी ने स्वयं स्थिति का जायजा लेने तथा वैज्ञानिक तौर पर सही एवं नैतिकता पूर्वक औचित्यपूर्ण संधियों के क्रियान्वयन में एच.बी.सी.एल. अधिकारियों द्वारा किए गए अतर्कपूर्ण तथा गैर-समझौतापूर्ण व्यवहार पर विचार-विमर्श करने के लिए, 7 अगस्त, 2001 को सुविज्ञों की एक टीम के साथ एच.बी.सी.एल. का दौरा किया।

[हिन्दी]

रॉयल्टी की वसूली

2205. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) रॉयल्टी की बकाया राशि का राज्यवार और कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए किसी कम्पनी की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) की ओर देय बकाया रॉयल्टी राशि का राज्य-वार ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	31.3.99 की स्थिति के अनुसार अप्रैल, 98 से मार्च, 99 तक किए गए प्रेषणों हेतु	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अप्रैल, 99 से मार्च 2000 तक किए गए प्रेषणों हेतु	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक किए गए प्रेषणों हेतु	28.2.02 की स्थिति के अनुसार अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक किए गए प्रेषणों हेतु (अनंतिम)
बिहार	15.09	43.47	–	–
झारखण्ड	–	–	43.51	50.00
पश्चिम बंगाल	0.02	0.03	0.04	0.02

(ख) बिहार सरकार तथा झारखण्ड सरकार ने कोयले पर रॉयल्टी की वसूली के लिए समय-समय पर "सर्टिफिकेट केस" दाखिल किए हैं।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान बकाया रॉयल्टी की वसूली के लिए बी.सी.सी.एल. की सम्पत्ति कुर्क किए जाने का कोई मामला नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

खनन पट्टे और सर्वेक्षण के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

2206. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टे और सर्वेक्षण के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) इससे राज्यवार कितने राजस्व/रॉयल्टियां अर्जित की गई; और

(ग) उक्त पट्टे और लाइसेंस जारी करने के क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10(3) के तहत, खनिज रियायतें तथा टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस एवं खनन पट्टे, प्रदान किए जाते हैं। तथापि, उपरोक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के तहत निर्दिष्ट खनिजों हेतु खनिज रियायतें देने हेतु केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति हेतु प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा, उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के प्रावधानों के अनुरूप, उन पर कार्रवाई तथा उनका निपटान किया जाता है। अधिनियम की धारा 5(1) के तहत, केन्द्र सरकार द्वारा, पिछले तीन वर्षों के दौरान, अनुमोदित टोही परमिटों, पूर्वेक्षण लाइसेंस एवं खनन पट्टों का राज्यवार, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सभी खनिजों हेतु, खनिजों पर रायल्टी राज्य सरकार द्वारा एकत्र की जाती है तथा रखी जाती है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) खनिज रियायतें (टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस एवं खनन पट्टे) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उनके तहत बनाए गए नियमों नामत: खनिज रियायत नियमावली, 1960 और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के प्रावधानों के तहत दी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	टोही परमिटों की संख्या			पूर्वेक्षण लाइसेंस			खनन पट्टे		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002*	1999-2000	2000-2001	2001-2002*	1999-2000	2000-2001	2001-2002*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	–	20	8	16	5	4	25	12	6
2.	बिहार	–	–	–	–	1	–	6	1	–
3.	गोवा	–	–	–	–	1	3	–	–	–
4.	गुजरात	–	–	–	7	–	–	12	–	5
5.	हरियाणा	–	–	1	3	–	–	–	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	1	–	–	1	–	–
7.	कर्नाटक	–	16	8	–	2	–	10	7	2
8.	मध्य प्रदेश	–	–	–	9	1	1	27	5	–
9.	महाराष्ट्र	–	–	–	5	10	3	6	11	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	उड़ीसा	–	–	–	11	11	–	8	8	5
11.	राजस्थान	–	4	13	25	4	3	14	5	10
12.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	1
13.	तमिलनाडु	–	–	–	3	–	–	31	50	17
14.	उत्तर प्रदेश	–	2	–	–	–	–	–	–	–
15.	चंडीगढ़	–	–	–	1	–	2	–	–	1
	कुल	–	42	30	81	35	16	140	99	56

*14.3.2002 तक

[हिन्दी]

सी.आई.एल. के मुख्यालय का स्थानांतरण

2207. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) का मुख्यालय कोलकाता से रांची स्थानान्तरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सी.डब्ल्यू.सी. के अधिकारियों की गिरफ्तारी

2208. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री रामजी मांझी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के कुछ अधिकारियों को धन के दुरूपयोग करने के कारण गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग और वेतन एवं लेखा कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के 8 अधिकारियों/ पदधारियों (एक सेवानिवृत्त अधिकारी सहित) को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में निधियों के अभिकथित दुरुपयोग के संबंध में मामला सं. आर.सी.-डी.एल.आई.-2001-ए-0016 में 7.2.2002 को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी अधिकारियों और कुछ अन्य पदधारियों को, जो केन्द्रीय जल आयोग में निधियों के दुरूपयोग के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गए हैं, उन्हें सी.बी.आई. द्वारा अगली जांच किए जाने तक निलंबित कर दिया गया है।

विमान की मरम्मत

2209. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बोईंग 747-400 विमान की मरम्मत एक ताईवानी एजेंसी से कराकर लाखों डॉलर खर्च किए हैं जबकि ऐसी मरम्मत स्वदेश में भी हो सकती थी;

(ख) यदि हां, तो मरम्मत का कार्य ताईवानी एजेंसी को देने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन विमानों की मरम्मत पर कुल कितनी राशि वर्षवार खर्च की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) ताईवानी एजेंसी द्वारा एअर इंडिया के बी-747-400 विमान की कोई रोटीन मरम्मत नहीं की गई है। तथापि, ताईवानी एजेंसी द्वारा 3 बी-747-400 विमानों का एक बार अनिवार्य ढांचात्मक संशोधन किया गया था। उक्त एजेंसी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। सी चैक के लिए 2 ए 300बी 4 विमानों को विदेश भेजने के स्थान पर 4 बी-747-400 विमानों को ढांचागत संशोधनों के लिए बाहरी एजेंसियों को भेजने तथा बाहरी एजेंसियों द्वारा विमानों को ठीक कर वापस भेजने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए और खर्च में होने वाली बचत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। बोइंग परिवर्धन किट मुफ्त सप्लाई करती है तथा इस परिवर्धन में हुए व्यय के कुछ भाग की एयरलाइंस से प्रतिपूर्ति भी करती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बी-747-400 विमान के नेमी अनुरक्षण तथा मरम्मत पर हुआ कुल व्यय निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सामग्री खपत (इन-हाऊस)	मरम्मत (बाहरी पार्टियां)	कुल
1998-1999	43.93	13.63	57.56
1999-2000	53.91	16.15	70.06
2000-2001	129.10	23.93	153.03

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायताप्राप्त जल आपूर्ति परियोजना

2210. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही जल आपूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण, ऐसी परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा निष्पादन राज्य सरकारों की योजना प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में राज्य को पहले व्यय करना होता है और फिर विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है। इस समय निम्नलिखित जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमेरिकी डालर)	प्रारम्भ/पूर्ण करने की तारीख	उपयोग 1/2002 तक
1.	द्वितीय चेन्नई जल आपूर्ति परियोजना	80.50	20.11.95 30.6.2002	64.40
2.	उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय सफाई परियोजना (उत्तरांचल सहित)	52.4	22.7.1996 31.5.2003	24.17
3.	केरल जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय सफाई परियोजना	65.5	4.1.2001 31.1.2007	16.48
4.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय सफाई परियोजना	151.6	11.2.2002 2007	–

बीज बैंक की स्थापना

2211. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में देश में उत्तम किस्म के बीजों की कमी के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तम किस्म के बीजों को संग्रह करने के लिए बीज बैंक स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। प्रमाणित/उत्तम किस्म के बीजों का वितरण वर्ष 1994-1995 में 54.32 लाख क्विंटल की तुलना में वर्ष 1999-2000 में लगभग 85 लाख क्विंटल तक पहुंच गया। वर्ष 2001-02 के लिए उत्तम किस्म के बीजों का लक्ष्य 109 लाख क्विंटल रखा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रति वर्ष बागवानी संबंधी फसलों के प्रजनक बीजों के अलावा फसली पौधों के लगभग 24,000 क्विंटल प्रजनक बीजों का उत्पादन करती है।

(ख) बीज बैंक की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए एक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम वर्ष 1999-2000 से निरन्तर लागू है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य किसी भी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए बीज उपलब्ध करना है तथा बीजों के उत्पादन/वितरण हेतु बुनियादी ढांचे का विकास भी करना है।

(ग) इस स्कीम को राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन तथा 12 राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य बीज निगमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस स्कीम के अन्तर्गत धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, मूंग, मसूर, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया/सरसों, कपास और तिल जैसी फसलों के प्रमाणित/मूल बीजों का किसी भी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए बीज बैंक में अनुरक्षण किया जा रहा है। उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए बीज बैंक के अनुरक्षण हेतु इस स्कीम में अलग से प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के तहत बीज खरीदने के लिए पराक्रमी (रिवोलविंग) निधियों तथा बीज भण्डार आदि का भी निर्माण करने सहित बीजों की लागत को बनाये रखने के लिए सहभागिता बीज निगमों को निधियां मुहैया करायी जाती हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत एक डेटा बैंक एवं सूचना प्रणाली की स्थापना करने के लिए भी प्रावधान है। हाल के वर्षों के दौरान इस स्कीम की वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क्विंटल में)

क्र.सं.	वर्ष	मूल बीज		प्रमाणित बीज	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	1999-2000	4147	3937	48050	42754
2.	2000-2001	7748	6029	98000	93393
3.	2001-2002	10002	7552	130522	107639*
4.	उत्तर-पूर्व के राज्य (2001-2002)	-	-	14075	13525

*अनंतिम

[अनुवाद]

भूमंडलीय ताप में वृद्धि

2212. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमंडलीय ताप में वृद्धि का जीव-जन्तुओं और समुद्र जल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) भूमंडलीय ताप में वृद्धि के खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-सरकारी पैनल की 2001 में प्रकाशित तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार जीवों पर विश्वव्यापी ताप के प्रक्षेपित प्रभावों में वेक्टरबॉर्न रोगों में संभावित वृद्धि के कारण मानव स्वास्थ्य, जलजनित रोगजनकों, जल गुणता और भोजन उपलब्धता, जैवविविधता के संयोजन में परिवर्तन, प्रजातियों की संवेदनशीलता प्रभावित होने के भय शामिल हैं। अग्नि, सूखा, नाशक जीव ग्रसन, तूफान और कोरल ब्लीचिंग से पड़ने वाले प्रभावों के कारण पारिप्रणालियां भी प्रभावित होंगी। रिपोर्ट में ग्लोबल दर से तात्पर्य 20वीं सदी में 1.0 से 2.0 मिलीमीटर की रेंज में प्रतिवर्ष समुद्र स्तर में वृद्धि होनी भी बताई गई है।

(ख) सरकार द्वारा किए गए उपायों में परम्परागत ऊर्जा उत्पादन और प्रयोग की दक्षता में सुधार, मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करना, साफ कोयला और बायो-मास ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के साथ-साथ वन संरक्षण शामिल है।

कृषि स्नातकों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना

2213. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) का विचार प्रशिक्षित कृषि स्नातकों को किसानों के खेतों से जुड़े प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का अवसर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़े फेरबदल की जरूरत है; और

(घ) यदि हां, आई.सी.ए.आर. द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से ''ऐग्रिबिजनेस तथा ऐग्रिक्लीनिक्स'' से संबंधित एक योजना को प्रतिपादित किया है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ और परिचालन किया गया। इस योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि ग्रामीण परिवेश में कार्य करने वाले कृषि विज्ञान के स्नातकों द्वारा 5000 उद्यम स्थापित किए जाएं। इन उद्यमों को स्थापित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से आसान ऋण देने की व्यवस्था होगी। ऋण लेने वाले स्नातकों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। विश्वविद्यालयों और संस्थानों में ऐसे प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचे से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रसंस्करित प्रामाणिक बीज

2214. श्री पी.आर. खूंटे :
श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को उपलब्ध कराए गए विभिन्न फसलों के संकरित प्रामाणिक बीजों का राज्यवार और फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों के किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संकरित प्रामाणिक बीज नहीं मिल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बीजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को उपलब्ध कराये गये विभिन्न फसलों के प्रमाणित संकर बीजों का राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। किसान प्रमाणित संकर बीज पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों के अधीन किसानों को बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को उपलब्ध कराये गए विभिन्न फसलों के प्रमाणित संकर बीजों का राज्य-वार विवरण

राज्य : आंध्र प्रदेश — मात्रा क्विंटल में

	फसल	1999-2000		2000-01		2001-02	
		आव.	उप.	आव.	उप.	आव.	उप.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धान संकर	200	500	–	–	–	–
2.	ज्वार संकर	39450	127522	37420	156508	22570	194210
3.	बाजरा संकर	300	6900	2500	3000	4900	48472
4.	मक्का संकर	20500	25659	20200	184760	40060	218906
5.	सूरजमुखी संकर	–	–	–	8102	–	–
6.	एरंड संकर	550	550	–	–	1050	5050
7.	कपास संकर	15000	34900	18100	50739	2855	2855
	कुल	76000	196031	78220	403109	71435	469493
राज्य : कर्नाटक							
1.	धान संकर	7	7	7	7	56	56
2.	ज्वार संकर	27710	18628	1940	1415	21815	18180
3.	बाजरा संकर	11	11	8	8	–	–
4.	मक्का संकर	26250	18590	27000	15840	2000	645
5.	सूरजमुखी संकर	2150	1675	15850	11705	3425	2797
6.	एरंड संकर	3	3	–	–	3	3
7.	कपास संकर	7850	7145	7900	7209	2050	2135
	कुल	63981	46059	52705	36184	29349	23816
राज्य : तमिलनाडु							
1.	धान संकर	400	400	400	400	800	800
2.	ज्वार संकर	100	100	50	50	50	50
3.	मक्का संकर	100	160	180	240	230	350

मात्रा क्विंटल मे

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सूरजमुखी संकर	750	750	500	500	250	–
5.	एरंड संकर	300	300	–	–	300	–
6.	कपास संकर	2	2	2	2	2	2
	कुल	1652	1712	1132	1192	1632	1202
राज्य	हिमाचल प्रदेश						
1.	मक्का संकर	6100	6100	7050	7050	7300	7300
राज्य	: पंजाब						
1.	धार संकर	–	–	300	300	–	–
2.	मक्का संकर	5250	5350	10800	13630	14000	14500
3.	कपास संकर	10	7	2495	4324	2370	3530
	कुल	5260	5357	13595	18254	16370	18030
राज्य	: हरियाणा						
1.	बाजरा संकर	8000	2950	7000	4752	7200	4691
2.	मक्का संकर	400	600	400	–	400	100
3.	कपास संकर	–	–	–	–	–	4181
	कुल	8400	3550	7400	4752	7600	8972
राज्य	: उत्तर प्रदेश						
1.	धान संकर	200	100	80	80	–	50
2.	ज्वार संकर	150	–	–	–	–	–
3.	बाजरा संकर	500	–	–	–	–	–
4.	मक्का संकर	400	–	–	–	200	750
5.	सूरजमुखी संकर	1000	–	1000	–	–	–
	कुल	2250	100	1080	80	200	800
राज्य	: जम्मू एवं कश्मीर						
1.	मक्का संकर	2930	2930	3700	3700	2300	2300

मात्रा क्विंटल में

1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य : गुजरात							
1.	ज्वार संकर	1970	2100	2500	2830	3440	4000
2.	बाजरा संकर	26000	38388	39400	43785	46600	51450
3.	मक्का संकर	7600	8207	8500	8705	3860	4262
4.	एरंड संकर	23500	24583	24000	26292	23000	32175
5.	कपास संकर	16200	28116	16700	25989	19125	25102
	कुल	75270	101394	91100	107601	96025	116989
राज्य : राजस्थान							
1.	धान संकर	–	–	–	5	–	–
2.	ज्वार संकर	3100	875	3200	1155	472	310
3.	बाजरा संकर	25600	37470	39900	57263	37226	43236
4.	मक्का संकर	2200	5370	5150	9642	10604	15318
5.	एरंड संकर	1000	1511	2200	2200	2640	2552
6.	कपास संकर	7600	10978	6000	8877	8100	5487
	कुल	38900	56204	56450	79142	59042	66903
राज्य : महाराष्ट्र							
1.	धान संकर	50	20	1650	2620	2250	2250
2.	ज्वार संकर	138950	141865	139575	155110	132500	156631
3.	बाजरा संकर	33750	37370	32575	32055	34050	38600
4.	मक्का संकर	26500	27630	22675	28216	30000	33040
5.	सूरजमुखी संकर	18125	19860	10000	21425	5950	17175
6.	कपास संकर	45000	43509	49975	53107	49825	55520
	कुल	262375	270254	256450	292533	254575	303216
राज्य : मध्य प्रदेश							
1.	ज्वार संकर	6500	6500	11000	–	1000	1000
2.	बाजरा संकर	708	500	350	–	870	850

मात्रा क्विंटल में

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मक्का संकर	3000	3050	3100	–	660	417
4.	सूरजमुखी संकर	–	–	200	–	80	–
5.	एरंड संकर	–	–	1000	–	–	–
6.	कपास संकर	3000	2993	4400	875	2310	2429
	कुल	13208	13043	20050	875	4920	4696
राज्य : असम							
1.	मक्का संकर	–	–	–	–	500	500
राज्य : बिहार							
1.	ज्वार संकर	200	200	–	–	–	–
2.	मक्का संकर	4520	1300	5000	660	4700	610
3.	सूरजमुखी संकर	100	–	–	–	–	–
	कुल	5720	1500	5000	660	4700	610
राज्य : उड़ीसा							
1.	ज्वार संकर	200	200	250	250	–	100
2.	मक्का संकर	3700	3250	4500	4500	400	400
3.	सूरजमुखी संकर	–	–	–	–	250	250
4.	कपास संकर	800	–	800	800	400	300
	कुल	4700	3450	5550	5550	1050	1050
राज्य : पश्चिम बंगाल							
1.	धान संकर	160	160	200	200	250	250
2.	मक्का संकर	40	40	40	40	40	40
	कुल	200	200	240	240	290	290

आव. – आवश्यकता

उप. – उपलब्धता

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को उपलब्ध कराये गए विभिन्न फसलों के प्रमाणित संकर बीजों का फसल-वार ब्यौरा

मात्रा क्विंटल में

	फसल	1999-2000		2000-01		2001-02	
		आव.	उप.	आव.	उप.	आव.	उप.
1.	धान संकर	1,017	1,187	2,637	3,602	3,356	3,406
2.	ज्वार संकर	2,18,330	2,97,990	1,95,935	3,17,318	1,81,847	3,74,481
3.	बाजरा संकर	94,869	1,23,589	1,21,733	1,40,863	1,30,846	1,87,299
4.	मक्का संकर	1,09,490	1,08,236	1,18,295	2,76,983	1,17,254	2,99,438
5.	सूरजमुखी संकर	22,125	22,285	27,550	41,732	9,955	20,222
6.	एरंड संकर	25,353	26,947	27,200	28,492	26,993	39,780
7.	कपास संकर	94,862	1,27,650	1,06,372	1,51,922	87,037	1,01,541
	कुल	5,66,046	7,07,884	5,99,722	9,60,912	5,57,288	10,26,167

आव. - आवश्यकता

उप. - उपलब्धता

वायु और जल प्रदूषण के कारण मौतें

2215. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश में विशेषकर वायु और जल प्रदूषण के कारण राज्यवार कितने लोगों की मौतें हुईं;

(ख) क्या सरकार ने देश में इस तरह हो रही मौतों को रोकने और वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) ऐसा कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिससे प्रदूषण के कारण मृत्यु-दर की पुष्टि की जा सके।

(ख) और (ग) वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) प्रदूषण उपशमन हेतु एक व्यापक नीति तैयार की गई है जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रक और निवारक पहलुओं पर बल दिया गया है।

(2) मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तथा उपशामक उपाय सुझाने के लिए देश के विभिन्न भागों में पर्यावरणीय जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं।

(3) प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(4) छोटे पैमाने के उद्योगों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

(5) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और नए वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। दिल्ली सहित राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा प्रवृत्त किया जाता है।

(6) पूरे देश में 1.2.2000 से सीसारहित पेट्रोल और पूरे देश में 1.1.2000 से अधिकतम 0.25% सल्फरयुक्त ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। प्रमुख नगरों में अति निम्न सल्फरयुक्त (0.05%) ईंधन (पेट्रोल और डीज़ल) की शुरूआत भी की गई है।

(7) सी.एन.जी. वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, दिल्ली में कई खुदरा दुकानों के माध्यम से मोटर कारों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) की आपूर्ति की जाती है।

(8) पेट्रोल में बैंजीन सांद्रण को कम किया गया है।

(9) देश भर में 290 परिवेशी वायु गुणता मानीटरी केन्द्रों और 507 जल गुणता मानीटरी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(10) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों से प्रदूषण नियंत्रण हेतु कदम उठाए गए हैं।

(11) उद्योगों से यह अपेक्षा भी की गई है कि वे अपने संयंत्रों को प्रारम्भ करने से पहले आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं।

(12) उद्योगों से अपेक्षा की जाती है कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत निजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

कृषि अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रम में बदलाव

2216. श्री रामेश्वर डूडी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने व सुधारने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रमों में कतिपय बदलाव लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) सरकार का प्रयास कृषि अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों में हमेशा प्रभावी एवं कार्यान्वित किए जाने वाले परिवर्तनों को करने की ओर रहा है। इसका उद्देश्य देश में कृषि उपज बढ़ाने, गुणवत्ता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने का है। इस प्रयोजन से सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति (एन.ए.पी.) के नाम से एक राष्ट्रीय नीति बनाई है जो संसद द्वारा पहले से ही अनुमोदित है। संसद ने राष्ट्रीय कृषि नीति को जुलाई, 2000 में अनुमोदित किया था। राष्ट्रीय कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:-

(1) कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि

(2) ऐसी वृद्धि जो संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा हमारी मृदा, जल और जैव-विविधता को संरक्षित करने पर आधारित हो।

(3) औचित्य पर आधारित वृद्धि अर्थात् वृद्धि जो विभिन्न क्षेत्रों और किसानों के लिए व्यापक रूप से हितकर हो।

(4) वृद्धि जो आवश्यकता पर आधारित है तथा घरेलू बाजारों के अनुकूल हो और जिससे आर्थिक उदारता और वैश्वीकरण से उठती हुई चुनौतियों का सामना करने में कृषि उत्पादों के निर्यात से अधिकतम लाभ मिल सके। वृद्धि जो प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय तथा आर्थिक दृष्टि से टिकाऊ हो।

इस नीति ने भारतीय कृषि से जुड़े हुए मुद्दों को व्यापक रूप से समेटा है जैसे (1) टिकाऊपन, (2) खाद्य एवं पौषणिक सुरक्षा, (3) प्रौद्योगिकी का सृजन और अन्तरन, (4) निवेश प्रबंधन, (5) प्रोत्साहन, (6) निवेश, (7) संस्थागत ढांचा, (8) जोखिम प्रबंधन तथा (9) प्रबंधन सुधार।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन

2217. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते को देखते हुए खाद्यान्नों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अपनी पकड़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए गेहूं के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों, एपेडा के साथ गैर-बासमती चावल के अनुबंधों के पंजीकरण जैसे प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है और खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अन्य कदम उठाए हैं। इनमें, प्रचार अभियान, व्यापार संबंधी प्रतिनिधि मण्डल को भेजना, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संभावित

खरीददारों को आमंत्रित करना तथा गुणवत्ता पैकेजिंग को बेहतर बनाने, उत्पादों के ब्राण्ड के संवर्धन तथा मण्डी सर्वेक्षण के संचालन के लिए निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करना शामिल है।

हवाई अड्डों पर कार्यरत कर्मचारियों को स्मार्ट कार्ड

2218. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.सी.ए.एस. ने कई सुरक्षा परीक्षणों के बाद अब विभिन्न हवाई अड्डों पर पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डों पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के कर्मचारियों को कागजी पहचान पत्रों की जगह स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बी.सी.ए.एस. द्वारा देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर अपनाए जाने वाले प्रस्तावित सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) फोटो पहचान कार्ड की वर्तमान प्रणाली से विभिन्न हवाई अड्डों पर तैनात अधिकारियों और स्टाफ की आवा-जाही पर रुकावट नहीं होती।

(ख) और (ग) तकनीकी क्षेत्र में अद्यतन विकास को ध्यान में रखकर, हम निकट भविष्य में बेहतर एस्सेस नियंत्रण प्रणाली पर विचार कर रहे हैं।

(घ) नागर विमानन प्रचालनों के साथ गैर-कानूनी हस्तक्षेप तथा अपहरण को रोकने की दृष्टि से हवाई अड्डों पर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. समयबद्ध तरीके से सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की नियुक्ति;
2. बड़े हवाई अड्डों पर त्वरित कार्रवाई बल की तैनाती;
3. यात्रियों और उनके हाथ के सामान की लेडर-प्वाइंट पर सुरक्षा जांच को अनिवार्य बनाया गया है;
4. परिधि सुरक्षा को कड़ा करना;
5. यदा-कदा आधार पर हमारी अनुसूचित एयरलाइनों के सभी मार्गों पर स्काई मार्शलों की नियुक्ति।

कृषि लागत और मूल्य आयोग में किसान को शामिल करना

2219. श्री मानसिंह पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग में कृषि के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले किसानों को शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस आयोग में कृषक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) उन्हीं प्रख्यात व्यक्तियों को कृषि लागत और मूल्य आयोग के सदस्य (गैर-सरकारी) की तीन पदों पर संविदा आधार पर नियुक्त किया जाता है, जिन्हें कृषि उत्पादन एवं उपभोक्ता समस्याओं की समझ हो और अनिवार्य तौर पर किसी खास समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में सदस्य (गैर-सरकारी) का एक पद खाली है। फिलहाल नियुक्त शेष दो पदधारियों के नाम निम्नलिखित हैं:

(1) श्री एम. रघुपति

(2) श्री रामाधार

इंडियन एयरलाइंस के पास फालतू स्पेयर पार्ट्स

2220. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस के पास पड़े हुए फालतू स्पेयर पार्ट्स का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) ये कब से अनप्रयुक्त पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस द्वारा मालसूची की अत्यधिक खरीद की जांच कराने के लिए किसी जांच का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) फरवरी, 2002 तक इंडियन एयरलाइंस के पास अतिरिक्त विमान कलपुर्जों का कुल भंडार निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

ए-320	रुपए	5.55
ए-300	रुपए	16.63
बी-737	रुपए	11.64
कुल		33.82

(ख) प्रबंधन की नीति के अनुसार विमानों के ऐसे कलपुर्जे जो 5 वर्षों से अधिक समय तक के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाते उन्हें अतिरिक्त घोषित कर दिया जाता हैं। अत: अतिरिक्त कल-पुर्जे इंडियन एयरलाइंस के पास 5 वर्षों से अधिक समय से पड़े हैं।

(ग) से (ङ) इस पूरे प्रकरण की जांच इंडियन एयरलाइंस लि. के तात्कालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा कम्पनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से कराई गई थी। मुख्य सतर्कता अधिकारी के जांच में किसी व्यक्ति विशेष अथवा विभाग की इस मामले में दुर्भावना नहीं दर्शाई गई है। तथापि, कल पुर्जों की खरीद में व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई। इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है तथा रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को पूर्ण रूप में लागू कर दिया गया है।

विमान दुर्घटनाएं

2221. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1995 से आज की तिथि तक देश में इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया और अन्य एयरलाइनों के विमानों की वायु दुर्घटनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक घटना के क्या कारण बताए गए हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक में जान और माल की कितनी क्षति हुई है;

(घ) प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया;

(ङ) सरकार ने विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या सरकार दैनिक आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र के विमानों की उड़ान क्षमता की जांच करती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (ग) 1 जनवरी, 1995 से आज तक हवाई दुर्घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण जिसमें भारतीय पंजीकृत यात्री विमान सहित दुर्घटनाओं के कारण, जान-माल की हानि दर्शायी गई है।

(घ) मृतकों के आश्रितों को संबंधित प्रचालकों द्वारा उनकी बीमा कम्पनियों के माध्यम से प्रतिपूर्ति दी गई है।

(ङ) नागर विमानन प्रचालनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण की निर्धारित पद्धतियों का अनुपालन, अपेक्षित सुविधाओं एवं प्रशिक्षित जनशक्ति का प्रावधान, उड़ान डाटा रिकार्डर की मॉनिटरिंग, उड़ान ड्यूटी समय सीमाओं की मानीटरिंग, प्रशिक्षण, चिकित्सा तथा लाइसेंस वैधता, प्रचालकों की सुरक्षा लेखा-परीक्षा, सुरक्षा उपकरणों का संस्थापन लगातार किया जा रहा है।

(च) और (छ) जी, हां। अपने विमान के अनुसरण की इच्छा करने वाले किसी भी प्रचालक को नागर विमानन महानिदेशालय की नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है। प्रचालक, निर्माताओं द्वारा विनिर्दिष्ट एवं नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित नियत अन्तराल पर निरीक्षण की शर्त पर विमान की उड़नयोग्यता सतत् बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। यह जांच संबंधित एयरलाइन के प्रशिक्षित विमान अनुरक्षण इंजीनियर द्वारा की जाती है। प्रचालक, वर्ष में कम से कम 2 बार संगठन की अतिरिक्त लेखा-परीक्षा करवाने के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा स्पॉट जांच, निगरानी जांच तथा सुरक्षा लेखा-परीक्षा के माध्यम से प्रचालकों के अनुरक्षण क्रिया-कलापों की निगरानी की जाती है तथा जहां कहीं भी कमियां पाई जाती है नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सुधारात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1995 से दिनांक 17.3.2002 तक भारतीय सिविल पंजीकृत यात्री विमानों की हुई दुर्घटनाएं

क्र.सं.	तारीख/ स्थान	विमान	प्रचालक	हताहत	विमान को क्षति	विवरण/दुर्घटना के संभावित कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.7.1995 बड़ोदा	एफ-27 वीटी-ईडब्ल्यूई	ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस	शून्य	काफी क्षति हुई	पिस्टन टॉप छोर पर लॉकिंग व्यवस्था के फेल हो जाने के परिणामस्वरूप विमान की टचडाउन के दौरान स्लाइडिंग पिस्टन के बायीं मुख्य अवतरण गियर के पहिए के साथ अलग हो जाने के कारण दुर्घटना हुई।
2.	2.12.1995 दिल्ली	बी-737 वीटी-ईसीएस	इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड	शून्य	काफी क्षति हुई	दिल्ली हवाईअड्डे के प्रचालन अवधि की अधिसूचित समाप्ति के पूर्व शेष बचे अपर्याप्त समय में उड़ान को यथाशीघ्र पूरा करने की पायलट का अनुचित एवं अविवेकपूर्ण निर्णय, विमान की गति को सही समय पर कम करने में अनियंत्रित पहुंच और अवतरण से पहले स्पीड ब्रेक पर नियंत्रण रख पाने में हुई चूक के कारण दुर्घटना घटी।
3.	18.5.1996 कानपुर	एल-410 वीटी-ईटीबी	अर्चना एयरवेज	शून्य	काफी क्षति हुई	उच्च विमान टचडाउन स्पीड पर देर से टचडाउन के कारण दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप विमान धावनपथ से आगे निकलकर चारदीवारी से टकराया तथा विमान को क्षति हुई। धावनपथ का गलत चयन, विमान की ओवरलोडिंग, स्पायलरों की गैर तैनाती तथा अपेक्षित से कम दृश्यता दुर्घटना के सहायक कारक थे।
4.	11.7.1996 कुलु के पास	एल-410 वीटी-ईटीसी	अर्चना एयरवेज	09	नष्ट हो गया	दुर्घटना, संगठन में सुरक्षा जागरूकता, पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा प्रचालनात्मक नियंत्रण की पूर्ण कमी के कारण हुई।
5.	30.7.98 कोचीन	डोर्नियर डीओ-228 वीटी-ईजेडब्ल्यू	इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड	09	नष्ट हो गया	अपेक्षित हाई-लॉक फास्टनर के गैर-संस्थापन के कारण इसके एक्चुएटर फारवार्ड बीयरिंग सपोर्ट फिटिंग के आंशिक रूप से अलगाव के कारण दुर्घटना हुई।

1	2	3	4	5	6	7
6.	17.7.2000 पटना	बी-737/200 वीटी-ईजीडी	एलायंस एयर	60	नष्ट हो गया	दुर्घटना की जांच अदालत द्वारा जांच की गई है। तदनुसार, सरकार ने जांच अदालत की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय ग्रुप (एच.एल.जी.) का गठन किया है। एल.एल.जी. की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा यह सरकार के परीक्षाधीन है।
7.	2.1.2001 मसूरी	बेल-206 एल4 वीटी-एसपीए	स्पान एयर	05	नष्ट हो गया	विमान नियमावली, 1937 के नियम, 71 के अधीन दुर्घटना की जांच एक दुर्घटना निरीक्षक द्वारा की जा रही है।
8.	26.3.2001 ओझार, नासिक	पाइपर एजटेक वीटी-एएआई	अहमदाबाद विमानन अकादमी	शून्य	नष्ट हो गया	दुर्घटना के रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।
9.	8.5.2001 सेस्सा, अरुणाचल प्रदेश	डाफिन हेलीकॉप्टर वीटी-एकेएस	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड	07	नष्ट हो गया	वर्षा हो रही थी तथा क्षेत्र घने कोहरे से ढका था। हेलीकॉप्टर सेस्सा गांव में पहाड़ी से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
10.	13.5.2001 चिट्टागांव (बांग्लादेश)	पाइपर एरोस्टार एयरक्राफ्ट वीटी-एकेएस	कारसन एविएशन	शून्य	काफी क्षति हुई	दुर्घटना के रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।
11.	7.7.2001 अमरनाथ (जम्मू एवं कश्मीर)	चीता हेलीकॉप्टर वीटी-ईयूवाई	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	शून्य	नष्ट हो गया	रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
12.	30.9.2001 मैनपुरी, उत्तर प्रदेश	किंग एयर सी90ए वीटी-ईईएफ	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड	08	नष्ट हो गया	दुर्घटना की जांच समिति की रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।
13.	20.9.2001 त्रिवेन्द्रम	स्वाति वीटी-एसटीओ	केरल एविएशन ट्रेनिंग सेन्टर त्रिवेन्द्रम	शून्य	काफी क्षति हुई	विमान नियमावली, 1937 के नियम, 71 के अधीन दुर्घटना की जांच एक दुर्घटना निरीक्षक द्वारा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
14.	20.1.2002 मनाली	लामा एसए हेलीकॉप्टर वीटी-एचएचएस	हिमालयन हेलीसर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड	शून्य	नष्ट हो गया	विमान नियमावली, 1937 के नियम, 71 के अधीन दुर्घटना की जांच एक दुर्घटना निरीक्षक द्वारा की जा रही है।
15.	21.2.2002 इंदौर	बेल 430 वीटी एमपीएस	मध्य प्रदेश सरकार	शून्य	काफी क्षति हुई	विमान नियमावली, 1937 के नियम, 71 के अधीन दुर्घटना की जांच एक दुर्घटना निरीक्षक द्वारा की जा रही है।
16.	3.3.2002 कैकालुर	बेल 206 हेलीकॉप्टर वीटी-डीएपी	डक्कन एविएशन	03	नष्ट हो गया	विमान नियमावली, 1937 के नियम, 71 के अधीन दुर्घटना की जांच एक दुर्घटना निरीक्षक द्वारा की जा रही है।

केरल में पर्यटन विकास

2222. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री के. मुरलीधरन :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गयी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के दौरान, 7 परियोजनाएं स्वीकृत की गई तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान, 16 परियोजनाओं को केरल राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान, 122.65 लाख रुपए की राशि अवमुक्त की गई। वर्ष 2001-2002 में, केरल राज्य सरकार को, राज्य में पर्यटन के विकास तथा संवर्धन के लिए 284.16 लाख रुपए अवमुक्त करने के आदेश जारी किए गए।

[हिन्दी]

मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन के लिए सहायता

2223. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण जनता को मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इससे राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए राज सहायता प्रदान करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन तथा मुर्गीपालन के लिए ग्रामीणों को अथवा किसी व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं देती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार मधुमक्खी पालन तथा मत्स्य पालन से संबंधित अनेक ऐसी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जहां इन गतिविधियों के लिए राजसहायता दी जाती है। इन योजनाओं तथा राजसहायता की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, सरकार कुक्कुट पालन के लिए कोई राजसहायता नहीं देती है।

विवरण

मधुमक्खी पालन तथा मात्स्यिकी क्रियाकलापों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा

1. फसल उत्पादकता में सुधार लाने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास

इस योजना के तहत निम्नलिखित घटकों के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है:-

(क) अधिकतम 250/- रुपए प्रति कालोनी के अनुसार 50 प्रतिशत लागत की दर से मधुमक्खी कालोनियों को आबंटन

(ख) मधुमक्खी का छत्ता/उपकरण की 50 प्रतिशत लागत की दर से अथवा 350/- रुपए प्रति सेट, जो भी कम हो मधुमक्खी के छत्तों तथा मधुमक्खी के लिए उपकरण का वितरण

2. तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास

निम्नलिखित घटकों पर राजसहायता प्रदान की जाती है:-

(क) पारंपरिक मत्स्यन नौकाओं के मीटरीकरण के लिए आई.बी.एम. के लिए 12000/- रुपए की दर से तथा ओ.बी.एम. के लिए 10000/- रुपए की दर से राजसहायता दी जाती है।

(ख) 351.75/- रुपए प्रति किलोलीटर की दर से एच.एस.डी. तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(ग) 6000/- रुपए की दर से गीयर बाक्स की खरीद।

3. ताजा जल जलकृषि का विकास

निम्नलिखित घटकों पर राजसहायता प्रदान की जाती है:-

(क) तालाबों के नवीनीकरण/पुनर्निर्माण हेतु सामान्य श्रेणी के लिए 12000/- रुपए प्रति हैक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 15000/- रुपए की अधिकतम सीमा के साथ लागत की 25 प्रतिशत की दर से।

(ख) मछली आहार, मछली बीज, उर्वरक, खाद आदि के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 6000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 7500/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से।

(ग) अपनी भूमि में नए तालाबों तथा टैंकों के निर्माण के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 0.40/- लाख रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 0.50/- लाख रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से। पहाड़ी राज्यों/जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सभी किसानों के लिए 0.60/- लाख रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 0.75 लाख रुपए तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से।

(घ) पहाड़ी क्षेत्रों में बहते जल में मछली पालन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 4000/- रुपए तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5000/- रुपए तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से।

(ङ) सूअर पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन आदि के साथ एकीकृत मछली पालन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 16000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 20000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक लागत की 25 प्रतिशत की दर।

(च) 12500/- रुपए प्रति सैट तक लागत की 25 प्रतिशत की दर से एयरेटरों का प्रावधान।

(छ) केवल उद्यमियों के लिए छोटी ताजा जल प्रॉन बीज हैचरियों की स्थापना के लिए 1.60/- लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से।

(ज) मछली आहार यूनिटों की स्थापना के लिए 5.00/- लाख रुपए तक लागत की 20 प्रतिशत की दर से।

4. समेकित तटवर्ती जलकृषि

निम्नलिखित घटकों के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है:-

(क) खारा जल मछली फार्म का विकास/नवीनीकरण तथा प्रथम फसल आदान के लिए 30,000/- रुपए प्रति हैक्टेयर तक पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से

(ख) प्रॉन/झींगा बीज हैचरी की स्थापना के लिए 1.00 लाख रुपए प्रति हैचरी तक लागत की 10 प्रतिशत की दर से

5. मछुआरा कल्याण

निम्नलिखित घटकों के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है:

(क) घरों के निर्माण के लिए 40,000/- रुपए प्रति ड्वैलिंग यूनिट की दर से

(ख) बचत सह राहत के लिए तटवर्ती मछुआरों के लिए 600/- रुपए प्रति वर्ष की दर से तथा अंतर्देशीय मछुआरों के लिए 450/- रुपए प्रतिवर्ष की दर से

(ग) दुर्घटना बीमा-बीमा प्रीमियम पर राजसहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पदों का आरक्षण

2224. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असिस्टेंट हाइड्रोजिओलोजिस्ट्स समूह-ख सेवा के पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व का स्तर 15%, 7.5% और 27% तक पहुंच गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) असिस्टेंट हाइड्रोजिओलोजिस्ट्स समूह-ख के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) ऐसे पदों पर (1) अनुसूचित जाति (2) अनुसूचित जनजाति (3) अन्य पिछड़ा वर्ग और (4) सामान्य श्रेणियों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और दिनांक 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार ऐसे पदों पर उनकी अलग-अलग प्रतिशतता क्या है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सामान्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए कितने नए पद बने हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) में असिस्टेंट हाइड्रोजियोलोजिस्ट्स के स्वीकृत पदों की संख्या 159 है जिसमें से एक-तिहाई पद पदोन्नति के मार्फत तथा शेष दो-तिहाई पद संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा आयोजित जियोलोजिस्ट्स इग्जैमिनेशन के मार्फत सीधी भर्ती की प्रक्रिया से भरे जाते हैं। 2.7.1997 की स्थिति के अनुसार सेंट्रल ग्राउंट वाटर बोर्ड में 74 सामान्य वर्ग के तथा 9 अनुसूचित जाति (एस.सी.) के कार्मिक कार्यरत थे। पदोन्नति और सीधी भर्ती, दोनों वर्गों के तहत्, अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण प्रत्येक वर्ग के तहत कमी थी और 2.7.1997 से पूर्व अन्य पिछड़ी जातियों (ओ.बी.सी.) के लिए कोई आरक्षण नहीं था। गत पांच वर्षों के दौरान सेंट्रल ग्राउंट वाटर बोर्ड में बने पदों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
1997	5	8	4	23
1998	11	9	16	36
1999	7	4	9	24
2000	8	2	8	18
2001	5	2	13	22

श्रम रोजगार में गिरावट

2225. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री सुबोध राय :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम रोजगार में लगातार कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान दर्ज की गयी ऐसी गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारक बताये गये हैं; और

(घ) इस अधोगामी प्रवृत्ति को रोकने और विशेषकर बीड़ी उद्योग, बुनाई क्षेत्र आदि में लगे हुए मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। सर्वेक्षणों के परिणामों से पता चलता है कि देश में वार्षिक बेरोजगारी दर जो कि सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 1983-94 में लगभग 2% थी, वह 1994-2000 में घटकर 0.98% रह गई।

(ग) अर्थव्यवस्था में अपेक्षित दर से वृद्धि नहीं हुई।

(घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहत श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को सहायता

2226. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत ऋण प्रदान करने के किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितना ऋण देने का निर्णय किया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने ऐसी अनुमोदित वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केवल एक वर्ष (दो कार्य मौसमों) में पूरा करने के लिए विद्यमान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अब फास्ट ट्रेक परियोजनाओं का एक घटक शामिल किया है। इन परियोजनाओं को कार्य घटक के लिए 100 प्रतिशत ऋण प्रदान करके केन्द्र द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित किया जायेगा। जल संसाधन मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 500.00 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है।

विद्यालयों को निजी पार्टियों को सौंपा जाना

2227. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रीय विद्यालयों को निजी पार्टियों/ट्रस्टों को पट्टे पर सौंपे जाने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार कितने विद्यालयों को पट्टे पर दिया गया?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) कोयला विभाग कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं चलाता है। इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने सूचित किया है कि उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय को किसी पार्टी/ट्रस्ट को नहीं सौंपा है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत

2228. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अप्रैल, 2002 के दौरान नयी दिल्ली में पेसेफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का आगामी सम्मेलन आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के दौरान भारत को एक बड़े पर्यटक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गयी हैं;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए पर्यटन और ट्रेवल उद्योग को अधिक छूट/प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशों से आने वाले पर्यटकों को एक संयुक्त पैकेज देने हेतु पर्यटन मंत्रालय, नागर विमानन और रेल मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। पैसेफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पाटा) के 51वें वार्षिक सम्मेलन

की नई दिल्ली में 14 से 18 अप्रैल, 2002 तक मेजबानी की जा रही है।

(ख) अनेक कार्यक्रमों के प्रस्ताव हैं जिनमें -केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री द्वारा स्वागत संध्या की मेजबानी करना, जहां भारत के लोक नृत्य तथा व्यंजनों का प्रदर्शन शामिल है। इसके अलावा, 15 अप्रैल को उद्घाटन समारोह में भारतीय संस्कृति की सुगंध में नृत्यकला भी शामिल होगी, जबकि समापन समारोह में भारतीय वस्त्रों की समृद्ध विविधता को प्रस्तुत किया जाएगा।

पूर्व और बाद के सम्मेलन टूअरों के लिए प्रतिभागियों और उनके पति/पत्नी तथा मीडिया के लिए विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं।

(ग) भारत के लिए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, दिनांक 28.2.2002 को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यात्रा और पर्यटन उद्योग की सहायतार्थ विभिन्न रियायतों/प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

(घ) पर्यटन के संवर्धन और पर्यटन की वृद्धि में आने वाली अड़चनों और बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों तथा यात्रा और पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष पर्यटन संवर्धन कार्य बल का गठन पहले ही किया जा चुका है।

[अनुवाद]

विरासत स्थलों का विवरण

2229. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्कृति कोष द्वारा महाराष्ट्र में विकसित किये गये/विकास किए जा रहे विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय संस्कृति कोष द्वारा इन विरासत स्थलों को कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में जेपनिज ट्रस्ट फंड के माध्यम से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा विकसित किये जा रहे अथवा विकास के लिए प्रस्तावित विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जेपनिज ट्रस्ट फंड से इन स्थलों के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अन्तर्गत विकास के लिए दो केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, पुणे में शनिवारवाड़ा तथा मुंबई के निकट कन्हेरी गुफाओं, को अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) पुणे नगर निगम तथा अन्य एजेंसियों ने शनिवारवाड़ा पुणे के लिए 34.18 लाख रुपए की लागत वाले कार्यों के लिए वित्तपोषण किया है। किन्तु कन्हेरी गुफाओं के लिए कोई धन अभिनिर्धारित अथवा प्रदान नहीं किया गया है।

(ग) परियोजना के चरण I में, अजंता तथा एलौरा गुफाओं को समग्र उन्नयन के लिए चुना गया है जबकि औरंगाबाद जिला में पिथलकोरा गुफाओं को भूवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

(घ) परियोजना पर लागू निबंधन और शर्तों के तहत, वर्ष 2001-2002 में 7.29 करोड़ रुपए का व्यय प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है।

अभयारण्यों की राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में घोषणा

2230. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कुछ अभ्यारण्यों की राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में घोषणा करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चयनित अभयारण्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं और इन अभ्यारण्यों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में कब तक घोषित किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) राज्य सरकारें वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को स्थापित करने में सक्षम है।

समेकित पर्यटन सर्किट

2231. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री अनन्त नायक :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समेकित पर्यटन सर्किटों पर ध्यान केन्द्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से क्षेत्रों में इन सर्किटों की पहचान की गयी है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) जी, हां। राज्य सरकारों के साथ परामर्श से पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वार्षिक आधार पर छः यात्रा परिपथ विकसित करने का प्रस्ताव किया है। देश में परिपथ विकास के लिए वार्षिक योजना 2002-2003 में 41.50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है।

कृषि आदानों की लागत

2232. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत दो वर्षों के दौरान कृषि आदानों की लागत लगभग दुगुनी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसान कृषि पर निवेश की गयी धनराशि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों को कुछ राहत प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार कृषि क्षेत्र (पशुधन सहित) आदानों का मूल्य, जो वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 1998-99 में 93416 करोड़ रुपये था, वह वर्ष 2000-01 में बढ़कर 96716 करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) से (घ) सरकार अधिक निवेशों और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल उत्पादन की लागत कवर करता है अपितु निवेश करने और उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एक उचित मार्जिन को भी कवर करता है।

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान मुख्य उत्पादक राज्यों में गेहूं और धान के उत्पादन की अनुमानित लागत, निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, विवक्षित मूल्य और लाभ को दर्शाने वाले विवरण-I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान मुख्य उत्पादक राज्यों में गेहूं के उत्पादन की अनुमानित लागत, निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, विवक्षित मूल्य और लाभ

राज्य	वर्ष	ए. 2 + एफ. एल./क्वि.	सी. 2/ क्वि.	विव. मूल्य/ क्वि.	न्यू.स.मू./ क्वि. (रु.)	लागत ए.2 + एफ.एल. पर	लागत सी. 2 पर % लाभ % लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	1996-97	268.48	421.85	519.70	475	93.57	23.20
हरियाणा	1998-99	202.02	365.77	551.50	550	172.99	50.78
	1997-98	224.74	391.85	517.62	510	130.32	32.10
	1996-97	199.79	336.13	477.40	475	138.95	42.03
मध्य प्रदेश	1998-99	303.04	481.37	566.64	550	86.99	17.71
	1997-98	299.80	475.25	537.55	510	79.30	13.11
	1996-97	296.08	492.09	608.35	475	105.47	23.63

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	1998-99	314.81	427.46	605.07	550	92.20	41.55
	1997-98	303.93	417.66	573.41	510	88.67	37.29
पंजाब	1998-99	222.18	398.58	550.15	550	147.61	38.03
	1997-98	245.96	411.97	509.83	510	107.28	23.75
	1996-97	193.41	362.50	476.53	475	146.38	31.46
राजस्थान	1998-99	296.94	413.33	584.56	550	96.86	41.43
	1997-98	288.99	393.02	530.32	510	83.51	34.93
उत्तर प्रदेश	1997-98	236.40	362.65	501.49	510	112.14	38.28
	1996-97	233.17	362.56	509.76	475	118.62	40.60

लागत ए. 2 = उत्पादन में मालिक द्वारा नगद तथा वस्तु में खर्च किए गए सभी वास्तविक व्यय + लीज भूमि के लिए दिया गया लगान।
लागत ए. 2 + एफ.एल. = ए. 2 लागत + परिवार श्रम का आरोपित मूल्य
लागत सी. 2 = उत्पादन की कुल लागत (प्रति क्विंटल)
स्रोत = अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

विवरण-II

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान मुख्य उत्पादक राज्यों में धान के उत्पादन की अनुमानित लागत, निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, विवक्षित मूल्य और लाभ

राज्य	वर्ष	ए. 2 + एफ. एल./क्वि.	सी. 2/ क्वि.	विव. मूल्य/ क्वि.	न्यू.स.मू./ क्वि. (रु.)	(रु.)	लागत ए.2 + एफ.एल. पर % लाभ	लागत सी. 2 पर % लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	1997-98	241.80	373.42	418.03	415 (सी)	445 (ए)	72.88	11.95
	1996-97	241.24	377.16	414.20	380 (सी)	415 (एसएफ)	71.70	9.82
हरियाणा	1998-99	346.74	537.88	606.50	440 (सी)	470 (ए)	74.91	12.76
	1997-98	297.52	477.12	524.30	415 (सी)	445 (ए)	76.22	9.89
	1996-97	262.10	424.68	457.40	380 (सी)	415 (एसएफ)	74.51	7.70
उड़ीसा	1997-98	242.27	344.73	377.71	415 (सी)	445 (ए)	55.90	9.57
	1996-97	252.87	365.02	402.73	380 (सी)	415 (एसएफ)	59.26	10.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	1998-99	255.76	407.90	467.27	440 (सी)	470 (ए)	82.70	14.56
	1997-98	210.84	356.40	449.20	415 (सी)	445 (ए)	113.05	26.04
	1996-97	210.60	344.81	405.91	380 (सी)	415 (एसएफ)	92.74	17.72
उत्तर प्रदेश	1998-99	254.53	370.68	425.91	440 (सी)	470 (ए)	67.33	14.90
	1997-98	230.62	337.91	390.94	415 (सी)	445 (ए)	69.52	15.69
	1996-97	201.74	309.20	398.51	380 (सी)	415 (एसएफ)	97.54	28.88
प. बंगाल	1998-99	340.59	490.46	558.19	440 (सी)	470 (ए)	63.89	13.81
	1997-98	298.96	429.26	456.04	415 (सी)	445 (ए)	52.54	6.24
	1996-97	255.04	379.16	427.35	380 (सी)	415 (एसएफ)	67.56	12.71

सी. = सामान्य किस्म; ए. = ग्रेड ''ए'' किस्म; एस.एफ. = सुपर फाईन किस्म
लागत ए. 2 = उत्पादन में मालिक द्वारा नगद तथा वस्तु में खर्च किए गए सभी वास्तविक व्यय + लीज भूमि के लिए दिया गया लगान।
लागत ए. 2 + एफ.एल. = ए. 2 लागत + परिवार श्रम का आरोपित मूल्य
लागत सी. 2 = उत्पादन की कुल लागत (प्रति क्विंटल)
स्रोत = अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

[हिन्दी]

सहकारी समितियों को पट्टे पर दी गयी भूमि

2233. श्री विष्णुपद राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल की खेती के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई हेक्टेयर भूमि को सहकारी समितियों को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन सहकारी समितियों के नाम क्या हैं और इनकी पंजीकरण संख्या क्या है और शेयर धारकों के नाम क्या हैं;

(ग) पट्टे पर दी गयी भूमि की सर्वेक्षण संख्या, भू-क्षेत्र और अवधि क्या है;

(घ) पट्टे पर दी गयी भूमि से कुल कितना भू-क्षेत्र खाली पड़ा है तथा भू-क्षेत्र और सर्वेक्षण संख्या क्या है;

(ङ) कितने भू-क्षेत्र पर पुराने पेड़ खड़े हैं और उनकी सर्वेक्षण संख्या क्या है; और

(च) कितने भू-क्षेत्र में नये पौधे लगाये गये हैं और उनकी सर्वेक्षण संख्या क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) द्वीप समूह में पट्टे पर दी गई भूमि में से कोई क्षेत्र खाली नहीं पड़ा है।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(च) उपर्युक्त सरकारी समितियों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में उनके नारियल के पेड़ पहले से लगे हुए हैं। उक्त क्षेत्रों में लगाए गए नए पेड़ उन पेड़ों के स्थान पर लगाए गए हैं, जिन पर अब नारियल नहीं आते अथवा जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	सहकारी समिति का नाम	पंजीकरण की संख्या और तिथि	अंशधारियों के नाम
1.	रंगाचंग सहकारी भूमि सिण्डिकेट लिमिटेड, रंगाचंग, दक्षिणी अण्डमान	संख्या 1 तिथि 4.12.1946	सूची संलग्न
2.	सहकारी पशुधन समिति लिमिटेड वाइपर द्वीप, दक्षिणी अण्डमान	संख्या 3 तिथि 24.7.1947	सूची संलग्न
3.	नमूनाघर सहकारी भूमि सिण्डिकेट लिमिटेड, नमूनाघर दक्षिणी अण्डमान	संख्या 6 तिथि 4.6.1949	सूची संलग्न
4.	श्री पद्मनाभ सहकारी पौधरोपण समिति लिमिटेड, बिटापुर, मध्य अण्डमान	संख्या 57 तिथि 16.10.1957	सूची संलग्न
5.	शोल बे रबर पौधरोपण सहकारी समिति लिमिटेड, शोल बे दक्षिणी अण्डमान	संख्या 210 तिथि 5.2.1972	सूची संलग्न

31.3.1996 को अंशधारियों की सूची

रंगाचंग सहकारी भूमि सिण्डिकेट लिमिटेड, रंगाचंग

(दक्षिणी अण्डमान)

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	श्री आफताब अली
2.	श्री आशिक अली
3.	श्रीमती अनीश बेगम
4.	श्रीमती अंबिका देवी
5.	श्री अब्दुल रहमान
6.	श्री रतन लाल
7.	कुमारी अजगरी बेगम
8.	श्रीमती अनवरी बेगम
9.	श्रीमती अख्तरी बेगम
10.	श्री असगर अली
11.	श्री आफताब अली
12.	श्री आशिक अली
13.	श्री अहमद बख्श
14.	श्री आत्मा राम
15.	श्री म. अब्दुल कादिर
16.	श्रीमती बृज कुंवर
17.	श्री बिशन दास
18.	श्री मन सिंह
19.	श्रीमती कृष्णा कश्यप
20.	श्री विजय कृष्ण
21.	श्री बृज बिहारी
22.	श्री बृजेन्द्र लाल

1	2
23.	श्रीमती सम्मत कुमार
24.	श्री आई.जी. बाग्ची
25.	श्री चन्दु
26.	श्रीमती चम्पा देवी
27.	श्री दुर्गा प्रसाद
28.	श्रीमती धनवन्ती
29.	श्री आमिर बख्श
30.	श्री गुलसार अली
31.	श्री अब्दुल रहीम
32.	श्री गंगा राम
33.	श्री जार्ज
34.	श्री ग्यास मंशक
35.	श्री अजेश अग्रवाल
36.	श्री अहमद अली
37.	श्रीमती ज्ञानवती
38.	श्री हामिद अली
39.	श्री आशिक अली
40.	कुमारी बीजा बाई
41.	श्री हरीचरण
42.	श्रीमती नारायण कुंवर
43.	श्रीमती हैफन बीबी
44.	श्रीमती जौहरा बीबी
45.	श्रीमती हरबंस कुंवर
46.	श्रीमती सज्जन लाल
47.	श्रीमती हीरा देवी
48.	श्री इर्शाद अली
49.	श्री जोगेश्वर दास
50.	श्री नीरज

1	2
51.	श्रीमती जसोदा
52.	श्री जसवन्त सिंह
53.	श्री जगजीवन लाल
54.	कुमारी रतन कुंवर
55.	श्री सेसवर दास
56.	श्री जगदीश नारायण
57.	श्री कृष्ण लाल
58.	श्री कृष्ण बिहारी
59.	श्री शैरन निसा
60.	श्रीमती कमला कौर
61.	श्री कन्हैया लाल
62.	मैसर्स लोकल बोर्न एसोसिएशन
63.	श्री नवीन चन्द्र बासु
64.	श्री लछमन सिंह
65.	श्री लियाकत अली शाह
66.	श्री लक्ष्मी बाई
67.	श्री लच्छमन सिंह
68.	डा. मेशक प्रद
69.	श्री इसराइल इशाक
70.	श्री मोहम्मद अजीज
71.	श्रीमती मोबेइक बीबी
72.	श्री मोहम्मद हुसैन
73.	श्रीमती मिर्जन बीबी
74.	श्री मशूक अली शाह
75.	श्री हुराली लाल
76.	डा. मोहम्मद अली
77.	श्री नूर बख्श

1	2
78.	श्री राम मूर्ति
79.	श्रीमती नजमून निसा
80.	श्री परसराम
81.	श्री आजी महमूद अली
82.	श्रीमती फुल कुंवर
83.	श्रीमती प्रेम देवी
84.	श्री सरदा राम
85.	डा. राम रतन लाल
86.	श्रीमती हंसवत्ती
87.	श्रीमती रहमत बीबी
88.	श्री आर.सी. दास
89.	श्री राज पाल सिंह
90.	श्री बृज विद्या भूषण लाल
91.	श्रीमती रघुवंस कुंवर
92.	श्रीमती मोतमेद बीबी
93.	श्री रियाज मेशक
94.	श्री लच्मी
95.	श्री सिरी नारायण
96.	श्री आनन्त राव
97.	श्रीमती सुखदेवी
98.	श्री एम. मोहन रामगइया
99.	श्री सैम्युल मैथ्यु
100.	श्रीमती सायरा बेगम
101.	श्री सिरी कृष्ण
102.	श्रीमती शौलत अली
103.	श्री कृष्ण चरण
104.	श्रीमती सिरीन जौन बेगम

1	2
105.	श्री राजा लिंगम
106.	श्री युसफ हुसैन
107.	श्रीमती सुलेखा बीबी
108.	श्रीमती सैनब बीबी
109.	श्रीमती फरीदा बेगम
110.	श्रीमती जैनब बीबी
111.	श्री सत्य नारायण सिंह
112.	श्री परिचित सिंह
113.	श्री अर्जुन दास
114.	श्री हशमत अली
115.	श्री केसर दास
116.	श्री राजेन्द्र लाल सिंह
117.	श्री आजाद सिंह
118.	श्री रतीन्द्र लाल सिंह
119.	श्री सुरेश चरण दास
120.	श्री सुशील चरण दास
121.	श्री करीम बख्श
122.	श्रीमती हंस कुवंर
123.	श्री एन. जगदीश राव
124.	श्रीमती उर्मिला देवी
125.	श्री नारायण बिहार
126.	श्री जगत बिहारी
127.	श्री भगवान देई
128.	श्री संजीव रंगइया
129.	श्रीमती कमलेश रंगइया
130.	श्री चरनजीव रंगइया
131.	कुमारी सदाना रंगइया

1	2
132.	श्री मेवा लाल
133.	श्री चन्द्र बाम सिंह
134.	श्रीमती रोशन बालबी
135.	श्री सुहाश चन्द्र दास
136.	श्री कृष्ण लिंगम
137.	श्री शिव लिंगम
138.	श्री सरूप लाल
139.	श्री चमन बिहारी
140.	श्री शान्ति बिहारी
141.	श्री जॉन लोलियो
142.	श्रीमती नसीम बेगम
143.	श्री आजाद अली
144.	श्री धनपद राम
145.	श्री हरि किशन
	सहकारी पशुधन समिति लि. वीपर
1.	श्रीमती के.के. संदल
2.	श्री रतनम
3.	श्री के. कृष्णा स्वामी
4.	श्री लक्ष्मन सिंह
5.	श्री ओ.पी. सन्ताराम
6.	श्री सरूप सिंह
7.	श्री अब्दुल अजीम
8.	श्रीमती फातिमा
9.	श्री अब्दुल वसीम
10.	डा. आ.आर. कौशिक
11.	श्री मुमताज अली
12.	श्री हामिद अली
13.	श्री इरशाद अली
14.	श्री एम.आर. बालाकृष्णनन
15.	श्री आमिर पटैइया
16.	श्री ए.के. खान
17.	श्री सलेरी बख्श
18.	श्रीमती रशीदा बेगम
19.	श्रीमती मुस्ताक अली
20.	श्री निसार अली
21.	श्री जाहिर अली
22.	श्रीमती आनला बेगम
23.	श्रीमती समीमा बानो
24.	श्री जयश्वरी लाल
25.	श्री एफ.ए. रिजवी
26.	श्री इलप्पा
27.	श्री हरीराम
28.	श्रीमती रेसमन बेगम
29.	श्रीमती रेशमन बीबी
30.	श्री शियो सरूप
31.	श्री ज्ञान वती
32.	श्री अब्दुल हसन
33.	श्री मुल्लान
34.	श्री प्रौहानंद
35.	श्री के.एम. कृष्णास्वामी
36.	कुमारी राजेश कुमारी मूर्ति
37.	श्री हरीकृष्ण राव
38.	श्रीमती मुबारक बीबी
39.	श्रीमती सरवती

1	2
40.	श्री एच.एम. जडवत
41.	श्री वाई.एम. जड़वत
42.	श्री सी.एम. जड़वत
43.	श्रीमती खातिजा बीबी
44.	श्रीमती जुबैदा बीबी
45.	श्री अब्दुल माजिद
46.	श्री कृष्णा मूर्ति
47.	श्री सदाशिवम
48.	श्री समीर मुश्ताक
49.	श्री के. मथान
50.	श्री शौकत अली
51.	श्रीमती सुखदेवी
52.	हाजी फैजंद अली
53.	श्री चन्द्रभान सिंह
54.	श्री ब्रिज विशन लाल
55.	श्रीमती ताहिरा बेगम
56.	श्री मारी अप्पन
57.	श्री रविन्द्रन
58.	श्री सुरेन्द्र नाथ
59.	श्री पी.जे. सैमुअल
60.	श्री एम. स्लीवेंसन
61.	श्री एस.जी.ए. अल्वी
62.	श्री अनवर अली
63.	श्रीमती विद्यावती
64.	श्री एस.के. गांधी
65.	श्री थिमैया

1	2
	नमूनाघर सहकारी भूमि सिण्डिकेट लिमिटेड, नमूनाघर
	31.3.2001 तक अंशधारियों की सूची
1.	श्री स्वर्गीय बिजेन्द्र लाल
2.	स्वर्गीय डा. फ्रैड मिशेक
3.	स्वर्गीय राम रतन लाल
4.	श्री जगत राम
5.	श्री ओ.एन. नाग
6.	श्री तेलीराम
7.	श्री हरी किशन
8.	श्री अब्दुल रहीम
9.	श्री गोविन्द लाल
10.	श्री हरीराम
11.	श्री जगत नाथ
12.	श्री जगजीवन लाल
13.	श्री नरेन्द्र लाल
14.	श्री मनोरंजन लाल
15.	श्री मुकेश्वर लाल
16.	श्री अजीज हुसैन
17.	श्री मुकेश्वर लाल
18.	श्री एम.ए. शमीन
19.	श्री मकसूद अली
20.	श्री हसीना बीबी
21.	श्री साहा बेगम
22.	श्री हरी गोविन्द
23.	श्री वरुण
24.	स्वर्गीय वी. शि किशन
25.	श्री वैंकट रतनम

1	2
26.	श्री राजा राव
27.	श्री ए. रहीम
28.	स्वर्गीय वी. रामा कृष्णा
29.	श्रीमती प्रेम कुमारी
श्री पद्मनाभन सहकारी पौधरोपण समिति लिमिटेड, बिटापुर	
1.	श्री श्रीराम (अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी)
2.	श्री केशब पिल्ले (सचिव)
3.	श्री के.पी. गोपालन
4.	श्री ओ. कुमारम (उपाध्यक्ष)
5.	श्री चन्द्रन पिल्ले
6.	श्री एन. कृष्णा नायर
7.	श्री एन. भास्करन
8.	श्री कुंजामन
9.	श्री वाई. रामाकृष्णा पिल्ले
10.	श्री टी.सी. वेलू
11.	श्री शिवाशंकरन नायर
शोल बे रबर रोपण सहकारी समिति लिमिटेड, शोल बे 31.3.2001 तक अंशधारियों की सूची	
1.	श्रीमती ए. लीला (पत्नी अलवर्ट राज)
2.	श्रीमती वीरामल (पत्नी बी. मानस)
3.	श्रीमती वल्लाईमल
4.	श्री नोरेन विश्वास
5.	श्री ए.एस. विलियम
6.	श्री सैलवन्यागम
7.	श्री वी.एन. डैनियल
8.	श्री मनीराज
9.	श्री एम. कुप्पु स्वामी
10.	श्री जेम्स
11.	श्री डी. लश्कर
12.	श्री लश्कर
13.	श्री एम. वेल्लू मुथु
14.	श्री वी. थंगाइया
15.	श्री कलियप्पन
16.	श्री डी.वाई. वेथामुथु
17.	श्री आई. जोसफ
18.	श्री हरेन मलिक
19.	श्री समयारी सरदार
20.	श्री महादेव सरदार
21.	श्री एम. जोसावा
22.	श्री आई. सैम्युल
23.	श्री नागालिंगम

विवरण-II

क्र.सं.	सहकारी समिति का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्र	लीज अवधि का समय
1	2	3	4	5
1.	रंगाचंग सहकारी भूमि सिण्डिकेट लिमिटेड, रंगाचंग दक्षिणी अण्डमान	सर्वे संख्या 4, 6, 8, 9, 10 12, 17 और 32	187 एकड़ 6 कनाल 19 मरला	1.1.1959 से 30 वर्षों के लिए

1	2	3	4	5
2.	सहकारी पशुधन समिति लिमिटेड वाइपर द्वीप दक्षिणी अण्डमान	खसरा संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6	31.19 हैक्टेयर	2008 तक लीज पर
3.	नमूनाघर सहकारी भूमि सिण्डिकेट लिमिटेड, नमूनाघर दक्षिणी अण्डमान	सर्वे संख्या 109, 113, 114, 115, 130, 131 और 133	100 एकड़ 1 मरला	1.5.1949 से 30 वर्षों के लिए
4.	श्री पद्मनाभ सहकारी पौधरोपण समिति लिमिटेड, बिटापुर मध्य अण्डमान	सर्वे संख्या 24, 25, 26, 27 और 28	25 एकड़	1.3.1961 से 30 वर्षों के लिए
5.	शोल बे रबर पौधरोपण सहकारी समिति लिमिटेड, शोल बे दक्षिणी अण्डमान	सर्वे संख्या 281, 282, 283, 284 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305 और 306	69 एकड़	10.5.1972 से 30 वर्षों के लिए

विवरण-III

क्र.सं.	सहकारी समिति का नाम	भूमि का कुल क्षेत्र जहां पुराने पेड़ हैं	क्षेत्रफल	सर्वे संख्या
1	2	3	4	5
1.	रंगाचंग सहकारी भूमि सिण्डिकेट लिमिटेड, रंगाचंग, दक्षिणी अण्डमान	187 एकड़ 6 कनाल 19 मरला	187 एकड़ 6 कनाल 19 मरला	सर्वे संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 17 और 32
2.	सहकारी पशुधन समिति लिमिटेड वाइपर द्वीप दक्षिणी अण्डमान	31.19 हैक्टेयर	13.19 हैक्टेयर	
3.	नमूनाघर सहकारी भूमि सिण्डिकेट लिमिटेड, नमूनाघर दक्षिणी अण्डमान	100 एकड़ 1 मरला	100 एकड़ 1 मरला	सर्वे संख्या 109, 113, 114, 115, 130, 131 और 133

1	2	3	4	5
4.	श्री पद्मनाभ सहकारी पौधरोपण समिति लिमिटेड, बिटापुर, मध्य अण्डमान	25 एकड़	25 एकड़	सर्वे संख्या 24, 25, 26, 27 और 28
5.	शोल बे रबर पौधरोपण सहकारी समिति लिमिटेड, शोल बे दक्षिणी अण्डमान	69 एकड़	69 एकड़	सर्वे संख्या 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305 और 306

तमिलनाडु में गंगजीकोंडा चोलापुरम का विकास

2234. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध गंगजीकोंडा चोलापुरम को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 के लिए गंगजीकोंडा चोलापुरम, तमिलनाडु में बृहदीस्वन मंदिर के संरक्षण कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ग) सरकार ने तमिलनाडु में प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों/किलों/स्मारकों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में प्राचीन प्रसिद्ध भवनों/ढांचों से संबंधित कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐतिहासिक मंदिरों/किलों/स्मारकों सहित पर्यटक स्थलों/केन्द्रों का विकास और संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके, प्रत्येक वर्ष, प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हरियाणा के लिए विमान सेवाएं

2235. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1999 से हरियाणा के कौन-कौन से विभिन्न धार्मिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्रों में नयी विमान सेवाएं आरंभ की गयी हैं;

(ख) प्रत्येक हवाई अड्डे के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर वर्ष 2002-2003 के दौरान नयी विमान सेवाएं आरंभ किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) किसी भी अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा 2002-2003 के दौरान हरियाणा में कोई नयी विमान सेवाओं की योजना नहीं बनाई गई हैं।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किसी विमान क्षेत्र का अनुरक्षण कार्य नहीं किया जाता है। करनाल, हिसार और पिंजौर के उड़ान क्लब हरियाणा राज्य सरकार के हैं।

कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास

2236. डा. संजय पासवान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवधिक ऋण पर सरकार द्वारा अधिक जोर दिये जाने के परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचा संबंधी ऋण नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में अवरोध के प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी है;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार फसल बीमा संबंधी कार्य की गति को तीव्र करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एम.) को किसी एक मंत्रालय या तो कृषि मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। अवसंरचनात्मक ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास में निवेश बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की थी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.) के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण तथा संवितरण का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार के कार्य संचालन नियमों के आवंटन के अनुसार ''फसल बीमा विषय'' केवल कृषि मंत्रालय को आवंटित किया गया है।

विवरण

ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास कोष के अन्तर्गत राज्यवार स्वीकृति एवं संवितरण का विवरण

(18 जनवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	आरआईडीएफ-I		आरआईडीएफ-II		आर.आई.डी.एफ.-III		आरआईडीएफ-IV	
		स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	227.09	215.13	334.22	294.06	290.79	203.78	305.42	186.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	63.29	60.84	16.07	13.43	64.72	11.27
4.	बिहार	22.17	12.63	–	–	57.98	2.32	–	–
5.	छत्तीसगढ़	79.12	77.91	8.98	4.04	57.07	33.47	65.32	19.55
6.	गोवा	6.85	6.85	–	–	–	–	8.93	7.83
7.	गुजरात	150.90	145.47	133.79	111.44	160.60	130.12	136.36	71.33
8.	हरियाणा	26.70	19.33	61.06	52.31	74.98	54.23	56.25	30.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	14.23	14.23	52.96	52.83	51.12	45.25	88.58	66.51
10.	जम्मू और कश्मीर	6.14	6.04	8.06	0.57	35.95	16.23	105.87	61.36
11.	झारखंड	–	–	–	–	4.35	2.48	118.50	0.00
12.	कर्नाटक	172.63	159.48	195.21	167.81	170.84	150.40	173.87	134.38
13.	केरल	95.93	86.84	87.60	68.29	89.88	58.39	64.55	34.16
14.	मध्य प्रदेश	161.32	137.12	198.62	168.32	191.63	123.67	177.52	60.58
15.	महाराष्ट्र	186.81	169.87	231.66	203.36	254.31	228.19	301.98	198.83
16.	मणिपुर	1.75	0.96	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	3.39	3.39	–	–	7.06	6.36	9.33	6.68
18.	मिजोरम	2.38	2.37	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	1.38	1.38	–	–	–	–	0.72	0.00
20.	उड़ीसा	169.50	161.89	128.64	112.83	162.91	115.84	162.56	78.23
21.	पंजाब	60.50	60.50	62.50	62.05	88.85	84.05	115.94	61.25
22.	राजस्थान	123.51	116.86	151.50	125.77	162.88	128.37	72.29	24.51
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	21.29	17.57
24.	तमिलनाडु	–	–	245.79	218.85	195.11	168.67	176.56	127.95
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	21.70	9.33
26.	उत्तर प्रदेश	295.72	281.89	491.65	339.69	411.30	307.08	474.97	274.08
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	21.68	2.48	50.80	6.47
28.	पश्चिम बंगाल	102.52	81.84	156.94	135.45	173.55	149.96	214.32	157.34
	कुल	1910.54	1761.98	2612.47	2178.51	2678.89	2024.77	2988.35	1645.62

क्र.सं.	राज्य	आरआईडीएफ-V		आरआईडीएफ-VI		आरआईडीएफ-VII		कुल	
		स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	383.09	161.10	573.52	200.76	435.74	45.99	2549.87	1306.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.10	15.63	88.50	25.44	32.80	6.56	146.40	47.62

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	असम	196.14	84.23	49.57	0.00	–	–	389.79	169.67
4.	बिहार	9.51	0.00	43.71	0.00	85.07	–	218.42	14.95
5.	छत्तीसगढ़	34.10	6.59	50.86	10.17	20.76	–	316.21	151.73
6.	गोवा	–	–	19.09	2.81	–	–	34.87	17.49
7.	गुजरात	254.06	138.80	554.75	199.52	40.90	–	1431.36	796.68
8.	हरियाणा	99.07	32.56	67.43	17.43	98.20	7.13	483.69	213.40
9.	हिमाचल प्रदेश	112.80	62.53	135.03	42.60	138.75	12.96	593.47	296.91
10.	जम्मू और कश्मीर	110.88	49.32	161.52	40.21	37.80	6.85	466.22	180.58
11.	झारखंड	91.42	0.00	–	–	–	–	214.27	2.48
12.	कर्नाटक	173.85	89.91	303.13	32.88	220.66	–	1410.19	734.86
13.	केरल	127.58	61.40	186.33	52.49	72.99	–	724.86	361.57
14.	मध्य प्रदेश	228.87	46.33	292.79	63.94	253.40	10.19	1504.15	610.15
15.	महाराष्ट्र	350.28	200.61	439.17	93.26	277.39	–	2041.60	1094.12
16.	मणिपुर	–	–	8.33	0.00	–	–	10.08	0.96
17.	मेघालय	35.10	12.46	30.49	6.23	13.86	–	99.23	35.12
18.	मिजोरम	54.17	20.56	3.76	0.75	4.54	–	64.85	23.68
19.	नागालैण्ड	16.52	10.06	61.49	4.81	0.95	–	81.06	16.25
20.	उड़ीसा	134.62	43.89	107.43	41.25	129.45	0.48	995.11	554.41
21.	पंजाब	102.79	81.90	236.66	95.84	222.88	54.62	890.12	500.21
22.	राजस्थान	153.08	74.44	253.75	175.64	195.86	17.26	1112.87	662.85
23.	सिक्किम	8.72	5.54	4.55	3.61	3.50	0.33	38.06	27.05
24.	तमिलनाडु	254.01	158.49	261.84	104.32	153.03	21.53	1286.34	799.81
25.	त्रिपुरा	45.01	1.98	35.40	4.22	–	–	102.11	15.53
26.	उत्तर प्रदेश	348.94	93.64	247.72	46.41	235.52	–	2505.82	1342.79
27.	उत्तरांचल	4.98	0.00	–	–	–	–	77.46	8.95
28.	पश्चिम बंगाल	222.29	102.58	413.23	95.52	204.38	35.23	1487.23	757.92
	कुल	3576.98	1554.55	4630.05	1360.11	2878.43	219.13	21275.71	10744.74

स्वी. = स्वीकृत
संवि. = संवितरण

छत्तीसगढ़ में पर्यटन का विकास

2237. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटक स्थलों/केन्द्रों का विकास एवं संवर्धन सतत प्रक्रिया है। यद्यपि पर्यटक केन्द्रों को विकसित करने की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकार की है, किन्तु संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से प्रतिवर्ष विचार-विमर्श कर प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए पर्यटन विभाग वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान 250 लाख रुपए राशि की 16 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए प्राथमिकता दी गयी है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-2002 के लिए प्राथमिकता प्रदत्त 16 परियोजनाओं में से सभी तरह से पूर्ण व दिशानिर्देशों के अनुसार दो परियोजना प्रस्ताव ही प्राप्त हुए हैं। तथापि, धनराशि उपलब्ध होने पर ही अवमुक्त की जाएगी।

[अनुवाद]

समुद्र तट का भू-कटाव से बचाव

2238. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने समुद्र तट का भू-कटाव से बचाव के लिए वाह्य वित्त पोषण के रूप में 575 करोड़ की एक व्यापक मास्टर योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक राज्य सरकार के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार से वर्ष 1997 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग में कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए 575 करोड़ रुपये की एक व्यापक मास्टर योजना प्राप्त हुई थी। इस प्राक्कलन को समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एन.सी.पी.पी.) में शामिल किए जाने के लिए राज्य द्वारा संशोधित करके 150.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में तैयार की जा रही है। कर्नाटक सरकार ने अपना प्रस्ताव संशोधित करके 135.95 करोड़ रुपये कर दिया है और इसे केन्द्रीय जल आयोग को मार्च, 2002 में भेजा है। तटवर्ती राज्यों के प्रस्तावों में संशोधन किए जाने के कारण समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना में संशोधन हो रहे हैं। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संशोधित समेकित राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए भागीदार तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना है। ये प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) चूंकि राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना तैयार की जा रही है इसलिए इस अवस्था में इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार को कोई राशि स्वीकृत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, वर्ष 1991-92 के दौरान, समुद्री-कटाव कार्यों के लिए कर्नाटक सरकार को 0.93 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई थी।

अ.जा./अ.ज.जा. का आर्थिक विकास

2239. श्री भेरूलाल मीणा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्पूर्ण विकास के उद्देश्य से 1978 से विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.) और जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.) के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित/कार्यान्वित की जा रही आयार्जक योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए छठी, सातवीं, आठवीं, और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा प्राप्त की गई;

(घ) इस सम्बन्ध में कितना लाभ हुआ है और क्या लक्ष्य प्रांप्त किये गये हैं; और

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा. के आर्थिक विकास के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) सूचना संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान की सिंचाई परियोजना

2240. डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं कब से केन्द्रीय जल आयोग, योजना आयोग तथा मंत्रालय के पास लंबित पड़ी हुई है;

(ख) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय जल प्रबंधन के अंतर्गत राजस्थान में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(घ) इनके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) इन पर परियोजनावार तथा वर्षवार हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की गई राजस्थान की 8 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में से 4 परियोजना प्रस्तावों को कुछ शर्तों के आधार पर तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है तथा शेष 4 प्रस्तावों के संबंध में पत्राचार चल रहा है। इनका विस्तृत ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना फेज-I (एन.डब्ल्यू.एम.पी.-I) के तहत राजस्थान की 8 परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, राजस्थान के देर से शामिल होने के कारण इस पर कोई व्यय नहीं किया गया था। राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना फेज-I, 31 मार्च, 1995 को बंद कर दिया गया था।

विवरण

28.2.2002 तक राजस्थान के सिंचाई परियोजना प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति/लंबित होने के कारण
1	2	3	4	5
1.	पिपाल्दा लिफ्ट सिंचाई	11.39	12/9/96	अंतर्राज्यीय और वित्तीय पहलुओं संबंधी टिप्पणियों की अनुपालना वर्ष 12/97 से राज्य सरकार के पास लंबित है तथा इसके बाद राज्य सरकार को भेजी गई लागत और सिंचाई पहलुओं से संबंधित टिप्पणियां भी 2.2.2001 से लंबित हैं। राज्य सरकार से अनुपालना/उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.	यमुना जल का उपयोग, भरतपुर	172.96	18/7/96	राज्य सरकार के पास जुलाई, 2000 से अंतर्राज्यीय मामलों से संबंधित टिप्पणियां अनुपालना के लिए लंबित हैं। वर्ष 6/2000, 6/2001 और 12/2001 के दौरान राज्य सरकार को भेजी गई क्रमश: लागत पहलुओं, सिंचाई आयोजना पहलुओं तथा पर्यावरणीय पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में राज्य सरकार से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1	2	3	4	5
3.	यमुना जल का उपयोग, झुन्झुनू	273.00	20/1/98	हरियाणा और राजस्थान सरकारों को अपने-अपने भागों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था।
4.	विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण - इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I	121.92	मार्च, 1993	कुछ शर्तों के आधार पर तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया था।
5.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	733.59	4.1.2001	कुछ शर्तों के आधार पर तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया था।
6.	चकन सिंचाई	9.55	29/9/92	कुछ शर्तों के आधार पर तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया था।
7.	पिपलाद सिंचाई	21.88	24/2/93	2/93 को संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और 6/93 को राज्य इंजीनियरों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। राज्य सरकार को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना संबंधी कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियों की अभी अनुपालना करनी है। राज्य सरकार से 10/97 में संशोधित/अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसे अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8.	गरारदा सिंचाई	39.51	27/7/95	कुछ शर्तों के आधार पर तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया था।

रसायन उद्योगों का अन्यत्र स्थानांतरण/बन्द किया जाना

2241. श्री एम.ओ.एच. फारूक :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित, निजी/सरकारी क्षेत्र की ऐसी कम्पनियों/कारखानों/औद्योगिक इकाइयों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इनके नाम क्या हैं जिनसे निकसित विषैले रासायनिक पदार्थों तथा तरल की वजह से भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे जनस्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने ऐसी इकाइयों को बन्द करने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित करने के अनुदेश देते हुए नोटिस जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन इकाइयों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया/बन्द कर दिया गया, उनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र स्थानांतरित करने/बन्द करने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) विषाक्त रसायनों के विसर्जन के कारण औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए की जाने वाली कार्रवाई को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली 17 उद्योग श्रेणियों का अभिनिर्धारण किया गया है। पाण्डिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली इकाइयां 6 हैं जिनमें से एक को बंद कर दिया गया है और शेष पांच में मानकों का पालन करने हेतु पर्याप्त सुविधाएं हैं। पाण्डिचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन उद्योगों की मानीटरी कर रहे हैं। मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नियमत रूप से नोटिस जारी किए जाते हैं। पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों वाले उद्योगों को संचालन की अनुमति दी जाती है जबकि प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों की कमी वाले उद्योगों को अपनी प्रदूषण उपशमन सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। चूककर्ता उद्योगों की राज्य/संघ शासित प्रदेशवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) से (च) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली 17 उद्योग श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन में पर्याप्त सुधार हुआ है। त्वरित मॉनीटरी और अनुवर्ती के कारण इस समय कुल 1551 में से केवल 24 औद्योगिक इकाइयां ही हैं जिन्होंने अभी तक आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय नहीं किए हैं। सभी दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है और इनसे संबंधित मामलों की सुनवाई देश के विभिन्न न्यायालयों में की जा रही है। 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार जिन औद्योगिक इकाइयों को शिफ्ट/बंद किया गया है, का राज्यवार/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दोषी उद्योगों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाई का नाम और पता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. मैसर्स कोठागुंडम थर्मल पावर स्टेशन, पलोन्चा, खम्माम जिला आंध्र प्रदेश
2.	असम	1. मैसर्स बोंगाइगांव थर्मल पावर स्टेशन, बोंगाइगांव, असम
3.	बिहार	1. मैसर्स पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, पतरातू, हजारीबाग, बिहार
		2. मैसर्स बोकारो थर्मल पावर प्लान्ट (डी.वी.सी.) बी, बोकारो, बिहार
4.	मध्य प्रदेश	1. मैसर्स कॉक्स डिस्टिलरी नौगांव, छत्तरपर, छत्तीसगढ़
		2. मैसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, खापरी, कुन्हारी ड्रग, छत्तीसगढ़
		3. मैसर्स भिलाई स्टोल प्लान्ट, भिलाई, छत्तीसगढ़
		4. मैसर्स ग्वालियर शूगर कम्पनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
		5. मैसर्स सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, बेतुल, मध्य प्रदेश
5.	महाराष्ट्र	1. मैसर्स चन्द्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र
		2. मैसर्स कोराडी थर्मल पावर स्टेशन, कोराडी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र
		3. मैसर्स नासिक थर्मल पावर स्टेशन, पी.ओ. एकलहारे, महाराष्ट्र
		4. मैसर्स भुसावल थर्मल पावर स्टेशन, दीप नगर, महाराष्ट्र
		5. मैसर्स पर्ली वैजनाथ थर्मल पावर स्टेशन, बीड, महाराष्ट्र

1	2	3
6.	उड़ीसा	1. मैसर्स पारादीप फॉस्फेट्स लि. पी.ओ.पी.पी.एल. टाउनशिप, पारादीप, उड़ीसा
		2. मैसर्स राउरकेला स्टील प्लान्ट, राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़, उडीसा
		3. मैसर्स अस्का को-ऑपरेटिव शुगर एण्ड केमिकल्स लि., अस्का, उड़ीसा
		4. मैसर्स तलचर थर्मल पावर स्टेशन, जिला अंगुल, उड़ीसा
7.	उत्तर प्रदेश	1. मैसर्स ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट बी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश
		2. मैसर्स ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट ए, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश
		3. मैसर्स हरद्वारगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कासिमपुर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
8.	पश्चिम बंगाल	1. मैसर्स इंडिया आयल आयरन एण्ड स्टील कंपनी, बर्दवान, पश्चिम बंगाल
		2. मैसर्स दुर्गापुल स्टील प्लान्ट दुर्गापुर, पश्चिम बंगा...
		3. मैसर्स दुर्गापुर धर्मल पावर स्टेशन, दामोदर घाटी निगम, वर्दमान, पश्चिम बंगाल

विवरण-II

बंद की गई घोर प्रदूषणकारी इकाईयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

(31 दिसम्बर, 2001 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाईयों की कुल संख्या	स्थिति (इकाईयों की सं.)		
			बंद	सी#	दोषी##
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	173	29	143	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	15	3	11	1
4.	बिहार	62	22	38	2
5.	गोवा	6	0	6	0
6.	गुजरात	177	7	170	0
7.	हरियाणा	43	6	37	0
8.	हिमाचल प्रदेश	9	0	9	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8	3	5	0
10.	कर्नाटक	85	9	76	0

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	28	6	22	0
12.	मध्य प्रदेश	78	11	62	5
13.	महाराष्ट्र	335	24	306	5
14.	मणिपुर	0	0	0	0
15.	मेघालय	1	0	1	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	23	3	16	4
19.	पंजाब	45	6	39	0
20.	राजस्थान	49	6	43	0
21.	सिक्किम	1	0	1	0
22.	तमिलनाडु	119	2	117	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0
24.	के.शा. अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0
25.	के.शा. चण्डीगढ़	1	0	1	0
26.	के.शा. दमन और द्वीव, दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0
27.	के.शा.-दिल्ली	5	1	4	0
28.	के.शा.-लक्षद्वीप	0	0	0	0
29.	के.शा.-पांडिचेरी	6	1	5	0
30.	उत्तर प्रदेश	224	21	200	3
31.	पश्चिम बंगाल	58	17	38	3
	कुल	1551	177	1350	24

*छत्तीसगढ़ में अवस्थित उद्योगों सहित।
#मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं।
##मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किये गये इकाईयों का ब्यौरा

वर्ष	इकाईयों की कुल संख्या	बंद किया गया	सी*	दोषी**
1999	1551	153	1284	114
2000	1551	172	1326	53
2001	1551	177	1350	24

*पर्याप्त सुविधाएं हैं।
**मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं हैं।

अपूर्ण पर्यटन परियोजनाएं

2242. श्री अनन्त नायक :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं योजना के समय स्वीकृत की गई पर्यटन परियोजनाएं आज तक अधूरी पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यपालन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी कारकों की जांच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में किस-किस वर्ष मंजूर की गई थीं;

(च) इस प्रयोजनार्थ मंजूर तथा उपयोग में लायी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से सातवीं योजना से 2000-01 तक 3108 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें से 1757 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) पर्यटन विभाग ने परियोजनाओं को समय से पूरा करने की मानिटरिंग करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (ज) सातवीं योजना से 2000-01 तक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत/अवमुक्त की गई राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार 30 महीनों की अनुबंधित समयावधि के अन्दर परियोजनाओं को पूरा कर लें।

विवरण

सातवीं योजना से 2000-2001 तक राज्यवार स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1806.07	1230.01
2.	असम	2139.58	1018.77
3.	अरुणाचल प्रदेश	916.18	380.40
4.	बिहार	1551.93	670.44
5.	छत्तीसगढ़	115.28	36.75
6.	गोवा	1515.74	874.83
7.	गुजरात	2155.40	913.64
8.	हरियाणा	2288.93	1797.36

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	3208.14	2188.38
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2185.96	1497.23
11.	झारखण्ड	206.49	61.92
12.	कर्नाटक	3625.90	2331.57
13.	केरल	4452.23	2543.17
14.	मध्य प्रदेश	1700.70	863.76
15.	महाराष्ट्र	3581.77	1893.58
16.	मणिपुर	1662.65	622.12
17.	मेघालय	751.94	334.37
18.	मिजोरम	1584.42	1174.38
19.	नागालैण्ड	1261.17	893.43
20.	उड़ीसा	2596.30	1068.34
21.	पंजाब	1421.69	805.96
22.	राजस्थान	2847.06	1954.40
23.	सिक्किम	1304.06	776.96
24.	तमिलनाडु	2837.06	1746.16
25.	त्रिपुरा	2421.36	919.95
26.	उत्तरांचल	70.19	29.78
27.	उत्तर प्रदेश	3431.04	1968.40
28.	पश्चिम बंगाल	2468.91	1516.12
29.	अण्डमान और निकोबार	701.95	468.28
30.	चण्डीगढ़	260.75	131.81
31.	दादरा नागर हवेली	98.13	39.50
32.	दिल्ली	883.80	631.40
33.	दमन और दीव	213.41	121.78
34.	लक्षद्वीप	363.58	245.97
35.	पांडिचेरी	406.65	217.71
	महायोग	58037.18	33963.63

देश में अतिरिक्त विमान सेवाएं

2243. श्री के.पी. सिंह देव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2002-2003 के दौरान सरकार का उड़ीसा सहित, देश के अन्य भागों में अतिरिक्त विमान सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो नई विमान सेवाएं शुरू करने के लिए राज्य-वार किन-किन स्थलों की पहचान की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) क्षमता में कमी के कारण, वर्तमान में उड़ीसा के लिए अतिरिक्त विमान सेवाएं प्रदान करने की इंडियन एयरलाइंस की कोई योजना नहीं है। इंडियन एयरलाइंस 31 मार्च से अक्तूबर, 2002 की अवधि के दौरान भी अपनी ग्रीष्म समय-सारणी में किसी नए गंतव्य के लिए कोई विमान सेवाएं आरंभ नहीं कर रही है।

सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

2244. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजनावधि के दौरान देश में वानिकी संबंधी कोई परियोजना, विशेषकर सामाजिक वनीकरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस हेतु राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और क्या-क्या उपलब्धियां अर्जित की गई;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को विश्व बैंक अथवा किसी विदेशी संस्थान ने भी किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा एक नई पहल 2000-01 से आगे प्रायोगिक आधार पर इस दृष्टि से की गई है कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम इस समय चल रही विभिन्न वनीकरण स्कीमों के तहत धनराशियों के चलन को अभिसारित किया जा सके, क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों को समय से धनराशियां दी जा सकें और परियोजना क्रियान्वयन के सभी चरणों में और अधिक प्रभावी रूप से लोगों की सहभागिता हो सके। समन्वित ग्राम वनीकरण नामक यह योजना सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के उन चुनिन्दा प्रादेशिक/वन्यजीव प्रभागों में कार्यान्वित की जा रही है जिन्होंने नए वन विकास एजेंसी के नए विकेन्द्रीकृत ढांचे के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प को अंगीकृत किया है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई सामाजिक वनीकरण परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की निम्नलिखित मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जिनमें वनीकरण गतिविधियां शुरू की गई हैं, वे नवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जा रही हैं:-

(1) एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम।

(2) क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम।

(3) औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती वनोत्पाद का संरक्षण और विकास।

(4) भोगाधिकार हिस्सेदारी आधारित स्कीम के अंतर्गत अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना।

नवीं योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक कार्य-निष्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) से (छ) नवीं योजना के दौरान 16 विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं (विश्व बैंक और बाह्य अभिकरण सहित) परियोजनाओं के बारे में कार्यान्वित की जा रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

नवीं योजना अवधि के दौरान एफ.डी.ए. पद्धति से अंगीकृत एस.जी.वी.एस.वाई. स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एफ.डी.ए. का नाम	पायलट फेज के दौरान जारी की गई (2000-01 से 2001-02)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	खम्मम	98.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	नोम्पांग	62.88
3.	छत्तीसगढ़	बस्तर	65.51
4.	गुजरात	बड़ोदरा	85.49
5.	हरियाणा	गुड़गांव	331.00
6.	हरियाणा	सिरसा	141.70
7.	हरियाणा	यमुनानगर	88.47
8.	हरियाणा	महेन्द्रगढ़	89.93
9.	हरियाणा	हिसार	119.72
10.	हरियाणा	मोरनी-पिंजौर	80.00

1	2	3	4
11.	हरियाणा	कैथल	45.00
12.	हिमाचल प्रदेश	सुकेत	180.00
13.	हिमाचल प्रदेश	पालमपुर	40.00
14.	जम्मू और कश्मीर	डोडा	58.80
15.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	19.02
16.	जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग	38.04
17.	जम्मू और कश्मीर	बड़गांव	38.04
18.	कर्नाटक	बेल्लारी	43.25
19.	मध्य प्रदेश	गुना	337.00
20.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	142.23
21.	मध्य प्रदेश	दक्षिण सिवनी	297.01
22.	मध्य प्रदेश	पश्चिमी सिध्धी	180.45
23.	मध्य प्रदेश	उत्तरी सिवनी	145.90
24.	मध्य प्रदेश	सिहौर	148.96
25.	मध्य प्रदेश	दक्षिण छिन्दवाड़ा	119.83
26.	महाराष्ट्र	पश्चिम धुले	84.07
27.	महाराष्ट्र	पूर्वी नासिक	35.69
28.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	40.00
29.	महाराष्ट्र	नांदेड	25.00
30.	नागालैण्ड	तुएंनसांग	70.00
31.	नागालैण्ड	पेरेन	113.33
32.	पंजाब	मुक्तसर	25.00
33.	राजस्थान	उदयपुर (सी)	128.50
34.	सिक्किम	पूर्वी जिला	40.91
35.	तमिलनाडु	हरूर	76.47
36.	त्रिपुरा	पश्चिम जिला	25.75
37.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	299.21

1	2	3	4
38.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	98.10
39.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	114.28
40.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	191.16
41.	उत्तरांचल	लैंसडाऊन	40.38
		कुल योग	4404.84

विवरण-II

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-02) के दौरान वित्तीय प्रगति

वित्तीय (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एन.टी.एफ.पी.		आई.ए.ई.पी.एस.		ए.ओ.एफ.एफ.पी.		2000-01 तक ए.एस.टी.आर.पी.	
		स्वीकृत	जारी की गई	स्वीकृत	जारी की गई	स्वीकृत	जारी की गई	स्वीकृत	जारी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	815.77	688.55	1128.90	767.91	695.87	593.74	123.96	47.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	163.75	80.00	304.57	286.37	40.12	33.88	85.40	30.99
3.	असम	270.53	222.03	437.31	250.80	858.31	355.53	0.00	0.00
4.	बिहार	324.98	88.00	0.00	0.00	737.98	275.52	151.61	66.95
5.	गोवा	101.76	81.75	0.00	0.00	37.93	24.18	0.00	0.00
6.	गुजरात	764.99	564.58	748.48	728.19	1036.94	882.36	99.45	61.80
7.	हरियाणा	208.67	207.67	437.82	330.82	1437.04	1340.30	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	202.89	167.35	327.48	233.11	744.62	598.15	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	994.44	845.16	1801.76	1596.76	797.81	162.64	98.51	75.24
10.	कर्नाटक	320.90	302.08	847.43	660.42	900.22	706.91	132.50	88.14
11.	केरल	179.48	116.98	1926.19	1557.59	467.66	383.34	0	0.00
12.	मध्य प्रदेश	841.00	481.34	1711.05	1199.02	2110.30	1632.16	219.37	156.91
13.	महाराष्ट्र	298.71	280.17	1110.17	499.67	378.41	303.53	142.13	63.03
14.	मणिपुर	325.76	237.55	1697.46	1376.08	975.23	454.27	89.21	60.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मेघालय	133.92	77.39	44.56	24.91	123.83	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	308.29	277.01	604.55	538.74	854.73	825.17	59.67	44.55
17.	नागालैंड	209.10	106.00	329.19	246.47	77.65	24.10	59.02	15.80
18.	उड़ीसा	674.50	520.53	3779.72	1810.50	565.47	415.33	0.00	9.00
19.	पंजाब	158.75	78.50	507.31	123.99	1204.13	190.12	0.00	0.00
20.	राजस्थान	698.35	679.02	2047.98	1596.22	970.01	773.83	112.32	72.97
21.	सिक्किम	568.58	568.58	795.68	708.77	346.66	308.74	64.43	0.00
22.	तमिलनाडु	167.78	106.75	433.18	202.57	595.97	483.21	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	107.37	73.19	407.71	304.18	314.51	232.49	48.73	21.80
24.	उत्तर प्रदेश	377.87	153.87	229.39	203.15	1062.55	854.06	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	377.52	320.55	859.07	674.39	894.61	855.76	0.00	21.61
26.	पांडिचेरी	0.00	0.00	90.32	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	छत्तीसगढ़	143.23	110.52	364.55	266.18	67.13	88.20	40.00	0.00
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	1911.72	1594.10	381.80	184.11	0.00	0.00
29.	झारखंड	–	–	364.31	243.11	0.00	119.92	–	–
	कुल	9738.89	7435.12	25247.86	18044.14	18677.49	12981.63	1526.31	837.44

विवरण-III

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-02) के दौरान वास्तविक प्रगति

वास्तविक : क्षेत्र हेक्टेयर में

क्र.सं.	राज्य का नाम	एन.टी.एफ.पी.		आई.ए.ई.पी.एस.		ए.ओ.एफ.एफ.पी.	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9082	9057	14326	11584	15214	13071
2.	अरुणाचल प्रदेश	1820	900	3078	2288	1120	360
3.	असम	3322	1790	3600	2250	16800	10593
4.	बिहार	3225	0	0	0	10609	2698

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	2125	2125	3980	3321	3057	975
6.	गोवा	1160	965	0	0	500	465
7.	गुजरात	4795	4225	6890	6890	15365	13925
8.	हरियाणा	1250	1250	2995	2995	13175	10606
9.	हिमाचल प्रदेश	1611	1283	3460	2613	14015	11364
10.	झारखंड	0	0	3500	1510	0	0
11.	जम्मू व कश्मीर	8241	6190	16289	12550	16110	4288
12.	कर्नाटक	2246	2331	6872	6451	15244	10444
13.	केरल	1224	1053	12572	12036	4090	3203
14.	मध्य प्रदेश	7275	4821	18525	16963	61125	54341
15.	महाराष्ट्र	3101	2573	10235	3084	5474	4636
16.	मणिपुर	3660	940	12363	9808	14400	8270
17.	मेघालय	1400	915	500	250	3200	800
18.	मिजोरम	3300	3100	4500	4400	14000	14000
19.	नागालैंड	3247	1100	3850	1925	2280	293
20.	उड़ीसा	9000	8170	43855	31176	16665	15926
21.	पंजाब	1075	810	3270	1165	16222	2912
22.	राजस्थान	5200	5200	13800	10200	13383	13000
23.	सिक्किम	4500	4325	7500	700	5834	3858
24.	तमिलनाडु	1405	847	2000	250	14500	10500
25.	त्रिपुरा	1560	1091	5325	4178	9461	7562
26.	उत्तर प्रदेश	4270	1100	469	34	16879	14647
27.	उत्तरांचल	0	0	15600	14154	8965	4600
28.	पश्चिम बंगाल	2827	2562	5950	3868	14942	11942
29.	पांडिचेरी	0	0	448	0	0	0
	कुल	91921	68723	225752	166643	342629	249279

ए.एस.टी.आर.पी. योजना का राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि 16747 हैक्टेयर के विरुद्ध नवीं योजना के दौरान 10639 हैक्टेयर क्षेत्र को आवरण में लिया गया है।

विवरण-IV

बाह्य सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं का विवरण
चल रही परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निधीकरण अभिकरण	परियोजना का खर्च (करोड़ रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य ('000 हेक्टेयर में) रोपण	दान में दी गई दाता मुद्रा का प्रकार	जिस वर्ष शुरू की गई	जिस वर्ष पूरी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	431.51	369.0	108 (यू.एस.डी.)*	1992-93	1999-2000
2.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	353.92	355.0	77.4 (यूएसडी)*	1994-95	1999-2000
3.	हरियाणा में अरावली में सामान्य भूमि को पुन: स्थापित करना	ईईसी	48.15	33.0	23.20 ईसीयू	1990-91	1999-2000
4.	इंदिरा गांधी नहर के साथ चरागार का वनीकरण व विकास	ओईसीएफ (जापान)	107.50	61.5	7869 येन	1990-91	1999-2000
5.	अरावली पहाड़ों का वनीकरण	ओईसीएफ (जापान)	176.69	115.0	8095 येन	1992-93	1999-2000
6.	पश्चिमी घाट वानिकी परियोजना	डीएफआईडी (यूके)	84.20	61.0	3.19 यूकेएस	1992-93	1998-1999
7.	हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना कुल्लू मंडी	डीएफआईडी (यू.के.)	13.92	11.0	3 यूकेएस	1994-95	1999-2000
8.	मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	245.94	235.0	58.4 यूएसडी	1995-96	1999-2000
9.	एकीकृत गुजरात वानिकी विकास परियोजना	ओईसीएफ (जापान)	608.50	230.0	15760 येन	1995-96	2000-2001
10.	राजस्थान वानिकी परियोजना	ओईसीएफ (जापान)	139.18	55.0	4219 येन	1995-96	1999-2000
11.	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना	ओईसीएफ (जापान)	499.20	405.0	13324 येन	1996-97	2001-2002
12.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना	ओईसीएफ (जापान)	565.54	471.0	15968 येन	1996-97	2001-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	272.00	160.0	52 *यूएसडी	1997-98	2000-01
14.	पंजाब वानिकी परियोजना	ओईसीएफ (जापान)	442.00	59.0	6193 येन	1997-98	2004-05
15.	केरल वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	183.00	54.0	39 *यूएसडी	1998-99	2001-2002
16.	उत्तरांचल वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	100.00		19.98	2000-01 *यूएसडी	2002-03
	कुल योग		4271.25				

दीमापुर हवाई अड्डे पर इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग प्रणाली

2245. श्री के.ए. सांगतम : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दीमापुर हवाई अड्डा क्षेत्र में भूमि के एक बड़े हिस्से को असम राइफल्स ने अपने अधिकार में ले रखा है जिससे यहां रात्रि में विमानपत्तन प्राधिकारी विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हवाई अड्डा क्षेत्र के परिसर से असम राइफल्स को अन्यंत्र स्थानांतरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) असम राइफ्लस का तद्गत व्यवस्थापन तथा दीमापुर हवाई अड्डे पर इंस्ट्रुमेंट लैडिंग प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) जी, हां। दीमापुर एयरपोर्ट पर असम राइफल्स प्रशिक्षण केन्द्र (ए.आर.टी.सी.) के कब्जे में 18.15 एकड़ भूमि को जुलाई, 2002 के अंत तक खाली करा लिए जाने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है। तदुपरान्त इस हवाई अड्डे पर इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग प्रणाली एवं अन्य सहायक कार्यों को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

खान सुरक्षा के लिए नयी नीति

2246. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान सुरक्षा के लिए कोई नयी नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक तैयार किये जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (ग) खानों में नियोजित लोगों की सुरक्षा संबंधी उपबंध खान अधिनियम, 1952 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमनों में शामिल हैं और श्रम मंत्रालय इन्हें शासित करता है। श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि सुरक्षा कानूनों की निरंतर समीक्षा की जाती है और खनन उद्योग में हुई प्रगति के अनुसार इन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है। कानूनों का ऐसा संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है और यह खान सुरक्षा के लिए नीति में परिवर्तन नहीं है।

पत्रकारों को पेंशन

2247. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों के लिए पेंशन सुविधा स्वीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में बीस अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के पत्रकारों को पेंशन प्रदान करने का पहले से ही प्रावधान है। इसलिए, पत्रकारों को अलग से पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

तिलहन की खेती

2248. श्री सुबोध मोहिते : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस संदर्भ में कि देश अपनी तिलहन की आवश्यक मात्रा का 40% बाहर से आयात करता है, कृषकों का ध्यान खाद्यान्न की खेती से हटाकर तिलहन की खेती की तरफ लगाने के संबंध में कोई रणनीति तय की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अगले वित्त वर्ष में खाद्यान्न के निर्यात हेतु अधिक उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) किसानों को खाद्यान्न की खेती से तिलहनों की खेती की ओर प्रवृत्त करने के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है। बहरहाल, ''केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम'' के अन्तर्गत अपनाई गई नीतियों में से एक है आर्थिक दृष्टि से कम लाभप्रद फसलों का तिलहन से प्रतिस्थापन एवं समस्याग्रस्त क्षेत्रों/स्थितियों, जहां पानी की आपूर्ति अपर्याप्त है, में तिलहन की खेती करना, क्योंकि तिलहन फसलों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है।

(घ) से (च) खाद्यान्न सहित कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तथापि, खाद्यान्न सहित कृषि उत्पादों की अधिकतम मात्रा निर्यात करने का प्रयास किया जाता है और उत्पाद की गुणवत्ता एवं निर्यात हेतु अपेक्षित अन्य मानदण्डों पर जोर दिया जाता है।

चिलका झील में रहने वाली डालफिन मछलियों का मारा जाना

2249. डा. एन. वेंकटस्वामी :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 2002 के ''द पायनियर'' समाचार पत्र में ''टूरिस्ट बूम किलिंग चिलका डालफिन्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इनका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि चिलका प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी (वन्य जीव) ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं।

(घ) उड़ीसा राज्य सरकार के अधीन चिलका विकास प्राधिकरण द्वारा ''हेबिटेट ऑफ डालफिन इन चिलका लेक'' विषयक अध्ययन कराने संबंधी एक प्रस्ताव पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

''इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स'' को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना

2250. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान क्षेत्र अधिकांशतया सिंहभूम क्षेत्र में है जबकि ''इंडियन स्कूल आफ माइन्स'' धनबाद में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे सिंहभूम स्थित नवमण्डी में स्थानांतरित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) जी, हां। कुछ खनिज पट्टियां झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित हैं।

(ख) फिलहाल, ''इंडियन स्कूल आफ माइन्स'' धनबाद को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धनबाद के आस-पास भी बड़ी संख्या में खानें हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूध पर उपकर लगाना

2251. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों से आयातित दूध पर उपकर लगाने के मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और उसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों से दूध पर उप कर लगाने जैसे मसलों को अंतिम रूप देने के लिए ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि रसायनों द्वारा प्रदूषण

2252. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कृषि-रसायनों से भारी प्रदूषण और अन्य गंभीर किस्म की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका की इनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी (ई.पी.ए.) की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि कृषि कार्य की वजह से अमरीका की नदियों और जलस्रोत सर्वापेक्षा अधिक प्रदूषित हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत में भी ऐसे अध्ययन का प्रस्ताव किया गया है अथवा ऐसा अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गंभीर रूप से उभरती इस समस्या का सामना करने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि-रसायनों को जब अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग में लाया जाता है तो इनसे पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ''संयुक्त राष्ट्र में जल गुणता की स्थिति कांग्रेस, को प्रस्तुत 1998 के राष्ट्रीय जल गुणता सूची रिपोर्ट की रूपरेखा'' मूल्यांकित नदियों और नहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण कृषि है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता से कृषि रसायनों सहित गैर-बिन्दु स्रोतों द्वारा किए गए प्रदूषण संबंधी समस्याओं के मूल्यांकन हेतु प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया है।

[हिन्दी]

ट्रेवल एजेंसियों के विरुद्ध मामले

2253. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी ट्रेवल एजेंसियां फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोगों को विदेश भेजने के धंधे में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी एजेंसियों की अवैध गतिविधियों को रोकने और जनसामान्य के हितों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अंतर्गत, भारतीय नागरिकों को संविदात्मक आधार पर नियोजन हेतु विदेश भेजने के लिए भर्ती एजेन्टों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। सरकार से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ट्रेवल एजेन्ट विदेशों के लिए भर्ती करने का व्यापार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। तथापि, व्यक्तियों को विदेश भेजने के कार्य में लगे अपंजीकृत ट्रेवल एजेन्टों/व्यक्तियों के विरुद्ध समय-समय पर छुट-पुट शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे एजेन्टों/व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	1999	2000	2001
शिकायतों की संख्या	101	84	67

धोखाधड़ी करने वाले एजेन्टों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि धोखाधड़ी करने वाले एजेन्टों के घृणित क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखने और उनके विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए सीधे थाना स्तर तक के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जा सकें। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार द्वारा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत 41 अभियोजन अनुशास्तियां जारी की गयी थीं।

[अनुवाद]

अपव्यय

2254. श्री अमर रायप्रधान : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपनी अधीनस्थ विभागों में कतिपय ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें सर्वाधिक अपव्यय होने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने अपव्यय का पता लगा है; और

(घ) ऐसे अपव्यय को कम करने/रोकने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई क्षेत्र/सेक्टर नहीं हैं जहां से अपव्यय की सूचना मिली हो।

(ख) से (घ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित किया जाना

2255. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्ता): (क) और (ख) खाद्य पार्क की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव को छोड़ कर राजस्थान सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के वास्ते कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, क्योंकि प्रस्ताव में कई ब्यौरों का अभाव था इसलिए अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

[अनुवाद]

नदी-संस्तर का निकर्षण

2256. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश की सभी प्रमुख नदियों के संस्तर से कीचड़-गाद इत्यादि का निकर्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी में प्रसारित "चलो खेत की ओर" कार्यक्रम

2257. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से हिन्दी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में "चलो खेत की ओर" शीर्षक से एक प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किये जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी में हाल ही में आयोजित कृषकों के एक राष्ट्रीय सेमिनार में इस आशय की घोषणा भी की गई;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्यक्रम का प्रसारण कब से शुरू हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सीमित केन्द्रों पर हिन्दी में प्रसारित किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) आडियो स्पाट्स का निर्माण शुरू हो गया है। कार्यक्रम का प्रसारण आडियो स्पाट्स के पर्याप्त साफ्टवेयर स्टाक में उपलब्ध होने पर किया जाएगा ताकि कार्यक्रम के प्रसारण को जारी रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

भूमि अतिक्रमण

2258. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राजस्व अर्जित करने और अपनी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को लागू किए जाने के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आय का प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) जी हां। भूमि पर अनधिकृत कब्जे को रोकने के लिए सरकार सतत् प्रयासरत रहती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपनी भूमि से अनधिकृत कब्जे को हटाने तथा/अथवा उन्हें पुनर्वासित करने का मुद्दा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उठाया है; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि को अनधिकृत कब्जे से सुरक्षित रखने के लिए हवाई अड्डे के प्रचालनात्मक क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण किया जा चुका है तथा उसकी मरम्मत की गई है; हवाई अड्डे के चारों ओर आसानी से पहुंचने एवं अनधिकृत कब्जे पर निरंतर निगरानी रखने के उद्देश्य से चारदीवारी के साथ साथ पक्की सड़क का निर्माण; जुहू हवाई अड्डा, मुंबई के नेहरु नगर क्षेत्र, सी.एस.आई. हवाई अड्डा मुंबई के गांव देवी क्षेत्र तथा विले पार्ले पुलिस स्टेशन से लेकर बामनवाड़ा (एम.सी. छागला मार्ग के नाम से विख्यात 1995 के बाद निर्मित) तक के क्षेत्र से अनधिकृत कब्जे को हटाया जा चुका है; मुंबई में जारी मारी (रफीक नगर) क्षेत्र में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि से अनधिकृत कब्जे को स्थानांतरित करने/हटाने/पुनर्वासित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार की सहायता से जारी है। मुंबई हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक अनधिकृत कब्जे को महाराष्ट्र सरकार की सहायता से साल्ट पेन क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए उनकी पहचान की जा रही है तथा (उचित कानूनी प्रक्रिया तथा पी.पी.ई. निष्कासित कार्रवाई के पश्चात) एल.जी.बी.आई. हवाई अड्डा, गुवाहटी स्थित डेग संख्या 220 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लगभग एक एकड़ भूमि से अनधिकृत कब्जे को हटा दिया गया है।

आवश्यक प्रचालन संबंधी सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे की खाली भूमि के एक बड़े भाग को खाली रखा जाना अपेक्षित हो जाता है। बहुत से हवाई अड्डों पर ऐसे खाली क्षेत्र का मूल्यांकन कर लिया गया है जिसका उपयोग व्यावसायिक दृष्टि से किया जा सकता है। खाली भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए हैंगरों, कार्गो, गोदामों, फुटकर पेट्रोल निर्गमों, होटलों, रिर्सोटों, शापिंग प्लाजा आदि का निर्माण प्रारंभ किए जाने की योजना है। चूंकि ऐसी योजनाएं अभी आरंभिक अवस्था में हैं, अत: प्रतिशत में आय की होने वाली वृद्धि को बताया नहीं जा सकता है।

[अनुवाद]

मवेशी और भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना

2259. श्री राममोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मवेशी और भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना को लागू करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से 11.08 करोड़ रुपए जारी करने और 42.47 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विभाग को अगस्त, 2001 में 55.56 करोड़ रुपए का एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए राज्य अधिकारियों के साथ परामर्श से प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई थी।

(ख) और (ग) परियोजना अनुमोदन की प्रक्रिया में मामले को अनुमोदन के लिए व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले मूल्यांकन एजेंसियों से टिप्पणियां लेने पर विचार किया जाता है। योजना के लिए 4600.00 लाख रुपए के बजट अनुमान (2001-2002) की तुलना में विभाग ने 2001-2002 के लिए निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों के लिए आंध्र प्रदेश की आवश्यकता 1158.32 लाख रुपए तक होने का अनुमान लगाया है:-

(1)	संस्थागत पुनर्संरचना	130.00 लाख रुपए
(2)	मानव क्षमता विकास	99.32 लाख रुपए
(3)	हिमित वीर्य नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	869.00 लाख रुपए
(4)	नस्ल विकास/सांड उत्पादन	60.00 लाख रुपए
	कुल	1158.32 लाख रुपए

इन्हें अभी व्यय वित्त समिति का अनुमोदन मिलना है जिसकी बैठक 21.3.2002 को होने वाली है।

आन्ध्र प्रदेश में कपास उत्पादकों के समक्ष कीटनाशी दवाओं की कमी की समस्या

2260. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशी दवाओं को लाने ले जाने वाली अमरीकी कार्गो वाहकों पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण आन्ध्र प्रदेश में कपास उत्पादक कीटनाशक दवाओं की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में कपास उत्पादकों के लिए कीटनाशी दवाओं का अभाव नहीं है। फिर भी, आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने सूचना दी कि 1 सितम्बर के हमलों के बाद, संयुक्त राज्य अमरीका में वाणिज्यिक उड़ानों की अनिश्चितता तथा अनुपलब्धता के कारण, आन्ध्र प्रदेश राज्य में मैसर्स ई.आई. डूपोंट इण्डिया लिमिटेड द्वारा विनिर्मित "एवान्ट" तथा मैसर्स/डिनोसिल लिमिटेड द्वारा विनिर्मित "ट्रेसर" की आपूर्ति में विलम्ब हुआ है। लेकिन बहुत सी देश में ही विनिर्मित कीटनाशी दवाएं बाजार से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिनका प्रयोग इन दो कीटनाशी दवाओं के विकल्प के रूप में किया जा सकता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि अनुसंधान

2261. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय समर्थन के अभाव में देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा अनुसंधान लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी नहीं, किसानों को अनुसंधान का लाभ पहुंचाने के लिए देश में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा प्रणाली द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। ये निम्न प्रकार हैं:

* किसानों तथा विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, अग्रपंक्ति के प्रदर्शन आयोजित करने एवं खेत में ही परीक्षण हेतु 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना;

* कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्यों को शुरू करने के लिए 53 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को पुन: अधिदेशित करना;

* किसानों को प्रौद्योगिकी उत्पादों, नैदानिक सेवाएं तथा प्रौद्योगिकी सूचना प्रदान करने के लिए 40 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना; तथा

* संस्थान-ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के जरिए स्थान विशिष्ट के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा सुधार के लिए 70 केन्द्रों की स्थापना।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 347.70 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई।

धान की खेती

2262. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र समेत देश के कुल कितने क्षेत्र में धान की खेती की जाती है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में धान की खेती के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कराण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा धान की खेती वाले क्षेत्र में वृद्धि करने और विशेषकर महाराष्ट्र में धान के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारत स्तर पर तथा महाराष्ट्र में चावल की खेती के तहत क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

(क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में)

वर्ष	सम्पूर्ण भारत	महाराष्ट्र
1998-99	44.82	1.48
1999-2000	45.16	1.52
2000-2001	44.36	1.51

चावल के तहत क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) देश में चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए वृहत प्रबंधन स्कीम के अन्तर्गत आई.सी.डी.पी. चावल नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, चावल बीज मिनीकिट कार्यक्रम की एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम भी कार्यान्वित की गई है। महाराष्ट्र राज्य की सरकार भी इस संबंध में कई कदम उठा रही है जो निम्नलिखित है:-

(1) धान की संकर एवं उन्नत किस्मों के तहत क्षेत्र को बढ़ाना, (2) बीज प्रतिस्थापन अनुपात में सुधार करना, (3) उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का अन्तरण, (4) काटो एवं रोगों का समय पर प्रबंध, (5) संरक्षित सिंचाई के तहत क्षेत्र को बढ़ाना, (6) किसानों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित करना तथा किसानों को प्रशिक्षण देना।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में केन्द्रीय हिस्सा

2263. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में केन्द्रीय हिस्सा 50% से बढ़ाकर 66.66% करने संबंधी कुछ प्रस्ताव विचारार्थ महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार सहित कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय दायित्वों का अंश प्रतिमान 1:1 के स्थान पर 2:1 के अनुपात में करने का सुझाव दिया है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कवरेज के क्षेत्र विस्तार और भारत सरकार के सम्मुख संसाधनों की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय दायित्वों का अंश प्रतिमान 1:1 के अनुपात में ही बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास के लिए प्रस्ताव

2264. श्री राजो सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में स्वीकृत/अस्वीकृत/विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ग) प्रस्तावों की अस्वीकृति के क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ प्रतिवर्ष विचार-विमर्श कर प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

पिछले तीन वर्षों यथा 1998-99 से 2000-2001 के दौरान मार्गनिर्देशों को पूरा करने वाली विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों की 1110 परियोजनाओं को पर्यटन के विकास के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है।

[अनुवाद]

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर पक्षियों के टकराने से हुई दुर्घटनायें

2265. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.जी.आई. विमानपत्तन पक्षियों के टकराने के खतरे के प्रति संवेदनशील है;

(ख) यदि हां, तो क्या विमानपत्तन प्राधिकरण ने ऐसे खतरों को कम करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विमानपत्तन पर पक्षियों के टकराने संबंधी घटनाओं के मामलों में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आई.जी.आई.) हवाई अड्डे पर वर्ष 1999-2000 में चार तथा वर्ष 2000-2001 में पक्षियों से टकराने की तीन घटनाएं हुईं।

(ख) और (ग) पक्षी टकराव के कारण हवाई अड्डों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पक्षी टकराव को रोकने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:-

1. मशीन तथा हाथ द्वारा घास की नियमित कटाई।
2. गहरे क्षेत्रों को भरना तथा ड्रेनेज प्रणाली विकसित करना।
3. कीटनाशक का छिड़काव।
4. पोलिथीन बैग का इस्तेमाल कर कूड़ा-कर्कट को इकट्ठा करना तथा उनका उचित निपटान।
5. निशानेबाजों तथा पक्षियों को भगाने वाले कर्मियों की तैनाती।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्थानीय नगर पालिकाओं के साथ समन्वयन कर निम्नानुसार कार्रवाई करने की सलाह देता है:-

(क) मृत जानवरों की खुले स्थान में चमड़े निकालने पर रोक तथा आधुनिक कारकेस प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना।

(ख) हवाई अड्डों के आस-पास से झोपड़-पट्टियों को हटाना।

(ग) इनासिनिटेटर या गारबेज प्रोसेसिंग प्लांटों को लगाना।

(घ) पक्षियों को भगाने के लिए तेज आवाज करने वाली जोन गन्स तैनात की गई है।

(ङ) नगरपालिका अधिकारियों के साथ इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्रों का साप्ताहिक निरीक्षण किया जा रहा है।

(च) रनवे पर कीड़ों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए रनवे के किनारे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है।

(छ) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर तथा आस-पास के वृक्षों की नियमित रूप से छंटाई की जा रही है ताकि पक्षी वहां घोसले न बना सके।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा मुफ्त यातायात सुविधाओं का दुरूपयोग

2266. श्री अम्बरीश: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अपने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को छुट्टी/यातायात सुविधाएं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी सुविधाओं पर एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी इन सुविधाओं के दुरूपयोग के दोषी पाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। दोनों ही एयरलाइनें समय-समय पर सेवा शर्तों के आधार पर उनके द्वारा प्रचालित सेक्टरों पर अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार वालों के लिए नि:शुल्क/रियायती विमान पास जारी करती हैं। ये सभी नि:शुल्क/रियायती पास, उड़ान पर राजस्व यात्रियों को स्वीकार करने के पश्चात् सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अत: विमान में भोजन पर नाममात्र की लागत के अतिरिक्त अन्य कोई लागत नहीं पड़ती है। कर्मचारीगण अपनी हकदारी के अनुसार अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर, विदेश यात्रा कर तथा यात्री सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटकों द्वारा कर्नाटक का भ्रमण

2267. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी;

(ख) कर्नाटक में ऐसे स्मारकों/ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का ब्यौरा क्या है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) वर्ष 1999 तथा 2000 के दौरान कर्नाटक में पर्यटकों के आगमन की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	पर्यटकों आगमनों की संख्या
1999	16.13 मिलियन
2000	18.21 मिलियन

वर्ष 2001 के लिए ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कर्नाटक में पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करने वाले विभिन्न स्मारकों/स्थलों में सम्मिलित हैं- सोमनाथ पुरा में केशव मन्दिर, हम्पी में विट्ठल मन्दिर तथा जनाना अहाता, बैल्लारी फोर्ट, चित्रदुर्ग फोर्ट, दरिया दौलत बाग तथा टीपू सुल्तान पैलेस।

(ग) घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को अधिक आकर्षित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में, राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में पर्यटन विकास बनाए रखना, पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना, भारत के विद्यमान पर्यटन उत्पादों में सुधार करना तथा नई मार्किट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इनका विस्तार करना, विश्वस्तर की अवसंरचना का सृजन करना, सतत एवं प्रभावी विपणन योजनाएं एवं कार्यक्रम विकसित करना, ग्रामीण एवं लघु खण्ड पर्यटन पर विशेष बल देना तथा सभ्यता मामलों एवं नागरिक प्रशासन तथा अच्छे शासन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित मामलों पर ध्यान देना शामिल है।

भूमिगत जल के संबंध में कार्यशाला

2268. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमिगत जल के स्तर को ऊपर उठाने और वर्षाजल संचयन संबंधी एक दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल में बंगलौर में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो जिन मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यशाला द्वारा क्या सिफारिशें की गई और उनमें से सरकार द्वारा किन्हें मंजूरी दी गई;

(घ) क्या कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) बंगलौर में 22 और 23 दिसम्बर, 2001 को भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन पर हुई कार्यशाला के दौरान जिन

मुख्य बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया था, उनमें हैंडपंप/ बोरवेल पुनर्भरण संरचना, पारंपरिक जल संचयन संरचना (वर्षा जल संचयन), भूजल पुनर्भरण और एकीकृत जल प्रबन्धन कार्यनीतियों में सामुदायिक भागीदारी शामिल थी।

(ग) से (ङ) कार्यशाला में की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारों को उपरोक्त राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना है।

विवरण

* सभी राज्य भूजल पुनर्भरण प्रणालियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के अतिरिक्त अति-दोहन के निषेध, भूजल की निकासी और प्रबन्धन के नियंत्रण और विनियमन विभिन्न उपयोगों के लिए जल के मूल्य निर्धारण को शामिल करते हुए व्यापक भूजल कानून बनाएंगे।

* सरकारें जल क्षेत्र संबंधी व्यापक और संपूर्ण नीति बनाएंगी जो कि व्यक्तियों, उद्योगों और संस्थानों सहित सभी प्रयोक्ताओं और दावाधारकों पर लागू होंगी।

* सरकारें संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में शामिल पेयजल, लघु सिंचाई, जल विभाजक विकास और संबंद्ध क्षेत्रों संबंधी सिद्धान्तों और नीतियों के अनुसार स्थानीय स्व-सरकारों को शक्ति प्रदान करेंगी।

* भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं और संबंधित सामुदायिक परिसंपत्तियों के सफल निर्माण, कार्यान्वयन, स्वामित्व, प्रचालन और रख-रखाव के लिए अपेक्षित कौशलों के विकास के वास्ते ग्राम और ग्राम पंचायत स्तरीय क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक सतत अभियान चलाया जाएगा।

* सरकार पेयजल के पारंपरिक जल स्रोतों को बढ़ावा देने और इस समय निष्क्रिय स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करेगी।

* सरकार जल के अविवेकपूर्ण दोहन के बुरे प्रभावों और जल संरक्षण के सकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली सूचना, शिक्षा और संचार प्रणालियों को बढ़ावा देगी।

* सरकारें देश के विभिन्न भागों में व्यवहार में लाई जा रही सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के प्रलेखन तथा प्रचार-प्रसार के विकास को प्रोत्साहित करेंगी और बढ़ावा देंगी।

* राज्य जल से संबंधित अथवा संबद्ध विभागों की कार्य प्रणाली के समन्वय के लिए एक साझा मंच स्थापित करेंगे।

* केन्द्र और राज्य जल आयोग और संरक्षण से जुड़ी सरकारी स्कीमों को सरल, एकरूपात्मक और कारगर बनाएंगे।

खाद्य और खाद्य उत्पादों में विषाक्तता

2269. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशकों के प्रयोग से खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य और खाद्य उत्पादों में विषाक्त तत्वों पर नियमित निगरानी हेतु कोई उचित प्रणाली नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सी.आई.आई., खाद्य और कृषि संगठन (संयुक्त राष्ट्र), स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यशाला में इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या था; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत गठित पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार कीटनाशियों का प्रयोग करने से खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता है।

(ग) से (ङ) भारत में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता तंत्र को राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के माध्यम से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग संघ (सी.आई.आई.), स्वास्थ्य मंत्रालय तथा खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दिनांक 4-6 फरवरी, 2002 को एक कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें कीटनाशियों के अवशिष्ट स्तर से संबंधित मानदण्डों के निर्धारण के बारे में एक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जो खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 तथा खाद्य अपमिश्रण रोकथाम नियम, 1955 के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेवार है, से देश में

खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करते रहने के बारे में समय-समय पर अनुरोध किया जाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति

2270. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने आपदा उपशमन संबंधी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना में आपदा उपशमन के विभिन्न स्तरों में विभिन्न एजेन्सियों को विधायी समर्थन की बात कही गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

उड़ान निषिद्ध क्षेत्र

2271. श्री ए. नरेन्द्र :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :
श्री के. येरननायडू :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने नागर विमानन मंत्रालय से परमाणु प्रतिष्ठानों के ऊपर के हवाई गलियारों को उड़ान निषिद्ध क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) संबंधित सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नो फ्लाई जोन पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं।

मृदा नमूनों के संग्रहण के लिए लक्ष्य

2272. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान मृदा नमूनों के संग्रह हेतु निर्धारित 54,000 और 30,000 लक्ष्य के मुकाबले केवल 21,466 और 20,021 नमूनों का ही संग्रह किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है लेकिन आवंटन के मुकाबले उपयोग काफी कम रहा; और

(ग) यदि हां, तो कार्यनिष्पादन बेहतर बनाने और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) राज्यों तथा उर्वरक उद्योग द्वारा देश में स्थापित 514 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में 6.4 मिलियन मृदा नमूने प्रति वर्ष थी। क्षमता का औसत उपयोग 73% था। राज्यों द्वारा अपने स्वामित्व की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए धनराशि दी जाती है जबकि उर्वरक उद्योग द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं के लिए धनराशि उर्वरक उद्योग ही देता है। इन प्रयोगशालाओं के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कृषि मंत्रालय राज्यों को क्षमता उपयोग में सुधार करने एवं सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर परामर्श देता है।

विलंबित परियोजनायें

2273. श्री रघुनाथ झा : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** विलंबित परियोजनाओं के बारे में 8.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1579 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी बड़ी परियोजनाओं के लिये विवाद निपटान बोर्ड का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में कई विवादों का निपटान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ङ) क्रियान्वयन/पूरी होने के लिए अब भी लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित हैं तथा देरी के क्या कारण हैं;

(च) क्या उनमें से कुछ लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें समाप्त न करने के क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) सभी बड़ी परियोजनाओं के लिए विवाद निपटान बोर्ड का गठन करने के प्रस्ताव से सरकार सहमत नहीं है। इसलिए, संशोधित विवाचन एवं समाधान अधिनियम 1966 के अनुसार विवादों के निपटान के विद्यमान प्रावधान जारी रहेंगे।

(ङ) 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार 458 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं जो हमारे प्रबोधन पर हैं। इनमें से 148 परियोजनाएं अपनी संशोधित अनुमोदित समय अनुसूची के संदर्भ में उनके अनुसूची से पीछे चल रही हैं। विलंब के कारण परियोजना-दर-परियोजना भिन्न-भिन्न होते हैं और सामान्यतया ये हैं:- प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक विलंब, भूमि अधिग्रहण में विलंब, ठेके प्रदान करने में विलंब, सिविल ठेकेदारों की असफलता, उपस्करों की आपूर्ति एवं निर्माण में विलंब तथा दोषपूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रिया। विलंब की अवधि सहित विलंबित परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(च) और (छ) 34 परियोजनाएं विभिन्न कारणों से प्रगति नहीं कर पा रही हैं तथा उन्हें बंद कर दिया/छोड़ दिया गया है। विलंब के कारणों सहित ऐसी परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	क्षेत्र	परि. की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)			लागत वृद्धि वाली परियोजनाएं				मयवृद्धि वाली परियोजनाएं			
			अद्यतन अनुमोदित	प्रत्याशित लागत	लागत वृद्धि(%)	सं.	अद्यतन अनुमोदित	प्रत्याशित लागत	% वृद्धि	सं.	अद्यतन अनुमोदित	प्रत्याशित लागत	अवधि (माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	परमाणु ऊर्जा	7	10971.3	11310.3	3.1	1	6421.0	6760.0	5.3	3	184.1	184.1	21-81
2.	नागरिक विमानन	11	436.5	487.4	11.7	4	131.0	190.4	45.4	5	237.2	242.0	9-27
3.	कोयला	54	10764.0	10646.9	-1.1	3	3127.2	3143.1	0.5	17	5037.6	4907.8	2-96
4.	उर्वरक	3	632.8	632.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	509.4	509.4	17-17
5.	सू. एवं प्र.	4	215.8	215.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	4	215.8	215.8	30-57
6.	खान	3	3783.4	3783.4	0.0	0	0.0	0.0	0.0	3	3783.4	3783.4	6-30
7.	इस्पात	7	772.4	807.8	4.6	3	521.3	556.8	6.8	5	684.5	712.3	2-51
8.	पैट्रोलियम	48	34942.4	34332.8	-1.7	3	2390.0	2584.0	8.1	10	2923.9	2739.5	1-52
9.	विद्युत	35	46039.2	52058.2	13.1	11	22441.0	28460.0	26.8	12	21271.8	26759.9	5-48
10.	स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण	3	710.9	780.9	9.8	1	19.0	89.0	368.0	0	0.0	0.0	0-0
11.	रेलवे	201	31489.1	40952.3	30.1	130	19826.3	29427.8	48.4	47	9534.4	12625.6	9-132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	भूतल परिवहन	66	36992.3	39080.0	5.6	26	3775.5	5951.8	57.6	30	3075.4	4658.1	1-132
13.	दूरसंचार	8	521.2	521.2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	383.6	383.6	3-72
14.	शहरी विकास मंत्रालय	8	5247.3	8651.6	64.9	6	5190.7	8595.0	65.6	6	5084.5	8438.2	6-67
	कुल	458	183518.5	204261.4	11.3	188	63842.9	85757.8	34.3	148	52925.5	66159.5	

विवरण-II

31.12.2001 तक ठप्प परियोजनाओं की सूची

इकाई (लागत/व्यय करोड़ रु. में)

क्र.स.	परियोजना जिला (राज्य)	क्षमता	सरकारी अनु. की तारीख मूल (संशो)	चालू होने की तारीख		लागत		मूल (संशोधित) पर लागत वृद्धि का %	संचयी व्यय	कारण
				मूल (संशो)	प्रत्याशित	अनुमोदित मूल (संशो).	प्रत्याशित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्षेत्र : कोयला										
बी.सी.सी.एल.										
1.	डी एंड एफ रोपवे धनबाद बिहार	4.00 एमटीवाई	1987/01	1990/01	एन.ए.	16.12	21.32	32	4.15 0	भौतिक/ तकनीकी समस्याएं
2.	पाथेरडीह वाशडी : आधु. धनबाद बिहार	2.00 एमटी	1998/02 1994/12	1992/03 1998/03	1998/03	29.43 48.49	48.49	65 0	8.89	-वही-
3.	बब्लाक-3 ओ सी धनबाद, बिहार	0.45 एमटीवाई	1991/08	1998/03	एन.ए.	45.97	45.97	0	15.55	आग की समस्या
4.	विश्वकर्मा ओ.सी. धनबाद, बिहार	0.7 एमटीवाई	1997/08	2001/03	2002/03	44.74	44.74	0 0	0.84	भूमि और निधियों की कमी
सीसीएल										
5.	करमा ओ सी महाराष्ट्र	0.80 एमटीवाई.	1990/12	1996/03	एन.ए.	47.40	47.40	0	1.64 0	भौतिक/ तकनीकी समस्याएं
6.	हिंदगीर ओ सी हजारीबाद बिहार	0.78 एमटीवाई.	1991/03	1995/03	एन.ए.	41.48	-	एन.ए.	0.23	भौतिक/ तकनीकी समस्याएं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	परेज पूर्वी यूजी हजारीबाग, बिहार	0.30 एमटीवाई	1992/09	1999/03	एन.ए.	29.34	29.34	0	1.10	भूमि समस्या
8.	तारमी ओसी बोकारो बिहार	0.50 एमटीवाई	1991/05	1995/03	एन.ए.	29.55	29.55	0	0.23	भौतिक/ तकनीकी समस्याएं
9.	जिरडिह ओसी	0.60 एमटी	1991/03	1993/04	एन.ए.	48.83	48.83	0 0	–	-वही-
	सेल									
10.	चरचूआ पश्चिम पीएसएलडब्ल्यूजी मध्य प्रदेश	0.65 एमटीवाई	1994/12	1998/03	एन.ए.	48.61	48.61	0	–	डीजीएमएस द्वारा तकनीकी पर अंतिम निर्णय एवं अनुमोदन लिया जाना है।
	ईसीएल									
11	लोडा यू जी बंकुरा प. बंगाल	0.68 एमटीवाई,	1989/03	1996/03	एन.ए.	49.34	49.34	0 0	0.80	भौतिक/ तकनीकी समस्याएं
12.	राजमहलओसी गोंडा, बिहार	1.5 एमटी	1996/09	2002/03	एन.ए.	48.86	46.86	0 0	–	एनटीपीसी द्वारा कम उठान तथा निधियों की कमी
	एमसीएल									
13.	इंनचेप लाजकुरा कमलेश्वरी उड़ीसा	5.10 एमटीवाई	1991/03	1995/03	एन.ए.	49.19	49.19	0 0	–	निधियों की कमी
	डब्ल्यूसीएल									
14.	एएमबी-रिवर डिवाईजर		1993/04	1997/03	एन.ए.	27.99	एन.ए.	0.01		भौतिक/ तकनीकी समस्याएं
	एनसीएल									
15.	बारसी नगर लिगनाईट खान टीपीएस बिकानेर राजस्थान	मे.वा. 1.7	1991/04	1995/05	एन.ए.	242.31	242.31	0 0	24.48	भौतिक/ तकनीकी समस्याएं
16.	बारसी नगर लिगनाईट खान टीपीएन बिकानेर राजस्थान	मे.वा. 2×120	1991/04	1996/06	एन.ए.	585.73	664.11	13 13	5.06	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	क्षेत्र : उर्वरक									
	एचएफसी									
17.	हल्दिया उर्वरक पि. मिदनापुर, प. बंगाल	टीएचएमटी 151	1971/11 1981/07	1976/10 1982/04	एन.ए.	88.03 281.96	790.00	797 180	840.00	निजी क्षेत्र को बेची जाने के कारण तकनीकी असफलता
	क्षेत्र : खान									
	नेल्को									
18.	व्हील परि. अंगूल-अलाम-अंगूल अंगूल, उड़ीसा	संख्या 45000	1997/12	एन.ए.	एन.ए.	92.56	92.56	0 0	1.62	तकनीकी विषय
	क्षेत्र इस्पात									
	सेल									
19.	आर एवं एस मिल का आधु. भिलाई मध्य प्रदेश		1993/09	1997/04	2000/12	47.21	47.21	0	37.53	पूर्ण
	क्षेत्र : पैट्रोलियम									
	आईओसी									
20.	अगू आफ रनीप टंमबाला-जेक हरियाणा		1999/01	2001/05	एन.ए.	68.52	68.52	0 0	0.69	ठप्प
	क्षेत्र : विद्युत									
	डी.वी.सी.									
21.	पंजेट हिल-2 हेप धनबाद, बिहार	मेगावाट 40	1978/01	1983/01	एन.ए.	16.03	82.09	412 412	49.22	रूपांतरण पद्धति में पूर्ण पम्प स्टोरेज पर निर्णय प्रतिक्षित
	एनएचपीसी									
22.	कोयल कारो एचईपी रांची/एसएनजी	मेगावाट 710	1981/06 1991/11	1999/11 1999/11	एन.ए.	444.67 1292.82	2594.17	483 101	44.60	निधियों की कमी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	एनटीपीसी									
23.	फरक्का-स्अेप-3 मुर्शीदाबाद प. बंगाल	मेगावाट 500	1989/09	1995/12	एन.ए.	603.65	603.65	0 0		क्षेत्रों में कम मांग के कारण चरणबद्ध किया गया।
	पीजीसी									
24.	कोयल कारो टमि. लाईन, जमशेदपुर बिहार	सीकेएम 215	1991/11	1998/03	एन.ए.	52.59	52.59	0 0		उत्पादन परियोजना शुरू होने के पश्चात् ही प्रारंभ की जाए।
	क्षेत्र : रेलवे									
	दोहरी									
25.	कालापीपल-बंडा डब्ल्यू आर, मध्य प्रदेश	कि.मी. 41	1990/04	1995/12	एन.ए.	53.00	53.00	0 0	2.11	निधियों की कमी निम्न वरीयता
26.	करपुरीग्राम सियो उ.पू.रे. उत्तर प्रदेश	किमी 26	1993/04	एन.ए. 1997/03	1997/03	21.00	21.00	0 0	0.48	ठप्प
	जीसी									
27.	भिल्ड-सामरी-समदर जेपीयू, एनआर राज. गुज.	किमी 306	1990/04	1995/06	एन.ए.	267.83	188.00	-30 -30	-	ठप्प
	डब्लू.एस.पी.यू.									
28.	चित्रदुर्ग-रोड/पोह वेगो फेक, एसआर, कर्नाटक		1995/10	एन.ए.	एन.ए.	33.84	33.84	0 0	-	ठप्प लेकिन स्वीकृति नहीं
	क्षेत्र : भूतल परिवहन									
	आईडब्ल्यूटी									
29.	राजाबंगन डास का आधु. (स्वीटीक), प. बंगाल	एसबी27000टी क्र.सं. 106/वर्ष	1988/07 1992/12	1993/02 1995/09	एन.ए.	66.09	71.34	8 8	3.91	नीदरलैंड सरकार के सहयोग से पूरी की गई
	क्षेत्र : दूरसंचार									
30.	डाट ईबो एक्सीलेशन के.के. नगर तमिलनाडु	के 10	1990/03	1994/03	एन.ए.	27.21	27.21	0 0	2.01	ठप्प

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	इंस्टेशन ई-10 बेडेस्क अहमदाबाद, गुजरात वीएसएनएल	के 8	1992/08	1995/03	एन.ए.	31.06	31.06	0 0	–	नई तकनीक के आधार पर बिल्डिंग वाले का कार्य प्रगति पर है
32.	इंट. एनडब्ल्यूके. एमजीटी सेंटर, मुंबई, महा.	– –	1996/11 –	1999/01 2000/05	2000/05	40.00 –	40.00 –	0 0	–	
	क्षेत्र : शहरी विकास									
	यूडी									
33.	सी/ओ टाईप-5.6 क्वार्टर, आईएनए नई दिल्ली, दिल्ली	वी.98 वीआई 28	1995/12	1997/12	एन.ए.	26.00	26.00	0 0	–	ठप्प
34.	सामान्य पूल रिहाइसी मकान मुंबई, महाराष्ट्र	संख्या 1016	1985/09 1995/05	1989/09	एन.ए.	29.50 62.75	62.75	113 0	1.95	ठप्प

एन.ए. – अनुपलब्ध

खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीयों के साथ धोखाधड़ी

2274. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों के संबंध में धोखाधड़ी के कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है या किये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों में नियोजित भारतीयों के संबंध में धोखाधड़ी के कुल 31 मामले रिकार्ड किये गए थे। इसका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:–

वर्ष	मामलों की संख्या
1999	10
2000	11
2001	10

जो विदेशी नियोक्ता/प्रायोजक इन मामलों में शामिल थे उन्हें काली-सूची में डाल दिया गया है।

कृषि के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन

2275. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन हेतु कृषि को विशेष भूमिका दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता दर कितनी है; और

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने में आई गिरावट के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि/बागवानी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, पशु पालन, डेयरी, मात्स्यिकी तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों, जो गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन में भी सहयोगी हैं, के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप

अभिवृद्धि के क्षेत्र रहे हैं। सरकार गरीबी उन्मूलन तथा लाभकारी रोजगार के लिए विशिष्ट स्कीमें भी कार्यान्वित कर रही है जिनमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी-रेखा से नीचे के व्यक्तियों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित लक्षित समूहों पर ध्यान दिया गया है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत, मजदूरी तथा सामग्री की लागत के लिए नकद घटक को पूरा करने हेतु 5000 करोड़ रुपये के अलावा प्रत्येक वर्ष 5000 करोड़ रु. तक के 50 लाख मीटरी टन खाद्यान्न निशुल्क प्रदान किए जाएंगे। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत भी, स्व रोजगार तथा वेतन रोजगार कार्यक्रमों के लिए नौवीं योजना के पहले चार वर्षों में 461 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। गरीबी-रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1999-2000 में 26.10 प्रतिशत पर आ गई है।

[हिन्दी]

दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की मांग और उत्पादन

2276. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की मांग और उत्पादन कितना है;

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान देश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार दुग्ध उत्पादन और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन का अनन्तिम अनुमान क्रमश: 81.4 तथा 84.5 मिलियन टन है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता प्रतिदिन क्रमश: 223 ग्राम तथा 225 ग्राम है।

(ख) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की अनुमानित मांग के संबंध में इस प्रकार के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) देश में दुग्ध उत्पादन की गति को बनाए रखने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(क) राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना

(ख) आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता

(ग) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

(घ) राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना

(ङ) गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना

इसके अतिरिक्त, सहकारी दुग्ध संघों/परिसंघों ने प्रसंस्करण तथा निर्माण सुविधाओं, गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादकता वृद्धि इत्यादि की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से दीर्घकालिक योजनाएं बनाई हैं।

निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत मानक निर्धारित किए गए हैं। निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ए.आई.ए.) को निरीक्षण तथा अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के हित परिलक्षित हो रहे हैं कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन द्वारा मानक तैयार करने के लिए विचार-विमर्श में नियमित योगदान।

(3) आन्तरिक गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना, एच.ए.सी.सी.पी., आई.एस.ओ. - 9000 इत्यादि जैसे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणालियों के क्रियान्वयन के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(4) भारतीय उत्पादों के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए व्यापार मेलों में प्रतिभागिता।

विद्युत बोर्डों द्वारा कोयले की मांग

2277. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में विद्युत बोर्डों द्वारा उनके विद्युत केन्द्रों के लिए राज्यवार कितनी मात्रा में कोयले की मांग की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन्हें वास्तविक रूप से कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या उक्त बोर्डों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उन्हें कोयले की आवश्यक मात्रा में आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कं. लि. से विद्युत बोर्डों के बिजली घरों तथा अन्य विद्युत उपयोगिताओं को पिछले 3 वर्षों के कोयले के लिंकेज तथा प्रेषण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विद्युत बोर्डों के बिजली घरों को कोयला कंपनियों द्वारा की गयी कोयले की आपूर्ति की मात्रा उनके पूर्ण उत्पादन को बनाये रखने के लिए पर्याप्त थी और कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उन्हें कोई उत्पादन की हानि नहीं हुई।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

विद्युत क्षेत्र को कोयले का लिंकेज तथा प्रेषण

(आंकड़े '000 टन में)

विद्युत बोर्ड/विद्युत उपयोगिता	1998-1999		1999-2000		2000-2001	
	लिंकेज	प्रेषण	लिंकेज	प्रेषण	लिंकेज	प्रेषण
1	2	3	4	5	6	7
कोल इंडिया लि.						
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	3840	3099	4300	3469	4320	3887
दिल्ली विद्युत बोर्ड	1575	1193	1560	1464	1695	1469
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	3300	3650	3360	2683	3765	3027
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	7365	6947	9570	9500	10715	10619
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	3420	3690	5910	4743	6420	6022
उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड	16050	14928	17860	15707	16935	13821
यू.पी. आधारित एनटीपीसी पावर स्टेशन	21165	19762	23145	22753	24897	24550
अहमदाबाद विद्युत कंपनी	1590	1557	1130	1101	900	972
गुजरात विद्युत बोर्ड	12990	13255	14655	15053	12545	13533
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	9780	8742	11520	9511	12060	11629
एम.पी. आधारित एनटीपीसी पावर स्टेशन	6270	6169	6420	6244	6000	8201
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	6330	5785	7200	6309	6645	5171
छत्तीसगढ़ आधारित एनटीपीसी पावर स्टेशन	11385	11380	11715	11373	10575	11149

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	24840	25926	26810	26327	27540	26401
बोम्बे सर्बर्न इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी	1500	1565	1740	1834	2130	2054
टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी, ट्राम्बे	120	16	120	3	60	0
ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.	7950	8058	7560	7347	8250	8670
ए.पी. आधारित एनटीपीसी पावर स्टेशन	900	880	300	159	600	367
कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2460	1608	2850	2018	3525	2375
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	13440	12764	11010	11535	15045	14846
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1311	922	1500	917	1170	786
बिहार आधारित एन.टी.पी.सी. पावर स्टेशन	3930	3407	3900	3559	3465	4339
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	1845	1662	2280	1632	2100	1449
झारखंड आधारित डी.वी.सी. पावर स्टेशन	2010	3060	3060	3007	2430	2841
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	1740	1064	1560	769	1290	908
उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन	2370	2410	2400	2751	2580	2520
उड़ीसा आधारित एन.टी.पी.सी. पावर स्टेशन	5880	5425	5985	6304	5676	5944
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	2115	2169	1785	2113	2070	1822
पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	4245	3207	4650	3333	4755	4208
कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	3180	2983	3810	3394	4020	3722
दुर्गापुर प्रोजेक्ट कंपनी	840	337	800	548	600	290
पश्चिम बंगाल आधारित एनटीपीसी पावर स्टेशन	5970	4905	6300	5467	6600	7543
पश्चिम बंगाल आधारित दामोदर वैली कारपोरेशन पावर स्टेशन	1890	1345	2595	2502	3580	3016
असम राज्य विद्युत बोर्ड	270	74	240	107	273	79
अखिल भारतीय (सीआईएल स्रोत से)	193866	183944	209600	195536	215141	208230
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि.						
आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.)	8890	7081	8625	8345	8835	8368
रामागुंडम (एन.टी.पी.सी.), आंध्र प्रदेश	10500	9345	10500	10300	10800	10120

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	2460	1401	2070	1839	1545	2239
गुजरात विद्युत बोर्ड	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	0	0	0	28	0	32
कर्नाटक पावर जनरेशन कारपोरेशन लि.	2700	2746	4200	3238	3675	3657
जोड़	24550	20573	25395	23750	24855	24416

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार

2278. श्री वाई.जी. महाजन :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यात्रियों और विमानों की अत्यधिक भीड़-भाड़ के मद्देनजर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन/विस्तार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) विस्तार कार्यक्रम के कब तक पूरे होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर यात्रियों की सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

(1) आगमन स्तर पर टर्मिनल भवन को आगन्तुक लाउंज के साथ जोड़ा गया है।

(2) 6 कन्वेयर बेल्टों की बढ़ी हुई क्लेम लेंथ प्रदान करने के लिए मौजूदा आगमन हॉल का भी परिवर्धन किया गया है। कस्टम काउंटरों तथा अन्य सुविधाओं की अवस्थिति का भी परिवर्धन किया जा रहा है, जिससे आगमन हैंडलिंग क्षमता 1200 पीक आवर यात्रियों से बढ़कर 1600 पीक आवर यात्री हो जाएगी।

(3) चेक-इन हॉल में लगभग 600 वर्ग मीटर क्षेत्र की बढ़ोत्तरी कर मौजूदा ग्लेजिंग को शहर की तरफ स्थानांतरित करके चेक-इन हॉल में भीड़ को कम कर ली गई है।

(4) टर्मिनल को उन्नत परिवेश प्रदान करने के लिए आगमन तथा प्रस्थान लेवल की सतह को परिवर्तित किया गया है। विस्तारित भाग की सजावट को भी बढ़ाया गया है।

(5) आगमन तथा प्रस्थान क्षेत्रों में शौचालयों को उच्च कोटि की फिनिश के साथ नवीकृत किया गया है।

इसके साथ अतिरिक्त, इस समय दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों को पुनर्निर्माण हेतु दीर्घावधि लीजिंग के आधार पर निजी निवेशकों को देने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रमुख विस्तार परियोजनाओं पर विचार करना सलाह योग्य नहीं है, जहां निजी निवेशकों से भविष्य में अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत निष्पादन मानदण्डों को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षमता विस्तार परियोजनाओं को लघु अवधि में पूरा करना अपेक्षित है।

ई.सी.एल. और सी.सी.एल. में भ्रष्टाचार के मामले

2279. श्री रामटहल चौधरी :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में प्रकाश में आए भ्रष्टाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) से (घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) तथा

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार, कदाचार तथा विभिन्न अनियमितताओं के आरोपों वाली शिकायतों के संबंध में की गई विभागीय जांच के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

कंपनी का नाम	ईसीएल	सीसीएल
सीबीआई द्वारा की गई जांच-पड़ताल	8	14
आरम्भ की गई विभागीय जांच-पड़ताल	39	108
विभागीय मामले, जिनमें आरोप लगाए गए	39	79
जिनमें अभी जांच पूरी नहीं हुई है	20	36
जांच पूरी होने के पश्चात् दिया गया दंड	19	43

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

2280. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति की अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां - 10.38% और अनुसूचित जनजातियां 3.21%) है और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां - 11.73% और अनुसूचित जनजातियां - 2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन सभी (1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों, (2) सांविधिक संगठन/निगमों, (3) स्वायत्तशासी संगठनों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में तत्संबंधी (i) श्रेणी, (1) (समूह क) (ii) श्रेणी-2 (समूह ख) और समतुल्य पदों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) कुल पदों में ऐसे पदों और उनकी संबंधित प्रतिशतता की तुलना में कार्यरत (i) सामान्य, (ii) अनुसूचित जाति, (iii) अनुसूचित जनजाति और (iv) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना

2281. श्री मंजय लाल : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "राज्यों में बच्चों के लिए और बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना" की योजना के अधीन बिहार पटना में स्थापित किये जाने वाले सांस्कृतिक केन्द्र की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस सांस्कृतिक केन्द्र के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) संस्कृति विभाग, भारत सरकार ने पटना में एक बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर स्थापित करने के लिए भारतीय नृत्य कला मंदिर, छज्जु बाग, पटना को वर्ष 1998 में 15 लाख रुपए की राशि जारी की थी। कई बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद बिहार सरकार ने इस परियोजना के बारे में प्रगति की सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

पन बिजली परियोजनाओं संबंधी भारत और नेपाल के बीच वार्ता

2282. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित भारत और नेपाल के बीच चर्चा आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो आज तक आयोजित चर्चाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें किन-किन परियोजनाओं पर चर्चा की गई है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत और नेपाल सरकार के बीच नेपाल से निकलने वाली नदियों से संबद्ध निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं पर विचार-विमर्श चल रहा है।

(1) महाकाली (भारत में सारदा) नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना

(2) कोसी नदी पर सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सन कोसी भंडारण व व्यपवर्तन (डायवर्जन) स्कीम

(3) कमला नदी पर कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना

(4) बागमती नदी पर बागमती बहुउद्देश्यीय परियोजना

पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा रही है। सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सन कोसी भंडारण व व्यपवर्तन स्कीम के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है जिससे क्षेत्र अन्वेषणों तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बागमती और कमला बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के संबंध में कुछ तकनीकी मुद्दों का समाधान करने के लिए दोनों देशों के बीच भारत और नेपाल सरकार द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

फर्जी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना

2283. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रदूषण फैलाने वाले कुछ कारखानों/औद्योगिक इकाइयों को गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में फर्जी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रमाण-पत्रों को जारी करने के लिए जिम्मेदार एजेन्सियों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या सफलता हासिल हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) केन्द्र सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत फैक्ट्रियों/औद्योगिक इकाइयों को, इन इकाइयों की स्थापना और प्रचालन हेतु स्वीकृति जारी करते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां स्वीकृति जारी करते समय ऐसे मानक और शर्तें निर्धारित करते हैं जिन्हें इन उद्योगों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है।

स्वीकृति मैकेनिज्म को सरल बनाने तथा उसमें एकरूपता लाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वीकृति प्रबंधन हेतु समरूप कार्य प्रणाली के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन को प्रोत्साहन

2284. डा. साहिब सिंह वर्मा : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, अप्रवासी भारतीयों और तीर्थाटनगत पर्यटन को आयुर्वेद, आध्यात्मिक पर्यटन, योग पर्यटन, गंतव्य पर्यटन जैसे ट्रेकिंग, समुद्र तटों, वन्य जीवों, रूट पर्यटन के माध्यम से बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उक्त प्रावधानों के आयाम क्या रहे और दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) विश्वभर में भारत का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में संवर्धन करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्यों को पर्यटक उत्पाद के विभिन्न पहलुओं पर विशेष प्रचार कॉलेंटरल्स, ब्रोशरों, सी डीज आदि के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र में उत्पाद विकास पर विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं।

आर्थिक रूप से अक्षम मार्गों पर उड़ान

2285. श्री नरेश पुगलिया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से अक्षम सामाजिक विमान-मार्गों पर उड़ानों हेतु घरेलू विमान सेवाओं की क्षतिपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन-कौन से हवाई रूट हैं जिन्हें आर्थिक रूप से अक्षम रूट माना जा रहा है; और

(घ) कौन-कौन सी विमानन कंपनियां इन मार्गों पर परिचालन करती हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) मार्ग संवितरण दिशा-निदेशों में विनिर्दिष्ट श्रेणी-II के मार्गों (अर्थात् उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्ग, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप और उपरोक्त राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों में स्थित स्टेशनों को जोड़ने वाले मार्ग) को प्राय: अलाभकारी मार्गों के रूप में समझा जाता है।

समस्त अनुसूचित प्रचालक अर्थात् इंडियन एयरलाइंस, एलाइंस एयर, जेट एयरवेज एवं सहारा एयरलाइंस मार्ग संवितरण दिशा-निदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रेणी-II मार्गों पर प्रचालन करते हैं।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

2286. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कपास की फसल और गुणवत्ता में सुधार हेतु कपास प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो मिशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस मिशन के अधीन कपास के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और देश में विशेषकर उड़ीसा के कपास उत्पादक पिछड़े क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल हुई है;

(घ) कपास की खेती के लिए किसानों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार तम्बाकू और चाय बोर्ड की भांति एक कपास बोर्ड का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। कपास की पैदावार एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया। इस मिशन में चार मिनि मिशन शामिल हैं। कपास में उत्पादन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिनि-मिशन-I की देख-रेख की जाती है जबकि कृषि एवं सहकारिता विभाग, कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु मिनि-मिशन-II के लिए जिम्मेदार है। कपड़ा मंत्रालय मिनि-मिशन-III और IV के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। मिनि-मिशन-III से मण्डी अवसंरचना के विकास के लिए सहायता की व्यवस्था है जबकि मिनि-मिशन-IV में ओटाई एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान अखिल भारत एवं उड़ीसा के लिए निर्धारित कपास उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

(170 कि.ग्रा. की प्रत्येक गांठ के हिसाब से लाख गांठें)

	लक्ष्य	उपलब्धि
अखिल भारत	145.00	96.52
उड़ीसा	1.00	0.65

किसानों में कपास के खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए उड़ीसा सहित 13 राज्यों में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनि-मिशन-II के अन्तर्गत गहन कपास विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत उत्पादन प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन के जरिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण, समेकित कीट प्रबंध एवं किसानों/विस्तार कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण तथा किसानों को बीजों, छिड़काव यंत्रों, जैव-एजेन्ट, फेरोमोन जालो जैसे आदानों की सप्लाई और स्प्रिंकलर सैटों एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसे जल संरक्षक युक्तियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में विरासत स्थल

2287. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक शहरी आयोजना संबंधी कंपनी ''एक्लेट स्पेटियल टेकनालॉजी'' ने भारतीय राष्ट्रीय कला तथा सांस्कृतिक दाय न्यास (इन्टैक) (इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट्स एण्ड कल्चरल हेरिटाज) को आंध्र प्रदेश में 76 संकटापन्न विरासत स्थलों की एक सूची और उनकी रक्षा के लिए रणनीति प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''हैदराबाद महानगरीय क्षेत्र के लिए विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन हेतु'' कार्य योजना नामक रिपोर्ट ''इंटैक''; दिल्ली और हैदराबाद स्थित ''इंटैक'' के क्षेत्रीय चैपटर को सौंपी गई थी;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई नया कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय कला तथा सांस्कृतिक दाय न्यास से प्राप्त सूचना के अनुसार, ''एक्लेट स्पेटियल टेक्नालॉजी'' ने गोलकोंडा से चारमीनार तक 9 किलोमीटर की पट्टी के साथ-साथ विरासत संरचनाओं तथा अहातों को व्यवस्थित ढंग से सूचीबद्ध करने के लिए एक पाइलट परियोजना तैयार की है।

(ग) ''इंटैक'' से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का बैराज परियोजना

2288. श्री महबूब जहेदी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने फरक्का बैराज परियोजना में आत्यांतिक कटावरोधी कार्य हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। समिति ने अपने कार्यक्षेत्र में फरक्का बराज परियोजना द्वारा किए जाने वाले अल्पकालीन उपायों के लिए 130.00 करोड़ रु. और दीर्घकालीन उपायों के तहत 45.00 करोड़ रुपये के कटाव रोधी कार्य सूचीबद्ध किए हैं।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 1999 में 19.68 करोड़ रु. का व्यय वित्त समिति ज्ञापन अनुमोदित किया है जिसमें नौवीं योजनावधि के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत किये गये। 14.50 करोड़ रु. के कटाव रोधी कार्य शामिल हैं जिसमें से 2.00 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1999-2000 के दौरान और 3.00 करोड़ रुपये वर्ष 2000-01 के दौरान जारी की गई थी।

(ग) व्यय वित्त समिति ज्ञापन में अभिज्ञात कार्यों को स्थल स्थितियों, माडल अध्ययनों के परिणामों तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन वर्ष 2003-04 तक पूरे किए जाने की योजना है।

बी.सी.सी.एल. में रोजगार घोटाला

2289. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुंसाडा क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में रोजगार घोटाले की भी सी.बी.आई. द्वारा जांच कराने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) इस विभाग में ऐसी कोई मांग नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

गुजरात में विमान सेवाएं

2290. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जी.जे. जावीया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में वे कौन-कौन से विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और पर्यटन स्थल है जहां 1 जनवरी, 1999 से विमान सेवा शुरू की गई है;

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान शुरू की जाने वाली नई विमान सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001 के दौरान राज्य में एयरोड्रम्स (हवाई अड्डे) के विकास और रखरखाव पर कितनी राशि खर्च की गई और वर्ष 2002 तथा 2003 के दौरान कितनी राशि का प्रावधान है;

(घ) क्या गुजरात के विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कामर्स, कतिपय संस्थानों और संसद सदस्यों ने राज्य में नई विमान सेवा शुरू करने और राजकोट-दिल्ली के लिए नियमित उड़ान शुरू करने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) इंडियन एयरलाइंस गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, भावनगर, भुज, जामनगर एवं राजकोट स्टेशनों के लिए अपनी हवाई उड़ानें प्रचालित कर रही है। ये सेवाएं 1.1.1999 से पहले प्रारंभ की गई थी। तदुपरान्त इंडियन एयरलाइंस ने गुजरात के लिए कोई अन्य सेवा प्रारंभ नहीं की है।

वर्तमान में जेट एयरवेज अहमदाबाद, भावनगर, भुज, पोरबन्दर, राजकोट, एवं वडोदरा के लिए अपनी हवाई सेवाएं प्रचालित कर रही है।

(ख) सहारा एयरलाइंस द्वारा वर्ष 2002 में अहमदाबाद के लिए उड़ान प्रचालित करना प्रस्तावित है।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान राज्य में विभिन्न एयरपोर्टों/ एयरड्रमों के अनुरक्षण एवं विकास पर 404.08 लाख रुपए का अनुमानित खर्च होने की आशा है। वर्ष 2002-03 के लिए अनुमानित व्यय 387.01 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

(घ) से (छ) इंडियन एयरलाइंस को विभिन्न स्रोतों से गुजरात में उड़ानों में वृद्धि करने तथा नए संपर्क आरंभ करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, वर्तमान में 31 मार्च, 2002 में अक्तूबर, 2002 की अवधि के लिए ग्रीष्म कालीन समय-सारणी में इंडियन एयरलाइंस द्वारा गुजरात में कोई नए संपर्क प्रारंभ करने की योजना नहीं है।

[अनुवाद]

प्रतिबंधित कीटनाशी का आयात

2291. श्री अरूण कुमार :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री अम्बरीश :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे कृमिनाशी/कीटनाशी की सूची तैयार की है जो विश्व में अन्यत्र निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या 40 से अधिक कीटनाशकों का भारत में अभी भी आयात किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा गठित समिति ने ऐसे 8 प्रकार के कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है जो अत्याधिक खतरनाक है लेकिन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में इनका अभी भी आयात किया जा रहा है;

(च) क्या आयात किये गए इन प्रतिबंधित कीटनाशकों के कारण हमारे कृषि क्षेत्र पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने देश में इन कृमिनाशकों/कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है/लगाने का विचार है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ञ) 32 कीटनाशी दवाएं जिन पर विश्व के कुछ अन्य देशों में प्रतिबंध है, हमारे देश में इनके प्रयोग के लिए प्रतिबंध नहीं है (विवरण-I)। भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा स्थानिक कृषि जलवायवीय, पर्यावरणीय संबंधी परिस्थितियों और सुरक्षा मानदण्डों के आधार पर इनके प्रयोग पर प्रतिबंध/रोक लगाई जाती है। भारत सरकार उन कीटनाशी दवाओं के सतत अथवा अन्यथा उपयोग की आवधिक समीक्षा करती रहती है जो समय-समय पर

गठित पंजीकरण समिति/विशेषज्ञ समितियों के परामर्श से विश्व के अन्य देशों में प्रतिबंधित/कड़ाई से निषिद्ध हैं। इन समीक्षाओं के आधार पर, कुल 31 कीटनाशी दवाओं/कीटनाशी दवाओं के फार्मूलेशन्स पर प्रतिबंध लगाया गया है (विवरण-II)। उन कीटनाशी दवाओं के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अधीन भारत में प्रतिबंध नहीं है।

विवरण-I

विश्व के कुछ देशों में प्रतिबंधित/सख्ती से रोक लगाई गई लेकिन भारत में अभी भी प्रयोग की जा रही कीटनाशी दवाओं की सूची

क्र.सं.	उत्पाद का नाम
1	2
1.	अल्यूमीनियम फास्फाइड
2.	बिनोमाइल
3.	कप्तान
4.	कार्बाराइल
5.	कारबोफ्यूरोन
6.	कार्बोसल्फान
7.	डिकोफाल
8.	डी.डी.टी.
9.	डिमेथोएट
10.	डियूरोन
11.	एण्डोसल्फान
12.	फनारिमोल
13.	फेनप्रोपेथिन
14.	लिण्डेन
15.	लिन्यूरोन
16.	मैलाथिओन
17.	मिथोमाइल
18.	मिथोक्सी इथाइल मरकरी क्लोराइड
19.	मिथाइल पैराथिओन
20.	मानोक्रोटोफॉस
21.	ऑक्सीफ्ल्यूओर्फेन
22.	पैराक्यूएट डिक्लोराइड
23.	फॉरेट
24.	फास्फेमिडोन
25.	प्रेटीलेक्लोर
26.	सोडियम सायनाइड
27.	ट्रिआजोफॉस
28.	ट्राइडमार्फ
29.	थिओमेथोन
30.	थिराम
31.	जिंक फास्फाइड
32.	जिराम

विवरण-II

भारत में प्रतिबंधित कीटनाशी दवाओं/कीटनाशी दवाओं के फार्मूलेशन्स की सूची

(क) विनिर्माण, आयात तथा प्रोयग हेतु प्रतिबंधित कीटनाशी दवाएं (सं.-24)

1. एल्ड्रीन
2. बेन्जीन हेक्साक्लोराईड
3. कैल्सियम सायनाइड
4. क्लोरडेन
5. कॉपर एसीटोआरसेनाइट
6. डाईब्रोमोक्लोरोप्रोपेन
7. एन्ड्रीन
8. इथायल मरकरी क्लोराईड
9. इथायल पैराथीओन
10. हेप्टाक्लौर

11. मेन्जीन

12. नाईक्रोफेन

13. पैराक्वेट डाईमिथायल सल्फेट

14. पेन्टाक्लोरो नाईट्रोबेन्जीन

15. पेन्टाक्लोरोफिनौल

16. सोडियम मीथेन आरसोनेट

17. टेट्राईफेन

18. टेक्साफेन

19. अल्डीकार्ब

20. क्लॉरहेन्जीलेट

21. डाईएल्ड्रीन

22. मेलिक हाईड्रोजाईड 17-7-2003 से प्रयोग पर प्रतिबंध

23. इथीलीन डाईब्रोमाईड

24. टी.सी.ए. (ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड)

(ख) कृमिनाशी/कीटनाशी फार्मूलेशन्स जो उपयोग के लिए प्रतिबंधित हैं लेकिन निर्यात के लिए इनका उत्पादन अनुमत है (सं. 3)

25. निकोटिन सल्फेट

26. फिनायल मरकरी एसीटेट

27. केप्टाफॉल 80 प्रतिशत पाऊडर-(17-7-2003 से प्रयोग पर प्रतिबंध)

(ग) आयात, विनिर्माण एवं उपयोग हेतु प्रतिबंधित कृमिनाशी फार्मूलेशन्स (सं. 4)

1. मीथोमायल 24% एल.

2. मीथोमायल 12.5% एल.

3. फॉस्फामीडॉन 85% एस.एल.

4. कारबोफ्यूरॉन 50% एस.पी.

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

2292. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पैकेज और सम्पत्तियों के विक्रय हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार अन्य राज्य पर्यटन विकास निगमों के साथ इसी तरह के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे उन राज्यों में पर्यटन को किस सीमा तक बढ़ावा मिलने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी हां। भारत पर्यटन विकास निगम तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने दिनांक 7.1.2002 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम परिसम्पत्तियों के आरक्षण एवं मार्केटिंग के क्षेत्रों में सहयोग करके; नए पैकेजों के विकास; पर्यटन साहित्य के प्रचार एवं मुद्रण; पर्यटन कार्यक्रम प्रबंधन; शुल्क मुक्त/प्रदत्त दुकानें स्थापित करना; मानव संसाधन विकास; भारत पर्यटन विकास निगम की तकनीकी एवं आर्थिक परामर्शी सेवाएं प्रदान करके, राजस्थान राज्य में पारस्परिक लाभ एवं पर्यटन के संवर्धन हेतु संयुक्त प्रयासों पर विचार करती है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम ने अभी तक दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड के राज्य पर्यटन निगमों/सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा भारत पर्यटन विकास निगम का अन्य राज्य सरकारों के साथ ऐसे ही समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है।

(ङ) राज्य सरकारों को पर्यटक अवसंरचना का विकास करने तथा पर्यटक सुविधाओं का संवर्धन एवं विपणन करने में संसाधनों की सहक्रिया के तरीके से तथा भारत पर्यटन विकास निगम तथा संबंधित राज्य सरकारों, दोनों ही प्रयासों से, पर्यटन क्षेत्र में भारत पर्यटन विकास निगम के अपार अनुभव द्वारा लाभ प्राप्त होगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस

2293. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजनावधि के दौरान सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु जारी

आशय पत्रों और लाइसेंसों की स्थानवार और राज्यवार संख्या कितनी है और तत्संबंधी निवेश लागत कितनी है; और

(ख) उनमें से कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और उनमें से प्रत्येक में कितना निवेश हुआ है तथा प्रत्येक उद्योग में रोजगार संभावना कितनी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) और (ख) अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसों की सीमा से बाहर रखा गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं। अत: खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या के बारे में राज्यवार और क्षेत्रवार व्यापक सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। हालांकि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1997-98 में फैक्टरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या 31,451 थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अक्तूबर, 2001 में किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2001-2002 में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या अनुमानत: 75.58 लाख है। और 9वीं योजना अवधि के दौरान 38,531 करोड़ रु. का निवेश किया गया है।

विवरण

फैक्टरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के राज्यवार ब्यौरे उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1997-98 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	फैक्टरियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11272
2.	असम	744
3.	बिहार	354
4.	गोवा	43
5.	गुजरात	1392
6.	हरियाणा	640
7.	हिमाचल प्रदेश	65
8.	जम्मू और कश्मीर	81
9.	कर्नाटक	1392
10.	केरल	1274
11.	मध्य प्रदेश	1126
12.	महाराष्ट्र	2612
13.	मणिपुर	9
14.	नागालैंड	20
15.	उड़ीसा	371
16.	पंजाब	1335
17.	राजस्थान	512
18.	तमिलनाडु	4044
19.	त्रिपुरा	47
20.	उत्तर प्रदेश	2510
21.	पश्चिम बंगाल	1336
22.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4
23.	चंडीगढ़	35
24.	दमन एवं दीव	16
25.	दिल्ली	128
26.	पाण्डिचेरी	46
27.	राज्य का उल्लेख नहीं	7
	कुल	31415

आरक्षित पदों को अनारक्षित करना

2294. डा. बलिराम : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित अनेक रिक्तियों/पदों को अनारक्षित किया जा रहा है और 1.4.1989 से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करके प्रतिबंध के बावजूद अन्य श्रेणियों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय में 1.4.1989 से वे कौन-कौन से मामले हैं जिन पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को आरक्षण से मुक्त किया गया और आरक्षित श्रेणी के लोगों को छोड़कर अन्य श्रेणी के लोगों द्वारा भरा गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय संग्रहालय में पिकासो की कलाकृतियों की प्रदर्शनी

2295. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 दिसम्बर, 2001 के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पिकासो गेट्स सम एक्सटेंसिव पब्लिसिटी कर्टसी कल्चर मिनिस्ट्री'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 14 दिसम्बर, 2001 से 31 जनवरी, 2002 तक राष्ट्रीय संग्रहालय में पिकासो प्रदर्शनी के संचालन के लिए एक निजी जनसंपर्क एजेंसी को भाड़े पर लिया है;

(ग) यदि हां, तो जन संपर्क एजेंसी का विवरण क्या है और इस एजेंसी को भाड़े पर लेने संबंधी निबंधन-शर्तें क्या हैं तथा पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से प्रदर्शनी को आयोजित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

झारखण्ड में पर्यटन को बढ़ाना

2296. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार झारखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम तथा झारखण्ड की राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में, परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्रों में संकल्पना से लेकर चालू होने तक भारत पर्यटन विकास निगम की परामर्शी सेवाएं प्रदान करने; होटल प्रचालन सेवाएं; मार्केटिंग एवं बिक्री, मानव संसाधन विकास; प्रचार एवं विज्ञापन; यात्रा एजेंसी सेवाएं; अंतर्राष्ट्रीय माल की खुदरा बिक्री प्रदान करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय पशुधन नीति

2297. श्री रामदास आठवले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और राज्य सरकारों के पास उनकी सलाह प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेषित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय पशुधन नीति निर्माण की प्रक्रिया संगठित एवं समय साध्य प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रकार के विशिष्ट घटक बनाना तथा ऐसी विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है कि राष्ट्रीय पशुधन नीति को अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में ज्वार का उत्पादन

2298. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस मौसम के दौरान कर्नाटक में ज्वार का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) सरकार द्वारा कर्नाटक में ज्वार का क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने ज्वार के लिए प्रति क्विंटल ज्यादा समर्थन मूल्य की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार द्वारा अनुशंसित समर्थन मूल्य कितना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार वर्ष 2000-01 के दौरान कर्नाटक में ज्वार का कुल उत्पादन 1634 हजार टन होने का अनुमान है।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 के लिए ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। आयोग मूल्य नीति पर इसकी सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय, उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, आदि जैसे कई तथ्यों को ध्यान में रखता है। आयोग ने 485 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश की थी, जबकि कर्नाटक राज्य सरकार ने 525 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्यों का सुझाव दिया था। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा मूल्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण समझे गए अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर, सरकार ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृति दी। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य देश भर में एक समान है।

कच्छ में कृषि रहित भूमि

2299. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बार-बार सूखा पड़ने के कारण गुजरात के कच्छ जिले में कृषि भूमि के एक विशाल क्षेत्र पर कृषि नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कच्छ जिले में शुष्क कटाई के साथ-साथ ड्रीप सिंचाई को बढ़ावा देने और एलोविरा, गोखरू, सोनामुखी इत्यादि जैसी जड़ी-बूटियों एवं औषधीय गुण वाले पादपों की उपज को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो किसानों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार को, गुजरात के कच्छ जिले में बार-बार पड़ने वाले सूखे के कारण कृषि भूमि के बड़े क्षेत्र के अकृष्ट रह जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल सरकार विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने के लिए, कृषि में वृहत प्रबन्ध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों में अनुपूरण/सम्पूरण पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत गुजरात सरकार को सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार ने वर्ष 2001-02 के दौरान कच्छ जिले में 60 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई शुरू करने के लिए प्रयास किए हैं। औषधीय पौधों में, अधिकांशत: सोनामुखी की खेती कच्छ जिले के अंजार, भुचाऊ तथा रापार तालुकों में की जा रही है। औषधीय पौधों के बीज एवं रोपण सामग्री प्रदान करके, क्षेत्र विस्तार तथा प्रदर्शन-सह-बीज बहुलीकरण द्वारा किसानों को सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, कच्छ जिले में लगभग 16,000 हैक्टेयर को कवर करते हुए नौ पनधाराओं में वर्षासिंचित कृषि प्रणाली का संवर्धन किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन विकास परियोजनाएं

2300. श्री ब्रजमोहन राम :
श्री अनन्त नायक :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से उनके यहां वन विकास परियोजनाओं का गठन करने हेतु कोई प्रस्ताव/योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में आरम्भ की गई उक्त परियोजनाओं एवं आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) अपने-अपने राज्यों में वन विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों से राज्य वानिकी कार्य योजना के रूप में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वित्तीय और अन्य सीमाओं को ध्यान में रख कर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित विभिन्न राज्यीय और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) नौवीं योजना की अवधि में देश में प्रारम्भ की गई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं/स्कीमों और उनके लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में प्रस्तुत है।

विवरण-I

बीस वर्षों के लिए निवेश आंकलन का संक्षिप्त ब्यौरा

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रस्तावित कुल निवेश (मिलियन रुपये में)	वास्तविक लक्ष्य (मिलियन हेक्टेयर में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	51334.1	4.93
अरुणाचल प्रदेश	14113.6	0.15
असम	20720.4	1.10
बिहार	62067.6	4.21
गोवा	1384.0	0.03
गुजरात	23246.6	2.62
हरियाणा	15767.3	0.87
हिमाचल प्रदेश	108514.7	0.90
जम्मू व कश्मीर	57177.2	6.27
कर्नाटक	113377.0	3.21
केरल	26082.9	0.26
मध्य प्रदेश	230289.4	7.39
महाराष्ट्र	84914.2	3.36
मणिपुर	19436.1	1.08
मेघालय	1762.6	एन.ए.
मिजोरम	19220.9	0.62
नागालैंड	4623.5	एन.ए.

1	2	3
उड़ीसा	27152.3	0.44
पंजाब	22612.7	0.66
राजस्थान	191144.5	5.14
सिक्किम	8423.0	0.28
तमिलनाडु	27188.0	0.71
त्रिपुरा	4623.5	0.08
उत्तर प्रदेश	32208.2	3.24
पश्चिम बंगाल	54278.8	0.61
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7587.8	0.07
कुल	1232321.2	48.23

विवरण-II

नवीं योजना के दौरान देश में शुरू की गई परियोजनाओं/स्कीम का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	योजनाएं							योग
		आईएईपी	एओएफ एफपी	एफडीए	एनटी एफपी	एओ एसटी	दावानल नियंत्रण	अवसंरचना विकास परियोजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1128.90	593.74	98.76	815.77	123.96	140.10	–	2901.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	304.57	22.44	62.88	163.75	85.40	30.00	676.10	1345.14
3.	असम	437.31	355.53	–	270.53	–	25.46	925.00	2013.83
4.	बिहार	–	275.52	–	324.98	151.61	38.76	–	790.87
5.	झारखंड	364.31	119.92	–	–	64.47	106.80	–	655.50
6.	गोवा	–	29.18	–	101.76	–	54.27	–	185.21
7.	गुजरात	748.48	882.36	85.49	764.99	99.45	181.57	–	2762.34
8.	हरियाणा	437.82	1340.30	1254.42	208.67	–	49.58	–	3290.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	327.48	587.27	250.87	202.89	–	201.78	–	1570.29
10.	जम्मू व कश्मीर	1801.76	162.64	300.07	994.44	98.51	91.70	–	3449.12
11.	कर्नाटक	847.43	706.91	45.40	320.90	132.50	157.00	–	2210.14
12.	केरल	1926.19	383.34	–	209.35	–	123.13	–	2642.01
13.	मध्य प्रदेश	1711.05	1632.16	2157.03	841.00	219.37	252.21	–	6812.82
14.	छत्तीसगढ़	364.55	88.20	–	143.23	61.17	149.00	–	806.15
15.	महाराष्ट्र	1110.17	304.03	444.89	298.71	142.14	210.08	–	2510.02
16.	मणिपुर	1697.46	454.27	–	325.76	89.21	53.90	171.72	2792.32
17.	मेघालय	44.56	0.00	–	133.92	–	63.29	505.00	746.77
18.	मिजोरम	604.55	825.17	–	308.29	59.67	55.90	500.00	2353.58
19.	नागालैंड	329.19	24.10	199.13	209.10	59.02	7.80	336.68	1165.02
20.	उड़ीसा	3779.72	415.33	–	674.50	31.15	102.14	–	5002.84
21.	पांडिचेरी	90.32	–	–	–	–	–	–	90.32
22.	पंजाब	507.31	190.12	70.68	158.75	–	28.80	–	955.66
23.	राजस्थान	2047.98	773.83	160.62	698.35	112.32	38.68	–	3831.78
24.	सिक्किम	795.68	308.74	40.91	568.58	64.44	65.08	391.50	2234.93
25.	तमिलनाडु	433.18	483.21	76.47	167.78	–	90.31	–	1249.95
26.	त्रिपुरा	407.71	232.49	25.75	107.37	48.73	76.11	1071.00	1969.16
27.	उत्तरांचल	1911.72	184.11	40.38	–	–	130.90	–	2267.11
28.	उत्तर प्रदेश	229.39	854.06	874.78	377.87	–	136.83	–	2243.76
29.	पश्चिम बंगाल	859.07	855.76	–	377.52	43.91	107.50	–	587.23

नोट– आई.ए.ई.पी. – एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना, ए.ओ.एफ.एफ.पी.–क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी व चारा परियोजना, एफ.टी.एफ.पी.–गैर इमारती लकड़ी उत्पाद, ए.ओ.एस.टी.–भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जनजातियों व निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना, एफ.डी.ए.–वन विकास एजेन्सी।

[अनुवाद]

श्रम सहकारी संस्थाओं के साथ अधिमान्य रूप से बर्ताव करना

2301. श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम सहकारी संस्थाओं को कार्य सौंपने में अधिमान्य रूप से बर्ताव करने हेतु सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-02 के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में श्रम सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कितने धन का आबंटन किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, आदि राज्यों ने भारत सरकार की सिफारिशें मान ली हैं और श्रम सहकारी संस्थाओं को कार्य सौंपने में अधिमान्य रूप से बर्ताव करने हेतु अधिसूचना जारी कर दी है।

(ग) कृषि तथा सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय परिसंघ सहायता संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत राष्ट्रीय श्रमिक सहकारिता परिसंघ को निम्नानुसार अनुदान जारी किया है:

वर्ष	जारी राशि
2000-01	कौशल विकास हेतु 5.00 लाख रुपये सहित, सम्बद्ध नामक प्रबन्धकीय क्रियाकलापों हेतु 17.00 लाख रुपये
2001-02	कौशल विकास सहित, सम्बद्ध नामक तथा प्रबन्धकीय क्रियाकलापों हेतु 19.00 लाख रुपये

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि का चयन राष्ट्रीय श्रमिक सहकारिता परिसंघ द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

विमानपत्तन सुरक्षा के लिए विदेशी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण

2302. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तन पर त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय विमानपत्तनों की सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमी पाई गई है; और

(घ) विमानपत्तनों पर त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किन अन्य कदमों पर विचार किया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) भारत सरकार ने मार्च, 2002 में नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय विमानन सुरक्षा पाठ्यक्रम का आयोजन करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अनुमति दे दी है। भारतीय विमानन विशेषज्ञों को भी स्रोत व्यक्तियों के रूप में शामिल किया गया। इस पाठ्यक्रम में श्रीलंका, नेपाल, मालदीव तथा भारत के नामित व्यक्तियों ने भाग लिया। पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या 20 थी।

(ग) और (घ) हवाई अड्डों पर सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त मात्रा में है और कोई बड़ी खामी देखने में नहीं आई हैं। तथापि, सभी संबंधित एजेंसियों को आवश्यक तौर पर सुरक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति सचेत कर दिया गया है। पहुँच नियंत्रण, परिसीमा सुरक्षा, त्वरित कार्रवाई टीम, विमान पर चढ़ने से पूर्व सुरक्षा जांच, रजिस्टर्ड बैगेज की स्क्रिनिंग, कार्गों की हैंडलिंग संबंधी मौजूदा अनुदेशों की फिर से पुनरावृत्ति कर दी गई है।

[अनुवाद]

लाभकारी एवं अलाभकारी मार्गों को बंद किया जाना

2303. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू एयरलाइनों द्वारा उपयोग किए गए लाभकारी एवं अलाभकारी मार्गों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी विद्यमान उड़ानों को अंतर्देशीय विमान यात्रा कर के भुगतान से छूट देने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस छूट से राजकोष को वार्षिक रूप से कुल कितनी हानि होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। वित्त मंत्रालय की दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना संख्या 2/2002-अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्य सम्मिलित है, से आने-जाने वाली उड़ानों तथा इन राज्यों के अंदर प्रचालित होने वाली उड़ानों पर अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर से छूट प्रदान की गई है।

(ङ) इस कारण राजकोष को होने वाली हानि एयरलाइनों द्वारा इन मार्गों पर लगाई गई क्षमता एवं यात्रियों की संख्या पर निर्भर करती है जो बदलती रहती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करना

2304. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार योजना आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध विभिन्न खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने पर एक पक्षीय ढंग से विचार कर रही है;

(ख) क्या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही निम्न दर निर्धारित कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि जिन्सों के लिए सरकार की मूल्य नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना ताकि अधिक निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके। सरकार प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है तथा भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पटसन निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) आदि जैसे सार्वजनिक एवं कृषि सहकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद कार्यों का आयोजन करती है।

सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों, योजना आयोग सहित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा ऐसे अन्य सम्बद्ध तथ्यों, जो सरकार की राय में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हैं, के आधार पर विभिन्न कृषि जिंसों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। सी.ए.सी.पी. मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों को प्रतिपादित करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों, यानि, उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तनों, आदान/उत्पादन मूल्य समानता, व्यापार की शर्तों, आदि को ध्यान में रखता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय, सरकार का प्रयास न केवल उत्पादन की लागत को कवर करने का होता है बल्कि निवेश करने और उत्पादन एवं उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में उचित मार्जिन प्रदान करने का भी होगा।

समुद्रीय अपरदनरोधी कार्य

2305. श्री टी. गोविन्दन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में समुद्रीय अपरदनरोधी कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केन्द्रीय ऋण सहायता जो वर्ष 1970-71 से 1991-92 के दौरान समुद्री कटाव संबंधी समस्याओं का सामना करने के लिए तटवर्ती राज्यों को दी जा रही थी उसे वर्ष 1991-92 के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 1991 को आयोजित 43वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बंद कर दिया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जल आयोग ने तटवर्ती राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 1275.74 करोड रुपये की लागत वाली एक समेकित राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना (एन.सी.पी.पी.)

तैयार की थी। तटवर्ती राज्यों के प्रस्तावों में संशोधन करने के कारण इस प्रस्ताव में संशोधन किया जा रहा है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संशोधित समेकित राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए सभी प्रकार से पूर्ण संशोधित प्रस्ताव को सहभागी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है जिनकी अभी प्रतीक्षा है। चूंकि समेकित राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप देना सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अंतिम प्रस्तावों के प्राप्त करने पर निर्भर करता है इसलिए समेकित राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना को अंतिम रूप देने संबंधी किसी वास्तविक समय का निर्धारण करना कठिन है।

कृषकों को राजसहायता

2306. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दी गई राज-सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजसहायता का लाभ सीमांत एवं छोटे कृषकों तक पहुंचे, कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निकाले गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कृषि को दी जाने वाली सब्सिडी उत्पाद विशिष्ट तथा गैर-उत्पाद विशिष्ट दोनों प्रकार की हैं। इनमें उर्वरक, डीजल, बिजली तथा पानी आदि पर सब्सिडी तथा अनुसंधान, विस्तार, मण्डी हस्तक्षेप आदि के रूप में प्रदत्त सहायता भी शामिल है। तदनुसार कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली कुल सहायता सही प्रकार से राज्यवार विभक्त नहीं की जा सकती। वर्ष 1998-99 से आदानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को दी गई कुल सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न है।

(ख) जी, हां। कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर इन्स्टीट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली द्वारा "भारत में कृषि आदान सब्सिडियां-छोटे तथा सीमान्त किसानों पर प्रभाव" विषय पर एक अध्ययन कराया गया है।

(ग) उक्त अध्ययन के निष्कर्ष, संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

(1) उन्नत बीज अपनाना, सिंचाई तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग एक साथ किया जाता है और इनके परस्पर संबंध में जोत का आकार कोई निर्णायक कारक नहीं है। तथापि अध्ययन में यह भी बताया गया है कि नहर कमान क्षेत्रों में छोटी आकार की जोत कम संख्या में स्थित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आधारभूत ढांचे और प्रौद्योगिकी तथा छोटे किसानों की पहुंच कम ही है।

(2) जहां तक ऋण का प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर कुल संस्थागत ऋण का एक बड़ा भाग छोटे और सीमांत किसानों को चला जाता है। बहरहाल वे लघु अवधि ऋण अधिक लेते हैं और इसका अधिकांश भाग नकद ले लेते हैं। दीर्घावधिक ऋण बड़े किसानों द्वारा अधिक लिया जाता है और यंत्रीकरण अधिकांशत: बड़ी प्रचालनात्मक जोतों वाले किसानों द्वारा ही किया जाता है।

विवरण

कृषि क्षेत्र को सब्सिडी ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

मद	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (वास्तविक)	2000-01 (संशोधित)
1	2	3	4
आदानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सब्सिडी			
1. उर्वरक (कुल)	11596	13463	13800
2. बिजली**	6321	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3. सिंचाई***	11827	12650	13655+

1	2	3	4
4. सीमान्त किसानों तथा कृषक सहकारी समितियों को बीजों, तिलहन, दलहन के विकास आदि के रूप में प्रदत्त अन्य सब्सिडी	140*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

*अनंतिम

स्रोत : 1 उर्वरक केन्द्रीय सरकार का व्यय बजट 2001-02 भाग-I

2. बिजली तथा सिंचाई: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

**इसमें विद्युत बोर्डों एवं निगमों को दी गई सभी प्रकार की सब्सिडी शामिल हैं। खासतौर से कृषि क्षेत्र को दी गई विद्युत सब्सिडी के अनुमान अलग से नहीं रखे जाते हैं।

***किसानों को आपूर्तित जल की दरें, नीतिगत निर्णय के तौर पर, कम रखी जाती हैं, परिणामत: सहकारी सिंचाई व्यवस्था को नुकसान होता है। प्रचालनात्मक लागत और सकल राजस्व के बीच की गुंजाइश परिकलित सब्सिडी मान ली जाती है।

+त्वरित अनुमान

निधियों का उपयोग न किया जाना

2307. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष में नारियल विकास बोर्ड ने 20 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नारियल उत्पादक राज्यों की सहायता से कंसोर्टियम आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान, भारत सरकार ने नारियल के विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड को 70.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की है जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एरियोफायड माइट के प्रबन्ध तथा आंध्र प्रदेश में तूफान से प्रभावित नारियल उद्यानों की पुनर्स्थापना हेतु सहायता शामिल है। वर्ष 2000-2001 के दौरान बोर्ड ने 65.32 करोड़ रुपये का उपयोग किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

जैव उर्वरकों का प्रयोग

2308. श्री रामजी मांझी :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास परियोजना अपेक्षित गति से नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को सफल बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गठित की जाने वाली जैव उर्वरक इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान जैव उर्वरकों के विकास एवं उपयोग से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की एक सतत स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। जैव उर्वरकों के कारगर उपयोग के लिए विस्तार कार्मिकों एवं किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विस्तार, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने के लिए नौवीं योजना के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रदर्शन परीक्षणों की संख्या में और वृद्धि की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत, 150/75 मी. टन प्रति वर्ष क्षमता की जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण हेतु कृषि उद्योगों/सहकारी समितियों/उर्वरकों से संबंधित

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों एवं निजी उद्यमियों को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।

इस स्कीम में योजनावधि के दौरान जैव उर्वरकों की 4500 मी. टन उत्पादन क्षमता के सृजन का प्रावधान है। तदनुसार जैव उर्वरकों के उत्पादन की 4500 मी. टन की यह लक्षित क्षमता विभिन्न राज्यों में 37 यूनिटों के माध्यम से संस्वीकृत की गई है। इस प्रकार नौवीं योजना के दौरान जैव उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

पर्यटन पर सम्मेलन

2309. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बाहरी एवं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु तैयार की गई लघुवधि एवं दीर्घावधि योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित अल्पावधि एवं दीर्घावधि योजनाएं बनाई हैं:-

1. राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में पर्यटन विकास की अवस्थिति तथा रख-रखाव करना
2. पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोत्तरी करना तथा रख-रखाव करना।
3. भारत के मौजूदा पर्यटन उत्पादों में वृद्धि करना और नई मार्किट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका विस्तार करना।
4. विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन करना।
5. सतत एवं प्रभावी मार्किट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।
6. ग्रामीण और छोटे घटक पर्यटन के लिए विशेष बल देना।
7. सभ्यता मुद्दों और नागरिक प्रशासन तथा बेहतर शासन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुकूल मुद्दों पर ध्यान देना।

कृषि संबंधी सूचना एवं आंकड़ों का संग्रहण

2310. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि संबंधी सूचना का समय से संग्रहण और साइबर स्पेस इन्फारमेटिक्स टूल्स के माध्यम से इसके प्रचार-प्रसार से भारतीय किसान घरेलू एवं बाह्य व्यापार के लिए लाभकारी विपणन रणनीतियों से बेहतर रूप से लैस हो सकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। कृषि क्षेत्र के विविध पहलुओं जैसे फसल का क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता, भूमि उपयोग, भू जोत पैटर्न, मूल्य, मण्डी आसूचना, व्यापार आदि से संबंधित आंकड़ों एवं जानकारी के यथासमय संकलन के लिए सरकार विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। व्यापक उपयोगिता हेतु इस जानकारी का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है जिसमें साइबर स्पेस भी शामिल है जैसे कृषि एवं सहकारिता विभाग की वेबसाइट। वेबसाइट का पता है: http://www.agricoop.nic.in.

कृषि विपणन आसूचना नेटवर्क संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मण्डी आसूचना के शीघ्र एकत्रीकरण एवं प्रचार-प्रसार के लिए एक देशव्यापी आसूचना नेटवर्क की स्थापना की जा रही है, ताकि इस जानकारी का कारगर एवं यथासमय उपयोग किया जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत परामर्शदाता के रूप में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा वाणिज्यिक आधार पर एगमार्क नेट पोर्टल www.agmarknet.nic.in. का विकास किया गया है और मण्डी समितियों के अधिकारियों को इसके हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के चालन के बारे में प्रशिक्षित कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक देश की 710 महत्वपूर्ण कृषि उपज मण्डियों को इससे जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कृषि उपज मण्डियों, राज्य कृषि विपणन बोर्डों/निदेशालयों को, आसूचना नेटवर्क के सुचारू कार्य निष्पादन में सुविधा हेतु कम्प्यूटरों से जोड़ दिया गया है। मण्डी समितियों को प्राप्त आंकड़े एगमार्क पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

निर्यात संवर्द्धन के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने अपनी स्वयं की वेबसाइट

(www.apeda.com) स्थापित की है ताकि सूचना का ऑनलाइन प्रचार-प्रसार किया जा सके। इस वेबसाइट में अपेडा के बारे में आधारभूत जानकारी, इसके दायरे में आने वाले उत्पादों की सूची, निर्यातित उत्पादों की गुणवत्ता तथा मूल्य से संबंधित संक्षिप्त सारगर्भित जानकारी, अपेडा को नियमित रूप से प्राप्त होने वाली कन्ट्री प्रोफाइल तथा व्यापारिक पूछताछ संबंधी जानकारी दी जाती है।

मक्के की खेती

2311. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मक्के की 6.3 लाख प्रति हेक्टेयर के साथ 11.5 मिलियन टन की वार्षिक पैदावार के बावजूद गेहूं एवं चावल की तुलना में मक्के को कम आंका जाता है;

(ख) क्या मक्के का उपयोग पशु-कुक्कुट चारे के रूप में किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उपयोगिता वर्धन के द्वारा मानव उपयोग हेतु मक्के को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के 8.4 टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में भारत में मक्के की 1.76 टन प्रति हैक्टेयर की पैदावार कम है; और

(ङ) यदि हां, तो मक्का उत्पादन हेतु जैव संसाधित बीजों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि प्रणाली के तहत अनुसंधान तथा विकास, दोनों दृष्टियों से मक्का की फसल पर समुचित ध्यान दिया गया है। ''समन्वित अनुसंधान परियोजना'' का दर्जा बढ़ाकर इसे मक्का अनुसंधान निदेशालय बनाया गया है और ''त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है, जिसमें अनुसंधान तथा विकास फसलोपरांत प्रौद्योगिकी, आदानों की आपूर्ति एवं प्रौद्योगिकी अंतरण आदि पर जोर देते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान 6.56 मिलियन हेक्टैयर क्षेत्र में मक्का की खेती की गई और 12.07 मिलियन मी. टन उत्पादन तथा 1.84 मी. टन/हेक्टेयर का उत्पादकता स्तर हासिल किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) मक्का का उपयोग प्रमुखत: खाने के लिये किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि देश में उत्पादित मक्का का 45-48% का उपयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है।

मक्का का उपयोग 3500 से अधिक प्रकार से किया जाता है। मक्का से अनेक प्रकार के मूल्य वर्धित उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के स्टार्च, ग्लूकोज, हाई फ्रक्टोन कॉर्न सिरप, सॉर्बिटॉल, कॉर्न आयल, डेक्स्ट्रोज, कॉर्न शुगर, लैक्टिक अम्ल आदि।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान व्यवस्था के अंतर्गत गुणवत्ता प्रोटीन मेज (क्यू.पी.एम.) नामक एक नई किस्म का विकास करके वाणिज्यिक स्तर पर इसकी खेती के लिए इसे निर्यात किया गया है, जिसमें प्रोटीन की गुणवत्ता बेहतर है और मक्का की सामान्य संकर किस्मों की तुलना में पैदावार क्षमता अधिक है। क्यू.पी.एम. के अलावा स्वीट कॉर्न, पॉप कॉर्न, बेबी कॉर्न आदि जैसी अन्य किस्में भी विकसित की गई हैं।

(घ) हमारे देश में वर्ष 2000-2001 के दौरान मक्का की औसत उपज 1.84 मी. टन/हेक्टेयर थी।

यह सही है कि हमारा औसत उपज स्तर अमेरिका की तुलना में काफी कम है। दरअसल ऐसा इसिलए है कि अमेरिका में इस फसल की खेती बड़े भू भाग पर शीतोष्ण परिस्थितियों में की जाती है, जबकि हमारे यहां इसकी खेती अधिकांशत: संसाधन विहीन छोटे और सीमांत किसानों द्वारा जो मानसून की वर्षा पर निर्भर रहते हैं, खरीफ फसल के रूप में की जाती है। इसके अलावा खरीफ फसल को अनेक प्रकार के बायोटिक तथा एबायोटिक कारकों का सामना भी करना पड़ता है। तथापि अनुकूल स्थितियों में, जब इस फसल की खेती शीतोष्ण परिस्थिति में की जाती है, हमारी शीत फसल (रबी मक्का) का उत्पादकता स्तर अमेरीका के उत्पादकता स्तर के तुल्य होता है। इसी प्रकार हमारी खरीफ मक्का की पैदावार भी सामान्यत: अन्य उष्ण कटिबंधीय देशों की मक्का के पैदावार के तुल्य है।

(ङ) इसकी अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा पोषणिक दृष्टि से बेहतर तथा अधिक पैदावार देने वाली संकर किस्मों खास तौर से एक बार संकरित संकर किस्मों के विकास पर जोर दिया गया है। मिश्रित/स्थानीय किस्मों के स्थान पर जल्दी पकने वाली मक्का की द्वि पितृ संकर किस्म तथा पूर्ण एवं मध्यम अवधि में पकने वाली मक्का के मामले में एकल संकरण संकर किस्म की खेती की ओर प्रवृत्त होने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इस समय मक्का की अनुवांशिक रूप से संशोधित का परीक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में किया जा रहा है।

टिकटों की वैधता की समय-सीमा

2312. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने टिकटों की वैधता के संबंध में समय-सीमा रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपनी व्यावसायिक सेवाओं को आकर्षक एवं यात्री अनुकूल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्देशीय टिकटों तथा अंतरराष्ट्रीय टिकटों के संबंध में विवरण इस प्रकार है:

(1) *अंतर्देशीय टिकटें*

- आईएनआर/यूएसडी किराये पर जारी किए गए टिकट जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए यात्रा के लिए वैध होते हैं।
- अंतर्देशीय यात्रा सामान्यतया दो महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाती है तथा यह एक वर्ष की वैधता टिकटों की उपयोगिता अर्थात् यात्रा रि-रूटिंग तथा पुन: टिकट जारी करने में पर्याप्त लोच के कारण यात्रियों को नई टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं होती तथा इसे एक वर्ष की वैधता अवधि के दौरान कई बार पुन: जारी करा सकते हैं।

(2) *अंतरराष्ट्रीय टिकटें*

- इनकी वैधता अवधि यदि टिकट के किसी भागका प्रयोग न किया गया हो तो यात्रा आरंभ करने की तारीख से एक वर्ष तक ऐसी टिकटों के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक है।
- अंतरराष्ट्रीय टिकटों के मामले में आयटा द्वारा दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते हैं तथा दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय वाहकों द्वारा इनका अनुपालन किया जाता है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी सेवाओं को आकर्षक तथा लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- फ्लाइवे-होलीडे पैकेज आरंभ करना।
- प्रमुख महानगरों में होटलों में ठहरने पर रियायत देकर स्लीपओवर पैकेज आरंभ करना।
- देश विदेश स्कीम आरंभ करना जिसमें फ्रीक्वैंट फ्लायर को अंतरराष्ट्रीय टिकटों का लाभ दिया जाता है।
- वाक-इन-फ्लाइट आरंभ करना।
- उड़ानगत सेवाओं में गुणात्मक परिमाणात्मक सुधार।
- पोषाहार, जैन आहार तथा बच्चों का आहार आरंभ करना।
- छोटे यात्रा करने वाले बच्चों के लिए उपहार स्वरूप वस्तुएं देकर नेटफन्डू स्कीम का आरम्भ करना।
- अंतर्देशीय टिकटों की वैधता छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करना।
- विमान की भीतरी भागों का नवीकरण।

राज्य पर्यटन विकास निगमों के लिए पैकेज

2313. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार विभिन्न राज्यों में स्थित राज्य पर्यटन विकास निगमों के लिए कोई विकास पैकेज उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम एवं राज्य पर्यटन विकास निगमों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन के संवर्धन के लिए, भारत पर्यटन विकास निगम की सुविज्ञता के प्रसार हेतु तथा राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से भारत पर्यटन विकास निगम, आरक्षण एवं मार्केटिंग, नए पैकेजों के विकास, पर्यटक साहित्य के प्रचार एवं मुद्रण, पर्यटन कार्यक्रम प्रबंधन, पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन, मानव संसाधन विकास, तकनीकी एवं आर्थिक परामर्शी सेवाएं आदि के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान कर रहा है।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम ने अभी तक संबंधित राज्यों में पर्यटन विकास के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा झारखण्ड के राज्य पर्यटन निगमों/सरकारों के साथ समझौते-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

शीतगृह

2314. श्री विष्णु पद राय :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री राजो सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर शीतगृहों को किसी विशेष उत्पाद के लिए तैयार किया जाता है अथवा बनाया जाता है और उत्पादों को केवल सीमित अवधि के लिए रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न उत्पादों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्यमान शीतगृहों को परिवर्तित किये जाने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि फलों एवं सब्जियों जैसी नष्ट होने वाली वस्तुओं के भंडारण-काल में वृद्धि की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में विशेषकर अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, उड़ीसा, बिहार एवं तमिलनाडु के मदुरई एवं पेरियाकुलम क्षेत्रों में शीतगृहों के निर्माण हेतु संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) शीतागार एवं भण्डारण संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार (फरवरी, 1999), वर्ष 1998 के अंत तक स्थापित 3443 शीतागार यूनिटों में से 2012 यूनिटें आलू के लिए, 447 यूनिटें बहुउद्देश्यी उपयोग के लिए तथा केवल 198 फलों और सब्जियों के लिए थी। यह अनुमान लगाया गया था कि कुल क्षमता का लगभग 92% केवल आलू के भण्डारण के लिए उपयोग किया जा रहा था। भण्डारण अवधि वर्ष के दौरान हर उत्पाद और हर मौसम में अलग-अलग होती है तथापि, आलू को शीतागारों में 6 से 8 माह तक रखा जाता है।

शीतागार उद्योग हेतु मुख्य रूप से जोर देने के लिए सरकार ने दिसम्बर, 1999 से "बागवानी उत्पाद हेतु शीतागारों तथा भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम" नामक एक नई स्कीम शुरू की है जिसे कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त स्कीम के अधीन नए निर्माण के अलावा वर्तमान शीतागारों के विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए पार्श्वांत राजसहायता भी मुहैया कराई जा रही है। उपर्युक्त स्कीम में बहु-चैम्बर और बहु-उत्पाद शीतागारों के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिसके तहत पात्र लाभानुभोगियों को पार्श्वांत राजसहायता मुहैया की जाती है।

स्कीम के तहत, 12.2.2002 की स्थिति के अनुसार 12889.09 लाख रुपये की पात्र राजसहायता से देश में 440 शीतागारों को मंजूरी दी गई है। मंजूर की गई शीतागार परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा और कुल पात्र राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तमिलनाडु राज्य के लिए मंजूर की गई 16 परियोजनाओं में से मदुरई में चार शीतागार परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। स्कीम मांग आधारित है और शीतागारों की स्थापना के प्रस्ताव पात्र लाभानुभोगियों से आने हैं।

विवरण

12.2.2002 तक बागवानी उत्पाद हेतु शीतागारों तथा भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के अधीन मंजूर की गई शीतागारों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	पात्र राजसहायता
1	2	3
गुजरात	41	1000.73
उड़ीसा	5	0170.53
मध्य प्रदेश	27	0693.14
छत्तीसगढ़	10	0338.45
आंध्र प्रदेश	27	1118.77

1	2	3
महाराष्ट्र	22	0635.15
पंजाब	31	0785.68
हरियाणा	19	0596.06
तमिलनाडु	16	0454.21
असम	5	0229.81
हिमाचल प्रदेश	1	0012.07
राजस्थान	26	0812.02
उत्तर प्रदेश	158	4851.72
कर्नाटक	14	0472.98
बिहार	10	0218.23
त्रिपुरा	1	0040.00
पश्चिम बंगाल	23	0415.78
दिल्ली	3	0041.76
केरल	1	0002.00
कुल	440	12889.09

तमिल शिलालेखों का प्रकाशन

2315. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण भारत में पता लगाए गए तमिल शिलालेखों की संख्या तथा कालक्रम का वंश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पता लगाए गए सभी तमिल शिलालेखों और दक्षिण भारतीय शिलालेखों को प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अब तक पता लगाए गए तमिल शिलालेखों के संबंध में सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान कराने के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय पुरातत्व (भा.पु.स.) ने कालक्रमानुसार दक्षिण भारत से संबंधित लगभग 25290 तमिल उत्कीर्ण लेखों की सूचियां है, प्रतिलिपियां तथा रिपोर्ट तैयार की हैं जैसा कि संलग्न विवरण में उल्लिखित है।

(ख) उपरोक्त उल्लिखित तमिल उत्कीर्ण लेखों की रिपोर्ट भा.पु.स. की भारतीय पुरालेख पर वार्षिक रिपोर्ट के 103 खंडों में है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारतीय उत्कीर्ण लेखों के 27 खंडों में से पांच खंड केवल तमिल उत्कीर्ण लेखों को समर्पित हैं।

(ग) और (घ) द्रविड भाषाओं के लिए पदों की स्वीकृत संख्या में एक अधीक्षण पुरालेखविद्, तीन उप अधीक्षण पुरालेखविद्, दो सहायक अधीक्षण पुरालेखविद् तथा छः वरिष्ठ पुरालेखीय सहायक शामिल हैं।

विवरण

1. पल्लन
2. वनास
3. चोल
4. राष्ट्रकूट
5. होयसल कोंगू (के शासक)
6. कदवरचा
7. टेंकसी के पांड्या
8. विजयनगरम्
9. शम्भूराया
10. मदुरई के नायक
11. तंजोर के नायक, और
12. कुछ विभिन्न राजा

गुजरात में पर्यटकों की कमी

2316. श्री जी.जे. जावीया : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान गुजरात में पर्यटन विकास में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जनवरी, 2001 के भूकम्प के बाद राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने भूकम्प से प्रभावित पर्यटन एककों के लिए पुनर्वास योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भूकम्पीय क्षेत्र 4 और 5 में स्थित पर्यटन एककों और हैरिटेज होटलों के लिए वित्तीय सहायता की योजनाओं की भी घोषणा की है।

(घ) गुजरात और विशेष रूप से गुजरात के उभरते हुए पर्यटक गंतव्य स्थल कच्छ के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रचार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वृहत सार्वजनिक जानकारी सृजित की जा रही है।

मछुआरों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी

2317. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण मछुआरे संकट में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परम्परागत मत्स्यन क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए यह मंत्रालय परम्परागत मत्स्यन यान के मोटरीकरण के लिए एक घटक क्रियान्वित कर रहा है जिसमें समुद्री मात्स्यिकी के विकास की योजना के तहत आउट बोर्ड मोटर तथा इन बोर्ड मोटर के लिए क्रमश: 10,000/- रुपए तथा 12,000/- रुपए की राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त समुद्र विकास विभाग 8वीं पंचवर्षीय योजना से दो चरण में "शोर टू फिशिंग वेसल" संचार प्रणाली के तहत गुजरात को छोड़कर सभी समुद्रवर्ती राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में तटवर्ती मछुआरों के लाभार्थ संचार प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान पारम्परिक यान के मोटरीकरण के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत् है:-

राज्य	राशि (लाख रुपए में)
आंध्र प्रदेश	65.00
गुजरात	9.50
गोवा	8.23
कर्नाटक	19.42
केरल	20.00
महाराष्ट्र	1.21
उड़ीसा	70.00
तमिलनाडु	47.19
पांडिचेरी	6.00
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	33.90

[हिन्दी]

आयुर्वेद और योग से पर्यटकों को जोड़ना

2318. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों को आयुर्वेद और योग से जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को किन-किन राज्यों में आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) उन पर्यटकों के लिए जो स्वास्थ्य, उपयुक्तता और मानसिक शांति में रूचि रखते हैं, स्वास्थ्य पर्यटन का संवर्धन करने हेतु, पर्यटन विभाग की योग केन्द्रों, चिन्तन केन्द्रों, आयुर्वेद केन्द्रों, प्राकृतिक स्वास्थ्य केन्द्रों या

अन्य ऐसे ही केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 25% या 25 लाख रुपए, जो भी कम हो, तक प्रदान की जाती है।

(ख) वित्तीय सहायता उन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की जाती है जो ऐसी सुविधाओं के सृजन के लिए पर्यटन विभाग को आवेदन करते हैं।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारक

2319. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ और ऐतिहासिक किलों और स्मारकों को विकास हेतु केन्द्र सरकार की सूची में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है ताकि उन्हें वित्तीय सहायता दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अलसी की खेती

2320. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में अलसी के बड़े पैमाने पर होने वाली खेती के मद्देनजर राज्य सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग को अलसी के न्यूनतम समर्थन के निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) उनके मंत्रालय और कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय उक्त आयोग से अलसी के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए कहेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को अलसी हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अलसी हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव 1999 में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच की गई तथा इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि अलसी का उत्पादन स्थानीय किस्म का है और उन्हीं वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं जो क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में अखिल भारतीय महत्व की हों।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस की देश-विदेश योजना

2321. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस अपने ग्राहकों को देश विदेश-II योजना के अंतर्गत नि:शुल्क टिकट दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश-विदेश योजना के अंतर्गत यात्रा करने वाले कनफर्म यात्रियों को स्थान नहीं दिया जाता ताकि एयरलाइंस के नियमित टिकटधारी अन्य यात्रियों को स्थान दिया जा सके;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। यात्रियों द्वारा घरेलू यात्रा पर खर्च की गई राशि के आधार पर इंडियन एयरलाइंस अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रोत्साहन टिकटों की देश-विदेश योजना चला रही है। देश-विदेश-II योजना का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं। एयरलाइंस के नियमित टिकटों के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों के विमान में जगह देने के लिए देश-

विदेश योजना के तहत दी गई पुष्टिकृत टिकटधारियों को विमान से नहीं उतारा जाता।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

योजना का विवरण देश-विदेश-II

वैधता : यह योजना 16 नवम्बर, 2001 से 15 फरवरी, 2002 तक वैध है।

प्रयोज्यता एवं पुरस्कार

(क) वैध अवधि (16 नवम्बर, 2001 से 15 फरवरी, 2002 तक) इंडियन एयरलाइंस के घरेलू नेटवर्क पर 75,000/- रुपए के बराबर (आई.ए.टी.टी./पी.एम.एच./आई.एन.एस. सहित टिकट की कुल कीमत) मूल्य की यात्रा करने पर यात्री संलग्न किसी भी सेक्टरों के लिए एक वापसी का नि:शुल्क अंतरराष्ट्रीय टिकट पाने का पात्र होगा। (परिशिष्ट)

(ख) 1,10,000/- रुपए (टिकट की कुल कीमत) या उससे अधिक मूल्य के बराबर यात्रा करने पर यात्री संलग्न किसी भी सेक्टरों के लिए दो वापसी के नि:शुल्क अंतरराष्ट्रीय टिकट पाने का पात्र होगा।

(ग) 90,000 रुपए या 1,30,000/- रुपए के बराबर मूल्य की यात्रा करने पर यात्री को अपनी टिकट बिजनेस श्रेणी में अपग्रेड कराने की सुविधा प्राप्त होगी।

(घ) यह योजना सभी घरेलू सेक्टरों पर केवल भारतीय रुपयों में यात्रा करने पर लागू है।

(ङ) मुम्बई से प्रारंभ होने वाली सभी यात्राओं पर विदेश स्थित गन्तव्यों के लिए गेटवे प्वाइंट तथा संपर्क परिशिष्ट के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

परिशिष्ट

यात्राक्रम की सूची

अहमदाबाद

- कुवैत
- मस्कट
- शारजाह

अमृतसर

- शारजाह

बंगलौर

- कुआलालम्पुर
- मस्कट
- शारजाह
- सिंगापुर
- बैंकॉक

चेन्नई

- कुआलालम्पुर
- बैंकॉक
- सिंगापुर
- कोलम्बो
- शारजाह
- कुवैत
- फुजीयाराह
- मस्कट
- राज-अल-खेमाह

कोचीन

- दोहा
- कुवैत
- मस्कट
- शारजाह

कोयम्बतूर

- शारजाह

दिल्ली

- काठमांडू
- शारजाह
- सिंगापुर
- बैंकॉक
- मस्कट

गोवा

- कुवैत
- शारजाह

हैदराबाद

- दोहा
- दुबई
- शारजाह
- कुवैत
- मस्कट
- बैंकॉक

कोलकाता

- बैंकॉक
- काठमांडू
- यांगून
- डेका
- सिंगापुर भाया बैंकॉक
- शारजाह

कोजीकोड

- बहरीन
- दोहा
- फजीराह
- राज-अल-खेजाह
- शारजाह

लखनऊ

- शारजाह

मुम्बई

- कराची
- सिंगापुर, बैकॉक वाया चेन्नई
- मस्कट, कुवैत वाया अहमदाबाद

तिरूचिरापल्ली

- कुवैत
- फंजीराह
- राज-अल-खेमाह
- शारजाह

तिरूवनन्तपुरम

- कोलम्बो
- माले

वाराणसी

- काठमांडू

त्योहारों के मौसम के दौरान पटाखों के लिए समय-सीमा

2322. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा त्योहारों के दौरान पटाखों के प्रयोग के लिए निर्धारित समय-सीमा की पुनरीक्षा के लिए कोई याचिका दायर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2323. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को नए सिरे से पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव/मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। स्कीम में प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समीक्षा हेतु एक प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू की गई है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के उद्देश्य तथा विषय वस्तु में सुधार हेतु समय-समय पर किसानों के प्रतिनिधियों तथा आंध्र प्रदेश सहित राज्यों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सभी सुझावों पर विचार-विमर्श करने हेतु राज्य के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 14.9.2000 को बुलाया गया। बाद में, खाद्य प्रबंध तथा कृषि निर्यात पर केन्द्रीय मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति ने भी 31 अक्तूबर, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया। इन सुझावों/सिफारिशों के मद्देनजर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और रशियन अकादमी के बीच समझौता

2324. श्री सुबोध मोहिते : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और रशियन एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइन्सेस के बीच कृषि विज्ञान में सहयोग करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निजी क्षेत्र में अपनी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन और वित्तपोषण कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। कृषि तथा सम्बद्ध विषयों में सहयोग हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा रूसी कृषि विज्ञान अकादमी (आर.ए.ए.एस.) रूस के बीच 5.10.1995 को नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते को लागू करने के लिए नई दिल्ली में 18.12.2001 को 2002-2003 के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कार्य योजना में अध्ययन दौरों/प्रशिक्षण बागवानी, फसल विज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध तथा पशु विज्ञान के क्षेत्र में जननद्रव्य का आदान-प्रदान शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा किराए में वृद्धि

2325. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किराए में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान यातायात में सुधार करने के लिए चार-पांच सीटों वाले विमानों की खरीद की गई है या की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर ने दिनांक 15 फरवरी, 2002 से उत्तर पूर्वी सेक्टरों के लिए 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच किरायों में बढ़ोत्तरी की है। इस वृद्धि के बाद भी उत्तर-पूर्वी सेक्टरों के किराए देश के अन्य भागों में लागू समान सेक्टरों के किरायों से 12.5 प्रतिशत कम हैं।

(ख) भारत के शेष भाग की तुलना में उत्तर-पूर्वी सेक्टरों पर उच्च प्रचालन लागत के निम्नलिखित कारण हैं:-

* लघु मार्ग सेक्टर प्रचालन;
* जल्दी-जल्दी अवतरण के कारण अवतरण व नेविगेशन प्रभार में अधिक व्यय;
* रात्रि में अवतरण सुविधाएं न होने, सूर्यास्त की सीमाओं के कारण प्रचालन की समय-सीमा का होना;
* हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार से सब्सिडी का न मिलना।

(ग) और (घ) उत्तर-पूर्व के संपर्कों में सुधार के लिए इंडियन एयरलाइंस को 50 सीट वाले विमान पट्टे पर लेने की सलाह दी गई है। टैंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं। जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

'रिक्त पद'

2326. श्री अमर रायप्रधान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 2001 के अनुसार रिक्त पदों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और ये पद किस तिथि से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को रिक्त रखने का क्या कारण है; और

(ग) इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में बेरोजगार व्यक्ति

2327. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में आज की तिथि के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों का, विशेषकर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तिथि के अनुसार इनमें से कितने व्यक्तियों को, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, क्रमश: 1.23 लाख एवं 0.7 लाख के लगभग थी।

(ख) वर्ष 2000 के दौरान, राजस्थान में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कुल 211 अनुसूचित जाति एवं 110 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

[अनुवाद]

कुक्कुट पालन

2328. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने देश में कुक्कुट पालन से जुड़े समुदाय को बचाने/उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में कुछ सुझाव/सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने चिकन और चिकन मीट उत्पादों के आयात पर 150 प्रतिशत एंटी डम्पिंग शुल्क लगाने तथा कुक्कुट पालन की कुल आय के $33^{1}/_{3}$ प्रतिशत को आयकर अधिनियम के क्षेत्र से छूट प्रदान करने के सुझाव दिए थे। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया था जो कि उक्त मसलों के लिए नोडल मंत्रालय हैं। राज्य सरकार को तद्नुसार सूचित किया गया था कि वे अपनी ओर से इन विभागों के साथ मामले को उठाएं।

परिसम्पत्तियों का अंतरण

2329. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ की परिसम्पत्तियों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को अंतरित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से राष्ट्रीय गन्ना एवं चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ की परिसम्पत्तियां अन्तरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने योजना आयोग से अपने संस्थान नामत: "नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पार्टटैंट माइक्रो-ऑर्गेनिज्मस (एन.बी.ए.आई.एम.) नई दिल्ली" को राष्ट्रीय गन्ना एवं चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ में स्थानान्तरित करने के संबंध में अपनी अनुमति देने का अनुरोध किया था। इस संबंध में योजना आयोग से हाल ही में अनापत्ति पत्र प्राप्त हुआ है। तथापि, इस मामले में अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले की जाने वाली विस्तृत औपचारिकताओं को अभी तय किया जाना है।

हेलीकॉप्टर सुरक्षा के लिए एजेन्सी

2330. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक के पास देश में हेलिकॉप्टर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी एक अलग एजेन्सी है;

(ख) यदि हां, तो इस एजेन्सी के कृत्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हेलिकॉप्टर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी तकनीकी स्टाफ के पास नवीनतम प्रशिक्षण नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तकनीकी स्टाफ को नवीनतम प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय के पास एकल एवं बहु-इंजिन हेलीकॉप्टर्स के लिए व्यापक अनुभवी इंजीनियर एवं पायलट हैं और हेलीकॉप्टर अनुरक्षण तथा प्रचालन की दैनिक मॉनीटरिंग में इनकी सेवाएं उपयोग में लाई जाती हैं। श्री सुनील अरोड़ा, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हाल ही में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर एक विशेष कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जो रोटेरी विंग एयरक्राफ्ट के अनुरक्षण/प्रचालन एवं उड़ानयोग्यता संबंधी आवश्यकताओं की मॉनीटरिंग का कार्य करेगा।

बंगलौर विमानपत्तन का निर्माण

2331. श्री अम्बरीश : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्सोर्टियम ऑफ सीमेन्स, यूनिक ज्यूरिच एयरपोर्ट, एल. एण्ड टी. और अन्य सहयोगियों ने बंगलौर अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के संबंध में अपने वित्तीय कारोबारों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भागीदार की हिस्सेदार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विमानपत्तन का निर्माण कब तक पूरा होने और इसे कब तक संचालनात्मक बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्रीय एजेन्सी ने इस प्रयोजनार्थ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लागत वृद्धि सहित पूरी परियोजना की अनुमानित लागत क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हवाई अड्डे का निर्माण तकनीकी एवं वित्तीय संवरण की तारीख से तीस महीने के भीतर पूरा होने की आशा है।

(घ) और (ङ) कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा परियोजना के लिए लगभग 4300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो अन्तिम अवस्था में है। भूमि जिसे परियोजना के लिए पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव है, को छोड़कर जिसमें अनुमानित लागत वृद्धि 1150 करोड़ रुपये शामिल है।

नांदेड़ में तीर्थ स्थल

2332. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रन्थसाहिब के 300 वर्ष पूरे होने की संध्या पर महाराष्ट्र में नांदेड़ में कई तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुंभ मेले की तरह ही राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नांदेड़ में ग्रन्थसाहिब के 300 वर्ष मनाने हेतु वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति

2333. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पुस्तकालय अभियान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सभी संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना और उनमें सुधार के लिए वार्षिक रूप से 10 से 15 लाख रुपये व्यय करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी संसद सदस्य इस प्रयोजनार्थ निधियां देने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (च) राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के वर्तमान हालातों पर विचार-विमर्श करने, देश में पुस्तकालयों में सुधार, उनका पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण करने के उपायों पर विचार करने तथा साथ ही पुस्तकालय अभियान को नई दिशा देने के लिए 5 जनवरी, 2002 को राष्ट्रीय गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस राष्ट्रीय गोल मेज सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, उक्त समस्या के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए कुछ अन्य दलों का गठन किया गया। निजी उद्यमियों से कोई सहायता नहीं मांगी गई। तथापि संसद सदस्यों से यह अनुरोध करने का निर्णय किया गया कि वे, "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एम.पी.एल.ए.डी.)" के 2 करोड़ रु. में से 15-20 लाख रु. अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए निर्धारित करें। इस संबंध में अभी संसद सदस्यों से उत्तर की प्रतीक्षा है।

खाद्य पार्क के लिए अनुदान

2334. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य पार्कों को आरम्भ करने के लिए विशेष अनुदान बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पार्कों की किन-किन स्थानों में स्थापना किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता के लिए अब तक अनुमोदित खाद्य पार्कों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता के लिए अनुमोदित खाद्य पार्कों की सूची

क्र.सं.	संगठन	परियोजना स्थल/राज्य
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., मध्य प्रदेश	मंदसौर, मध्य प्रदेश
2.	आंध्र प्रदेश औद्योगिक संरचना निगम लि.	चित्तूर, आंध्र प्रदेश

1	2	3
3.	महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लि.	बुटीबोरी, नागपुर, महाराष्ट्र
4.	मणिपुर खाद्य उद्योग निगम लि.	इम्फाल, मणिपुर
5.	जम्मू-कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (जे एंड के, सिडको)	खुनमोह, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर
6.	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लि.	बोधजंग नगर, त्रिपुरा
7.	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	कोलार, कर्नाटक
8.	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	बागलकोट, कर्नाटक
9.	केरल औद्योगिक संरचना विकास निगम	जिला मल्लपुरम, केरल
10.	वाइज औद्योगिक पार्क लि.	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
11.	मॉडयुलर कनसल्टेंट्स प्राइवेट लि.	धनकुनी, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल
12.	पश्चिम बंगाल राज्य मछुआरा सहकारी लि.	मौजा चकगरिया, 24 परगना (दक्षिण)
13.	असम लघु उद्योग विकास निगम लि.	सोनपुर, जिला कामरूप, असम
14.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
15.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	वाराणसी, उत्तर प्रदेश
16.	पंजाब कृषि निर्यात निगम	सरहिंद, जिला फतेहगढ़ साहिब
17.	वी.पी.एस. अरूयम्पेरूमल नादर एंड सन्स	विरूधुनगर, तमिलनाडु
18.	मिजोरम खाद्य एवं संबद्ध उद्योग निगम	चियांगचिप, मिजोरम
19.	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लि.	नीमरानी, जिला खर्गोन, मध्य प्रदेश
20.	समुद्री उत्पाद संरचना विकास निगम प्राइवेट लि.	अरूर अलप्पुझा, केरल
21.	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	साहा, अम्बाला, हरियाणा
22.	मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (भोपाल) लि.	होशंगाबाद, मध्य प्रदेश
23.	उड़ीसा औद्योगिक संरचना विकास निगम	खुर्दा, उड़ीसा
24.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	ग्राम: तीदेसरा, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़
25.	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	राई, सोनीपत, हरियाणा
26.	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र, विकास निगम (जबलपुर) लि.	वोरगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

[हिन्दी]

मशरूम उत्पादन

2335. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मशरूम के उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा मशरूम की खेती और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 9वीं योजना (सितम्बर, 2000 तक) के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करके खुम्बी के उत्पादन पर एक योजना कार्यान्वित की। इस स्कीम को अक्तूबर, 2000 से कृषि में वृहत प्रबन्ध स्कीम-कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों में अनुपूरण/सम्पूरण में समाहित कर दिया गया है। खुम्बी उत्पादन स्कीम के कार्यक्रमों को अब राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी कार्य योजनाओं के माध्यम से चलाया जासकता है। इस स्कीम के तहत, राज्यों के पास अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं के लिए अधिक लचीलापन है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ''उत्पादन एवं कटाई पश्चात प्रबन्ध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास'' नामक अपनी स्कीम के अंतर्गत खुम्बी के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र, सोलन से उपलब्ध अनुमानों के अनुसार खुम्बी का उत्पादन वर्ष 1994-95 के दौरान 25,190 मीटरी टन, 40,000 मीटरी टन (1996-97) तथा 47,150 मीटर टन (1999-2000) था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान खुम्बी का निर्यात निम्नलिखित है:-

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1998-1999	3182	1201.63
1999-2000	4420	1199.89
2000-2001	7598	3919.52

(घ) उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित स्कीमें, देश में खुम्बी की खेती के संवर्धन में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र, सोलन में प्रशिक्षणों तथा खुम्बी उत्पादकों को गुणवत्ता वाले स्पॉन उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम हैं। इस केन्द्र ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से खुम्बी पर एक पत्राचार पाठ्यक्रम भी शुरू किया है।

कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके खुम्बी के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों का विलय

2336. श्री प्रबोध पण्डा :
श्री अधीर चौधरी :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की सात सहयोगी कम्पनियों के विलय के प्रस्ताव पर वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा विचार कर लिया गया है और निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जी.ओ.एम. द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की सभी सहायक कम्पनियों के एक कम्पनी में विलय के प्रस्ताव पर वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह द्वारा विचार-विमर्श किया गया था। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, कार्यकुशलता, उत्पादकता, परस्पर प्रतिस्पर्धा के व्यापक हितों तथा अन्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों का एक कम्पनी में विलय करने के पक्ष में नहीं है।

[हिन्दी]

पशुपालन की योजनाओं का कार्यान्वयन

2337. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुपालन सबंधी योजनाओं का ठीक ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पशुधन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार आनुवंशिक उन्नयन, पशु रोग नियंत्रण तथा पोषक आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ा करके पशुधन की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की परियोजनाएं

2338. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2001 तक और 1 अप्रैल, 2001 से 31 जनवरी, 2002 तक मंजूर की गई और क्रियान्वित की गई प्रमुख परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की लागत वृद्धि तथा समय वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) 1.4.99 से 31.3.2001 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को क्लीयर किया गया और आरंभ किया गया:-

(1) जयपुर हवाई अड्डे पर धावनपथ का 9000 फुट तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना, तकनीकी ब्लॉक व नियंत्रण टावर और अग्नि शमन स्टेशन का निर्माण; (2) लेह हवाई अड्डे पर एप्रन का निर्माण; (3) दीमापुर हवाई अड्डे पर धावनपथ का पुन: सतहलेपन और संबंधित कार्य; (4) सिलचर हवाई अड्डे पर एप्रन, टैक्सीपथ इत्यादि का सुदृढ़ीकरण; (5)अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आइसोलेशन बे, सामान्तर टैक्सी ट्रैक इत्यादि का निर्माण; (6) जबलपुर हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल भवन का निर्माण; (7) नागपुर हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार, टैक्सीपथ का सुदृढ़ीकरण और इसे चौड़ा करना; (8) पोरबन्दर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन, एप्रन और टैक्सीपथ का निर्माण (9) कांगड़ा हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार, टर्मिनल भवन, एप्रन और टैक्सीपथ का निर्माण, और (10) राजामुन्दरी हवाई अड्डे पर धावनपथ का सुदृढ़ीकरण और टैक्सी ट्रैक का निर्माण करना।

निम्नलिखित परियोजनाएं जिन्हें इस अवधि के दौरान निष्पादित किया जाना है, अब पूरी हो चली हैं:-

(1) जम्मू हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन, धावनपथ का सुदृढ़ीकरण और विस्तार; (2) कांगड़ा हवाई अड्डे पर धावनपथ पर पुन: सतहलेपन; (3) गया हवाई अड्डे पर धावनपथ इत्यादि का सुदृढ़ीकरण करना; (4) गुवाहाटी हवाई अड्डे पर धावनपथ का सुदृढ़ीकरण; और (5) हैदराबाद हवाई अड्डे पर समानान्तर टैक्सी ट्रैक, आइसोलेशन बे का निर्माण और एप्रन का विस्तार।

निम्नलिखित कार्य जिन्हें 1.4.2001 से 31.3.2002 के बीच आरंभ किए गए हैं, वे प्रगति पर हैं:-

(1) अमृतसर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार/ परिवर्धन, धावनपथ का विस्तार, तकनीकी ब्लॉक व नियंत्रण टावर और कार्गो काम्प्लेक्स का निर्माण; (2) देहरादून और शिमला हवाई अड्डे पर धावनपथ का पुन: कारपैट बिछाना; (3) लखनऊ हवाई अड्डे पर धावनपथ का सुदृढ़ीकरण और धावनपथ का 9000 फुट तक विस्तार; (4) पठानकोट हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव का विकास; (5) अगरतला हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार और आइसोलेशन बे का निर्माण, (6) इम्फाल हवाई अड्डे पर धावनपथ पर पुन: सतहलेपन, आइसोलेशन बे का निर्माण और एप्रन का विस्तार; (7) नागपुर हवाई अड्डे पर एप्रन का सुदृढ़ीकरण और गौण धावनपथ और नये टैक्सीट्रैक का निर्माण।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एक पूर्ण रुपेण ''परियोजना प्रबन्ध कक्ष'' है जो नियमित रूप से सभी बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी करता है और किसी भी गैर-औचित्यपूर्ण समय और लागत की अधिकता होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करता है।

रोजगार के अवसर

2339. श्री राम टहल चौधरी :
श्री आदि शंकर :
श्री हरिभाई शंकर महाले :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान नए आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए; और

(ख) अगले वित्त वर्ष के दौरान नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत रोजगार के कितने अवसर सृजित करने का लक्ष्य है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा समय-समय पर किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। 1991 में आर्थिक सुधारों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) ने 1993-94 तथा 1999-2000 में सर्वेक्षण किए। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार जो कि 1993-94 में लगभग 37.45 करोड़ थी, वह बढ़कर लगभग 39.7 करोड़ हो गई।

वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण पुराने प्रकार के उद्यमों में गिरती हुई कार्यकुशलता के कारण रोजगार के अवसरों में कुछ गिरावट आई। वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं आदि जैसे अनेक नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग में एक विशेष दल का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में भ्रष्टाचार

2340. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.) के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आरोपों, जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

आरोपों, जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई के ब्यौरे

क्र.सं.	नाम/पदनाम	आरोप	जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री ए.एन. झा, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	परामर्शी प्रभारों का भुगतान करने एन.पी.सी.सी. के पक्ष में परियोजना का ठेका प्राप्त करने के लिए एक जनसंपर्क संस्था की नियुक्ति करने में निगम को वित्तीय हानि हुई।	एक स्वतंत्र जांच प्राधिकरण द्वारा निगमित जांच कराई गई थी। अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।
2.	श्री के.पी. नायडू, पूर्व निदेशक (वित्त)	-वही-	-वही-
3.	श्री हरजीत सिंह, महाप्रबंधक	-वही-	-वही-
4.	श्री आर.सी.जैन, पूर्व सहायक महाप्रबंधक	-वही-	-वही-

1	2	3	4
5.	श्री एच.एन. मल्होत्रा, महाप्रबंधक पी एंड ए	(1) दिल्ली के कुछ ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलीभगत करके 28,153.15 रुपये के जाली टैक्सी बिलों तथा झूठा यात्रा भत्ता प्रस्तुत करके आपराधिक षडयंत्र कर एन.पी.सी.सी. के साथ धोखा। (2) झूठा बेरोजगार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अपनी निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ते का दावा करने में अनियमितताएं।	(1) सी.बी.आई. द्वारा आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और यह मामला दिल्ली के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहा है। विभागीय कार्यवाहियों के लिए इस समय बड़ा दंड आरोप पत्र भी जारी किया गया है। (2) अनुशासनिक कार्यवाहियां की जा रही हैं।
6.	श्री एन.एस. यादव, उप महाप्रबंधक	श्री यादव और अन्यों द्वारा की गई खरीदारी में बरती गई अनियमितताओं के कारण निगम को हुए 4.85 लाख रुपये के घाटे के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आर.एस.पी. राउरकेला यूनिट की जांच की तथा ब्यूरो ने सर्व श्री एन.एस. यादव, एस.जी. वानखेड़े, जी.आर.के. गुप्ता, बी.वी. साहू के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने तथा एन.एस. यादव और एस.जी. वानखेड़े को निलंबित करने की सिफारिश की है।	अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
7.	श्री एस.जी. वानखेडे, अधीक्षण अभियंता (सी)	-वही-	-वही-
8.	श्री जी.आर.के. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता (एम)	-वही-	-वही-
9.	श्री बी.बी. साहू, (ए.ए.ओ.), स.ले.आ.	-वही-	-वही-
10.	श्री एच.सी. खुराना, वरिष्ठ अधिशासी, अभियांता (सी)	देवेदार से रिश्वत लेते समय मौके पर ही पकड़ा जाना।	सी.बी.आई. द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिया गया है तथा विशेष न्यायाधीश दिल्ली के न्यायालय में मामले की जांच (ट्रायल) चल रही है।
11.	श्री जसवंत सिंह, अधिशासी अभियंता (सी)	नव-धुले निर्माण कार्यों में कार्य निम्न स्तर का होना। वह स्थल प्रभारी थे तथा कार्य के निष्पादन एवं गुणवत्ता का दायित्व उनके ऊपर निर्भर था। कार्य की गुणवत्ता खराब होने के कारण विद्यालय भवन की छत ढह गई थी।	सी.बी.आई. द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिया गया है और विशेष न्यायाधीश, मुंबई के न्यायालय में मामले की जांच (ट्रायल) चल रही है।

1	2	3	4
12.	श्री एम.एन. मूर्ति, सहायक अभियंता (सी)	श्री श्रीनिवास के पिछले वेतन बिल को पारित एवं समायोजित करने के लिए एन.पी.सी.सी. के पूर्व कर्मचारी श्री एन. श्रीनिवास में 5000/- रुपये की रिश्वत की मांग करने एवं रिश्वत लेते समय दिनांक 10.1.2001 को मौके पर ही पकड़ा जाना।	श्री ए.एस.एन. मूर्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है तथा सी.बी.आई. द्वारा श्री बी.एस.एन. रेड्डी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। विशाखापत्तनम के न्यायालय में मामले की जांच (ट्रायल) चल रही है।
13.	श्री बी.एस.एन. रेड्डी, कार्यालय अधीक्षक	-वही-	-वही-
14.	मो. निजामुद्दीन, वरिष्ठ लेखाकार	(1) झूठे एल.टी.सी. बिलों के दावों में अनियमितता (2) विशाखापत्तनम में कतरन (स्क्रैप) पदार्थों के निपटान में अनियमितता (3) अपने पिता जी सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी तथा पेंशनभोगी हैं के लिए मेडिकल प्रतिपूर्ति बिल दावों में अनियमितता	(1) अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण। सेवा से निलंबन के लिए दंड प्रस्तावित एवं सी.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी। (2) फंड की कमी के कारण कार्रवाई को लंबित रखा गया है। (3) -वही-
15.	श्री के. रामचन्द्रन, सहायक अभियंता (यांत्रिकी)	कतरन (स्क्रैप) पदार्थों के निपटान में अनियमितता	अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रगति पर है।

केरल में नारियल की फसल

2341. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में नारियल की फसल में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। केरल में नारियल की प्रति हैक्टेयर पैदावार 1997-98 में 5793 गोले से बढ़ाकर वर्ष 2000-2001 में 5870 गोले हो गई है।

(ख) हालांकि, केरल में नारियल की कम पैदावार के लिए अभिज्ञात कारण हैं: (1) कीटों एवं रोगों की व्यापक मौजूदगी विशेषकर दुर्बलीकरण जड़ मुरझान रोग तथा इरिओपायड माइट का हमला; (2) अधिक सघन रोपण; (3) जराजीर्ण तथा अनुत्पादक पामवृक्षों की अधिक संख्या में मौजूदगी; (4) वैज्ञानिक प्रबन्धन पद्धतियों को कम अपनाना।

(ग) नारियल का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने, उत्पाद विविधीकरण तथा उपोत्पाद के उपयोग के लिए, नारियल विकास बोर्ड 9वीं योजना के दौरान 174.00 करोड़ रुपये के आबंटन से भारत में नारियल उद्योग के समेकित विकास पर, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए घटक कार्यक्रम हैं: (1) रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण; (2) नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार; और (3) उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए समेकित कृषि।

अनाज खरीद प्रणाली को समाप्त करना

2342. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्तमान अनाज खरीद प्रणाली को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कृषकों के लिए आय के साधनों को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन उपायों से कृषि क्षेत्र और सरकार को किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) फिलहाल सरकार के समक्ष अनाज खरीद प्रणाली को समाप्त करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर भारत में बाढ़ नियंत्रण

2343. श्री मंजय लाल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषज्ञों की उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह बताया गया है कि यदि हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण को उचित रूप से बनाए नहीं रखा गया तो उत्तर भारत में बाढ़ की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निरोधात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जैव संशाधित फसलें

2344. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु जैव संशाधित फसलों की 20 किस्मों की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषकों ने सरकार के निर्णय को चुनौती दी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

नदियों से गाद निकालना

2345. श्री महबूब जहेदी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा और इसकी सहायक नदियों में गाद जमा होने के कारण उसके बाढ़ के पानी को बंगाल की खाड़ी तक ले जाने की क्षमता में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी बिहार और पश्चिम बंगाल अक्तूबर और नवम्बर के दौरान जलमग्न रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नदियों से गाद निकालने के लिए कोई योजना तैयार की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

2346. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) के उत्पादन, लाभ/हानि, श्रमशक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मजदूरी, पूंजी लागत, विद्युत, स्टोर और उत्पादन लागत में अन्य महत्वपूर्ण कारकों का वर्ष-वार प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या श्रमशक्ति तथा मजदूरी कारक में कमी के कारण और हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) के उत्पादन, लाभ/हानि और जनशक्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	1998-99	1999-2000	2000-01
कोयला उत्पादन (मि.ट. में)	32.18	32.40	31.75
लाभ (+)/हानि (-) (करोड़ रु. में)	-149.35	-121.21	-792.91
जनशक्ति	84993	80916	77882

(ख) सूचना नीचे प्रस्तुत की गई है:-

विवरण	1998-99 (%)	1999-2000 (%)	2000-01 (%)
वेतन तथा भत्ते	43	44	45
प्रशासनिक व्यय	8	9	9
स्टोर्स	14	13	13
विद्युत	7	8	7
ब्याज	7	6	6
मूल्य ह्रास	10	10	9
अन्य	11	10	11

(ग) और (घ) जनशक्ति में कमी किए जाने के बावजूद, सी.सी.एल. को वर्ष 2000-01 में 792.91 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वर्ष 2000-01 में सी.सी.एल. को हुए घाटे में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) दिनांक 1.7.1996 से कर्मचारियों और 1.1.97 से अधिकारियों के वेतन में संशोधन के परिणामस्वरूप वेतन और भत्तों में कुल 454.45 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और इसकी बकाया राशि का प्रावधान वर्ष 2000-01 के खाते से किया गया।

(2) उत्पादन में 0.65 मि.टन की कमी।

(3) उपदान/अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान में 65.99 करोड़ रुपये की वृद्धि।

(ङ) सी.सी.एल. नियंत्रण योग्य लागतों आदि को नियंत्रित करके उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। उठाये गए कदमों के कारण इस वर्ष उत्पादन 33.70 मिलियन टन तक होने की संभावना है। इस वर्ष के दौरान 110.00 करोड़ रु. का घाटा होने की संभावना है। नवम्बर, 2001 से फरवरी, 2002 तक की अवधि में कंपनी ने 72.74 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है।

गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाना

2347. श्री अरूण कुमार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गंगा नदी में किसी भी प्रकार का जल-मल/अपशिष्ट/औद्योगिक कचरा फेंके जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, नहीं। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 नामक मौजूदा कानूनों में गंगा नदी सहित जल निकायों में किसी प्रकार के अशोधित सीवेज/बहिस्राव/औद्योगिक अपशिष्ट को बहाने पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है।

(ग) और (घ) गंगा देश की प्रमुख नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी है। इसे देखते हुए गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि निर्यात क्षेत्रों को स्थापित करना

2348. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्रीं सुबोध मोहिते :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 और कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ये किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या क्षेत्रों का चयन करने के लिए कोई मापदंड निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कृषि निर्यात क्षेत्रों को स्थापित करने में कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) अब तक अनुमोदित 20 कृषि निर्यात क्षेत्रों के अलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान और अधिक कृषि निर्यात क्षेत्रों को अनुमोदित करने की संभावना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कृषि उत्पाद की निर्यात क्षमता, उपलब्धता और मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता की जांच करने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात् वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंत: विभागीय संचालन समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

अंतरराष्ट्रीय विरासत स्थल

2349. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनेस्को द्वारा भारत में किन-किन स्थानों को अंतरराष्ट्रीय विरासत स्थलों के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) क्या कोणार्क को यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विरासत स्थलों के संरक्षण, बचाव और विकास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार संबंधित नए राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने तथा उसका विकास करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ उठाने का है जैसाकि उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) यूनेस्को की विश्व दाय सूची में उल्लिखित कोणार्क सहित भारतीय स्थलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विश्व दाय स्थलों का परिरक्षण तथा संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) सड़क तथा परिवहन मंत्रालय ने सूचना दी है कि उन्हें उड़ीसा सरकार से, फुलनाखारा (रा.मा.-5 पर) नियाली-माधव चारीछक-गोप-कोणार्क-पुरी (रा.मा.-203 पर) के उन्नयन हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसके उन्नयन को शामिल करने पर विचार किया जाएगा जो धनराशि की उपलब्धता, यातायात की अपेक्षाओं तथा परस्पर वरीयता पर निर्भर होगा।

विवरण

भारत में विश्वदाय स्थलों की सूची

सांस्कृतिक स्थल

1. अजन्ता गुफाएं
2. एलौरा गुफाएं
3. आगरा किला, आगरा

4. ताज महल, आगरा

5. सूर्य मंदिर, कोणार्क

6. स्मारक समूह, महाबलीपुरम

7. चर्चें तथा कान्वेंटें, गोवा

8. स्मारक समूह, खजुराहो

9. स्मारक समूह, हम्पी

10. फतेहपुर सीकरी

11. स्मारक समूह, पट्टाडकाल

12. एलीफैंटा गुफाएं

13. बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर

14. सांची स्थित बौद्ध स्मारक

15. हुमायूं का मकबरा, दिल्ली

16. कुतुब मीनार तथा इसके स्मारक, दिल्ली

प्राकृतिक स्थल

1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

2. मानस वन्य जीवन अभयारण्य

3. कियोलादेव राष्ट्रीय उद्यान

4. सुन्दर वन राष्ट्रीय उद्यान

5. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान

औद्योगिक स्थल

1. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे

[हिन्दी]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा मानार्थ पास

2350. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्रीमती कांति सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा मानार्थ पास के बारे में 3 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2092 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रश्न में पूछी गई आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जानकारी कब तक सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है और वह नीचे दी गई है:-

जारी किए गए पासों का ब्यौरा

वर्ष	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
1998-1999	1946	0965
1999-2000	1599	1085
2000-2001	1539	0910
2001-2002 (अप्रैल-सितम्बर, 2001)	0366	0519

10 अक्तूबर, 2001 के बाद, दोनों एयरलाइनों ने कंपलीमेंटरी पास जारी करने बंद कर दिए हैं। तथापि, यह एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की सामान्य बिक्री प्रमोशन स्कीम आदि के विषय में लागू नहीं है।

उद्योग प्रेक्टिस के अनुसार, एयरलाइनों द्वारा अपने वाणिज्यिक हितों में, टूर प्रोमोटरों, यात्रा लेखकों, पत्रकारों, महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संपर्कों एवं प्रोमोशनल स्कीमों/प्रतिस्पर्धाओं आदि के लिए सामान्यतया कंपलीमेंटरी टिकटें जारी की जाती है ताकि राष्ट्रीय कैरियरों पर यात्रा करने को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा की संस्तुति पर विदेश में चिकित्सा हेतु भारत सरकार के अनिवार्य आदेशों के तहत नि:शुल्क पास भी जारी किए जाते हैं। कंपलीमेंटरी/रियायती पास जारी करने की वजह से जो राजस्व घाटा होता है वह नाममात्र का है जो बहुत अधिक नहीं माना जा सकता। ये पास लीन-सीजन के दौरान जारी किए जाते हैं जब उड़ानों में लो सीट फैक्टर होता है। इसके अतिरिक्त, इन पासों को पाने वाले यात्रियों को सामान्यतया राजस्व का भुगतान करने वाले यात्रियों को सीटें देने के बाद ही सीटें दी जाती हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में दुग्ध का उत्पादन

2351. श्री रामदास आठवले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में दुग्ध की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र और विश्व बैंक से सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली में दुग्ध की मांग के अनुसार दुग्ध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार को दिल्ली में दूध की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। दिल्ली में तरल दूध की सप्लाई मुख्यत: दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेयरी, दिल्ली तथा दिल्ली में अन्य निजी यूनिटों द्वारा की जाती है। दिल्ली के आस-पास के राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आदि के निजी तथा सहकारी संगठनों से भी दूध प्राप्त किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पर्यटन उद्योग को रियायतें

2352. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा दी गई रिपोर्ट की जानकारी है कि 11 सितम्बर, 2001 के बाद भारतीय पर्यटन उद्योग को 4000 करोड़ रुपए तक का भारी घाटा हुआ है;

(ख) क्या चैम्बर ने यह भी सिफारिश की है कि पर्यटन उद्योग को अवसंरचना साफ्टवेयर और निर्यात के बराबर माना जाए तथा इन उद्योगों को दी जाने वाली कर रियायतें पर्यटन उद्योग को भी दी जाएं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को "एसोचैम" से ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि पर्यटन उद्योग द्वारा अर्जित राजस्व का 50% हिस्सा उसी उद्योग के विकास में लगाया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पर्यटन विभाग को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

सकार्मिक पट्टे के सौदे की सी.बी.आई. जांच

2353. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** सकार्मिक पट्टे के सौदे की सी.बी.आई. जांच के बारे में 3 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2075 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. द्वारा जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस जांच के कब तक पूरी होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) से (ग) सी.बी.आई. ने अब सूचित किया है कि इस मामले में फील्ड जांच पूरी कर ली गई है। यह मामला संवीक्षाधीन है तथा शीघ्र ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना

2354. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संस्कृति विभाग का वर्ष 1995-96 में मौलिक शिक्षा सुविधाओं से युक्त ग्रामीण पुस्तकालयों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) विभाग ने विद्यालयों तथा ग्रामीण पुस्तकालयों की एक योजना बनाई थी। इस योजना को वित्त मंत्रालय ने अनुमोदित नहीं किया। वित्त मंत्रालय ने पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मौजूदा योजनाओं का मूल्यांकन करने का परामर्श दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई

[अनुवाद]

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उड़ीसा विधान सभा परिसर में हिंसा की घटना और तोड़फोड़ की कार्यवाही के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस गंभीर घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जो पिछले शनिवार को उड़ीसा विधान सभा में हुई थी। हमारे पास सरकार का प्रेस में अथवा अन्यथा दिया गया कोई उत्तर नहीं है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अपने हाथों में त्रिशूल लेकर विश्व हिन्दु परिषद और बजरंग दल से संबंध रखने वाले पांच सौ से अधिक व्यक्ति उड़ीसा विधान सभा के प्रांगण में घुस गए और विध्वंस संबंधी अनेक कृत्य किए लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह पता चलता है कि ये संगठन विधान सभा के अध्यक्ष के पास एक प्रतिनिधिमंडल ले जाना चाहते थे और इसकी अनुमति उन्हें यह कहते हुए दी गई कि उन्हें माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाने की अनुमति दी जाएगी और उनसे मिलने की अनुमति भी दी जायेगी।

महोदय, किन्तु कुछ लोगों की बजाए, पांच सौ से अधिक व्यक्ति जय श्री राम और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए विधान सभा में घुस गए। उन्होंने मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यालयों पर हमले किए और उनकी नाम पट्टिकाएं हटा दी और कर्मचारियों पर भी हमला किया। कुछ विधायकों पर भी गंभीर रूप से हमला किया और यह भी कहा गया है कि महिला कर्मियों को भी नहीं बक्शा गया *...(व्यवधान)*

महोदय, जो मांगें की गई हैं अथवा जो मुद्दे उठाए गए हैं; वे हैं उस स्थान पर मंदिर बनाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है जिसे अब अयोध्या में विवादित स्थल के रूप में जाना जाता है? कोई व्यक्ति यथास्थिति बनाए रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समर्थन क्यों करे? और आचार्य गिरिराज किशोर को क्यों गिरफ्तार किया गया? अत: मंदिर निर्माण की तत्काल अनुमति हेतु अपनी मांगों के समर्थन में और यथास्थिति बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विरोध करने के लिए जिस पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने अपना संतोष व्यक्त किया है कि ऐसा आदेश दिया गया है और विश्व हिन्दू परिषद आन्दोलन के नेताओं को रिहाई के जबरदस्ती आदेश लेने का कार्य किया गया है।

महोदय, मुख्य मंत्री वहां उपस्थित नहीं थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार हमला पूर्व नियोजित था। हमारे संवैधानिक कार्यकरण के आधार पर यह सीधा हमला है। विधान सभा राज्य की शीर्षस्थ निर्वाचित निकाय है। वह इस देश की संसदीय प्रजातंत्र की प्रणाली का एक अंग है जहां हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह निर्णय किया है कि वयस्क मताधिकार वह आधार है जिस पर चुनाव किए जाएंगे।

इसका पूर्ण आधार कार्यात्मक प्रजातंत्र है। उड़ीसा विधान सभा भी उसका प्रतिनिधित्व करती है। जो कुछ हुआ है वह हमारे संवैधानिक ढांचे पर सीधा हमला है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लोग प्रधानमंत्री की प्रशंसा में नारे लगा रहे थे, वे उस विधान सभा के प्रांगण में घुस आये जो प्रजातंत्र का गढ़ भी है और ऐसा विनाशकारी हमला किया। महोदय, 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर और पिछले शनिवार को उड़ीसा विधान सभा भवन में हुई दोनों घटनाओं के बीच कोई गुणात्मक अंतर नहीं है *...(व्यवधान)*

आतंकवाद क्या है? आतंकवाद क्या है, इसकी परिभाषा करना कठिन है। किन्तु 13 दिसम्बर का हमला आतंकवाद का कार्य था—हम सबने यही कहा और सदन ने सर्वसम्मति से इसकी निंदा की है - जो उड़ीसा में हुआ है, वह भी आतंकवाद का एक भाग है। यह संसदीय प्रजातंत्र पर ही सीधा हमला नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक ढांचे के धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, पर भी हमला है *...(व्यवधान)*

धर्म के आधार पर, जो कुछ उन्हें चाहिए उसे बलपूर्वक प्राप्त करने के उद्देश्य से आज धार्मिक संस्थाएं कट्टरपंथियों और दकियानूसियों से भरे हुई हैं जो प्रधान मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रियों के साथ नियमित रूप से गपशप करती रही हैं, कानून को अपने हाथों में ले लिया है और जानबूझकर यह कार्य किया है जिसे मैं अपनी संसदीय प्रणाली और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का संहार कहता हूं।

हम इस देश के लोगों को अपने विनम्र तरीके से चेतावनी देते रहे हैं कि इस देश की एकता एवं अखंडता पर सीधा हमला हो रहा है। देश अनेक समस्याओं जैसे आर्थिक समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अविकास की समस्या और मंदी की समस्या से घिरा है। माननीय वित्त मंत्री सोच रहे हैं कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। तथापि, इस समय सत्ताधारी दल और उनके सहयोगी इस देश की बनी-बनाई एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

कल हरियाणा में क्या हुआ। हमने देखा कि अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए गए। ''सिलिकान वैली आफ इंडिया'' में क्या हुआ। तरीका वही है - राष्ट्र को बांटो। उनका कहना है, ''यदि आप नहीं सुनेंगे तो हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे।''

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): गोधरा के बारे में क्या कहना है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने गोधरा कांड की निन्दा की है।

श्री विष्णु पद राय : आप लोग खामोश रहे।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): उपाध्यक्ष महोदय, गोधरा में जो हो रहा है। *...(व्यवधान)* गोधरा में जब पहले दिन हत्याएं हुईं तब कोई कुछ नहीं बोला। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, गोधरा में जब पहले दिन हत्याएं हुईं तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। *...(व्यवधान)* उस दिन सारा हाउस शांत रहा। *...(व्यवधान)* इनको उसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने उसकी भर्त्सना नहीं की। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : उपाध्यक्ष महोदय, गोधरा में जब हत्याएं हुईं तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। *...(व्यवधान)* ये सारे शांत थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती भावनाबेन चीखलीया, आप क्या कर रही हैं? कृपया सदस्य को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती भावनाबेन चीखलीया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : आप लोग पहले दिन खड़े क्यों नहीं हुए? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रतिलाल वर्मा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रतिलाल वर्मा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी जो कर रहे हैं उसको छोड़कर अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, ऐसी भयंकर घटना जिसमें धर्म के नाम पर निर्दोषों की हत्या की गई, उसे अब उचित ठहराया जा रहा है और हिंसा को स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में न्यायोचित ठहराया जा रहा है। यह जहर है। यह अपने विचारों, अलगाववादी विचारों और रूढ़िवादिता एवं धार्मिक पागलपन को भारत के लोगों पर थोपने हेतु जानबूझकर किया गया आक्रमण है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): आपने क्या बात करने का ठेका ले लिया है? *...(व्यवधान)* ये रोज तमाशा करते हैं तो क्या हम नहीं बोल सकते? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस मुद्दे पर विचार किया है, इस सभा में सर्वानुमति होगी *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): लेकिन आप उड़ीसा की घटना से अलग मुद्दे उठा रहे हैं। आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन पर वहां चर्चा नहीं हुई। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप उड़ीसा पर बात करिये, आप यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, *...(व्यवधान)* पता नहीं कहां पहुंच रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पूरी सभा उड़ीसा की घटना की निन्दा करना चाहता था। यह निश्चय किया गया था कि हम उड़ीसा की घटना की निन्दा करेंगे पर पूरे मुद्दे की नहीं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये दंगाई हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां तय हुआ था कि सिर्फ उड़ीसा पर बात की जाये, क्या वे उड़ीसा की बात कर रहे हैं?

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : गोधरा में जो कुछ हुआ, वह भी बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, वह भी बताइये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गत शनिवार को उड़ीसा में हुई घटना की पुरजोर निन्दा करता हूं। *...(व्यवधान)* केवल निन्दा से काम नहीं चलेगा। किसी घटना की केवल निन्दा करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि यह पूर्व नियोजित थी जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा है। यह पूर्व नियोजित था। फिर यह योजना क्यों बनी? विधान सभा पर यह आक्रमण क्यों हुआ जहां सत्ता दल भी सरकार में भागीदार है? ऐसा क्यों है? इस देश में पागलपन पैदा किया गया है, देश में धर्मान्धता पैदा की गई है। यद्यपि, वहां उनकी अपनी सरकार है तथापि यह हमारे देश के संविधान के सामने चुनौती है, संविधान की मूल विशेषताओं के समक्ष चुनौती है क्योंकि वे चाहते हैं कि यह देश रूढ़िवादी ताकतों द्वारा शासित एवं नियंत्रित होना चाहिए। इसीलिए देश के सांविधिक स्वरूप पर ही हमला किया जा रहा है। यह और कुछ नहीं केवल धर्मान्धता है। यह हमारी व्यवस्था की मूल वास्तविकता की जड़ पर जानबूझकर किया गया आक्रमण है।

मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार का विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के प्रति क्या दृष्टिकोण है जो इन निर्लज्ज एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। मेरी मांग है कि इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इसका संचालन करने वालों की खिंचाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं आज इस सभा में बड़े भारी मन से इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ठीक ही कहा गया कि जो कुछ जम्मू एवं कश्मीर में हुआ या दिल्ली में संसद में हुआ या उड़ीसा विधान सभा में हुआ, इन घटनाओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): वे इस प्रकार तुलना कैसे कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कुछ आपत्तिजनक है तो मैं उस पर विचार करूंगा। आप सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): यह मत भूलिए कि आपके नेताओं को भी बोलना है। अगर आप हमारे नेताओं को इस तरह बोलने से रोंकेगे तो आपके नेता भी नहीं बोल पाएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैडम, अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं दूसरे पक्ष के मित्रों के तर्कों का उत्तर देना चाहता हूं लेकिन यदि उनके शोर में मेरी बात दब जाएगी तो यह प्रजातंत्र के हित में नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रावत, कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सीमापार से हुए आतंकवाद की निन्दा करनी चाहिए, लेकिन इसको उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कुछ आपत्तिजनक है तो उसको विनियमित करने के लिए मैं यहां बैठा हूँ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास, अब हमें इस अत्यंत गंभीर मामले पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, यदि कोई विधान सभा या संसद परिसर में हथियार लेकर प्रवेश करता है, कुर्सियां तोड़ता है, बेन्चों को तोड़ता है, यहां कार्य करने वालों को डराता है, सदस्यों को बोलने नहीं देता है, सदस्यों को सभा में उनके अभिव्यक्ति के अधिकार में अवरोध खड़ा करता है, तो हम इसका वर्णन कैसे करें? हम इसको संसद में जो कुछ घटित हुआ उससे अलग कैसे कर सकते हैं। केवल इसलिए क्योंकि यह कुछ समूहों और दलों के मित्रों द्वारा किया गया इसे माफ कर दिया जाना चाहिये? क्योंकि यह उन लोगों द्वारा किया गया जो कि एकजुट करने वाली ताकतों को कोई महत्व नहीं देते बल्कि देश की अलगाववादी ताकतों को महत्व देते हैं अत: सभा में उसकी निन्दा न की जाए, उस पर विचार न किया जाए, चर्चा न की जाए? मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या इरादा है *...(व्यवधान)*

मैं उनको बोलने का अवसर दूंगा। दूसरे पक्ष के मेरे मित्र अपने तर्क पेश कर सकते हैं। मैं उनका उत्तर दूंगा लेकिन मुझे बोलने से रोकें नहीं। उन्होंने विधान सभा के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने से रोक दिया है। उन्होंने उन्हें भयभीत कर दिया है और अभी भी सभा के वर्तमान सदस्य उन सदस्यों को भयभीत करना चाहते हैं जो कि सभा में बोलने के इच्छुक हैं। यह बात अलग कैसे है? सदस्य मुझे बोलने से रोकने की बजाए मेरी बात को काटने के लिए तर्क पेश कर सकते हैं, मुझे किसी की निन्दा करके प्रसन्नता नहीं होती। वास्तव में हमें इस मामले में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना होगा जो कि कर्णप्रिय न हो। यह थोड़ी कड़वी हो सकती है लेकिन मेरा कहना है कि यह भाषा उस घटना से कठोर नहीं होगी जो कि विधान सभा में घटित हुई।

उड़ीसा में जो घटित हुआ, उसका क्या महत्व है? भारत सरकार इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? संसद को इस पर क्यों चर्चा करनी चाहिए? क्या संसद को देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या संसद को सदन में आतंकवादी गतिविधियों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? जब संविधान का उल्लंघन किया जाए या जब सदस्यों को बोलने से रोका जाए तो क्या संसद को इन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? आप सभा में हमारी आलोचना कैसे कर सकते हैं? यदि आप हमारी आलोचना सभा में करेंगे तो हम आपका विरोध केवल सभा से बाहर ही नहीं बल्कि सभा के अन्दर भी करेंगे।

यदि देश भर में विधायिका के निर्वाचित सदस्यों को इस प्रकार का सन्देश जा रहा है तो इससे देश में शान्ति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में किस प्रकार सहायता मिलेगी? आप हमें यह स्पष्ट कीजिए। विधान सभा पर आक्रमण करके उन्होंने राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर आक्रमण किया है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता को भी इस प्रकार चुनौती दी जा सकती है। यदि राज्य की सर्वोच्च सत्ता अर्थात् विधायिका को इस प्रकार चुनौती दी जा सकती है, यदि निर्वाचित सदस्यों को भयभीत कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि वे अपनी इच्छानुसार अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते तो लोग अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते तो लोग अपनी बात किस प्रकार कहेंगे? वे क्या सोचते हैं? क्या इसे लोकतंत्र कहा जाएगा? क्या जनता को अभिव्यक्ति का अधिकार मिल सकेगा यदि यह निर्वाचित सदस्यों के पास नहीं है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

न्यायालय की सत्ता को चुनौती दी गयी है; कार्यपालिका की सत्ता को चुनौती दी गयी है; विधायिका की सत्ता को चुनौती दी गयी है। इन्हें कौन चुनौती दे रहा है? जिन्हें बल प्रयोग का कोई अधिकार नहीं, जिन्हें दूसरों से नहीं बोलने को कहने का कोई अधिकार नहीं है - वे लोग ये सब कर रहे हैं। उड़ीसा में यही हुआ था। यदि इसकी चर्चा सदन के भीतर नहीं होगी तो कहां होगी? उड़ीसा विधान सभा के सदस्यों को इस पर चर्चा करने की

अनुमति नहीं है और इस सदन के सदस्यों को इस पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलेगी तो इस मुद्दे पर चर्चा कहां होगी। इस पर चर्चा यहां क्यों नहीं हो सकती? यदि आपको कुछ कहना है तो यहां कहिए और हमें अनुमति दीजिए कि हम उनका खण्डन यहां करें। हम अपनी बात कह रहे हैं और आप उसका यहां खण्डन करें।

इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम यहां औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं हैं। हम यह कह कर ही संतुष्ट नहीं हो जायेंगे कि हमने सदन के भीतर इस विषय पर चर्चा कर ली है और फिर बैठ जाएंगे। हमें सदन के भीतर इस विषय पर विचार करना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मेरे विचार में जो वहां हाथों में हथियार लेकर गए थे, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या केवल वही इसके लिए जिम्मेदार हैं? जिन्होंने उन्हें वहाँ जाने के लिए उकसाया वे भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जो घटना स्थल पर उन्हें भड़काने के लिए उपस्थित थे क्या केवल वही इस कार्यवाही के लिए जिम्मेदार हैं? क्या जो देश भर में घृणा का विष फैला रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? यदि आप वर्षों घृणा फैलाते रहें, यदि आप नौजवानों के कानों में लगातार यह जहर घोल रहे हैं, जिनका व्यक्तित्व लचीला होता है और उनसे कहते हैं कि वे अपने घरों से अपने हाथों में त्रिशूल और बन्दूक लेकर निकलें और ऐसे में यदि कुछ होता है तो क्या जो लोग देश में घृणा फैला रहे हैं, उनके विरुद्ध हम कुछ नहीं कह सकते?

मेरे विचार से जो लड़के वहां गए थे वे जिम्मेदार हैं। लेकिन वे इसके लिए अधिक जिम्मेदार हैं जिन्होंने उन्हें भड़काया और इसकी सर्वाधिक जिम्मेदारी उनके कन्धों पर है जो वर्षों से घृणा का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप इसे नकारते हैं। आप बताइये ऐसा क्यों हो रहा है। यह कौन कर रहा है? हम नाम नहीं ले रहे हैं। तथापि, आप जानते हैं कि हमारा इशारा किसकी ओर है। आपको पता लगाने के लिए इस पर घंटों विचार मनन नहीं करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा दल कर रहा है और यह कहां किया जा रहा है। ये लोग कैसा पाठ पढ़ा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

मैं आपकी बात मानूंगा। यदि आपको कोई बात कहनी है, आप कहिए और मैं उसका उत्तर दूंगा। कृपया उठिए और कहिए। श्री स्वाइं, यदि आपके पास कोई बात है, मैं आपको मौका दूंगा।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): यदि वो चाहते हैं, मैं कुछ कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रहलाद पटेल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, ये जितनी बार चाहते हैं, मैं उतनी बार चुप हो जाऊंगा। लेकिन उन्हें मेरे विचारों, मेरी भावनाओं और मेरे वक्तव्य को शोरगुल में डुबाने मत दीजिए। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए और मैं उसका उत्तर दूंगा।

कौन सी चीज इसके लिए जिम्मेदार है? मैं अत्यंत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इसके लिए संकीर्ण मानसिकता जिम्मेदार है। इसके लिए घृणा जिम्मेदार है जो फैलायी जा रही है। इसके लिए यह दृष्टिकोण जिम्मेदार है कि समाज के एक वर्ग विशेष के लोग को ही इस देश पर शासन करने का अधिकार है और दूसरों को नहीं। यह रवैया, यह मनोविज्ञान, यह भावना, यह दर्शन और यह नीति जिम्मेदार है। जब तक हम इस प्रकार की नीति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते तब तक पुलिस और सेना के पास जो बन्दूक और हथियार हैं, उनसे इस प्रकार की घटनाओं को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा।

महोदय, इसके लिए क्या किया जा सकता है? यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि देश में संकीर्णता, संकुचित मानसिकता और घृणा नहीं फैले। आप यह इसे कैसे करते हैं इसका निर्णय आपको करना है। यदि आप सोचते हैं कि हम इसमें योगदान कर सकते हैं, हम योगदान करेंगे। इस संसद को भी निर्णय करने दीजिए कि यह कैसे किया जाना है। यदि यह संसद जिम्मेदार नहीं, यदि आप नहीं सुन रहे हैं कि हम क्या कहने जा रहे हैं और यदि आप स्वयं भी इस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिसवाला और सेना अकेले इस प्रकार की चीज पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। हमें यह बात समझनी होगी।

अब इसके अलावा क्या किया जा सकता है? विधि का अपना प्रभुत्व है। सरकार की कार्यवाही के पीछे विधि की शक्ति होती है। भारतीय दण्ड संहिता है आपके पास वह कानून है जिसे हम पोटो कह रहे हैं। पोटो अस्तित्व में है। जब गुजरात में हिंसा हुई थी यह तब भी अस्तित्व में था। जब संसद पर हमला हुआ तब भी यह अस्तित्व में था और जब यह घटना विधान सभा में हुई तब भी यह अस्तित्व में था। आप इस कानून का प्रयोग उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए क्यों नहीं कह सकते जो उड़ीसा राज्य विधान सभा के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए भड़का रहे हैं? *...(व्यवधान)* आप कानून की शक्ति का उपयोग

[श्री शिवराज वि. पाटील]

क्यों नहीं कर रहे हैं? यह शक्ति किसलिए है? महोदय, मैं इस बात को दुहरा रहा हूं कि क्या कानून की शक्ति इसलिए है कि इसका प्रयोग राजनीतिज्ञों और राज्यों के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए किया जाए? क्या कानून का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए? क्या आप कानून का प्रयोग उन लोगों के विरुद्ध नहीं करने जा रहे हैं जो देश में परेशानी खड़ी कर रहे हैं? आप इसका प्रयोग राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध कर रहे हैं, आतंकवादियों और उन व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जो देश में घृणा और घृणा का विष फैला रहे हैं। हम सरकार से इसकी जिम्मेदारी लेने को कहेंगे और सरकार से कहेंगे कि वो कार्य नहीं करे। यदि वे कार्यवाही नहीं करते हैं, महोदय, हम यह कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम सत्ता में वापस आने को आतुर नहीं हैं। किन्तु हम यह कहना चाहेंगे कि यदि आप शक्ति और प्राधिकार का उपयोग नहीं करते और इन चीजों को होते रहने देंगे, इस देश के लोग आपको सत्ता छोड़ने को कह सकते हैं। लोगों को फिर से निर्णय लेने दीजिए। वे आपको सत्ता छोड़ने को कहेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम आप पर प्रतिदिन नहीं चिल्ला सकते। हम सदन में प्रतिदिन इस प्रकार की चर्चा होने नहीं दे सकते। अब उन्हें ऐसा करना होगा। हम आपसे कहते हैं कि इस प्रकार की चीजों को नियंत्रित करने के लिए विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस मुद्दे पर विचार करने को कहा है। यदि देश में कोई संगठन उचित आचरण नहीं कर रहा, विधि के प्राधिकार और गृह मंत्रालय के प्राधिकार को नहीं मान रहा तो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा उसे तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आपने देश में कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। हम आपसे किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने को कभी नहीं कहेंगे। लेकिन आपने कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाएं हैं। और हमारे वक्तव्य के पश्चात् अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे आपके विचारों, कानून और सरकार की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आपको उनके विरुद्ध प्रतिबंध लगाने जैसी प्रभावी कार्यवाही करनी होगी। यदि आप उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रहे तो इसका मतलब होगा कि आप उनका साथ दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

महोदय, मुझे अत्यन्त दु:ख है कि अपनी बात कहने के लिए मुझे सदन में अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ रही है। सामान्यत: हममें से कुछ लोगों का चिल्लाकर बोलने या ऊंची आवाज में बोलने का स्वभाव नहीं है। तब भी, कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे भाषण के कुछ मिनटों के बाद मुझे शान्तिपूर्वक बोलने दिया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वे इस विषय को एक राजनीतिक विषय के रूप में न लें। जो लोग भाजपा में हैं उन्हें अपने दिल और दिमाग टटोलना होगा और सभी सहयोगी दल जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं उन्हें अपने दृष्टिकोण का परीक्षण करना होगा। क्या आप खुश हैं? देश में इन चीजों का बचाव करने की कोशिश करके आप एक अच्छे वकील की तरह बुरे मुकदमे की पैरवी करके, यहां खड़े होकर और बोलकर कर्त्तव्य निर्वहन मात्र कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, उड़ीसा सरकार जिम्मेदार नहीं है, न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार आप इन लोगों को सन्देश दे रहे हैं कि वे ऐसा करना जारी रख सकते हैं और आप उन्हें सदन के भीतर बचाते रहेंगे। हम सरकार को और सहयोगी दलों को आत्मपरीक्षण करने को कह रहे हैं। यदि कुछ गलत हुआ है तो कृपया उसे सुधारिए। यह मत कहते रहिए कि यह हुआ तो गोधरा में ऐसा हुआ और ऐसा गुजरात में हुआ इसलिए यह अन्य जगहों पर भी हो सकता है। यदि ऐसी घटना हुई है और यदि यह गलत थी तो उनकी भर्त्सना होनी चाहिए और उनकी भर्त्सना हुई थी। हम उसकी भर्त्सना करेंगे। हमने गोधरा में जो घटना हुई उसकी भर्त्सना की है। हम ऐसी चीजों की निंदा करेंगे। लेकिन यदि आप इस प्रकार की घटनाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इससे भला होने नहीं जा रहा है। इसलिए हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। हमें देश की एकता के दीर्घकालीन हितों को मस्तिष्क में रखना होगा।

हमें समाज में सौहार्द और अर्थव्यवस्था के विकास के दीर्घकालीन हित को मस्तिष्क में रखना होगा जोकि इन चीजों की वजह से नहीं हो पा रहा है। हमें उचित कार्यवाही करनी होगी। मुझे और कुछ नहीं कहना है *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : हमें कुछ नहीं कहना है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं, आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। लेकिन यदि आप इसी तरह जिद पर अड़े रहे तो आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसे ध्यान में रखें। इसका इस तरह मूल्यांकन न करें।

श्री एच.डी. देव गौड़ा (कनकपुरा): मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और आपने मुझे अनुमति भी प्रदान की है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वे पूर्व प्रधान मंत्री हैं। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाइं : मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं, मैं आप सभी को अवसर दूंगा। मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया आप शांत रहें।

श्री एच.डी. देव गौड़ा : माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में घटी घटना की भर्त्सना की है। वे इस विषय पर भावुक न हों। हमने इस उद्देश्य को किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं उठाया है। कृपया इस बात को दिमाग से निकाल दें। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने इस घटना की भर्त्सना की। मैं समझता हूं कि दूसरी ओर बैठे मेरे मित्रों के लिए लोकतांत्रिक संस्था को हुई क्षति की विशालता को समझने के लिए यह पर्याप्त है। 13 दिसम्बर की घटना के पश्चात् इस सभा ने एक संकल्प पारित किया। इस सभा में पारित संकल्प के प्रति क्या सम्मान प्रदर्शित किया गया? इस सभा में सर्वसम्मति से पारित किये गये संकल्प का किसने उल्लंघन किया और किसने इसका अपमान करने का प्रयास किया? 13 दिसम्बर की उस घटना, संसद पर आतंकवादी हमले की भर्त्सना सारे विश्व ने की। सारी दुनिया ने इस घटना की निंदा की और वह इस देश के साथ खड़ी हो गयी। इस शीर्षस्थ संस्था द्वारा स्वीकृत संकल्प का किसने अपमान किया। मैं ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी का इस घटना की निंदा करने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी भी इस अवसर का लाभ उठायेंगे और इस घटना की निन्दा करें। मैं इस सबका उल्लेख क्यों कर रहा हूं? जब स्टीन के बच्चों को जिंदा जलाया गया था तब गृह मंत्री जी ने कहा था कि वह एक जांच आयोग गठित करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि जांच समिति अपना कार्य आरंभ करती, उन्होंने कह दिया कि बजरंग दल किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। मैं पिछली घटनाओं के गढ़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता। उड़ीसा विधान सभा में तीन दिन पहले क्या हुआ था? मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के उप नेता और हमारे वरिष्ठ नेता ने कतिपय घटनाओं का उल्लेख किया है। मेरी चिंता सिर्फ यही है। मुझे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने से न रोकें। यह संगठन किस चीज के लिए प्रयास कर रहा है? क्या इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इस देश के पास रक्षा बल नहीं हैं? क्या पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम नहीं है? इस संगठन को किस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया है अथवा दिया जाने वाला है? उन्होंने किसके खिलाफ त्रिशूल, पिस्तौल, लाठी और तलवारों का उपयोग किया? उनके हाथों में त्रिशूल है। मैं अब गोधरा मुद्दे पर अब नहीं बोलना चाहता। सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया था कि सरकार सारे मामले की जांच करेगी। गोधरा में, वे तलवार हाथ में लेकर चलते थे। क्या हमें इस देश के प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें विदेशी आतंकवादियों से धमकियां मिली हैं? मैं इस संबंध मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा। गृह मंत्री जी क्या हमें ऐसे संगठन की आवश्यकता है? मैं आर.एस.एस. संगठन की भर्त्सना करने नहीं जा रहा हूं। मेरे प्रधान मंत्री बनने से पहले यहां एक वाद-विवाद हुआ था। यह कहा गया था: ''बंगलौर में, प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा ने यह कहकर संगठन की प्रशंसा की कि आर.एस.एस. एक सांस्कृतिक संगठन है।'' मैं इस बारे में जानता हूं। आज, इसी आर.एस.एस. ने क्या किया? वह मुस्लिमों के संबंध में क्या कह रहा है? वह कहता है: ''मुस्लिमों की सुरक्षा की चाबी है हिन्दुओं की सद्इच्छा।'' क्या हिन्दुओं की सुरक्षा की चाबी मुस्लिम सद्इच्छा नहीं है? क्या बहुमत यह कहता है कि वह उनकी सद्इच्छा नहीं चाहता?

ऐसे समय जब प्रधानमंत्री जी इस विभत्स घटना की भर्त्सना कर रहे हैं तो वी.एच.पी. के नेता क्या कहते हैं? वे कहते हैं:

> ''वी.एच.पी. ने इसके कार्यकर्त्ताओं द्वारा असेम्बली में हुड़दंग मचाने के लिए खेद व्यक्त किया और उनके बचाव में कहा है कि राजनैतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों की ''छद्म धर्मनिरपेक्ष नीतियों'' ने ही देश के युवकों को उग्र बना दिया है।''

मंत्री महोदय, यह आपने किया है। आप भी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। आप बजरंग दल अथवा युवा वर्ग का विरोध करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा क्यों हुआ है? आप गत दो वर्षों से बिना किसी समस्या के सरकार चला रहे हैं। वर्ष 1999 के चुनावों के बाद हम राजनैतिक रूप से बर्बाद कर दिये गये। हां, मैं अकेला आया हूं। मैं सरकार को 10 महीने अथवा इससे अधिक समय से सरकार को चलाने का श्रेय नहीं लेता। अब मैं एक आम सदस्य हूं। आप गत दो वर्षों से सरकार चला रहे हैं क्योंकि आपने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है। लक्ष्मण रेखा है क्या? आपने अपने सभी सहयोगी दलों को वचन दिया था कि आप शासन के राष्ट्रीय एजेंडे का पालन करेंगे। लेकिन अब आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है और संकट आरंभ हो गया है। संकट शुरू हो गया है क्योंकि आपने सभा के पटल पर राष्ट्र के समक्ष दिये गये वचन का उल्लंघन किया है। आपने उस समय रा.ज.ग. सहयोगियों को वचन दिया था जो आज पीड़ित हैं। मैं उनके दु:ख और क्रोध से परिचित हूं। मैंने उनके साथ काम किया है। अत:, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। आप मौलिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं।

हम इस स्थिति को सहन नहीं कर सकते। जब आपने सिमि (एस.आई.एस.आई.) पर प्रतिबंध लगाया, मैंने एक बहुत कठोर प्रेस नोट जारी किया था। मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था। जब आपने सिमि (एस.आई.एम.आई.) पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, तो आप बजरंग दल पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा सकते? यदि प्रधान मंत्री जी ईमानदार हैं—नि:सन्देह, उन्होंने इस घटना की भर्त्सना की है और उड़ीसा की इस बुरी घटना के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं - यदि वे अपने संवेदना के प्रति

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

ईमानदार हैं, तो उन्हें इस संगठन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक खतरा बनता जा रहा है।

यह धर्म निरपेक्षता के लिए संघर्षरत लोगों के लिए खतरा बनने जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, हमने बड़ी शांति के साथ इनकी बात सुनी है। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा में जो कुछ हुआ, वह घोर निन्दनीय है। उसकी निन्दा की जानी चाहिए। देवेगौड़ा जी ने ठीक कहा कि प्रधान मंत्री जी ने भी इसकी निन्दा की है। हम सब लोग भी इसकी निन्दा करते हैं। आपके चैम्बर में इस बात का भी जिक्र हुआ था कि अगर चाहें तो सारा सदन इसकी निन्दा कर सकता है लेकिन यदि इस मामले को उड़ीसा तक सीमित रखें तो अच्छा होगा। उड़ीसा विधान सभा में किसी का घुस जाना और शीशे तोड़ देना या इस प्रकार की घटना होना, यह जनतंत्र पर आघात है और जनतंत्र के बिल्कुल विरोध में जाने वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय बालयोगी जी ने एक मीटिंग बुलायी थी और उसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हुए थे। उसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था और वह प्रस्ताव कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आया था कि परिसर के अन्दर धरना, आन्दोलन और नारे लगाना आदि सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। हमने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया था। वहां मिल कर मैमोरंडम देने की बात थी लेकिन जिस तरह दरवाजे तोड़ कर लोग अन्दर चले गए और नारे लगाए, वह घोर निन्दनीय है। इस बात की सारा सदन निन्दा करता है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): हम उनके खिलाफ बैन लगाने की मांग करते हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : जिन्होंने यह काम किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बताया गया और पेपर में भी आया कि 19 लोग सस्पैंड किए गए हैं और 60 लोग पकड़े गए हैं। दूसरे जो लोग इसमें शामिल हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि वे हमारे आदमी नहीं थे। उन्होंने इससे डिनाई किया है। ...*(व्यवधान)* वहां वह डिनाई करें या न करें, लेकिन जो लोग भी उसमें शामिल हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं यह बात भी गम्भीरता और जोर से कहना चाहता हूं कि जो इसकी तुलना 13 दिसम्बर को लोक सभा में हुई घटना या जम्मू-कश्मीर असेम्बली से करने जा रहे हैं, उनका परवर्शन ऑफ माइंड हो गया है। ...*(व्यवधान)* इन लोगों को यहां ऐसा नहीं कहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : डा. मल्होत्रा, यदि आप मेरी बात मानें, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उनकी बात मान रहे हैं?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं, अभी मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूं ....

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हुये हमले में 40 से ज्यादा लोग बम विस्फोट में मारे गये, पार्लियामेंट पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया जिसे उड़ीसा विधान सभा पर हुये हमले की कैटेगरी और उसका मुकाबला किया जा रहा है। उड़ीसा विधान सभा पर हुआ हमला आपकी अनुचित प्रवृत्ति का प्रतीक है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, तर्क क्या है? वह ऐसा नहीं कह सकते ...*(व्यवधान)* मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वे बाहर वाले लोग नहीं थे, आपके अपने ही लोग थे।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): उपाध्यक्ष महोदय, संसद पर हमला बोलने वाले आतंकवादी पाकिस्ताव द्वारा नियंत्रित हैं। लेकिन यहां, इस मामले में बजरंग दल सत्तारूढ़ दल द्वारा नियंत्रित है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि वहां पर जो हुआ, उस पर कार्यवाही की जानी चाहिये और जितनी सजा मिले, वह कम है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जे.एस. बराड़ जी, वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। मैं आपको बोलने का अवसर कैसे दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा के शब्दों के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि मामला यदि उड़ीसा विधान सभा पर हुये हमले की बात तक सीमित हो, तो उसके लिये सदन में निन्दा की जा सकती है लेकिन बार-बार यह मामला उठाया जा रहा है कि आर.एस.एस. ने एक प्रस्ताव पास किया है *...(व्यवधान)* मैं उसकी निन्दा करता हूं। हरियाणा में मस्जिद को गिराया गया, यह घोर निन्दनीय है। किसी मस्जिद को गिराया जाना बहुत गलत बात है, क्या हम इस बात पर डिसकशन करेंगे? जब कश्मीर में 100 मन्दिरों को गिराया गया या बाकी जगहों पर मन्दिर गिराये गये, अगर पहला सवाल उठाया जायेगा तो इनके बारे में भी उठाया जायेगा और इस सवाल पर भी बहस की जायेगी। उपाध्यक्ष जी, जहां-जहां *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि कोई असंसदीय कथन है तो मैं उनसे उसे वापस लेने के लिए कहूंगा। वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आप इस तरह खड़े होकर इस तरह नहीं बोल सकते।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिमरनजीत सिंह मान जी, मैं अब सहायता नहीं कर सकता। जब तक वे आपकी बाते नहीं मानते, तो कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। सभा में यही प्रक्रिया है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा, क्या आप उनकी बात मान रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं, उपाध्यक्ष जी, ये घटनायें क्यों हो रही हैं, उसकी पृष्ठभूमि में पिछले 20 दिन से यहां डिसकशन हो रहा है। यह मामला पिछले लगातार 40 सालों से डिसकस हो रहा है और आज उनको डिसकस करने के लिये कहा जा रहा है, एक नफरत फैलायी जा रही है। यहां बातें कही जा रही हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है और श्री शिवराज पाटील जी ने कहा कि देश में जहर पैदा किया जा रहा है। यह जहर कौन पैदा कर रहा है? यह जहर एस.पी. और कांग्रेस के लोग पैदा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आप कांग्रेस पर दोषारोपण न करें। आप ऐसा ही कर रहे हैं। आप भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं *...(व्यवधान)*

उन्होंने घृणा फैलाना शुरू किया *...(व्यवधान)* गृह मंत्री जी चुप बैठे हैं *...(व्यवधान)* वे दोहरी चाल चल रहे हैं। वे राष्ट्र-विरोधी, संविधान-विरोधी और धर्मनिरपेक्षता-विरोधी हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : ये लोग सारी गड़बड़ करा रहे हैं *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, श्री शिवराज पाटील को हमने बहुत शांतिपूर्वक सुना, श्री देवगौड़ा जी को बहुत शांति से सुना *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): ये लोग देश में दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लीडर को भी बोलना है, आपको भी इस पर बोलना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस पार्टी के उप नेता श्री शिवराज पाटील जी ने इतनी बातें कहीं। उन्होंने होम मिनिस्टर और प्रधान मंत्री का इस्तीफा देने से लेकर और बहुत सी बातें कही, हमने उन्हें शांतिपूर्वक सुना। लेकिन हमें जवाब देने का समय ही न दिया जाए, यह बात नहीं चल सकती *...(व्यवधान)* उन्होंने कहा, ''आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको भेज देंगे'' ऐसा कहा। हम आपकी मेहरबानी पर चुनकर नहीं आये हैं, हमें जनता ने चुनकर भेजा है, हम आपकी वजह से यहां नहीं हैं। आपके कहने से हम नहीं चले जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है। शून्य काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री सुशील कुमार शिंदे : हमारी पार्टी के उपनेता ने कभी भी प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने ऐसा कहा है। यह रिकार्ड में है *...(व्यवधान)* ''उन्होंने कहा आपको जाना होगा।''

श्री सुशील कुमार शिंदे : उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आप रिकार्ड देखिये। उन्होंने कभी भी इस्तीफे की मांग नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने इस्तीफे की मांग नहीं की है। आप अपनी बात आगे कहिये।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, वह कहते हैं हमने नहीं कहा था। अगर नहीं कहा तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी इसका जिक्र हुआ, अभी इधर-उधर का बहुत सा जिक्र हुआ, गोधरा की बात कही और बाकी भी कहा। क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि हाजी बिलाल, जिसे आज गिरफ्तार किया है, जिसके आई.एस.आई. से संबध हैं, जो कांग्रेस का मैम्बर है, इन्होंने क्या कार्रवाई की *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह सच नहीं है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, गोधरा *...(व्यवधान)* उड़ीसा के मामले के साथ हरियाणा से लेकर देश भर में और बंगलौर के रिजोल्यूशन आदि तथा उसके साथ सब चीजों को जोड़ा जा रहा है। अगर आप केवल वहां तक रहते तो ठीक था, कांग्रेस के चार मैम्बर्स गोधरा इन्सीडेन्ट में पकड़े गये हैं, कांग्रेस ने एक आदमी को भी आज तक नहीं निकाला। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यह असत्य है। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : एक आदमी को भी बाहर नहीं निकाला। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, कोई देश में सांप्रदायिकता करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई जातिभेद फैलाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई देश में नफरत फैलाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो एन.डी.ए. का एजेन्डा है, यह उस पर कायम है और उससे बाहर कुछ नहीं। इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर उड़ीसा असेम्बली के एन.डी.ए. के पार्टनर्स में फूट डालने की कोशिश की गई। ये लोग सत्ता के बिना बिना पानी के मछली की तरह तड़प रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप सैलेक्टिव कंडैमनेशन करेंगे, चुन-चुनकर एकतरफा आरोप लगाएंगे तो देश में परिणामों के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, जो कि एक भावना पैदा कर रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के मन में कि मानो हिन्दू होना पाप हो गया है, मानो हिन्दू होना इस देश में अपराध हो गया है। यह जो भावना पैदा कर रहे हैं, उसके कारण देश में नफरत फैल रही है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि उड़ीसा की घटना को जितना कंडैम करना है, आप करिये, हम भी उसमें शामिल हैं और अपराध करने वालों को सजा दी जाएगी। परंतु उसके साथ जोड़कर देखिये कि पंजाब में क्या हुआ और दिल्ली में 3000 सिखों का किस प्रकार से कत्ले-आम हुआ था, ये बातें आपको दिखाई नहीं देतीं? जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, वह आज इस तरह के सवाल खड़े करके वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपसे अनुरोध किया था कि केवल उड़ीसा के मामले को ले लें और उड़ीसा को सारा सदन कंडैम कर दे और वहां पर उनको सजा देने की बात करे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, परंतु उसको कश्मीर से मिला दें, यह जो आपके तरीके हैं, उसके कारण देश में नफरत का जहर पैदा हो रहा है। हम लोग इधर-उधर न भटकें, केवल उड़ीसा तक मामले को सीमित करें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा में शनिवार को हुआ हमला बर्बरतापूर्ण और जघन्य अपराध है। मेरी पार्टी इस घटना की पूरी तरह से निंदा करती है। यह भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर हमला था। हमने जम्मू-कश्मीर

विधान सभा और 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर हुये हमले की घटना की निंदा की है। पूरी सभा ने एक स्वर से इन घटनाओं की आलोचना की।

पूरी सभा, सभी दलों ने प्रस्ताव पारित करके उन घटनाओं की आलोचना की। हमने इस देश को संदेश दिया कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिये। मीडिया और अखबारों की जो खबरें मुझ तक और अन्य संगठनों तक पहुंची हैं, उनके अनुसार जब हम जम्मू-कश्मीर विधान सभा और भारतीय संसद पर हुये हमले के लिये आतंकवादियों पर आरोप लगा रहे हैं, उड़ीसा विधान सभा पर हमला हमारे ही युवाओं द्वारा किया गया। यह एक शर्मनाक घटना है।

अत: हमें किसी भी कीमत पर भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करनी है, राज्य विधान सभा राज्य की सर्वोत्तम संस्था है। सुबह मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात करना चाहता था, परन्तु लाइन नहीं मिलने के कारण बात नहीं कर सका। दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिये। किसी भी कीमत पर हमें उन दोषियों को सजा देनी है। हमें अपने लोकतंत्र और भारतीय संविधान की रक्षा करनी है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष जी, पिछले शनिवार को उड़ीसा की असेम्बली पर जो हमला किया गया, वह निन्दनीय तो है ही, हमारी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता के ताने-बाने को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है जो पहले से योजनाबद्ध तरीके से किया गया। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कह दी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। गृह मंत्री जब उत्तर दें तो यह जरूर बताएं कि कौन सा सरस्वती शिशु मन्दिर था जिसमें एक दिन पहले, दो दिन पहले से वहां के बच्चों को तैयार किया गया कि अपने-अपने घर से खाना लाना, यहां पर अतिथि और मेहमान आएंगे, उनके लिए खाना लाइए।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, वे मेहमान कौन थे जिनके लिए बच्चे अपने-अपने घर से खाना लाए, वहां उन्हें खाना खिलाया गया और खाना खिलाकर, तैयार किया गया ताकि उड़ीसा असैम्बली पर हमला हो सके। वहां शिशु मंदिर कौन चला रहा था, वे किस के समर्थक थे? फिर कर्नाटक का नाम क्यों नहीं लिया जाता जहां आर.एस.एस. का अधिवेशन हुआ। उड़ीसा के उस शिशु मंदिर में जिनको मेहमान बनाकर लाया जाता है वे कौन थे, उड़ीसा की असैम्बली पर हमला किया वे कौन थे, इस बात को गृह मंत्री जी आप अपने उत्तर में जरूर बताएं।

महोदय, उड़ीसा के नगर विकास मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हालांकि हमें उनका नाम भी बताया गया है, उनकी योजना के मुताबिक, यह हमला हुआ। इस प्रकार के हमले क्यों हो रहे हैं, हरियाणा में मस्जिद को क्यों जलाया गया, उस पर हमला किया गया? वहां प्रधान मंत्री जी के नाम पर नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम बोला जा रहा था। जिस प्रकार से कर्नाटक में प्रस्ताव पास किया गया कि मुसलमानों को अगर हिन्दुस्तान में रहना है, तो दबकर रहना होगा और अगर अखबारों में यह खबर छपे, तो अखबार, झूठे, मीडिया झूठा। अगर मीडिया इनके पक्ष में लिखे तो निष्पक्ष और अगर सही बात लिख दे, तो निष्पक्ष नहीं। *...(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): 'हल्ला बोल' अखबार कौन चलाता है, हम नहीं चलाते। आपने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में किस प्रकार से आतंकवाद फैलाया था, आपको वह दिन भी याद करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अब तो आप मिनिस्टर बन गए। आप बैठें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अशोक प्रधान जी, आप मंत्री हैं। आप बीच में इस प्रकार से बिना परमीशन के न बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, 13 दिसंबर को संसद पर जो हमला हुआ या जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हमला हुआ, वह खतरनाक है, लेकिन जो उड़ीसा विधान सभा पर हमला हुआ, इसे हम उससे भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि कश्मीर की असेम्बली एवं संसद पर हमला हमारे दुश्मनों ने किया, लेकिन यह हमला कराने वाले लोग हमारी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, दिल्ली की केन्द्रीय सरकार और वहां की सरकार में बैठे लोगों के इशारे पर हुआ। इसलिए दिल्ली की सरकार भी जिम्मेदार है और उड़ीसा सरकार के जो मंत्री इसे प्रायोजित कर रहे हैं, वे भी जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं *...(व्यवधान)* आप अपना नेता बना दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें क्या पता चलेगा। ये थे, ये भी किनारे लग गए। आप भी किनारे लग जाएंगे। सबक सीखिए आप कितने रह गए हैं और आगे वाले समय में 15 रह जाएंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप चेयर को एड्रेस करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मुझे कह रहे हैं। आप उन्हें रोकिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं आपके उधर देख कर बात कहने की वजह से ऐसा हो रहा है। आप सीधे चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप जैसे 178 से 88 पर आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही आप करते रहे, तो हम आपको 14 या 15 पर लाकर रख देंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर-आर्डर प्लीज।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है और यह जो बार-बार कहते रहे हैं कि वे ताकत कौन हैं, कौन से चिन्तन और सोच के लोग हैं जो हमारे हिन्दुस्तान के अंदर मिलीजुली सभ्यता पर हमला कर रहे हैं या हमला किया जा रहा है, जो विशाल और महान देश है जिसका ताना-बाना विभिन्न जातियों एवं धर्मों से बना है, जहां यह भावना और आशा है कि सब धर्मों का आदर हो और सब धर्मों का पालन हो, उस तानेबाने को नष्ट करने की साजिश कौन कर रहा है, क्या इसको नष्ट करने की साजिश बजरंग दल या विश्व हिन्दू परिषद् नहीं कर रही है? हम पूछना चाहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद कौन है? बार-बार हम यह सवाल उठाते हैं। गृह मंत्री जी आप बतायें कि क्या वी.एच.पी. बी.जे.पी. नहीं है? क्या बजरंग दल बी.जे.पी. नहीं है? क्या बजरंग दल के सदस्य श्री विनय कटियार जो लोक सभा में बी.जे.पी. के सांसद हैं, वे कमल के फूल पर नहीं जीते हैं? क्या चिन्मयानंद स्वामी जी लोक सभा के मैम्बर हैं, वे विश्व हिन्दू परिषद के कहलाते हैं, क्या वे बी.जे.पी. के नहीं हैं? हम यही कह रहे हैं कि यह बी.जे.पी. का हाथ है। पूरा का पूरा बी.जे.पी. है, जो सत्ता में हैं। इसलिए जब आप और संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं तो बजरंग दल पर क्यों प्रतिबंध नहीं है। वी.एच.पी. पर क्यों प्रतिबंध नहीं है? इसलिए प्रतिबंध नहीं है क्योंकि वे बी.जे.पी. हैं। अब बी.जे.पी. पर प्रतिबंध लगेगा।

हमें खुशी है कि श्री येरननायडू ने आज कुछ बोला है। अब कितनी लंबी आवाज आयेगी। श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, यह राष्ट्रीय जन कौन है, इसका हमें पूरा पता नहीं लेकिन हमें पता है कि जो फासिज्म का कार्यक्रम है वह सामने आ गया है। हमारे मित्र यहां बैठे हैं। जो गठबंधन सरकार के सहयोगी हैं; हम नहीं कहते कि हम मतभेद करायेंगे। हम मतभेद करना भी नहीं चाहते लेकिन मतभेद अपने आप होंगे। अगर इनको आपके साथ रहना है, फासिज्म के साथ रहना है तो इनको तय करना पड़ेगा। जो आपको समर्थन दे रहे हैं या जो दल सरकार में शामिल हैं, उनको तय करना पड़ेगा। गठबंधन में हम नहीं हैं और हम यह मतभेद नहीं करायेंगे लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि फासिज्म के साथ हैं या लोकतंत्र को बचाने वालों के साथ हैं या सभी धर्मों का आदर करने वालों के साथ हैं। जो जिंदगी इन्होंने खपाई है चाहे किसान के नाम पर, गरीब के नाम पर, मजदूर के नाम पर, एकता के नाम पर, बराबरी के नाम पर या भेदभाव मिटाने के नाम पर, तो उनको सोचना पड़ेगा कि जिंदगी में क्या लेकर चले और कहां पहुंच गये।

हम खुलकर कहते हैं कि आज देश की जनता को सावधान करना पड़ेगा। संसद के माध्यम से जनता को आह्वान करेंगे। हम जानते हैं कि जनता की ताकत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता क्योंकि जर्मनी में जो हुआ, वह सबको पता है। इसी तरह से जर्मनी में हिटलर ने किया था। आज वही सरकार के सहयोगी दल कर रहे हैं। चाहे जर्मनी के कम्युनिस्ट हों या समाजवादी हों, उन्होंने भी इसी तरह समर्थन किया था तो उन्हीं को सबसे पहले हिटलर ने निशाना बनाया था। इसलिए समय रहते सरकार के सहयोगी दल सचेत हों। हम उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहते लेकिन धर्म के नाम पर देश को तोड़ने के सोच के और इस चिंतन के लोगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। यदि नगर विकास मंत्री का इसमें हाथ है तो उसे बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए।

इस तरह से शिशु मंदिर के बच्चों के द्वारा, आपबीतियों के नाम पर भोजन मंगाया गया, यह बात उजागर हो गई जब मेहमानों के नाम पर बच्चों द्वारा खाना लगाय गया तो षडयंत्र किसका है? हम आपसे मांग करते हैं कि सबसे पहले जब गृह मंत्री जी उत्तर दें तो वी.एच.पी. पर और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करें। अगर आप पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ हैं तो हमें नहीं लगता कि आप उनके खिलाफ हैं क्योंकि आप ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके कृत्यों और कारनामों से पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का कोई नैतिक साहस आपके अंदर नहीं है। आप आतंकवाद का मुकाबला कैसे करेंगे, किस जुबान से करेंगे। कैसे इस देश के सामने करेंगे या दुनिया के सामने करेंगे? जो कुछ उड़ीसा में हो रहा है, उसे सारी दुनिया देख रही है। संघ परिवार द्वारा बंगलौर में जो प्रस्ताव पास किया गया है वह सारी दुनिया देख रही है। उसी के परिणामस्वरूप हरियाणा में मस्जिदें जलाई जा रही हैं, उसे सारी दुनिया देख रही है। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इसलिए दुनिया के सामने आपके पास आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए नैतिक साहस नहीं हो सकता। इसलिए आप आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ नहीं पा रहे हैं। आप खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। श्री देवेगौड़ा जी ने ठीक कहा कि यह ट्रेनिंग दी जा रही है। संघ परिवार को लाठी किसके लिए सिखाई जा रही है। किसके लिए तैयारी है। अगर देश को बचाने के लिए तैयारी है, सीमा की रक्षा करने की तैयारी है तो संघ परिवार तथा बजरंग दल को कारगिल की लड़ाई में क्यों नहीं भेजा

गया। इस प्रकार देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। देश की एकता को तोड़ने का षडयंत्र है। आप इसे धमकाकर करेंगे। क्या आप सदन के अंदर धमकायेंगे? हम आपकी धमकियों में आने वाले नहीं हैं। आपकी धमकी केवल बंदरघुड़की साबित हो जायेगी। जब हम लोग जनता के माध्यम से धमकी देकर निकल जायेंगे यह बहुमत अब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। बहुमत हमने भी देखा है और बहुमत हम भी लाये हैं लेकिन वह बहुमत भी कहां चला गया? आपका बहुत बहुमत नहीं है। यह तो न जाने कहां-कहां से इकट्ठा कर लिया है। इसलिए उनको भी सोचना पड़ेगा। श्री येरननायडू साहब ने अभी शुरू किया है और साथी भी उठ रहे हैं और ये भी ठीक ही बोलेंगे। हमें लग रहा है, येरन-नायडू भी बोलेंगे, ये भी अब समय मांग रहे हैं। हम कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ अगर पाकिस्तान से लड़ना है तो अपनी पार्टी के उग्रवाद पर प्रतिबन्ध लगाइये। देश को एक रखना चाहते हैं, अगर देश को बिखेरना है तो हम यह भी जानते हैं कि दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें उग्रवाद और फासिज्म को लेकर कामयाब नहीं हुई हैं, इसलिए आपकी भी नहीं हो सकती हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई की गृह मंत्री जी, आप आज ही घोषणा करिये। यह कह देना कि यह उड़ीसा की विधान सभा का सवाल है, यह उड़ीसा का सवाल है, यह देश का सवाल है, देश की एकता का सवाल है। इस संकट की घड़ी में जब देश खतरे में है और सीमा पर फौज लगी हो और तनाव बना हो, उस वक्त हम सबको देश को जहां एक रखने का सवाल था, वहां देश को एक नहीं रख रहे, देश को तोड़ा जा रहा है। यह देश के लोकतंत्र पर हमला नहीं है, यह देश पर हमला है, देश की एकता पर हमला है, इसलिए हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी आज देश के सवाल को सामने रखकर सख्त कार्रवाई कीजिए और आज ही विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा कीजिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई विशेष भाषण नहीं देना है। बहुत दुख के साथ मैं बोलने के लिए तैयार हुआ हूं। गोधरा की बात की जाती है, इस पक्ष के 10-20 लोगों ने आकर मुझसे कहा कि मैं भी कुछ बोलूं। मैंने चार लाइन का एक प्रस्ताव लिखा था और बाद में उस समय के स्पीकर माननीय बालयोगी जी को दिखाया था। उस समय आप भी मौजूद थे। मैं इस राय का था कि सब मिलकर गोधरा काण्ड की भर्त्सना करें और यह कहें कि देश में शान्ति रहे। लेकिन क्षमा करेंगे, मेरे मित्र जो पूछते हैं कि गोधरा पर कोई क्यों नहीं उठा। आपने उठने का समय नहीं दिया। आपकी संख्या ज्यादा थी, इधर से केवल कुछ लोगों ने शोर मचाया। मेरी तमाम कोशिश के बावजूद भी हमारे कुछ परम मित्रों ने भी इतना संयम नहीं दिखाया कि कोई दूसरा भी गोधरा के बारे में बोल सके। शायद आप समझते थे कि वह अकेले आपका काम है और आप अकेले ही प्राणों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हिन्दू की बात हो, मुस्लिम या दूसरे धर्मों के प्राणों की तो कोई मर्यादा शायद नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे मित्र विजय कुमार मल्होत्रा जी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि वे विचारवान व्यक्ति हैं, पढ़े-लिखे आदमी हैं। उनके सामने शास्त्रों की एक कहानी दोहराना चूहंगा। एक जंगल में एक बढ़ई रोज कुल्हाड़ी लेकर जाता था, उसमें बेंट नहीं लगा हुआ था। जंगल का सबसे बूढ़ा पेड़ कहता था कि घबराओ मत, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिनों के बाद उस कुल्हाड़ी में एक बेंट लगा हुआ था, उस दिन उस बूढ़े ने कहा कि अब जंगल बचने वाला नहीं है, क्योंकि घर का ही एक आदमी उसके साथ मिल गया है। इसलिए उड़ीसा की घटना ज्यादा खतरनाक है। आप यह मत समझिये की तुलना की जा रही है। अगर हम कह सकते हैं कि जो कुछ श्रीनगर में हुआ, वह बाहरी ताकतों ने किया। अगर हम कह सकते हैं कि जो कुछ दिल्ली में इस संसद में हुआ, उसमें भी बाहरी ताकतें थीं, वही बहाना हमें उड़ीसा में नहीं मिलता और एक खतरनाक खेल है, जिस खेल को आपको परखना चाहिए और इसकी भयंकरता को, इसकी पीड़ा आपके दिल में होनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से बहुत नम्र निवेदन करूंगा, एक दूसरा अशुभ संकेत उड़ीसा में मिला है, क्योंकि पुलिस के लोग और आर्म्ड पुलिस के लोग मुअत्तल किये गये हैं। यह भी एक मनोविज्ञान पैदा हो रहा है कि जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वे भी अपने कर्त्तव्यपालन करने में हिचकते हैं तो देश में कोई माहौल ऐसा बन रहा है, जिससे सीमाओं का अतिक्रमण हर वर्ग कर रहा है। कहीं विघटन की ओर हम न चले जायें, यह खतरा हमारे ऊपर है।

मैं नहीं कहता कि उनको क्या प्रोत्साहन मिला होगा, लेकिन हमें ख्याल करना चाहिए, 83, 85 या 90 वर्ष के बूढ़े आदमी, जिन्होंने गुजरात में विश्व हिन्दू परिषद की किसी दिन रचना की थी, अगर वे वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि वहां की जो हत्याएं हुई हैं, वे प्रतिक्रिया के रूप में हुईं और यहां पर भी कुछ सदस्य कह रहे थे कि गोधरा पर क्यों नहीं बोले। गोधरा में अगर हत्याएं हुईं तो यह निम्न स्तर का एक पाशविक कार्य था। उसके बदले सैंकड़ों लोगों को मारना किसी तरह से पुण्य का काम नहीं हो सकता। कम से कम जो मैंने भारतीय संस्कृति के बारे में, हिन्दुत्व के बारे में सीखा है, समझा है, उसमें इस बात का कोई उदाहरण नहीं मिलता। मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा इस पहलू की ओर ध्यान दें। कहीं हमारे सुरक्षा बलों में यह भावना न आ जाए, कहीं फौज के दिलों में यह बात न आ जाए। आपने इस मामले को देखा है। कितनी हिचक है हमारे लोगों में, जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार

[श्री चन्द्रशेखर]

हैं। इस तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं उन बातों को यहां नहीं कहना चाहता, विभेद नहीं पैदा करना चाहता। लेकिन गृह मंत्री जी आपका और प्रधान मंत्री जी का कर्त्तव्य है कि इन चीजों पर रोक लगाएं। जिस चीज का जिक्र मुलायम सिंह जी ने किया है। जो कुछ बंगलौर में हुआ, एक उत्तरदायी व्यक्ति जो प्रवक्ता हैं एक बड़े संगठन के, वे कहें कि कोई वर्ग विशेष या किसी धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति उसकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर है कि वह बहुमत के लोगों की भावनाओं का आदर करे। भावनाओं का आदर करें, इतनी तो बात होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भावनाओं का आदर नहीं करता है, उसको सजा देने का अधिकार गृह मंत्रालय को है। लेकिन उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय की है। दोनों बातें जुड़ी हुई नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन मित्रों से जो आज सत्ता में हैं, बहुत नम्र निवेदन करता हूं। जिस तरह से खतरा उड़ीसा में है, उसी तरह खतरा आपके लिए है। येरननायडू जी की बात आपको केवल जज्बात का इजहार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन याद रखिए, अगर आपके बीच का ही एक आदमी इस तरह से जज्बात रखता रहा, तो कहीं एन.डी.ए. का शिराज़ा बिखर न जाए। वह आवाज उठा रहा है, जो आवाज जनता की आवाज बनती जा रही है। मैं नहीं चाहता कि देश विघटन की ओर जाए। मैं नहीं जानता कि यह देश उत्तेजना की ओर जाए। मैं नहीं चाहता नफरत के लिए जाए। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय इन बातों की ओर मैं संकेत करके ही यह निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि कुछ ऐसा कदम उठाइए, ताकि सभी वर्गों में विश्वास पैदा हो सके। आप किसी पर प्रतिबंध लगाएंगे या नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का पालन सरकार करे, यही मेरा निवेदन है।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, उड़ीसा का संसद सदस्य होने के नाते, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अन्ततः बोलने का अवसर दिया ताकि मैं कुछ स्पष्टीकरण दे सकूं।

मैं परसों उड़ीसा विधान सभा में घटी घटना की पुरजोर भर्त्सना करता हूं। उड़ीसा विधान सभा में घटी यह दुर्घटना बहुत शर्मनाक है। जिसने भी यह किया, उसे दण्ड मिलना चाहिए और ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिये थी। अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी जमानत याचिका अस्वीकृत कर दी गई है और अब वे जेल में हैं। 19 पुलिसवालों को निलंबित कर दिया गया है। उनमें से दो पुलिस अधीक्षक हैं। कर्त्तव्यपालन न करने लिये उन्हें नौकरी से निलंबित किया गया है। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, उन्हें यह बातें बताने की क्या जरूरत है। गृह मंत्री को सभा को सूचित करना चाहिये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं उसी राज्य से हैं। अतः उनके पास जो भी जानकारी है, वह सभा को बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): यह सही है लेकिन जो भी हो माननीय गृह मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, पुलिस की विशेष शाखा को इस मामले की जांच करने के लिये कहा गया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि शहरी विकास मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं इसमें शामिल थे। जब हमला हुआ भाजपा विधायक दल की बैठक विधान सभा की पहली मंजिल में हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी मंत्री वहां उपस्थित थे। जब हमला हुआ तो उक्त शहरी विकास मंत्री भी वहां उपस्थित थे। हमले में जिस कमरे में आग लगी वह भाजपा के मंत्री श्री वेद प्रकाश अग्रवाल का था उनका कमरा तहस-नहस कर दिया गया। अतः यह कहना कि इस हमले के पीछे भाजपा का हाथ था, पूरी तरह झूठा और दुर्भावनापूर्ण आरोप है।

तीसरी बात यह कि घटना के बाद सात विधायक महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गये और उन्होंने सरकार से मांग की कि इस जघन्य अपराध के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये। धरने पर बैठे इन सात विधायकों में से तीन भाजपा के थे और एक भाजपा के मुख्य सचेतक थे जिन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में मैं भी इसकी कड़ी आलोचना करता हूं *...(व्यवधान)*

महोदय, अब मैं अंतिम बात पर आता हूं। यह कहना कि इस घटना की कुछ प्रासंगिकता या तुलना संसद पर हुये आतंकवादी हमले से की जा सकती है - मैं इस पर कड़ी आपत्ति प्रकट करता हूं। मैं दो उदाहरण दूंगा। सामान्यतया उड़ीसा विधान सभा में सुरक्षा इंतजाम ठीक होते थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी घटना छात्र आंदोलन की चरम अवस्था में पहली बार 1964 में घटी थी। उस समय छात्र न केवल विधान सभा परिसर में बल्कि भवन में भी घुस गये। विधान सभा कक्ष में प्रवेश कर गये। एक छात्र नेता विधान सभा अध्यक्ष की कुर्सी पर और दूसरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने 'मॉक' विधान सभा चलाई और घोषणा की कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री को हटा दिया गया है और सरकार से बाहर कर दिया गया है *...(व्यवधान)* उस समय केन्द्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी क्या उन्होंने तब चर्चा की थी?

माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटिल अब तीखे स्वर में चीख-चिल्ला रहे हैं। क्या उन्होंने या उनकी पार्टी ने तब इस मामले पर चर्चा की थी? क्या तब उन्होंने कहा था कि यह घटना उड़ीसा विधान सभा पर आतंकवादी हमला थी? यह पहली घटना थी।

दूसरी घटना वर्ष 1978 में घटी जब श्री नीलमणि राउतराय उड़ीसा में जनता दल के मुख्यमंत्री थे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के उकसावे पर अध्यापक सभा में घुस गये। उनमें से एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन शिक्षकों को उकसाया और वे सभा में घुस गये। वे मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठ गये ...*(व्यवधान)* क्या यह विधान सभा, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला नहीं था? उस समय श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे माननीय सदस्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों नहीं की? यह दूसरा प्रश्न है, जो मैं पूछ रहा हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख और क्षोभ के साथ मैं 16 मार्च को उड़ीसा विधान सभा पर हुये हमले की निंदा करता हूं। यह दिन भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक और काला दिन था। यह गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं था।

जब उड़ीसा में विनष्टकारी चक्रवात का प्रकोप हुआ तब कई अमूल्य जानें गईं। लोकतंत्र के दुर्ग पर हुआ यह हमला, लोकतंत्र की जड़ पर हमला था। यह आक्रमण लोकतंत्र की भावना को मिटाने के लिये किया गया था।

हम हमेशा इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब हमें आत्मावलोकन की जरूरत हैं। जब ऐसी शर्मनाक घटनायें घटती हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। जो भी इस घटना के लिये उत्तरदायी हो या जिसका भी इस बर्बर हमले में हाथ हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिये और उसे सलाखों के पीछे डाल देना चाहिये। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा की है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने लोकतांत्रिक भावना की विरोधी फासीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में जेल यातना सही हैं, इस तरह की घटनाओं की निंदा करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे।

अत: महोदय इस समय हम सभी को एकजुट होकर दलगत भावना को भूलकर यह निर्णय लेना चाहिए कि हम देश में उस तरह की उग्र राष्ट्रवादिता का पोषण नहीं करेंगे। मैं इस घटना की निंदा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा में जो घटना घटी है, मैं अपनी ओर से और समता पार्टी की ओर से इस घटना की निन्दा करता हूं। इस घटना की जितनी निन्दा की जाए, वह कम ही होगी। हम सभी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देश में लगातार घटनायें घटती चली जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के उपनेता, माननीय पाटिल जी, ने काश्मीर विधान सभा से अपनी बात शुरू की और उड़ीसा विधान सभा पर जो हमला हुआ, जो घटना घटी, उसमें उन्होंने यह कहने का काम किया कि यह घटना एक ही है। यह बहुत दुखद बात है। काश्मीर विधान सभा और संसद पर जो हमला हुआ है और हमारे देश में लगातार जो अराजकता पैदा हो रही है, उस घटनाओं में किन लोगों का हाथ है या नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि सही मायनों में हम लोग उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहस करते हैं, आने वाले लोक सभा चुनाव और विधान सभा में कैसे बहुमत हासिल किया जाना चाहिए और राजनीति हमारे हाथ में आनी चाहिए। संसद में बहस का मुद्दा अब यह है, देश और राष्ट्र नहीं है।

इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, विरोधी दल के नेता या जो लोग इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि देश की समस्यायें बढ़ती चली जा रही हैं। समस्याओं के निदान के लिए मिलजुल कर बात करें, बैठें और विचार करें, नहीं तो आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहने से वक्त निकलता चला जाएगा और देश के हालात बिगड़ते चले जायेंगे। जिस राजनीति के लिए हम और आप लड़ रहे हैं, वह राजनीति भी हमसे और आपसे निकल जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बड़ी-बड़ी घटनायें, सिर्फ हिन्दू-मुसलमान-सिख-ईसाइयों द्वारा या उनके संगठनों, चाहे इधर के हों या उधर के हों, सिर्फ उनके चाहने से ये घटनायें नहीं घट सकती हैं। माननीय पाटिल जी ने जनवाद की बात भी कही, दर्शन की बात भी कही और आत्म-परीक्षण की बात भी उन्होंने कही - ये बातें संसद में करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक दल को नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे संसद को आत्म-परीक्षण की बातें करनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वही मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। इस समस्या का निदान क्या है और हम बहस इस पर क्यों नहीं करते हैं। हम बहस नहीं करते हैं। इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विरोधी दल के नेता से भी कहना चाहता हूं और हम एनडीए में हैं, इसलिए गृह मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग आपस में बैठे और बात करें कि जिस तरह से अराजकता पूरे हिन्दुस्तान में फैल रही है, यह स्थिति देश को कहां ले जाएगी। यह कोई एक दल की बात नहीं है और अकेले कोई काबू नहीं

[श्री ब्रह्मानन्द मण्डल]

पा सकता है, सिर्फ प्रशासन के लोग इस पर काबू नहीं पा सकते हैं। एक दूसरे को शह देते हुए देश में इस तरह की घटनायें घटती हैं और देश टूटता है, बरबाद होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसी एक दल पर नहीं हो, बल्कि उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। मैं जिन बातों को कह रहा हूं, आप उन बातों को सुन लीजिए। मैं अपनी भावनाओं को रख रहा हूं। *...(व्यवधान)* काश्मीर विधान सभा के हमले के बाद से हम निन्दा, बहस करते चले आ रहे हैं। काश्मीर के हमले से जो घटनाएं शुरू हुईं, संसद पर, और उसके बाद गोधरा से लेकर अहमदाबाद तथा अन्य जगहों पर घटनाएं घट रही हैं। हम और आप लड़ रहे हैं, जनता को भी हम और आप लड़ा रहे हैं, उसका फायदा किस को हो रहा है, हमारे देश के बाहर दुश्मन को हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, हमने भी इस पर नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही की पार्टी के लीडर बोल रहे हैं।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मैं कहना चाहता हूं, इसकी चर्चा होनी चाहिए कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का चांस मिलेगा, अभी आप बैठ जाइए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : उड़ीसा में जो घटनाएं घटीं, *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोला है कि आप ही की पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, अभी आप बैठ जाइए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : उड़ीसा की घटनाओं से संबंधित लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन काश्मीर से लेकर जो यहां तक पहुंचे हैं, उन पर क्या होगा, इसका भी जवाब चाहिए। मैं अपनी राय दे सकता हूं, दासमुंशी जी बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत गुस्से से बातें की गईं। *...(व्यवधान)* हमारे साथियों ने भी समस्याओं को उठाया और बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रखा, लेकिन सिर्फ गुस्से से देश में सेंटीमेंट पैदा करके आप लड़ सकते हैं, एकता पैदा नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमने कोई गुस्सा नहीं किया। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आपको बोलने का चांस मिलेगा, आप इस तरह खड़े मत होइए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अगर इसके कारणों पर बहस नहीं की है तो आपको करनी चाहिए और अगर कारण की जानकारी हो जाए तो उसका निदान भी होना चाहिए। आप अगर मुझ से पूछना और जानना चाहते हैं, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि आप वक्त गंवा रहे हैं। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर और खराब है, इसके बावजूद भी भारत जैसे विशाल और मजबूत देश पर जो भी वह चाहता है, वही कराता है। हमें आपस में लड़ाता है और हम आपस में लड़ते हैं।

उपाध्यक्ष जी, हम आपसे, गृह मंत्री जी से और विपक्ष के नेता से भी कहना चाहते हैं कि आप मिल-बैठ कर बात कीजिए कि आप पाकिस्तान से कैसे निपट सकते हैं। *...(व्यवधान)* कौन सी नीति है, उसके संबंध में आपको बताना पड़ेगा। *...(व्यवधान)* आप इस तरह लड़ते रहेंगे, जो घटनाएं घट रही हैं इस तरह चलाते रहेंगे, क्या यही आपकी नीति होगी? *...(व्यवधान)* आप राष्ट्र देश की बात करते हैं। *...(व्यवधान)* इस तरह आप देश को नष्ट कर देंगे। इसलिए एक ही कारगर तरीका है, कुछ फैसले एकजुट होकर होते हैं, बात से और समझौते से नहीं होते। इसलिए अगर पाकिस्तान युद्ध करने को तैयार है तो आप संग्राम की तैयारी करें, इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। *...(व्यवधान)* सारी दुनिया में समाजवादी मुल्क आपकी वजह से बिखर गया। *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि वोटों की राजनीति की जा रही है *...(व्यवधान)* यह वोटों की राजनीति देश के लिए घातक है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, आप किनसे बात कर रहे हैं? आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर हमें मिल-जुलकर बातचीत करनी चाहिए, जिसकी आज देश को बहुत जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, आज देश की संसदीय संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। बिल्डिंग को क्षति पहुंचायी

गयी, एक विधायक को पीटा गया, तोड़-फोड़ की गयी और वहां दंगा मचाया गया। भीतर जाकर सब लोग निंदा कर रहे हैं लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस पर सदन में एक सर्व-सम्मत प्रस्ताव पास किया जाए। जो संगठन इस तरह की घटना कर रहा है, उस विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल पर बैन लगाने की कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। माननीय चन्द्रशेखर जी गृहमंत्री जी से अपील कर रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि कार्रवाई कुछ होने वाली नहीं है।

हमारे यहां एक रामलीला पार्टी थी। उसमें एक ही आदमी हनुमान का मुंह, कुम्भकरण का मुंह, रावण का मुंह बनाकर घूमता था। वह आदमी एक ही था। इसी प्रकार संघ परिवार और भाजपा एक ही है जो देश को ठगने और दंगा मचाने का काम कर रही है। रामलीला की तरह बस चेहरा बदल लेते हैं। अभी इन्होंने बंगलौर में क्या प्रस्ताव पास किया है। इससे हमें लगता है कि ये लोग दंगे पर उतारू हो गये हैं। जब तक दंगाई प्रदेश से नहीं निकल जाएंगे तब-तब तक देश नहीं बचेगा। इसलिए कम्युनल संगठन बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद पर बैन लगना चाहिए। वे कहते हैं कि वे कानून नहीं मानेंगे, कोर्ट का आर्डर नहीं मानेंगे, किसी को भी नहीं मांनेंगे। वे किसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये लोग आपस में मेल किए हुए हैं। इधर हम लोग मांग करते हैं कि कार्रवाई करिये उधर ये लोग इन दलों को भड़का देते हैं और इन्हीं के बल पर वे कूद रहे हैं। ये जो साम्प्रदायिक ताकतें आज फुफकार रही हैं उन साम्प्रदायिक ताकतों से हिन्दुस्तान के जल जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए साम्प्रदायिक ताकतों के फन को कुचलना पड़ेगा। जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में जनमत तैयार हुआ है उसी तरह से हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक ताकतों को, दंगाई ताकतों को कुचलने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। डीएमके जो इनका सहयोगी दल है यह तो सत्ता को चाटने में लगा हुआ है। पहले ये बोलेंगे कि दंगा न हो और फिर उनको प्रोटैक्ट कर देंगे। इसलिए आज साफ होना चहिए कि देश को बचाने वाले कौन हैं और आग लगाने वाले कौन हैं और आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह रामलीला वाली पार्टी जब तक देश में रहेगी और एक ही आदमी तरह-तरह के मुंह बनाकर घूमता रहेगा, दंगा करता रहेगा, तब तक देश में शांति नहीं रह सकती। इसलिए संघ परिवार और बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष जी, उड़ीसा की घटना की मैं निंदा करता हूं और सारा सदन भी उस घटना की निंदा करेगा और जो इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जो घटना उड़ीसा में हुई, इस प्रकार की कई घटनाएं इससे पूर्व भी देश की अलग-अलग विधान सभाओं में हो चुकी हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : इसलिए क्या और होनी चाहिएं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर सुमन, अनंत गीते का अपना ओपीनियन है, वे बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : इस सदन के अंदर भी नारे लगाए गये हैं *...(व्यवधान)* इस सदन के अंदर भी कूदा गया है।

श्री रामजीलाल सुमन : यहां नारे लगाए गये हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये नारे लगाए जाते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें भोजनावकाश के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए स्थगन करना है।

[हिन्दी]

थोड़ा आधा घंटा शान्त रहें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना का समर्थन कोई भी नहीं करेगा। हम भी इस घटना का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, क्या आप कृपया शांतिपूर्वक बैठेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ और केवल आश्चर्य ही नहीं बल्कि खेद भी हुआ, जो संसद और श्रीनगर विधान सभा पर हुए आतंकवादी हमले को इस घटना से जोड़ रहे हैं। उसके साथ इस घटना को जोड़ना हमारे समझ से बाहर की बात है। *...(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): हमला तो हमला होता है। क्या आप जम्मू-कश्मीर विधान सभा और उड़ीसा विधान सभा पर हुए हमले को हमला नहीं मानते हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मैंने माना था और उन्हें हस्तक्षेप करने का अवसर भी प्रदान किया था। वे कुछ कह रहे हैं। यदि वे स्वीकार करते हैं तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वे मुझे ज्ञान दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान की संसद में इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाएं तो हम समझ सकते हैं लेकिन यहां बैठ कर ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सब लोगों को बोलना जरूरी है? यह यहां बोल कर समस्या पैदा करेंगे। यह निरर्थक बातें बोल रहे हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : किसी ने भी इसे भारतीय संसद पर हमले से नहीं जोड़ा था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आक्षेप नहीं लगाएं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): उनके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। संसद पर जो हमला हुआ, वह पाकिस्तान के जरिए हुआ। *...(व्यवधान)* श्रीनगर विधान सभा पर जो हमला हुआ, वह पाकिस्तान के जरिए किया गया हमला था। उसने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया। एके-47 और हैंड ग्रिनेड लेकर वे आतंकवादी आए थे। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उड़ीसा विधान सभा पर जो हमला हुआ, क्या वह पाकिस्तान के अनुयायियों ने किया है? *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : संसद पर हुए हमले के साथ उड़ीसा की घटना को जोड़ कर विपक्ष जो मैसेज देश की जनता को सदन के माध्यम से देने जा रहा है, वह देश हित में बिल्कुल नहीं जाएगा। *...(व्यवधान)* हम भी उड़ीसा की घटना की निन्दा करते हैं। हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े नहीं हुई हैं लेकिन जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, न किसी विदेशी ताकत ने उन्हें समर्थन दिया और न ही उन्हें शस्त्र दिए। विदेशी ताकतों की ओर से संसद पर जो हमला हुआ *...(व्यवधान)* उसे इससे जोड़कर आप उस कार्यवाही का एकतरफा समर्थन करना चाहते हैं। क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? क्या संसद पर हुआ हमला सही था? देश के अंदर जो संघर्ष के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, हम उसे खत्म कर सकते हैं लेकिन विदेशी ताकतें जो आतंकवाद फैला रही हैं, उसका समर्थन कभी भी नहीं होना चाहिये। इसलिये हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में आप लोगों का साहस नहीं है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है, और आज देश की जो स्थिति है, यह एक-दो साल से नहीं है। यह कांग्रेस की पिछले 50 साल की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप है जिसे देश को भुगतान पड़ रहा है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारी पार्टी ने पिछले 50 साल से जिस लोकतंत्र को मजबूत किया, उसे आप खत्म करने पर तुले हुये हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपने केवल राजनीति के लिये इस देश के अल्पसंख्यकों को देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ने दिया जिसके परिणाम इस देश को भुगतने पड़ रहे हैं। आप क्या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? उपाध्यक्ष जी, कोई भी देश का विघटन नहीं चाहता लेकिन यहां बार-बार इन लोगों द्वारा विघटन की बातें कही जाती हैं। विघटन न हो, इसकी जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही विपक्ष की भी है। ये लोग बार-बार बयानबाजी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सबसे ज्यादा बयानबाजी आपके नेता लोग करते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, हमारे नेता, राष्ट्र हित में जो होता है, वह कहते हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है, वह सही हुआ है। हमारे नेताओं ने ही सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और दुश्मन के साथ दोस्ती का हाथ तब बढ़ाया जायेगा जब वह दोस्ती के लिये आगे हाथ बढ़ाये। हमारे नेताओं ने जो कहा, राष्ट्र हित में कहा है।

उपाध्यक्ष जी, उड़ीसा की घटना को लेकर उसकी निन्दा किये जाने की बात तो समझ में आ सकती है लेकिन इस घटना के परिप्रेक्ष्य में इस बात का प्रयास करना कि एन.डी.ए. को कैसे तोड़ सकते हैं, यह बात ठीक नहीं। श्री के. येरननायडू कह गये कि इन लोगों के देश की चिन्ता है या सरकार की चिन्ता है लेकिन इन लोगों को देश की चिन्ता कम है और सरकार की चिन्ता ज्यादा सता रही है। हम उड़ीसा की घटना की निन्दा करते हैं

लेकिन यह सबकी जिम्मेदारी है। यदि देश की एकता चाहिये तो जिस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो, उसी प्रकार के बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में उड़ीसा विधान सभा में हुये हमले के बारे में चर्चा की जा रही है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, अब हमें बुलाया जाना चाहिए। हमारी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यह गलत है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, मैं सिर्फ आपको बुलाता हूं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, मैंने श्री पलानीमनिक्कम को पुकारा है। इसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बुलाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, वे आब्जैक्ट कर रहे हैं कि वे सैकिंड लार्जैस्ट पार्टी से हैं। आप इनके बाद बोलियेगा।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। हम सभी हतप्रभ हैं। जब हमने यह जाना कि उड़ीसा विधान सभा पर ऐसे लोगों द्वारा हमला किया गया था जिनका हमारे लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है। हमारे परमप्रिय नेता डा. क्लैगनार ने इस हमले की निन्दा की है। कोई भी सही दिशा में सोचने वाला व्यक्ति इस कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा। विधान सभा और संसद हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च प्रतीक हैं।

इसलिए विधान सभा पर हमला किसी और पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। हम डी.एम.के. पार्टी, उड़ीसा विधान सभा पर हुए इस गैर-जिम्मेदार हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा के भवन पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। यह उड़ीसा के साथ-साथ भारत के लोगों का भी अपमान है। विधानमंडल संविधान का निर्माता है। यह लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है क्योंकि इसे लोगों की आशाओं को पूरा करना होता है। उड़ीसा विधान सभा जैसे मंदिर पर इस हमले के बाद लोकतंत्र की छवि खराब हुई है। मैं कहूंगा कि भारतीय संसद पर हमला भारत के बाहर से आने वाले अतिवादियों आई.एस.आई. एजेंटों द्वारा हमला किया गया था और राज्य तथा केन्द्र सरकार के विधान मंडल भवनों की रक्षा करनी चाहिए। हम यह कर सकते हैं और हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे। किसी भी कट्टरपंथी दृष्टिकोण को चाहे वे संसद में है या फिर विधानमंडल में, विधान मंडल रूपी मंदिर पर इस तरह का अपमान नहीं होना चाहिए। महोदय, मैं उड़ीसा विधान सभा के भवन पर हमले की तीखी आलोचना करता हूं और भविष्य में किसी भी विधानमंडल पर ऐसे हमले की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जब इस भवन पर तीसरी बार हमला हुआ। इसलिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को लोकतंत्र रूपी मंदिर के स्मारकों की रक्षा हेतु ऐहतियाती कदम उठाने चाहिए।

यदि लोकतंत्र के लिए कोई चुनौती है तो इस लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है ...*(व्यवधान)* हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा ...*(व्यवधान)* हमें आत्म-मंथन करना होगा। हमारे मुख्य मंत्री विधान मंडल भवन की रक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि वे राज्य का कुशल प्रशासन कर रहे हैं और वे न सिर्फ आतंकवादियों बल्कि भ्रष्ट तत्वों को भी नियंत्रित कर रहे हैं।

इसलिए लोकतंत्र रूपी मंदिर की संरक्षा की जानी चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से उड़ीसा विधान मंडल भवन पर हुए भयंकर हमले की निंदा करता हूं। अपराधी चाहे कोई भी हो उसे दंडित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा पर जिस तरह से हमला हुआ है, उसके कारण आज पूरा सदन चिन्तित है और सदन में उस पर चर्चा हो रही है। इस तरह की घटना की जितनी निन्दा की जाए, वह कम है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और निन्दा करते हैं। हम निन्दा करने के साथ-साथ केवल रस्म अदायगी नहीं करना चाहते। हमारे मित्र अनन्त गीते जी बोल रह थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। वह कह रहे थे कि इस देश में जो विदेशी आतंकवाद है, जिस तरह की घटना 13 तारीख को हुई, देश की संसद पर हमला हुआ, लाल किले पर हमला हुआ और जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर हमला हुआ, उससे हम काफी चिन्तित हैं और चिन्तित होना भी चाहिए। लेकिन हम मजबूती से उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

देश के अन्दर कानून और व्यवस्था को चुनौती दी जायेगी, देश के अन्दर उड़ीसा विधान सभा पर हमला किया जायेगा, न्यायालय को नहीं माना जायेगा, प्रधान मंत्री जी की उक्ति को नहीं माना जायेगा फिर यह देश कैसे चलेगा। आखिर देश कानून से चलेगा या नहीं, यह प्रश्न आज यक्ष प्रश्न की तरह देश के सामने खड़ा है। विदेशी आतंकवाद हो या परदेशी आतंकवाद हो, दुश्मन से तभी लड़ा जा सकता है जब देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द, मिली-जुली संस्कृति, कौमी एकता मजबूत रहे, तभी हम विदेशी ताकतों से लोहा लेने में सक्षम होंगे। हम तभी आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं जब हम उस प्रस्ताव को मानें जो संसद में सर्वसम्मति से पिछले दिसंबर में पास हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र नाराज नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि यह 50 सालों की गतिविधि है। 50 साल हो गए, जिन्होंने गलत किया, वे भुगत रहे हैं मगर आप जो अभी करेंगे उसको कब भुगतेंगे? जो काम हुआ है तुष्टिकरण का, शिलान्यास से लेकर सारा मामला जो हुआ, हम विषय के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। जब विषय आएगा तो जमकर चर्चा होगी, लेकिन सदन में यह बहस होनी चाहिए कि भावनाओं के आधार पर देश को बांटने की जो कुत्सित कोशिश हो रही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, गृह मंत्री जी आपको जमकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसमें कोई छूट नहीं देनी चाहिए चाहे वह हिन्दू कम्यूनलिज्म हो या मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हो. इनको कुचलना चाहिए, दोनों पर एक तरह से प्रकार करना चाहिए। ऐसे संगठनों पर आपको प्रतिबंध भी लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे संगठनों की मानसिकता को आगे बढ़ाकर देश की एकता और अखंडता को हम कायम नहीं रख सकते हैं। देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है। इसलिए देश शक्तिशाली रहे, देश में कौमी एकता रहे, देश में भाईचारा रहे, देश में साप्रदायिक सौहार्द मजबूत रहे, इसके लिए जो भी कदम उठाने हैं, गृह मं जी उठाएं, इसमें विलंब मत करें। जिस तरह की घटना उड़ीसा में हुई है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए। मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास मिटाने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। इतिहास किसी कौम का नहीं होता। चाहे उड़ीसा की असेम्बली हो या दिल्ली का लालकिला हो, चाहे संसद भवन हो या आगरा का ताजमहल हो, चाहे जो भी ढांचा था, इतिहास किसी को मिटाने का हक नहीं है। सरकार जब भी चलेगी तो कानून से चलेगी। इतिहास किसी कौम का नहीं होता - न हिन्दू का, न मुसलमान का। इतिहास हिन्दुस्तान की धरोहर है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का घटनाक्रम है। इसलिए इतिहास को मिटाने की इजाजत किसी को नहीं देनी चाहिए, ऐसी ताकतों को कुचल दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, बहुत गर्व से हम लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत में हैं और हम प्रजातंत्र को मजबूती से अपने देश में लेकर चलते हैं। है भी, लेकिन लगता है कि यह वर्ष घटनाओं का वर्ष होने जा रहा है - चाहे गोधरा की घटना हो, गुजरात की घटना हो, अयोध्या की घटना हो या उड़ीसा विधान सभा की घटना हो। हम चाहेंगे कि इस वर्ष को घटनाओं का वर्ष होने से बचाना चाहिए।

जिस समय संसद पर हमला हुआ था, हम काफी चिन्तित थे। चिन्ता इसलिए नहीं थी कि हमारे प्राण बच गए या चले जाते, मरना और जीना तो प्रतिदिन का काम होता है। लेकिन हम चिन्तित इसलिए थे कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी अदालत जो हमारा पवित्र मंदिर है प्रजातंत्र का, उस पर हमला हुआ था और विदेशी ताकतों ने हमला किया था। हम चिन्तित थे और पुनः इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमने सोच-विचार किया और निर्णय भी किया। लेकिन जिस तरह यह देश सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है, उसी तरह राज्य के पवित्र मंदिर पर हमला हो और हमला भी घर के अंदर से हो और उस पर राजनीति की जाए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं कि हालांकि दोनों पक्ष के लोगों ने इस घटना की कड़ी निन्दा की है, होनी भी चाहिए, जितनी निन्दा की जाए वह कम होगी। लेकिन हम कहते हैं कि यहां हथियार लेकर चलने की इजाजत क्यों किसी को दी जाती है? त्रिशूल हथियार नहीं है क्या?

अपराह्न 2.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह कहता हूं कि हथियार लेकर चलने की इजाजत क्यों किसी को दी जाती है और क्या त्रिशूल हथियार नहीं है? यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस ए.के.-47 लेकर चलता है, तो उसे अपराधी माना जाता है और यदि त्रिशूल लेकर चलता है, तो वह देश का सज्जन व्यक्ति माना जाता है। हम आपके माध्यम से सीधा निवेदन करना चाहते हैं कि देश में त्रिशूल लेकर चलने की इजाजत क्यों दी जाती है और उसे हथियार क्यों नहीं माना जाता है और हम कहना चाहते हैं कि देश में इस तरह का वातावरण नहीं बनने देना चाहिए।

गृह मंत्री जी आपके पास पोटो जैसा कानून है, क्या उसका अचार पड़ेगा? अगर अचार नहीं पड़ेगा, तो हम जानना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, उनको पोटो के अंदर क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता है? मीडिया में साफ आया है कि विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोग इसमें शामिल हैं। मेरा आग्रह है कि इसकी जांच की जाए और अगर इन दलों के लोग भी शामिल हों, तो उनके ऊपर भी पोटो के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र और जनतंत्र का यह तकाजा है कि हम असहमति पर

सहमत होते हैं। ऐसे बहुत से विषय और मुद्दे हमारे सामने आते हैं, जहां आमतौर पर हमारे परस्पर दृष्टिकोण एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं, और ऐसे कुछ अवसर आते भी हैं जहां हमारे दृष्टिकोण में भिन्नता हो ही नहीं सकती। शनिवार के दिन उड़ीसा की विधान सभा पर जिस प्रकार से हमला हुआ, जिस प्रकार से तोड़-फोड़ हुई उस पवित्र मंदिर की जिस प्रकार से अवमानना की गई, मैं नहीं समझता कि कोई भी जरा सी भी समझ रखने वाला व्यक्ति भी इस पर कोई भिन्न मत रखता है सिवाय इसके कि यह घटना निर्लज्जता और जघन्यता की पराकाष्ठा है।

माननीय सभापति महोदय, सवाल यह है कि यह सब क्यों हुआ। उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सोचनी पड़ेगी। देश में पिछले दिनों हुए विभिन्न साम्प्रदायिक कार्यक्रमों पर उड़ीसा की विधान सभा में चर्चा हुई थी और उस चर्चा के दौरान वहां माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और अपनी जानकारी और अपने ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस देश में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ बाकायदा चर्चा की, बहस की और उसके तथ्य प्रस्तुत किए। इसके बाद कुछ लोगों को, कुछ संगठनों को यह सहन नहीं हो सका और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शनिवार के दिन बड़ी भारी संख्या में लोग इकट्ठे होकर उड़ीसा विधान सभा के पास पहुंचे। पहले वे वहां नारेबाजी करते रहे, प्रदर्शन करते और धरना इत्यादि देते रहे और उसके बाद अवसर पाकर वे सभी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लोग एकदम विधान सभा भवन में घुस गए। मुख्य मंत्री कक्ष के शीशे तोड़े गए, महिला कक्षों में घुस कर उन्हें अपमानित किया गया, विधायकों के साथ धक्का-मुक्की की गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की गई और 20 मिनट तक लगभग 500 से 700 लोग हथियारों, लाठियों और त्रिशूलों को लेकर तांडवनृत्य हाउस के अंदर करते रहे।

सभापति महोदय, इसकी भर्त्सना के लिए कोई शब्द अपर्याप्त है। मैं इस बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ उड़ीसा विधान सभा में हुआ, वह एक सामान्य आपराधिक घटना नहीं कही जा सकती बल्कि यह आपराधिक घटना होने के साथ-साथ, यह घटना, सदन के सदस्यों के विशेष अधिकार हनन का मामला स्पष्ट रूप से समूचे सदन की अवमानना का मामला है और उड़ीसा प्रदेश की जनता ने जिन लोगों को निर्वाचित कर भेजा है उस जनता की जनता की अवमानना का प्रश्न है। इतना ही नहीं, हम पिछले दिनों आतंकवाद की बहुत चर्चा करते रहे हैं। आतंकवाद पर हमने बहुत बहस की है। आज सारे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर हमारे अपने देश के अंदर आतंकवाद की जो मान्य परिभाषाएं हैं, धर्म के नाम पर या किसी भी राजनीतिक कारण से अगर शस्त्र का और आतंक का उपयोग किया जाता है, तो उसे आतंकवादी संगठनों की परिभाषा की परिधि के अंदर माना जाता है। यही परिधि, यही परिभाषा पोटो के उस कानून में जिसको यहां पर इस सरकार ने लागू कर रखा है, उसमें भी यही परिभाषा सरकार ने दे रखी है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे अन्य संगठनों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है तो जब उस परिभाषा के सारे गुण विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के सारे घटनाक्रम और कार्यवाही में मौजूद हैं तो फिर उसे आतंकवादी संगठन कैसे नहीं माना जा सकता? सच्चाई तो यह है कि यह एक विकृत और रुग्ण मानसिकता का द्योतक है। जो कुछ भी हुआ है, असहिष्णुता उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। हम केवल अपना मत, अपनी राय, अपनी फिलॉसफी को ही सच मानते हैं, उसके अलावा हम यह मानते हैं कि किसी फिलॉसफी का, किसी दर्शन का कोई औचित्य नहीं है तो उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। उस मानसिकता के कारण आज यह स्थिति उपजी है। हमारे कई सदस्य यहां कह रहे थे कि इसमें आश्चर्यजनक बात है लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जिन संगठनों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनको समर्थन और संरक्षण यहां से प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी से प्राप्त है और जो अपने आपको उनसे कभी भी अलग नहीं मान सकते, न कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, उन संगठनों की यह मानसिकता शुरू से रही। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जिस संविधान के तहत इन्होंने शपथ ली है, उस संविधान में उनकी आस्था नहीं है। उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसे संगठन को और इंस्टीट्यूशन्स को जो कांस्टीट्यूशन में प्रोवाईडेड हैं, उन इंस्टीट्यूशन्स और संस्थाओं की मान-मर्यादा को घटाने का काम किया गया है। इसके अलावा महालेखा नियंत्रण के आफिस, पद, गरिमा को खंडित करने का प्रयास इस सरकार के मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से किया है। इतना ही नहीं विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए खुल्लमखुल्ला पब्लिकली स्टैंड ले रखा है। इसके बाद शनिवार को उड़ीसा विधान सभा के ऊपर यह हमला हुआ, एक-एक करके जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुनियोजित षडयंत्र के तहत उन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा, गरिमा और उनके अस्तित्व पर लगातार चोट की जा रही है। यह सबके लिए, देश के लिए बहुत बड़े खतरे का कारण है। हमारे बहुत से मित्रों और शिव सेना के गीते जी ने यहां एक प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान के साथ और जो पाकिस्तानी हमले हुए, उसके साथ हम इसकी कैसे तुलना कर सकते हैं? यह बात बिल्कुल सही है। हम उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। हम इसकी तुलना पाकिस्तानी हमले के साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वे सब तो हमारे दुश्मन के द्वारा हमारे साथ किये गये थे। मैं इतिहास को साक्षी करके आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में अगर इसकी तुलना किसी से की जा सकती है तो केवल जयचंद के साथ या मीर जाफर जैसे गद्दारों के साथ की जा सकती है। जो घर के भेदिये हैं, उन्होंने इस देश के इतिहास को बर्बाद किया है, इस देश को

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

गुलाम बनाने के लिए भूमिका अदा की है। वही इतिहास दोहराने का काम आज ये पार्टियां कर रही हैं। इसलिए मैं सूचित करना चाहता हूं कि आज वक्त आ गया है, हम यह सब भूल जायें। हम पार्टियों में इधर रहें या सदन में उस तरफ रहें, हमारे सामने एक सवाल है कि अब यह देश नहीं बचेगा। हम नहीं बचेंगे, आप नहीं बचेंगे। हम जिस नाव पर सवार हैं, उस नाव में हम लगातार छेद करते जा रहे हैं। उसके बाद हम इस बात की बात करते हैं कि हम राष्ट्रवादिता की चर्चा करते हैं, देश प्रेम के ढिंढोरे पीटते हैं। यह देश प्रेम नहीं है। मैंने बचपन में एक घटना सुनी थी। उस घटना को सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक लड़का चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया और राजा ने उसे फांसी की सजा दे दी। उस लड़के से पूछा गया कि बेटा, तेरी आखिरी कोई इच्छा है तो वह बताओ। उसने कहा हां साहब, मैं अपनी मां से कुछ बात करना चाहता हूं। मेरी मां को बुला दीजिए। फांसी के पहले उसकी मां को बुलाया गया। मां जब उसके पास गई तो उसने कहा कि मैं दूर से नहीं, पास से बात करना चाहता हूं जब वह उसके पास गई तो कान में उसने कहने के लिए मुंह खोला और उसके बाद उसका कान काट लिया। जब कान लिया गया तो मां चिल्लाकर बोली कि यह तूने मरते समय क्या किया। लड़का बोला कि मां जिस दिन मैंने पहली पेंसिल चुराई थी, अगर तूने मुझे उस दिन मार लगाई होती तो मैं आज फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचता। आज इन्हीं लोगों की जरूरत है, ये अपने विश्व हिन्दू परिषद, आर.एस.एस. और बजरंग दल, इन लोगों को आज समझा दें, इन्हें नहीं मालूम कि ये किस दिशा में उड़ रहे हैं। ये शायद जानते हों या नहीं जानते हों, लेकिन जिस दिशा में वे जा रहे हैं, अगर उनको आज नहीं रोका गया तो कल कान काटने का भी वक्त आपको नहीं मिलने वाला है, इस बात को कहना चाहता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा पर विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने जो हमला किया, विधायकों को नहीं जाने दिया, मंत्रियों को अपनी जान बचानी पड़ी, सरकारी वाहनों में आग लगाई गई। इस विषय पर हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने अपनी जो भावना प्रकट की है, उसके साथ मैं अपने आपको जोड़ता हूं।

यह बहस का विषय नहीं है कि कश्मीर विधान सभा पर जो हमला हुआ या लोक सभा पर जो हमला हुआ या उड़ीसा विधान सभा पर जो हमला हुआ, उसका चरित्र क्या है। अगर हम यह मान लें कि कश्मीर विधान सभा या लोक सभा पर जो हमला हुआ, वह बाह्य आतंकवाद था तो इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि उड़ीसा विधान सभा पर जो हमला हुआ, जिसे बजरंग दल ने, विश्व हिन्दू परिषद ने किया, उसे हम आन्तरिक आतंकवाद कह सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उड़ीसा विधान सभा पर हमला हुआ, गुजरात में अभी शान्ति नहीं है, गुजरात में हिंसा का दौर अभी थमा नहीं है और लगता यह है कि व्यवस्थित रूप से हम इन चीजों को हवा देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो मित्र दल हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि उनमें कटुता हो या अलगाव हो, लेकिन जो हालात पैदा हो रहे हैं, उससे कोई अच्छे संकेत मिलने वाले नहीं हैं। परसों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तारीफ की कि उनके एक बड़े आलीशान सांसद विनय कटियार हैं, वे अयोध्या में शान्ति कर रहे हैं। इन सांसद ने बयान दिया है कि हजरत बल में जो रखा हुआ पवित्र बाल है *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप ऐसी बात मत कहिये, उससे और आग लगती है।

श्री रामजीलाल सुमन : आप क्या बात कर रहे हैं। आप उनको बुलाइये, खंडन कराइये। आपसे जब पत्रकारों ने पूछा तो मल्होत्रा जी, अखबार वालों के सामने आपके पास कोई जवाब पैदा नहीं हुआ, आप क्या बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, वे सदन के सम्मानित सदस्य हैं, सदन में आकर कह दें। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके जो मित्र संगठन हैं, कश्मीर के मुख्य मंत्री फारूख अब्दुल्ला ने भी कटियार की गिरफ्तारी की बात की है। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : ऐसा कहकर आप इसमें आग मत लगाओ।

श्री रामजीलाल सुमन : हम तो आग लगा रहे हैं, आप आग बुझा रहे हैं। जितने आग लगा रहे हैं, वे हम हैं, आप तो देवता हैं न। *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने कहा है कि मैंने बयान नहीं दिया। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : यह आपके विनय कटियार साहब ने बयान दिया है। *...(व्यवधान)* आप बैठिए। हम अच्छी तरह से समझते हैं। तुम जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है। यह बात सही है। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : मल्होत्रा जी, आप जितनी भी आग लगाएंगे, हम उसे बुझाने वाले हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर जो पूरे देश के सामने हालात अच्छे नहीं हैं। अटल जी को रामचन्द्र परमहंस ने आशीर्वाद दिया और 15 तारीख के बाद उनके यह बयान छपा है कि जिस तरह से हमने मस्जिद तोड़ दी, उसी तरह से जबरिया हम मंदिर बनाएंगे। यह बहुत गंभीर मामला है कि व्यवस्थित तौर पर पूरे देश में तनाव पैदा करने की साजिश की जा रही है। आडवाणी जी, सब लोग जानते हैं कि आर.एस.एस. से, विश्व हिन्दू परिषद से और बजरंग दल से आपके क्या रिश्ते हैं। ये सब आपके चेले-चपाटे हैं। आप इनको नियंत्रित नहीं करते, ये आपको नियंत्रित करते हैं। यह जो आपका दोहरा आचरण है, दोहरा चरित्र है, यह लम्बे समय तक नहीं चल सकता और सही मायनों में अगर हमें इस देश में अमन-चैन कायम करना है तो आपको फैसला करना है कि जब तक इन तत्वों के खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर यह मानकर चला जायेगा कि दंगा कराने का काम ये तत्व नहीं कर रहे हैं, हिन्दुस्तान के गृह मंत्री कर रहे हैं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी उड़ीसा में हुआ, वह बेहद खेदजनक है जो घटित हुआ है उसकी निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।

उड़ीसा में बीजू जनता दल-भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है और केन्द्र में एन.डी.ए. गठबंधन है। जिन्होंने ऐसा करने का दावा किया हैं उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के नाम पर किया है। जो कुछ घटित हुआ है उसकी प्रधान मंत्री ने नि:संकोच निंदा की है। हमारी पार्टी की नेत्री कुमारी बनर्जी सहित अनेक अन्य नेताओं ने ऐसी ही निंदा की है। लेकिन विश्व हिन्दू परिषद अथवा बजरंग दल के नेताओं की ओर से अभी तक कोई निंदा नहीं की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कुछ भी गलत हुआ है उस पर उनकी मौन सहमति है। यदि यही स्थिति है तो मैं समझता हूं कि हमें सभा की मन:स्थिति का अंदाज लगाते हुए एक संकल्प पारित करना चाहिए। इस संपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण की हर किसी ने निंदा की है। वे क्या कहने का प्रयास कर रहे थे?

इसके पहले दिन अयोध्या में जो घटित हुआ उसके बार में बात कर रहा था। मैं समझता हूं कि अयोध्या में नियंत्रण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया था वह प्रशंसनीय है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वे शायद समझते थे। इसीलिए वे अपना विरोध जता रहे हैं। उड़ीसा पुलिस बल और दंडाधिकारी उस समय क्या कर रहे थे? विधान सभा क्षेत्र में प्रवेश अवश्य प्रतिबंधित होना चाहिए। किस तरह बहुत सारे लोगों को त्रिशूल लेकर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस बल घटना स्थल से भाग गई वे खुलेआम मुख्य मंत्री के घर जाते हैं और सभी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। इसकी निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। इस सभा को एक संकल्प पारित करना चाहिए। जो कुछ घटित हुआ उस पर विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल का नेतृत्व जब तक निंदा नहीं करता है और उनके नाम पर इन लोगों द्वारा की गई गतिविधियों संबंधी लोगों का परित्याग नहीं करते हैं तब तक मैं समझता हूं कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के संबंध में सोचना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): डिप्टी स्पीकर साहब, उड़ीसा की असेम्बली पर हमला हुआ। सभी उसकी मजम्मत कर रहे हैं। हरेक कंडेम्न कर रहा है। लेकिन यह हादसा इस बात का मुतालबा कर रहा है कि हुकूमत अपनी आंखें खोले और भयानक हकीकत को देखे। जो हमला उड़ीसा की असेम्बली पर हुआ, उसके पीछे एक मांग यह थी कि अयोध्या की मस्जिद के डिस्प्यूटेड एरिया को मंदिर बनाने के लिए दे दिया जाए। जब यह मांग है और इसके पीछे यह तरीका है तो मैं कहूंगा कि हिन्दुस्तान की तमाम असेम्बलियों को खतरा है। हिन्दुस्तान की इस पार्लियामेंट को भी यह खतरा है कि एक ऐसी मांग लेकर और ऐसे तरीके को लेकर यह बात उठ रही है। सिर्फ एक जगह वाक्या हुआ, उसकी मजम्मत से काम नहीं चलेगा। सिर्फ चंद लोगों को पकड़कर उसको सजा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस आंदोलन के पीछे, इस तहरीक के पीछे जितने लोग हैं, उनको भी देखना होगा। जो संस्थाएं हैं, उनसे भी निपटना होगा। इसीलिए यह मुतालबा है कि इसको महसूस किया जाए आज एक मुतालबे को लेकर कि मस्जिद की डिस्प्यूटेड जमीन मंदिर को दे दी जाए, इस मांग को लेकर अगर आज उड़ीसा की असेम्बली पर हमला हो रहा है, तो कल एक के बाद एक तमाम असेम्बलियों पर भी हमला हो सकता है। इस पर आंखें खोलकर देखना होगा। जो यह आंदोलन चला रहे हैं, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल, इन सब पर खुली पाबंदी होनी चाहिए। उसके ऊपर बैन होना इंतहाई जरूरी है। यह एक साजिश है। यह साजिश हिन्दुस्तान के सेक्यूलर निजाम को खत्म करेगी। सेक्यूलर निजाम को डिस्टेब्लाइज करने की साजिश की जा रही है। इससे निपटने के लिए हमें उन तमाम अफराद, उन तमाम तंजीमें को जो तमाम संस्थाएं आंदोलन चला रही हैं, उनके खिलाफ बैन लगाकर हमें सामने आना होगा। इस बात को महसूस किया जाए। अफसोस यह है कि अब आर.एस.एस. भी शामिल हो गई है और मुसलमानों को डांट-डपट कर रही है कि मैजोरिटी की खुशी हासिल करो।

मुसलमानों का कहना यह है कि सिर्फ रूल ऑफ लॉ प्रीवेल करके फैसला आ जाये, अदालत से फैसला आ जाये और इस फैसले के मुताबिक अयोध्या-बाबरी मस्जिद के मामले का भी तसदिया हो जाये। यह कोई फंडामेंटेलिज्म नहीं है, यह कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है क्या यह टैरेरिज्म वाला एटीट्यूड है कि रूल ऑफ लॉ कायम रहे। आज तो ऐसे मालूम हो रहा है कि डी'

[श्री जी.एम. बनातवाला]

फैक्टो हिन्दू राष्ट्र कायम हो चुका है, विधित: ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह हिन्दुस्तान के सैकुलर निजाम को डिस्टेबिलाइज करने का मामला है और इससे निपटने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखी जानी चाहिए। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए, हम भी जवाब देना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की फासीवादी एवं साम्प्रदायिक ताकतें 14 मार्च को जो कुछ करना चाहती थीं, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उन्होंने पिछले शनिवार को उड़ीसा विधान सभा में किया। उनकी मांग थी कि विश्व हिन्दू परिषद के नेता श्री आचार्य गिरिराज किशोर, जिन्हें अयोध्या जाते हुए लखनऊ के समीप गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए, अयोध्या स्थित विवादित भूमि को राम जन्म भूमि न्यास को सौंपा जाना चाहिए और उड़ीसा विधान सभा में कुछ विधायकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को वापस लिया जाना चाहिए।

महोदय, बजरंग दल एवं विश्व हिन्दू परिषद द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण कार्य की निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं। इस देश में सभी जानते हैं कि कौन सा दल इन फासीवादी ताकतों को नियंत्रित कर रहा है। यदि इन फासीवादी ताकतों को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो न केवल उड़ीसा विधान सभा, जिस पर इन ताकतों द्वारा त्रिशूल द्वारा हमला किया गया था, बल्कि संसद पर भी हमला होगा। हम जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर आर.डी.एक्स. विस्फोटकों से आक्रमण किया गया था और संसद भवन पर एके-47 एवं अन्य हथियारों से 13 दिसम्बर, 2001 को हमला किया गया था। बजरंग दल एवं विश्व हिन्दू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता त्रिशूल एवं शस्त्रों के साथ उड़ीसा विधान सभा परिसर में घुस आए। उनका उद्देश्य क्या था? क्या उनका उद्देश्य अध्यक्ष को ज्ञापन देने का था अथवा विधान सभा पर हमला करने का था, जो कि हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिरों में से एक है?

महोदय, मैं तो बल्कि आश्चर्यचकित था जब श्री खारबेल सवाइं ने भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रणाधीन विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल नामक इन दो कट्टरपंथी एवं फासीवादी ताकतों द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में बोलते हुए छात्र आंदोलन एवं शिक्षक आंदोलन जैसी दो घटनाओं का संदर्भ दिया। केवल निंदा किया जाना ही पर्याप्त नहीं है। हम यह मांग करते हैं कि इस सभा को उड़ीसा विधान सभा पर की गई इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हुए एक संकल्प पारित करना चाहिए। हम यह भी मांग करते हैं कि इन दो फासीवादी ताकतों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

जनाब जी.एम. बनात वाला (पोरबंदर): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उड़ीसा की असेंबली पर हमला हुआ। सभी इस की मज़मत कर रहे हैं। हर एक कंडम कर रहा है। लेकिन यह हादसा इस बात का मुतालबा कर रहा है कि हुकूमत अपनी आंखें खोले और भयानक हकीकत को देखे। जो हमला उड़ीसा की असेंबली पर हुआ, उस के पीछे एक मांग यह थी कि अयोध्या की मस्जिद के मुतनाज़ा एरिया को मंदिर बनाने के लिए दे दिया जाए। जब यह मांग है उस के पीछे यह तरीका है तो मैं कहूंगा कि हिन्दुस्तान की तमाम असेंबलियों पर खतरा है। हिन्दुस्तान की इस पार्लियामेंट को भी खतरा है कि एक ऐसी मांग लेकर और एक ऐसे तरीके को लेकर यह बात उठ रही है। सिर्फ एक जगह वाकया हुआ, इस की मज़मत से काम नहीं चलेगा। सिर्फ चंद लोगों को पकड़ कर उन को सज़ा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस आंदोलन के पीछे, इस तहरीक के पीछे जितने लोग हैं, उन को भी देखना होगा। जो तंजीमें हैं, उन से भी निमटना होगा। इसलिए यह मुतालबा है कि इस को महसूस किया जाए कि आज एक मुतालबे को लेकर मस्जिद की मुतनाज़ा ज़मीन मंदिर को दे दी जाए, इस मांग को लेकर अगर आज उड़ीसा की असेंबली पर हमला हो रहा है, तो कल एक के बाद एक तमाम असेंबलियों पर भी हमला हो सकता है। इस पर आंखें खोल कर देखना होगा। जो यह आंदोलन चला रहे हैं, वशो हिन्दू परिषद, बजरंग दल, उन सब पर कड़ी पाबंदी होनी चाहिए। उन के ऊपर बैन होना इंतहाई ज़रूरी है। यह एक साज़िश है। यह साज़िश हिन्दुस्तान के सेकुलर निज़ाम को खत्म करने की है। सेकुलर निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने की साज़िश की जा रही है। इस से निमटने के लिए हमें उन तमाम अफराद, उन तमाम तंजीमों पर जो आंदोलन चला रही हैं, उन के खिलाफ पाबंदी लगा कर हमें सामने आना होगा। इस बात को महसूस किया जाए। अफसोस यह है कि अब आर.एस.एस. भी शामिल हो गई है और मुसलमानों को डाउनट डेपट कर रही है कि अक्सरीयत की खुशी हासिल करो। मुसलमानों का कहना यह है कि सिर्फ रूल आफ लाॅ प्रिवेल करके फैसला आ जाए, अदालत से फैसला आ जाए और उस फैसले के मुताबिक अयोध्या, बाबरी मस्जिद के मामले का भी तसफिया हो जाए। यह कोई फंडामेंटलिज्म नहीं है, यह कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है बल्कि यह टेररिज्म वाला इश्यू है कि रूल आफ लाॅ कायम रहे? ~~[illegible]~~ आज तो ऐसे महसूस हो रहा है कि डी फैक्टो हिन्दू राष्ट्र कायम हो चुका है, if not de jure ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह मामला है, यह हिन्दुस्तान के सेकुलर निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने का मामला है और इस से निमटने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रखी जानी चाहिए। ...(मदाखलत)

महोदय, हमारी संसद पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, वे विदेशी थे, परन्तु उड़ीसा विधान सभा पर हमला करने वाले आतंकवादी हमारे अपने देश के ही थे। इसलिए जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हुए हमले और संसद पर हुए हमले तथा शनिवार को उड़ीसा विधान सभा में जो कुछ हुआ, उसमें कोई अंतर नहीं है।

हम इसकी निंदा करते हैं। हम यह मांग करते हैं कि दोनों फासीवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री प्रबोध पण्डा जी बोलेंगे। आपने नोटिस दिया है। इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। हम पहले ही ढाई घंटे ले चुके हैं।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं 16 मार्च को उड़ीसा में हुई घटनाओं की निंदा करता हूं। मेरे विचार से केवल निंदा ही पर्याप्त नहीं है। इस तरह के असामाजिक एवं राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

इस गरिमामयी सभा में, कुछ माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि इन घटनाओं की तुलना 13 दिसम्बर को इस गरिमामयी सभा अथवा जम्मू-कश्मीर विधान सभा में हुई घटनाओं से नहीं की जानी चाहिए। वे यह कह रहे हैं कि ये लोग त्रिशूल लेकर आए थे। किसी व्यक्ति को चाकू से मारने अथवा एके-47 की गोली से मारने में मुझे कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। उन्होंने जघन्य अपराध किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पण्डा : मैं यहां केवल दो बातें कहना चाहता हूं। किसी अन्य माननीय सदस्य ने 1964 की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है। एक दिन पहले, उन्होंने उन घटनाओं की समीक्षा के बारे में कुछ कहा जो 500 साल पहले हुई। मैं नहीं जानता कि उन्होंने आदिम वर्षों की घटनाओं का उल्लेख क्यों नहीं किया था। मैं नहीं जानता कि वे क्यों इस तरह की बातों का उल्लेख कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* उन्होंने सरकार से पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा करने के लिए कहा है। मैं नहीं जानता उड़ीसा में होने वाली घटना का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पण्डा जी, आज समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पण्डा : मेरा दल इसकी निंदा करता है। मैं भी इसकी निंदा करता हूं। मैं यह मांग करता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा विधान सभा में जो दुर्घटना हुई है, सारा सदन उससे चिन्तित है और निन्दा कर रहा है। मैं भी अपनी ओर से उसकी निन्दा करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं, जैसा बनातवाला जी ने कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि यह देश हिन्दू राष्ट्र हो गया है, जो बिल्कुल गलत बात है। मैं कहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद् ने अदालत के फैसले को शिरोधार्य किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बनारस में कब्रिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि कब्रिस्तान को दूसरी जगह ले जाया जाए, उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी और ला-एंड आर्डर को संभालना मुश्किल हो गया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं हुआ। दूसरा निवेदन मैं कर रहा हूं, रामजन्म भूमि पर ताला अदालत ने खुलवाया, तो उस समय देश में बगावत हुई और सैंकड़ों मंदिर तुड़वाए गए। उस समय भी आपने अदालत के फैसले को नहीं माना। इसी प्रकार शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मैं उस समय यहां मौजूद था। आप लोगों ने मामले को चैलेंज कर दिया और सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा। विश्व हिन्दू परिषद् ने मामले की निन्दा की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।

जहां तक त्रिशूल की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक भी घटना बता दीजिए, जहां त्रिशूल से किसी की हत्या हुई हो। आज तक त्रिशूल से किसी की भी हत्या नहीं हुई है। त्रिशूल पूजा के लिए हैं।

त्रिशूल हत्या करने के लिए नहीं है। *...(व्यवधान)* यहां बार-बार कहा जा रहा है कि राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा। *...(व्यवधान)* अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या अरब में बनेगा? आप फैसला दीजिए। जैसा आपका मक्का पाक, पवित्र है, उसी तरह हमारा अयोध्या भी पाक, पवित्र है। अब सदन को इसका फैसला करना पड़ेगा। *...(व्यवधान)* जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, जब तक हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं होगी तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता। इसलिए सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। परसों उड़ीसा विधान सभा में हुई खेदजनक घटना एक यथार्थ है। मुझे किसी समाचार-पत्र का हवाला नहीं देना है। यह हमारी

[श्री के.पी. सिंह देव]

संक्कृति, अन्य नैतिक एवं हमारे लोकाचारों के इतिहास में एक शर्मनाक घटना है। कुछ लोगों ने विधि के शासन के प्रति असहिष्णुता एवं दर्द व्यक्त किया है।

अब, उड़ीसा सरकार, जिसे विधान सभा की समूची सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल करनी है, ऐसा पर पाने में पूरी तरह, असफल रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहता है कि क्या उन्हें किसी सहायता की जरूरत है क्योंकि कई महीनों से वहां लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। हो सकता है उड़ीसा सरकार स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थन न हो, परन्तु मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं। यह निंदनीय है और निंदा ही पर्याप्त नहीं है और इस घटना में संलिप्त लोगों को कठोर निवारक दंड दिया जाना चाहिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): उपाध्यक्ष महोदय, पी.एम.के. यह देखकर बहुत खुश है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने इसकी खुले शब्दों में निंदा की है। पी.एम.के. उड़ीसा विधान सभा की घटना की निंदा में सभा का समर्थन करती है। हमें भूत को भूलना नहीं चाहिए बल्कि हमें भूत से सीख लेनी चाहिए। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिए सभी कार्रवाई करनी चाहिये और ऐसा फिर नहीं होने देना चाहिए। दोषी को पकड़ा जाना चाहिए और विधि के शासन के अनुसार दंडित किया जाए।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हूं जहां वह हुआ है। मैं उड़ीसा की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता हूं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा इन वर्षों में कई बार हुआ है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता जो कुछ माननीय सदस्य, श्री स्वाइं ने कहा है। परन्तु मेरे विचार से, इसकी तुलना कश्मीर अथवा संसद की घटना से नहीं की जानी चाहिए क्योंकि संसद ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमें पाकिस्तान पर अभी आक्रमण करना चाहिए। हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं और हम इसे केवल निलंबित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उड़ीसा की विशिष्ट घटना के बारे में सिर्फ यही जानता हूं कि भवन में दरार नहीं आई है। कोई भी वहां जा कर यह जांच कर सकता है कि भवन में दरार नहीं आई है। ऐसा कई बार हुआ है। शीशे तो बहुत बार टूटे, ऐसा अब नहीं हुआ है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाते रहे हैं और विशाल जनमत उनके पक्ष में है। पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों के ग्रामीण मत इसके उदाहरण हैं। इसलिए, जनमत के हमारे पक्ष में जाते देख, विपक्ष वर्तमान उड़ीसा सरकार को अलोकप्रिय करने का प्रयास कर रहा है और मेरे राज्य में ऐसा ही हुआ है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : महोदय, उड़ीसा असेम्बली पर जो हमला हुआ है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए अन्यथा मुझे अन्य सदस्यों को भी अवसर देना होगा। श्री फ्रांसिस जार्ज जैसे कई सदस्य हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस जार्ज, आप अन्य विषयों में भी भाग ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले जी. कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले जी, आप हमेशा खड़े हो जाते हैं और बोलना आरंभ कर देते हैं। इसकी भी कोई सीमा है। मेरे धैर्य का परीक्षण मत कीजिए।

अब, माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई औपचारिक बहस नहीं थी बल्कि कुछ माननीय सदस्यों

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ने प्रश्नोत्तर काल स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। आपने निर्णय किया कि शून्यकाल की भांति सबको बोलने का मौका देंगे और उसमें एक प्रकार की बहस चली। बहस में जो बातें कही गयीं उनका कुछ उत्तर यहां से भी दिया गया। मुझे लगता है कि आज का अवसर ऐसा नहीं है कि मैं भी उत्तर देने लगूं। मुझे तो यह कहना है कि जिस प्रकार से संसदीय लोकतंत्र में हमारे लिए इस संसद का बहुत बड़ा महत्व है, उसी प्रकार से उड़ीसा की जनता के लिए उड़ीसा विधान सभा का बहुत महत्व है, उतना ही महत्व है। वहां पर इस प्रकार की घटना हो जैसी शनिवार को हुई, तो उसकी निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, घोर निंदा की जानी चाहिए। बाकी बातें जो कही गयीं उनका यहां से भी उत्तर दिया गया, मैं उनमें नहीं जाता, मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग भी इसके लिए अपराधी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए और उसमें लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरी पार्टी का भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी ने मंत्री का नाम लिया है। मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई संदेश नहीं है कि हमारी एक बहुत बड़ी ताकत देश का लोकतंत्र है और अगर लोकतंत्र पर आघात होता है, कोई भी हमला होता है तो यह अपराध है और उस अपराध के लिए अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। मेरी पार्टी का हो तो भी दंडित किया जाना चाहिए। जो संसद पर हमला हुआ उसमें और इसमें अंतर जरूर है। मैं अपनी भावना व्यक्त करूं तो मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

जब संसद पर हमला हुआ था, मुझे गुस्सा आया था। परन्तु जब उड़ीसा विधान सभा पर हमला हुआ वह भी कथित रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से

[हिन्दी]

क्योंकि मैं इस बात से स्पष्ट रूप से गर्व भी करता हूं कि मैं बचपन से आर.एस.एस. से संबंधित रहा हूं। लेकिन आर.एस.एस. से संबंधित कोई और संस्था उसने यह अपराध किया तो जैसे मैंने कहा

[अनुवाद]

जिस दिन संसद पर हमला हुआ था, मुझे गुस्सा आया। जिस दिन मैंने उड़ीसा के बारे में पढ़ा, मुझे शर्म आई।

[हिन्दी]

मुझे शर्म आई इस बात से। यह हमारा अधिकार नहीं है कि जांच करें कि कौन करेगा, शायद उनकी विधान सभा वहां पर आज चर्चा कर रही होगी। मुझे किसी ने कहा कि वह शायद एक कमेटी बैठाने वाली हैं, शायद कुछ करने वाली है, मैं नहीं जानता। मैं इस अवसर पर गृह मंत्री के नाते इतना ही कहना चाहूंगा कि खोजने के लिए या दंडित करने के लिए जो भी कार्यवाही वहां विधान सभा करना चाहे, या वहां की सरकार करना चाहे, उसमें केन्द्रीय सरकार का पूरा सहयोग है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शनिवार, 16 मार्च, 2002 को उड़ीसा विधान सभा परिसर में हुई तोड़-फोड़ की कार्रवाई और हिंसक घटना की निन्दा करने में मैं भी सभा में व्यक्त विचारों से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। इस तरह की घटनाओं से न केवल विधायिका की गरिमा भंग होती है, बल्कि हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट भी आती है।

अब, सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

अपराह्न 2.37 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1224(अ) जो 18 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 19 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 884(अ) में कतिपय संशोधन करना है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5198/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री जगमोहन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तता अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5199/2002]

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मेनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5200/2002]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5201/2002]

(ख) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5202/2002]

(ग) (एक) एम.पी. अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.पी. अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5203/2002]

(घ) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5204/2002]

(ङ) (एक) असम अशोक होटल निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5205/2002]

(7) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5206/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री वेद प्रकाश गोयल की ओर से पोत परिवहन मंत्रालय के वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5207/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री सैयद शाहनवाज हुसैन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5208/2002]

(3) नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5209/2002]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5210/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं डा. सत्यनारायण जटिया की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5211/2002]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5212/2002]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5213/2002]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2000-2001 की कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5214/2002]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5215/2002]

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं श्री अरुण शौरी की ओर से विनिवेश मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5216/2002]

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5217/2002]

(3) (एक) सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5218/2002]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5219/2002]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5220/2002]

(2) (एक) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5221/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री रवि शंकर प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 1999-2001 (1.10.1999 से 31.3.2001 तक) के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 1999-2001 (1.10.1999 से 31.3.2001 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5222/2002]

(ख) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5223/2002]

(3) कोयला और खान मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5224/2002]

(4) **कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत कोयला खान पेन्शन** (संशोधन) योजना, 2001 जो 9 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 16(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5225/2002]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन की ओर से वित्त मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5226/2002]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5227/2002]

(3) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन आफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5228/2002]

(5) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसक्रण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5229/2002]

(7) (एक) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 1997-1998 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 1997-1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5230/2002]

(9) (एक) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5231/2002]

(11) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत, नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) नियम, 2002 जो 13 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 198(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5232/2002]

(12) नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्ज की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5233/2002]

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5234/2002]

(ख) (एक) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5235/2002]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय विदेश मंत्री ने अनुरोध किया है कि आज की कार्य-सूची में शामिल वक्तव्य को स्थगित किया जाए और इसे 22 मार्च, 2002 की कार्य-सूची में शामिल किया जाए। मैंने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 2.40 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

(एक) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकर्ण को बाढ़ से होने वाले भूक्षरण से बचाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के मनीकर्ण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो एक धार्मिक स्थल के अतिरिक्त उबलते हुए पानी के स्रोत और पानी में ही खाना पकाने की क्षमता होने के कारण न केवल स्वदेशी बल्कि विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र है। जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं।

देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 17 जून, 1998 को इस स्थल पर पधार चुके हैं और वहां की भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं। इस वर्ष जब वे मनाली प्रवास पर आए थे, तो मनीकर्ण निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था और निवेदन किया था कि पार्वती नदी के तीव्र बहाव और बार-बार बाढ़ आने से भूमि कटाव होने के कारण इस तीर्थस्थल के बह जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और प्रतिनिधि मंडल ने बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला खड़गवासला, पुणे-महाराष्ट्र द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन के आधार पर 1 करोड़ 92 लाख 50 हजार 900 रुपये आर्थिक अनुदान देने की प्रार्थना की थी।

हिमाचल सरकार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मेरा आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि वे अविलम्ब आर्थिक अनुदान प्रदान कर इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को बचाने की कृपा करें। मेरी सूचना के अनुसार यह प्रकरण योजना आयोग में विचाराधीन है।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(दो) झारखंड के रांची में रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): महोदय, सभी राज्यों में रेलवे भर्ती बोर्ड कार्य कर रहे हैं, परंतु नवगठित राज्य झारखण्ड में कोई रेलवे भर्ती बोर्ड स्थापित नहीं हुआ है। झारखण्ड का रेलवे भर्ती कार्य पटना के भर्ती कार्यालय से हो रहा है। हालांकि केवल आदिवासी युवकों के लिए रेलवे भर्ती कार्यालय चल रहा है, जिसमें अन्य वर्गों के भर्ती कार्य का कोई काम नहीं होता है। झारखण्ड के नवयुवकों को पटना आने-जाने में कई प्रकार की दिक्कत हो रही है। कई नवयुवक समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। नवयुवकों को सरलतापूर्वक और सुविधापूर्वक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रांची में एक रेलवे भर्ती कार्यालय का गठन किया जाना अति आवश्यक है। यह राज्य अत्यंत पिछड़ा हुआ है और यहां के लोग बहुत ही गरीब हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जल्द झारखण्ड राज्य के गठन के कारण झारखण्ड की राजधानी रांची में अलग से अन्य वर्गों के लिए भी एक रेलवे भर्ती कार्यालय का गठन किया जाये ताकि वहां के लोगों को भर्ती में सुलभ अवसर मिल सके।

[अनुवाद]

(तीन) कानूनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. एन. वेंकटस्वामी (तिरुपति): संविधान में अस्पृश्यता को कोई स्थान नहीं दिया गया है और उसके उपबंधों के अनुसार इस ओर दृष्टि रखने के लिए, कि अनु. जाति/अनु. जनजाति के लोगों को समाज में स्थान मिले तथा वे राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, (पी.सी.आर.) 1955 तथा अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का प्रवर्तन किया गया। इन अधिनियमों को लागू करने के लिए पुलिस बलों और न्यायालयों पर भारी धनराशि व्यय की जा रही है, लेकिन परिणाम इससे मेल नहीं खाते।

महोदय, लागू करने की प्रक्रिया की विफलता के कारण, इन अधिनियमों को पारित करने के उद्देश्य अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं।

महोदय, मुख्य समस्या इन दोनों अधिनियमों के तहत आने वाले मामलों की त्रैमासिक समीक्षा की दृष्टि से राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर गठित की गई विभिन्न समितियों के कार्यकरण को

लेकर है, जो इन मामलों की आवधिक समीक्षा करती हैं। इनमें जिला कलेक्टर, प्रखंड विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। किंतु, इन समितियों ने कभी अपनी बैठक की ही नहीं है, न ही वे कोई प्रभावी उपाय कर रही हैं। अत: मैं केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि उन्हीं व्यक्तियों को, जो अनु.जा./अनु. जनजाति के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखते हैं – उनकी पृष्ठभूमि, सामाजिक दायित्वबोध; प्रशासनिक, प्रवर्तनकारी तथा न्यायकारी तंत्र को मजबूत करने की उनकी सोच, एवं प्रभावित लोगों की आवाज उठाने और उनको राहत व पुनर्वास के लिए काम करने की उनका क्षमता का विचार करके ही चयनित किया जाये।

[हिन्दी]

(चार) झारखंड के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा): महोदय, झारखंड के मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा में सब्जी काफी तादाद में होती है। परंतु कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के न होने से आदिवासी लोगों द्वारा उत्पादित सब्जियां सड़ जाती हैं और उनमें सब्जी पैदा करने का कोई उत्साह नहीं है। शिमला मिर्च, अदरक, करेला, टमाटर एवं आलू अच्छी क्वालिटी का होता है। इन सब्जियों को प्रोसेज करके अन्य शहरों को भिजवाया जा सकता है। क्वालिटी को देखते हुए निर्यात की भी काफी संभावना है। कुछ माह पूर्व लोहरदगा में कई लाख टन आलू सड़ गया था, जो राष्ट्र की हानि है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि झारखंड के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहनकारी कदम उठाये जायें और कोल्ड स्टोरेज बनाया जाये, जिससे आदिवासी लोगों में सब्जी उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन मिल सके।

(पांच) छत्तीसगढ़ में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों को राशियां आबंटित की गयी हैं। उसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल भवन एवं ग्राम पंचायत भवन तथा अन्य निर्माण कार्य आदि को सीधे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा रही है, उसे रोका जाए तथा क्षेत्रीय सांसद व विधायकों की अनुशंसा के बाद ही प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा की जाए तथा 12वें वित्त आयोग की भी राशि क्षेत्रीय सांसद व विधायकों की अनुशंसा पर ही जिला कलैक्टर को स्वीकृति का अधिकार दिया जाए एवं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर को मिलने वाली राशि जैसे प्रधान मंत्री सड़क योजना, ग्रामीण विकास योजना, जवाहर योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, राजीव शिक्षा मिशन योजना, जल ग्रहण क्षेत्र योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास योजना एवं अन्य योजनाओं से मिलने वाली राशि को क्षेत्रीय सांसद व विधायक की अनुशंसा के बाद ही जिला पंचायत के अनुमोदन पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाए, जिससे उपरोक्त राशि को राज्य सरकार के द्वारा सीधे स्वीकृति की जा रही है, को रोक लग सके।

(छह) राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में तेल की खोज में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मैं बाड़मेर और जैसलमेर जिलों का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो कि थार मरूस्थल के मध्य में है तथा जहां बहुत उपयोगी तेल के कुएं पाये गये हैं। इन तेल के कुंओं से, जो कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पाये गये हैं, तेल निकालने का काम बहुत ही धीमा है। हमारे तेल कुंओं के साथ पाकिस्तान के तेल के कुएं हैं, उनसे तेल निकालने का ठेका विदेशी फर्मों को दिया गया है। यह भी देश के अखबारों में छपा है कि हमारे तेल के कुएं पाकिस्तान द्वारा अधिक मात्रा में तेल निकालने की वजह से खाली हो रहे हैं।

इस भाग में कार्य की गति बहुत ही धीमी है और बजट का प्रावधान बिल्कुल न के बराबर है। एक तरफ हम तेल का आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी गति बहुत धीमी है, जो कि हमारे राष्ट्रहित में नहीं है।

मेरा सुझाव है कि जहां कहीं भी तेल के भंडार पाये जायें, उनका पूरी तरह से दोहन किया जाये और प्राथमिकता के आधार पर वहां तेल शोधक कारखाने स्थापित किये जायें। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसमें दखल दें और निम्नलिखित कार्यवाही करें–

1. बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिलों के सभी तेल कुंओं का राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सर्वेक्षण कराया जाये।

2. जिन अधिकांश ब्लाकों में तेल उत्पाद के लिए सर्वे हो चुका है, वहां अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाये।

3. क्योंकि गुडामलानी भाग में अधिक तेल भंडार पाया गया है, इसलिए तेल शोधक कारखाना स्थापित करने हेतु अविलम्ब संसाधन उपलब्ध कराया जाये ताकि उत्पादन बिना देरी के शुरू हो सके।

[अनुवाद]

(सात) केरल में त्रिवेन्द्रम में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन टर्मिनल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री वी.एस. शिवकुमार (तिरुवनंतपुरम): मैं त्रिवेन्द्रम में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन टर्मिनल परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। इस परियोजना का शिलान्यास जुलाई, 2000 में माननीय नागर विमानन मंत्री ने किया था। स्थान की कमी को देखते हुये और भविष्य में यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने त्रिवेन्द्रम में एक विस्तारित टर्मिनल स्थापित करने के विचार से यह परियोजना शुरू की है। तथापि, बाद में वित्तीय व्यवरोधों की वजह से परियोजना का काम पूरा करने में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की असमर्थता को देखते हुए, राज्य सरकार ने अपने बजटगत व सांस्थानिक संसाधनों सहित वैकल्पिक राजस्व-संसाधन जुटाने के माध्यम से, आवश्यक भूमि का अर्जन करने और अपनी लागत पर ही निर्माण कार्य करने की पेशकश की थी। राज्य सरकार ने भूमि-अर्जन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथासंस्वीकृत आरंभिक कार्यों पर काफी संसाधनगत व्यय किया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को आगे अविलम्ब पूरा करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवश्यक अनुदेश जारी करे।

(आठ) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने हेतु नि:शक्तता अधिनियम, 1996 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हासन): उपाध्यक्ष महोदय, नि: शक्ता अधिनियम, 1996 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हाल के वर्षों में, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त दोनों प्रकार के संस्थानों में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए 3% स्थान आरक्षित करने की सुविधा देश के अनेक शैक्षिक संस्थाओं ने उपलब्ध कराई है। किन्तु, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज (डी.सी.ई.), नेताजी सुभाषचन्द्र बोस प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.एस.आई.टी.), नई दिल्ली; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली; आदि संस्थाओं में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं है।

विभिन्न शिक्षा संस्थानों, विशेषकर इंजीनियरिंग, चिकित्सा और तकनीकी संस्थानों, में प्रवेश के इच्छुक ऐसे छात्रों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला एक आघात की तरह है। यद्यपि, नि:शक्तता अधिनियम में कहा गया है कि नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 3% स्थान आरक्षित किये जाने चाहिए किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय का कथन है कि अधिनियम की धारा 39 में उल्लिखित शब्द ''स्थान'' का आशय स्पष्ट रूप से शिक्षा-संस्थानों में छात्रों के लिए आरक्षित स्थानों से नहीं है। यह सरकारी निकायों में नौकरी के स्थानों को इंगित करता है, न कि छात्रों के लिए निर्धारित स्थानों को।

दुराशंका यह है कि देश के ऐसे सभी शिक्षा संस्थान, जो अभी यह आरक्षण सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, भी अब दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इसे बंद कर सकते हैं। अत:, मैं सरकार से पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(नौ) बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर): महोदय, बिहार राज्य के भागलपुर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत बडुआ, चानन, गेरूआ एवं कोकरा नदियों में प्रतिवर्ष बरसात में भीषण बाढ़ के कारण किसानों को, आम जनता को भारी विनाश एवं तबाही का सामना करना पड़ता है। इन नदियों के किनारे सभी तटबंध पुराने और पिछली बाढ़ से काफी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। फलस्वरूप बाढ़ से फसलें, पशु, घर मकान के अलावा बड़ी संख्या में मनुष्यों को भी अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। पिछले वर्ष में आयी बाढ़ में लगभग एक सौ करोड़ रुपये से भी अधिक की क्षति हुयी है। यदि उक्त नदियों की गाद निकाल कर उन्हें गहरा कर दिया जाये तो एक हद तक बाढ़ की विनाशलीला को रोका जा सकता है।

अतएव मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त समस्या के निदान हेतु बिहार सरकार को पर्याप्त राशि मुहैया करायी जाये, जिससे इस पूरे क्षेत्र को बाढ़मुक्त बनाया जा सके।

[अनुवाद]

(दस) केरल के कन्नूर जिले में थलई में मत्स्य बंदरगाह परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): कन्नूर जिले के थलाई में नया मत्स्य पालन स्थापित करने के विषय में परियोजना रिपोर्ट 15.11.1999 को भारत सरकार को पेश की गई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1370 लाख रु. है। जब आरंभ में इस परियोजना रिपोर्ट को पेश किया गया, तो भारत सरकार का यह

कहना था कि इस परियोजना पर निदर्श-संबंधी अध्ययन के बिना विचार नहीं किया जा सकता। इसके लिए, इस परियोजना के निदर्श-सम्बन्धी अध्ययन का कार्य पर्यावरण तथा विकास केन्द्र, तिरुवनंतपुरम को सौंपा गया। उसने अध्ययन पूरा कर लिया है और निदर्श-सम्बन्धी अध्ययन के आधार पर परियोजना-रिपोर्ट को आशोधित कर किया गया है। परियोजना को मंजूरी देने के पूर्व, इस परियोजना रिपोर्ट की इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी, बंगलौर (सी.आई.सी.ई.एफ.) द्वारा संवीक्षा की जानी है। मैं भारत सरकार से इस मामले की जांच करने और कन्नूर जिला स्थित थलाई में मत्स्यन पत्तन परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गुजरने वाली बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला (नेल्लौर): बकिंघम नहर अनेक दशकों से देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्गों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश में राजामुंदरी, तमिलनाडु में चेन्नै और नेल्लौर व अन्य महत्वपूर्ण नगरों से होकर गुजरती है। यह नहर अपने किनारे स्थित क्षेत्रों को कृषि-उपजों, ग्रेनाइट, बालू, सीमेण्ट तथा खाद्य सामग्री का अंतर्देशीय परिवहन करने का एक अति महत्वपूर्ण जरिया है। कई स्थानों पर स्टीमरों के माध्यम से यात्री भी इससे होकर आते-जाते हैं। इस नहर से कमजोर वर्गों के लाखों लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होती है। किन्तु, अब यह नहर, पिछले वर्षों में आई बाढ़ और विभिन्न अन्य कारणों से जमा भारी गाद की वजह से, परिवहन के प्रयोजन से अनुपयोगी हो चली है। बकिंघम नहर के अन्तर्गत परिवहन व्यवस्था को सुधारने के साथ-साथ इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित करने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और मात्स्यिकी क्षेत्र का बहुत विकास होगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले अधिसंख्यक लोग पिछड़ी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने पर विचार करे और इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय करे।

[हिन्दी]

(बारह) उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इफ्को कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फूलपुर में स्थित इफ्को कारखाना के पास से होता हुआ एक कच्चा नाला इलाहाबाद-जौनपुर मार्ग को क्रास करते हुए भरौटी गांव, परसिनपुर, कलुआपुर, खोजापुर, सरायमंद दयालपुर, कनौजाकला, परेस्ताखुर्द, सूदी का पूरा महुलिया आदि की सीमा से निकल कर दो किलोमीटर जाता है। इफ्को नाले में इफ्को के दूषित पानी व राख के बहाव के कारण 10-12 गांवों की हजारों एकड़ जमीन पर किसानों की खेती नहीं हो पाती है। नाले का पानी विषाक्त एवं पर्यावरण के अनुकूल न होने के कारण आसपास के गांवों में रहने वाले हजारों पालतू जानवर एवं पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। राख व विषाक्त पानी के कारण पानी के अंदर रहने वाली मछलियां आदि तक मरती जा रही हैं। इसी तरह इफ्को कारखानें के आसपास कई गांवों में राख व पानी के भराव के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इफ्को कारखानें से हो रहे फसलों व जानवरों के नुकसान की उर्वरक एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जांच करायी जाये। नाले से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए इफ्को से निकलने वाले नाले का पक्का निर्माण कराया जाये। किसानों की फसलों को हो रहे अब तक के नुकसान का मुआवजा दिलाया जाये तथा किसानों की अधिगृहीत जमीन के बदले उनके आश्रितों को नौकरी दी जाये।

(तेरह) बिहार के खगड़िया जिला मुख्यालय को सहरसा से जोड़ने के लिए बागमती नदी पर पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): महोदय, विदित हो कि बिहार के खगड़िया जिला मुख्यालय को सीधे तौर पर सहरसा से जोड़ने के लिए मात्र 12 कि.मी. रोड व क्रमशः तीन पुलों की आवश्यकता है। सोनमनखी घाट (बागमती) नदी पर एक पुल डगराही तथा खजुरदेवा कोशी कॉलोनी के बीच एक पुल एवं सुअर कोल तथा ग्राम झीमा के पास कमला धार पर एक पुल एवं छोटी-छोटी 5-6 पुलिया की आवश्यकता है। उक्त पथ के निर्माण होने से जहां अभी सहरसा-खगड़िया की दूरी लगभग 90 कि.मी. नजर आती है, वहीं सड़क तथा पुल निर्माण होने के पश्चात् मात्र 35-36 कि.मी. ही पड़ेगी।

यहां के करीब 15 लाख से अधिक जनता को कोशी, कमला एवं बागमती नदी के नागपाश से मुक्त कराने में सक्रिय पहल कराने की कृपा की जाये, ताकि इस क्षेत्र की जनता को पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्ति मिल सके।

आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस आवश्यक कार्य हेतु बिहार राज्य सरकार को आवश्यक धन दिया जाये।

[अनुवाद]

(चौदह) देश के व्यावसायिक महाविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. चिन्नासामी (करूर): हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता का प्रतिशत अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन की सुविधाएं शहरी क्षेत्र की तुलना में कम हैं। यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं परन्तु निम्न जीवन स्तर के कारण वे शहरी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा के रहते व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाते। इस असंतुलन, असमानता को दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के व्यावसायिक कालेजों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25% स्थान आरक्षित करने के आदेश जारी किए थे और तद्नुसार छात्रों को इस शिक्षण वर्ष से प्रवेश दिया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी एण्ड नर्सरी स्कूल द्वारा दाखिल की गई याचिका पर आरक्षण आदेशों को रद्द कर दिया। इस शैक्षिक वर्ष में भर्ती किए गए छात्र उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण असहाय हो गए हैं। तथापि, तमिलनाडु सरकार उच्चतम न्यायालय में एक अपील करने की तैयारी कर रही है। शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छात्रों के बीच असमानता तथा विसंगति को दूर करने हेतु इस योजना को सम्पूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने तथा सामाजिक न्याय देने के विचार से सरकार को समुचित संवैधानिक संशोधन लाना चाहिए। असमानता को दूर करने और सामाजिक न्याय बनाये रखने का यही एकमात्र रास्ता है।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) बिहार के अररिया जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): महोदय, मैं सदन के द्वारा सरकार का ध्यान जिला अररिया बिहार की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां की जनसंख्या लगभग 22 लाख है। इनमें काफी संख्या में सरकारी नौकरी में और फौज में हैं। लेकिन इस जिले में कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, जिससे इन लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यहां अतिरिक्त सहायता देकर केन्द्रीय विद्यालय तुरंत खोलने के निर्देश दिये जायें।

अपराह्न 2.44 बजे

अंतर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1 पंक्ति 1—"बावनवें" के स्थान पर "तिरपनवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3—"2001" के स्थान पर "2002" प्रतिस्थापित किया जो।

खण्ड 3

धारा 4 का संशोधन

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 13—"2001" के स्थान पर "2002" प्रतिस्थापित किया जाए।

ये बहुत छोटे और आनुषंगिक संशोधन हैं। इन संशोधनों को सभा द्वारा अनुमोदित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी सदस्य ने अपना नाम नहीं दिया :

प्रश्न यह है:

"कि अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 — "बावनवें" के स्थान पर "तिरपनवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3—"2001" के स्थान पर "2002" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 3

खंड 4 का संशोधन

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 13 - "2001" के स्थान पर "2002" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर एक-एक करके विचार करेंगे।

प्रश्न यह है:

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1—"बावनवें" के स्थान पर "तिरपनवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

खण्ड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3—"2001" के स्थान पर "2002" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

खण्ड 3

धारा 4 का संशोधन

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 13—"2001" के स्थान पर "2002" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 3.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.17 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.17 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

आतंकवाद निवारण (दूसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आतंकवाद निवारण विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद सं. 21—सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन - उपस्थित नहीं। श्री रामजी लाल सुमन - उपस्थित नहीं। श्री बसुदेव आचार्य - उपस्थित नहीं। श्री मुलायम सिंह यादव - उपस्थित नहीं।

श्री अजय चक्रवर्ती।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 30 दिसम्बर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आतंकवाद (दूसरा) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि आतंकवाद्री क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, ...

सभापति महोदय : आपकी बारी निकल गई।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं सभा में था।

सभापति महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा था। अब मैंने अगला विषय ले लिया है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, इस समय मैं इस बात पर जोर देने के अलावा कुछ नहीं कहना चाहता कि विश्व भर के लोकतांत्रिक देशों में यह बात महसूस की जाने लगी है कि आतंकवाद, देश की सुरक्षा के लिए एक नई किस्म की चुनौती है; एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएं, वैधानिक व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं। यह एक प्रकार की विश्वव्यापी अनुभूति है जो 28 सितम्बर, 2001 को सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प में भी दिखाई दी जिसमें सुरक्षा परिषद ने अपने सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद का वित्तपोषण करने के खिलाफ और इससे संबद्ध अन्य सभी अपराधों के खिलाफ कानून बनाने के लिए कहा है।

अपराह्न 3.20 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

जहां तक हमारा संबंध है, सुरक्षा परिषद के संकल्प के आने से पहले ही हम दो दशकों से कुछ कम समय से, लगभग दो दशकों विशेषत: 1980 के बाद से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि, हमारे पड़ोसी ने 1971 की हार के बाद ही आतंकवाद के माध्यम से हमसे लड़ने की योजना बनाई थी परन्तु इसे लागू करने में उन्हें थोड़ा समय लगा। 1980-81 से ही, पहले पंजाब में और फिर 1989 के बाद से जम्मू-कश्मीर में और भारत के अन्य भागों में भी उन्होंने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है जिसे हमने छद्म युद्ध का नाम उचित ही दिया है। यदि प्रकट युद्ध होता है तो संविधान में ही मौलिक अधिकारों को निरस्त करने का प्रावधान है और आपातस्थिति लगा दी जाती है। छद्म युद्ध में, हम ऐसा नहीं करते, लेकिन साथ ही, जहां-जहां आतंकवाद रहा है हमने टाडा (आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधि अधिनियम) लागू करने पर विचार किया। बाद में टाडा को बढ़ाया जाता रहा और 1995 के आसपास एक समय स्थिति ऐसी हो गई कि इसे व्यपगत होने दिया गया। इसके कई कारण थे। मैं उनकी चर्चा करना नहीं चाहता।

जब से मैं इस पद पर हूं और आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं को देख रहा हूं, प्रत्येक सम्मेलन में जहां भी अलग-अलग राज्यों की सुरक्षा के प्रभारियों से मेरी बात हुई, चाहे वे पुलिस महानिदेशक हों, सतर्कता विभाग के लोग हों या मुख्यमंत्री हों, सबकी ओर से यह मांग हुई है कि 'टाडा के स्थान पर कुछ न कुछ होना चाहिए; टाडा का सही उपयोग नहीं हुआ, इसे विकृत किया गया, उस कानून में कुछ खामियां थीं। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए।'

इसलिए, इस सरकार ने इस मामले को भारत के विधि आयोग के पास भेजना उचित समझा और विधि आयोग से इसके सभी पहलुओं पर विचार करने और इस पर सिफारिश करने के लिए कहा। विधि आयोग ने वर्ष 2000 में अपनी सिफारिश भेजी। यह विधि आयोग की एक सौ तिहत्तरवीं रिपोर्ट है और इसमें विचारार्थ प्रारूप विधेयक भी दिया गया है। इस प्रारूप विधेयक के बारे में विभिन्न मंचों पर विचार हुआ है; मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति ही नहीं अपितु मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, पुलिस अधिकारियों के विभिन्न सम्मेलनों में इस पर विचार किया गया है। वस्तुत: हमने टाडा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी ध्यान में रखा जिसमें टाडा की विभिन्न खामियों का उल्लेख किया गया था 'कि यदि ये खामियां नहीं होती तो टाडा पूरी तरह त्रुटिहीन होता, परन्तु जिस रूप में यह है, वह एक खामी है'। हमने इन सब बातों को भी शामिल किया।

सुरक्षा परिषद ने जब सितम्बर, 2001 में यह प्रस्ताव पारित किया, इसके कुछ समय बाद ही सरकार ने पोटो के नाम से एक अध्यादेश लाना उचित समझा। इस अध्यादेश को संसद के शीतकालीन सत्र में अधिनियम में बदले जाने का विचार था; लेकिन जैसा कि सभी सदस्य जानते हैं कि 13 दिसम्बर को एक असामान्य घटना हुई जिसने इस प्रकार का कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। लेकिन, इस घटना के कारण हम विधान प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए अत: अध्यादेश को पुन: प्रख्यापित करना पड़ा। आज मैं सभा में इस विधेयक को लेकर आया हूं जिसके द्वारा इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जाना है।

मैं सभा के सभी सदस्यों और सभी दलों से अनुरोध करता हूं कि हमारे कई मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, जैसाकि अयोध्या के बारे में क्या किया जाए; हमारे इस बात पर मतभेद हो सकते हैं कि आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सुधारों या बजट के बारे में

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

क्या किया जाए; लेकिन हमें सुरक्षा संबंधी मुद्दों, विशेषत: आतंकवाद के मुद्दों पर एकमत होना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने विभिन्न दलों से अपील की: ''कृपया इस पूरे के पूरे प्रस्ताव का विरोध न करें। आप अपनी सिफारिशें करें; अपने सुझाव हमें दें''। मैं केवल यही कह सकता हूं कि चाहे ये सुझाव आपकी ओर से औपचारिक रूप से आए हों या अनौपचारिक रूप से। यहां तक कि हमने मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई आपत्तियों की संज्ञेयता भी ली है और नए विधेयक में वह खामियां नहीं हैं जो टाडा में थीं - शायद उस समय केंद्र और राज्यों में काम करने वाली कार्यपालिका इसका दुरुपयोग करने का लोभ संवरण नहीं कर पाई- उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ऐसा विधेयक लाया गया है जो आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी होगा लेकिन इसके दुरुपयोग की न्यूनतम आशंका रहेगी। यदि कहीं दुरुपयोग होता है तो इसे देखने के लिए न्यायपालिका है, न्यायालय हैं, और अन्य एजेंसियां हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं। यदि आज की चर्चा के दौरान कुछ ऐसे सुझाव आते हैं जिन्हें इसमें शामिल किया जाना आवश्यक हो, तो मैं यही कहूंगा कि सारे मामले पर खुले दिमाग से विचार करें। हम आतंकवादियों के खिलाफ असरदार साबित होना चाहते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ असरदार साबित होना चाहते हैं और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि किसी भी प्रकार से मानवाधिकारों को उल्लंघन न हो। इस उद्देश्य के साथ, मुझे आशा है कि हम इस विधेयक को पारित कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> ''कि यह सभा 30 दिसम्बर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आतंकवाद निवारण (दूसरा) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।''
>
> ''कि आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्यगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप बता दें कि विधेयक पर मतदान किस समय होगा तो सदस्यों को मतदान के समय उपस्थित रहने में सुविधा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अब से छह घंटे बाद अर्थात् रात्रि 9.30 बजे के आसपास होगा।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, समय के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, सभा के सभी सदस्यों को मतदान का समय पता होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह रात्रि 9.00 बजे के आस-पास होगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, चर्चा का उत्तर देने के लिए मुझे 15 मिनट का समय चाहिए होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा रात्रि 8.45 बजे तक समाप्त हो जाएगी। माननीय मंत्री जी 15 मिनट में बहस का उत्तर देंगे और फिर 9.00 बजे मतदान शुरू होगा।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, यदि विधेयक पर और सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें भी बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन उन्हें अपनी बात संक्षेप में कहनी होगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, मैं पोटो का विरोध करने के लिए इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि केवल बहस में जीता जाये बल्कि सत्ता पक्ष को ऐसा करने से रोकने हेतु अन्तिम प्रयास करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि मैं अपने दृष्टिकोण से सरकार के नेताओं को विश्वास दिलाने में नाकाम रहता हूं तो हमारा क्रोध और विरोध भावी पीढ़ी के लिए कार्यवाही-वृत्तांत में मौजूद रहेगा।

महोदय, हम चार मुख्य कारणों से इसका विरोध करते हैं। प्रथमत: यह अधिनियम बुनियादी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का विनाशक है, द्वितीयत: यह हमारे अपने देश में ही आनुभविक रूप से देखा गया है कि यह ऐसा उपचार है जो रोग से भी बुरा है; तृतीयत: इसे अहितर राजनैतिक अभिप्रायों द्वारा बढ़ावा दिया गया है; मैं यह बात पूर्ण गम्भीरता और सच्चाई से कह रहा हूं और चतुर्थत: यह आवश्यक संरक्षा कवच के बिना दांडिक विधि शास्त्र के स्थापित बुनियादी सिद्धांतों को अलग-थलग कर देता है।

अब मैं अपनी बात दार्शनिक आपत्तियों के साथ कहना शुरू करता हूं। वैयक्तिक स्वतंत्रता सर्वोच्च और परमपावन स्वतंत्रता है जिस पर आधुनिक प्रजातंत्र का निर्माण हुआ है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह जो किसी दक्षिणपंथी अथवा वामपंथी विचारधारा के नाम पर, देश, जाति अथवा धर्म के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान करता है, देश को धोखा दे रहे हैं अथवा देश को सब्जबाग दिखला रहे हैं।

मुझे जर्मन पासटर निमौलर के प्रसिद्ध कथन की याद आती है जो हिटलर की पराजय के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में बने नाजी शासन का शिकार था। मैं उद्धृत करता हूं "पहले वे आए.... यहां पर वे से तात्पर्य हिटलर के आक्रमणकारी सैनिकों अथवा पुलिसकर्मियों से है। आडवाणी जी, मैं चाहता हूं कि आप सुनें। मैं आपके दृष्टिकोण को बदलने के लिए अभी भी आशा के विपरीत आशा कर रहा हूं। उन्होंने कहा:

> "पहले वे यहूदियों के लिए आए; और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। तत्पश्चात् वे कम्यूनिस्टों के लिए आए और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कम्यूनिस्ट नहीं हूं। तब वे श्रमिक संघियों के लिए आए, और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं श्रमिक संघी नहीं हूं। तब वे मेरे लिए आए और बोलने के लिए कोई नहीं बचा था।"

इसी आधार पर अपनी दार्शनिक आपत्तियों को प्रस्तुत करता हूं।

यह कानून प्राधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को बिना जमानत के एक वर्ष के लिए जेल में डालने का अधिकार प्रदान करता है। मैं महात्मा गांधी को केवल बीसवीं सदी का ही नहीं बल्कि दूसरी सहस्राब्दि का भी महानतम मानवतावादी मानता हूं। वास्तव में, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्राचीन काल के पैगम्बरों, धर्मों के प्रवर्तकों और ऐसे ही महान व्यक्तियों के समकक्ष मानता हूं। फिर भी मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं हैं कि मैं इस प्रकार की शक्ति रखने वाले महात्मा गांधी पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे लार्ड एक्शन के उस प्रसिद्ध कथन से दिशा मिली है कि "सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है।"

प्रजातंत्र और सरकार के सभी अन्य प्रकारों के बीच क्या बुनियादी अन्तर है चाहे यह राजतंत्र हो, सैनिक तानाशाही हो या कुछ और? प्रजातंत्र सरकार का एक ऐसा प्रकार है जो सत्ताधारी व्यक्ति के सद्गुणों पर स्वस्थ संशयवाद पर आधारित होता है।

महोदय, यह कानून पुलिसकर्मियों के हाथों में भयावह शक्तियां प्रदान करता है जो मुझे भय है कि राजनीतिज्ञों के साथ होड़ करने में कुख्यात हो रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुलिसकर्मी हमसे कम हैं। अपनी पूर्व आपत्तियों को बताने के बाद मैं अपनी आनुभविक समस्याओं को बताता हूं।

महोदय, इस कानून में कुछ भी नया नहीं है। यह कानून टाडा का प्रतिरूप है। इसमें कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन करने का दावा किया गया है जिनमें से अनेक बातों का प्रभाव द्वेषपूर्ण ढंग से तोड़मरोड़ कर पेश किए गए कई नए प्रावधानों से समाप्त हो जाता है। हमारे पास टाडा दस वर्ष से था। जब वर्ष 1985 में टाडा संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था, तो यह इस वास्तविकता के कारण बिना किसी विमत के पारित किया गया था कि उस समय पंजाब में चल रही स्थिति से निपटने के लिए सदन के सभी वर्ग एक कठोर कानून चाहते थे। उन दस वर्षों में केन्द्र में और राज्यों में अनेक दल सत्ता में रहे और उन सभी दलों ने उस कानून को लागू किया। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सामूहिक अनुभव का मूल्यांकन करें और इस अनुभव से सबक हासिल करें।

उस अवधि के दौरान टाडा का क्या रिकार्ड रहा? टाडा के तहत बंदी बनाए गए लोगों की संख्या लगभग 7600 थी। इनमें से 25 प्रतिशत बंदियों को पुलिस द्वारा बिना आरोप लगाए छोड़ दिया गया; 35 प्रतिशत मामलों में ही मुकदमें पूरे किए गए और इन मुकदमों में से 95 प्रतिशत मुकदमों का अंत बंदियों की रिहाई के साथ हुआ। जिन मामलों में दोषसिद्ध हुआ, उनकी दर 1.5 प्रतिशत से कम थी।

जम्मू और कश्मीर में जहां आतंकवाद सबसे अधिक है, वहां दायर किए गए सभी 20000 मामलों में से 11000 मामले समाप्त कर दिए गए। प्रारम्भिक जांच के बाद 2000 मामले साक्ष्य की कमी के कारण समाप्त कर दिए गए। लगभग 3000 बंदी या तो जमानत पर छोड़ दिए गए अथवा पेरोल पर छोड़ दिए गए। आज तक 778 मामले लंबित हैं जिनमें 1504 उग्रवादी संलिप्त हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि टाडा बिल्कुल अप्रभावी रहा था।

यदि 76000 में से 1.5 प्रतिशत व्यक्तियों पर दोष सिद्ध हुआ तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि 76000 लोगों में से 75000 लोग बिना जमानत और बिना दोषसिद्धि के वर्षों तक जेलों में सड़ते रहे और सम्भवत: उनमें से बहुत से लोगों पर न कोई आरोप लगाया गया और न ही सुनवाई हुई। पंजाब में भी दोष सिद्धि दर 1.5 प्रतिशत से कम थी।

इस कानून का गुजरात में प्रयोग किया गया। गुजरात में इस कानून का प्रयोग किसानों, श्रमिक संघियों और बहुत से अन्य लोगों के विरुद्ध किया गया। गुजरात में 19000 लोगों पर टाडा के तहत मामले दर्ज किए गए।

असम में राज्य के विरुद्ध संकट पैदा करने के लिए एक बारह वर्षीय बालक के विरुद्ध एक मामला बनाया गया था। यह मामला असम में टाडा के तहत एक बारह वर्षीय बालक के विरुद्ध था। अब आडवाणी जी सर्वसम्मति की वकालत कर रहे हैं। हम उनके सर्वसम्मति के आह्वान पर भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपना रहे हैं। हम वैचारिक रूप से इस कठोर कानून की उपयोगिता और प्रभावकारिता के बारे में विश्वस्त नहीं हैं। उन नेताओं का दृष्टिकोण

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

क्या था जो अब भारत सरकार में मंत्री हैं। मैं यशवंत सिन्हा के 11 मई, 1989 को दिए गए भाषण का उद्धरण देता हूं।

> "मैं भावी पीढ़ी के लिए इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं (बेचारे भावी पीढ़ी के लिए इसका उल्लेख कर रहे थे ताकि मैं उसे उद्धृत कर सकूं) कि यदि कभी ऐसा कोई अधिनियम था जो प्रजातंत्र के उज्ज्वल नाम पर एक धब्बा था तो वह यही है। वर्ष 1987 के इस टाडा अधिनियम से हमने विधि के शासन को सम्भवत: आने वाले समय के लिए पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है और दुखांत स्थिति तो यह है कि हमने संसद के अधिनियम द्वारा विधि के शासन को नष्ट कर दिया है। यदि रौलट अधिनियम मानव जाति के लिए ठीक नहीं था तो मुझे आश्चर्य है कि टाडा मानव जाति के लिए कैसे ठीक है। इससे ज्यादा दुखदायी बात और क्या हो सकती है? हम प्रजातंत्र के नाम पर इससे बड़ा धब्बा साबित हो सकते हैं?"

मैं टाडा की तुलना रौलेट एक्ट के साथ नहीं करता। मेरा कहना है कि यह रौलेट एक्ट से कहीं बढ़कर है। नि:संदेह आप उस समय दूसरी पार्टी में थे। मैं उस समय अर्थात् वर्ष 1989 में बी.जे.पी. के एक और प्रतिष्ठित सदस्य श्री जसवंत सिंह जो इस समय विदेश मंत्री हैं; को उद्धृत करता हूं।

> "मैं पूर्ण रूप से इस कानून का विरोध कर रहा हूं जिसे मेरे माननीय साथी श्री यशवंत सिन्हा ने अभी दोहाराया है। यह कानून, अपने मूल रूप में और जैसाकि यह प्रारम्भ में था, सिद्धांतत: मुझे अस्वीकार्य है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह कानून सभ्य मूल्यों की प्रत्येक अवधारणा के विपरीत है। अत: मैं नहीं समझता कि इसका उत्तर इस कानून का लगातार विस्तार करने में निहित है। गत दो वर्षों में हम इसे (अर्थात् आतंकवाद को) कम करने में भी कामयाब नहीं हुए हैं और यह निर्बाध जारी है। मुझे विश्वास नहीं है कि इससे उद्देश्य कभी पूरा होगा। मैं पूर्ण रूप से टाडा (संशोधन) विधेयक, 1989 का विरोध करता हूं।"

अब मैं श्री जार्ज फर्नांडिस को उद्धृत करता हूं। उन्होंने वर्ष 1991 में निम्नलिखित बात कही थी।

> "अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि ऐसा कानून किसी प्रकार की हिंसा और आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकता। इससे सबक लेना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि राज्य समर्थित आतंकवाद नहीं होना चाहिए। हिंसा किसी समस्या को सुलझाने का मार्ग नहीं है। हमें कोई दूसरा मार्ग चुनना चाहिए। इस कानून से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आप आतंकवाद समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि उसकी आड़ में प्रजातंत्र को झटका देने के लिए एक कानून का उपयोग कर रहे हैं। देश को एक करने और आतंकवाद मिटाने का यह उपयुक्त तरीका नहीं है। अत: हम इस कानून को लागू करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं।"

महोदय, अब मैं 'संघ' के एक विनीत सदस्य श्री राम नाईक की ओर आ रहा हूं जो अब पेट्रोलियम मंत्री हैं। उन्होंने वर्ष 1991 में कहा था:

> "ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी टाडा लगाने का समर्थन करते हैं क्योंकि पुलिस को टाडा के अन्तर्गत लोगों को पकड़ना आसान लगता है। लोग पुलिस के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठा सकते। यदि टाडा का दुरुपयोग किया जाता है तो हम इसे अपना समर्थन नहीं दे सकते।"

श्री राम विलास पासवान का भी भाषण मौजूद है। मैं इसका उद्धरण देकर सभा का समय नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं कि आज हम समयाभाव में यह चर्चा कर रहे हैं।

12 अगस्त, 1991 को निम्न सदस्यों ने आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक 1991 के विरुद्ध मतदान किया। इस विधेयक के विरुद्ध मतदान करने वालों में श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, श्री मदनलाल खुराना, श्री राम नाईक और श्री रामविलास पासवान भी सम्मिलित थे। इन्होंने 1991 में इसके विरुद्ध मतदान किया। लेकिन अब ये सभी इच्छा स्वातंत्र्यवादी नेता 'पोटो' समर्थक हो गए हैं और उन्हें इससे प्रसन्नता होती है।

इस सरकार के कार्यकरण का रिकार्ड क्या है? अनेक व्यक्तियों ने कंधार का उल्लेख किया है। इसलिए मैं इस पर सभा का समय नहीं लेना चाहता। उमर सईद शेष को टाडा के अधीन दोषी नहीं ठहराय जा सका और उसे कंधार में पाकिस्तान को समर्पित किया गया। अब सरकार का मानना है कि पोटो उतना क्रूर नहीं है जितना कि टाडा। उस समय हमने टाडा का विरोध किया क्योंकि वह कठोर कानून था, अब पोटो का स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक हो गया है। इसी स्वर में वे यह भी कहते हैं 'अब स्थिति अधिक गंभीर हो गई है। क्या आप यह नहीं समझ रहे हैं। मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि देश की अत्यधिक विस्फोटक स्थिति से निपटने में कम कठोर कानून कैसे सफल हो सकता है? मैं इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर चाहता हूं। यह खुल्लमखुल्ला कहा जा रहा था जैसा कि भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में श्री आडवाणी ने भी कहा कि पोटो का विरोध करने वाले वास्तव में आतंकवाद के समर्थक हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): यह सही नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : जो भी हो इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण अफवाह फैली हुई थी। श्री आडवाणी को इसका खण्डन करना चाहिए। लेकिन उनकी पार्टी ने पूरे देश में इसी विचार के आधार पर कार्य किया। वास्तव में लोग सोच सकते हैं कि हमारे अन्दर हिन्दुत्व देशभक्ति नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनके दृष्टिकोण में वह अफवाह हमारे ऊपर लागू हो सकती है। मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं कि वह देश के किसी भी बड़े समाचार-पत्र के बारे में बताएं जिसने पोटो की उसके संशोधित स्वरूप में निन्दा नहीं की हो। प्रत्येक समाचार-पत्र इंडियन एक्सप्रेस, दी टाइम्स आफ इंडिया, दी हिन्दुस्तान टाइम्स, दी स्टेट्समैन और दी हिन्दू ने इसकी निन्दा की है।

क्या उनका विचार किसी काम का है। क्या देश में पक्षपातपूर्ण तरीके से अफवाह फैलनी चाहिए? क्या महत्वपूर्ण बौद्धिक विचारों पर विचार किया जाना चाहिए? महोदय, श्री आडवाणी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि इसकी सिफारिश विधि आयोग ने की। सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के बाद मानवाधिकार आयोग ने इसके अद्यतन स्वरूप का विरोध किया।

इस सत्ताधारी गठबंधन के साथ यही समस्या है। वे ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसे हम आरवेल के दक्षिणपंथी देश का दुस्वप्न कह सकते हैं। 1994 में जार्ज आरवेल ने जब नाटक लिखा उस समय ने वामपंथी दुस्वप्न का उल्लेख कर रहे थे। आप दक्षिणपंथी दुस्वप्न को मूर्त रूप दे रहे हैं। महोदय, मुझे भय है कि वे अपनी भविष्यवाणी को साकार कर रहे हैं। इसके पीछे स्पष्ट रूप से कोई इरादा नहीं है। मैं इसके पीछे कोई मंशा नहीं देखता। मैं दूसरे ऐतिहासिक सत्य का उल्लेख करना चाहता हूं जैसा कि मैं समझ रहा हूं।

अपराह्न 3.52 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

रूढ़िवादी दर्शन और फासीवादी कानून 'साइमीस ट्विन्स' हैं। विधि आयोग के प्रतिवेदन के बाद एक दिन श्री आडवाणी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा कि वे इस कानून पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष संयुक्त रूप से इसके विरुद्ध थे। लेकिन 11 सितम्बर के बाद एक चतुर राजनीतिज्ञ, श्री आडवाणी को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पर्याप्त अवसर दिखाई दिया। पहला काम उन्होंने सिमी पर विधि विरुद्ध निवारण अधिनियम, 1957 के अधीन प्रतिबंध लगाने का किया। उस समय गृह सचिव ने कहा कि सिमी पर प्रतिबंध लगाने का कोई तात्कालिक कारण नहीं है बल्कि यह सावधानीपूर्वक किया गया। मैंने जो कुछ कहा उससे पीछे नहीं हट रहा हूं और कोई भी मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला ला सकता है। यद्यपि, मैं विशेषाधिकार समिति का सभापति हूं, अपनी बात वापस ले सकता हूं लेकिन महोदय 24 अक्तूबर को सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया। पोटो को अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया। छह सप्ताह का समय क्यों लगा? आपने पोटो को उसी दिन प्रख्यापित क्यों कराया जबकि शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी की जा रही थी? उन छह सप्ताह में क्या हो जाता जिस दौरान संसद में उस पर खुले दिमाग से बहस की जा सकती थी? आप देश को सम्पन्न कार्य के सामने कैसे रख सकते? श्री आडवाणी के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वे एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ और टिप्पणीकार दोनों हैं।

इसलिए उन्होंने कहा कि यदि संसद पोटो को अस्वीकार करेगी तो हम लाभ की स्थिति में होंगे। यदि वह इसे स्वीकार करेगी तो हम लाभ की स्थिति में रहेंगे। अत: हम लाभ ही लाभ में रहेंगे। पोटो को उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनावी हथियार के रूप में पेश किया गया। मैं रिकार्ड के तौर पर कहता हूं कि पोटो ही वह मुद्दा था जो उत्तर प्रदेश या कहीं भी भाजपा की पहचान था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ चालाकी भरे कारणों की वजह से मंदिर मुद्दे का कार्ड खेलने का निश्चय नहीं किया था। क्या परिणाम रहा? वे पंजाब और उत्तरांचल में पराजित हुए। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें आधी हो गयी; वे तीसरे पर रहे। पोटो के समर्थन का क्या हुआ? हम तीन राज्यों में जोते। यद्यपि हम उत्तर प्रदेश में हारे तो भाजपा भी हारी। भाजपा सभी चार राज्यों में पराजित हुई। मैं सोचता था कि इन चुनाव परिणामों के बाद भाजपा में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन आयेगा क्योंकि वे अध्यात्म में विश्वास करते हैं और उसकी शपथ लेते हैं। मेरा यह मानना नहीं है कि इस प्रकार के पापी हैं जो अपने पापों पर पश्चाताप न करें।

मेरे मित्र, श्री अरुण जेटली ने अपने कुछ लेखों एवं भाषणों में जिनमें से कुछ में मैं भी सम्मिलित था, ने कहा कि इन पचास वर्षों में आतंकवाद के कारण 55,000 नागरिक एवं 6000 पुलिसकर्मी गए। हम सीमापार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं आतंकवाद का नहीं। इन मारे गए 55000 नागरिकों में से 90 प्रतिशत जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और उत्तर-पूर्व के हैं। पंजाब आतंकवाद से ग्रस्त था। उत्तर-पूर्व लम्बे समय से किसी न किसी आतंकवाद से प्रभावित रहा है। इन तीन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य किन क्षेत्रों में आतंकवाद रहा है और उसमें कितने व्यक्ति मारे गए। अत: हम सीमापार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। सीमापार आतंकवाद का सामना करने के मामले पर हम पूर्णत: आपके साथ हैं। हम पूरा समर्थन करते हैं।

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

अब, मैं कुछ कानूनी समस्याओं की बात करूंगा। मैं अपने मित्र, श्री अरुण जेटली से चाहता हूं कि वे मेरी कुछ समस्याएं सुनें। सर्वप्रथम, आतंकवाद की कोई ठोस परिभाषा नहीं है। आतंकवादी गतिविधि को परिभाषित किया गया है न कि आतंकवाद को। आतंकवादी गतिविधि का इतने व्यापक रूप से वर्णन कर दिया गया है कि इसके अन्तर्गत सभी कुछ आ जाता है।

आतंकवाद को इतने व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है कि इसका बहुत अधिक दुरूपयोग हो सकता है। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। 'टाडा' की परिभाषा में एक प्रावधान था जिसके अनुसार साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वालों को हिरासत में लिया जा सकता है। यहां परिभाषा को इतनी चतुरता के साथ बनाया गया है कि वैमनस्य फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को 'पोटो' या 'पोटा' के अधिकार में कभी नहीं लाया जा सकेगा।

अपराह्न 4.00 बजे

मेरा मानना है कि इसका दायरा गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर सीमित रखा गया है। हमारे गृह मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प का उल्लेख किया, मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि ब्रिटेन के विधेयक में दी गई आतंकवाद की परिभाषा बहुत संक्षिप्त है। यदि आप हमारे सुझाव को स्वीकार करने को तैयार हैं तो मैं परिभाषा पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है:

> ''कोई भी ऐसी कार्रवाई करना या कार्रवाई की धमकी देना जिस कार्रवाई या धमकी का उद्देश्य सरकार को प्रभावित करना या जनता या उसके किसी वर्ग को भयभीत करना हो या कार्रवाई करने या कार्रवाई की धमकी का उद्देश्य किसी राजनीतिक, धार्मिक या विचारधारा के एजेन्डे को आगे बढ़ाना हो।''

यह आतंकवाद की अत्यन्त सुरक्षित परिभाषा है। इसके दायरे में दक्षिणपंथी उग्रवादियों और वामपंथी उग्रवादियों दोनों को लाया जा सकेगा। ब्रिटिश कानून में प्रमाण के वास्तविक विपर्यय का कोई प्रावधान नहीं है। मैं वास्तविक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि श्री अरुण जेटली कहेंगे कि प्रमाण सिद्धि को इसमें समाहित नहीं किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह वास्तविक विपर्यय है। उन्हें यह भी ज्ञात है कि ब्रिटिश कानून में जमानत का प्रावधान है। इस कानून के बावजूद ब्रिटेन में वहां की पुलिस को अपने पुलिस होने पर गर्व है फिर भी उन पुलिकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई जिन्हें उस अधिनियम के अधीन ज्यादतियां करने के कारण अपराधी ठहराया गया है। केवल 1995-96 में ही शक्तियों का दुरूपयोग करने के कारण ब्रिटिश पुलिस के विरुद्ध 495 मामलों में कार्रवाई की गई। उसी वर्ष पीड़ितों को हुए नुकसान या समझौते के कारण दो मिलियन पाउन्ड से अधिक का भुगतान किया गया। ब्रिटिश कानून - मैं उस कानून विशेष का उल्लेख नहीं करूंगा - केवल विदेशियों पर लागू होता है और यह सभी नागरिकों के ऊपर नहीं लागू होता है। विदेशियों को भी बिना कोई आरोप लगाए एक सप्ताह से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता।

मैं अमेरिकी पेटेण्ट एक्ट का हवाला दे रहा हूं न कि सैनिक अधिकरणों का। हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है। हमारे पास कानून की किताबों की शोभा बढ़ाने वाले ढेर सारे कानून हैं, जो बस धूल चाट रहे हैं। कानून की किताब में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पहले से विद्यमान है। इसके अलावा, हमारे पास विधिविरुद्ध, क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम है; विस्फोटक अधिनियम है; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम हैं; 1958 का सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम है। हमारे पास विधि विरुद्ध क्रियाकलाप दमन अधिनियम है। दरअसल में इतने हैं कि मैं इन्हें गिना नहीं सकता। हमारे देश को एक नए कठोर विधान की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में जरूरत है तो वह है एक अच्छी सरकार की। हमें जरूरत है एक उचित, अध्यवसायी आसूचना संग्रहण के माध्यम से निवारक सतर्कता की।

हमारी जरूरत जांच संबंधी - संचेतना की है। हमें अभियोजनात्मक इच्छाशक्ति की जरूरत है। किन्तु, हमारी पुलिस आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद मामले को भूल ही जाती है, जबकि अभियोजन की प्रक्रिया में दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक कारगर शासन व्यवस्था की जरूरत है। एक कारगर शासन व्यवस्था का विकल्प कोई कठोर कानून नहीं हो सकता है। इस प्रणाली के अलावा, हमें जरूरत है एक अंतर्वेशी राजनीति की न कि अनन्य राजनीति की और उस अन्तर्वेशी राजनीति पर अमल के लिए हमें एक समाकलनात्मक प्रक्रिया की जरूरत है और हमें एक समाकलनात्मक दृष्टि तथा सम्पूर्णतावादी दर्शन को अपनाना होगा। हालांकि, मैं ढेर सारी अभिव्यक्तियों का प्रयोग कर रहा हूं तथापि, मुझे विश्वास है कि सत्ता पक्ष के विद्वान सदस्य उन बातों की सराहना करेंगे जो मेरे वक्तव्य में अन्तर्निहित हैं। मैं हर बात को विस्तार से सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसमें समय निकल जाएगा।

बार-बार यह कहा जा रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के कानूनों में कुछ आपत्तिजनक और कड़े प्रावधान हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं सरकार से यह पेशकश करता हूं कि उन कानूनों में से ऐसे आपत्तिजनक और कड़े प्रावधानों को हटा दिया जाएगा बशर्ते कि सरकार 'पोटो' वापस ले ले। वे 'पोटो' को वापस ले लें और हम उन सभी आपत्तिजनक प्रावधानों को हटाने के लिए तैयार हैं। हम मानते हैं कि ऐसे कानून ठीक नहीं होते हैं।

टाडा के साथ क्या समस्या है? उसने उस एक कानून के अन्तर्गत अनेक कानून ला दिए हैं। मुझे अपनी बात एक बार फिर से आलंकारिक भाषा में कहने का जी चाहता है। मैं इसे अत्यन्त विषाक्त विधायी कॉकटेल कहना चाहूंगा। यह एक जहरीला कॉकटेल है। टाडा में, जो उनके अनुसार बड़ा ही कठोर कानून था, संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। यदि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वह गैर-कानूनी प्रावधानों वाले अधिनियम के तहत ही लगाया जाएगा। अब इस कानून में, इसका प्रावधान किया गया है कि प्रतिबंधित संगठन के किसी भी सदस्य या उस संगठन से जुड़े किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पोटो के घेरे में लाया जा सकेगा और उसे सभी दण्डनीय परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

महोदय, मैं माननीय विधि मंत्री का ध्यान धारा 3(1)(ख) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके अनुसार अनेकानेक प्रतिबंधित संगठनों को सबको प्रभावित करने वाले इस अधिनियम की परिधि में लाया जा सकता है। अब धारा 3(1)(क) के माध्यम से सरकार ने 'विघटनकारी सेवाओं' को इसमें शामिल किया है। इसका अर्थ है कि मेरे वामपंथी मित्रों के श्रमिक संघों संबंधी सभी क्रियाकलाप विघटनकारी सेवाएं कही जा सकती हैं। ऐसा मेरा कहना है। यदि मेरा यह कहना गलत सिद्ध होगा तो मुझे खुशी होगी। फिर, धारा 48 के अंतर्गत जमानत का ऐसा प्रावधान किया गया है कि लगभग एक वर्ष के लिए किसी को भी जेल में रखा जा सकता है।

हमारे पुलिस अधिकारियों और शायद हमारे मंत्रियों के सामने की गई स्वीकारोक्तियां साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।

मेरे मित्र श्री अरुण जेटली कहेंगे कि "देखिए क्या आपने इस बड़े परिवर्तन को नहीं देखा है जो मैंने किया है?" कोई भी व्यक्ति जज के सामने कभी भी जा सकता है और कह सकता है कि "देखिए मुझे शारीरिक यातना दी गई है।" जज इसकी जांच नहीं कर सकता है। वह केवल चिकित्सा जांच के लिए उसे भेज सकता है, बस। पर वह डरा हुआ आदमी कैसे किसी मजिस्ट्रेट के यहां कोई शिकायत दर्ज कराएगा। मान लीजिए कि वह ऐसा एक महीने में करता है और उसका आरोप भी सिद्ध हो जाता है, फिर भी उसे एक वर्ष तक जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या यह एक लोकतांत्रिक प्रावधान है? वे किसको धोखा देना चाहते हैं? मुझे विश्वास है कि वे अपने आपको ही धोखा दे रहे हैं। वे उन सभी की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं जो नागरिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं।

अब वह कहते हैं कि ठीक है, एक समीक्षा समिति होगी। पर यह कोई जरूरी नहीं है कि वह समिति किसी सेवारत न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होगी। श्री आडवाणी जी, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। यदि उस समिति की अध्यक्षता करने के लिए किसी सेवारत न्यायाधीश का चयन किया जाता है, तो उसका चयन किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही किया जाएगा। यदि कोई राज्य सरकार या केन्द्र सरकार उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश का चयन करती है, जैसाकि गुजरात के मुख्य मंत्री ने किया, तो क्या इसका अर्थ आपको मालूम है। यह बात सही है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी उच्च न्यायालय का ही न्यायाधीश होता है। अच्छी बात है। किन्तु, दो अन्य सरकार द्वारा नामित कार्यकारी सदस्य होंगे। ऐसे में बेचारा न्यायाधीश वहां अल्पमत में होगा। आप यह क्यों नहीं कहते कि उस समीक्षा समिति में उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के साथ-साथ दो अन्य सदस्यों के रूप में दो जिला न्यायाधीश होंगे तभी समीक्षा समिति कुछ कर पाएगी।

धारा 30 को ही लीजिए जो गवाहों की सुरक्षा के संबंध में है। यह अभियुक्त को उसके खिलाफ दिए गए समग्र बयानों को प्राप्त करने या गवाहों की पहचान जानने के अधिकार से वंचित करता है। कैसे कोई अभियुक्त स्वयं का बचाव कर सकता है जबकि वह जानता ही नहीं है कि आपने उसके खिलाफ क्या बयान दिए हैं और किसने वे बयान दिए हैं?

मैं कोई सम्पत्ति का पक्षधर नहीं हूं। यदि मुझे सम्पत्ति और स्वतंत्रता में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं बिना कोई देर लगाए निश्चित रूप से स्वतंत्रता को चुनना पसंद करूंगा। किन्तु, मैं यह मानता हूं कि सम्पत्ति का कुछ अधिकार दिए बगैर स्वतंत्रता को बनाए रखना कठिन है। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले समाजवादी भी इस बात को मानते हैं कि सम्पत्ति का कुछ अधिकार दिए बगैर स्वतंत्रता बरकरार नहीं रखी जा सकती है। आजादी का आनन्द नहीं लिया जा सकता है।

धारा 6, 7 और 8 के अन्तर्गत सम्पत्ति को अत्यंत मनमाने ढंग से कुर्क और जब्त किया जा सकता है।

यह अच्छी बात है कि आपने धारा 38 को हटा दिया क्योंकि पत्रकारों ने इसका विरोध किया था। आपने इसे हटा दिया है, इसके लिए मुझे खुशी है। किन्तु धारा 14 ज्यों की त्यों है। इसके अनुसार पत्रकारों से कभी भी पूछताछ की जा सकती है और उन पर पोटो के सभी प्रावधान इस आधार पर लगाए जा सकते हैं कि उन्हें आतंकवादियों के बारे में कोई सूचना है।

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

इन सभी सुझावों के बाद अन्ततोगत्वा मैं एक स्वीकारोक्ति करना चाहता हूं कि यह कानून इतना दोषपूर्ण है कि यह किसी भी तरह समझ से बाहर है।

हमारे पास इसका संपूर्ण विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महाराष्ट्र में इनकी कांग्रेस की सरकार है। वहां अलग कानून है क्या? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप तभी बोलिए जब आपकी बारी आए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदय, आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और दुखी मन से खड़ा हुआ हूं। यह दुर्भाग्य है कि जो कुछ हमारे देश में हो रहा है, जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, संसद पर हमला हो चुका है, आज सवेरे इसके बारे में बहुत देर तक बात हुई है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उन्हें बाधा न डालें।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : आज सवेरे हमारे मुख्य प्रतिपक्ष के उपनेता बहुत भावुक हो गए थे। इतना भावुक मैंने इनको कभी नहीं देखा। और इतनी लंबी-चौड़ी बात, बहुत से अंग्रेजी के शब्द हमारी समझ में नहीं आते हैं हमारे दोस्त जयपाल रेड्डी जी के। लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब दें कि आप लोग सब आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, और उसको खत्म करने के लिए आप सरकार को हथियार क्यों नहीं देना चाहते हैं? अभी तक आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें मुझको इस छोटे से सवाल का जवाब मिला हो। और यह विरोधाभास बिल्कुल साफ जाहिर था। जयपाल जी जब बोल रहे थे तो यह जाहिर था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए विधेयक के भी खिलाफ हैं। यह विरोधाभास आप लोग अलग-अलग कारणों से कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप चाह रहे हैं कि अगर सरकार मान जाए तो क्या मैं यह कहना चाहूं और आपने यह भी कहा कि आर्डिनेन्स की जरूरत नहीं है, गुड गवर्नेन्स की जरूरत है। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह कहने की क्या जरूरत है। क्या जब टाडा पास हुआ था तो इसलिए हुआ था कि गुड गवर्नेन्स नहीं थी या आर्डिनेन्स की जरूरत थी? यह विरोधाभास जो है, हर चीज का सवाल जवाब आपके मन में है। सब लोग चाहते हैं कि आतंकवाद से लड़ें, हम लोग आतंकवाद को परास्त करें, लेकिन उसके लिए हथियार इस सरकार को नहीं देना चाहते हैं। यह जिद किसलिए है? वजह इसकी क्या है? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, और आतंकवाद से हम और आप नहीं लड़ रहे हैं, जगह-जगह पर, सड़कों पर लोग लड़ रहे हैं और आप सब कहते हैं कि उन अर्द्ध-सैनिक बलों को, उन सैनिकों को हम हर तरह की मदद देना चाहते हैं, तो क्या उस पर आप खरे उतर रहे हैं? दोनों हाथ उनके पीछे बांधकर आप चाह रहे हैं कि वे आतंकवाद से लड़ाई करें। इस तरह से आतंकवाद से लड़ाई नहीं होगी। यहां मुख्य प्रतिपक्ष को मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि 1985 में टाडा हुआ था। वह दो साल के लिए हुआ था, लेकिन आप लोगों ने उसको बढ़ाकर 10 साल तक रखा। 1995 में उसको खत्म किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने ही यह बात कही और उसके खत्म होने से पहले एक मिनट के लिए भी ये नहीं चाहते थे कि यह देश कानून से वंचित रहे, क्योंकि क्रिमिनल अमेंडेमेंट बिल राज्य सभा में, इसके खत्म होने से पहले आपने पेश किया था। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आप नहीं चाहते हैं कि यह देश एक मिनट के लिए भी इस प्रकार के कानून से वंचित रहे। लेकिन आतंकवाद से लड़ने के लिए आप इस सरकार को कानून नहीं बनाने देना चाहते हैं, यह आपको गवारा नहीं और अब एकाएक यह कानून आपके लिए ड्रैकोनियन ला हो गया, सब कुछ हो गया। आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, लेकिन कानून नहीं बनने देना चाहते हैं। आपके अभी तक के भाषण सुनने के बाद भी मेरी यह एक बात समझ में नहीं आई कि आप आखिर इस कानून के खिलाफ क्यों हैं।

सभापति महोदय, बहुत कोशिश करने के बाद कि आखिर बात क्या है, जैसे यहां पढ़ा जा रहा है, मैं इसमें कोई पाइंट स्कोर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर यहां पढ़ने की बात है, तो बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी विगत 17 जुलाई को ही होम मिनिस्ट्री की मीटिंग में गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"यद्यपि टाडा का दुरुपयोग हुआ था तथापि आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने हेतु एक कानून की आवश्यकता है। विधि आयोग के प्रस्तावित आतंकवाद निवारण विधेयक में अनेक अच्छे प्रावधान हैं उदाहरण के तौर पर....."

[हिन्दी]

आपकी पार्टी के कर्ण सिंह जी ने कहा...

[अनुवाद]

"विशेषकर सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसका बहुत ही संगठित ढंग से वित्तपोषण किया जा रहा है और हमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने हेतु एक कानून की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

और सबको भूल जाइए, आपके उपनेता, प्रतिपक्ष, श्रीमान शिवराज पाटिल जी ने कहा कि–

[अनुवाद]

"हमें आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता अपर्याप्त है और यही कारण था कि टाडा को अधिनियमित किया गया। पोटो का प्रारूप अपर्याप्त है।"

[हिन्दी]

लेकिन किसी ने इसकी खिलाफत नहीं की और मैं भी समझता हूं कि इस वक्त ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): मुझे दुख है। मैं समझता हूं कि आप इसका मात्र आधा भाग पढ़ रहे हैं न कि पूरा भाग। मैंने इससे ज्यादा काफी कुछ कहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : एग्जैक्ट जो आपने कहा है, वही मैं पढ़ रहा हूं। इसका विरोध आपने उस मीटिंग में नहीं किया, यह मैं कहना चाहता हूं।

आपके खुद के एलाईज ए.डी.एम.के. की सुश्री जयललिता जी ने इसका स्वागत किया है क्योंकि वे भुक्तभोगी हैं और जो लोग भुक्तभोगी हैं, जो लोग कमरे में बैठकर चर्चा नहीं करते। वे समझते हैं कि यह बहुत वीभत्स घटना है और वह घटना आप लोगों के सामने यहां पर हुई थी। इस संबंध में प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की बात की गई है, तो आखिर वजह क्या है आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। बहुत कुछ सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और स्वयं जयपाल जी ने इसका उल्लेख किया है कि टाडा का गलत इस्तेमाल किया गया। यहां हमारा काम विधेयक बनाना है, गवर्नमेंट का काम इस्तेमाल करना है और अगर टाडा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ तो उस वक्त के मुख्य मंत्री श्री चिमनभाई पटेल के जमाने में हुआ। यदि उन्होंने ऐसा किया तो क्या आप हमें दंडित करेंगे। यदि आप लोगों द्वारा ऐसा किया जाता है, तो यह बिलकुल गलत है। मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा गलत उस कानून का इस्तेमाल उन स्टेटों में हुआ जहां कांग्रेस की सरकारें थीं। मैं यह मानता हूं कि हर प्रकार से इस कानून का गलत इस्तेमाल बन्द होना चाहिए।

महोदय, महाराष्ट्र में आतंकवाद विरोधी कानून है, कर्नाटक में आतंकवाद विरोधी कानून है और यह एक अजीब बात है कि अब ये कहते हैं कि अगर आप पोटो टो हटा लें तो हम अपने आतंकवाद विरोधी कानून को भी उठा लेंगे। यह कोई बनिए की दुकान नहीं है।

आप ऐसा कर दें तो मैं ऐसा कर दूंगा। अगर आपने महाराष्ट्र में बनाया है, कर्नाटक में बनाया है तो जरूरत महसूस करके बनाया है। एक शासकीय कार्यवाही हुई है और अगर हम पोटो की बात कर रहे हैं तो वह भी एक शासकीय कार्यवाही है, एक जरूरत की बात है।

यह सब मानेंगे कि 1995 के बाद से आज तक आतंकवाद का जो स्तर है, वह रोज बढ़ता जा रहा है। क्या हम यह समझें कि जिसने 1995 में इसके खिलाफ वोट किया था, वे आज भी पोटो को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यदि कल इससे ज्यादा हालात गंभीर हो गये तो क्या आप नया कानून नहीं लायेंगे? इस मूल प्रश्न का मैं जवाब चाहता हूं। आप आतंकवाद हटाना चाहते हैं लेकिन आतंकवाद विरोधी कानून भी पास नहीं कराना चाहते, इस विरोधाभास का जवाब हमको चाहिए। हम आपसे नहीं कह रहे, हम वामपंथी दलों को कह रहे हैं कि वह क्या वजह है जिसकी वजह से आप पोको को वैस्ट बंगाल में लगाना चाहते हैं लेकिन यहां नहीं। आपने उसे वहां रोक दिया है। वह इसलिए रोक दिया ताकि आप यहां पर इसकी खिलाफत कर सकें। इसके अलावा यहां उसे रोकने का और कोई मतलब नहीं था। यह बिल्कुल साफ है कि उसे

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

रोका गया ताकि आप यहां पर उसकी खिलाफत कर सकें। यह अपने आप नहीं रुका है।

माननीय बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने उसकी जरूरत समझी है तभी वह इसके लेकर आये हैं। उसके बाद उन्होंने उसे वहां रोक दिया और कहा कि इसे थोड़ा रोक दो, पहले पोटो के खिलाफत कर लें, उसके बाद देखा जायेगा। आप लोगों से हमको इस बारे में बहुत ज्यादा निराशा नहीं है क्योंकि आपको हर चीज की खिलाफत करने की आदत है।

कभी-कभी हमको लगता है कि आप लोग अब सोच चुके हैं कि हम कभी सत्ता में नहीं आयेंगे। ...*(व्यवधान)* जब आदमी यह सोच लेता है कि सत्ता में नहीं आयेंगे तो गैर-जिम्मेराना काम करने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ...*(व्यवधान)* आपको मालूम है कि आप जहां भी सत्ता में हैं, वहां पर आप वही कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): हमको जिम्मेदारी सीखने का कोई स्कोप नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : मेरी राय है कि यहां पर सर्वसम्मत से पोटो का समर्थन करें और वहां भी पोको बनाइये। हमको कोई ऐतराज नहीं है। समाजवादी पार्टी इसकी बहुत खिलाफत कर रही है। ...*(व्यवधान)* हम दांये रहें तो दांये की बात करें, दक्षिण रहें तो दक्षिण की बात करें और अगर उत्तर में रहें तो उत्तर की बात करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं समझते। समाजवादी पार्टी क्यों इसका विरोध कर रही है? हमारी समझ में यही आ रहा है। यहां पर उनकी पार्टी का कोई मैम्बर नहीं है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता था कि वह क्या चीज है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं?

एक चीज हमारी समझ में आई, वे बार-बार यह कह रहे हैं कि यह कानून किसी वर्ष विशेष के खिलाफ है। यह जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे मेरे ख्याल में किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। उसके निर्माता कोई राजनीतिक दल नहीं हैं जो इसे फैला रहे हैं। आप लोग उसके शिकार हैं। किसी और ने इसे फैलाया है। वही टाडा जो 1985 में पास किया गया, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं रहा। वही टाडा जो बार-बार हर दो साल बाद बढ़ाया गया, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं रहा। लेकिन 1993 में जब बम विस्फोट हुआ और एक वर्ग विशेष के लोग पकड़े गये, वे शक्तिशाली थे और आज भी शक्तिशाली हैं। वे बाहर देश में रहकर भी यहां प्रभाव डाल रहे हैं। उन लोगों ने इसको राजनीतिक रंग दिया। उस समय उन लोगों ने कहा कि ये मुसलमान समुदाय के खिलाफ है। इसके साथ विपक्षी दल उसके शिकार हो गये। आप लोग इसके निर्माता नहीं हैं। इस भूल में आप मत रहिये कि यह आप लोगों का ख्याल है। यह ख्याल उन अराजक तत्वों का है जो इसे राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं। आप मुझे इस विधेयक में एक भी प्रोविजन ऐसा दिखा दें जो किसी वर्ग विशेष के खिलाफ हो तो उसे मैं यहां मानने के लिए तैयार हूं।

बहुत सी बातें कही गई हैं कि टाडा का गलत इस्तेमाल होता है और मैं यह मानता हूं कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह देखना शासन का काम है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बात को सोचते हुए इस विधेयक में खासतौर से आतंकवादी की परिभाषा दी गई है और वही श्री जयपाल जी की आलोचना का विषय हो गया। हमारे सामने पहली बार ऐसा कानून है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा की गई है जो एक व्यापक परिभाषा है। इसलिए कानून की गलत व्याख्या या दुरुपयोग किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर परिभाषा ठीक है, वह संकीर्ण है, एक जगह पर फोकस्ड है तो उस हालत में उसका गलत इस्तेमाल करने की बहुत कम उम्मीद रहती है। यह बात सही है कि टाडा में परिभाषा इतनी व्यापक थी कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस बार उस की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से उदृत किया गया है।

दूसरी बात यह बताई गई थी कि एक साल तक जमानत नहीं हो सकती। यह बात सही है और यदि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें पांच दिन बाद आदमी आराम से रह सके तो उसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि आतंकवाद का मतलब आतंकी, यानी वह आतंक कर सकता है, उसने किया है और छूटने का मतलब यह है कि उसका छूटना ही आतंक का एक कारण हो सकता है। जैसे ही वह छूटेगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर वह आतंकी है और उसे छोड़ दें तो वह स्वयं आतंक का कारण हो जाता है इसलिए सालभर जब तक उस पर व्यापक रूप से दोष सिद्ध न हो, तब तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।

गवाहों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। मैं कहूंगा कि इस विधेयक में कमजोरी है और मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कमजोरी को दूर करें। एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि कोई भी विदेशी अवैध तरीके से हमारे देश में आए अवैध हथियार लेकर आए, वह अपने आप में एक जुर्म मान जाना चाहिए। इसमें यह संशोधन होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में जितने हथियार और अवैध घुसपैठ हो रही है, जितनी छूट दी गई है, आतंकवाद की लड़ाई में, वह बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगी। मैं गृह मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि इस पर बहुत ध्यान दें। हमारे देश में कोई अवैध तरीके से अवैध हथियार लेकर आए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह कोई तीतर का शिका

करने नहीं आ रहा है, वह कोई सैर-सपाटा करने नहीं आ रहा है, वह एक खास मकसद से आ रहा है और वह मकसद आतंक फैलाना है। यदि किसी व्यक्ति के पास से, जो विदेशी है, केवल अवैध हथियार पकड़े जाएं, वह हमारे देश में हथियार लेकर आए, वह स्वयं इस कानून के अन्तर्गत आना चाहिए। इस विधेयक में यह संशोधन लाना बहुत जरूरी है।

बहुत से अन्य विरोधाभास हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, उससे यह नहीं समझता कि विपक्ष इस बात पर सहमत होगा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। लेकिन इसकी जरूरत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहां जो बात होती है, उससे बाहर एक संदेश जाता है। पहली बार जब हमारा विंटर सैशन शुरू हुआ तो यह संदेश गया कि विपक्ष पोटो के खिलाफ है।

यह संदेश अच्छा नहीं गया, इसलिए इस पर मंथन करने की जरूरत है। वैसे तो विपक्ष का रवैया पूरे तौर पर कंट्राडिक्ट्री है, रीजन के खिलाफ है। एक चीज जो आपको एक तरफ अच्छी लगती है, दूसरी तरफ खराब लगती है। जहां गुजरात में पूरी सरकार है, संख्या का कोई संकट नहीं है, वहां पर आप चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन हो और उत्तर प्रदेश में जहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, वहां पर आप उसके खिलाफ हैं। किसी एक चीज पर, मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपकी राय कोई कन्सिस्टेंट राय है या एक राय है। लेकिन इस बारे में इस विधेयक के बारे में एक खास अपील करने की जरूरत है और वह अपील यह है, कम से कम हमने अपने क्षेत्र में इस बात को महसूस किया है और सम्भवत: आप लोगों ने भी यह महसूस किया होगा कि जब यहां पर 13 दिसम्बर को फायरिंग हुई थी तो वह चोट सांसदों को लगी हो या न लगी हो, लेकिन हमारे समर्थकों को अपनी जगह पर बहुत जोर से चोट लगी और अभी तक कोई संदेश हम नहीं दे पाये हैं, जिससे कि यह लगे, उस दिन पूरी संसद एक राय की थी, तो आज क्यों आतंकवाद का विरोध है। आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कानून है, उसका समर्थन क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब इस संसद के लिए देना बहुत मुश्किल होगा।

मैं यह कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। यह केवल कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मुद्दा यह है, बिन्दु यह है कि हमारे पास आतंकवाद से लड़ने के लिए कितनी इच्छाशक्ति है। उस इच्छाशक्ति को क्या हम प्रकट कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम एक साथ चल सकते हैं? उसके लिए मैं यह कहूंगा कि यही संदेश हमको भेजना है कि यहीं इसको सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए, इसके साथ ही साथ राज्य सभा में भी सर्वसम्मति से पास हो, इसी आशा के साथ आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मेरी एक बहुत छोटी सी बात है और जो कुछ जनरल त्रिपाठी ने कहा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि रिकार्ड को सीधे सपाट ढंग से रख रहा हूं। मैं प्रक्रिया नियमों के नियम 357 का संदर्भ दे रहा हूं जिसमें कहा गया है:

> "कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जाएगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा।"

मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने कहा था कि परामर्शदात्री समिति की बैठक में मैंने यह कहा था जो कुछ पोटो में उपबंधित है वह पर्याप्त नहीं है। महोदय, यह वह वक्तव्य नहीं है जो मैंने दिया है। मैंने कहा था कि कानून से आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना अपेक्षित होता है, परन्तु साथ ही मैंने अपनी समझ के अनुसार पोटो की खामियों का भी जिक्र किया था।

मैंने दो बातों पर लंबा वक्तव्य दिया था। पहली बात जमानत संबंधी प्रावधान से जुड़ी थी और दूसरी अपराध स्वीकार करने के बारे में थी। मैंने परामर्शदात्री समिति की बैठक में बोलते हुए कहा था कि यदि किसी न्यायाधीश द्वारा किसी अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है अथवा नहीं दी जा सकती है यह बात तीन सिद्धांतों पर आधारित होती है – पहला सिद्धांत यह है कि उसके जमानत से बच निकलने की संभावना है, दूसरा यह है कि उसके कोई अपराध करने की संभावना है और तीसरा यह है कि उसके गवाह को प्रभावित करने की संभावना है। पुन:, यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि में पहले से मौजूद है और यदि हम इन प्रावधानों का उपयोग करते हैं, तो हमारे लिए पोटो में यह कहना आवश्यक नहीं होगा कि अभियुक्त को जमानत न दी जाये।

यदि ये प्रावधान हैं तो निश्चय ही न्यायालय जमानत से इंकार कर देगा और अभियुक्त का खुला घूमना अथवा जमानत से बच निकलना अथवा गवाहों को प्रभावित करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही बात मैंने कही थी।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

दूसरी बात अपराध स्वीकारने के बारे में थी। अपराध स्वीकारने के बारे में बोलते हुए मैंने कहा था कि पोटो में यह प्रावधान है कि पुलिस के सामने स्वीकारा गया अपराध स्वीकार्य होगा। मैंने कहा था कि यह दांडिक विधिशास्त्र के विरुद्ध है। फिर, पोटो में यह भी प्रावधान है कि पुलिस के सामने स्वीकारे गये अपराध के मामले को भी दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और दंडाधिकारी यह सत्यापित करेगा कि अपराध अपनी मर्जी से स्वीकार्य किया गया है। यदि इसे इसी तरह से करना है, तो फिर अभियुक्त को दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में क्या कठिनाई है, जिसकी अनुमति दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई है? यदि आप ऐसा करते हैं, तो वह उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा।

मैंने ये वक्तव्य दिए थे। मैंने अपनी समझ के अनुसार पोटो में खामियां पाईं थी और फिर मैंने वक्तव्य दिए थे। मैंने यह नहीं कहा था कि इससे कानून और सख्त होता है। मैंने सोचा था कि लोग यह न समझें कि मैं इन चीजों को ठीक करने के बजाय और कठोर पोटो की मांग कर रहा हूं। और तो और, महोदय, परामर्शदात्री समिति एवं स्थायी समिति में जो कुछ कहा जाता है, उसका सभा की चर्चा में भी हवाला नहीं दिया जाता है। यदि ऐसा किया जाता तो बेहतर होता। परन्तु, फिर भी, मैं बुरा नहीं मानता। मैं तो बस रिकार्ड को ठीक करना चाहता था।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : यह परामर्शदात्री समिति के रिकार्ड से नहीं लिया गया है बल्कि समाचारपत्र से लिया गया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : आप परामर्शदात्री समिति के रिकार्ड का संदर्भ नहीं दे सकते हैं और आप समाचारपत्र को उद्धृत भी नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : परन्तु हर सदस्य ने ऐसा ही किया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं इस पर नहीं अड़ रहा हूं। हम भविष्य में तो इसे ध्यान में रख सकते हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : परन्तु एक बात यह कि....खैर इसका मैं पुन: हवाला नहीं देना चाहता क्योंकि....परन्तु इससे लोगों को ऐसा लगने लगा था कि.....

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे आपके यह कहने पर कोई आपत्ति नहीं है कि *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : सभापति महोदय, हमारे देश के इतिहास में सर्वाधिक कठोर, दमनात्मक एवं अमानवीय इस कानून का मैं प्रबल विरोध करता हूं। लेकिन सरकार अच्छी नेक नीति के साथ यह विधेयक नहीं लायी है। सभी सरकारें जब भी कठोर कानून लाती हैं तो वे यही तर्क देती हैं। ये भी वही तर्क दुहरा रहे हैं और ऐसे कठोर कानून की आवश्यकता के लिए बहस कर रहे हैं।

महोदय, वे पिछले द्वार से यह विधेयक लाये हैं। यदि यह बिल्कुल आवश्यक ही था और यदि वे इसे नेकनीयती से लाते तो वे इस विधेयक को लाने से पूर्व सभी राजनीतिक दलों से विचार करते और वे संसद सत्र का इंतजार किए बिना पिछले दरवाजे से, अध्यादेश के माध्यम से इस कानून को नहीं लाते।

महोदय, मैं जानता हूं कि सरकार अपने रास्ते से भटक गई है। वह विधि आयोग की बात कर रहे हैं, परन्तु यह तो विधि आयोग की सिफारिशों से भी हटकर चली है। इसने विधि आयोग द्वारा सुझाए गए प्रावधानों से भी कहीं ज्यादा कठोर प्रावधान बनाए हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग ने जिसके सदस्य उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश एवं न्यायाधीश हैं, ने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किये हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि प्रश्न थे। पहला यह था कि क्या पोटो की आवश्यकता थी? और यदि ऐसे कानून की आवश्यकता थी, तो किस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी? उन्होंने कहा था कि मानवाधिकार आयोग का सर्वसम्मत मत यह था कि ऐसा अधिनियम नहीं होना चाहिए। इसका पूरी तरह विरोध किया गया था। और इसी कारण, दूसरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं उठता है।

महोदय, अब कई अन्य सदस्यों ने टाडा का प्रश्न उठाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि टाडा था और सभी लोगों के द्वारा टाडा के दुरुपयोग की भर्त्सना की गई थी।

अब एक और कठोर कानून प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? श्री आडवाणी टाडा के सबसे बड़े विरोधी थे और अब वे पोटो के कट्टर समर्थक हैं? श्री आडवाणी का कौन सा रूप सही है? क्या यह दोहरा मानदंड नहीं है? क्या यह राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है? क्या यह लोगों को धोखा देना नहीं है? यह क्या है, मुझे नहीं मालूम। यही प्रश्न है। टाडा के

संबंध में आपके सहयोगियों ने भी सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया। जिसमें कहा गया है:

> "सरकार को किसी भी शंका के निवारण हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए कि इसका प्रेस, राजनीतिक विरोधियों एवं किसी विशिष्ट समुदाय के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा सकता है।"

आपके सहयोगियों द्वारा यह संकल्प पारित किया गया था। अभी, वह उद्देश्य पूरा भी नहीं हुआ था कि यह विधेयक पुन: लिखा गया और उनके समक्ष रखा गया। इसमें टाडा के सभी कठोर प्रावधान हैं। तथापि, आपने साम्प्रदायिक कारक को प्रबुद्ध रूप से निकाल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने संघ परिवार को बचाना चाहते हैं, जो गुजरात में आग लगा रहे हैं, जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो देश में खून-खराबा कर रहे हैं। सभी साम्प्रदायिकतावादी समाजविरोधी हैं, सभी साम्प्रदायिकतावादी राष्ट्र विरोधी हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। साम्प्रदायिकता मानवता के विरुद्ध अपराध है। साम्प्रदायिकता एवं आतंकवाद में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही मानवता के प्रति अपराध हैं। टाडा में साम्प्रदायिकता और आतंकवाद, दोनों के लिए प्रावधान थे, परन्तु इस विधेयक में आपने 'साम्प्रदायिकता' को हटा कर केवल 'आतंकवाद' को रखा है। यह अवसरवादिता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एजैंडा है। उन्होंने साम्प्रदायिक ताकतों और आर.एस.एस., विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को बचाने के लिए इन दोनों को अलग कर केवल एक को रखा है। इस विधेयक में एक यही धोखा है।

दूसरे, पोटो के बावजूद, संसद पर हमला हुआ, गुजरात में दंगे हुए और कई अन्य अपराध हुए। अतएव, जैसे टाडा असफल रहा, वैसे पोटो भी असफल होगा। ऐसे कठोर कानूनों की यही नियति है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कोई कठोर कानून आतंकवाद के लिए रामबाण नहीं है। आतंकवाद को रोकने के लिए आपको सच्ची नेकनीयति की जरूरत है। बेहतर प्रशासन की जरूरत है, पुलिस को उचित प्रशिक्षण देने की जरूरत है और समुचित आसूचना प्रणाली की आवश्यकता है। आपको यह सब चीजें चाहिए। इस मायने में आप बिल्कुल विफल रहे हैं। आप सत्ता में आए, और सरकारी सेवकों की चाकरी में लग गए हैं। आप सब कुछ भूल गये हैं और जो भी पुलिस अधिकारी हाथ जोड़कर कहते हैं आप केवल वही कते हैं। वे सब अधिकारी काम नहीं करना चाहते। बेहतर जांच-विधियां अपनाना ही नहीं चाहते। किसी को काम करना नहीं आता। वे सटीक जांच-विधियां नहीं अपनाते, ठीक-ठीक आरोप-पत्र नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि वे सब भ्रष्ट और अकुशल लोग हैं। वे मंत्री को आश्वस्त कर देते हैं कि ऐसा कानून जरूरी है और उसे राजी कर लेते हैं - कारण, वे काम नहीं करना चाहते और ऐसे कानून बना लेते हैं। यह स्थिति हो गई है। यह कानून की विफलता नहीं, बल्कि प्रशासन की विफलता है।

मेरा कहना यह है कि सभी क्रूर कानून अंतत: राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगते हैं, और हम, वामपंथी दल—सदैव ऐसे कठोर कानूनों का शिकार करते हैं। कोरे आश्वासन देने भर से समस्या का हल नहीं होता। पहले भी, सारे मंत्री आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। ऐसे कानूनों का विरोधियों - विशेषकर राजनैतिक विरोधी, के खिलाफ दुरुपयोग किया गया और वामपंथी दल सदैव इनका शिकार बने हैं। हम अवसरवादी नहीं हैं। हमने 'टाडा' का विरोध किया था, हम 'पोटो' का विरोध कर रहे हैं और ऐसे किसी भी अमानवीय, नागरिक-विरोधी अधिनियम के विरुद्ध हम रहेंगे। हम पूरे दम-खम से उसका विरोध करेंगे, और मैं यहां 'पोटो' का विरोध करने के लिए ही खड़ा हुआ हूं।

सरकार ने कहा कि स्थिति चूंकि आत्यंतिक है, इसलिए उपाय भी आत्यंतिक ही होना चाहिए। हमारे माननीय गृह मंत्री ने यह तर्क सामने रखा है लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। सरकार देश के प्रति कर्त्तव्य का हवाला देकर यह कानून बनाना चाह रही है। सभी सरकारें ऐसा ही कहती हैं कि वे अमुक कानून इसीलिए बना रही हैं क्योंकि यह राष्ट्र के प्रति उनका कर्त्तव्य है!

महोदय, इस देश में ऐसा प्रचलन सा हो गया है कि केंद्र को सदैव राष्ट्र के लिए अहितकारी कार्यवाही करने का दोषी ठहराया जाये। हम इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं, और हम मानते हैं कि यह प्रमाणित विफलता है। पूर्व के ऐसे प्रत्येक कानून को दुरुपयोग की भावना से लाया गया और वाकई हमेशा ऐसा ही हुआ। इस विधेयक का भी दुरुपयोग होगा ही होगा - तथा ऐसा पुलिस और उन नौकरशाहों द्वारा किया जायेगा जिनकी निष्ठा और स्वतंत्र कार्यकारिता के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं है, विशेषकर इस सरकार के शासनकाल में। सेना, पुलिस और नौकरशाहों के लिए अपने राजनीतिक आकाओं की हां में हां मिलाना ही शेष रह गया है। न केवल वे अपने आकाओं की सोच की ताईद करते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का भी समर्थन करते हैं। फिर हम कैसे मान लें कि ये लोग निष्पक्षता से कार्य करेंगे? हम यह नहीं मानते और इसीलिए, हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

महोदय, मेरी अगली बात मानवाधिकारों के विषय में हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि इस देश में और भी कई कानून हैं। माननीय विधि

[श्री हन्नान मोल्लाह]

मंत्री स्मरण रखें कि हमारे देश में अनेक कानून हैं! हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है। आपको करना यह है कि उन्हीं कानूनों को मजबूत बनाएं। लेकिन, वर्तमान कानूनों को मजबूत बनाने की बजाय, सरकार एक और नया कानून लाने का प्रस्ताव कर रही है। हम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153(ख) में देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए उत्पन्न किसी भी खतरे से निपटने का प्रावधान है। हमारे पास भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय छह है, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का निस्तारण करने की बात है। आपराधिक तत्वों के षडयंत्रों के लिए धारा 121(क) है और उसमें इस हेतु आजीवन कारावास का प्रावधान है। भारत सरकार के खिलाफ कोई आपराधिक कृत्य करने के इससे हथियार और अस्त्र-शस्त्र जमा करने पर धारा 122 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। राजद्रोह के कृत्य के लिए धारा 124(क) है। जनापराधों के लिए अध्याय-8 में व्यवस्था है। दो समूहों या समुदायों की बीच शत्रुता फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 153 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है।

महोदय, इसी प्रकार, हमारे यहां अधिनियम भी बहुत से हैं। हमारे पास आयुध अधिनियम, 1959; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम हैं। इन अधिनियमों में सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, बशर्ते सरकार इन कानूनों को लागू करने में ईमानदारी और कटिबद्धता का परिचय दे। हमारे पास विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, नागर विमानन सुरक्षा विषयक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है; और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम भी हैं। ऐसे अन्य कानूनों की एक सूची मैं आपको दे सकता हूं। यदि इन कानूनों को ही उपयुक्त रूप से संशोधित करके प्रयोग किया जाये, तो फिर आपको इन कानूनों की कॉकटेल करके एक नया कानून बनाने की आवश्यकता न होगी। संभवत: सरकार शाम को "काकटेल" ही पसंद करती है।

महोदय, सरकार की विफलता हमारी आपराधिक न्यायप्रणाली की विफलता के कारण है। हमारी आपराधिक न्याय-प्रणाली पुरानी, अक्षम और भ्रष्ट है। सरकार को चाहिए कि प्रयत्न करे और इसमें सुधार करे। जांच-तंत्र बहुत कमजोर है और इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप भी काफी होता है। यदि ईमानदार राजनेता प्रशासन चलाएं तो वे प्रणाली को बदलने का प्रयास करेंगे। जो पहले से ही और उपलब्ध है उसका सर्वोत्तम उपयोग करेंगे।

महोदय, अब मैं देश में न्यायालयों की कमी के प्रश्न पर आता हूं। हमारे पास समुचित आधारभूत संरचना नहीं है। सरकार अभियोगाधीन मामलों को तेजी से निपटाने के प्रति चिंतित नहीं है। वह तो केवल कानून बनाना चाहती है। बिना नया कानून बनाये वह काम ही नहीं कर सकती। समुचित आधारभूत संरचना के प्रश्न की उसके लिए कोई कीमत नहीं है।

महोदय, सरकार इस विधेयक में पर्याप्त सुरक्षोपाय करने के बारे में कह रही है। वे सुरक्षोपाय क्या हैं? वे केवल गुमराह करने वाले और भ्रामक हैं सरकार समीक्षा करने के बारे में कह रही है। ऐसे नौकरशाहों और चंद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक समीक्षा की गई, जिनकी स्वतंत्र रूप से, कर्त्तव्य भाव से काम करने के सद्गुणों की गई, जिनकी स्वतंत्र रूप से, कर्त्तव्य भाव से काम करने के सद्गुणों के लिए कभी कोई ख्याति नहीं रही; और विशेषकर, वर्तमान सरकार के अधीन तो वे राजनैतिक इशारे पर ही काम करने लग गए हैं। तो, उनसे तो यह काम नहीं होगा।

महोदय, फिर सरकार जमानत के प्रावधान के बारे में कहती रही है। जमानत का निर्णय केवल इस आधार पर ही नहीं होगा कि आरोपी को प्रथम-दृष्टया दोषी नहीं पाया गया है। क्या मतलब है इसका? यह प्रमाण की सामान्य परिपाटी के ही प्रतिकूल बात हो जायेगी। तीसरे, व्यापक तौर पर माना जा रहा है कि इस नये कानून से निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न तथा यातना देने की घटनाएं बढ़ेंगी जबकि सरकार का आश्वासन है कि ऐसा नहीं होगा। आखिर में यही कहना है कि जिस प्रकार पूर्व में ऐसे काले कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, उसी प्रकार इस कानून का भी दुरुपयोग होना तय है।

सरकार इस विधेयक के कतिपय प्रावधानों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकती। उसने इस विधेयक में ऐसी शक्ति का प्रावधान ही नहीं किया है। यहां तक कि विधेयक से कहीं भी नहीं लगता कि विधेयक का दुरुपयोग नहीं होगा।

माननीय विधि मंत्री अमरीका के संगत कानूनों की बात कर रहे हैं। क्या हम इस विधेयक की अमरीका के संगत कानून से तुलना कर सकते हैं? उस कानून में भी कई काले, क्रूर प्रावधान हैं। हमारी सरकार ने मानो यह परम्परा ही बना ली है कि वह बुश के नये अवतार का ही अनुसरण करेगी। बुश ने तो बड़ी धृष्टता से कह दिया-"या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आतंकवादियों के साथ"। यह सरकार भी वैसा ही कह रही है। यह भी कह रही है कि- "या तो पोटो का समर्थन करो, नहीं तो समझा जायेगा कि तुम आतंकवादियों के साथ हो।" इससे धिक्कार योग्य कथन और कोई नहीं हो सकता। हम साम्राज्यवादियों का समर्थन नहीं कर सकते; हम आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर सकते; और न ही हम वैयक्तिक अधिकारों को कुचलने

की मंशा से किये जा रहे इन दबाव भरे प्रयासों का समर्थन करेंगे।

अमरीका का यह कानून बना कैसे? घटना के बाद, उन्होंने इसे बनाने में छह हफ्ते का समय लिया। सभी प्रमुख दल साथ बैठे, प्रारूप तैयार किया और उसे पारित किया। उनके द्वारा निर्मित कानून और 'पोटो' में कोई तुलना नहीं हो सकती। क्या मंत्रीजी कृपया सभा को यह बताने का कष्ट करेंगे कि अमरीकी कानून अपने ही देश के नागरिकों के साथ क्रूरता से निपटने के लिए है? क्या वह कृपया सभा को बतायेंगे कि क्या अमरीकी कानून यह कहता है कि उसके अपने देश के नागरिक, बिना साधारणतम विधिक उपायों की राहत पाए, कारावास में ठूँस दिये जायेंगे? क्या मंत्री जी सभा को यह बतायेंगे कि क्या अमरीकी कानून के तहत, साधारण विधिक प्रक्रियाओं की राहत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है? अमरीकियों ने निगरानी, धनशोधन, घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की आसूचना में सुधार करने इत्यादि से संबद्ध अपने वर्तमान कानूनों को मजबूत करने के लिए वह कानून बनाया है। अमरीकी कानून की धारा 11 में ...*(व्यवधान)* मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। उस कानून में भी कई क्रूर प्रावधान हैं। बस, मैंने तो इसीलिए बताया कि मंत्री जी जो यह कह रहे थे कि– ''चूंकि उन्होंने किया है; तो हमने भी किया।'' लेकिन, वहां भी, विदेशी नागरिकों के अनिश्चित कारावास से सम्बन्धित प्रावधान का विरोध किया गया। वहां की सभा और सीनेट ने साथ-साथ बैठक की और आखिर, हिरासत की अवधि को कम करके सात दिनों का कर दिया। यह सरकार तो एक वर्ष की अवधि की बात कर रही है। श्री प्रकाण मणि त्रिपाठी ने एक वर्ष के कारावास के प्रावधान को रखने की वकालत की।

'टाडा' बनाम 'पोटो' – का भी प्रश्न उठाया जा रहा है। 'टाडा' के तहत, प्रत्येक दो वर्ष बाद समीक्षा की अनुमति थी। लेकिन, 'पोटो' के तहत समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने बड़ी चतुराई से कह दिया है कि 'जब आवश्यक होगा' – एक समीक्षा-समिति बना दी जायेगी। लेकिन यह कौन निर्धारित करेगा कि आवश्यकता कब है कब नहीं है? समीक्षा-समिति का होना अनिवार्य क्यों न बना दिया जाए? ऐसे ही प्रावधानों से सरकार के इरादे बिलकुल स्पष्ट हो जाते हैं।

यह विधेयक किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। यह सारे देश में लागू होगा। 'टाडा' को पहले पंजाब में लागू किया गया था और फिर अन्य राज्यों में इसे विस्तारित कर दिया गया था। यह विधेयक पूरे देश में लागू होगा। यह हत्या, डकैती आदि के उन मामलों पर भी लागू किया जायेगा, जो सामान्यतया भारतीय दण्ड संहिता के तहत आते हैं। सरकार उन मामलों को भी इसके तहत क्यों ला रही है, जिनका निपटारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया के तहत होता है? इसका प्रयोजन क्या है?

इस विधेयक से प्रैस की स्वतंत्रता को खतरा है। यद्यपि सरकार ने प्रावधान में परिवर्तन अवश्य कर दिया है, तो भी इस विधेयक से प्रैस की स्वतंत्रता खतरे में रहेगी। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत, किसी भी संगठन को, बिना किसी साक्ष्य के, केवल राजपत्र में उसका नाम भर प्रकाशित करते आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। क्या है यह सब? सरकार ने 23 संगठनों को आतंकवादी संगठन करार दिया है, लेकिन यह 'बजरंग दल' और 'विश्व हिंदू परिषद' के मामले में ऐसा नहीं करेगी। ये संगठन भी अन्य आतंकवादी संगठनों की भांति ही राष्ट्र विरोधी हैं – ये भी बराबर देश के दुश्मन हैं!

कभी-कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुशर्रफ में भी अपने देश में इस्लामी कट्टरपंथियों से मुकाबला करने का दमखम है, हालांकि वह हमारे देश के लिए उग्रवादी, कट्टरपंथी और दुश्मन ही हैं। उसमें अपने देश में इस्लामी कट्टरपंथियों के विरुद्ध बल प्रयोग का माद्दा है। लेकिन, हमारे देश में तो सरकार ने हिंदू कट्टरपंथियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है! सरकार के पास इतना भी साहस नहीं है! देश की स्थिति यह हो गई है।

फिर, विशेष न्यायालयों की बात आती है। जैसा कि श्री जयपाल रेड्डी ने पहले ही कहा है, ''भेदभाव की नीति'' यहां भी अपनाई जायेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा – कोई भी सोच सकता है। उसमें यह सोचने की भी गुंजाइश नहीं है कि कोई निर्दोष हो भी सकता है?

अपराह्न 5.00 बजे

वकील की अनुपस्थिति के संबंध में भी एक खंड है। यह कहता है कि मुकदमे की सुनवाई अभियुक्त या उसके वकील की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है। आप मामले को बिना उसके प्रतिनिधि के कैसे समझ सकते हैं। यदि इसे अभी पारित कर दिया जाता है तो कम से कम संसद द्वारा इस विधेयक की समीक्षा हर वर्ष होनी चाहिए न कि अप्रत्यक्ष रूप से जिसका प्रस्ताव अभी किया गया था।

तत्पश्चात्, इसके दुरुपयोग का प्रश्न है। मैंने इसके बारे में पहले ही कहा था कि डी.आई.आर., नासा, मीसा, इत्यादि का दुरुपयोग हुआ था। हम लोग सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं। चाहे जो भी सत्ता रही हो, वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं को सरकार द्वारा हमेशा सलाखों के पीछे रखा गया। 'टाडा' का भी दुरुपयोग हुआ था और मात्र एक प्रतिशत आरोपियों को ही दंडित किया

[श्री हन्नान मोल्लाह]

गया। वही चीजें यहां भी होंगी। इसे लोगों के खास तबके के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा और प्रतिपक्ष, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी और अंतत: लोग इसके शिकार होंगे। अत: लोकतांत्रिक आंदोलनों को कौन संगठित करेगा। इसका प्रयोग लोकतांत्रिक आंदोलनों के विरुद्ध होगा और इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

उसके बाद दूसरा प्रश्न विषय-वस्तु को लेकर है। मैं पोटो की विषयवस्तु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इसकी परिभाषा के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या यह एक परिभाषा है? यह महान परिभाषा है। इसकी परिभाषा रूश्दी के उपन्यास जैसी है, यह बहुत विशाल है और इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने सभी खंडों में ऐसा प्रावधान किया है जिसके द्वारा वे हर किसी को कुचल सकते हैं। मैंने पहले कभी ऐसी परिभाषा नहीं देखी। यह बहुत ही विशाल है। इसमें सब कुछ शामिल किया गया है।

मैं 'अपराध' संबंधी प्रावधानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यहां अपराध की क्या परिभाषा है? अपराध किसी व्यक्ति द्वारा वास्तव में किये गए कृत्य पर आधारित नहीं होगा बल्कि यह उस कृत्य के पीछे छिपी मंशा पर आधारित होगा जिसकी व्याख्या कानून लागू करने वालों द्वारा की जाएगी। मंशा का फैसला कौन करेगा? मंशा ही निर्णायक कारक होगी न कि वास्तविक कार्रवाई। मंशा क्या थी - इसका निर्णय कौन करेगा?

[हिन्दी]

उसके पीछे क्या मंशा है, कौन जांच करेंगे - आफिसर्स, पुलिस। क्या ये लोग सही जांच करेंगे?

[अनुवाद]

यह सरकार के हाथ में एक खतरनाक हथियार है और इसे प्रतिपक्ष के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए धारा 3(1)(क)(ख) और उत्तरवर्ती धाराओं की जांच की जाए। आपको एक उचित और सुस्पष्ट परिभाषा रखनी चाहिए ताकि इन तमान आशंकाओं को दूर किया जा सके। यह कानून है समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

धारा 3(5) आपराधिक विधिशास्त्र के सभी मानदंडों के विरुद्ध है। मैं सरकार से इस धारा पर भी पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा जिसमें प्रावधान है कि एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता मात्र से ही आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है।

धारा 3(3) में उन्होंने अधिवक्ता (एडवोकेट), ठकसाना (अबेट), परामर्श (एडवाइज) इत्यादि जैसे अत्यंत असंगत शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार के शब्दों का किसी भी कानून में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। सर्वाधिक निन्दनीय प्रावधान है कि किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाना जिस पर मात्र सन्देह भर हो कि उसके पास कोई जानकारी है। जिसकी परिणति आतंकवादी कार्यवाही के आरोपी के रूप में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी में हो सकती है। इसका धारा 14(1) और धारा 14(2) में उल्लेख किया गया है। पोटो के अनुसार सरकारी राजपत्र में किसी संगठन का मात्र नाम भर प्रकाशित करके उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। लोगों को सभी विधिक उपायों से वंचित कर देने पर और बदतर हो जाती है। प्रतिबंध लगाने की निरंकुशता यह धारा 18 और 19 में उल्लिखित है।

धारा 32(1) में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों के समाने किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य माना जायेगा जबकि सामान्य प्रक्रिया में न्यायालय में अथवा किसी न्यायिक दंडाधिकारी के सामने दिया गया इकबालिया बयान ही स्वीकार्य होता है। इससे हिरासत में दुव्यर्वहार और उत्पीड़न ही होगा। ऐसा होना ही है और पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री मेथड का प्रयोग किया जाएगा।

अध्याय-5 में टेलीफोन और अन्य जानकारी के टेप किये जाने का प्रावधान है इससे अंततोगत्वा न्यायालयों द्वारा वैध ठहराए गए गोपनीयता संबंधी अधिकारों का उल्लंघन ही होगा।

इस पर भी अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

जमानत और रिमाण्ड के प्रावधान भी बहुत सख्ती से प्रतिबंधित हैं और यदि किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बिना किसी आरोप के जेल में रखा जा सकता है। यह एहतियाती कैद से कम कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अभियुक्त अथवा उसके वकील की अनुपस्थिति में संक्षिप्त विचारण और विचारण का प्रावधान है। यह धारा 29, उप-धारा (5) के अनुसार है। मैं कहूंगा कि ऐसा निहित स्वार्थ से किया गया है। कोई आवश्यक नहीं है कि साक्ष्य का प्रकट किया जाए। पुलिस ने स्वयं को सही साबित करने हेतु अपने साक्ष्य की व्यवस्था की है। वे स्वतंत्र और उपयुक्त रूप से व्यवहार नहीं करते हैं। यह दुरुपयोग होने के लिए बाध्य है क्योंकि इस धारा के उल्लंघन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

जबकि यह कानून प्रथमत: अपराध को परिभाषित करता है और मुख्यत: इरादे को और चूंकि इरादे का निर्णय और अभियोजन भ्रष्ट तथा कानून लागू करने वाली अनुपयुक्त मशीनरी द्वारा किया

[श्री अरुण जेटली]

आतंकवाद रोधी गतिविधियों के कारण गत पंद्रह वर्षों में बजट में 26 गुणा वृद्धि हुई है। हमारे पास उन विस्फोटकों का कोई रिकार्ड नहीं है जिन्हें देश के विभिन्न भागों में प्रयोग किया गया। हमारे पास अपराध का रिकार्ड है। परन्तु हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 48,000 किलो विस्फोटक जब्त किए गए हैं। यदि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस 48,000 किलो विस्फोटकों को जब्त करने में पर्याप्त सतर्क नहीं होती तो संभवत: यह भारतीय भूमि के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करने में सक्षम थे।

माननीय सदस्य ने अभी पूछा है कि कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। जो क्षेत्र प्रभावित हैं उनमें केवल कश्मीर ही नहीं है; पंजाब प्रभावित रहा है; कश्मीर भी सीमापार से उग्रवाद के कारण प्रभावित रहा है। इसने मुम्बई, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों को भी प्रभावित किया है। पूर्वोत्तर भी उग्रवाद के कारण प्रभावित हुआ है। इससे निकास और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। माओवादी आतंकवादी समूह है; पीपुल्स वार ग्रुप और अन्य समूह हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सहित नेपाल सीमा तक एक बड़ा भाग इससे प्रभावित है। ऐसा उग्रवाद और आतंकवाद था जिससे तमिलनाडु भी प्रभावित रहा। हमने इस प्रकार के आतंकवाद में अपने दो पूर्व प्रधान मंत्री खोए हैं। यहां विभिन्न रूपों में आतंकवाद है। आपको आर्थिक रूप से इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके सामने इस देश के नागरिक हैं और हमारे सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं।

इस सबका क्या प्रभाव है? आतंकवाद प्रत्येक राजनैतिक प्रणाली को कमजोर करता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है क्योंकि तब लोग कहते हैं कि हमें आतंकवाद के विरुद्ध कड़े उपाय करने चाहिए। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास कमजोर करता है। यह आर्थिक प्रगति को रोकता है। आंध्र प्रदेश में जब पीपुल्स वार ग्रुप ने व्यापारिक स्थापनों पर हमले शुरू किये थे तो हम सभी चिंतित थे क्योंकि यह वह राज्य था जहां इतनी भारी आर्थिक प्रगति हो रही थी और इसका उद्देश्य किसी प्रकार इसे रोकने की कोशिश करना था।

निवेशक उन क्षेत्रों में निवेश नहीं करते जहां जेहादी लोग बंदूकें लेकर घूमते हैं। अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। केवल इतना ही नहीं है। जब आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उपाय किए जाते हैं तो कभी-कभी इन उपायों से लोगों के एक वर्ग में अलगाववाद पनपने लगता है।

अत: हमारी सम्प्रभुता, एकता और एकजुटता तथा हमारी राष्ट्रीयता की भावना के संबंध में आतंकवाद इनमें से प्रत्येक पर चोट करता है। यह आतंकवाद की समस्या की गंभीरता है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या समाप्त हो गई है। मैं केवल तीन या पांच वाक्य पढ़ूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अंतरराष्ट्रीय तथा सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और किस प्रकार उनकी बुरी नजर हमें निशाना बना रही है। क्या मैं अमदोर कैम्प में 5 फरवरी, 2000 को राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाषण से उद्धृत कर सकता हूं:

> ''जेहाद आतंकवाद नहीं है। मुजाहिदीन संगठन आतंकवादी संगठन नहीं हैं। अफगान युद्ध के दौरान जेहाद को पुनरुजीवित किया गया और अब कश्मीर में जेहाद है। जो मुस्लिम विश्व के विभिन्न भागों से समर्थन करते आ रहे हैं वे पीड़ित भाई और बहन हैं।''

उन्हें कहना पड़ा था:

> ''भारत के खिलाफ जेहाद करना मुस्लिम दुनिया का फर्ज है। कश्मीर मामले को जेहाद के अलावा और किसी अन्य माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता।''

ऐसा 27 अगस्त, 2000 को ओसामा बिन लादेन द्वारा कहा गया था। मसूद अंजहर, जिसको उस अपहरण की वजह से छोड़ा गया था, का कहना है:

> ''हमारा उद्देश्य कश्मीर नहीं है। हमें नई दिल्ली पर कब्जा करना है।''

जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ऐसा कहते हैं। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। भारत में काफी संगठन हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा उल्लेख किया गया था और मैं केवल अपनी ओर से उद्धृत नहीं कर रहा हूं। ये सिमी जैसे संगठनों के प्रकाशन हैं। यह जुलाई, 2000 का प्रकाशन है:

> ''लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षवाद और राष्ट्रीयता की विचारधाराओं ने पूर्व के भक्ति के उद्देश्यों का स्थान ले लिया है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि इन विचारधाराओं को समाप्त करें और खलीफावाद की स्थापना करें फलां-फलां द्वारा आदेश दिए गए थे।''

यही संकट है जिससे हम लड़ना चाह रहे हैं। जब हम आज कानून बनाने के संबंध में सोच रहे हैं तो विधि-निर्माण में इस समस्या का समाधान होना चाहिए। एक बहुत सरल तर्क दिया गया था। श्री हन्नान मोल्लाह ने अभी-अभी कहा है कि हमारे पास पर्याप्त कानून हैं और विद्यमान कानून हैं। जब आपने कहा कि हमारी आपराधिक कानून व्यवस्था चरमरा गई है तो इस सच्चाई

को स्वीकार करना दुखद है। परन्तु क्या आपको जानकारी है कि तथाकथित साधारण कानूनों, जिनकी आपने अभी बात की है, को अंतर्गत दोषसिद्धि की दर क्या है? कभी-कभी हम आंकड़ों को छिपाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि धारा में दोषसिद्धि की दर 40 प्रतिशत है। परन्तु यह 40 प्रतिशत वस्तुत: छद्मावरण है। क्योंकि जब भी कोई चालान होता है और कोई 100 रुपए दंड के रूप में देता है तो इसे दोषसिद्धि कहा जाता है। हर बार कोई दोषी महसूस करता है और कम्पनी कानून के अंतर्गत कुछ दंड देता है तो हम इसे दोषसिद्धि मानते हैं और कहते हैं कि दोषसिद्धि की दर 40 प्रतिशत है। जघन्य अपराध यथा हत्या और उससे ऊपर में तथाकथित सामान्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर घटकर 6.5 प्रतिशत तक आ गई है। अत: जब हम कोई अपराध करते हैं *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): क्या कारण है?

श्री अरुण जेटली : कई कारण हैं। यदि आप चाहते हैं तो हम उन कई कारणों पर स्वतंत्र चर्चा कर सकते हैं। एक कारण है कि जब आप इन दुर्दान्त अपराधियों से निपटते हैं तो वास्तव में आपराधिक कानून के हमारे कुछ पुरानी धारणाओं को बदलना होगा। यदि माननीय सभा सहमत हो तो हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। यह एक दुखद वास्तविकता है कि भारत में अपराध कम जोखिम का काम हो गया है। यह एक बड़ा निजी कारोबार है जिसमें 93 प्रतिशत संभावना है कि आप कोई खूंखार अपराध करें और इससे बच निकलें। परन्तु जब कानून कठोर बनते है, जब संगठित अपराध के खिलाफ इस कानून की प्रतिमूर्ति को महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है तो 'मकोका' के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर क्या है? मुझे इस बात की जानकारी है कि अंतिम रूप से दर निर्धारित करने के लिए इसका काफी लम्बी अवधि तक परीक्षण करना पड़ेगा। परन्तु गत लगभग ढाई वर्षों में महाराष्ट्र के कानून, जो कि वैसा ही है, के अंतर्गत अब तक दोषसिद्धि की दर क्या है? यह 75 प्रतिशत से ऊपर है। मैं उन कारणों पर प्रकाश डालूंगा कि मकोका के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर 75 प्रतिशत से अधिक क्यों है? संभवत: उससे उस प्रश्न का समाधान हो जाए जिसे माननीय सदस्य ने उठाया था। कई मुद्दे उठाये गए हैं। जहां तक इस कानून का संबंध है मैं श्री जयपाल रेड्डी और श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा उठाये गए दो प्रमुख मुद्दों पर आता हूं। एक आलोचना जो कि गई है वह यह है कि इस कानून की एक परिभाषा अवश्य होनी चाहिए और यह कि परिभाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए। यह कहना बहुत आसान है कि परिभाषा को सुस्पष्ट बनायें। मैं किसी माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि कृपया परिभाषा को पढ़ें और पुन: पढ़ें तथा कृपया मुझे बतायें कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसे शामिल नहीं किया गया है और कौन-सी गैर-आतंकवादी गतिविधि है जिसे शामिल किया जा सकता है। यदि आप सुस्पष्ट हैं और यदि नारेबाजी न करें तो हम दोष सुधार के लिए तैयार हैं। केवल दो सुस्पष्ट सुझाव थे जो परिभाषा के बारे में श्री जयपाल रेड्डी ने दिए। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि कानून की इस प्रकार से व्याख्या स्वीकार नहीं की जा सकती। एक सुझाव जो उन्होंने दिया वह था कि उनकी व्याख्या के अनुसार मजदूर संघों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं क्योंकि जो कोई भी आवश्यक आपूर्ति में बाधा पहुंचाता है उसे पोटो अथवा पोटा के अंतर्गत लाया जाएगा। मैं यह दर्शाने के लिए कि कैसे परिभाषा को गलत ढंग से दिखाया जाता है परिभाषा पढ़ने के लिए केवल दो मिनट लूंगा। इसमें कहा गया है:

> "जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा तथा संप्रभुता को हानि पहुंचाने के इरादे से अथवा लोगों के दिमाग में आतंक फैलाता है ....."

हम इससे सहमत अथवा असहमत हो सकते हैं। परन्तु कम से कम हमारे मजदूर संघों के नेता राष्ट्रवादी नेता हैं। किसी ने भी कभी यह सुझाव नहीं दिया कि जब हमारे मजदूर संघ नेता हड़ताल करते हैं तो वे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा तथा संप्रभुता को हानि पहुंचा रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : इतिहास क्या है? देखिए कितने नेताओं को विभिन्न कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मोल्लाह, कृपया बाधा न पहुंचाएं।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं इनके दबाव में नहीं आऊंगा। इसलिए, पहली पूर्व-शर्त तथा परिभाषा यह है कि आप भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालें। मजदूर संघ आंदोलन ऐसा नहीं करता। स्पष्टत: इन्हें शामिल नहीं किया गया है *...(व्यवधान)* कि आपको अपने दाईं ओर देखना चाहिए और अपने मित्रों से पूछना चाहिए कि उन्हें किसने जेल में बंद किया। हमने नहीं किया।

दूसरी शर्त है, "".....अथवा लोगों या लोगों के किसी वर्ष में आतंक फैलाने के लिए, डायनामाइट, विस्फोटक अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करके कोई कार्य करता हैं।" इसलिए भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी पूर्व-शर्त के लिए आपको बम्म का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कार्य पी.डब्ल्यू.जी. कर रही है, आपको विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, आपको आग्नेय अस्त्र प्रयोग करने चाहिए

[श्री अरुण जेटली]

तथा आपको डायनामाइट का प्रयोग करना चाहिए। इन दो शर्तों का उपयोग करते हुए यदि आप निम्नलिखित कार्य करते है, तो आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से एक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करता है। जैसे आप विद्युत संयंत्र पर बम विस्फोट करते हैं और आप शहर की समस्त जलापूर्ति को बाधित करते हैं। कोई भी आतंकवादी समूह जो एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के लिए बमों का प्रयोग करता है और फिर आपूर्ति को बाधित करता है, उसे 'पोटो' के अन्तर्गत रखा जाएगा। साधारणतया हड़ताल पर जाने वाले को पोटो के अन्तर्गत नहीं रखा जाएगा। ऐसा करना परिभाषा की गलत व्याख्या है। मैं श्री जयपाल रेड्डी जैसे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य से परिभाषा के वाचन को ठीक करने का अनुरोध करता हूं। दूसरा कारण समूचे तर्क को साम्प्रदायिक रंग प्रदान करने के कारण था - जिस तर्क के अन्तर्गत टाडा आतंकवाद की परिभाषा दी गयी थी। परिभाषा बदले जाने के उचित कारण थे। जबकि परिभाषा बदले जाने का गलत कारण था। आप ये सब कार्य करें और इन कार्यों का परिणाम इन दोनों में से एक होगा - या तो इससे जनता के मन में आतंक अथवा भय उत्पन्न होगा या फिर समुदायों के बीच मनमुटाव उत्पन्न होगा। इसलिए यदि पीपुल्स वार ग्रुप व्यापार प्रतिष्ठान पर बम विस्फोट करता है और यह कहता है कि समुदायों में कोई मन-मुटाव नहीं है, टाडा के प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी अन्वेषकों ने कहा था कि इसमें बड़ी खामियां हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कई निर्णय दिए हैं। इस संबंध में सबसे खेदजनक निर्णय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समझौते के कारण लिट्टे को कुछ आपत्तियां थीं। वे बदला लेना चाहते थे और उन्होंने उन्हें मार डाला। इस प्रकार, समुदायों के मनमुटाव की बात कहां है?

अतएव, श्री राजीव गांधी की हत्या पर भी टाडा नहीं लगाया गया था। इन दो पूर्व-शर्तों ने परिभाषा को बहुत ही सीमित कर दिया। इससे अनुचित पूर्व-शर्तों को जोड़ा गया। वास्तव में, जब हमने इसमें परिवर्तन किया तो वास्तव में मैंने यह सूचना सभा में दी - एस.आई.टी. में अपराधों की जांच करने वाले वरिष्ठतम अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था: "शुक्र है, आपने इस परिभाषा को परिवर्तित किया क्योंकि इस परिभाषा के अन्तर्गत, किसी को भी टाडा के अन्तर्गत लाना असंभव नहीं तो कठिन जरूर था।" आज, साम्प्रदायिक मनमुटाव उत्पन्न करने के लिए, यदि कोई बमों का उपयोग कर रहा है, यदि वह बमों का उपयोग कर भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता को खतरे में डाल रहा है, तो वह स्वत: ही इसके घेरे में आ जाता है। प्रतिबंधात्मक परिभाषा को हटाना पड़ा क्योंकि प्रतिबंधात्मक परिभाषा के कारण, टाडा के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले में भी अभियुक्त को हिरासत में लिया जाना असंभव था। मैं आपसे इस तर्क को साम्प्रदायिक रंग नहीं देने का अनुरोध करता हूं। ऐसा आपराधिक कानून अन्वेषण कारणों से किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कानून ने यह परिभाषा देने एवं इन परिवर्तनों को करने के लिए बाध्य किया।

यह कानून और क्या व्याख्या करता है? यदि मैं इसे आम भाषा में कहूं, तो इसके अनुसार आतंकवाद को परिभाषित करने के बाद यह कानून कहता है कि उक्त आतंकवादी समूह की सदस्यता पर प्रतिबंध है। यदि आप आतंकवादी संगठन का सदस्य बनते हैं और उक्त संगठन की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं, तब आप पर पोटो लागू होता है। पहले, जब प्रारूप तैयार किया गया था तब यह अध्याय उसमें शामिल नहीं था। परन्तु, इन दस वर्षों में न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी इस संबंध में सुविचारित मत दिया गया है। आतंकवाद से निपटने के तरीकों के बारे में सुविचारित अन्तर्राष्ट्रीय विधिक एवं न्यायिक मत भी दिया गया है। कानून आतंकवादियों को दंडित करेगा। परन्तु हमारा कानून अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। हम अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों से दो-चार होते हैं। अंतत: जब हमने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर नजर डाली, तो यह पाया कि जहां तक किसी आतंकवादी समूह की सदस्यता का संबंध है, ब्रिटिश कानून में आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक विशिष्ट अध्याय है। श्री जयपाल रेड्डी हमारे कानूनों को अनुपालन संबंधी मामलों में ब्रिटिश एवं अमेरिकी कानूनों के अनुरूप बनाना चाहते हैं। आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता स्वत: ही दंडनीय अपराध बन जाती है।

क्या मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? फिर, समीक्षा के विरुद्ध शक्तियां प्रदान की गई हैं। समीक्षा समिति के पश्चात्, आपके पास उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय तक जाने की शक्ति होती है। भारत में एक न्यायिक प्रणाली विद्यमान है। समग्र आपत्ति यह उठाई जा रही है कि: "सरकार के पास आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां क्यों होनी चाहिए?" हमारे देश ने आतंकवादी गतिविधियों की बहुत बड़ी कीमत चुकायी है। ऐसे तर्क कैसे दिए जा सकते हैं कि इन आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? राजनीतिक प्रणाली द्वारा उनका समर्थन क्यों किया जाना चाहिए? "हम आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं समझते?" ब्रिटेन विश्व के सर्वाधिक उदारवादी लोकतंत्रों में से एक है जिसके पास आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक पूरा अध्याय है। हमने इस अध्याय का अध्ययन किया है। हमने इसकी विधिक जांच की

थी। हमने यह महसूस किया कि यह परम आवश्यक है। प्रत्येक प्रभावी आतंकवादी-रोधी कानून के मामले में, आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता वाले एक अध्याय की आवश्यकता है।

दूसरा घटक यह है। दूसरा घटक टाडा में नहीं था। यदि आप अपराध, जोकि आतंकवाद ही है, के माध्यम से धन का अर्जन करने का प्रयास करते हैं, तो इससे कानून का दो तरीके से उल्लंघन होता है। जो आतंकवाद को धन से बढ़ावा देता है, उसे भी दोषी करार दिया जाता है। आतंकवाद का वित्तपोषण करके आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप आतंकवाद को संसाधन प्रदान कर रहे हैं। परन्तु अब आतंकवादियों को धन प्रदान करने वाले लोगों के दिलोदिमाग में भय पैदा करें। मैं स्वयं से एक प्रश्न करता हूं। प्रतिदिन हम एक प्रश्न उठा रहे हैं। हम पूछते हैं ''संयुक्त राज्य अमेरिका जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा है? क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड हरकत-उल-मुजाहीद्दीन पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है? लश्कर-ए-तोएबा पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जा रहा है? उनके खातों पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है? हमारी विदेश नीति एवं हमारी कूटनीति को अग्नि-परीक्षा पर रखा जा रहा था। क्या हमने इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने एवं उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए सभ्य विश्व को राजी कर लिया है? हम इसमें सफल रहे। सफल होने के बाद हमें कहा जाता है कि ''क्या आप स्वयं भी उनकी संपत्तियों को जब्त करना और उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? एक तरफ, हम संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी एवं फ्रांस से इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने, उन लोगों को दंडित करने एवं उन पर अर्थदंड लगाने के लिए कह रहे हैं। 11 सितम्बर की घटना के बाद, हम कम से कम प्रसन्न तो थे कि इन संगठनों को सभी खातों को सीलबंद किया जाना आरंभ किया जा रहा है। 13 दिसम्बर की घटना के बाद दो और संगठनों को जोड़ा गया था।

अब हमें, हमारे अनुरोध पर यह कहा जा रहा है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा इंग्लैंड करे। परन्तु भारत में, यदि हमारे पास सात संगठनों पर प्रतिबंध लगाने अथवा उनकी संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति होती है, तो वे कहते हैं कि यह तो कठोर एवं अभूतपूर्व कानून है। क्या मैं माननीय सदस्यगण से एक साधारण सा प्रश्न पूछ सकता हूं? यह एक साधारण से सिद्धांत पंर आधारित है। सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सभ्य समाज में जब आप अपराध करते हैं तथा अपराध से धनार्जन करते हैं, अपराध की नींव पर मकान अथवा महल खड़ा करते हैं, अपराध के माध्यम से हथियार एकत्र करते है, अपराध से अर्जित धन के बैंकों में रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपराध से अर्जित किए गए लाभ को रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए संसद ने एक कानून पारित किया – कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आयी थी जब वह सत्ता में थी – कि यदि आप सामानों की तस्करी करते हैं और तस्करी से धन अर्जित करते हैं, तो तस्करी से प्राप्त लाभों को एस.ओ.एफ.इ.एम.एफ.ओ.पी.ए. के अन्तर्गत जब्त किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक अन्य कानून लेकर आई कि यदि आप स्वापक व्यापार अथवा अवैध शस्त्र व्यापार में संलिप्त हैं और स्वापक, अवैध शस्त्रों के व्यापार से लाभ अर्जित करते हैं तो आप उस लाभ को नहीं रख सकते हैं और उसको जब्त कर लिया जाएगा क्योंकि वे राज्य की संपत्ति है। अपराध से अर्जित किया गया लाभ आपकी निजी संपत्ति नहीं है और चूंकि यह जनहित के विरुद्ध है और इसीलिए ये राज्य की संपत्ति हैं। क्या आज यह तर्क है? श्री जयपाल रेड्डी ने कहा है कि वह संपत्ति के पक्ष में अधिक नहीं हैं परन्तु वे किसी की भी संपत्ति को जब्त होने नहीं देना चाहते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने धनशोधन विधेयक का प्रारूप पारित किया जिसके संबंध में हम सभी काफी चर्चा करते रहे हैं। धनशोधन की पूरी परिकल्पना यही है कि अपराध से प्राप्त लाभ को अवश्य जब्त किया जाए क्योंकि अपराध से अर्जित लाभ किसी एक व्यक्ति का नहीं है। क्या आज यह तर्क है कि चूंकि अब भारत के पास ऐसा प्रावधान है कि जिसके अनुसार आतंकवाद से अर्जित लाभ को जब्त किया जाना है और इसलिए यह एक कठोर प्रावधान है?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी परिभाषाओं से निपटते रहे हैं। मैं उनके समक्ष एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। टाडा में, परिभाषा संक्षिप्त थी। परन्तु वर्तमान कानून के अन्तर्गत वर्तमान परिभाषा के अनुसार संपत्ति का नुकसान भी एक आतंकवादी गतिविधि है। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं।

श्री अरुण जेटली : महोदय, यदि मेरे मित्र जो कुछ मैंने कहा है, उस पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो वह अपना अवसर आने पर बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, पहले मंत्री महोदय मेरी बात सुनें ...*(व्यवधान)* मान लीजिये वर्तमान परिभाषा के अनुसार यदि पार्टियों के बीच विवाद हो तो इसे आतंकवादी कृत्य कह सकते है।

श्री अरुण जेटली : महोदय पहले मैं अपनी बात समाप्त कर लूं और उनके बोलने के बाद मैं जवाब दूंगा। अब मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूं क्योंकि जो प्रश्न वह उठा रहे हैं वह मेरी कही गई बात से संबधित नहीं है।

सभापति महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : महोदय, कानून का अगला सारांश यह है। यह बात मैं सीधे कहता हूं। आपका कहना है कि टाडा का दुरुपयोग किया गया। मैं इस तर्क का उल्लेख बाद में करूंगा। संभवत: इसका दुरुपयोग किया गया। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि टाडा कानून की संरचना की एक बड़ी कमी यह थी कि यह गवाहों, प्रत्यक्षदर्शियों और आतंकवादी समूहों के विरुद्ध उपस्थित होने वाले नागरिकों पर निर्भर था। पंजाब, मुंबई या कश्मीर के लोग बतायेंगे कि आम नागरिक को इन संस्थानों के सामने आकर ईमानदारी से गवाही देने में डर लगता था। हमारे पास एक मामला है जिसमें एक पूर्व सेनाध्यक्ष की हत्या की गई थी। जब पुलिस गई और जांच हुई तो परिवार के सदस्य ही सामने आकर गवाही देने में अनिच्छुक थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने परिणाम देखे हैं और उसका सामना करने के लिये वे तैयार नहीं हैं। आतंकवादी कृत्यों के विरुद्ध गवाहों के सम्मुख यही खतरा रहता है।

जब विधि आयोग ने एक मसौदा तैयार किया तो हमने इसे सभी राज्यों को परिचालित किया। राज्यों के मसौदे को स्वीकृति दे दी लेकिन एक राज्य सरकार ने बहुमूल्य सुझाव दिया। मैं महाराष्ट्र सरकार को अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने कहा कि आपका कानून अपूर्व है और यह भी कहा कि लोग आतंकवादियों के विरुद्ध गवाही नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी और माफिया उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं उनके पास वायरलेस और उपग्रह फोन होते हैं, जिसके द्वारा वे अपना संचार कायम रखते हैं। उनके पास उन्नत हथियार हैं लेकिन आपके कानून के अन्तर्गत आपकी पुलिस ये सब नहीं कर सकती है। अत: उनका अनुरोध था कि इस कानून में एक प्रावधान जोड़ा जाये ताकि जब आतंकवादी गैंग आपस में संचार स्थापित करें तो उनके संदेश को पकड़ने की अनुमति हो और पकड़े गये इन संदेशों को न्यायालय में साक्ष्य माना जा सके।

अत: जब आप आतंकवादियों को गिरफ्तार करें तो आतंकवादी गुट के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु कमजोर नागरिक आगे नहीं आ सकता। आप उस संदेश की रिकार्डिंग प्रस्तुत करते हैं। उस क्षण यह स्वीकृत साक्ष्य बन जाता है जबकि सामान्य कानून के अन्तर्गत यह स्वीकृत साक्ष्य नहीं है।

हमने महाराष्ट्र सरकार के सुझाव की जांच की। राज्य सरकार के सुझाव की जांच के बाद हमने उसे स्वीकार कर लिया। इस कानून की एक विशेषता पकड़े गये संदेश का स्वीकृत साक्ष्य बनना है। इस संबंध में इन कारणों में एक कानून यह है कि महाराष्ट्र के "मोका" के अन्तर्गत 75 प्रतिशत से भी अधिक मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ गई है जब कोई रोका-टोकी करता है, चीखता-चिल्लाता है तो सामान्यत: न्यायाधीश किसी अन्य पक्षद्रोही साक्षी या गवाही देने के किसी अनिच्छुक व्यक्ति की तुलना में उसे स्वीकार कर लेता है।

दो प्राधवान और है। मैं उनके बारे में कुछ विस्तार से बात करना चाहता हूं कि क्योंकि माननीय शिवराज पाटिल ने उनका उल्लेख किया है। इसका उल्लेख करने के बाद उन्होंने अपने निजी स्पष्टीकरण में कहा कि मामले में जमानत संबंधी प्रावधान बहुत कठोर है। आपको सामान्य जमानत प्रावधान लागू करना चाहिये। इसके बाद तुलनायें की गई। मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अमरीकी और ब्रिटिश कानून के साथ यह तुलना ठीक नहीं है।

श्री शिवराज पाटील मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जमानत संबंधी यह प्रावधान केवल इस सरकार की सोच नहीं है। विगत में कई अच्छी सरकारें रही हैं। कानून संबंधी उनकी सोच अच्छी थी। ये सरकारें कड़े कानून ले लाई। मैं खड़े होकर कह सकता हूं कि "आन्ध्र प्रदेश में संगठित माफिया से लड़ने के लिये एक कानून है"; कर्नाटक में संगठित माफिया के विरुद्ध एक कानून है; महाराष्ट्र में एक कानून बना है, पश्चिम बंगाल में यह प्रस्ताव के सार पर है; मैंने पश्चिम बंगाल सरकार के मसौदे को नहीं देखा है।" मुझे सभी तीन राज्यों आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। ये कानून संगठित अपराधियों माफिया के विरुद्ध लागू होते हैं। यदि कोई मुझे संतुष्ट कर दे तो हम इस पर पुनर्विचार के लिये तैयार हैं। तर्क यह है कि इन स्थानीय स्वदेशी गुंडों से लड़ने के लिये जमानत संबंधी कठोर प्रावधान होने चाहिये। इसलिये स्थानीय गुंडों के खिलाफ महाराष्ट्र का कानून काफी सख्त है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के कानून ऐसे ही सख्त हैं। लेकिन जैसे ही यह कानून आतंकवादियों के विरुद्ध बनता है, तो यह क्रूर! हो जाता है *...(व्यवधान)*

मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं यदि आप मुझे इसका स्पष्टीकरण दें। स्थानीय माफिया के विरुद्ध जमानत संबंधी उक्त प्रावधान अच्छे होते ही कैसे वे आतंकवादियों के खिलाफ क्रूर हो जाते हैं? महाराष्ट्र के स्थानीय माफिया के विरुद्ध जमानत संबंधी वही प्रावधान अच्छे होते ही हिज्बुल मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा और जेश-ए-मोहम्मद के विरुद्ध क्रूर कैसे हो सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का कानून अच्छा है और यह कानून खराब है। मेरा कहना यह है कि जिस तरह सामान्य कानून के अन्तर्गत जमानत की स्वीकृति या अस्वीकृति दी जा सकती है उसी तरह के अन्तर्गत आतंकवादी को भी जमानत देने से इन्कार किया जा सकता है। मेरा कहना यह है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा जमानत दिये जाने या न दिये जाने के संबंध में तीन सिद्धांत निर्धारित हैं: एक यदि वह जमानत तोड़ कर भागता है; दूसरा यदि वह गवाहों को डराता-धमकाता हैं तीसरा यदि उसके द्वारा ऐसा ही अपराध किये जाने की संभावना है। यदि आप न्यायालय में यह सिद्ध कर दें कि आतंकवादी द्वारा ऐसा किये जाने की संभावना है, जोकि वह करेगा ही, तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। मेरा यह कहना नहीं है कि चूंकि यह महाराष्ट्र में है इसलिये यहां भी हो या महाराष्ट्र में नहीं है, तो यहां भी नहीं। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं।

श्री अरुण जेटली : मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी है। पहले सिद्धांत के अनुसार उनका कहना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश तथा संभवत: भविष्य में पश्चिम बंगाल में जमानत संबंधी सख्त प्रावधान की जरूरत है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अरुण जेटली : यह मेरा तर्क है।

श्री शिवराज वि. पाटील : नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अरुण जेटली : मैं आपके तर्क पर आता हूं। आपको इन तीन या चार राज्यों में सख्त प्रावधानों की जरूरत है। संगठित माफिया के विरुद्ध जमानत के सख्त प्रावधान वाला कानून सही है।

श्री शिवराज वि. पाटील : उस कानून को भी बदला जा सकता है।

श्री अरुण जेटली : कई विशेषणों का प्रयोग किया गया है। मुझे ऐसा कहने दीजिए। हमें बताया गया था कि आपका कानून इस इसके अनुकूल होना चाहिये। हमारे कानून अपराधियों की इच्छानुरुप नहीं होने चाहिये क्योंकि केवल अपराधी ही छूट वाले ढीले ढाले जमानत प्रावधान चाहते हैं। विरोधाभास देखिये। आतंकवादियों, आत्मघाती दस्तों और ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो मरने-मारने को तैयार रहते हैं। 13 दिसम्बर को हमने यहां देखा है। क्या हम इतने निर्दोष और पोटो वाले हैं कि यह मान लें कि जो अपनी जान देने को तैयार हो वह जमानत पर छूटने के बाद हमारी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने हेतु वापस आयेगा और न्यायालय में प्रस्तुत होगा? क्या हम इतने हैं कि मान लें कि जिन लोगों ने संसद पर 13 दिसम्बर को हमला किया, यदि वे जमानत पर छूट जाये ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : यदि ऐसे लोगों को जमानत देने से न्यायालय इन्कार कर दे।

श्री अरुण जेटली : तो कानून में ही ऐसा प्रावधान क्यों नहीं?

श्री शिवराज वि. पाटील : न्यायालय को फैसला लेने दीजिए।

श्री अरुण जेटली : विधायिका को अपना उत्तरदायित्व नहीं त्यागना चाहिये। जो भी समस्यायें हमारे सामने हैं, वे विधायिका में परिलक्षित होनी चाहिये। देश की एकता और अखण्डता खतरे में है। हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है। इन आतंकवाद के बारे में कानून बनाने हेतु विधायिका तैयार नहीं है, हम अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिये तैयार नहीं है। क्योंकि हम कानून बनाने में असमर्थ हैं अत: आतंकवादियों से हमें बचाने में न्यायाधीश अपना काम करें।

मैं शिवराज पाटिल का ध्यान एक तथ्य की ओर दिला दूं? कृपया आत्मावलोकन करें। मैं महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के प्रावधानों को नहीं पढ़ रहा हूं कि क्योंकि वे समान नहीं हैं। वे प्रावधान पूरे मामले में लागू है। तीनों राज्यों में कानून कहता है कि पूरे मामले में जमानत के प्रावधान सख्त होंगे। पोटो कहता है कि जमानत का यह सख्त प्रावधान मात्र एक वर्ष के लिए होगा। इसके बाद सामान्य कानून लागू होगा।

दूसरी बात तीनों राज्यों में कानून कहता है ''एक शर्त जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है कि वह ऐसा अपराध दुबारा नहीं करेगा।'' यह शर्त जो राज्य से संबंधित कानून में हैं, और करतार सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय के उस शर्त के बारे में कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने इसे वापस भेज दिया और हमने इसे निकाल दिया है। इसलिए जमानत का हमारा प्रावधान तीनों राज्यों में जमानत के प्रावधानों की अपेक्षा हल्का है।

अनेक जांच अधिकारी ऐसे है जिनकी अलगाव-विरोध के बारे में विशेषज्ञता है और जो हमें कहते है कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अत: जमानत का हमारा प्रावधान उन तीनों राज्यों में जमानत के प्रावधानों की अपेक्षा सरल है।

मैं आपको बताऊं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी ...*(व्यवधान)*

[श्री अरुण जेटली]

चमदीद गवाह नहीं था, माना कि आपकी सलाह मान ली थी और आपकी सलाह के अन्तर्गत 'टाडा' की धारा 15 हटा दी गई और अब आप कहते हैं कि 'पोटो' की धारा 32 को हटा दिया जाता है और उसे ग्राह्य नहीं माना जाता तो हमें उस निरीह राष्ट्र के रूप में देखा जाता जहां हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी और जहां हम अपने त्रुटिपूर्ण कानूनों के कारण दोषसिद्धि नहीं कर सके।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हमारा जांच इतनी कमजोर थी।

श्री अरुण जेटली : श्री राजीव गांधी के मामले में एस.आई.टी. का अन्वेषण सर्वाधिक अच्छे अन्वेषणों की श्रेणी में आता है, वास्तव में, यदि हमें याद होगा कि एक ही दिन में, 24 घंटे के अन्दर कुछ अन्वेषकों की मैं प्रशंसा करूंगा जिन्होंने हमें बताया कि इस मामले में एक महिला जिसकी कमर में मानव बम लगा था संलिप्त थी। यहां तक उसके रेखाचित्र भी 24 घंटों के अन्तर्गत ही सामने आ गए। उस अन्वेषण में इतनी क्षमता थी, लेकिन मैं आपसे इससे सीखने का आग्रह कर रहा हूं। हमें किसने बताया कि जिन लोगों ने संसद पर हमला किया उनके सम्पर्क गाजी बाबा से थे? हमें किसने बताया कि उन्हें किसका समर्थन प्राप्त था - लश्कर-ए-तयैबा या अन्य किसी का? यह मैं, आप या कोई आम भारतीय नहीं था, हमें इसकी जानकारी इन लोगों की स्वीकृति से मिली। यदि यहां आपकी सलाह मानी जानी है और उन सभी वक्तव्यों को साक्ष्य में पूर्णत: अग्राह्य माना जाता है तो तब तो हमें कम से कम, जहां तक आतंकवाद का संबंध है कानूनी लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। इसके परिणाम और गंभीर होंगे। श्री शिवराज वि. पाटिल जी इसके परिणाम और भी गंभीर होंगे। जो तर्क कई सिविल इच्छा स्वातंत्र्यवादियों (लिवरटेरियनस्) द्वारा दिया जाता है कि यदि आप पुलिस को अधिकार देते हैं तो पुलिस सदैव उस अधिकार का दुरुपयोग करेगी। प्रत्येक को इस बात की आशंका है। यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इस अधिकार का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है, इसका विकल्प और भी खतरनाक होने जा रहा है। पुलिस को विधि संगत अधिकार न दीजिए लेकिन पुलिस पर कुछ करने का दबाव बनाए रखिए। पुलिस महानिदेशक, कश्मीर को कहिए कि आपके पास उनके विचारण के लिए 'पोटो' या कोई अन्य अधिनियम नहीं है। पुलिस महानिदेशक, आन्ध्र प्रदेश को कहिए कि किसी भी कानून के अन्तर्गत आपको विधिमान्य अधिकार नहीं दिए जा रहे है और उनका विचारण सामान्य कानूनों के अन्तर्गत ही कीजिए। हर बार आप देखेंगे की पी.डब्ल्यू.जी. कार्यकर्त्ताओं या हिजबुल मुजाहिद्दीन जेहादियों के खिलाफ एक चश्मदीद गवाह मिल जाता है। यदि आप अपने सुरक्षाबलों और अन्वेषकों को विधिक अधिकार नहीं देते तो वहां मानवाधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन होगा। इसलिए, यदि आप मानवाधिकारों की चिंता नहीं करते और चाहते है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग न हो तो आप ऐसी स्थिति में नहीं हो सकते जहां कि आप पुलिस को अधिकार नहीं देते लेकिन पुलिस पर कुछ करने का दबाव डालते है तो आपके सामने अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए, हम सबको समझना चाहिए कि वह समस्या क्या है जिससे कि अब हम निपट रहे है, और जिस समस्या से हम निपट रहे हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की आवश्यकता हैं। विधिसंगत अधिकार दिए जाने होंगे क्योंकि यह एक असाधारण स्थिति है। असाधारण स्थिति को असाधारण उपचारों की आवश्यकता होती है।

श्री जयपाल रेड्डी ने उद्धहरण दिया। मैं नहीं जानता कि हमारे कुछ साथियों द्वारा प्रत्येक विषय पर दिए गए भाषण धर्मोपदेश कब बन गए। लेकिन एक तथ्य को मस्तिष्क में रखिए। वर्ष 1989-1991 में कश्मीर में घटी बुरी दशा को अभी देखा जाना था। हमारे यहां पंजाब की गंभीर समस्या थी और कई लोगों ने कहा कि पंजाब राजनीतिक फैसले की क्षमता रखता है। लेकिन पिछले 15 वर्ष के अनुभव से हम दिन प्रतिदिन चतुर बनते गए। मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं। बुद्धि को मांगना हमेशा ठीक होता है यहां तक कि जब कि यह ऐसे स्रोत से आती हो जिन विषयों पर प्राधिकारी विचार नहीं करते है। इसलिए, जब 'टाडा' पर चर्चा की गई उस समय मेरे मित्र मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा और अब उन्हें क्या कहना है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आपको बीच में टोकना नहीं चाहिए। लेकिन आप यह बताइए कि टाडा का उपयोग कश्मीर में ज्यादा हुआ या पंजाब में ज्यादा हुआ, महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ या गुजरात में ज्यादा हुआ?

श्री अरुण जेटली : मुलायम सिंह जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने यह प्रश्न किया। टाडा का दुरुपयोग हुआ था।

श्री मुलायम सिंह यादव : दुरुपयोग हुआ, कांग्रेस ने स्वीकार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टाडा का उपयोग कश्मीर में ज्यादा हुआ या पंजाब में, जिसके लिए लाए थे, ज्यादा हुआ या महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ या गुजरात में ज्यादा हुआ?

श्री अरुण जेटली : मुलायम सिंह जी, आपके यहां आने से पूर्व मैं टाडा के कुछ प्रावधानों के बारे में चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि उनमें कमजोरियां थीं। उनमें क्या कमजोरियां थीं, वह मैं बताता हूं। दो वाक्य हमेशा कहे जाते हैं कि टाडा का दुरुपयोग हुआ और टाडा के 76,000 केसों में से

[श्री अरुण जेटली]

न्यायालय के किसी पदासीन अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक और समीक्षा समिति है। यदि किसी संगठन को लगे कि उस पर प्रतिबंध गलत लगाया गया है या किसी की संपत्ति को अनुचित तरीके से हासिल किया गया हो, तो इसकी आंतरिक समीक्षा और फिर न्यायालय के समक्ष समीक्षा की व्यवस्था है – यदि आप न्यायालय जाकर इसका प्रतिवाद करते हैं तो!

श्री जयपाल रेड्डी ने बहुत सही उदाहरण दिया कि इंग्लैंड में न सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, बल्कि वहां पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया।

सायं 6.00 बजे

हमने भी एक प्रावधान रखा है कि, मान लीजिए, यदि कोई पुलिस अधिकारी अपनी व्यक्तिगत लाभ सिद्धि या परोक्ष कारणों से इसका दुरुपयोग करे; तो उसे 'पोटो' के ही तहत अभियोजित किया जायेगा। यदि वह ऐसे किसी प्रावधान का दुरुपयोग करता है, तो अपने आप ही उपचारी प्रावधान लागू हो जायेगा। हमने अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, प्रक्रियाओं व अनुभवों का अध्ययन किया है। यह बात कई बार दोहराई जा चुकी है। मैं एक भाषण पढ़ रहा था। उसका थोड़ा उल्लेख करूंगा। 12 अगस्त, 1991 को माननीय सदस्य श्री सैयद शहाबुद्दीन ने एक प्रश्न पूछा: "आपको ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों कर हुई? इसे कब तक जारी रखना आवश्यक समझते हैं?" इसके उत्तर में, मेरे मित्र, माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा:

> "श्री सैयद शहाबुद्दीन ने पूछा है कि ऐसे कानून के पुनरावृत्त विस्तार की आवश्यकता कब तक रहेगी! मैं उत्तर में यही कह सकता हूं कि हमें इसे तब तक लागू रखना पड़ेगा जब तक कि ऐसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवाद की काली छाया रहती है। कश्मीर में आतंकवाद की समस्या वस्तुत: आज की आतंकवादी गतिविधियों की जड़ है। फिर, इस राज्य में ऐसी गतिविधियों को विद्वेषी मानसिकता वाली विदेशी शक्तियों की शह भी मिलती है। यह समझ लेना आवश्यक है कि आज भारतीय संघ की अखण्डता खतरे में हैं; हमारे देश की एकता खतरे में है; हमारे धर्मनिरपेक्षता के मूल्य खतरे में हैं; कानून और व्यवस्था खतरे में है; देश की शान्ति खतरे में है। अत:, जब तक ऐसी असाधारण परिस्थितियां बनी रहती है, तब तक, हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि इन दुर्भाग्यपूर्ण वजह से बनाये गये कानूनों को जारी रखने के लिए उनमें अतिरिक्त शक्तियों का इस्तेमाल जारी रखे।"

श्री एस. जयपाल रेड्डी : तो आप इसे जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित कर दीजिए! ...*(व्यवधान)* हम स्वीकार कर लेंगे। चलिए, आप इसे जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित कर दीजिए।

श्री अरुण जेटली : यदि आप हमें आश्वस्त कर दें कि जम्मू और कश्मीर के बाहर आतंकवाद नहीं होगा - तो हम इस सुझाव पर अवश्य विचार करना चाहेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री खागेनदास (त्रिपुरा पश्चिम): आपको करना ही होगा। आप सरकार में हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री खगेस दास, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इन्होंने मेरी अनुमति नहीं ली। माननीय मंत्री के भाषण के अतिरिक्त, और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में न लिया जाये।

...*(व्यवधान)**

श्री अरुण जेटली : महोदय, एक तर्क दिया गया था, जिसे आज फिर उठाया गया है; और वह साधारण कानून के बारे में है। हमारा साधारण कानून क्या कहता है – मैं उच्चतम न्यायालय में दिये गये न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर के एक विनिर्णय से बस एक वाक्य उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा: "नियम है – जमानत; न कि जेल!" साधारण कानून के तहत नियम कहता है – जमानत। लेकिन आतंकवाद के मामले में, नियम होगा - जेल, न कि जमानत! अत:, यहां साधारण कानून लागू नहीं होते।

किसी के द्वारा यही प्रश्न उठाने पर, हमारे प्रख्यात सभासद श्री एस.बी. चव्हाण, जो उस समय गृह मंत्री थे, ने उत्तर दिया:

> "हमें यह मानना होगा कि यह एक कठोर कानून है जिसे सामान्य स्थिति में लागू करना ठीक नहीं होता; लेकिन माननीय सदस्य इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि आतंकवाद को दुलमुल तरीके से काबू नहीं किया जा सकता। जब तक आतंकवाद अपनी क्रूरता के साथ जारी है, तब तक ऐसा कानून बनाए रखना होगा।"

कृपया हमें दुलमुल रवैया अपनाने की सलाह न दें! आतंकवाद के बहुमुखी परिणाम होते हैं और इन अनेक परिणामों का सामना

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

रोका गया ताकि आप यहां पर उसकी खिलाफत कर सकें। यह अपने आप नहीं रुका है।

माननीय बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने उसकी जरूरत समझी है तभी वह इसके लेकर आये हैं। उसके बाद उन्होंने उसे वहां रोक दिया और कहा कि इसे थोड़ा रोक दो, पहले पोटो के खिलाफत कर लें, उसके बाद देखा जायेगा। आप लोगों से हमको इस बारे में बहुत ज्यादा निराशा नहीं है क्योंकि आपको हर चीज की खिलाफत करने की आदत है।

कभी-कभी हमको लगता है कि आप लोग अब सोच चुके हैं कि हम कभी सत्ता में नहीं आयेंगे। ...*(व्यवधान)* जब आदमी यह सोच लेता है कि सत्ता में नहीं आयेंगे तो गैर-जिम्मेराना काम करने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ...*(व्यवधान)* आपको मालूम है कि आप जहां भी सत्ता में हैं, वहां पर आप वही कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): हमको जिम्मेदारी सीखने का कोई स्कोप नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : मेरी राय है कि यहां पर सर्वसम्मत से पोटो का समर्थन करें और वहां भी पोको बनाइये। हमको कोई ऐतराज नहीं है। समाजवादी पार्टी इसकी बहुत खिलाफत कर रही है। ...*(व्यवधान)* हम दांये रहें तो दांये की बात करें, दक्षिण रहें तो दक्षिण की बात करें और अगर उत्तर में रहें तो उत्तर की बात करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं समझते। समाजवादी पार्टी क्यों इसका विरोध कर रही है? हमारी समझ में यही आ रहा है। यहां पर उनकी पार्टी का कोई मैम्बर नहीं है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता था कि वह क्या चीज है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं?

एक चीज हमारी समझ में आई, वे बार-बार यह कह रहे हैं कि यह कानून किसी वर्ष विशेष के खिलाफ है। यह जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे मेरे ख्याल में किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। उसके निर्माता कोई राजनीतिक दल नहीं हैं जो इसे फैला रहे हैं। आप लोग उसके शिकार हैं। किसी और ने इसे फैलाया है। वही टाडा जो 1985 में पास किया गया, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं रहा। वही टाडा जो बार-बार हर दो साल बाद बढ़ाया गया, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं रहा। लेकिन 1993 में जब बम विस्फोट हुआ और एक वर्ग विशेष के लोग पकड़े गये, वे शक्तिशाली थे और आज भी शक्तिशाली हैं। वे बाहर देश में रहकर भी यहां प्रभाव डाल रहे हैं। उन लोगों ने इसको राजनीतिक रंग दिया। उस समय उन लोगों ने कहा कि ये मुसलमान समुदाय के खिलाफ है। इसके साथ विपक्षी दल उसके शिकार हो गये। आप लोग इसके निर्माता नहीं हैं। इस भूल में आप मत रहिये कि यह आप लोगों का ख्याल है। यह ख्याल उन अराजक तत्वों का है जो इसे राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं। आप मुझे इस विधेयक में एक भी प्रोविजन ऐसा दिखा दें जो किसी वर्ग विशेष के खिलाफ हो तो उसे मैं यहां मानने के लिए तैयार हूं।

बहुत सी बातें कही गई हैं कि टाडा का गलत इस्तेमाल होता है और मैं यह मानता हूं कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह देखना शासन का काम है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बात को सोचते हुए इस विधेयक में खासतौर से आतंकवादी की परिभाषा दी गई है और वही श्री जयपाल जी की आलोचना का विषय हो गया। हमारे सामने पहली बार ऐसा कानून है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा की गई है जो एक व्यापक परिभाषा है। इसलिए कानून की गलत व्याख्या या दुरुपयोग किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर परिभाषा ठीक है, वह संकीर्ण है, एक जगह पर फोकस्ड है तो उस हालत में उसका गलत इस्तेमाल करने की बहुत कम उम्मीद रहती है। यह बात सही है कि टाडा में परिभाषा इतनी व्यापक थी कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस बार उस की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से उदृत किया गया है।

दूसरी बात यह बताई गई थी कि एक साल तक जमानत नहीं हो सकती। यह बात सही है और यदि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें पांच दिन बाद आदमी आराम से रह सके तो उसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि आतंकवाद का मतलब आतंकी, यानी वह आतंक कर सकता है, उसने किया है और छूटने का मतलब यह है कि उसका छूटना ही आतंक का एक कारण हो सकता है। जैसे ही वह छूटेगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर वह आतंकी है और उसे छोड़ दें तो वह स्वयं आतंक का कारण हो जाता है इसलिए सालभर जब तक उस पर व्यापक रूप से दोष सिद्ध न हो, तब तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।

गवाहों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। मैं कहूंगा कि इस विधेयक में कमजोरी है और मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कमजोरी को दूर करें। एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि कोई भी विदेशी अवैध तरीके से हमारे देश में आए अवैध हथियार लेकर आए, वह अपने आप में एक जुर्म मान जाना चाहिए। इसमें यह संशोधन होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में जितने हथियार और अवैध घुसपैठ हो रही है, जितनी छूट दी गई है, आतंकवाद की लड़ाई में, वह बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगी। मैं गृह मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि इस पर बहुत ध्यान दें। हमारे देश में कोई अवैध तरीके से अवैध हथियार लेकर आए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह कोई तीतर का शिका

करने नहीं आ रहा है, वह कोई सैर-सपाटा करने नहीं आ रहा है, वह एक खास मकसद से आ रहा है और वह मकसद आतंक फैलाना है। यदि किसी व्यक्ति के पास से, जो विदेशी है, केवल अवैध हथियार पकड़े जाएं, वह हमारे देश में हथियार लेकर आए, वह स्वयं इस कानून के अन्तर्गत आना चाहिए। इस विधेयक में यह संशोधन लाना बहुत जरूरी है।

बहुत से अन्य विरोधाभास हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, उससे यह नहीं समझता कि विपक्ष इस बात पर सहमत होगा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। लेकिन इसकी जरूरत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहां जो बात होती है, उससे बाहर एक संदेश जाता है। पहली बार जब हमारा विंटर सैशन शुरू हुआ तो यह संदेश गया कि विपक्ष पोटो के खिलाफ है।

यह संदेश अच्छा नहीं गया, इसलिए इस पर मंथन करने की जरूरत है। वैसे तो विपक्ष का रवैया पूरे तौर पर कंट्राडिक्ट्री है, रीजन के खिलाफ है। एक चीज जो आपको एक तरफ अच्छी लगती है, दूसरी तरफ खराब लगती है। जहां गुजरात में पूरी सरकार है, संख्या का कोई संकट नहीं है, वहां पर आप चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन हो और उत्तर प्रदेश में जहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, वहां पर आप उसके खिलाफ हैं। किसी एक चीज पर, मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपकी राय कोई कन्सिस्टेंट राय है या एक राय है। लेकिन इस बारे में इस विधेयक के बारे में एक खास अपील करने की जरूरत है और वह अपील यह है, कम से कम हमने अपने क्षेत्र में इस बात को महसूस किया है और सम्भवत: आप लोगों ने भी यह महसूस किया होगा कि जब यहां पर 13 दिसम्बर को फायरिंग हुई थी तो वह चोट सांसदों को लगी हो या न लगी हो, लेकिन हमारे समर्थकों को अपनी जगह पर बहुत जोर से चोट लगी और अभी तक कोई संदेश हम नहीं दे पाये हैं, जिससे कि यह लगे, उस दिन पूरी संसद एक राय की थी, तो आज क्यों आतंकवाद का विरोध है। आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कानून है, उसका समर्थन क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब इस संसद के लिए देना बहुत मुश्किल होगा।

मैं यह कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। यह केवल कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मुद्दा यह है, बिन्दु यह है कि हमारे पास आतंकवाद से लड़ने के लिए कितनी इच्छाशक्ति है। उस इच्छाशक्ति को क्या हम प्रकट कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम एक साथ चल सकते हैं? उसके लिए मैं यह कहूंगा कि यही संदेश हमको भेजना है कि यहीं इसको सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए, इसके साथ ही साथ राज्य सभा में भी सर्वसम्मति से पास हो, इसी आशा के साथ आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मेरी एक बहुत छोटी सी बात है और जो कुछ जनरल त्रिपाठी ने कहा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि रिकार्ड को सीधे सपाट ढंग से रख रहा हूं। मैं प्रक्रिया नियमों के नियम 357 का संदर्भ दे रहा हूं जिसमें कहा गया है:

> "कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जाएगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा।"

मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने कहा था कि परामर्शदात्री समिति की बैठक में मैंने यह कहा था जो कुछ पोटो में उपबंधित है वह पर्याप्त नहीं है। महोदय, यह वह वक्तव्य नहीं है जो मैंने दिया है। मैंने कहा था कि कानून से आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना अपेक्षित होता है, परन्तु साथ ही मैंने अपनी समझ के अनुसार पोटो की खामियों का भी जिक्र किया था।

मैंने दो बातों पर लंबा वक्तव्य दिया था। पहली बात जमानत संबंधी प्रावधान से जुड़ी थी और दूसरी अपराध स्वीकार करने के बारे में थी। मैंने परामर्शदात्री समिति की बैठक में बोलते हुए कहा था कि यदि किसी न्यायाधीश द्वारा किसी अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है अथवा नहीं दी जा सकती है यह बात तीन सिद्धांतों पर आधारित होती है – पहला सिद्धांत यह है कि उसके जमानत से बच निकलने की संभावना है, दूसरा यह है कि उसके कोई अपराध करने की संभावना है और तीसरा यह है कि उसके गवाह को प्रभावित करने की संभावना है। पुन:, यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य विधि में पहले से मौजूद है और यदि हम इन प्रावधानों का उपयोग करते हैं, तो हमारे लिए पोटो में यह कहना आवश्यक नहीं होगा कि अभियुक्त को जमानत न दी जाये।

यदि ये प्रावधान हैं तो निश्चय ही न्यायालय जमानत से इंकार कर देगा और अभियुक्त का खुला घूमना अथवा जमानत से बच निकलना अथवा गवाहों को प्रभावित करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही बात मैंने कही थी।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

दूसरी बात अपराध स्वीकारने के बारे में थी। अपराध स्वीकारने के बारे में बोलते हुए मैंने कहा था कि पोटो में यह प्रावधान है कि पुलिस के सामने स्वीकारा गया अपराध स्वीकार्य होगा। मैंने कहा था कि यह दांडिक विधिशास्त्र के विरुद्ध है। फिर, पोटो में यह भी प्रावधान है कि पुलिस के सामने स्वीकारे गये अपराध के मामले को भी दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और दंडाधिकारी यह सत्यापित करेगा कि अपराध अपनी मर्जी से स्वीकार्य किया गया है। यदि इसे इसी तरह से करना है, तो फिर अभियुक्त को दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में क्या कठिनाई है, जिसकी अनुमति दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई है? यदि आप ऐसा करते हैं, तो वह उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा।

मैंने ये वक्तव्य दिए थे। मैंने अपनी समझ के अनुसार पोटो में खामियां पाईं थी और फिर मैंने वक्तव्य दिए थे। मैंने यह नहीं कहा था कि इससे कानून और सख्त होता है। मैंने सोचा था कि लोग यह न समझें कि मैं इन चीजों को ठीक करने के बजाय और कठोर पोटो की मांग कर रहा हूं। और तो और, महोदय, परामर्शदात्री समिति एवं स्थायी समिति में जो कुछ कहा जाता है, उसका सभा की चर्चा में भी हवाला नहीं दिया जाता है। यदि ऐसा किया जाता तो बेहतर होता। परन्तु, फिर भी, मैं बुरा नहीं मानता। मैं तो बस रिकार्ड को ठीक करना चाहता था।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : यह परामर्शदात्री समिति के रिकार्ड से नहीं लिया गया है बल्कि समाचारपत्र से लिया गया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : आप परामर्शदात्री समिति के रिकार्ड का संदर्भ नहीं दे सकते हैं और आप समाचारपत्र को उद्धृत भी नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : परन्तु हर सदस्य ने ऐसा ही किया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं इस पर नहीं अड़ रहा हूं। हम भविष्य में तो इसे ध्यान में रख सकते हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : परन्तु एक बात यह कि....खैर इसका मैं पुन: हवाला नहीं देना चाहता क्योंकि....परन्तु इससे लोगों को ऐसा लगने लगा था कि.....

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे आपके यह कहने पर कोई आपत्ति नहीं है कि *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : सभापति महोदय, हमारे देश के इतिहास में सर्वाधिक कठोर, दमनात्मक एवं अमानवीय इस कानून का मैं प्रबल विरोध करता हूं। लेकिन सरकार अच्छी नेक नीति के साथ यह विधेयक नहीं लायी है। सभी सरकारें जब भी कठोर कानून लाती हैं तो वे यही तर्क देती हैं। ये भी वही तर्क दुहरा रहे हैं और ऐसे कठोर कानून की आवश्यकता के लिए बहस कर रहे हैं।

महोदय, वे पिछले द्वार से यह विधेयक लाये हैं। यदि यह बिल्कुल आवश्यक ही था और यदि वे इसे नेकनीयती से लाते तो वे इस विधेयक को लाने से पूर्व सभी राजनीतिक दलों से विचार करते और वे संसद सत्र का इंतजार किए बिना पिछले दरवाजे से, अध्यादेश के माध्यम से इस कानून को नहीं लाते।

महोदय, मैं जानता हूं कि सरकार अपने रास्ते से भटक गई है। वह विधि आयोग की बात कर रहे हैं, परन्तु यह तो विधि आयोग की सिफारिशों से भी हटकर चली है। इसने विधि आयोग द्वारा सुझाए गए प्रावधानों से भी कहीं ज्यादा कठोर प्रावधान बनाए हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग ने जिसके सदस्य उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश एवं न्यायाधीश हैं, ने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किये हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि प्रश्न थे। पहला यह था कि क्या पोटो की आवश्यकता थी? और यदि ऐसे कानून की आवश्यकता थी, तो किस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी? उन्होंने कहा था कि मानवाधिकार आयोग का सर्वसम्मत मत यह था कि ऐसा अधिनियम नहीं होना चाहिए। इसका पूरी तरह विरोध किया गया था। और इसी कारण, दूसरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं उठता है।

महोदय, अब कई अन्य सदस्यों ने टाडा का प्रश्न उठाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि टाडा था और सभी लोगों के द्वारा टाडा के दुरुपयोग की भर्त्सना की गई थी।

अब एक और कठोर कानून प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? श्री आडवाणी टाडा के सबसे बड़े विरोधी थे और अब वे पोटो के कट्टर समर्थक हैं? श्री आडवाणी का कौन सा रूप सही है? क्या यह दोहरा मानदंड नहीं है? क्या यह राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है? क्या यह लोगों को धोखा देना नहीं है? यह क्या है, मुझे नहीं मालूम। यही प्रश्न है। टाडा के

संबंध में आपके सहयोगियों ने भी सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया। जिसमें कहा गया है:

> "सरकार को किसी भी शंका के निवारण हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए कि इसका प्रेस, राजनीतिक विरोधियों एवं किसी विशिष्ट समुदाय के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा सकता है।"

आपके सहयोगियों द्वारा यह संकल्प पारित किया गया था। अभी, वह उद्देश्य पूरा भी नहीं हुआ था कि यह विधेयक पुन: लिखा गया और उनके समक्ष रखा गया। इसमें टाडा के सभी कठोर प्रावधान हैं। तथापि, आपने साम्प्रदायिक कारक को प्रबुद्ध रूप से निकाल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने संघ परिवार को बचाना चाहते हैं, जो गुजरात में आग लगा रहे हैं, जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो देश में खून-खराबा कर रहे हैं। सभी साम्प्रदायिकतावादी समाजविरोधी हैं, सभी साम्प्रदायिकतावादी राष्ट्र विरोधी हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। साम्प्रदायिकता मानवता के विरुद्ध अपराध है। साम्प्रदायिकता एवं आतंकवाद में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही मानवता के प्रति अपराध हैं। टाडा में साम्प्रदायिकता और आतंकवाद, दोनों के लिए प्रावधान थे, परन्तु इस विधेयक में आपने 'साम्प्रदायिकता' को हटा कर केवल 'आतंकवाद' को रखा है। यह अवसरवादिता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एजैंडा है। उन्होंने साम्प्रदायिक ताकतों और आर.एस.एस., विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को बचाने के लिए इन दोनों को अलग कर केवल एक को रखा है। इस विधेयक में एक यही धोखा है।

दूसरे, पोटो के बावजूद, संसद पर हमला हुआ, गुजरात में दंगे हुए और कई अन्य अपराध हुए। अतएव, जैसे टाडा असफल रहा, वैसे पोटो भी असफल होगा। ऐसे कठोर कानूनों की यही नियति है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कोई कठोर कानून आतंकवाद के लिए रामबाण नहीं है। आतंकवाद को रोकने के लिए आपको सच्ची नेकनीयति की जरूरत है। बेहतर प्रशासन की जरूरत है, पुलिस को उचित प्रशिक्षण देने की जरूरत है और समुचित आसूचना प्रणाली की आवश्यकता है। आपको यह सब चीजें चाहिए। इस मायने में आप बिल्कुल विफल रहे हैं। आप सत्ता में आए, और सरकारी सेवकों की चाकरी में लग गए हैं। आप सब कुछ भूल गये हैं और जो भी पुलिस अधिकारी हाथ जोड़कर कहते हैं आप केवल वही कते हैं। वे सब अधिकारी काम नहीं करना चाहते। बेहतर जांच-विधियां अपनाना ही नहीं चाहते। किसी को काम करना नहीं आता। वे सटीक जांच-विधियां नहीं अपनाते, ठीक-ठीक आरोप-पत्र नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि वे सब भ्रष्ट और अकुशल लोग हैं। वे मंत्री को आश्वस्त कर देते हैं कि ऐसा कानून जरूरी है और उसे राजी कर लेते हैं - कारण, वे काम नहीं करना चाहते और ऐसे कानून बना लेते हैं। यह स्थिति हो गई है। यह कानून की विफलता नहीं, बल्कि प्रशासन की विफलता है।

मेरा कहना यह है कि सभी क्रूर कानून अंतत: राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगते हैं, और हम, वामपंथी दल—सदैव ऐसे कठोर कानूनों का शिकार करते हैं। कोरे आश्वासन देने भर से समस्या का हल नहीं होता। पहले भी, सारे मंत्री आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। ऐसे कानूनों का विरोधियों - विशेषकर राजनैतिक विरोधी, के खिलाफ दुरुपयोग किया गया और वामपंथी दल सदैव इनका शिकार बने हैं। हम अवसरवादी नहीं हैं। हमने 'टाडा' का विरोध किया था, हम 'पोटो' का विरोध कर रहे हैं और ऐसे किसी भी अमानवीय, नागरिक-विरोधी अधिनियम के विरुद्ध हम रहेंगे। हम पूरे दम-खम से उसका विरोध करेंगे, और मैं यहां 'पोटो' का विरोध करने के लिए ही खड़ा हुआ हूं।

सरकार ने कहा कि स्थिति चूंकि आत्यंतिक है, इसलिए उपाय भी आत्यंतिक ही होना चाहिए। हमारे माननीय गृह मंत्री ने यह तर्क सामने रखा है लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। सरकार देश के प्रति कर्त्तव्य का हवाला देकर यह कानून बनाना चाह रही है। सभी सरकारें ऐसा ही कहती हैं कि वे अमुक कानून इसीलिए बना रही हैं क्योंकि यह राष्ट्र के प्रति उनका कर्त्तव्य है!

महोदय, इस देश में ऐसा प्रचलन सा हो गया है कि केंद्र को सदैव राष्ट्र के लिए अहितकारी कार्यवाही करने का दोषी ठहराया जाये। हम इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं, और हम मानते हैं कि यह प्रमाणित विफलता है। पूर्व के ऐसे प्रत्येक कानून को दुरुपयोग की भावना से लाया गया और वाकई हमेशा ऐसा ही हुआ। इस विधेयक का भी दुरुपयोग होगा ही होगा - तथा ऐसा पुलिस और उन नौकरशाहों द्वारा किया जायेगा जिनकी निष्ठा और स्वतंत्र कार्यकारिता के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं है, विशेषकर इस सरकार के शासनकाल में। सेना, पुलिस और नौकरशाहों के लिए अपने राजनीतिक आकाओं की हां में हां मिलाना ही शेष रह गया है। न केवल वे अपने आकाओं की सोच की ताईद करते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का भी समर्थन करते हैं। फिर हम कैसे मान लें कि ये लोग निष्पक्षता से कार्य करेंगे? हम यह नहीं मानते और इसीलिए, हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

महोदय, मेरी अगली बात मानवाधिकारों के विषय में हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि इस देश में और भी कई कानून हैं। माननीय विधि

[श्री हन्नान मोल्लाह]

मंत्री स्मरण रखें कि हमारे देश में अनेक कानून हैं! हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है। आपको करना यह है कि उन्हीं कानूनों को मजबूत बनाएं। लेकिन, वर्तमान कानूनों को मजबूत बनाने की बजाय, सरकार एक और नया कानून लाने का प्रस्ताव कर रही है। हम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153(ख) में देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए उत्पन्न किसी भी खतरे से निपटने का प्रावधान है। हमारे पास भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय छह है, जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का निस्तारण करने की बात है। आपराधिक तत्वों के षडयंत्रों के लिए धारा 121(क) है और उसमें इस हेतु आजीवन कारावास का प्रावधान है। भारत सरकार के खिलाफ कोई आपराधिक कृत्य करने के इससे हथियार और अस्त्र-शस्त्र जमा करने पर धारा 122 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। राजद्रोह के कृत्य के लिए धारा 124(क) है। जनापराधों के लिए अध्याय-8 में व्यवस्था है। दो समूहों या समुदायों की बीच शत्रुता फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 153 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है।

महोदय, इसी प्रकार, हमारे यहां अधिनियम भी बहुत से हैं। हमारे पास आयुध अधिनियम, 1959; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम हैं। इन अधिनियमों में सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, बशर्ते सरकार इन कानूनों को लागू करने में ईमानदारी और कटिबद्धता का परिचय दे। हमारे पास विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, नागर विमानन सुरक्षा विषयक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है; और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम भी हैं। ऐसे अन्य कानूनों की एक सूची मैं आपको दे सकता हूं। यदि इन कानूनों को ही उपयुक्त रूप से संशोधित करके प्रयोग किया जाये, तो फिर आपको इन कानूनों की कॉकटेल करके एक नया कानून बनाने की आवश्यकता न होगी। संभवत: सरकार शाम को "काकटेल" ही पसंद करती है।

महोदय, सरकार की विफलता हमारी आपराधिक न्यायप्रणाली की विफलता के कारण है। हमारी आपराधिक न्याय-प्रणाली पुरानी, अक्षम और भ्रष्ट है। सरकार को चाहिए कि प्रयत्न करे और इसमें सुधार करे। जांच-तंत्र बहुत कमजोर है और इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप भी काफी होता है। यदि ईमानदार राजनेता प्रशासन चलाएं तो वे प्रणाली को बदलने का प्रयास करेंगे। जो पहले से ही और उपलब्ध है उसका सर्वोत्तम उपयोग करेंगे।

महोदय, अब मैं देश में न्यायालयों की कमी के प्रश्न पर आता हूं। हमारे पास समुचित आधारभूत संरचना नहीं है। सरकार अभियोगाधीन मामलों को तेजी से निपटाने के प्रति चिंतित नहीं है। वह तो केवल कानून बनाना चाहती है। बिना नया कानून बनाये वह काम ही नहीं कर सकती। समुचित आधारभूत संरचना के प्रश्न की उसके लिए कोई कीमत नहीं है।

महोदय, सरकार इस विधेयक में पर्याप्त सुरक्षोपाय करने के बारे में कह रही है। वे सुरक्षोपाय क्या हैं? वे केवल गुमराह करने वाले और भ्रामक हैं सरकार समीक्षा करने के बारे में कह रही है। ऐसे नौकरशाहों और चंद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक समीक्षा की गई, जिनकी स्वतंत्र रूप से, कर्त्तव्य भाव से काम करने के सद्गुणों की गई, जिनकी स्वतंत्र रूप से, कर्त्तव्य भाव से काम करने के सद्गुणों के लिए कभी कोई ख्याति नहीं रही; और विशेषकर, वर्तमान सरकार के अधीन तो वे राजनैतिक इशारे पर ही काम करने लग गए हैं। तो, उनसे तो यह काम नहीं होगा।

महोदय, फिर सरकार जमानत के प्रावधान के बारे में कहती रही है। जमानत का निर्णय केवल इस आधार पर ही नहीं होगा कि आरोपी को प्रथम-दृष्टया दोषी नहीं पाया गया है। क्या मतलब है इसका? यह प्रमाण की सामान्य परिपाटी के ही प्रतिकूल बात हो जायेगी। तीसरे, व्यापक तौर पर माना जा रहा है कि इस नये कानून से निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न तथा यातना देने की घटनाएं बढ़ेंगी जबकि सरकार का आश्वासन है कि ऐसा नहीं होगा। आखिर में यही कहना है कि जिस प्रकार पूर्व में ऐसे काले कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, उसी प्रकार इस कानून का भी दुरुपयोग होना तय है।

सरकार इस विधेयक के कतिपय प्रावधानों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकती। उसने इस विधेयक में ऐसी शक्ति का प्रावधान ही नहीं किया है। यहां तक कि विधेयक से कहीं भी नहीं लगता कि विधेयक का दुरुपयोग नहीं होगा।

माननीय विधि मंत्री अमरीका के संगत कानूनों की बात कर रहे हैं। क्या हम इस विधेयक की अमरीका के संगत कानून से तुलना कर सकते हैं? उस कानून में भी कई काले, क्रूर प्रावधान हैं। हमारी सरकार ने मानो यह परम्परा ही बना ली है कि वह बुश के नये अवतार का ही अनुसरण करेगी। बुश ने तो बड़ी धृष्टता से कह दिया-"या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आतंकवादियों के साथ"। यह सरकार भी वैसा ही कह रही है। यह भी कह रही है कि- "या तो पोटो का समर्थन करो, नहीं तो समझा जायेगा कि तुम आतंकवादियों के साथ हो।" इससे धिक्कार योग्य कथन और कोई नहीं हो सकता। हम साम्राज्यवादियों का समर्थन नहीं कर सकते; हम आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर सकते; और न ही हम वैयक्तिक अधिकारों को कुचलने

की मंशा से किये जा रहे इन दबाव भरे प्रयासों का समर्थन करेंगे।

अमरीका का यह कानून बना कैसे? घटना के बाद, उन्होंने इसे बनाने में छह हफ्ते का समय लिया। सभी प्रमुख दल साथ बैठे, प्रारूप तैयार किया और उसे पारित किया। उनके द्वारा निर्मित कानून और 'पोटो' में कोई तुलना नहीं हो सकती। क्या मंत्रीजी कृपया सभा को यह बताने का कष्ट करेंगे कि अमरीकी कानून अपने ही देश के नागरिकों के साथ क्रूरता से निपटने के लिए है? क्या वह कृपया सभा को बतायेंगे कि क्या अमरीकी कानून यह कहता है कि उसके अपने देश के नागरिक, बिना साधारणतम विधिक उपायों की राहत पाए, कारावास में ठूँस दिये जायेंगे? क्या मंत्री जी सभा को यह बतायेंगे कि क्या अमरीकी कानून के तहत, साधारण विधिक प्रक्रियाओं की राहत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है? अमरीकियों ने निगरानी, धनशोधन, घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की आसूचना में सुधार करने इत्यादि से संबद्ध अपने वर्तमान कानूनों को मजबूत करने के लिए वह कानून बनाया है। अमरीकी कानून की धारा 11 में ...*(व्यवधान)* मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। उस कानून में भी कई क्रूर प्रावधान हैं। बस, मैंने तो इसीलिए बताया कि मंत्री जी जो यह कह रहे थे कि– ''चूंकि उन्होंने किया है; तो हमने भी किया।'' लेकिन, वहां भी, विदेशी नागरिकों के अनिश्चित कारावास से सम्बन्धित प्रावधान का विरोध किया गया। वहां की सभा और सीनेट ने साथ-साथ बैठक की और आखिर, हिरासत की अवधि को कम करके सात दिनों का कर दिया। यह सरकार तो एक वर्ष की अवधि की बात कर रही है। श्री प्रकाण मणि त्रिपाठी ने एक वर्ष के कारावास के प्रावधान को रखने की वकालत की।

'टाडा' बनाम 'पोटो' – का भी प्रश्न उठाया जा रहा है। 'टाडा' के तहत, प्रत्येक दो वर्ष बाद समीक्षा की अनुमति थी। लेकिन, 'पोटो' के तहत समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने बड़ी चतुराई से कह दिया है कि 'जब आवश्यक होगा' – एक समीक्षा-समिति बना दी जायेगी। लेकिन यह कौन निर्धारित करेगा कि आवश्यकता कब है कब नहीं है? समीक्षा-समिति का होना अनिवार्य क्यों न बना दिया जाए? ऐसे ही प्रावधानों से सरकार के इरादे बिलकुल स्पष्ट हो जाते हैं।

यह विधेयक किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। यह सारे देश में लागू होगा। 'टाडा' को पहले पंजाब में लागू किया गया था और फिर अन्य राज्यों में इसे विस्तारित कर दिया गया था। यह विधेयक पूरे देश में लागू होगा। यह हत्या, डकैती आदि के उन मामलों पर भी लागू किया जायेगा, जो सामान्यतया भारतीय दण्ड संहिता के तहत आते हैं। सरकार उन मामलों को भी इसके तहत क्यों ला रही है, जिनका निपटारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया के तहत होता है? इसका प्रयोजन क्या है?

इस विधेयक से प्रैस की स्वतंत्रता को खतरा है। यद्यपि सरकार ने प्रावधान में परिवर्तन अवश्य कर दिया है, तो भी इस विधेयक से प्रैस की स्वतंत्रता खतरे में रहेगी। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत, किसी भी संगठन को, बिना किसी साक्ष्य के, केवल राजपत्र में उसका नाम भर प्रकाशित करते आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। क्या है यह सब? सरकार ने 23 संगठनों को आतंकवादी संगठन करार दिया है, लेकिन यह 'बजरंग दल' और 'विश्व हिंदू परिषद' के मामले में ऐसा नहीं करेगी। ये संगठन भी अन्य आतंकवादी संगठनों की भांति ही राष्ट्र विरोधी हैं – ये भी बराबर देश के दुश्मन हैं!

कभी-कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुशर्रफ में भी अपने देश में इस्लामी कट्टरपंथियों से मुकाबला करने का दमखम है, हालांकि वह हमारे देश के लिए उग्रवादी, कट्टरपंथी और दुश्मन ही हैं। उसमें अपने देश में इस्लामी कट्टरपंथियों के विरुद्ध बल प्रयोग का माद्दा है। लेकिन, हमारे देश में तो सरकार ने हिंदू कट्टरपंथियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है! सरकार के पास इतना भी साहस नहीं है! देश की स्थिति यह हो गई है।

फिर, विशेष न्यायालयों की बात आती है। जैसा कि श्री जयपाल रेड्डी ने पहले ही कहा है, ''भेदभाव की नीति'' यहां भी अपनाई जायेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा – कोई भी सोच सकता है। उसमें यह सोचने की भी गुंजाइश नहीं है कि कोई निर्दोष हो भी सकता है?

अपराह्न 5.00 बजे

वकील की अनुपस्थिति के संबंध में भी एक खंड है। यह कहता है कि मुकदमे की सुनवाई अभियुक्त या उसके वकील की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है। आप मामले को बिना उसके प्रतिनिधि के कैसे समझ सकते हैं। यदि इसे अभी पारित कर दिया जाता है तो कम से कम संसद द्वारा इस विधेयक की समीक्षा हर वर्ष होनी चाहिए न कि अप्रत्यक्ष रूप से जिसका प्रस्ताव अभी किया गया था।

तत्पश्चात्, इसके दुरुपयोग का प्रश्न है। मैंने इसके बारे में पहले ही कहा था कि डी.आई.आर., नासा, मीसा, इत्यादि का दुरुपयोग हुआ था। हम लोग सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं। चाहे जो भी सत्ता रही हो, वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं को सरकार द्वारा हमेशा सलाखों के पीछे रखा गया। 'टाडा' का भी दुरुपयोग हुआ था और मात्र एक प्रतिशत आरोपियों को ही दंडित किया

[श्री हन्नान मोल्लाह]

गया। वही चीजें यहां भी होंगी। इसे लोगों के खास तबके के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा और प्रतिपक्ष, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी और अंतत: लोग इसके शिकार होंगे। अत: लोकतांत्रिक आंदोलनों को कौन संगठित करेगा। इसका प्रयोग लोकतांत्रिक आंदोलनों के विरुद्ध होगा और इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

उसके बाद दूसरा प्रश्न विषय-वस्तु को लेकर है। मैं पोटो की विषयवस्तु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इसकी परिभाषा के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या यह एक परिभाषा है? यह महान परिभाषा है। इसकी परिभाषा रूश्दी के उपन्यास जैसी है, यह बहुत विशाल है और इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने सभी खंडों में ऐसा प्रावधान किया है जिसके द्वारा वे हर किसी को कुचल सकते हैं। मैंने पहले कभी ऐसी परिभाषा नहीं देखी। यह बहुत ही विशाल है। इसमें सब कुछ शामिल किया गया है।

मैं 'अपराध' संबंधी प्रावधानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यहां अपराध की क्या परिभाषा है? अपराध किसी व्यक्ति द्वारा वास्तव में किये गए कृत्य पर आधारित नहीं होगा बल्कि यह उस कृत्य के पीछे छिपी मंशा पर आधारित होगा जिसकी व्याख्या कानून लागू करने वालों द्वारा की जाएगी। मंशा का फैसला कौन करेगा? मंशा ही निर्णायक कारक होगी न कि वास्तविक कार्रवाई। मंशा क्या थी - इसका निर्णय कौन करेगा?

[हिन्दी]

उसके पीछे क्या मंशा है, कौन जांच करेंगे - आफिसर्स, पुलिस। क्या ये लोग सही जांच करेंगे?

[अनुवाद]

यह सरकार के हाथ में एक खतरनाक हथियार है और इसे प्रतिपक्ष के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए धारा 3(1)(क)(ख) और उत्तरवर्ती धाराओं की जांच की जाए। आपको एक उचित और सुस्पष्ट परिभाषा रखनी चाहिए ताकि इन तमान आशंकाओं को दूर किया जा सके। यह कानून है समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

धारा 3(5) आपराधिक विधिशास्त्र के सभी मानदंडों के विरुद्ध है। मैं सरकार से इस धारा पर भी पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा जिसमें प्रावधान है कि एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता मात्र से ही आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है।

धारा 3(3) में उन्होंने अधिवक्ता (एडवोकेट), ठकसाना (अबेट), परामर्श (एडवाइज) इत्यादि जैसे अत्यंत असंगत शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार के शब्दों का किसी भी कानून में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। सर्वाधिक निन्दनीय प्रावधान है कि किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाना जिस पर मात्र सन्देह भर हो कि उसके पास कोई जानकारी है। जिसकी परिणति आतंकवादी कार्यवाही के आरोपी के रूप में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी में हो सकती है। इसका धारा 14(1) और धारा 14(2) में उल्लेख किया गया है। पोटो के अनुसार सरकारी राजपत्र में किसी संगठन का मात्र नाम भर प्रकाशित करके उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। लोगों को सभी विधिक उपायों से वंचित कर देने पर और बदतर हो जाती है। प्रतिबंध लगाने की निरंकुशता यह धारा 18 और 19 में उल्लिखित है।

धारा 32(1) में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों के समाने किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य माना जायेगा जबकि सामान्य प्रक्रिया में न्यायालय में अथवा किसी न्यायिक दंडाधिकारी के सामने दिया गया इकबालिया बयान ही स्वीकार्य होता है। इससे हिरासत में दुव्यर्वहार और उत्पीड़न ही होगा। ऐसा होना ही है और पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री मेथड का प्रयोग किया जाएगा।

अध्याय-5 में टेलीफोन और अन्य जानकारी के टेप किये जाने का प्रावधान है इससे अंततोगत्वा न्यायालयों द्वारा वैध ठहराए गए गोपनीयता संबंधी अधिकारों का उल्लंघन ही होगा।

इस पर भी अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

जमानत और रिमाण्ड के प्रावधान भी बहुत सख्ती से प्रतिबंधित हैं और यदि किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बिना किसी आरोप के जेल में रखा जा सकता है। यह एहतियाती कैद से कम कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अभियुक्त अथवा उसके वकील की अनुपस्थिति में संक्षिप्त विचारण और विचारण का प्रावधान है। यह धारा 29, उप-धारा (5) के अनुसार है। मैं कहूंगा कि ऐसा निहित स्वार्थ से किया गया है। कोई आवश्यक नहीं है कि साक्ष्य का प्रकट किया जाए। पुलिस ने स्वयं को सही साबित करने हेतु अपने साक्ष्य की व्यवस्था की है। वे स्वतंत्र और उपयुक्त रूप से व्यवहार नहीं करते हैं। यह दुरुपयोग होने के लिए बाध्य है क्योंकि इस धारा के उल्लंघन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

जबकि यह कानून प्रथमत: अपराध को परिभाषित करता है और मुख्यत: इरादे को और चूंकि इरादे का निर्णय और अभियोजन भ्रष्ट तथा कानून लागू करने वाली अनुपयुक्त मशीनरी द्वारा किया

जाना है, प्रयोग और दुरूपयोग दोनों हो सकता है। पोटो निर्दोष और दोषी के बीच फर्क की अनदेखी करता है। सामाजिक दूरदृष्टता और समाज विरोधियों, नागरिक स्वछंदतावादियों, कपटी लोगों, कवियों और चारण भाटों, अलगाववादियों और बदमाशों, किसानों, क्रांतिकारियों और चोरों सभी को एक श्रेणी में रखता है वह श्रेणी है - आतंकवादी। इसलिए हम इसके कारण इसका विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि पोटो अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लाएगा और इसके कारण हम इसका विरोध करते हैं।

हम दूसरों से देशभक्ति सीखने नहीं जा रहे हैं। हम सबसे ज्यादा भुक्तभोगी रहे हैं और हम जानते हैं कि हमें इन फासीवादी ताकतों के हाथों और अधिक प्रभावित होना है परन्तु हम आत्मसमर्पण नहीं करने जा रहे हैं।

अंत में यह पूछा गया है कि बंगाल सरकार 'पोको' की बात क्यों करती है? मैं समझता हूं कि हमें इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। पोको के बारे में बहुत शोर हो रहा है। केन्द्र सरकार का तर्क है कि यदि पश्चिम बंगाल 'पोको' पाती है तो हम 'पोटो' का विरोध क्यों कर रहे हैं। हम इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि तुलनात्मक रूप से दोनों के बीच कुछ भी आम बात नहीं है? मात्र अनभिज्ञता तुलना का कारण है। 'पोको' पूर्णत: विशेष मामले पर आधारित है। यह अपहरण जैसे संगठित अपराध के संदर्भ में सोचा गया था। इस प्रस्तावित अधिनियम का राज्य के अंदर बहुत ही सीमित उद्देश्य है। लेकिन इसकी पोटो के सैकड़ों कठोर खंडों से तुलना की जा रही है।

एक समाचार-पत्र जो अक्सर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करता है ने कतिपय टिप्पणियां की हैं और मैं दिनांक 8.11.2001 के 'दी टेलीग्राफ' कोलकाता से उद्धृत करना चाहूंगा:

> ''वास्तव में वे (श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य) अमेरिका में 11 सितम्बर के आतंकवादी हमले के पहले किसी ऐसे कानून के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे जिसने पोटो को बढ़ावा दिया क्योंकि हाल के महीनों में पश्चिम बंगाल में फिरौती के लिए अपहरण और गिरोहबाजी जैसे संगठित अपराधों में वृद्धि हुई है। खटाऊ के मालिक (व्यवसायी) के अपहरण से भी यह खुलासा हो गया है कि नये अपराध का जाल विभिन्न राज्यों और कभी-कभी देश की सीमा के पार तक फैला हुआ है और सरकार न सिर्फ इस जाल को तोड़ने बल्कि संगठित अपराध को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण अधिकारों की आवश्यकता महसूस करती है।''

इसलिए यह वास्तविकता है। बिना कुछ जाने सदस्य पोको के बारे में बात कर रहे हैं। यह पूर्णत: विशेष मामले पर आधारित प्रस्ताव है और इसकी सभी सैंकड़ों कठोर मानव विरोधी, बर्बर प्रावधानों से तुलना नहीं की जा सकती जो पोटो में है। इन सभी चीजों के कारण मैं इसका अपनी पूरी शक्ति से विरोध करता हूं। हम जानते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा और जब भी इसका दुरुपयोग होगा हम ऐसे सभी दुरुपयोग के विरुद्ध सड़कों पर संघर्ष करेंगे। जैसाकि हमने पहले भी किया है।

श्री अरुण जेटली : सभापति महोदय, हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून पर चर्चा कर रहे हैं। हम जब भी विधान बनाते हैं तो कानून का विषय जिसे हम तैयार करते हैं वह हमेशा समस्याओं से कुछ न कुछ जुड़ा होता है जिसका हल खोजने की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि भारत का संघर्ष और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष मुख्य रूप से सीमा पार से आतंकवाद जो घोर आतंकवाद का कुछ रूप भी है; वास्तव में गत वर्ष के 11 सितम्बर से शुरू नहीं हुआ है। हम गत पंद्रह वर्षों से इस आतंकवाद के शिकार रहे हैं और इतना ही नहीं जब हम एक कानून तैयार करते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि यह कोई मामूली अपराध नहीं है जिससे हम निपट रहे हैं।

महोदय, श्री एस. जयपाल रेड्डी ने कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है और उन्होंने मुझ पर आक्षेप लगाया है कि इस देश को हमारे कारण आतंकवाद के नाम पर भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मेरे पास तीन से चार महीने पहले के अद्यतन आंकड़े हैं। मैं कुछ तुलनात्मक आंकड़े दूंगा क्योंकि सामान्यत: यह कहा जाता है कि आतंकवाद एक लघु स्तर का युद्ध है। इस देश ने चार बड़े युद्ध लड़े हैं और उन चारों बड़े युद्धों में हमारे कुल पांच हजार चार सौ अड़सठ (5468) लोग मारे गए। लेकिन गत पंद्रह वर्षों के तथाकथित लघु स्तर के युद्ध में हमारे 61,013 नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा 8706 सुरक्षाकर्मी मारे गए। हमारे लोग बेघर हो गए। इस देश के लगभग छह लाख लोग आतंकवाद के कारण बेघर हो गए। मैं पूरा ब्यौरा दूंगा।

हमारी सशस्त्र सेनाओं के खर्च के अलावा अलगाववाद और सीमा पार से फैलाई जा रहे आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाए रखने हेतु आर्थिक खर्चा 45,000 करोड़ का रहा है। यहां हमारे क्षेत्र, इलाके और निर्वाचन क्षेत्र जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं के लिए हम में से प्रत्येक दिन-ब-दिन विभिन्न सुविधाओं की मांग करते हैं कि हम अस्पताल चाहते हैं, हमें स्कूल चाहिए और हमें सड़कें इत्यादि चाहिए। अलगाव-विरोधी के लिए राज्यों और केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से इस देश द्वारा 45,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। आतंकवाद अथवा

[श्री अरुण जेटली]

आतंकवाद रोधी गतिविधियों के कारण गत पंद्रह वर्षों में बजट में 26 गुणा वृद्धि हुई है। हमारे पास उन विस्फोटकों का कोई रिकार्ड नहीं है जिन्हें देश के विभिन्न भागों में प्रयोग किया गया। हमारे पास अपराध का रिकार्ड है। परन्तु हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 48,000 किलो विस्फोटक जब्त किए गए हैं। यदि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस 48,000 किलो विस्फोटकों को जब्त करने में पर्याप्त सतर्क नहीं होती तो संभवत: यह भारतीय भूमि के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करने में सक्षम थे।

माननीय सदस्य ने अभी पूछा है कि कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। जो क्षेत्र प्रभावित हैं उनमें केवल कश्मीर ही नहीं है; पंजाब प्रभावित रहा है; कश्मीर भी सीमापार से उग्रवाद के कारण प्रभावित रहा है। इसने मुम्बई, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों को भी प्रभावित किया है। पूर्वोत्तर भी उग्रवाद के कारण प्रभावित हुआ है। इससे निकास और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। माओवादी आतंकवादी समूह है; पीपुल्स वार ग्रुप और अन्य समूह हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सहित नेपाल सीमा तक एक बड़ा भाग इससे प्रभावित है। ऐसा उग्रवाद और आतंकवाद था जिससे तमिलनाडु भी प्रभावित रहा। हमने इस प्रकार के आतंकवाद में अपने दो पूर्व प्रधान मंत्री खोए हैं। यहां विभिन्न रूपों में आतंकवाद है। आपको आर्थिक रूप से इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके सामने इस देश के नागरिक हैं और हमारे सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं।

इस सबका क्या प्रभाव है? आतंकवाद प्रत्येक राजनैतिक प्रणाली को कमजोर करता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है क्योंकि तब लोग कहते हैं कि हमें आतंकवाद के विरुद्ध कड़े उपाय करने चाहिए। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास कमजोर करता है। यह आर्थिक प्रगति को रोकता है। आंध्र प्रदेश में जब पीपुल्स वार ग्रुप ने व्यापारिक स्थापनों पर हमले शुरू किये थे तो हम सभी चिंतित थे क्योंकि यह वह राज्य था जहां इतनी भारी आर्थिक प्रगति हो रही थी और इसका उद्देश्य किसी प्रकार इसे रोकने की कोशिश करना था।

निवेशक उन क्षेत्रों में निवेश नहीं करते जहां जेहादी लोग बंदूकें लेकर घूमते हैं। अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। केवल इतना ही नहीं है। जब आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उपाय किए जाते हैं तो कभी-कभी इन उपायों से लोगों के एक वर्ग में अलगाववाद पनपने लगता है।

अत: हमारी सम्प्रभुता, एकता और एकजुटता तथा हमारी राष्ट्रीयता की भावना के संबंध में आतंकवाद इनमें से प्रत्येक पर चोट करता है। यह आतंकवाद की समस्या की गंभीरता है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या समाप्त हो गई है। मैं केवल तीन या पांच वाक्य पढ़ूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अंतरराष्ट्रीय तथा सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और किस प्रकार उनकी बुरी नजर हमें निशाना बना रही है। क्या मैं अमदोर कैम्प में 5 फरवरी, 2000 को राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाषण से उद्धृत कर सकता हूं:

> ''जेहाद आतंकवाद नहीं है। मुजाहिदीन संगठन आतंकवादी संगठन नहीं हैं। अफगान युद्ध के दौरान जेहाद को पुनरुजीवित किया गया और अब कश्मीर में जेहाद है। जो मुस्लिम विश्व के विभिन्न भागों से समर्थन करते आ रहे हैं वे पीड़ित भाई और बहन हैं।''

उन्हें कहना पड़ा था:

> ''भारत के खिलाफ जेहाद करना मुस्लिम दुनिया का फर्ज है। कश्मीर मामले को जेहाद के अलावा और किसी अन्य माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता।''

ऐसा 27 अगस्त, 2000 को ओसामा बिन लादेन द्वारा कहा गया था। मसूद अंजहर, जिसको उस अपहरण की वजह से छोड़ा गया था, का कहना है:

> ''हमारा उद्देश्य कश्मीर नहीं है। हमें नई दिल्ली पर कब्जा करना है।''

जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ऐसा कहते हैं। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। भारत में काफी संगठन हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा उल्लेख किया गया था और मैं केवल अपनी ओर से उद्धृत नहीं कर रहा हूं। ये सिमी जैसे संगठनों के प्रकाशन हैं। यह जुलाई, 2000 का प्रकाशन है:

> ''लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षवाद और राष्ट्रीयता की विचारधाराओं ने पूर्व के भक्ति के उद्देश्यों का स्थान ले लिया है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि इन विचारधाराओं को समाप्त करें और खलीफावाद की स्थापना करें फलां-फलां द्वारा आदेश दिए गए थे।''

यही संकट है जिससे हम लड़ना चाह रहे हैं। जब हम आज कानून बनाने के संबंध में सोच रहे हैं तो विधि-निर्माण में इस समस्या का समाधान होना चाहिए। एक बहुत सरल तर्क दिया गया था। श्री हन्नान मोल्लाह ने अभी-अभी कहा है कि हमारे पास पर्याप्त कानून हैं और विद्यमान कानून हैं। जब आपने कहा कि हमारी आपराधिक कानून व्यवस्था चरमरा गई है तो इस सच्चाई

को स्वीकार करना दुखद है। परन्तु क्या आपको जानकारी है कि तथाकथित साधारण कानूनों, जिनकी आपने अभी बात की है, को अंतर्गत दोषसिद्धि की दर क्या है? कभी-कभी हम आंकड़ों को छिपाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि धारा में दोषसिद्धि की दर 40 प्रतिशत है। परन्तु यह 40 प्रतिशत वस्तुत: छद्मावरण है। क्योंकि जब भी कोई चालान होता है और कोई 100 रुपए दंड के रूप में देता है तो इसे दोषसिद्धि कहा जाता है। हर बार कोई दोषी महसूस करता है और कम्पनी कानून के अंतर्गत कुछ दंड देता है तो हम इसे दोषसिद्धि मानते हैं और कहते हैं कि दोषसिद्धि की दर 40 प्रतिशत है। जघन्य अपराध यथा हत्या और उससे ऊपर में तथाकथित सामान्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर घटकर 6.5 प्रतिशत तक आ गई है। अत: जब हम कोई अपराध करते हैं *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): क्या कारण है?

श्री अरुण जेटली : कई कारण हैं। यदि आप चाहते हैं तो हम उन कई कारणों पर स्वतंत्र चर्चा कर सकते हैं। एक कारण है कि जब आप इन दुर्दान्त अपराधियों से निपटते हैं तो वास्तव में आपराधिक कानून के हमारे कुछ पुरानी धारणाओं को बदलना होगा। यदि माननीय सभा सहमत हो तो हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। यह एक दुखद वास्तविकता है कि भारत में अपराध कम जोखिम का काम हो गया है। यह एक बड़ा निजी कारोबार है जिसमें 93 प्रतिशत संभावना है कि आप कोई खूंखार अपराध करें और इससे बच निकलें। परन्तु जब कानून कठोर बनते है, जब संगठित अपराध के खिलाफ इस कानून की प्रतिमूर्ति को महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है तो 'मकोका' के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर क्या है? मुझे इस बात की जानकारी है कि अंतिम रूप से दर निर्धारित करने के लिए इसका काफी लम्बी अवधि तक परीक्षण करना पड़ेगा। परन्तु गत लगभग ढाई वर्षों में महाराष्ट्र के कानून, जो कि वैसा ही है, के अंतर्गत अब तक दोषसिद्धि की दर क्या है? यह 75 प्रतिशत से ऊपर है। मैं उन कारणों पर प्रकाश डालूंगा कि मकोका के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर 75 प्रतिशत से अधिक क्यों है? संभवत: उससे उस प्रश्न का समाधान हो जाए जिसे माननीय सदस्य ने उठाया था। कई मुद्दे उठाये गए हैं। जहां तक इस कानून का संबंध है मैं श्री जयपाल रेड्डी और श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा उठाये गए दो प्रमुख मुद्दों पर आता हूं। एक आलोचना जो कि गई है वह यह है कि इस कानून की एक परिभाषा अवश्य होनी चाहिए और यह कि परिभाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए। यह कहना बहुत आसान है कि परिभाषा को सुस्पष्ट बनायें। मैं किसी माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि कृपया परिभाषा को पढ़ें और पुन: पढ़ें तथा कृपया मुझे बतायें कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसे शामिल नहीं किया गया है और कौन-सी गैर-आतंकवादी गतिविधि है जिसे शामिल किया जा सकता है। यदि आप सुस्पष्ट हैं और यदि नारेबाजी न करें तो हम दोष सुधार के लिए तैयार हैं। केवल दो सुस्पष्ट सुझाव थे जो परिभाषा के बारे में श्री जयपाल रेड्डी ने दिए। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि कानून की इस प्रकार से व्याख्या स्वीकार नहीं की जा सकती। एक सुझाव जो उन्होंने दिया वह था कि उनकी व्याख्या के अनुसार मजदूर संघों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं क्योंकि जो कोई भी आवश्यक आपूर्ति में बाधा पहुंचाता है उसे पोटो अथवा पोटा के अंतर्गत लाया जाएगा। मैं यह दर्शाने के लिए कि कैसे परिभाषा को गलत ढंग से दिखाया जाता है परिभाषा पढ़ने के लिए केवल दो मिनट लूंगा। इसमें कहा गया है:

> "जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा तथा संप्रभुता को हानि पहुंचाने के इरादे से अथवा लोगों के दिमाग में आतंक फैलाता है ....."

हम इससे सहमत अथवा असहमत हो सकते हैं। परन्तु कम से कम हमारे मजदूर संघों के नेता राष्ट्रवादी नेता हैं। किसी ने भी कभी यह सुझाव नहीं दिया कि जब हमारे मजदूर संघ नेता हड़ताल करते हैं तो वे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा तथा संप्रभुता को हानि पहुंचा रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : इतिहास क्या है? देखिए कितने नेताओं को विभिन्न कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मोल्लाह, कृपया बाधा न पहुंचाएं।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं इनके दबाव में नहीं आऊंगा। इसलिए, पहली पूर्व-शर्त तथा परिभाषा यह है कि आप भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालें। मजदूर संघ आंदोलन ऐसा नहीं करता। स्पष्टत: इन्हें शामिल नहीं किया गया है *...(व्यवधान)* कि आपको अपने दाईं ओर देखना चाहिए और अपने मित्रों से पूछना चाहिए कि उन्हें किसने जेल में बंद किया। हमने नहीं किया।

दूसरी शर्त है, "".....अथवा लोगों या लोगों के किसी वर्ष में आतंक फैलाने के लिए, डायनामाइट, विस्फोटक अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करके कोई कार्य करता हैं।" इसलिए भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी पूर्व-शर्त के लिए आपको बम्म का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कार्य पी.डब्ल्यू.जी. कर रही है, आपको विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, आपको आग्नेय अस्त्र प्रयोग करने चाहिए

[श्री अरुण जेटली]

तथा आपको डायनामाइट का प्रयोग करना चाहिए। इन दो शर्तों का उपयोग करते हुए यदि आप निम्नलिखित कार्य करते है, तो आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से एक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करता है। जैसे आप विद्युत संयंत्र पर बम विस्फोट करते हैं और आप शहर की समस्त जलापूर्ति को बाधित करते हैं। कोई भी आतंकवादी समूह जो एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के लिए बमों का प्रयोग करता है और फिर आपूर्ति को बाधित करता है, उसे 'पोटो' के अन्तर्गत रखा जाएगा। साधारणतया हड़ताल पर जाने वाले को पोटो के अन्तर्गत नहीं रखा जाएगा। ऐसा करना परिभाषा की गलत व्याख्या है। मैं श्री जयपाल रेड्डी जैसे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य से परिभाषा के वाचन को ठीक करने का अनुरोध करता हूं। दूसरा कारण समूचे तर्क को साम्प्रदायिक रंग प्रदान करने के कारण था - जिस तर्क के अन्तर्गत टाडा आतंकवाद की परिभाषा दी गयी थी। परिभाषा बदले जाने के उचित कारण थे। जबकि परिभाषा बदले जाने का गलत कारण था। आप ये सब कार्य करें और इन कार्यों का परिणाम इन दोनों में से एक होगा - या तो इससे जनता के मन में आतंक अथवा भय उत्पन्न होगा या फिर समुदायों के बीच मनमुटाव उत्पन्न होगा। इसलिए यदि पीपुल्स वार ग्रुप व्यापार प्रतिष्ठान पर बम विस्फोट करता है और यह कहता है कि समुदायों में कोई मन-मुटाव नहीं है, टाडा के प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी अन्वेषकों ने कहा था कि इसमें बड़ी खामियां हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कई निर्णय दिए हैं। इस संबंध में सबसे खेदजनक निर्णय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समझौते के कारण लिट्टे को कुछ आपत्तियां थीं। वे बदला लेना चाहते थे और उन्होंने उन्हें मार डाला। इस प्रकार, समुदायों के मनमुटाव की बात कहां है?

अतएव, श्री राजीव गांधी की हत्या पर भी टाडा नहीं लगाया गया था। इन दो पूर्व-शर्तों ने परिभाषा को बहुत ही सीमित कर दिया। इससे अनुचित पूर्व-शर्तों को जोड़ा गया। वास्तव में, जब हमने इसमें परिवर्तन किया तो वास्तव में मैंने यह सूचना सभा में दी - एस.आई.टी. में अपराधों की जांच करने वाले वरिष्ठतम अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था: "शुक्र है, आपने इस परिभाषा को परिवर्तित किया क्योंकि इस परिभाषा के अन्तर्गत, किसी को भी टाडा के अन्तर्गत लाना असंभव नहीं तो कठिन जरूर था।" आज, साम्प्रदायिक मनमुटाव उत्पन्न करने के लिए, यदि कोई बमों का उपयोग कर रहा है, यदि वह बमों का उपयोग कर भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता को खतरे में डाल रहा है, तो वह स्वत: ही इसके घेरे में आ जाता है। प्रतिबंधात्मक परिभाषा को हटाना पड़ा क्योंकि प्रतिबंधात्मक परिभाषा के कारण, टाडा के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले में भी अभियुक्त को हिरासत में लिया जाना असंभव था। मैं आपसे इस तर्क को साम्प्रदायिक रंग नहीं देने का अनुरोध करता हूं। ऐसा आपराधिक कानून अन्वेषण कारणों से किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कानून ने यह परिभाषा देने एवं इन परिवर्तनों को करने के लिए बाध्य किया।

यह कानून और क्या व्याख्या करता है? यदि मैं इसे आम भाषा में कहूं, तो इसके अनुसार आतंकवाद को परिभाषित करने के बाद यह कानून कहता है कि उक्त आतंकवादी समूह की सदस्यता पर प्रतिबंध है। यदि आप आतंकवादी संगठन का सदस्य बनते हैं और उक्त संगठन की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं, तब आप पर पोटो लागू होता है। पहले, जब प्रारूप तैयार किया गया था तब यह अध्याय उसमें शामिल नहीं था। परन्तु, इन दस वर्षों में न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी इस संबंध में सुविचारित मत दिया गया है। आतंकवाद से निपटने के तरीकों के बारे में सुविचारित अन्तर्राष्ट्रीय विधिक एवं न्यायिक मत भी दिया गया है। कानून आतंकवादियों को दंडित करेगा। परन्तु हमारा कानून अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। हम अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों से दो-चार होते हैं। अंतत: जब हमने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों पर नजर डाली, तो यह पाया कि जहां तक किसी आतंकवादी समूह की सदस्यता का संबंध है, ब्रिटिश कानून में आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक विशिष्ट अध्याय है। श्री जयपाल रेड्डी हमारे कानूनों को अनुपालन संबंधी मामलों में ब्रिटिश एवं अमेरिकी कानूनों के अनुरूप बनाना चाहते हैं। आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता स्वत: ही दंडनीय अपराध बन जाती है।

क्या मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? फिर, समीक्षा के विरुद्ध शक्तियां प्रदान की गई हैं। समीक्षा समिति के पश्चात्, आपके पास उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय तक जाने की शक्ति होती है। भारत में एक न्यायिक प्रणाली विद्यमान है। समग्र आपत्ति यह उठाई जा रही है कि: "सरकार के पास आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां क्यों होनी चाहिए?" हमारे देश ने आतंकवादी गतिविधियों की बहुत बड़ी कीमत चुकायी है। ऐसे तर्क कैसे दिए जा सकते हैं कि इन आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? राजनीतिक प्रणाली द्वारा उनका समर्थन क्यों किया जाना चाहिए? "हम आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं समझते?" ब्रिटेन विश्व के सर्वाधिक उदारवादी लोकतंत्रों में से एक है जिसके पास आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक पूरा अध्याय है। हमने इस अध्याय का अध्ययन किया है। हमने इसकी विधिक जांच की

थी। हमने यह महसूस किया कि यह परम आवश्यक है। प्रत्येक प्रभावी आतंकवादी-रोधी कानून के मामले में, आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता वाले एक अध्याय की आवश्यकता है।

दूसरा घटक यह है। दूसरा घटक टाडा में नहीं था। यदि आप अपराध, जोकि आतंकवाद ही है, के माध्यम से धन का अर्जन करने का प्रयास करते हैं, तो इससे कानून का दो तरीके से उल्लंघन होता है। जो आतंकवाद को धन से बढ़ावा देता है, उसे भी दोषी करार दिया जाता है। आतंकवाद का वित्तपोषण करके आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप आतंकवाद को संसाधन प्रदान कर रहे हैं। परन्तु अब आतंकवादियों को धन प्रदान करने वाले लोगों के दिलोदिमाग में भय पैदा करें। मैं स्वयं से एक प्रश्न करता हूं। प्रतिदिन हम एक प्रश्न उठा रहे हैं। हम पूछते हैं ''संयुक्त राज्य अमेरिका जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा है? क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड हरकत-उल-मुजाहीद्दीन पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है? लश्कर-ए-तोएबा पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया जा रहा है? उनके खातों पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है? हमारी विदेश नीति एवं हमारी कूटनीति को अग्नि-परीक्षा पर रखा जा रहा था। क्या हमने इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने एवं उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए सभ्य विश्व को राजी कर लिया है? हम इसमें सफल रहे। सफल होने के बाद हमें कहा जाता है कि ''क्या आप स्वयं भी उनकी संपत्तियों को जब्त करना और उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? एक तरफ, हम संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी एवं फ्रांस से इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने, उन लोगों को दंडित करने एवं उन पर अर्थदंड लगाने के लिए कह रहे हैं। 11 सितम्बर की घटना के बाद, हम कम से कम प्रसन्न तो थे कि इन संगठनों को सभी खातों को सीलबंद किया जाना आरंभ किया जा रहा है। 13 दिसम्बर की घटना के बाद दो और संगठनों को जोड़ा गया था।

अब हमें, हमारे अनुरोध पर यह कहा जा रहा है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा इंग्लैंड करे। परन्तु भारत में, यदि हमारे पास सात संगठनों पर प्रतिबंध लगाने अथवा उनकी संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति होती है, तो वे कहते हैं कि यह तो कठोर एवं अभूतपूर्व कानून है। क्या मैं माननीय सदस्यगण से एक साधारण सा प्रश्न पूछ सकता हूं? यह एक साधारण से सिद्धांत पंर आधारित है। सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सभ्य समाज में जब आप अपराध करते हैं तथा अपराध से धनार्जन करते हैं, अपराध की नींव पर मकान अथवा महल खड़ा करते हैं, अपराध के माध्यम से हथियार एकत्र करते है, अपराध से अर्जित धन के बैंकों में रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपराध से अर्जित किए गए लाभ को रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए संसद ने एक कानून पारित किया – कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आयी थी जब वह सत्ता में थी – कि यदि आप सामानों की तस्करी करते हैं और तस्करी से धन अर्जित करते हैं, तो तस्करी से प्राप्त लाभों को एस.ओ.एफ.इ.एम.एफ.ओ.पी.ए. के अन्तर्गत जब्त किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक अन्य कानून लेकर आई कि यदि आप स्वापक व्यापार अथवा अवैध शस्त्र व्यापार में संलिप्त हैं और स्वापक, अवैध शस्त्रों के व्यापार से लाभ अर्जित करते हैं तो आप उस लाभ को नहीं रख सकते हैं और उसको जब्त कर लिया जाएगा क्योंकि वे राज्य की संपत्ति है। अपराध से अर्जित किया गया लाभ आपकी निजी संपत्ति नहीं है और चूंकि यह जनहित के विरुद्ध है और इसीलिए ये राज्य की संपत्ति हैं। क्या आज यह तर्क है? श्री जयपाल रेड्डी ने कहा है कि वह संपत्ति के पक्ष में अधिक नहीं हैं परन्तु वे किसी की भी संपत्ति को जब्त होने नहीं देना चाहते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने धनशोधन विधेयक का प्रारूप पारित किया जिसके संबंध में हम सभी काफी चर्चा करते रहे हैं। धनशोधन की पूरी परिकल्पना यही है कि अपराध से प्राप्त लाभ को अवश्य जब्त किया जाए क्योंकि अपराध से अर्जित लाभ किसी एक व्यक्ति का नहीं है। क्या आज यह तर्क है कि चूंकि अब भारत के पास ऐसा प्रावधान है कि जिसके अनुसार आतंकवाद से अर्जित लाभ को जब्त किया जाना है और इसलिए यह एक कठोर प्रावधान है?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी परिभाषाओं से निपटते रहे हैं। मैं उनके समक्ष एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। टाडा में, परिभाषा संक्षिप्त थी। परन्तु वर्तमान कानून के अन्तर्गत वर्तमान परिभाषा के अनुसार संपत्ति का नुकसान भी एक आतंकवादी गतिविधि है। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं।

श्री अरुण जेटली : महोदय, यदि मेरे मित्र जो कुछ मैंने कहा है, उस पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो वह अपना अवसर आने पर बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, पहले मंत्री महोदय मेरी बात सुनें ...*(व्यवधान)* मान लीजिये वर्तमान परिभाषा के अनुसार यदि पार्टियों के बीच विवाद हो तो इसे आतंकवादी कृत्य कह सकते है।

श्री अरुण जेटली : महोदय पहले मैं अपनी बात समाप्त कर लूं और उनके बोलने के बाद मैं जवाब दूंगा। अब मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूं क्योंकि जो प्रश्न वह उठा रहे हैं वह मेरी कही गई बात से संबधित नहीं है।

सभापति महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : महोदय, कानून का अगला सारांश यह है। यह बात मैं सीधे कहता हूं। आपका कहना है कि टाडा का दुरुपयोग किया गया। मैं इस तर्क का उल्लेख बाद में करूंगा। संभवत: इसका दुरुपयोग किया गया। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि टाडा कानून की संरचना की एक बड़ी कमी यह थी कि यह गवाहों, प्रत्यक्षदर्शियों और आतंकवादी समूहों के विरुद्ध उपस्थित होने वाले नागरिकों पर निर्भर था। पंजाब, मुंबई या कश्मीर के लोग बतायेंगे कि आम नागरिक को इन संस्थानों के सामने आकर ईमानदारी से गवाही देने में डर लगता था। हमारे पास एक मामला है जिसमें एक पूर्व सेनाध्यक्ष की हत्या की गई थी। जब पुलिस गई और जांच हुई तो परिवार के सदस्य ही सामने आकर गवाही देने में अनिच्छुक थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने परिणाम देखे हैं और उसका सामना करने के लिये वे तैयार नहीं हैं। आतंकवादी कृत्यों के विरुद्ध गवाहों के सम्मुख यही खतरा रहता है।

जब विधि आयोग ने एक मसौदा तैयार किया तो हमने इसे सभी राज्यों को परिचालित किया। राज्यों के मसौदे को स्वीकृति दे दी लेकिन एक राज्य सरकार ने बहुमूल्य सुझाव दिया। मैं महाराष्ट्र सरकार को अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने कहा कि आपका कानून अपूर्व है और यह भी कहा कि लोग आतंकवादियों के विरुद्ध गवाही नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी और माफिया उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं उनके पास वायरलेस और उपग्रह फोन होते हैं, जिसके द्वारा वे अपना संचार कायम रखते हैं। उनके पास उन्नत हथियार हैं लेकिन आपके कानून के अन्तर्गत आपकी पुलिस ये सब नहीं कर सकती है। अत: उनका अनुरोध था कि इस कानून में एक प्रावधान जोड़ा जाये ताकि जब आतंकवादी गैंग आपस में संचार स्थापित करें तो उनके संदेश को पकड़ने की अनुमति हो और पकड़े गये इन संदेशों को न्यायालय में साक्ष्य माना जा सके।

अत: जब आप आतंकवादियों को गिरफ्तार करें तो आतंकवादी गुट के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु कमजोर नागरिक आगे नहीं आ सकता। आप उस संदेश की रिकार्डिंग प्रस्तुत करते हैं। उस क्षण यह स्वीकृत साक्ष्य बन जाता है जबकि सामान्य कानून के अन्तर्गत यह स्वीकृत साक्ष्य नहीं है।

हमने महाराष्ट्र सरकार के सुझाव की जांच की। राज्य सरकार के सुझाव की जांच के बाद हमने उसे स्वीकार कर लिया। इस कानून की एक विशेषता पकड़े गये संदेश का स्वीकृत साक्ष्य बनना है। इस संबंध में इन कारणों में एक कानून यह है कि महाराष्ट्र के "मोका" के अन्तर्गत 75 प्रतिशत से भी अधिक मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ गई है जब कोई रोका-टोकी करता है, चीखता-चिल्लाता है तो सामान्यत: न्यायाधीश किसी अन्य पक्षद्रोही साक्षी या गवाही देने के किसी अनिच्छुक व्यक्ति की तुलना में उसे स्वीकार कर लेता है।

दो प्राधवान और है। मैं उनके बारे में कुछ विस्तार से बात करना चाहता हूं कि क्योंकि माननीय शिवराज पाटिल ने उनका उल्लेख किया है। इसका उल्लेख करने के बाद उन्होंने अपने निजी स्पष्टीकरण में कहा कि मामले में जमानत संबंधी प्रावधान बहुत कठोर है। आपको सामान्य जमानत प्रावधान लागू करना चाहिये। इसके बाद तुलनायें की गई। मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अमरीकी और ब्रिटिश कानून के साथ यह तुलना ठीक नहीं है।

श्री शिवराज पाटील मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जमानत संबंधी यह प्रावधान केवल इस सरकार की सोच नहीं है। विगत में कई अच्छी सरकारें रही हैं। कानून संबंधी उनकी सोच अच्छी थी। ये सरकारें कड़े कानून ले लाई। मैं खड़े होकर कह सकता हूं कि "आन्ध्र प्रदेश में संगठित माफिया से लड़ने के लिये एक कानून है"; कर्नाटक में संगठित माफिया के विरुद्ध एक कानून है; महाराष्ट्र में एक कानून बना है, पश्चिम बंगाल में यह प्रस्ताव के सार पर है; मैंने पश्चिम बंगाल सरकार के मसौदे को नहीं देखा है।" मुझे सभी तीन राज्यों आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। ये कानून संगठित अपराधियों माफिया के विरुद्ध लागू होते हैं। यदि कोई मुझे संतुष्ट कर दे तो हम इस पर पुनर्विचार के लिये तैयार हैं। तर्क यह है कि इन स्थानीय स्वदेशी गुंडों से लड़ने के लिये जमानत संबंधी कठोर प्रावधान होने चाहिये। इसलिये स्थानीय गुंडों के खिलाफ महाराष्ट्र का कानून काफी सख्त है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के कानून ऐसे ही सख्त हैं। लेकिन जैसे ही यह कानून आतंकवादियों के विरुद्ध बनता है, तो यह क्रूर! हो जाता है *...(व्यवधान)*

मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं यदि आप मुझे इसका स्पष्टीकरण दें। स्थानीय माफिया के विरुद्ध जमानत संबंधी उक्त प्रावधान अच्छे होते ही कैसे वे आतंकवादियों के खिलाफ क्रूर हो जाते हैं? महाराष्ट्र के स्थानीय माफिया के विरुद्ध जमानत संबंधी वही प्रावधान अच्छे होते ही हिज्बुल मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा और जेश-ए-मोहम्मद के विरुद्ध क्रूर कैसे हो सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का कानून अच्छा है और यह कानून खराब है। मेरा कहना यह है कि जिस तरह सामान्य कानून के अन्तर्गत जमानत की स्वीकृति या अस्वीकृति दी जा सकती है उसी तरह के अन्तर्गत आतंकवादी को भी जमानत देने से इन्कार किया जा सकता है। मेरा कहना यह है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा जमानत दिये जाने या न दिये जाने के संबंध में तीन सिद्धांत निर्धारित हैं: एक यदि वह जमानत तोड़ कर भागता है; दूसरा यदि वह गवाहों को डराता-धमकाता हैं तीसरा यदि उसके द्वारा ऐसा ही अपराध किये जाने की संभावना है। यदि आप न्यायालय में यह सिद्ध कर दें कि आतंकवादी द्वारा ऐसा किये जाने की संभावना है, जोकि वह करेगा ही, तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। मेरा यह कहना नहीं है कि चूंकि यह महाराष्ट्र में है इसलिये यहां भी हो या महाराष्ट्र में नहीं है, तो यहां भी नहीं। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं।

श्री अरुण जेटली : मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी है। पहले सिद्धांत के अनुसार उनका कहना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश तथा संभवत: भविष्य में पश्चिम बंगाल में जमानत संबंधी सख्त प्रावधान की जरूरत है।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अरुण जेटली : यह मेरा तर्क है।

श्री शिवराज वि. पाटील : नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अरुण जेटली : मैं आपके तर्क पर आता हूं। आपको इन तीन या चार राज्यों में सख्त प्रावधानों की जरूरत है। संगठित माफिया के विरुद्ध जमानत के सख्त प्रावधान वाला कानून सही है।

श्री शिवराज वि. पाटील : उस कानून को भी बदला जा सकता है।

श्री अरुण जेटली : कई विशेषणों का प्रयोग किया गया है। मुझे ऐसा कहने दीजिए। हमें बताया गया था कि आपका कानून इस इसके अनुकूल होना चाहिये। हमारे कानून अपराधियों की इच्छानुरुप नहीं होने चाहिये क्योंकि केवल अपराधी ही छूट वाले ढीले ढाले जमानत प्रावधान चाहते हैं। विरोधाभास देखिये। आतंकवादियों, आत्मघाती दस्तों और ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो मरने-मारने को तैयार रहते हैं। 13 दिसम्बर को हमने यहां देखा है। क्या हम इतने निर्दोष और पोटो वाले हैं कि यह मान लें कि जो अपनी जान देने को तैयार हो वह जमानत पर छूटने के बाद हमारी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने हेतु वापस आयेगा और न्यायालय में प्रस्तुत होगा? क्या हम इतने हैं कि मान लें कि जिन लोगों ने संसद पर 13 दिसम्बर को हमला किया, यदि वे जमानत पर छूट जाये ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : यदि ऐसे लोगों को जमानत देने से न्यायालय इन्कार कर दे।

श्री अरुण जेटली : तो कानून में ही ऐसा प्रावधान क्यों नहीं?

श्री शिवराज वि. पाटील : न्यायालय को फैसला लेने दीजिए।

श्री अरुण जेटली : विधायिका को अपना उत्तरदायित्व नहीं त्यागना चाहिये। जो भी समस्यायें हमारे सामने हैं, वे विधायिका में परिलक्षित होनी चाहिये। देश की एकता और अखण्डता खतरे में है। हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है। इन आतंकवाद के बारे में कानून बनाने हेतु विधायिका तैयार नहीं है, हम अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिये तैयार नहीं है। क्योंकि हम कानून बनाने में असमर्थ हैं अत: आतंकवादियों से हमें बचाने में न्यायाधीश अपना काम करें।

मैं शिवराज पाटिल का ध्यान एक तथ्य की ओर दिला दूं? कृपया आत्मावलोकन करें। मैं महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के प्रावधानों को नहीं पढ़ रहा हूं कि क्योंकि वे समान नहीं हैं। वे प्रावधान पूरे मामले में लागू है। तीनों राज्यों में कानून कहता है कि पूरे मामले में जमानत के प्रावधान सख्त होंगे। पोटो कहता है कि जमानत का यह सख्त प्रावधान मात्र एक वर्ष के लिए होगा। इसके बाद सामान्य कानून लागू होगा।

दूसरी बात तीनों राज्यों में कानून कहता है ''एक शर्त जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है कि वह ऐसा अपराध दुबारा नहीं करेगा।'' यह शर्त जो राज्य से संबंधित कानून में हैं, और करतार सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय के उस शर्त के बारे में कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने इसे वापस भेज दिया और हमने इसे निकाल दिया है। इसलिए जमानत का हमारा प्रावधान तीनों राज्यों में जमानत के प्रावधानों की अपेक्षा हल्का है।

अनेक जांच अधिकारी ऐसे है जिनकी अलगाव-विरोध के बारे में विशेषज्ञता है और जो हमें कहते है कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अत: जमानत का हमारा प्रावधान उन तीनों राज्यों में जमानत के प्रावधानों की अपेक्षा सरल है।

मैं आपको बताऊं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटिल : मैं राजनीतिक तर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विधिक पहलुओं की बात कर रहा हूं।

श्री अरुण जेटली : उनका पूरा तर्क राजनीतिक है और मुझे इसका जवाब राजनीतिक ढंग से देना है।

श्री शिवराज वि. पाटील : उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वे कुछ भी कह सकते है और मैं चुप रहूंगा। कानूनी रूप से यह एक अलग मुद्दा है।

श्री अरुण जेटली : उनको मैं यह स्मरण कराता हूं कि जमानत के प्रावधान की इस भाषा में दंड प्रक्रिया संहिता सामान्यत: लागू नहीं होगी कि "किसी भी व्यक्ति को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक के पास अवसर हो अथवा जहां वे आवेदन का विरोध करते है और यह विश्वास करने का समुचित अवसर होता है कि व्यक्ति निर्दोष है और वह अपराध नहीं करेगा।" टाडा के अधीन ऐसी भाषा है। हमने पोटो के अंतर्गत इस भाषा को हल्का किया है। ऐसी भाषा आन्ध्र प्रदेश विधेयक, कर्नाटक विधेयक और महाराष्ट्र विधेयक में हैं। ऐसी भाषा का पहली बार टाडा अथवा पोटो में प्रयोग नहीं किया गया बल्कि पहली बार 1974 में हुआ *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : यह राजनीतिक हो गया है।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): जब विधि विशेषज्ञ राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करने लगता है तो वह ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जैसे आप कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सिंह, कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं जो कानूनी नहीं है बल्कि राजनीतिक है और उनकी पार्टी इस पर राजनीतिक रूप से विचार करेगी।

28 वर्ष पहले वर्ष 1974 में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत जमानत के इसी प्रावधान को लाया गया था। किसी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई और कहा कि कि मादक पदार्थों के तस्करों और विक्रेताओं के लिए यह एक कठोर प्रावधान है। यह कहता है कि "दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए प्रत्येक दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा और किसी भी अभियुक्त को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि अभियोजक को सूचना (नोटिस) नहीं दे दी जाती है और वह इस बात से संतुष्ट हो जाए उसने कोई अपराध नहीं किया है और आगे कोई अपराध नहीं करेगा।"

इसी तरह की टाडा की भाषा जिसे पोटो के अंतर्गत हल्का कर दिया गया। *...(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत भी ऐसा ही कुछ है।

श्री अरुण जेटली : इसी तरह की भाषा 1974 से स्वापक अधिनियम में है इसी तरह की भाषा 1989 से आवश्यक वस्तु अधिनियम में है जैसाकि मेरे सहयोगी श्री के. येरननायडू ने मेरा सुधार किया है। सार्वजनिक संपत्ति को अति निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मामले में भाषा इन दोनों धाराओं में एक समान नहीं है लेकिन अन्य धारा में यह टाडा भाषा के अनुरूप है।

मौजूदा पोटो की भाषा से ज्यादा सख्त टाडा की भाषा है। केन्द्र और राज्य में अन्य कई कानून है जिसे लाया जा सकता है। आज यह दलील दी जाती है कि जब जमानत का प्रावधान महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में संगठित अपराधियों के विरुद्ध लागू किया जाता है तो यह वैध प्रावधान है, जब इसी तरह वे सख्त प्रावधान को मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध लाया जाता है तो यह ठीक है जब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कालाबाजारी करने वाले लोगों और जमाखोरों के लिए ऐसा किया जा रहा है तो उन्हें उनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए लेकिन जब यह आतंकवादियों के लिए लागू किया जाता है तो आम सिद्धान्त सामान्य कानून लागू किया जाना चाहिए और गरीब निर्दोष आतंकवादी के लिए जमानत का इतना सख्त प्रावधान क्यों होना चाहिए? श्री शिवराज पाटील मैं जानता हूं कि यह हास्यास्पद लगता है लेकिन यह *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं आपकी राजनीतिक दलील से सहमत हूं लेकिन कानूनी दलील के संबंध में मेरी अलग स्थिति है *..(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : यह एक ऐसी दलील है जिससे आपकी पार्टी को राजनीतिक रूप से स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : राजनीतिक उत्तर यह है कि आपसे पूर्व की स्थिति में सुधार करने की उम्मीद हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : हमें महाराष्ट्र जैसे राज्य से भी अनुभव लेने की अपेक्षा है जहां दुस्साध्य अपराधों के मामले में मात्र 6.5 प्रतिशत की दोष-सिद्धि दर 75 प्रतिशत हो गयी है। हमें आपके अच्छे अनुभवों से भी सीख लेनी है। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे आपकी बात में बार-बार व्यवधान डालना पड़ रहा है। लेकिन यह 75 प्रतिशत दायर किये गए मामलों की अत्यंत कम संख्या में से है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : यह मैंने खुद कहा है। कालांतर में हम देखेंगे कि क्या अनुमान हैं।

महोदय, तब आपने एक प्रावधान का विरोध किया था जिसे हमने करतार सिंह के फैसले के संबंध में दुबारा हल्का कर दिया है। टाडा के अंतर्गत यह प्रावधान था कि आरसी अधीक्षक या इससे ऊपर के पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई इकबालिया बयान स्वीकार्य इकबालिया बयान है और इसका एक कारण भी था। कारण यह है कि हम समीक्षा करें कि एक आतंकवादी अपराध के कौन-कौन से कारण है। एक आतंकवादी अपराध की रूपरेखा यह है। हम 13 दिसम्बर को संसद पर हुए हमले को लें। किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है उसे धनराशि और हथियार तथा गोलाबारूद प्रदान किया जाता है और कुछ अन्य देशों में शिक्षा दी जाती है। उसने सहायता प्रदान की है। वह भारत आता हैं। अखबारों ने यह प्रकाशित किया है और जांच अधिकारियों ने कहा है कि किसी गाजी बाबा ने उनकी सहायता की है। वे दिल्ली आते हैं और स्थानीय लोगों, प्रोफेसरों और विभिन्न लोगों ने उन्हें रसद पानी मुहैया कराने में मदद की थी और जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। पांच व्यक्तियों वाला यह आत्मघाती दस्ता आता है और संसद पर हमला करता है। जब संसद पर हमला हुआ, तो उनका प्रयास विफल हो गया और वे मारे गए। अन्य कई आतंकवादी अपराधों में उन्होंने विभिन्न शिविरों पर हमला किया और वे बच कर भाग निकले। इसलिए आत्मघाती दस्ते या तो मर जाता हैं या मारा जाता हैं। उनमें से बहुत कम ही मुकदमे सुनवाई हेतु हमारे सुरक्षा बलों के पास हैं। तब जांचकर्ता जांच शुरू करते हैं। फोन बिलों से वे पता करते हैं कि उनके संपर्क किन-किन लोगों से थे पूछताछ से उन्होंने संपूर्ण संपर्कों के बारे में पता किया कि उन लोगों को किस-किस ने रसद सामग्री प्रदान की; वे कश्मीर, गाजी बाबा और उनके गिरोह तक जाते है और लश्कर-ए-तयैबा अथवा जो कोई भी गिरोह शामिल है का सबूत प्रात करते है। अब दलील यह है कि सामान्य कानून लागू करो। उस गिरोह के सदस्यों के अलावा यह कौन जानता होगा कि उन्हें किसने प्रशिक्षित किया। उस गिरोह के सदस्यों के अलावा यह कौन जानता होगा उन्हें आर.डी. एक्स और विस्फोटक कहां से मिला? उस गिरोह के सदस्यों के अलावा आपको गाजी बाबा की पहचान और पाकिस्तान के संपर्कों तथा प्रशिक्षण शिविरों के बारे में कौन बताएगा। वही लोग आपको प्रशिक्षण शिविरों और सुविधाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसे लश्कर-ए-तयैबा, और जैश-ए-मोहम्मद जैसे अन्य संगठनों ने उन्हें प्रदान कराया है? *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करो।

श्री अरुण जेटली : महोदय, आप एक वर्ष की अवधि के लिए निवारात्मक कारावास हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू कर सकते हैं। यह कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत यदि आप आते हैं और भारत की संप्रभुता और अखंडता को विध्वंस करता हैं तो यह उम्र कैद और मृत्यु की सजा हो सकती है। इसलिए मात्र एक वर्ष की निवारात्मक कैद द्वारा इन्हें आसानी से बच निकले के संबंध में नहीं सोचे और तत्पश्चात् उन्हें जाने दें।

आपकी दलील पर हमारा जांच तंत्र इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि इसे कहना पड़े कि जो कुछ भी इन लोगों ने गाजी बाबा, प्रशिक्षण शिविरों और लश्कर-ए-तयैबा के बारे में बताया वह ऐसा साक्ष्य कैसे हो सकता है?

महोदय, आतंकवादी अपराधों की रूपरेखा इस प्रकार है। मैं पुन: उस उदाहरण की ओर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह बहुविज्ञ उदाहरण है, मेरे पास निर्णय है। कृपया इसे दोबारा पढ़िए।

हजारों लोगों के सामने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी। हत्यारे मौके पर ही मर गए थे। जब श्री राजीव गांधी की हत्या के बाकी षडयंत्रकारी पकड़े गए थे लेकिन 'टाडा' की धारा 15 और उसके उपरान्त 'टाडा' को प्रयोज्य नहीं पाया गया। वहां भारतीय दण्ड संहिता को ही॰ सीमित परिभाषा के कारण प्रयोज्य किया गया लेकिन यह कहना कि यह विचारण 'टाडा' के तहत था इसलिए हम संस्वीकृति को स्वीकार्य मान रहे हैं और यह दोष सिद्धि पूर्णत: इसी पर आधारित थी। इसमें कोई भी दूसरा

[श्री अरुण जेटली]

चमदीद गवाह नहीं था, माना कि आपकी सलाह मान ली थी और आपकी सलाह के अन्तर्गत 'टाडा' की धारा 15 हटा दी गई और अब आप कहते हैं कि 'पोटो' की धारा 32 को हटा दिया जाता है और उसे ग्राह्य नहीं माना जाता तो हमें उस निरीह राष्ट्र के रूप में देखा जाता जहां हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी और जहां हम अपने त्रुटिपूर्ण कानूनों के कारण दोषसिद्धि नहीं कर सके।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हमारा जांच इतनी कमजोर थी।

श्री अरुण जेटली : श्री राजीव गांधी के मामले में एस.आई.टी. का अन्वेषण सर्वाधिक अच्छे अन्वेषणों की श्रेणी में आता है, वास्तव में, यदि हमें याद होगा कि एक ही दिन में, 24 घंटे के अन्दर कुछ अन्वेषकों की मैं प्रशंसा करूंगा जिन्होंने हमें बताया कि इस मामले में एक महिला जिसकी कमर में मानव बम लगा था संलिप्त थी। यहां तक उसके रेखाचित्र भी 24 घंटों के अन्तर्गत ही सामने आ गए। उस अन्वेषण में इतनी क्षमता थी, लेकिन मैं आपसे इससे सीखने का आग्रह कर रहा हूं। हमें किसने बताया कि जिन लोगों ने संसद पर हमला किया उनके सम्पर्क गाजी बाबा से थे? हमें किसने बताया कि उन्हें किसका समर्थन प्राप्त था - लश्कर-ए-तयैबा या अन्य किसी का? यह मैं, आप या कोई आम भारतीय नहीं था, हमें इसकी जानकारी इन लोगों की स्वीकृति से मिली। यदि यहां आपकी सलाह मानी जानी है और उन सभी वक्तव्यों को साक्ष्य में पूर्णत: अग्राह्य माना जाता है तो तब तो हमें कम से कम, जहां तक आतंकवाद का संबंध है कानूनी लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। इसके परिणाम और गंभीर होंगे। श्री शिवराज वि. पाटिल जी इसके परिणाम और भी गंभीर होंगे। जो तर्क कई सिविल इच्छा स्वातंत्र्यवादियों (लिवरटेरियनस्) द्वारा दिया जाता है कि यदि आप पुलिस को अधिकार देते हैं तो पुलिस सदैव उस अधिकार का दुरुपयोग करेगी। प्रत्येक को इस बात की आशंका है। यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इस अधिकार का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है, इसका विकल्प और भी खतरनाक होने जा रहा है। पुलिस को विधि संगत अधिकार न दीजिए लेकिन पुलिस पर कुछ करने का दबाव बनाए रखिए। पुलिस महानिदेशक, कश्मीर को कहिए कि आपके पास उनके विचारण के लिए 'पोटो' या कोई अन्य अधिनियम नहीं है। पुलिस महानिदेशक, आन्ध्र प्रदेश को कहिए कि किसी भी कानून के अन्तर्गत आपको विधिमान्य अधिकार नहीं दिए जा रहे है और उनका विचारण सामान्य कानूनों के अन्तर्गत ही कीजिए। हर बार आप देखेंगे की पी.डब्ल्यू.जी. कार्यकर्त्ताओं या हिजबुल मुजाहिद्दीन जेहादियों के खिलाफ एक चश्मदीद गवाह मिल जाता है। यदि आप अपने सुरक्षाबलों और अन्वेषकों को विधिक अधिकार नहीं देते तो वहां मानवाधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन होगा। इसलिए, यदि आप मानवाधिकारों की चिंता नहीं करते और चाहते है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग न हो तो आप ऐसी स्थिति में नहीं हो सकते जहां कि आप पुलिस को अधिकार नहीं देते लेकिन पुलिस पर कुछ करने का दबाव डालते है तो आपके सामने अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए, हम सबको समझना चाहिए कि वह समस्या क्या है जिससे कि अब हम निपट रहे है, और जिस समस्या से हम निपट रहे हैं उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की आवश्यकता हैं। विधिसंगत अधिकार दिए जाने होंगे क्योंकि यह एक असाधारण स्थिति है। असाधारण स्थिति को असाधारण उपचारों की आवश्यकता होती है।

श्री जयपाल रेड्डी ने उद्धहरण दिया। मैं नहीं जानता कि हमारे कुछ साथियों द्वारा प्रत्येक विषय पर दिए गए भाषण धर्मोपदेश कब बन गए। लेकिन एक तथ्य को मस्तिष्क में रखिए। वर्ष 1989-1991 में कश्मीर में घटी बुरी दशा को अभी देखा जाना था। हमारे यहां पंजाब की गंभीर समस्या थी और कई लोगों ने कहा कि पंजाब राजनीतिक फैसले की क्षमता रखता है। लेकिन पिछले 15 वर्ष के अनुभव से हम दिन प्रतिदिन चतुर बनते गए। मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं। बुद्धि को मांगना हमेशा ठीक होता है यहां तक कि जब कि यह ऐसे स्रोत से आती हो जिन विषयों पर प्राधिकारी विचार नहीं करते है। इसलिए, जब 'टाडा' पर चर्चा की गई उस समय मेरे मित्र मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा और अब उन्हें क्या कहना है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आपको बीच में टोकना नहीं चाहिए। लेकिन आप यह बताइए कि टाडा का उपयोग कश्मीर में ज्यादा हुआ या पंजाब में ज्यादा हुआ, महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ या गुजरात में ज्यादा हुआ?

श्री अरुण जेटली : मुलायम सिंह जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने यह प्रश्न किया। टाडा का दुरुपयोग हुआ था।

श्री मुलायम सिंह यादव : दुरुपयोग हुआ, कांग्रेस ने स्वीकार किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टाडा का उपयोग कश्मीर में ज्यादा हुआ या पंजाब में, जिसके लिए लाए थे, ज्यादा हुआ या महाराष्ट्र में ज्यादा हुआ या गुजरात में ज्यादा हुआ?

श्री अरुण जेटली : मुलायम सिंह जी, आपके यहां आने से पूर्व मैं टाडा के कुछ प्रावधानों के बारे में चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि उनमें कमजोरियां थीं। उनमें क्या कमजोरियां थीं, वह मैं बताता हूं। दो वाक्य हमेशा कहे जाते हैं कि टाडा का दुरुपयोग हुआ और टाडा के 76,000 केसों में से

कितनों में सजा हुआ। यह तर्क कौन देता है, आप देंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं आपकी उस बात का आदर करूंगा। लेकिन जिस राजनैतिक दल ने टाडा का दुरुपयोग किया, वे राजैतिक दल खड़े होकर कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी, आंकड़े दिए गए कि हमने गुजरात के अंदर 19,000 किसान पकड़ लिए थे।

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): यदि माननीय विधि मंत्री कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं तो मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा।

श्री अरुण जेटली : मुझे पूरा करने दीजिए। मैं पांच से सात मिनट लूंगा और तब आप उत्तर दे सकते हैं। मुझे बताया गया है कि आप इस वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं।

[हिन्दी]

मुलायम सिंह जी, अगर गुजरात की सरकार 19,000 किसानों को पकड़ेगी, मुंबई के अंदर लोग पकड़े जाएंगे - कुछ टेरेरिस्ट एक्टीविटीज़ में पकड़े गए, कुछ गैर-टेरेरिस्ट एक्टीविटीज़ में पकड़े, टाडा में कोई सेफगार्ड नहीं होगा तो जज क्यों कहेगा कि इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हमें अभी तक याद है, हमारे इस सदन के माननीय सदस्य कल्पनाथ जी थे, उन्हें टाडा में सजा हो गई थी और फिर वह सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए। ऐसे दुरुपयोग के कई उदाहरण है। ये तर्क आप उठाएंगे तो मैं आपके तर्क का आदर करूंगा, लेकिन वे लोग नहीं उठा सकते जिनका इतिहास यह था कि इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। यह कहना कि हमने दुरुपयोग किया इसलिए भविष्य में आतंकवाद बढ़ भी जाए फिर भी हम इस कानून का विरोध करेंगे, यह उचित नहीं है। इसका सबक यह है कि आतंकवाद के विरोध में एक कानून बन जाए। टाडा में अधिकतर लोग बरी हुए थे। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम और आप मीसा में दोनों रहे हैं।

श्री अरुण जेटली : इसलिए मैंने आपके प्रश्न का आदर किया। यह उत्तर आपके प्रति नहीं था, किसी अन्य के प्रति था। अगर 76,000 में से 70,000 को पकड़ोगे, जिनका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है तो फिर जज उन्हें छोड़ेंगे। यह कहना कि जज ने उन्हें छोड़ दिया, इसलिए आतंकवाद कानून का कोई लाभ नहीं है, मैं इस कानून में आपको बताऊं कि टाडा के अनुभव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, हम उससे भी दो कदम आगे चले गए, हमने कहा कि इसमें ऐसा प्रावधान करिए। अब यह हुआ

[अनुवाद]

यहां यह कहा जाता है:

"संस्वीकृति को स्वीकार्य साक्ष्य नहीं बनाया जा सकता।" संस्वीकृति के संदर्भ में हमने वीडियो रिकार्डिंग की सुविधा दी है, उसके बाद, 48 घंटों के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि क्या यह स्वैच्छिक है या नहीं। यदि अभियुक्त ने कहा कि यह स्वैच्छिक नहीं है और उस पर अत्याचार किया गया और दबाव डाला गया तो मजिस्ट्रेट को चिकित्सीय जांच करवानी होगी, इसलिए, इसमें यह सुरक्षोपाय किए गए है।

मैंने जमानत संबंधी प्रावधानों का वर्णन पहले ही कर दिया है, यह जमानत संबंधी सख्त प्रावधान है जो कि मात्र एक वर्ष के लिए ही लागू होता है। जमानत प्रावधान में कोई ऐसी शर्त नहीं है कि यदि भविष्य में ऐसा अपराध करे की संभावना हो तो यह जारी रहेगा। आपने एक प्रश्न उठाया - मैंने इसे कहीं समाचार पत्र में भी पढ़ा - कि क्या हमने साबित करने का भार परिवर्तित कर दिया है, 'टाडा' में यदि कोई हथियार पाया जाता था तो वहां अपराध की अवधारणा होती थी और इस अवधारणा का खंडन करना पड़ता था, हमने इस अवधारणा को सबूत के निम्नतम स्तर पर ला दिया है। अब यहां मात्र एक अनुमान है।

[हिन्दी]

और आपके पास से कोई वैपन मिलता है तो उससे संकेत मिलेगा कि कोई प्रीजम्पशन नहीं होगी। उस संकेत को आप अपनी गवाही देकर हटा सकते है, रिबट कर सकते हैं।

[अनुवाद]

हमने कहा है कि इस मामले में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति होगी। कभी-कभी सेवारत न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए इसमें सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते है। 'टाडा' में कोई भी समीक्षा समिति नहीं थी। उन तीनों राज्यों में जहां यह अधिनियमित किया गया था, समीक्षा समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव थे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, समीक्षा-समिति का प्रधान राज्य का मुख्य सचिव होता है। यदि यहां भी अधिकार का दुरुपयोग हो, तो फिर उच्च

[श्री अरुण जेटली]

न्यायालय के किसी पदासीन अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक और समीक्षा समिति है। यदि किसी संगठन को लगे कि उस पर प्रतिबंध गलत लगाया गया है या किसी की संपत्ति को अनुचित तरीके से हासिल किया गया हो, तो इसकी आंतरिक समीक्षा और फिर न्यायालय के समक्ष समीक्षा की व्यवस्था है – यदि आप न्यायालय जाकर इसका प्रतिवाद करते हैं तो!

श्री जयपाल रेड्डी ने बहुत सही उदाहरण दिया कि इंग्लैंड में न सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, बल्कि वहां पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया।

सायं 6.00 बजे

हमने भी एक प्रावधान रखा है कि, मान लीजिए, यदि कोई पुलिस अधिकारी अपनी व्यक्तिगत लाभ सिद्धि या परोक्ष कारणों से इसका दुरुपयोग करे; तो उसे 'पोटो' के ही तहत अभियोजित किया जायेगा। यदि वह ऐसे किसी प्रावधान का दुरुपयोग करता है, तो अपने आप ही उपचारी प्रावधान लागू हो जायेगा। हमने अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, प्रक्रियाओं व अनुभवों का अध्ययन किया है। यह बात कई बार दोहराई जा चुकी है। मैं एक भाषण पढ़ रहा था। उसका थोड़ा उल्लेख करूंगा। 12 अगस्त, 1991 को माननीय सदस्य श्री सैयद शहाबुद्दीन ने एक प्रश्न पूछा: "आपको ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों कर हुई? इसे कब तक जारी रखना आवश्यक समझते हैं?" इसके उत्तर में, मेरे मित्र, माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा:

> "श्री सैयद शहाबुद्दीन ने पूछा है कि ऐसे कानून के पुनरावृत्त विस्तार की आवश्यकता कब तक रहेगी! मैं उत्तर में यही कह सकता हूं कि हमें इसे तब तक लागू रखना पड़ेगा जब तक कि ऐसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवाद की काली छाया रहती है। कश्मीर में आतंकवाद की समस्या वस्तुत: आज की आतंकवादी गतिविधियों की जड़ है। फिर, इस राज्य में ऐसी गतिविधियों को विद्वेषी मानसिकता वाली विदेशी शक्तियों की शह भी मिलती है। यह समझ लेना आवश्यक है कि आज भारतीय संघ की अखण्डता खतरे में हैं; हमारे देश की एकता खतरे में है; हमारे धर्मनिरपेक्षता के मूल्य खतरे में हैं; कानून और व्यवस्था खतरे में है; देश की शान्ति खतरे में है। अत:, जब तक ऐसी असाधारण परिस्थितियां बनी रहती है, तब तक, हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि इन दुर्भाग्यपूर्ण वजह से बनाये गये कानूनों को जारी रखने के लिए उनमें अतिरिक्त शक्तियों का इस्तेमाल जारी रखे।"

श्री एस. जयपाल रेड्डी : तो आप इसे जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित कर दीजिए! ...*(व्यवधान)* हम स्वीकार कर लेंगे। चलिए, आप इसे जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित कर दीजिए।

श्री अरुण जेटली : यदि आप हमें आश्वस्त कर दें कि जम्मू और कश्मीर के बाहर आतंकवाद नहीं होगा - तो हम इस सुझाव पर अवश्य विचार करना चाहेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री खागेनदास (त्रिपुरा पश्चिम): आपको करना ही होगा। आप सरकार में हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री खगेस दास, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इन्होंने मेरी अनुमति नहीं ली। माननीय मंत्री के भाषण के अतिरिक्त, और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में न लिया जाये।

...*(व्यवधान)**

श्री अरुण जेटली : महोदय, एक तर्क दिया गया था, जिसे आज फिर उठाया गया है; और वह साधारण कानून के बारे में है। हमारा साधारण कानून क्या कहता है – मैं उच्चतम न्यायालय में दिये गये न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर के एक विनिर्णय से बस एक वाक्य उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा: "नियम है – जमानत; न कि जेल!" साधारण कानून के तहत नियम कहता है – जमानत। लेकिन आतंकवाद के मामले में, नियम होगा - जेल, न कि जमानत! अत:, यहां साधारण कानून लागू नहीं होते।

किसी के द्वारा यही प्रश्न उठाने पर, हमारे प्रख्यात सभासद श्री एस.बी. चव्हाण, जो उस समय गृह मंत्री थे, ने उत्तर दिया:

> "हमें यह मानना होगा कि यह एक कठोर कानून है जिसे सामान्य स्थिति में लागू करना ठीक नहीं होता; लेकिन माननीय सदस्य इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि आतंकवाद को दुलमुल तरीके से काबू नहीं किया जा सकता। जब तक आतंकवाद अपनी क्रूरता के साथ जारी है, तब तक ऐसा कानून बनाए रखना होगा।"

कृपया हमें दुलमुल रवैया अपनाने की सलाह न दें! आतंकवाद के बहुमुखी परिणाम होते हैं और इन अनेक परिणामों का सामना

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देश के लिए बढ़ते खतरे के मद्देनजर किया जाना चाहिए। अन्य देशों के कानूनों का बार-बार हवाला दिया गया। केवल मतलब भर की बात चुनकर कह देना बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। 11 सितम्बर, 2001 की घटनाओं के पश्चात् संयुक्त राज्य अमरीका ने ''पैट्रियट एक्ट'' के नाम से एक कानून बनाया। मैंने देखा कि बार-बार यह तर्क दिया गया कि ''पैट्रियट एक्ट'' के तहत नागरिकों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता और विदेशियों को लिया जा सकता है, और वह भी ज्यादा से ज्यादा सात दिनों के लिए ही। लेकिन, ऐसा किस भाषा में कहा गया है, जरा उसे भी देख लिया जाए। मेरे पास उसकी एक प्रति है। मैं उसे आप तक पहुंचाता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरे पास भी उसकी एक प्रति है।

श्री अरुण जेटली : महोदय, तब उसे कृपया पढ़ें। यह ''पैट्रियट एक्ट'' सामान्य आतंकवाद-रोधी कानूनों के अतिरिक्त है। अमरीका में, यदि यही ''पैट्रियट एक्ट'' आतंकवाद से संबद्ध अकेला कानून होता, तो 11 सितम्बर को गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को 18 सितम्बर तक रिहा हो जाना चाहिए। लेकिन, अमरीका में लोग ढुलमुल रवैया नहीं अपनाते है। उनका रवैया सीमित नहीं है हमें कभी यह भी पता नहीं कि अमरीका में कितने लोग गिरफ्तार किये गये। हमें तो अभी यह भी पता नहीं कि उन्होंने सामान्य आतंकवाद-रोधी कानूनों के लिए किस किस्म के न्यायाधिकरण बनाए हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : केवल विदेशियों पर ही वे लागू हैं।

श्री अरुण जेटली : कृपया जांच लें। यदि अमरीका का कोई नागरिक, यदि कोई अमरीकी पासपोर्ट-धारक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के विस्फोट में संलिप्त पाया जाए, तो कृपया यह मत कहिए कि उसे तो गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता और उसके मामले में आतंकवाद होना माना ही नहीं जाएगा। कोई भी सभ्य समाज ऐसा नहीं करेगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : लेकिन तब, उसके विरुद्ध आरोप तो दाखिल किया ही जायेगा।

श्री अरुण जेटली : महोदय, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। मुद्दा यह है कि, भारत में, हमारा कानून यह कहता है कि यदि आप गिरफ्तार होते हैं तो आपको 24 घंटों के भीतर अदालत के सामने पेश किया जाना होगा। एक निश्चित अवधि तक ही पुलिस रिमांड ली जा सकती है; एक निश्चित अवधि तक ही न्यायिक हिरासत ली जा सकती है; और एक निश्चित अवधि तक ही जमानत को खारिज किया जा सकता है। अमरीका में भी आतंकवाद संबंधी ऐसे कानून हैं, जो कहीं अधिक सख्त हैं। ''पैट्रियट एक्ट'' के तहत सात दिवस की हिरासत का अवधि तब है, जबकि आप अभियुक्त को बिना कोई आरोप लगाए बंदी बना सकते है; जबकि, भारत में यहां के पुलिस थानों में - आप केवल 24 घण्टों तक ही ऐसा कर सकते हैं। अमरीका में, आपको सात दिनों के बाद उसे न्यायालय के समक्ष ले जाकर बताना होगा कि आपने फलां-फलां आरोप के तहत उसे गिरफ्तार किया है। जबकि भारत में, आपको केवल 24 घण्टों के भीतर ही ऐसा करना होगा।

हमें अमरीका से जो सबक सीखना है, उसमें ऐसा न करें कि सुविधानुसार मतलब की चीज बस देख ली और बाकी पर ध्यान ही नहीं दिया। उस महान देश के प्रति पूरे सम्मान सहित - जब 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' पर हुए हमले में अत्यंत कारूणिक रूप से 3,000 व्यक्तियों के प्राण चले गए - मेरा कहना यही है कि, वहां अमरीकी राष्ट्रपति ने यह कहा कि अमरीका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया है! लेकिन जब 61,000 लोग और 8,000 सुरक्षाकर्मी यहां मारे गए तो इसमें कहा जा रहा है कि आप संयम बरतिए! हमको सलाह दी जा रही है कि समस्या का हल ऐसे निकालिए और सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही काम कीजिए।

महोदय, इन्होंने ब्रिटिश कानून के अन्तर्गत दी गई आतंकवाद की परिभाषा की बात की। मेरे पास वही परिभाषा है। यह यद्यपि अब प्रासंगिक नहीं रह गई है, फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि हमारी अपनी परिभाषाओं से कहीं ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा व्यापक है।

महोदय, आलोचना में लगातार यही तर्क दिया गया है कि हम इस विधेयक को संसद् का सत्र चलते समय जल्दबाजी में लाए। महोदय, इसका मसौदा विधि आयोग ने डेढ़ साल पहले ही तैयार कर लिया था। उसे व्यापक रूप से परिचालित भी किया गया। उसे संसद् की परामर्शदात्री समिति के समक्ष ले जाया गया। वहां उस पर चर्चा हुई और तत्पश्चात् सभी राज्य सरकारों को इसकी प्रतियां भेजी गयी। अब आप यह आरोप लगा रहे हैं कि यह कानून राजनीति से प्रेरित है, तो मैं आपको यह बता दूं कि सभी राज्य सरकारों, उन राज्यों की भी जहां कांग्रेस सत्तासीन है, और जिन्हें यह मालूम है कि दर्द कहां होता है - से परामर्श किया गया था। कांग्रेस शासित प्रायः प्रत्येक राज्य सरकार ने न केवल इस कानून का समर्थन किया, अपितु इस बारे में कई अमूल्य सुझाव भी दिये

[श्री अरुण जेटली]

कि इस कानून में कैसे और अधिक सुधार किया जा सकता है। पहले-पहल तो पश्चिम बंगाल का पहला प्रस्ताव भी इस कानून को समर्थन देने के बारे में था। लेकिन बाद में वहां के मुख्यमंत्री ने एक भाषण दिया और राज्य सरकार ने इस आशय का एक पत्र लिख दिया कि वह अपने सुझावों को वापिस ले रही है।

आरोप यह लगाया गया है कि हमने सलाह नहीं ली! प्रत्येक राज्य सरकार से सलाह लेने में हमने एक वर्ष व्यतीत किया। प्रत्येक राज्य में, जहां भी इस दल या उस दल की सरकार है, हमने वास्तविक संघात्मवाद की नीति बरतकर कार्य किया है। हमने प्रत्येक राज्य सरकार से बात की है।

हमने राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा किया। हमने संसद की परामर्शदात्री समिति से विचार-विमर्श किया। लेकिन जब हमें शिकायत मिली कि हमने व्यापक विचार-विमर्श नहीं किया है, तो हमने परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई। हमने राज्यों की मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई। हमने प्रतिपक्ष के सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई। महोदय, इस तरह व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद इस मुद्दे - आज बहुत कम महत्व रह गया है। हमारे पास अन्य देशों का अनुभव है, हमारे पास इस संकट से निपटने में प्रभावी रूप से सफल रहे राज्य विधान मंडलों का भी अनुभव है। आतंकवाद के विभिन्न पहलू हैं जिनसे भी हमें निपटना होगा।

महोदय, इस अनुभव को प्राप्त कर मैं इस कानून का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने रुख पर फिर से विचार करे क्योंकि भावी पीढ़ियां अन्ततोगत्वा इस बात को समझेंगी कि इस देश की अखंडता के लिए निश्चय ही इस कानून की जरूरत है।

श्री के. येरननायडू : सभापति महोदय, हम लोग आज आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें पहले से लागू अध्यादेश की जगह इसे लाने की बात कही गई है।

इस देश ने पिछले दो दशकों से आतंकवाद को झेला है। इसमें सीमा पार का आतंकवाद भी शामिल है। आतंकवादी कार्रवाईयों में लगभग 60,000 लोगों की जानें जा चुकी है। आतंकवाद अब जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि यह पूरे देश में फैल चुका है। 1991-1993 में मुम्बई में विस्फोट हुए, आंध्र प्रदेश में विस्फोट हुए, जम्मू और कश्मीर विधान सभा में हमला हुआ, भारतीय संसद पर हमले हुए और कोलकाता में अमेरिकन सेन्टर पर हमला हुआ। ये सभी आतंकवादी क्रियाकलापों और सीमा पार के आतंकवाद के उदाहरण हैं।

हमारे पास कई विधान हैं। फिर भी हमने वर्ष 1985 में टाडा जैसा विधान बनाया। यदि हमारे पास इतने विधान थे, तो सरकार ने टाडा क्यों बनाया है? यह मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से प्रश्न है। आतंकवाद को कुचलने के लिए उस समय टाडा की जरूरत थी। इसीलिए हमने इसे बनाया। 1987 में इसकी अवधि का विस्तार कर इस 1995 तक लागू किया गया। 1995 से 2001 तक हमारे देश में इस तरह का कोई विधान नहीं था। इस विधान के बन जाने के बाद भी इसका क्रियान्वयन राज्यों द्वारा ही किया जाएगा, न कि केन्द्र द्वारा *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : केन्द्र भी इसे लागू कर सकता है।

श्री के. येरननायडू : आप मुझे बताइए कि इसके लिए मशीनरी कहां है। इसका वृहत अंश राज्यों द्वारा ही क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं समझता हूं कि विधि मंत्री को इस मामले में दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। केन्द्र और राज्य दोनो ही इसे साथ-साथ लागू कर सकते हैं। श्री येरननायडू को भ्रम हो सकता है, किन्तु विधि मंत्री श्री अरुण जेटली कैसे भ्रमित हो सकते हैं?

श्री के. येरननायडू : यह विषय समवर्ती सूची में शामिल है। सबसे बड़ी बात यह कि राज्यों के पास प्रशासनिक मशीनरियां होती हैं। इसलिए इसका वृहत अंश राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

सभापति महोदय, 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उस समय मैं इंटरमीडियट का छात्र था। उस समय मीसा का आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में दुरुपयोग किया गया। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वेंगला राव ने मीसा का दुरुपयोग नहीं किया। कर्नाटक में कुछ लोग हिरासत में लिए गए, जबकि देश के अन्य भागों में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए थे। यह राज्य सरकारों की इच्छा और कृपा पर निर्भर करता है। यदि राज्य सरकार सही और कर्त्तव्यनिष्ठ है तो इस विधान का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। ऐसा मेरा मानना है।

कर्नाटक ने माफिया पर अंकुश लगाने के लिए एक विधान बनाया; महाराष्ट्र ने भी एक विधान बनाया और आंध्र प्रदेश ने भी एक विधान बनाया है। अन्य राज्य भी माफिया और संगठित गुण्डों को काबू में करने के लिए इस तरह के विधान बनाने की योजना बना रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस आतंकवाद निरोधक विधेयक पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस समय तेलुगू देशम पार्टी ने विधेयक में कतिपय संशोधन का सुझाव देते हुए उसके समर्थन में अपनी सहमति जताई थी। विधेयक के मूल प्रावधान के अनुसार यह अधिनियम पांच वर्षों तक लागू रहा होगा। हमने भारत सरकार से कहा कि इसे पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष किया जाए। मौलिक अधिकारों और बोलने की आजादी की रक्षा के लिए हमने सरकार से खंड 3(8) को हटाने की बात कही जिससे यह मीडिया और पत्रकारों को प्रभावित नहीं कर सके। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में सरकार ने पांच वर्ष की अवधि को घटाकर तीन वर्ष की अवधि कर दी और उस प्रावधान अर्थात् खंड 3(8) को भी हटा दिया। हम भारत सरकार की इस बात के लिए आभारी हैं कि उसने इसमें हमारे सुझाए गए दो संशोधन किए हैं।

आतंकवाद के कारण जम्मू और कश्मीर में आज भी विकास का काम ठप्प पड़ा हुआ है। पी.डब्ल्यू.जी. (पीपुल्स वार ग्रुप) के चलते तेलांगाना में विकास नहीं हो पाया है। अलगाववाद के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिए जाने के बावजूद – विकास का कोई काम नहीं हुआ है। हम परियोजना पर परियोजना शुरू किए जा रहे हैं, किन्तु अलगाववाद और आतंकवाद के कारण उनसे कोई वांछित परिणाम नहीं आ रहे हैं। इन सब गतिविधियों के कारण देश में शांति और सामंजस्य का माहौल नहीं है। जब कानून और व्यवस्था ही ठीक नहीं हो तो विकास और प्रगति का कार्य नहीं हो पाएगा।

यही कारण है कि यह कानून न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी सक्रिय आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए अति आवश्यक है। माननीय विधि मंत्री ने इसके प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या की है और मुझे नहीं लगता कि अब फिर से इसकी किसी प्रकार कोई व्याख्या की जरूरत है। सरकार ने पोटो के दुरुपयोग से बचने के लिए विहित प्रावधान किए हैं। यदि आप टाडा और पोटो की तुलना एक दूसरे से करेंगे, तो आप पाएंगे कि पोटो के दुरुपयोग को रोकने के लिए ढेर सारे विहित प्रावधान किए गए हैं। हम बचाव के उस प्रावधान की प्रशंसा करते हैं जो इस विधेयक में किए गए हैं। माननीय विधि मंत्री ने इस विधेयक में किए गए बचाव के विभिन्न उपायों का खंड-वार उल्लेख किया है और उन्होंने यह भी बताया है कि टाडा का किस तरह दुरुपयोग किया गया था। टाडा के मामले में सजा दिए जाने की दर मात्र 15 प्रतिशत थी। माननीय विधि मंत्री ने स्वीकार किया कि टाडा का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन, इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकार सभी राज्य सरकारों को निर्देश देगी कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और इस विधेयक के प्रावधानों को सही परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित किया जाना चाहिए और प्रयोग केवल आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए, न कि राजनीति से प्रेरित होकर किया जाए।

महोदय, यही मेरी पार्टी का रूख है। अध्यादेश लागू है और हम उन सभी प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं जिनका प्रस्ताव इस विधान में किया गया है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय सभापति महोदय, आतंकवादी विरोधी अध्यादेश, पोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां हर तरह के अपराधों से निपटने के लिए आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. में प्रावधान हैं। जब कमजोर सरकार के हाथों में देश का नेतृत्व होता है तो वह प्रचलित कानूनों का सहारा न लेकर इस तरह के कानूनों को आगे लाने के लिए बाध्य होती है। लाठी अगर लुटेर के हाथ में होती है तो भय और आतंक पैदा करती है और वही लाठी जब संन्यासी के हाथ में होती तो वह भरोसा और सहारा प्रदान करने का काम करती है। उसके अंदर सुरक्षा का भाव होता है। पोटो या टाडा अपराध रोकने के लिए किताबी कानून तो हो सकता है, परन्तु उसकी सफलता उन हाथों पर निर्भर है, जिनके द्वारा उसका प्रयोग किया जाना है। आज टाडा के सवाल पर पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा जो चर्चा उभर कर आई है, उस चर्चा के आधार पर हम कहना चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी 76 हजार के लगभग लोग गिरफ्तार किये गये और केवल 780 लोगों के खिलाफ सरकार ने आरोप पत्र प्रेषित किये। बाकी जो लोग सरकार की नजरों में भी निर्दोष थे, वे वर्षों तक टाडा के तहत जेलों में बंद रहे। इस दौरान उन्होंने जेलों के अंदर जो यातनाएं सहने का काम किया, जेलों के अंदर सड़ने का काम किया, उसके लिए कौन लोग उतरदायी रहे हैं और क्या उन 76 हजार लोगों को जेलों में बंद करके हमने मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है ।

सभपाति महोदय, अभी दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री अजयराज शर्मा का वक्तव्य आया है कि दिल्ली में अपराधों में कमी आई है और इसके लिए उन्होने दो चीजें कही हैं। प्रथम पुलिस की गति में तेजी आई है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। इस कथन से साफ है कि कुशलता, कर्तव्यपरायणता, कार्य क्षमता और सूझबुझ से अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन यह सरकार इन योग्य और अनुभवी अफसरों से कुछ भी सीखना नहीं चाहती है। इसके अलावा पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के राज्यों में जो गिरफ्तारियां होती हैं, उनमें 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां अनावश्यक होती हैं और जेलों के लिए जो बजट निर्धारित करते हैं, उस बजट

[कुंवर अखिलेश सिंह]

का 43.2 प्रतिशत भाग बेवजह गिरफ्तारियों पर खर्च हो जाता है। भूतपूर्व एडीशनल साँलीलीटर जनरल श्री अभिषेक सिंघवी और पुलिस कमीशन ने कहा है कि पुलिस भ्रष्ठ और क्रूर है, इनके हाथों में और अधिक अधिकार देना असहायों के लिए समस्या बन जायेगा। हम आज पोटो कानून के सवाल पर माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि देश की आजादी के बाद से अब तक देश के अंदर जितने निवारक नजरबंदी कानून लाये गये हैं, इतिहास गवाह है कि उन निवारक नजरबंदी कानूनों का हमेशा दुरुपयोग किया गया है। देश की आजादी के बाद डाक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री राजनारायण जी, श्री रामानंद तिवारी जी, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग भी निवारक नजरबंदी कानूनों का दुख झेलने के लिए नजबूर रहे हैं, इमरजेन्सी के दौर में इस देश में जो राष्ट्रीय नेतृत्व रहा है, उस राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता तक उस पीड़ा को सहने के लिए मजबूर रहा है, जिसके आप भुक्तभोगी रहे हैं।

1977 में जब आप सरकार में आए थे, तो आपने इसी सदन के माध्यम के प्रस्ताव पारित कराकर उन निवारक नज़रबंदी कानूनों को समाप्त करने का काम किया था। फिर इस तरह की पुनरावृति आप क्यों कर रहे हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।

हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह के आतंकवाद का सामना आज देश कर रहा है वह सीमा पार का आतंकवाद है और सीमापार के आतंकवाद का मुकाबला कोई कानून नहीं करेगा, सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, सेना और सैनिकों के हाथ में उच्च कोटि के हथियार, खुफिया एजेन्सियों की सतर्कता उसका मुकाबला करेगी। सीमा पार के आतंकवादी रक्तबीज हैं, जिनका हम कानून से मुक़ाबला नहीं कर सकते हैं। इन रक्तबीजों को समाप्त करने के लिए आपको जड़ पर हमला करना होगा। लेकिन जड़ पर हमला करने से आप कतरा रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस अमेरिका ने अपने ऊपर प्रहार होने के बाद जिस सख्ती का परिचय दिया, उसी अमेरिका के दबाव पर आप जड़ पर हमला करने से कतरा रहे हैं। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर सीमापार के आतंकवाद को आप कुचलना चाहते हैं तो जब तक उस ताकत को आप नहीं कुचलेंगे, तब तक आप सीमापार के आतंकवाद को समाप्त नही कर सकते हैं। आज जो धर्मान्धता है, उससे आतंकवाद और धर्मान्धता एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए हैं, उस धर्मान्धता की आग को फैलने से रोकना पड़ेगा। हम विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि धर्मान्धता की आग में अफगानिस्तान ज़ला, और दुनिया के बहुत से देश जले और बरबाद हुए, फिर भी आतंकवाद का जड़ से सफाया नहीं हो सका है। इसलिए आतंकवाद को मूल से समाप्त करने के लिए आपको ही नहीं, पूरे देश को और पूरी संसद को नये सिरे से विचार करना होगा। धर्मान्धता चाहे इस्लाम में हो चाहे कैथोलिक धर्म में हो या सनातन धर्म में हो, यह धर्मान्धता कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की धर्मान्धता को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम करें। पोटो आज तक के ऐसे सभी नज़रबंदी कानूनों से ज्यादा खतरनाक नज़र आता है और इसमें लोगों की स्वतंत्रता व मौलिक अधिकारों का हनन होता है।

हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है और ऐसे संगठनों के सदस्यों को आतंकवादी घोषित करने की बात कही है, क्या आपके पास ऐसे संगठनों के सदस्यों की सूची है? यदि है, तो वह आपको जारी करनी चाहिए। आपने सिमी पर प्रतिबंध लगाया है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो तमाम संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं, क्या वे आतंकवाद की परिभाषा में नहीं आते हैं? अगर इसको आप सही तरीके से परिभाषित नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर यह धर्मान्धता पूरे समाज को और देश को अपने आगोश में जकड़ लेने का काम करेगी।

हम कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अध्यादेश में जो सबसे ज्यादा असंवैधानिक बात है, वह यह है कि पुलिस जो भी बयान लिखेगी, वह मुजरिम व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, वही उसका बयान माना जाएगा। आम जनता के अलावा यह कानून प्रैस की आजादी पर भी खतरा है और प्रैस की आजादी के खतरे के बाद देश में निश्चित तौर पर अराजकता अपना स्थान ग्रहण करेगी। न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ केवल संदेह के आधार पर लोगों को जेल में नहीं डाला जा सकता है, मगर इसमें आपने ऐसा भी प्रावधान किया है। कोई भी लाइसेंसधारी पुलिस का कोपभाजन बन जाए तो उसे इस कानून का शिकार होना पड़ेगा। आपने कहा कि इसका दुरुपयोग रोकने के लिए पुनरीक्षण के लिए आपने एक बोर्ड बनाया है। हम कहना चाहते हैं कि एन.एस.ए. के लिए भी आपने रिव्यू बोर्ड बनाया था, टाडा के लिए भी बना था। देश की आजादी के बाद से आज तक हमारे और बहुसंख्यक लोगों का अनुभव है कि जितने भी

रिव्यू बोर्ड रहे हैं, इन बोर्डों पर सरकार की प्रतिछाया नजर आई है। सरकार के इशारे पर ही रिव्यू बोर्ड कार्य करते रहे हैं और इन्होंने कभी भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए इन रिव्यू बोर्डों का कोई मतलब नहीं है। कुछ संगठनों पर आपने प्रतिबंध लगाया है मगर कुछ को छोड़ा है। मैं पीपल्स वार ग्रुप की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस ग्रुप ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की हत्या की, मगर उस पर आपने प्रतिबंध नहीं लगाया और कुछ पर ही प्रतिबंध लगाया है। इस तरह का जो प्रतिबंध है, जो दोहरे मानक हैं, ये गलत हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, उन्हें जो लोग क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, क्या वह आतंकवाद की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। दुनियां के सात आश्चर्यों में से एक है ताजमहल। क्या आपको मालूम नहीं है कि पिछले दिनों ताजमहल को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई? यही नहीं, अयोध्या के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो कोहराम पैदा करने का काम किया गया, क्या वह आतंकवाद की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है? कांग्रेस ने टाडा का कानून बनाया था, मीसा का कानून बनाया था, लेकिन इन्होंने खुद यह स्वीकार किया कि उनका दुरुपयोग हुआ है और इन्होंने उसके दुरुपयोग को देखते हुए, इसको आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया था।

महोदय, पोटो अध्यादेश का विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप इसको लाए हैं बल्कि यह हमारा सीधा आरोप है कि पोटो अध्यादेश, जिसे आप कानून बनाने के लिए विधेयक की शक्ल में यहां आए हैं, इसका इस्तेमाल सरकार आतंकवाद के खिलाफ तो कम करेगी, अपने विरोधियों के खिलाफ ज्यादा करेगी और इसका सीधा-सादा उदाहरण है कि टाडा, जिसको जम्मू-कश्मीर और पंजाब में उस समय व्याप्त आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल वहां कम हुआ और देश के अन्य भागों में उसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था।

महोदय, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश माननीय मिश्र जी, दिल्ली हाईकोर्ट के पुराने मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर जी और मानवाधिकार आयोग के न्यायाधीश जी.एस. वर्मा जी ने भी यह माना है कि इस अध्यादेश से आतंकवादी तो नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन इस देश के निर्दोष नागरिक, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं, वे जरूर गिरफ्तार किए जाएंगे। सरकार से मेरा सीधा सा एक प्रश्न है कि टाडा कानून समाप्त हुए छः वर्ष व्यतीत हो गए हैं, इन दिनों में आपके सामने ऐसी कौन सी कठिनाई आ गई है कि आपको इस प्रकार के कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी?

महोदय, देश में वर्तमान आतंकवाद सीमापार से प्रायोजित है और सीमापार से जो आतंकवाद प्रायोजित है, उसे रोकने में मैं समझता हूं कि यह कानून सक्षम नहीं है। 13 दिसंबर की घटना इस बात की गवाह है। उस दिन भी पोटो का अध्यादेश लागू था, लेकिन पोटो जैसे कानून इस आतंकवाद को रोकने में सक्षम साबित नहीं हुआ है। इसके जीते जागते उदाहरण आप और हम सभी लोग हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आतंकवाद को रोकने के लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा।

महोदय, आज जो आतंकवादी सीमापार से आ रहे हैं उन पर आपको कड़ी दृष्टि डालनी होगी कि सीमा पार से जो आतंकवादी आ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं। हमने सीमा पार जिन्हें तैनात किया है, सीमा की रखवाली की जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, क्या उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है या नहीं? जम्मू-कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवादी जड़ें जमाते चले जा रहे हैं, जिस तरह से सीमापार से आतंकवादियों की बड़ी खेपें बार-बार आती चली जा रही हैं, वे कहीं न कहीं सीमा पर जो हमारी व्यवस्था है, उसमें जो हमारी खामियां हैं, उनको रेखांकित और उजागर करने का काम करती हैं। आज आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए एस्मा और कोफा पोस जैसे कानून पहले से ही हमारे यहां मौजूद हैं, फिर इस तरह के कानून की क्या आवश्यकता है?

महोदय, लॉ कमीशन ने यह सुझाव जरूर दिया था कि टाडा की जगह पर एक नया कानून बनाया जाए, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। इस तरह के कानून राजनीतिक गतिवधियों को रोकने के लिए लागू किए जाएंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नजरबंदी कानून का विरोध आपके नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी किया था। जब अमृतसर में आपकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी इस पोटो के कानून के सवाल पर विरोध हुआ था और प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम सर्वसम्मति और सर्वसहमति बनाकर इस कानून को लाने का काम करेंगे, लेकिन आपने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति के उस प्रस्ताव को भी नजरअंदाज करने का काम किया है।

महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज देश के अंदर तमाम अपराधी हैं, उन अपराधियों को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। वीरप्पन को आप आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। वीरप्पन को गिरफ्तार करने में कौन सी अड़चनें आपके सामने आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में ददुआ गिरोह आतंक का पर्याय बना हुआ है। वह जब चाहता है, लोगों का दिनदहाड़े अपहरण कराने का

[कुंवर अखिलेश सिंह]

काम करता है, लेकिन आप न तो ददुआ के ऊपर अंकुश लगा पाए और न ही वीरप्पन के ऊपर और फिर भी आप कहते हैं कि हम कानून बनाकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे?

महोदय, 13वीं लोक सभा के गठन के पश्चात्, वर्ष 1999 के अंतिम दिनों में, जब काठमांडू से भारतीय विमान का अपहरण हुआ था, तो आप बताएं कि आपने दुर्दान्त आतंकवादियों को जेल से रिहा किया था या नहीं किया था? आपके ही विदेश मंत्री ने उन आतंकवादियों को कंधार तक ले जाने का काम किया था या नहीं? जैसे दामाद की सेवा की जाती है वैसी ही सेवा करते हुए आपने उन्हें कंधार पहुंचाया था या नहीं? इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या होगी? आपने देश के सम्मान और स्वाभिमान को रौंदने का काम किया था। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि देश में सीमा पार से आतंकवाद पर अंकुश लगे, तो आपको देश के अलग-बगल की परिस्थितियों पर भी नजर डालनी होगी। भूटान जिसको आपकी मदद प्राप्त है, उस भूटान से असम के अंदर पनपने वाला उल्फा शरण ले रहा था या नहीं ले रहा था?

आज नेपाल के अंदर राजवंश घराने की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई और आप मूकदर्शक बने बैठे रहे। बगल में बंगलादेश है जो हमारे कारण दुनिया के मानचित्र में नये राष्ट्र के रूप में उभरकर आया। वह बंगलादेश आज हमें चिढ़ाने का काम कर रहा है और जब चाहता है तब हमारे सैनिकों को गाजर-मूली की तरह काट देने का काम करता है। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मधुर नहीं रखेंगे, सीमा पर चौकसी नहीं बरतेंगे और सीमाओं की रखवाली जिनके हाथों में दी है, उनके ऊपर नजर और लगाम नहीं रखेंगे, तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसे कानूनों से आप देश को नहीं बचा सकते। आज तक आप क्वात्रोची को गिरफ्तार नहीं कर सके। हम पूछना चाहते हैं कि क्वात्रोची, ददुआ और वीरप्पन जैसे लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए?

पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो आतंकवादी गुट हैं, उन आतंकवादी गुटों से आप देश की सीमा के बाहर जाकर वार्ता करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या इससे आतंकवादी मनोवृत्ति और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा?

जम्मू-कश्मीर के जो आतंकवादी हैं, उनको आप जब चाहते हैं तब जेल से रिहा कर देते हैं और समाज के सामने हीरो के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। बाद में आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से कहते हैं कि जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिन लोगों की लोकतंत्र में आस्था नहीं है, जो आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देते हैं, उनसे हमें दूरी बनाये रखनी चाहिये। ये जो दोहरी बाते हैं, दोहरी मानसिकता है, उसको जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक आप आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते।

आदरणी गृह मंत्री जी, हम आपसे एक बार फिर विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि आज जो पोटो कानून आप इस सदन के पटल पर लेकर आये हैं, इस पोटो कानून का उपयोग निरीह लोगों पर होगा, कमजोर लोगों पर होगा। पोटो जैसे कानून का दुरुपयोग होगा और निश्चित तौर से चाहे आप सत्ता में रहें चाहे दूसरे सत्ता में रहें, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जायेगा। विभिन्न दलों की राज्यों में सरकारें हैं, वे राज्य सरकार भी बदले की भावना से क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह के कानून का दुरुपयोग करने का काम करेंगे।

इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि देश हित में इस तरह के कानून को आप वापिस लें और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए सेना को उच्च कोटि के हथियार मुहैया करते हुए और खुफिया एजेंसी की सतकर्तता को बढ़ाते हुए आप आतंकवाद का मुकाबला करने का काम करेंगे और आतंकवाद की जड़ पर हमला करने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी तत्परता के साथ आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन अगर एक कौम विशेष को लांछित करने के लिए, एक कौम विशेष को जलील करने के लिए, एक कौम विशेष को अपमानित करने के लिए, एक कौम विशेष के मन में भय पैदा करने के लिए इस तरह के कानून का दुरुपयोग करेगी तो हम बराबर इस कानून का विरोध करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना): सभापति महोदय, आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 का मैं अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 20 सालों से हम आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करते आये हैं। आज तक 61 हजार निरअपराध लोग मारे गये हैं और 8 हजार सुरक्षाकर्मी मारे गये हैं। गये एक वर्ष में लालकिले पर, जम्मू कश्मीर की असेम्बली पर, संसद भवन पर और कलकत्ता में ऐम्बेसी आदि पर आतंकवादियों ने हमले किये हैं। ये ताजी घटनाएं हैं लेकिन तब भी आज इस विधेयक का हमारे विपक्षी भाई क्यों विरोध कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है पोटो जैसा कानून वहां लागू है। तब भी हमारे कांग्रेसी भाई इसका विरोध करते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री छगन लाल भुजबल ने शुरू-शुरू में पोटो का समर्थन किया।...*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

एक और आश्चर्य की बात लगती है कि आज सुबह उड़ीसा असेम्बली के ऊपर जो हमला हुआ, उसका निषेध करते वक्त हमलवारों पर पोटो लगाओ, ऐसी भाषा हमारे कांग्रेसी भाइयों ने की। यह राजनीति क्या है, यह बात समझ में नहीं आती।

आज पूरे देश में कहीं भी कोई घटना घटती है, कल हम सबने टी.वी. में देखा, लखनऊ में एक आतंकवादी पकड़ा गया और उस आतंकवादी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने मुम्बई के नजदीक उरन ऑयल टर्मिनल को उड़ाने के प्लान में छः लोगों को पकड़ा जिससे हमारे देश में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जब अमरीकन वर्ल्ड ट्रैंड सैंटर पर हमला हुआ तो विश्व के सब देश आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठे हुए और सबके दिल में यह बात आई कि आतंकवाद के खिलाफ अलग से एक कानून बनाना जरूरी है और बहुत से देशों में ऐसा कानून है भी।

13 दिसम्बर की घटना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उस दिन हम सब भगवान की कृपा से बचे, हमारे सुरक्षाकर्मियों की वजह से बचे। यदि उस दिन आतंकवादी अंदर आ जाते तो आज हम लोग जो यहां बैठे हैं, नहीं बैठे होते। इसे हम भूल गए। जब हम विपक्ष में हों तो हर बात का विरोध करें, यह राजनीति मेरी समझ में नहीं आती।

गृह मंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पिछले सत्र में यह कानून लाने की कोशिश की जिसका विरोध हुआ। कुछ सुझाव आए। उन्होंने वह कानून वापिस लिया और आपके सुझाव के मुताबिक यहां दूसरा कानून लाए हैं। इसका भी आज विरोध हो रहा है।

अभी हमारे कानून मंत्री श्री जेटली ने, यह कानून क्या है और इसकी क्या जरूरत है, इसके बारे में इतनी अच्छी तरह समझाया। अगर हम समझ कर भी समझने वाले नहीं होंगे तो यह देश का दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जातियों के लिए कानून लाए हैं, कुछ कहते हैं कि विरोधी पक्ष के लिए लाए हैं, यह कहना गलत है। आदरणीय जेटली जी का भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब इस बारे में किसी को बोलना जरूरी नहीं है। मैं इसलिए खड़ा हूं कि हम इसका समर्थन करने वाले थे, करने वाले हैं और करते रहेंगे। आज सत्ता में हैं, कल विपक्ष में होंगे, इसकी हमें परवाह नहीं हैं, हमें देश की परवाह है। ...*(व्यवधान)* कल कुछ भी हो सकता है लेकिन यदि देश हित में देशद्रोही, आतंकवादियों के लिए कानून लाए हैं तो जो देशप्रेमी होगा, उसे डरने और चिन्ता करने की क्या जरूरत है। कोई भी कनून बने, उस पर अमल सही होना चाहिए, प्रमाणिकता से होना चाहिए, कठोरता से होना चाहिए, हम सबकी इतनी अपेक्षा जरूर है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से इस कानून का समर्थन करते हुए विराम लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध मुख्यतः इस आधार पर करता हूं कि सरकार के पास इस अधिनियम के लाए जाने का कोई उचित कारण नहीं है। सरकार इस अध्यादेश को ईमानदारी से लागू नहीं कर रही है। वह कानून का प्रयोग लोगों को धमकाने और सुरक्षा परिषद एवं अमरीका द्वारा लादी गई बाध्यताओं को पूरा करने के उद्देश्य से करती है। इसीलिए इस विधेयक में आतंकवाद से सम्बन्ध में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। आतंकवाद की परिभाषा खण्ड 3(1) में दी गई है। इसका अर्थ है कि आतंकवाद की कार्यवाही करने वाले को ही दण्डित किया जायेगा अर्थात् आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने का निर्णय लेने वाले व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जायेगा। उसे इस अधिनियम के दायरे में नहीं लाया गया है और उसे साफ छोड़ दिया गया है। वह व्यक्ति जो किसी विशेष आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने का निश्चय करता है उसे दण्डित किया जाना चाहिए लेकिन इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसमें एक दूसरा प्रावधान किया गया है जिसमें उस व्यक्ति को दण्ड देने का प्रावधान किया गया है जो किसी आतंकवादी गतिविधि का षड्यंत्र करे या करने का प्रयास करे, इसके लिए उकसाए, सलाह दे, उत्प्रेरित करे या किसी आतंकवादी कार्य में या आतंकवादी की ओर उन्मुख कार्य में जानबूझकर सहयोग करे लेकिन उसे उस व्यक्ति से कम दण्ड मिलता है जो कि वास्तव में सक्रिय होता है तथा जिसे ऐसे कार्य के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप से व्यवस्था करने एवं नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को कम दण्ड मिलेगा एवं कमाण्डर के हाथ में हथियार का काम करने वाले को फांसी एवं मृत्यु दण्ड मिलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार आतंकवाद को पूर्णतः मिटाना नहीं चाहती बल्कि वह कुछ लोगों या कुछ संगठनों, या सुरक्षा परिषद द्वारा लादी गई बाध्यता को पूरा करना चाहती है या वह इस विधेयक को बिना किसी उद्देश्य के लाई है। इसका दृष्टिकोण व्यापक नहीं है और इसमें यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि हम आतंकवाद से किस बेहतर तरीके से लड़े एवं उसे खत्म करें क्योंकि इसके नाम से ही यह स्पष्ट है: ''आतंकवाद निवारण'' निवारण का विधान कहां किया गया है? इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विधि मंत्री के अनुसार आतंकवादी गतिविधि के घटित होने के बाद कुछ किया जाएगा

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

और केवल इसी उद्देश्य के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। तब हम इसे आतंकवाद निवारक अधिनियम के रूप में क्यों स्वीकार करे? आप इसे आतंकवाद विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे। आपको बताना होगा कि इससे देश में आतंकवाद को रोकने में किस प्रकार सहायता मिलेगी। ऐसा लगता है कि अनेक खंडों में पूर्व के इसी प्रकार के एक कानून टाडा को शब्दश: रख दिया गया है। टाडा में 30 धाराएं थी लेकिन अब इसमें 64 धाराएं है और इसमें उससे कहीं अधिक व्याख्या की गई है। लेकिन केवल प्रक्रिया के बारे में ही व्याख्या दी गई है। वास्तव में वे न्यायालय की शक्तियों को कम कर रहे हैं। वे कार्यपालिका एवं अभियोजन को अधिक शक्तियां देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए विधि मंत्री ने कहा है कि जमानत का प्रावधान सामान्य कानून के अन्तर्गत किया गया है एवं यह अत्यन्त नमनीय है लेकिन इसी के साथ इस कानून में जमानत पर अधिक बल दिया गया है ताकि एक वर्ष तक जमानत न दी जा सके। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यह अधिनियम अभियोजक को अधिक शक्तियां देता है। न्यायालय को नहीं। यहां मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं। यह शक्ति अभियोजक को दी गई है एवं न्यायालय में लंबित जमानत के मामले में अभियोजक को जमानत देने की शक्ति दी गई है। सम्पूर्ण प्रावधान को अभियोजक के हाथ में सौंपकर न्यायालय की शक्तियां कम कर दी गई हैं। मैं मात्र उस प्रावधान विशेष को पढ़ना चाहूंगा जिसमें अभियोजक को न्यायालय की अपेक्षा अधिक शक्तियां दी गई हैं।

> ''लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने संबंधी आवेदन का विरोध करने पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत किसी अपराध के आरोपी को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं कि वह इस प्रकार के अपराध करने का अपराधी नहीं है।''

यहां एक वर्ष के लिए अभियोजक को पूरी शक्तियां दे दी गई हैं। यदि अभियोजक स्वीकार न करे तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन यहीं यह भी कहा गया है:

> ''जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि इस पर विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं कि वह इस प्रकार के अपराध करने का अपराधी नहीं है।''

आरोपपत्र अभियुक्त को नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे विलम्ब हो जाएगा ..... इस प्रकार का प्रावधान है जिसके द्वारा उन्हें किसी भी व्यक्ति को 180 दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में रखने का अधिकार मिल जाता है और इसके बाद वे 48 घंटे के अन्दर आरोपित द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति के बाद न्यायालय में आकर न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

अत: कार्यपालिका विशेषकर अभियोजक और अभियोजन एजेन्सी को और अधिक शक्तियां देने का प्रावधान निर्दोष लोगों के मन में भय पैदा करता है। खण्ड 3(5) में कहा गया है:

> ''कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसी आतंकवादी टोली या किसी 'आतंकवादी संगठन' का सदस्य है जो आतंकवादी कार्य में लिप्त है, वह कारावास से, जिसकी अवधि आजीवन तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।''

इसलिए किसी निर्दोष व्यक्ति से भी यह बात कहलाई जा सकती है कि वह संगठन का एक भाग है। विश्व हिन्दू परिषद के मामले में लोग मंदिर निर्माण के लिए दान देते हैं। ठीक उसी तरह वह दिल खोलकर इसमें दान देते हैं, ठीक उसी तरह मान लीजिए, सरकार कल को यह रुख अपनाती है कि विश्व हिन्दू परिषद पर प्रतिबंध लगा दिया जाये तो क्या उन लोगों को भी इस प्रावधान के तहत दंडित किया जाएगा? क्या उन्हें भी इस प्रकार दंड दिया जा सकता है? एक साधारण पुलिस कर्मी द्वारा इस प्रावधान का सरलतापूर्वक दुरुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए मैं निर्णय को उस भाग को पढ़ूंगा जो उच्चतम न्यायालय ने करतार सिंह के मामले में दिया था। मैं केवल वही भाग पढ़ूंगा जो पूरे के पूरी तस्वीर पेश करता है। यह एक महत्वपूर्ण मामला था जिसमें तीन न्यायाधीश अपराध स्वीकरण के पक्ष में गए जो टाडा अधिनियम के तहत किया गया था। नलिनी के मामले में भी अपराध स्वीकारण को दुर्भाग्यवश न्यायालय ने मान लिया जिससे छह लोगों पर दोष सिद्ध हुआ लेकिन अन्य लोगों को छोड़ दिया गया। करतार सिंह के मामले में न्यायाधीश सहाय ने टिप्पणी की:

> ''पुलिस अधिकारी और न्यायिक अधिकारी के दृष्टिकोण के बीच बुनियादी अन्तर होता है। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षित और स्पष्ट प्रक्रिया द्वारा अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ होता है। सभ्य विधि शास्त्र का आधार यह है कि जिस प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है तो वह प्रक्रिया स्पष्ट, सच्ची और न्यायसंगत होनी चाहिए।
>
> पुलिस अधिकारी अर्थोपाय की परवाह किये बिना परिणाम हासिल करने में प्रशिक्षित होता है जिस परिणाम को प्राप्त करने के लिए उसे लगाया जाता है। जब तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक साधन अनुपयुक्त रहते हैं और यह दर्शन अधिकारी के पद सोपान से नहीं बदलता।''

यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की है जिसमें वह कहना चाहते हैं कि पुलिस कार्मिकों का औपनिवेशिक दृष्टिकोण अभी भी बिल्कुल नहीं बदला है। इस विशेष उपबंध के तहत अपराध स्वीकारण पुलिस अधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। अड़तालीस घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश किया जा सकता है, इसका अर्थ है कि इस अवधि के भीतर व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए विवश किया जा सकता है। यह संविधान के प्रावधान के विरुद्ध है। अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है कि इसमें कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां एक प्रावधान है जो कार्यपालिका को किसी व्यक्ति के विरुद्ध इसका उपयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। धमकी द्वारा वे इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं; यद्यपि वे करतार सिंह के मामले के प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर सकते कि वे उस व्यक्ति को चेतावनी दें कि ऐसा अभिसाक्ष्य उसके विरुद्ध जाएगा आदि।

इसे बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है किन्तु साथ ही उसका उपयोग निर्दोष और साधारण लोगों के विरुद्ध किया जाएगा। इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं कि खंड 32 के अन्तर्गत दिए गए साक्ष्य का उपयोग निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध किया जा रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उपबंध है जो दोषी व्यक्ति से अभिसाक्ष्य लेने के लिए न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपराध स्वीकार कर लेता है तो इसे अभिलिखित किया जा सकता है। यहां हम पुलिस अधिकारी को शक्तियां दे रहे हैं। पुलिस अधिकारी बहुत आसानी से व्यक्ति की सहमति ले लेगा और वह दोषी से अपने विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए कहेगा। यह महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। नलिनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस पर विचार करने हेतु इसे लिया है। इस प्रकार के अभिसाक्ष्य पर भी विचार किया जा सकता है। इसी आधार पर ही दोषसिद्धि को बनाए रखा गया यद्यपि उस विशेष, मामले में टाडा का इस्तेमाल नहीं किया गया। वह मामला तो दोष मोचन से बच गया फिर भी कुछ लोगों पर तो दोष लगा ही। अन्य लोगों को भी बाद में दोष मुक्त कर दिया गया। कानून में इस प्रकार का प्रावधान अत्यंत कठोरता से किया जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि निर्दोष लोगों और उन लोगों जो एक वर्ष से जेल में हैं, के हितों की रक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद ही उन्हें आरोप पत्र मिलेगा। उसके बाद ही उन्हें अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए अपने आपको प्रेरित करना होगा और आगे आना होगा।

मैं यहां टाडा के अन्तर्गत तमिलनाडु में हुई कुछ घटनाओं की बात करूंगा। पद्मनाभ की हत्या से संबंधित मामला अत्यंत रुचिकर है। भूतपूर्व मंत्री श्रीमती सुब्बालक्ष्मी पर टाडा के अन्तर्गत आरोप लगाया गया। मुझे आशा है कि डी.एम.के. इस बात को समझेगी कि उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ा। वही श्रीमती सुब्बा लक्ष्मी डी.एम.के. की एक पदाधिकारी हैं। टाडा के अन्तर्गत उन्हें कारावास हुआ। उन्हें जमानत नही मिल सकी। उनका मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया और तभी जाकर उन्हें जमानत मिली। इसी प्रकार तमिलनाडु में टाडा के अन्तर्गत अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इन मामलों में अनेक व्यक्ति छोड़ दिए गए। क्या ऐसा ही अब नहीं होगा? क्या डी.एम.के. और एम.डी.एम.के. ऐसी स्थिति का सामना करेंगे?

एक अन्य बात मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक व्यक्ति रवीचन्द्र, जो कोई और नहीं बल्कि श्री वैको के भाई हैं, पर टाडा के अन्तर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया। यदि वहां पोटो लागू कर दिया जाये तो क्या ऐसा फिर नहीं होगा? क्या डी.एम.के. के लोग और एम.डी.एम.के. के लोग इसे मानेंगे? इसलिए इन चीजों से इस बात का आसानी से पता चल सकता है कि एक साधारण पुलिस कर्मी बदला ले सकता है। इसीलिए हमारा कहना है कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। साधारण कानून ही पर्याप्त है। यहां केवल बात यह है कि साधारण कानून को लागू करने की इच्छा होनी चाहिए। दोषी व्यक्ति का पता लगाने की इच्छा होनी चाहिए। यह इच्छा होनी चाहिए कि आतंकवादी पर दोष सिद्धि हो।

मैं कहूंगा कि आतंकवादी कार्य करने के बाद जीवित नहीं हैं। वे ऐसा कुछ कारणों से करना चाहते हैं। हम राज्य के बहुत से कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। वे गुण्डावाद और संगठित अपराधियों से संबंधित कानून हैं। ये लोग अपराध करने के बावजूद जीवित रहेंगे। किन्तु आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनसे अपने अपनी निजी सोच अथवा धन के लिए कोई विशेष कार्य करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए ही वे ये कार्य कर रहे हैं। इस वृत्तांत में यह दिखाने की कोई बात नहीं है कि आतंकवादी रंगे हाथ पकड़े गए। अधिकतर आतंकवादी अपनी जान ले लेंगे, तो आरोप पत्र किस पर दाखिल किया जा रहा है? इन कार्यों को करने वाले लोगों के पीछे जो लोग हैं उन पर आरोप पत्र दाखिल किया जाए। लेकिन यह विधेयक इस बारे में बिल्कुल चुप है। जिस व्यक्ति ने आतंकवादियों को आतंकवादी कार्य करने के लिए कहा है, उसे इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार उपयुक्त विधेयक नहीं ला रही हैं। यह सरकार अल्पसंख्यकों को डराने और उन राजनीतिज्ञों जो उनके विरोधी हैं, डराने के लिए यह विधेयक ला रही है। इसी उद्देश्य के लिए वे यह विधेयक लाए हैं। इसीलिए हम इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 6.55 बजे

***श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर): सभापति महोदय, देश के अंदर सिर उठाने वाला आतंकवाद और सीमा पार से होने वाला आतंकवाद दोनों ही निंदनीय हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सभा में किसी भी माननीय सदस्य का विपरीत मत होगा। इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने आतंकवाद और हिंसा का कड़ा विरोध किया है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान, जिसमें 'आतंकवाद निवारण' के लिए कानून बनाने की बात की गई है, सरकार द्वारा उठाए गए कदम की कड़ी आलोचना हुई है। ऐसा पहले के ऐसे ही कानूनों के नकारात्मक प्रभाव के कारण है। उनका दुरुपयोग हुआ था। लोगों के मन में अभी वही आशंका है।

हम यहां विधान बना रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी हम किसे देते हैं? इस कानून का व्यक्तिगत वैमनस्य और राजनीतिक विरोध का बदला लेने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हम टाडा के रूप में इसके पिछले संस्करण को देख चुके हैं। उस अधिनियम के अंतर्गत लगभग 75 हजार लोगों को हिरासत में लिया गया था। परन्तु, अंत में कितनों पर दोषसिद्ध हुआ? उस कानून के अंतर्गत मात्र एक प्रतिशत लोगों को ही दंड दिया जा सका।

हमने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा है जिसने टाडा का दुरुपयोग किया और जिसका अब अपना कानून है। महाराष्ट्र में टाडा के अंतर्गत लोकतांत्रिक रूप से आन्दोलन करने वाले लगभग 15 हजार खेतिहर मजदूरों और किसानों को हिरासत में ले लिया गया था। हमने इस कानून में झूठे मामले बनाने वालों को दंड देने का कोई प्रावधान नहीं किया। इस कानून को बनाते समय हम पुलिस को अधिकार दे देते हैं। पुलिस के अपराधों पर सवालिया निशान लगाने का साहस कौन करे? लोगों को पहले गिरफ्तार कर लेना और बाद में आरोप निर्धारित करने के लिए सबूत ढूंढ़ने के लिए हाथ-पैर मारने का चलन हो गया है। लोग पुलिस बल की ताकत का कैसे मुकाबला करें? अधिकांश समय यह प्रशासन की मौन सहमति से पुलिस द्वारा किया गया क्रूर नाटक बनकर रह जाता है। जब वे अदालत में जाते हैं तो अदालत में कोई मामला ही नहीं बनता। लेकिन ये शुक्रवार की शाम को लोगों को गिरफ्तार करते हैं और सोमवार सुबह छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि मौजूदा कानूनों का दुरुपयोग होता है। यदि जनता और राजनीतिक दल प्रशासन के बल प्रयोग के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो राज्य सरकारें और उनके पुलिस विभाग न्याय की गुहार लगाने वाले पीड़ितों के खिलाफ बाहुबलियों और गुंडों का प्रयोग करते हैं। कुछ राज्यों के पुलिस विभाग अपने राजनीतिक आकाओं की इच्छाओं के अनुरूप झूठे मामले बनाने की ढिठाई भी करते हैं। वे ठोस सबूत वाले सही मामलों में न्याय प्रदान करने में रुचि नहीं दिखाते। बल्कि वे सत्तापक्ष को खुश करने के लिए झूठे मामले गढ़ने में प्रसन्न होते हैं। वे पांच-पांच साल प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ईमानदार अधिकारी जो दुरुपयोग की संभावना पैदा नहीं होने देते, उनका स्थानान्तरण कर दिया जाता है या अवकाश पर भेज दिया जाता है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक घटना बताता हूं। एक डी.एस.पी. किसी पुलिस थाने का निरीक्षण करने गए। पुलिस थाने का उप-निरीक्षक ड्यूटी पर अन्यत्र गया हुआ था। डी.एस.पी. ने कुछ मामलों की जांच के संबंध में हुई प्रगति के दस्तावेज देखने के बहाने उप-निरीक्षक की मेज के ड्राअर का ताला तोड़ दिया। वापसी पर जब उप-निरीक्षक ने अपने ड्राऊर को जबरन तोड़ा हुआ पाया तो उसने शिकायत दर्ज करायी और डी.एस.पी. के विरुद्ध अतिचार का मामला दर्ज कराया। पुलिस विभाग में ऐसे कर्त्तव्य परायण और ईमानदार लोग भी थे। लेकिन, आज हमारे पास इस प्रकार के दूरगामी प्रभाव वाले कानून हैं।

विश्व युद्ध के दिनों में इंग्लैण्ड में इस प्रकार का कानून था। उस समय इंग्लैण्ड विदेशी ताकतों की ओर से आक्रमण का सामना कर रहा था और देश में कुछ अन्य देशों की मिलीभगत से गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान प्रीवेन्शन आफ डिटेन्शन एक्ट 1944 में बनाया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत लगभग 200 लोगों को नजरबंद किया गया था। इन नजरबंदियों को गृह सचिव को सत्यापित करना होता था। अब हमारे देश में इस प्रस्तावित कानून के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों के सचिव मामला बनाने के लिए आदेशों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह अधिकार केवल केंद्रीय गृह सचिव को दिया जाना चाहिए। जब हम मैकाले कालीन ब्रिटिश प्रणाली को अपना रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया अपनाने में क्या गलत है?

हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पिछली सरकारों ने ऐसे कानूनों को वापस क्यों लिया और कई बार उन्हीं सरकारों ने वापस लिया जिन्होंने इन कानूनों को बनाया था। इन्हें वापस लिए जाने के कारणों में एक कारण उनके दुरुपयोग का भी था। वे सरकारें इस कानून द्वारा जिस संकट से निजात पाना चाहती थी केवल उसमें ही विफल नहीं रहीं बल्कि जनता की नजरों में भी गिर गई और इनको बदनामी झेलनी पड़ी। जब ये कानून बनाया गया तब भी यही औचित्य बताया गया था कि तत्कालीन मौजूदा कानून अपर्याप्त थे। विशेष अधिकारों से सम्पन्न इन कानूनों को बाद में निरस्त कर दिया गया क्योंकि ये असफल सिद्ध हुए। 'मीसा' के उपबंधों के अंतर्गत मुरासोली मारन जैसे हमारे नेताओं को नजरबंद किया गया था। इस प्रकार के अनिष्टकारी कानूनों का

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

हमें बहुत बुरा अनुभव हुआ था। अत: हम उन निर्दोष लोगों के बारे में बहुत चिंतित है जिनके खिलाफ ऐसी सरकारें और पुलिस अधिकारी इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में आश्वासन चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा।

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय : अब श्री टी.एम. सेल्वागनपति बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने उनके भाषण का भाषांतर सुना है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा कि वह इस विधेयक का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। उन्होंने केवल इस अधिनियम के खतरों के बारे में कहा है। *...(व्यवधान)* वह इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे है? *...(व्यवधान)* उनका रूख क्या है? *...(व्यवधान)* न ही उन्होंने इसका समर्थन किया है और न विरोध। *...(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, इस महत्वपूर्ण विधान पर चर्चा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए अधिनियम बनाने का काम हमारे समक्ष है।

मैं इस विधेयक का तहेदिल से पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे पास कालाबाजारी से निपटने के कानून हैं। हमारे पास जमाखोरों से निपटने के लिए कानून है। तस्करों के खिलाफ हमारे पास विशेष कानून हैं। चोर-बाजारी करने वालों के खिलाफ हमारे पास कानून हैं। हमारे पास 'फेरा' का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून हैं। हमारे पास अपराध की प्रत्येक किस्म के खिलाफ कानून हैं। लेकिन, हमारे पास आतंकवाद और आतंकवादियों से निपटने के लिए कानून नहीं है। आज जिस विधान पर चर्चा हो रही है वह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की गरिमा और अखंडता से जुड़ा हुआ है।

पिछले 15 वर्षों के दौरान क्या हुआ है? आतंकवाद 61,000 नागरिकों, 8000 सैन्य कार्मिकों और पुलिककर्मियों की अनमोल जानें ले चुका है। देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद की वजह से लगभग छह लाख लोग बेघर हो गए हैं।

अलगाववाद से निपटने में लगभग 45,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। विधि मंत्री बता रहे थे कि आतंकवादी शिविरों और आतंकवादियों से 48,000 टन विस्फोटक जब्त किए गए हैं। विस्फोटकों की यह मात्रा पूरे राष्ट्र को उड़ा सकती है। इतना सब हो जाने के बाद भी हम इस सभा में अधिनियमित किए जा रहे ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं। यह बड़ी खेदजनक स्थिति है कि हम दलगत राजनीति में बंटे हुए हैं। जब राष्ट्र की अखंडता का प्रश्न आता है तभी तुच्छ राजनीति रास्ते में बाधा बन जाती है और इस कानून का विरोध होता रहा है।

महोदय, कतिपय आशंकाएं हैं और ये निराधार नहीं हैं। मैं इस बात से सहमत हूं। हम आतंकवाद पर काबू पाना चाहते हैं परन्तु हम सरकार को आवश्यक शक्तियां देना नहीं चाहते; हम सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए आवश्यक विधान से लैस नहीं करना चाहते। यह खेदजनक स्थिति है। आतंकवाद से निपटने के लिए देश में कोई कड़ा कानून नहीं है।

इस कानून में हमें क्या आशंकाएं हैं? नि:सन्देह जहां तक विपक्ष का संबंध है, मिसा (आंतरिक सुरक्षा रख-रखाव अधिनियम) और टाडा के साथ हमारे पिछले अनुभव के कारण यह न्यायसंगत है। हमारे तर्कों का आधार है। पहला तर्क दिया गया है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और दूसरा यह है कि इसे किसी विशेष वर्ग अथवा समुदाय के विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकता है। तीसरा तर्क यह है कि इससे मौलिक अधिकार और प्रदत्त सुविधाएं समाप्त हो जायेंगी।

महोदय, जहां तक मेरे दल का संबंध है, मौलिक अधिकारों और प्रदत्त सुविधाओं के मुकाबले राष्ट्र की अखण्डता सर्वेपरि है। मैं यह कहता हूं कि राष्ट्र की अखण्डता का विरोध करके कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों और प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता। मैं कहता हूं कि जब राष्ट्र की अखण्डता और राष्ट्र-हित की बात आती है तो किसी भी आतंकवादी के मौलिक अधिकार छीन लिए जायेंगे और उसको प्रदत्त सुविधाएं भी समाप्त कर दी जायेंगी। इसलिए हमें स्थिति का मूल्यांकन करना होगा कि वस्तुत: हमारे देश के लिए क्या महत्वपूर्ण है और फिर तदनुसार हमें निर्णय लेना होगा।

महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस सभा में इस कानून पर मतदान कराये जाने पर विभाजन होगा। हमारा शत्रु जानता है कि हम विभाजित हैं। जनरल मुशर्रफ के नेतृत्व वाले एक दुष्ट राज्य से हमारा पाला पड़ा हुआ है। जिस तरह का आतंकवाद वे चला रहे है, जिस तरह के अत्याधुनिक हथियार वे रखे हुए है और जिस तरह की अत्याधुनिक जन संचार सुविधाएं उनको मिल रही है हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मी 303 मार्का राइफल चला रहे हैं जबकि आतंकवादी ए.के.-47 एसॉल्ट राइफलें चला रहे हैं। आज यह स्थिति है। यह विभिन्न प्रकार से भयावह है, चाल बड़ी गहरी है, आतंकवाद की जड़ें देश भर में फैली हुई हैं और इस देश में घटने वाली प्रत्येक घटना के लिए

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

हम आई.एस.आई. को दोषी ठहराते हैं। हम इसमें विदेशी हाथ मानते हैं। इस प्रकार के आतंकवाद को सहायता प्रदान करने में पाकिस्तानी सरकार को हम दोषी मानते हैं। यह तो है स्थिति। क्या हमें इस प्रकार का कानून नहीं बनाना चाहिए जो आतंकवाद के प्रति कठोर हो, आम नागरिक के प्रति नहीं?

यह कानून उनके लिए कठोर होगा जो देश का विभाजन करना चाहते हैं और इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। महोदय, मैं इस विधान के संबंध में सदस्यों के बंट जाने की बात को लेकर क्यों चिंतित हुआ? यदि हम इस संबंध में एक साथ है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधान पर कदाचित चर्चा नहीं होगी। इस कानून को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर में चढ जायें। हम हमेशा संयुक्त राज्य अमरीका से अनुरोध करते रहे हैं, "क्या आपने इस संगठन को काली सूची में डाला है? यह वह संगठन है जो आतंकवाद से निपटने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है।" "यदि वे हमसे पूछें आतंकवादियों से निपटने के लिए आपके देश में क्या कानून है? तो हम लज्जित हो जायेंगे।" हमारे पास इसका उत्तर नहीं होगा। इसीलिए, हमारी पार्टी एकमत है और इस मामले का तहेदिल से समर्थन कर रही है।

सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने इस मुद्दे पर चर्चा करते समय अपनी आंख ऊपर उठाते हुए कहा कि जयललिता भी इस विधेयक का समर्थन कर रही हैं। मैं अपने विद्वान मित्र को बता दूं कि हमारा समर्थन मुद्दा आधारित है। यह मामला राष्ट्र से संबंधित है *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : चेन्नई पर न जायें *...(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : और यही कारण था। मैं सोमनाथ जी को यह उत्तर दूंगा कि आतंकवादी चेन्नई में नहीं घुस सकते। कोई भी सुरक्षापूर्वक चेन्नई जा सकता है *...(व्यवधान)*। आतंकवाद भड़काने वालों को, आतंकवाद का पोषण करने वालों को और उसका समर्थन करने वालों को चेन्नई से दूर रखना होगा। आरंभ से ही हमारा नेतृत्व यही कार्य करता आ रहा है।

महोदय, मैं आपको कहता हूं कि हमारी प्रखर नेता मैडम आतंकवाद की शिकार हैं। महोदय, तमिलनाडु के इतिहास में दो दाग लगे हुए हैं। एक दाग तब लगा जब युवा और सक्रिय नेता श्री राजीव जी की इस धरती पर हत्या की गयी। दूसरा दाग तब लगा जब माननीय गृह मंत्री जी पर कोयम्बटूर में जान लेवा हमला बोला गया, जहां एक के बाद एक बम विस्फोट हुए और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन दोनों अवसरों पर, मैं सोमनाथ जी को बता दूं कि डा. जयललिता मुख्यमंत्री नहीं थीं। यदि वहां पर वह मुख्यमंत्री होंती, तो राजीव जी को बचाया जा सकता था, और तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, और यही हमारा इतिहास है *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : आपकी जानकारी के लिए उस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं था *...(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : वहां जब बम विस्फोट हुआ था तो अध्यक्षपीठ पर कौन आसीन था, जब वर्तमान गृह मंत्री जी पर हमला हुआ था तो उस समय अध्यक्षपीठ पर कौन आसीन था, और राजीव गांधी जी की हत्या से पहले उस राज्य में कौन शासन कर रहा था यह बात मैं बालू जी को याद दिला दूं। *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : आप कहना क्या चाहते हैं? जब राजीव जी की हत्या हुई थी उस समय वहां राज्यपाल शासन था *...(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः मैं फिर कह रहा हूं - कृपया मेरी बात सुनें - जब हत्या हुई थी, वहां राज्यपाल शासन लागू था, और मैं आपसे पूछता हूं कि उनकी हत्या से पहले सत्ता में कौन था *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : इससे आपका क्या मतलब है? आप उद्देश्य मत थोपइये। आप संकट में पड़ जाओगे। यह क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : आतंकवाद की जड़ अचानक, एक मिनट में नहीं फल-फूल जाती *...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैडम जयललिता उस समय सत्ता में नहीं थीं *...(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : मैं इससे संबंधित एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, यहां हम अपनी समस्याओं को उजागर न करें।

...(व्यवधान)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कुप्पुसामी, आप कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बालू, आप कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पलानीमनिक्कम जी, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कृष्णास्वामी जी, कृपया बैठ जाइये

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी तीनों माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्यों की कोई भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में श्री सेल्वागनपति के कथन के अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं अपने भाषण में पूरी तरह तमिलनाडु में आतंकवाद पर केन्द्रित रहा। मैं कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं कह रहा हूं कि श्री बालू जी हस्तक्षेप करें। अब, तो भेद खुल गया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू जी, आप कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या हम इसकी जांच विस्तारपूर्वक करें? नहीं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सारा मामला कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उनके भाषण को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने कार्यवाही-वृत्तांत से सब कुछ निकाल दिया है। केवल श्री सेल्वागनपति का भाषण रिकार्ड किया जाए। अन्य सब चीजें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी जाएंगी।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह भी कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदया, आप संयम रख सकती थीं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इस बात का ध्यान रखूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। कौन सा भाग कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और कौन सा भाग निकाला जाएगा?

सभापति महोदय : उन्होंने कहा: ''इसमें कोई प्रयोजन है।'' यदि इसमें कोई प्रयोजन है तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री बालू जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। जो कुछ वह कह रहे हैं, उसे रखा जाएगा। क्या यही आपका विनिर्णय है?

सभापति महोदय : मैं जांच करके ऐसा करूंगा।

श्री टी.आर. बालू : जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर हमला किया गया था और बम्ब फेंके गये थे, तब सुश्री जयललिता का शासन था। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने सब कुछ कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मेरी टिप्पणी बहुत ही सामान्य थी। राजीव गांधी की हत्या से पहले सत्ता में कौन था? मेरी टिप्पणी केवल यही थी। मैंने कोई दोषारोपण नहीं किया। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने अधिक समय ले लिया है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हू।

सुश्री जयललिता अपनी जान को खतरा देखते हुए चुप रह सकती थीं। लेकिन उन्होंने तमिलनाडु की भूमि पर लिट्टे संकट से निपटने के प्रयास किए।

श्री सोमनाथ चटर्जी की बात का यही उत्तर है। इसलिए, एक प्रभावी सरकार की आवश्यकता है। राज्य सरकारें आवश्यक विधान के अभाव में असमर्थ हैं। इसलिए, यह महाराष्ट्र में बनाए गए विधानों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कर्नाटक में ऐसा विधान बनाया गया है; आंध्र प्रदेश में भी इसी प्रकार का विधान बनाया गया है।

इस देश की जनता उस किसी सरकार को सत्ता में नहीं रहने देगी जो सत्ता का दुरुपयोग करेगी। हमें सरकार को शक्ति देनी है। सरकार को इस विधान की शक्ति प्रदान करें। जनता के हितों की रक्षा करना और यह देखना उनका कर्त्तव्य है कि शक्ति का किसी वर्ग विशेष के खिलाफ दुरुपयोग न हो। यदि वे ऐसा करते हैं तो इस देश की जनता इन्हें नहीं बख्शेगी। 'मीसा' और 'टाडा' के मामले में जैसा हुआ, उसी प्रकार यदि कोई दुरुपयोग हुआ तो जनता सत्तासीन लोगों को सत्ता से हटा देगी। यह इस देश का इतिहास रहा है।

संसद अर्थात् प्रजातंत्र के मंदिर पर हुए हमले के घिनौने दृश्यों के देखने के बाद भी हम चुप हैं और इस महत्वपूर्ण विधान पर विचार ही कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मुझे इस बात का खेद है। मैं इस विधेयक का तहेदिल से स्वागत करता हूं और बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे पास एक सूची है और मैं इसी सूची से नाम बुला रहा हूं। मैंने यह सूची तैयार नहीं की है, दल-वार यह सूची सचिवालय ने तैयार की है और मैं नाम पुकार रहा हूं।

श्री अनादि साहू : इस विधेयक और इसके दो अध्यादेशों के पिछले संस्करणों पर विपक्षी दलों के अड़ियल रवैये के कारण उनकी डगर कठिन रही और मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आज की चर्चा के दौरान भी यह अड़ियलपन झलक रहा है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ विपक्षी सदस्य उस प्रणाली और उन पहलों को नकार रहे हैं जिनके माध्यम से देश में आतंकवाद पर रोक लगाने के बारे में विचार हो रहा है। ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश्य स्वयं को गुणवान और निष्पक्ष व्यक्ति की भूमिका में महिमामण्डित करना होता है। इस प्रकार की सोच को तुरंत बदले जाने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

मैं श्री जयपाल रेड्डी से अनुरोध करता हूं कि कुछ मिनट और बैठे रहे। मैं श्री जयपाल रेड्डी के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। उनका भाषण निस्संदेह बहुत ही अच्छा था, पर था दुर्ग्राह्य। मैं इसे अच्छा परन्तु दुर्ग्राहय इसलिए कहता हूं क्योंकि उन्होंने अपना भाषण सरकार पर प्रहार से शुरू किया। जब किसी के हाथ में हथौड़ा हो तो उसे हर चीज कील की तरह ही नजर आती है। बाइबल में यह कहावत है। जब उन्होंने सरकार पर प्रहार करना शुरू किया तो उन्होंने अभिप्रायपूर्वक इस पर ध्यान दिया परन्तु उन्हें सरकार में कोई कील नजर नहीं आई। उन्हें किसी कील के बिना, किसी दाग-धब्बे के बिना साफ-सुथरी पृष्ठभूमि ही मिली। तब उन्हें दूसरी सरकार की ओर मुड़ना पड़ा और उस पर प्रहार करना पड़ा। उन्होंने प्रहार करना शुरू किया और दुर्भाग्यवश अपने ही अंगूठे पर दे मारा अर्थात् अपनी कांग्रेस पार्टी पर ही प्रहार कर दिया। उन्होंने अपनी बात 'टाडा' से शुरू की और स्वयं अपने ही अंगूठे पर हथौड़ा दे मारा।

सायं 7.24 बजे

[श्री श्रीनिवास पाटील *पीठासीन* **हुए]**

जहां तक 'टाडा' का प्रश्न है, मैं उन्हें एक कथन की याद कराना चाहता हूं। कथन है: ''जो पूर्ववर्ती के साथ संगत है वह अनुवर्ती के साथ भी संगत है।'' 'टाडा' का एक पूर्ववर्ती कानून था। यही कारण है कि 'टाडा' के अंतर्गत जो कुछ हुआ वह अपने पूर्ववर्ती के अनुरूप हुआ। इस समय जब आप अनुवर्ती के बारे में बात करते हैं तो पूर्ववर्ती के बारे में भी सोचना होगा। इसका पूर्ववर्ती 'टाडा' का अधिनियमन और इसे कई वर्षों तक समय-समय पर विस्तार देने के लिए चर्चाएं हुई थी।

अब मैं 'टाडा' की बात करता हूं कि पूर्ववर्ती खराब क्यों था।

'टाडा' में अन्य चीजों के अलावा दो खंड हैं जिनके कारण समस्याएं पैदा हुईं - एक तो जनता के किसी वर्ग को अलग-थलग करना या जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव को प्रभावित करना, और दूसरे यह विध्वंसक गतिविधियों आदि के बारे में है। ये ही दो उपबंध हैं जिनके कारण समस्याएं खड़ी हुईं। जैसाकि मैंने कहा, पूर्ववर्ती बुरा था इसलिए अनुवर्ती भी बुरा बन जाता है। इन सब तथ्यों का ध्यान रखते हुए आतंकवाद निवारण विधेयक से इन चीजों को निकाल दिया गया है। अत: पूर्ववर्ती अब अनुचित नहीं हो सकता।

दूसरी बात, माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी ने यहां-वहां कील ढूंढ़नी चाही; उन्होंने 'टाडा' पर आक्षेप किया। दूसरा मुद्दा इसकी परिभाषा के बारे में है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की परिभाषा नहीं है और केवल आतंकवादी अधिनियम की बात की गई है। यदि मैं गलत हूं तो मेरी गलती को ठीक कर दें। अब, आतंकवाद क्या है? हम 'आतंक' की बात करें। आतंक 'दूसरों के मन में भय बिठाना है।' जो लोग इस काम को करते हैं वे आतंकवादी हैं और यह काम आतंकवाद है। अत: आतंकवाद अधिनियम या आतंकवाद की आगे कोई परिभाषा दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए, जैसाकि उन्होंने कहा, जो दूसरी कील उन्होंने ठोकनी चाही वह अपने स्थान पर नहीं लगी। मैं उन अन्य सभी चोटों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि कील नहीं है और जो कील ठोकने का उन्होंने प्रयास किया वे भी यहां-वहां निकल गईं। जब भी हम कोई कानून बनाने के बारे में सोचते हैं तब जमीनी वास्तविकताओं पर भी विचार करना होता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जमीनी वास्तविकताओं पर विचार करने के दौरान हम पाते है कि आतंकवादी, विघटनकारी गतिविधियां चलाने वाले और वे व्यक्ति जो देश में समस्या पैदा करना चाहते हैं, कितनी तेजी से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अत: यह आवश्यक है कि कानूनी प्रक्रियाओं को गहनतापूर्वक, सारभूत रूप से एवं तेजी से लागू किया जायें। इसे गहनतापूर्वक एवं सारभूतरूप से और अत्यन्त प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि हम जब भी किसी नये कानून के बारे में सोचते हैं, उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए किसी कानून में संशोधन के बारे में सोचते हैं, तब हमें इन तीनों तत्वों पर विचार करना होता है।

मैं विपक्ष को याद दिलाना चाहूंगा कि वह विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) अधिनियम के बारे में विचार करे। यह हाल ही में घटित हुआ था। हमने संशोधित अधिनियम में अधिकतम दंड का विधान किया है। हमने उपधारणात्मक साक्ष्य का विधान भी रखा है। हमने साक्ष्य अधिनियम से हटकर अनेक ऐसे प्रावधान किये है ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इस देश में समस्या खड़ी करने के लिए विस्फोटक पदार्थ या विशेष विस्फोटक पदार्थ गुप्त एवं नियमित रूप से लाए जा रहे है। इसलिए हमने उन प्रावधानों को संशोधित किया है।

अभी परसों ही हमने पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन किया है। ऐसा आप पासपोर्ट अधिनियम के उद्देश्य एवं कारण में देख सकते हैं कि देश में सुरक्षा के कारणों से आवश्यक है कि पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन किया जाए।'' क्या संशोधन किया गया? यह एक वैकल्पिक प्रावधान है। इस वैकल्पिक प्रावधान का मुख्य उद्देश्य लोगों को देश में लूटमार करके भागने से रोकना है। इसलिए अन्तिम वाक्य का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का अवलोकन करने वालों को ज्ञात होगा कि इस समय देश की स्थिति क्या है।

अब, वास्तविकता यह है कि आतंकवादी विद्रोही, उग्रवादी, छुपकर कार्य करने वाले व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं।

वे नए तरीके अपनाकर और भाषणों के द्वारा अपना काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं। आप जामा मस्जिद के शाही इमाम का मामला ही लीजिए। उन्होंने धर्म के प्रति वफादारों को भी देश के विरुद्ध जाने को उकसाया। उन्होंने वफादार कहा। आप 13 दिसम्बर की घटना से संबंधित प्रो. जिलानी का मामला लीजिए। उसने अनेक लोगों को शरण दी। उसने उनको शरण दिया। उनके पास 22 लाख रुपये रखे गये थे। उनके पास यह धन कैसे आया? मैं शाही इमाम के भाषणों की बात नहीं कर रहा हूं; मैं विभिन्न स्थानों से आने वाले आतंकवादियों को शरण देने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों की विघटनकारी गतिविधियों की बात कर रहा हूं जो

[श्री अनादि साहू]

भारतीय है। लेकिन वे विश्वासघाती एवं देशद्रोही हैं। श्री हन्नान मोल्लाह ने मुद्दा उठाया कि बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद को इस अधिनियम की अनुसूची के अधीन क्यों नहीं लाया जाए। महोदय, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को पढ़े। गैर-कानूनी गतिविधियों में कौन सी संस्थाएं लिप्त है इस संबंध में प्रावधान किये गये है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के खण्ड 2 को पढ़े जिसमें कहा गया है कि जो भी संगठन देश में सत्तान्तरण या पृथकता की दृष्टि से, ... की विधिविरुद्ध संगठन या संघ या निकाय घोषित किया जाएगा।' मैं श्री हन्नान मोल्लाह से जानना चाहता हूं, क्या उनके मन में इस बात का थोड़ा भी सन्देह है कि विश्व हिन्दू परिषद या बजरंग दल इस देश से सत्तान्तरण या पृथकता चाहते हैं। कृपया इस पर विचार करें। वह उन्हें विधिविरुद्ध समूह या संघ कैसे समझ सकते हैं? *...(व्यवधान)* नहीं मैं सहमत नहीं हो सकता। मेरे विचार की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होगा *...(व्यवधान)*। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं *...(व्यवधान)* सभापति महोदय, कृपया मेरी सहायता कीजिए।

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

श्री अनादि साहू : महोदय, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि वे कौन से लोग हैं जो इस देश के लिए समस्या पैदा कर रहे है।

जम्मू एवं कश्मीर के बारे में यह कड़वा सच है कि वहां अनेक संगठन ऐसे है जो या तो देश से अलग होना चाहते हैं या समस्या पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी संगठनों या निकायों का नाम नहीं लूंगा। उनकी संख्या आठ या दस है, लेकिन यह कड़ी सच्चाई है कि उनमें से दो को पाकिस्तान में अवैध घोषित कर दिया गया था किन्तु अब वे पाकिस्तान में वैध हो गए हैं। वे धन एकत्रित कर रहे हैं। 800 या 1,000 जेहादी जो कि इन संगठनों के सदस्य हैं, पाकिस्तान द्वारा रिहा कर दिए गए हैं। क्या उन्हें यह मालूम नहीं है कि वे हमारे देश में आएंगे और हमें अस्थिर करने का प्रयास करेंगे तथा जब इन संगठनों को सीमापार से सहायता मिलेगी तो हमारी समस्याएं बढ़ जायेगी?

आई.एस.आई. क्या कर रही है? वे भारत से होकर नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार यदि उन्हें इन संगठनों एवं आई.एस.आई. से धन मिलना शुरू हो जाता है और नशीली दवाओं का व्यापार चल पड़ता है तो इस देश की क्या स्थिति होगी? क्या वे आतंकवादी नहीं हैं? क्या वे लोग आतंकवादी मानसिकता के अपराधियों को शरण देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं? जैसाकि मैंने कहा आतंकवाद से संबंधित इस विधेयक में यह तीन बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ये तीन बातें हैं, इरादा, प्रणाली और प्रभाव। इन्हीं तीन बातों पर ध्यान दिया जाना है। उस व्यक्ति के इरादे क्या हैं जो कि आतंकवादी है? समाज में समस्या पैदा करने के लिए वह क्या तरीके अपनाता है? इस प्रकार की गतिविधि का प्रभाव क्या पड़ता है? यही तीन बातें हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। श्री जयपाल रेड्डी और श्री अरुण जेटली ने इन पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमें इन तीनों बातों इरादा, प्रणाली और प्रभाव का ध्यान रखना है।

इरादे क्या हैं? वे किस प्रकार कार्य करते हैं? उसका क्या प्रभाव पड़ता है? आतंकवादियों की इन तीनों प्रकार की गतिविधियों को किस प्रकार लगाम लगाई जाए? इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ निश्चित कानून होने चाहिए जो कि कठोर एवं प्रभावी हों। श्री अरुण जेटली विस्तार से बता रहे थे कि इसे कैसे कठोर एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।

वे किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध स्वीकार की बात कर रहे थे। मैं एक पुलिस अधिकारी था। मैं लगभग 25 वर्ष पहले पुलिस अधीक्षक था। क्या हम यह नहीं सोच सकते कि कुछ ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं जो कि अच्छा कार्य करते हैं? श्री रेड्डी किसी रैंक के पुलिस को किस प्रकार बुरा कह सकते है? *...(व्यवधान)* नहीं महोदय, मैं ऐसा नहीं कर सकता *...(व्यवधान)*

अभी तीन दिन पहले ही, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (वी.पी.आर.डी.) ने एक सेमिनार का आयोजन किया था और न्यायमूर्ति वर्मा भी वहां उपस्थित थे।

श्री एल.सी. अमरनाथन जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं, वी.पी.आर.डी. के महानिदेशक हैं। मैंने समाचारपत्र में पढ़ा है। मैं न्यायमूर्ति वर्मा की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि 'हां पुलिस अधीक्षक को अपराध स्वीकृति दर्ज करने का अधिकार दीजिए।" विधि आयोग ने कहा है कि अपराध स्वीकृति की सच्चाई की जांच की जाए। अपराध स्वीकृति के सच्चाई की आप कैसे जांच कह सकते हैं। विधेयक में यह उल्लेख है कि उन्हें 48 घंटे के अन्दर चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जूडीसिएल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

हमारा साक्ष्य अधिनियम लगभग 115 वर्ष पहले बनाया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दो प्रावधान हैं – धारा 25 और धारा 271 धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध स्वीकृति के दर्ज करने पर प्रतिबंध है, लेकिन धारा 27 में एक संशोधन दिया गया है। गत 115 वर्षों से पुलिस अधिकारी क्या करते रहे हैं। हम न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य देने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का सहारा ले रहे हैं। एक दृष्टिकोण से यह चालबाजी है तथा दूसरे दृष्टिकोण से छलावरण है। छद्मतापूर्ण विधान क्यों किया गया है, पुलिस अधीक्षक के अधिकार क्यों नहीं दे दिए जाते जो कि इस प्रकार कार्य करें जो कि स्वयं इस विधेयक के हित में हो?

श्री जयपाल रेड्डी यहां से चले गए हैं। वे कह रहे थे कि अपराध को स्वीकार करने वाले किसी व्यक्ति को मारा पीटा जाता है तो उसे मेडिकल जांच के भेजा जाएगा, मात्र इतनी व्यवस्था की गई है, और इसके बाद किसी अन्य अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में नहीं सोचा गया है। मैं उन्हें स्मरण कराता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता में ऐसा प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को अपराध स्वीकृति के लिए पीड़ित किए जाने की स्थिति में पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान है।

संज्ञान लिया जा सकता है और यह एक संज्ञेय अपराध भी है। न्यायालय अपने विवेकानुसार इसकी जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन कर सकता है या संज्ञान ले सकता है और अभियोग शुरू कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिए आतंकवाद निवारण विधेयक में प्रावधान किया जाए। यह एकदम आवश्यक नहीं है क्योंकि यह स्वाभाविक परिणाम है। एक तर्क है कि सामान्य कानून में सभी प्रावधानों को शामिल किया गया है। सामान्य कानूनों और विशेष कानूनों में अन्तर होता है। विशेष कानून विशेष उद्देश्य से अधिनियमित किया जाता है। यह एक विशेष कानून है। इस कानून की अवधि निर्धारित है। यह तीन वर्ष तक लागू रहेगा। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी, जो यहां नहीं हैं, का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने किसी अन्य मंच पर चर्चा के दौरान एक बहुत ही अच्छी बात उठायी है। उन्होंने यह बात उठायी है कि जम्मू और कश्मीर में एक व्यक्ति को पोटो के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया लेकिन विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया गया, अब उस व्यक्ति को कहां ले जाया जायेगा? इसीलिए विधेयक में ही धारा 35 जोड़ी गई है। हमें गृह मंत्री का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। एक संक्रमणकालीन प्रावधान की व्यवस्था की गई है कि जब तक विशेष न्यायालय का गठन नहीं कर लिया जाता है, सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई की जायेगी।

चूंकि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, इसलिये मैं केवल यह बताऊंगा कि आतंकवादरोधी विधेयक में कौन से सुरक्षोपाय किये गये हैं। आतंकवादरोधी विधेयक में कई अन्य बातें शामिल नहीं हैं। ब्रिटिश कानून से हमें पता चलेगा कि उन्होंने परिभाषा के अन्तर्गत ही कई बातों को शामिल कर लिया है। आतंकवाद संबंधी ब्रिटिश कानून, जो पारित किया जा चुका है, उसे वहां पैट कहा जाता है, हम इसे पोटो कहते है। उन्होंने कहा है "व्युत्पन्न, तैयारी और उत्प्रेरित करना आतंकवादी कार्रवाईयां हैं" उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि आतंकवाद की व्यापक परिभाषा में "किसी व्यक्ति के विरुद्ध न केवल हिंसा का प्रयोग बल्कि हिंसक कार्रवाई की धमकी या संपत्ति को भारी क्षति या इलेक्ट्रानिक प्रणाली को बाधित करने या उसमें बाधा डालने की रूपरेखा" भी शामिल है। उन्होंने इसे भी शामिल किया है। यदि किसी इलेक्ट्रानिक प्रणाली में बाधा डाली जाती है तो यह भी आतंकवाद है। उनकी परिभाषा काफी व्यापक है लेकिन हम स्वयं को अपने सम्मुख आ रही प्रतिदिन की कठोर वास्तविकता का सामना करने तक ही सीमित रखे हैं।

महोदय अब मैं केवल विधेयक में दिये गये सुरक्षोपायों पर ही बात करूंगा। प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है मामलों की जांच ए.सी.पी. या डी.एस.पी. रैंक या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा की जायेगी" जांच अधिकारी या तो महानगरों में सहायक पुलिस आयुक्त या अन्य स्थानों पर पुलिस उपाधीक्षक होगा"। विधेयक में यह पहला सुरक्षोपाय है। वर्ष 1988 के भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में भी कुछ सुरक्षोपाय हैं, जिसमें कहा गया है कि केवल एक निश्चित रैंक का अधिकारी ही जांच अधिकारी होगा। यह प्रथम सुरक्षोपाय है। दूसरी बात आतंकवाद के द्वारा अर्जित की गई आमदनी की जब्ती पुलिस महानिदेशक की पूर्वानुमति से पुलिस अधीक्षक रैंक से नीचे का जांच अधिकारी नहीं कर सकता। देखिए इस विधेयक में किस तरह के सुरक्षोपाय किये गये हैं। संपत्ति नामजद प्राधिकारी और विशेष न्यायालय की स्वीकृति के बिना स्थानांतरित नहीं की जा सकती। विशेष न्यायालय की बात इसलिए आई क्योंकि यह जरूरी समझा गया कि नामजद प्राधिकारी के बाद विशेष न्यायालय भी होने चाहिए। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि इस तरह की जब्ती की सूचना 48 घंटे के अन्दर नामजद अधिकारी या विशेष न्यायालय को भेजी जानी होगी।

सभापति महोदय, जहां तक पकड़े गये संदेशों का संबंध है, सक्षम अधिकारी संदेश रिकार्ड करने की अनुमति देगा। मैं इस मुद्दे पर बाद में चर्चा करूंगा।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को आवंटित समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनादि साहू : महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कृपया मुझे 5-6 मिनट और बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात शीघ्रता से रखिये।

श्री अनादि साहू : महोदय, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा इसकी अधिप्रमाणिकता सुनिश्चित की जाती है। अगली बात यह है कि नामजद अधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी। यहां नामजद प्राधिकारी केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, बल्कि उनके पास सिविल न्यायालय की जो शक्तियां होंगी। सभापति महोदय, आपने इन सब चीजों को देखा है। जहां तक सिविल न्यायालयों का संबंध है एक प्रशासक के रूप में आपने कुछ शक्तियों का प्रयोग किया है। जब किसी के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, तो उसके पास काफी शक्तियां होती हैं। मैं उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। इसके साथ-साथ यह कुर्की के आदेश को स्वीकार अथवा रद्द कर सकता है। नामजद अधिकारी से अपील विशेष न्यायालय में जायेगी।

पांचवीं बात, विशेष न्यायालयों के गठन के बारे में है। इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय विशेष न्यायालयों को राज्य के विशेष न्यायालयों पर वरीयता दी जायेगी। यह बात श्री जयपाल रेड्डी ने उठायी थी। जब केन्द्रीय स्तर और राज्य के स्तर पर दो विशेष न्यायालय हैं, तो केन्द्रीय स्तर की विशेष न्यायालय को राज्य की विशेष न्यायालय पर वरीयता मिलेगी। उच्चतम न्यायालय एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को मामले स्थानांतरित कर सकता है। इस विधेयक में दी गई यह अच्छी सुरक्षा है।

अगली बात यह है कि सभापति और अधिकतम तीन सदस्यों पर आधारित एक समीक्षा समिति गठित होगी। सभापति उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। विशेष न्यायालय के निर्णय या उसके द्वारा दी गई सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की जायेगी, जिस पर दो न्यायाधीशों वाली पीठ सुनवाई करेगी। कम से कम सचिव या संयुक्त सचिव के रैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पकड़े गये संदेशों को प्रमाणिकता दी जायेगी। सक्षम अधिकारी सात दिनों के भीतर पकड़े गये संदेशों के बारे में समीक्षा समिति को रिपोर्ट सौंपेगा। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें कहा गया है कि पकड़े गये संदेशों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जायेगी। इससे अधिक हमें और क्या सुरक्षा चाहिये?

सभापति महोदय, अगली महत्वपूर्ण बात हिरासत पक्ष के बारे में है। गिरफ्तार लोगों का हिरासत पत्र तैयार किया जायेगा और उन्हें अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा और यदि उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो मुआवजा दिया जायेगा और सामान्य जमानत प्रावधान एक वर्ष बाद लागू होंगे।

महोदय, अब मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 पर आता हूं लेकिन क्योंकि आप मेरी ओर त्यौरी चढ़ाकर देख रहे हैं, मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस मामले में केवल समय 180 दिन तक बढ़ाया गया है। लेकिन यहां संक्षिप्त मुकदमे का प्रावधान है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह जरूरी नहीं है कि प्रशासन का रवैया प्रतिशोधात्मक ही होगा। यहां संक्षिप्त मुकदमे का प्रावधान है। संक्षिप्त मुकदमें में सजा की अवधि तीन महीने है लेकिन यहां इसमें छूट दी गई है।

महोदय खंड 62 के अनुसार नियमों को विस्तृत रूप से पुन: बनाया जायेगा। इस बात का यहां संकेत किया गया है। अपनी बात समाप्त करने से पहले विपक्ष के अपने मित्रों को अंग्रेजी की एक उक्ति सुनने का अनुरोध करता हूं। इस उक्ति के अनुसार

> ''हाऊ मैनी ईयर्स मस्ट वन हैव विफोर ही केन हीयर पुपील क्राई? हाऊ मैनी डेथ्स विल इट टेक टिल ही नोज दैट टू मैनी पीपुल हैव डाइड, द आनसर माई फ्रैंड्स इज ब्लोविंग इन द विंड।''

विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों, उत्तर तो हवा में ही है। आइये इस हवा को बवंडर न बनने दें। इसको यही रोकें।

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर): सभापति महोदय, जिस सदस्य ने अपना भाषण अभी तुरंत समाप्त किया है उन्होंने अपने भाषण के अंत में गुजरात के अहमदाबाद में हाल की घटनाओं के संदर्भ में बहुत ही उपयुक्त कहा है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी दलीलों के बावजूद कुछ संवेदना बची है जिसे हमारे सामने रखा जा सकता है।

मेरे विद्वान मित्र श्री अरुण जेटली यहां उपस्थित नहीं है। वे सभी बेकार मामलों के लिए एक अच्छे वकील हैं। जो कुछ भी हो हमारी ओर से श्री जयपाल रेड्डी और सत्ता पक्ष की ओर से श्री अरुण जेटली ने अच्छा बोला। मैं चर्चा में बढ़त हासिल करना नहीं चाहता हूं। मैं अनुभव के आधार पर कुछ बातों को कहना चाहता हूं जब टाडा लागू था। कुछ व्यंगात्मक टिप्पणी की गई कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। हां, जैसेकि यह सरकार अब उचित उपायों का पता लगाने पर विचार कर रही है और कांग्रेस ने कतिपय उपायों को लागू भी किया था। लेकिन जिसकी

आवश्यकता है, वह अनुभव है। अनुभव से पाठ सीखना होगा। हमारा क्या अनुभव है?

यह राजनीतिक इच्छा शक्ति है जिसकी आवश्यकता है न कि किसी प्रकार के विधान की। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय गृह मंत्री जो अपने आपको लौह पुरुष होने का दावा करते हैं उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी है और उसके कारण यदि वे स्वयं इस प्रकार के विधान से लैस होना चाहते हैं तो मैं नहीं जानता हूं। आप इस प्रकार के अनेक कानूनों को लागू कर सकते हैं। अंततः यदि आप में देश को चलाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो ऐसा विधान मुश्किल से आपकी सहायता कर सकता है।

सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी का एक सदस्य होने के नाते मैंने टाडा के दुरुपयोग के बारे में विद्रोह किया था और इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। सरकार में मेरा मंत्रालय मुझसे छिन गया। मुझे एक फर्जी मामले में भी फंसाया गया जिसमें माननीय गृह मंत्री को भी फंसाया गया था। वही श्री अरुण जेटली तत्कालीन मंत्री के अधिवक्ता थे। मेरा दूसरा अधिवक्ता था। कानून को सही ढंग से बनाया जा सकता है। लेकिन वह तंत्र जिसे हम यह अधिकार प्रदान करते हैं, वह महत्वपूर्ण है। अन्त में जिस महानुभाव ने बोला, वे एक पुलिस अधिकारी थे। वे इसके महत्व के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मैं उस महानुभाव की पृष्ठभूमि के बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं यद्यपि उन्होंने उसी पक्ष का समर्थन किया था जिस ओर वे आज हैं। हम आपके साथ इस प्रकार के कानून के दुरुपयोग होने की चर्चा कर रहा हूं कि आपसे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता करने के लिए कौन कह रहा है?

आपको यह कोई नहीं कह रहा है। दूसरे दिन हमने उसी पक्ष की ओर से आपसे कहा कि पाकिस्तान से मुकाबला करें और उसका नामो-निशान मिटा दें। लेकिन पाकिस्तान के नाम पर आप निर्दोष लोगों को निशाना क्यों बनाते हैं? गृह मंत्री वहां जाएं और देखें कि वहां किस प्रकार की स्थिति व्याप्त है चाहे उनका इरादा कुछ भी हो। गृह मंत्री जी मैं आपको आदर भाव से यह प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस समय सरकार में नहीं थे बल्कि सरकार में हम थे। चाहे यह महाराष्ट्र था अथवा गुजरात या फिर केन्द्र यहां हमारी सरकारें थी। हमने इसमें खामियां पाई और पूरी कांग्रेस पार्टी ने विद्रोह किया और प्रतिपक्ष के बाकी सदस्यों ने भी विद्रोह किया। इसलिए टाडा को रद्द किया गया। टाडा को लागू नहीं किया गया क्योंकि जब राज्य सभा में इसे पारित किया जाना था तो कुछ लोगों ने ठीक ही इसका विरोध किया था। तब यह व्यपगत हो गया। यह कड़वा अनुभव है और समाज के कमजोर वर्गों की आशंका और मन में गहरे भय पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

हम यहां तर्क देते हैं; हम देश की सुरक्षा के बारे में बात करते है। आपसे कोई भी समझौता करने के बारे में नहीं कर रहा है हम शांति तथा कानून और व्यवस्था के बारे में बात करते हैं और आपसे यह कोई भी नहीं कह रहा है कि आप स्थिति से नहीं निपटें। वे कहते हैं कि इस प्रकार का कानून जो देश के व्यापक हित में आवश्यक है, सभा क्षेत्रगत आधार पर विभाजित हो जाती है। कोई भी दलगत आधार पर विभाजित नहीं होता है। जो तर्क इस पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए थे उस पक्ष की ओर से उसका उत्तर कभी नहीं दिया गया। हम देखते है कि वे ध्यान हटाते हैं, विचलित करते हैं और इसे पुनः इस पक्ष की ओर रखे होते हैं। क्या वही उत्तर है? वह इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर तर्क और अनुभवों के आधार पर होना चाहिए।

मैं सभा का बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सरकार से ईमानदारी, सच्चाई और अपनी पूरी निष्ठा से राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने का अनुरोध करता हूं। मौजूदा कानून को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गया है। यदि कोई अधिकार नहीं है तब कोई समझ सकता है कि एक नये विधान की आवश्यकता है। जब मौजूदा कानून को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गया है तो आप इस स्थिति से निपट सकते हैं बशर्ते कि आपके पास इच्छा शक्ति हो। यदि आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है और यदि आप एक के बाद एक विधान चाहते हैं तब आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। यदि आप कानून का सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकते तो आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। इस समय गुजरात में जो कुछ हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में आप इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के मनः मस्तिष्क में आशंका और भय को जन्म देते रहेंगे। इस प्रकार के कानूनों का पारित कर आप किसे शान्त करना चाहते हैं? आतंकवाद से मुकाबला करने के आपके रास्ते में कौन सामने आ रहा है?

उनमें से कई लोगों ने राजीव गांधी की हत्या का उल्लेख किया है। यह कांग्रेस पार्टी है जिसने आतंकवाद के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया है न कि उस पक्ष के लोगों ने बलिदान दिया है।

यदि सीमा पार के आतंकवादियों या देश के अंदर आतंक पैदा करने वाले लोगों से निपटने के लिए किसी कानून की आवश्यकता है तो आप पूरे प्रक्रम के लिए वह विधान क्यों नहीं लाते हैं? यदि आपने ऐसा किया तो इस देश के कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों को सरकार और लोगों में विश्वास उत्पन्न होगा और समाज का

[श्री सी.के. जाफर शरीफ]

कोई भी तबका क्यों न हो यह महसूस करेगा कि सरकार ने इस कड़वे अनुभव का सामना किया और सरकार ने न केवल सीमा पार से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि देश के अंदर आतंक के शासन को भी समाप्त कर दिया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): सभापति महोदय, मैं 'पोटो' यानि आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। संसद से लेकर चौपाल तक इस पर चर्चा जारी है। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं कुछ ही बातें कहना चाहूंगी। 'पोटो' में जो धाराएं हैं, उनके दायरे में सात तरह के लोग सीधे तौर पर आते हैं। आतंकवादी, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सदस्य, आर्थिक सहयोगी, उनके समर्थक, आतंकवादियों के बारे में सूचना रखने वाले और पनाह देने वाले और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति ठप्प करने वाले ये सभी लोग 'पोटो' की गिरफ्त में होंगे।

इस कानून में आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को भी उतनी ही सजा देने का प्रावधान है जितना कि आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को हो सकती है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि यह तो ठीक है कि अगर कोई व्यक्ति आतंकवादियों को समर्थन करने का दोषी पाया जाता है तो उसे दस वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है लेकिन जो व्यक्ति पत्र-पत्रिकाओं में लेखन के माध्यम से सहायता करते हैं तो उनको क्या सजा मिल सकती है? आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने वालों को तीन वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि आजकल आतंकवादी ए.के.-47 के माध्यम से जबर्दस्ती करते हैं, जैसे कि अपहरण कर लेते हैं और हत्या की धमकी देकर पत्र लिखते हैं और फिर करोड़ों-करोड़ों रुपये का सौदा करके लोगों को छोड़ते हैं तो जिससे जबर्दस्ती चंदा उगाही का काम लोग करते हैं, उनके लिए सजा का क्या प्रावधान है? इसी प्रकार से संरक्षण देने वालों को भी 'पोटो' में तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो आतंकवादी हथियारों के बल पर जबर्दस्ती पनाह लेते हैं, उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्या उन्हें भी उतना ही दोषी माना जाएगा जितना कि बुरे इरादों और जानबूझकर आतंकवादियों को सहायता देने हेतु पनाह देने को कानून दोषी मानता है?

यह सच है कि सरकार को शासन चलाने के लिए कानून का निर्माण और उसका पालन करना पड़ता है। आजादी के बाद से ही इस देश में सामान्य कानून से हटकर पचास वर्षों में कांग्रेस ने सख्त कानून बनाए और उन्हें पास कराकर लागू भी किया। आश्चर्य तो तब होता है जब इस देश में दो-दो प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी, पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बेअंत सिंह के साथ-साथ इस देश में लगभग साठ हजार से अधिक निर्दोष लोग आतंकवादी हमले में मारे गये और कांग्रेस पार्टी ने स्वयं आज भी अपने कई राज्यों में इससे भी सख्त कानून लगाये हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ऐसे ही पार्टी ऐसे कानून का विरोध कर रही है जिसने अपने राज्य में इस कानून को लगाने का काम किया। 1950 में आतंकवादी निरोधक कानून बना था। 1954 में डिफेंस ऑल इंडिया रूल बना था। 1962 में आर्म्स फोर्स स्पेशल पॉवर एक्ट बना था जिसमें जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा से जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकती है। 2 जुलाई 1971 में 'मीसा' आया, इमर्जेंसी देश में लागू की गई और 'मीसा' के अंदर ही लोक नायक जय प्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चन्द्रशेखर जी तथा अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हजारों लोगों को इन्हीं कांग्रेस वालों ने बिना कसूर जेल में भेज दिया और जेल में सड़ने के लिए मजबूर किया।

रात्रि 8.00 बजे

जनता पार्टी की सरकार 1977 में सत्ता में आई और उन्होंने उस कानून को खत्म किया। जिस तरह से मीसा के अन्दर देश के राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया, क्या ये लोग इसलिए डर रहे हैं कि इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनल सिक्योरिटी कानून बनाया। 1984 में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र अधिनियम बनाया, जिसमें सजा देने का प्रावधान था। 1985 में राजीव गांधी जी सत्ता में आए और उन्होंने भी आतंकवाद को कुचलने के लिए टाडा बनाया। टाडा का भले ही दुरुपयोग हुआ हो या उपयोग हुआ हो, लेकिन उन्होंने टाडा कानून बनाया, संसद में पास करवाया और उसे लागू किया। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और इस कानून को लागू किए हुए हैं, लेकिन ये इसका विरोध कर रहे हैं, यह कितने लज्जा की बात है।

सभापति महोदय, देश में जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए पोटो कानून की आवश्यकता हुई है। कल मैंने अपने भाषण में बताया था कि खगड़िया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में तीन दिन पहले डा. ए.के. जैन को जब वे अपने घर पटना जा रहे थे, अपहरण कर लिया गया। उनके परिवार के

लोगों की क्या हालत है, यह महसूस करने की चीज है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूं। इसी प्रकार सिवान जिले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लड़के की हत्या कर दी गई। आखिर कब तक हम इस आतंकवाद को सहते रहेंगे। अब वह समय चला गया है, जब महात्मा बुद्ध जैसे तपस्वी ने अंगुलीमाल डाकू को सिर्फ देखने से ही साधु बना दिया, महात्मा बना दिया। अंगुलीमाल डाकू के नाम से ही लोग थर-थर कांपते थे। जब महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहां लोगों ने मना किया कि आप वहां से मत जाइए। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार तो जाने दीजिए। वे उस रास्ते से गए और अंगुलीमाल डाकू रास्ते में मिला। डाकु ने देखा कि यह साधु बिना डरे हुए चला जा रहा है। वह उनके पास गया और रुकने के लिए कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तुम कब रुकोगे और यह जो तुम पाप कर रहे हो, लूट और हत्या कर रहे हो, तुम्हारे पाप में कौन भागीदार बनेगा? उन्होंने कहा- तुम अपनी पत्नी, मां-बाप और बच्चे से पूछकर आओ कि वे क्या तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनेंगे या नही? अंगुलीमाल डाकू ने कहा - तुम भाग न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें इस पेड़ के साथ बांध देता हूं। घर जाकर उसने अपने मां-बाप, पत्नी और बच्चों से पूछा कि क्या तुम इस पाप के भागीदार बनोगे, तो सब ने मना कर दिया। इसके बाद वह वापिस आकर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और वह साधू हो गया। लेकिन वैसा समय अब नहीं है। आज तो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए न जाने कितने हथियारों का उपयोग किया गया, लेकिन आज तक भी वह नहीं पकड़ा गया। देश को सुरक्षा प्रदान करने और आतंकवाद रहित राष्ट्र के निर्माण में पोटो कानून के अग्रसर होने की आज जरूरत है। जैश मोहम्मद जैसे अन्य आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पोटो की आवश्यकता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की अखण्डता के लिए पोटो की आवश्यकता है।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। जब हिन्दुस्तान के सारे लोग बराबर है और सारे लोग कहते हैं कि हम हिन्दुस्तानी हैं, चाहे वे किसी भी कौम के हों, तो फिर यह आवाज कहां से उठती है कि वर्ग विशेष के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। यही डर साबित करता है कि उनकी भावना सही नहीं हैं कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं। हम सभी के लिए यह कानून बराबर है। इसी डर की वजह से उन्होंने इस कानून का विरोध करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन से कहना चाहती हूं कि देश की अखण्डता के लिए, देश के अस्तित्व के लिए और लोकतन्त्र की रक्षा के लिए पोटो जैसे कानून का समर्थन करें और सर्वसम्मति के साथ इसको पास करें।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, चूंकि आज सभा देर तक बैठेगी, अत: संसद सदस्यों, कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए रात्रि के भोजन की व्यवस्था है। थोड़ी ही देर में रात्रि का भोजन तैयार हो जाएगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): ये पोटो कानून, पोटो को पोटा बनाने के लिए लाए हैं। ये ड्रेकोनियन, एंटी डेमोक्रेटिक, नो वकील, नो दलील, नो अपील वाला कानून है, इसलिए हम इस कानून के खिलाफ बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

महोदय, कानून मंत्री जी ने दावा किया कि यह बड़ा सुविचारित कानून है, और राज्यों से लिखा-पढ़ी की, इसे संसद की किसी समिति में क्यों नहीं भेजा गया? कंसलटेटिव कमेटी अथवा स्टैंडिंग कमेटी में क्लाज़ वाइज़ विचार होता है, उससे सरकार क्यों भाग खड़ी हुई। टाडा कानून भी लाए थे, टाडा में राज्य सभा और लोक सभा में बहुत विचार हुआ था, तब लागू हुआ था। ये इसे आर्डीनेंस में लाए, पहले आर्डीनेंस लागू किया, क्योंकि इन्हें भय था कि यह कानून पास होने वाला नहीं है। इसलिए जो कानून पास होने वाला नहीं होता, उसे लोग जल्दी से लागू करने के लिए आर्डीनेंस लाते हैं। सदन में लागू करने से पहले ये आर्डीनेंस लाए, इन्होंने सदन की बहुत अवमानना की है।

महोदय, जो आतंकवादी घटना घटी, जिसकी सब लोगों ने निन्दा की। 11 सितम्बर को अमेरिका में और 13 दिसम्बर को पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उसकी सब लोगों ने निन्दा की। इन दोनों आतंकवादी घटनाओं से इस सरकार ने लाभ उठाने का काम किया। 13 दिसम्बर वाली घटना से इन्हें दो फायदे हुए हैं। इन्हें एक तो बल मिला और ये इस कानून को ले आए। ऐसा लगता है कि इनका वातावरण बात कराने के अनुकूल हो गया है। दूसरा फायदा यह हुआ कि ये लोग जो कफन घोटाले में जाने वाले थे, उससे बच गए। 11 सितम्बर वाली घटना से भी इन्हें फायदा हुआ, क्योंकि दुनिया भर में विश्व जनमत आतंकवाद के खिलाफ तैयार हुआ। उसमें इनको मनोबल बढ़ा कि इसमें पोटो कानून लाएंगे तो हमें बड़ा अनुकूल मौका मिलेगा। इन्होंने चुनावी मुद्दा भी इसे बनाया। अमृतसर में इन्होने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय किया - चुनावी मुद्दा, लेकिन वह भी खारिज़ हो गया। वहां भी जनता ने इनका साथ नहीं दिया। पंजाब में भी इन्होने ऐसे ही किया वहां से भी इनका विदाई हो गई। फिर उत्तर प्रदेश में इन्होंने चुनावी

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

मुद्दा बनाया कि बड़ा आतंकवाद के खिलाफ माहौल है, जनता पोटो-पोटो के नाम पर हमारे पक्ष में हो जाएगी, वहां से भी इन्हें खारिज़ किया। फिर भी इनकी अक्ल और बुद्धि काम नहीं कर रही है। ठेस लगने में बुद्धि बढ़ती है, इसका भी अनुभव ये सरकार प्राप्त नहीं कर रही है। टाडा कानून दो वर्षों के लिए लागू हुआ था, उसे दस वर्षों तक बढ़ाया गया। उसके बाद महसूस किया कि यह काला कानून है, इसे खत्म होना चाहिए, जब कि उस कानून को भी सरकार में, विभिन्न मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। श्री जार्ज फर्नांडीज़, श्री जसवंत सिंह, श्री यशवंत सिन्हा, ये सभी लोग इसके खिलाफ थे।

इन सभी लोगों ने उसकी खिलाफत की और अब उसे पास करने जा रहे है। सरकार मांग करती रही है, माननीय प्रधान मंत्री जी कहते रहे हैं कि मैं सर्व-सम्मति से चलूंगा और आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है, लेकिन उस एकजुटता का राजनैतिक लाभ उठाने के लिए, क्षूद्र लाभ उठाने के लिए इसे सर्वसम्मति से न लाकर इन्होंने जनमत को सही राह नहीं दिखाई है।

अमरीका ने बयान दिया कि जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ नहीं है वह आतंकवाद का पक्षधर है। इन्होंने भी अमरीका की तरह बयान दे दिया, ये भी दादागिरी करना चाहते हैं। इन्होंने भी कह दिया कि जो पोटो की खिलाफत करेगा या खिलाफत को बढ़ावा देगा, उसको भी पोटो में बंद किया जाएगा। पोटो के जो खिलाफ होंगे, वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मान लिये जाएंगे। जब लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ तो हमें मीसा में, डीआईआर में बंद किया गया था। इस तरह से सरकार विरोध की आवाज को बंद करना चाहती है और उसके दुरुपयोग के खिलाफ में हम खड़े हैं।

महोदय, पोटो कानून से आतंकवाद नहीं रुकेगा बल्कि सरकारी आतंकवाद बढ़ेगा। आतंकवाद तो है ही लेकिन अब सरकार का आतंक बढ़ेगा। जब संसद पर हमला हुआ तो पोटो आर्डिनेंस लागू था तो क्या आतंकवादी कार्रवाई रुकी? वह तो हमारे जवानों ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई और आतंकवादियों को मार गिराया। पोटो में आतंकवादियों को मार गिराने का कौनसा क्लॉज है फिर भी इतने आतंकवादी मर गये। पोटो से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए कहती है कि कानून नहीं था, अब पोटो से कानून को पक्का कर दिया। तब भी क्या ये आतंकवादियों को खत्म कर सकेंगे? जब मुम्बई के पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया कि संसद पर हमला हो सकता है तब भी इन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती। ये तो अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए पोटो कानून लाए हैं, इससे आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। यह सही है कि इससे अपने विरोधियों को जब चाहेंगे तब पुलिस वाले फंसा सकेंगे। लोग कह रहे हैं कि पोटो का दुरुपयोग होगा। माननीय अरुण जेटली जी अपना बयान करके चले गये, एक अरुण शौरी जी हैं, इसकी पैरवी करके मंत्री बन गये, वोट लेकर आते तो मालूम पड़ता। उन्होंने बयान दिया कि बहुत सारे कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है तो पोटो का भी दुरुपयोग होगा। मतलब यह कि सरकार के मन में है कि इसका भी दुरुपयोग करेंगे, कराएंगे। क्या ऐसा बयान सरकार के मंत्री का होना चाहिए? बहुत सारे कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है। धारा 302 है, 307 है और सी.आर.पी.सी. है उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए इसका भी दुरुपयोग होगा - यह तर्क दिया जा रहा है।

माननीय श्री अनादि साहू जी चले गये हैं, वे होम-डिपार्टमेंट में स्टेंडिंग कमेटी में हैं। उनकी बुद्धि का प्रयोग होता, यदि इसे कमेटी में पहले सरकार भेजती, लेकिन सरकार अफरा-तफरी में थी। इनके सहयोगी दल भी इस कानून के खिलाफ थे। प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक में विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ बोलीं। इनके सहयोगी दल भी इसके खिलाफ थे लेकिन उनके कहने पर इसमें कुछ संशोधन किए गए। इससे वे लोग संतुष्ट हो गए। आप आतंकवाद को इच्छा शक्ति होने से ही खत्म कर सकते हैं। जनमत का अनादर करते हुए सरकार इसे बहुमत के बल पर क्यों पास कराना चाहते है। आप बहुमत के बल पर इसे पास करा लेंगे लेकिन देश के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इस बारे में आपने सोचा है? आप कैसे आतंकवाद को खत्म करेंगे? इनके मन में आतंकवाद को खत्म करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इनका मन सरकारी आतंक बढ़ाने का और सरकारी आतंकवाद कायम रखने का है। यहां ब्रिटेन, अमेरिका और यूएनओ का उदाहरण दिया गया। दुनिया भर में टैरारिज्म के खिलाफ कानून है लेकिन वहां टैरारिस्ट और टैरारिज्म की ठीक से परिभाषा की गई है। टैरारिस्ट एक्ट के क्लॉज तीन में सजा की बात है लेकिन उसे ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। टाडा के समय टैरारिज्म की जो डैफिनेशन थी, उससे भी सख्त परिभाषा इसमें दी गई है। उसमें कहा गया है कि फलां आदमी को फलां सजा देकर बंद किया जाएगा।

सभापति महोदय, साहू जी पुलिस अधिकारी रहे हैं और काफी उच्च पद पर रहे हैं। पुलिस कॉनफैशन के समय थर्ड डिग्री का प्रयोग करती है। इस तरह थर्ड डिग्री का प्रयोग करके कनफैशन में न्याय का कहां स्थान है? पोटो कानून में इन सब बातों को रखा गया है। आप कमेटी में थे। क्लॉजवाइज विचार करते और अपनी बुद्धि, अनुभव का प्रयोग करते तो अच्छा होता। हमने पोटो कानून में देखा कि उसमें कुछ संगठनों के नाम हैं लेकिन उसमें बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद का नाम क्यों नहीं है? यदि

आप ईमानदारी से आतंकवाद को रोकना चाहते हैं तो इन संगठनों का नाम इसमें शामिल करते। ऐसे संगठन खुले आम कहते हैं कि हम कानून नहीं मानेंगे, अपनी जान देंगे, जबर्दस्ती करेंगे, आत्महत्या करेंगे। इससे बड़ा आतंकवादी संगठन कोई नहीं हो सकता है? हमें इनकी नीयत पर संदेह है और यह इंसाफ नहीं कर पाएंगे। यह इसके तहत अपने विरोधियों को फंसाने का काम करेंगे। जो ट्रेड यूनियन आन्दोलन करेंगी, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा।

1991 में हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार थी। उस समय हड़ताली सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ इन्होंने टाडा कानून को लागू किया था। इन्हें इससे सावधान रहना चाहिए। मैं एक अंतिम सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इनकी सरकार की आयु खत्म हो रही है। कहीं यह कानून आप लोगों के खिलाफ हमें प्रयोग न करना पड़े, इसका आप ध्यान रखें। साम्प्रदायिकता से बढ़कर कोई बात नहीं है। साम्प्रदायिकता आतंकवाद से बड़ा शत्रु है। इसके चलते देश का बंटवारा हुआ, गांधी जी की हत्या की गई, देश में आग लगी, गुजरात जल उठा। साम्प्रदायिकता आतंकवाद से कम भयानक जहर नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे संगठनों को उसमें शामिल क्यों नहीं किया जो देश भर में साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। उनका सिर कुचलने की जरूरत है। सांप का सिर कुचलने से ही उसका खात्मा होगा। देश को साम्प्रदायिक ताकतों की साम्प्रदायिकता के जहर से बचाना चाहिये और उनकी फुंफकार को कुचलने की जरूरत है लेकिन ये लोग फिर भी यह बिल ला रहे हैं। सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए यह पोटो का बिल ला रही है, जिसका मेरी पार्टी विरोध करती है। मेरा विश्वास है कि आतंकवाद खत्म करने का विचार इनके मन में नहीं है। आप आतंकवाद के खिलाफ जरूर हैं लेकिन आम सहमति से न करके अपनी वोटों की राजनीति कर रहे हैं। सारा विपक्ष इस बिल के खिलाफ है। इसलिये मेरा भी इस बिल के प्रति विरोध है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, ठीक ही कहा गया है कि एक व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, और इस बात के तीन पहलू हैं। पहला, आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना; दूसरा, आतंककारी संगठनों की शिनाख्त करके उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करना और, तीसरा, उनके वित्तीय स्रोतों की जड़ें काट देना। बुनियादी रूप से इस विधेयक के यही तीन पहलू हैं और मैं इन्हीं तीनों पहलुओं पर बात करूंगा। लेकिन जिस बात को बार-बार दोहराया गया है, वह यह है-संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 28 सितम्बर, 2001 को स्वीकार किए गए संकल्प के अनुसार, सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा आतंकवाद की समस्या के निदान हेतु व्यापक उपाय किया जाना अपेक्षित है।

मैं माननीय गृहमंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा। जब हम अमरीका का उदाहरण दे रहे हैं, जब सरकार आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने से संबंधित ब्रिटेन के अधिनियमों का उल्लेख कर रही है तब मैं पूछना चाहूंगा कि कि इस मुद्दे पर इस्राइल ने क्या किया है। इस्राइल दुनिया भर में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त देशों में से एक है। बेशक उसकी स्थिति जरा भिन्न है। वह अपनी सेना, अपने प्रबुध नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के समर्थन के जरिये आतंकवाद से लड़ रहा है। इस्राइल में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम यह जानना चाहेंगे कि इस्राइल में क्या कानून बनाया गया है? मैं सोचता हूं कि इससे हमें अपनी विचारधारा को अनुकूल बनाकर किसी निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

जैसाकि हम सभी जानते हैं, विश्व में दो प्रकार का दाण्डिक-न्यायशास्त्र है। हमने जो दाण्डिक न्यायशास्त्र अपनाया है, वह ब्रिटिश न्यायशास्त्र है - जिसके अनुसार जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं होता, उसे दोषी नहीं माना जाता। किन्तु, समय की मांग और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हमने कतिपय अन्य प्रावधान भी अपनाए हैं -उदाहरणार्थ, फ्रांसीसी न्यायशास्त्र के अनुसार यदि किसी पर कोई आरोप तय किया जाता है, तो उसे यह सिद्ध करना होता है कि वह दोषी नहीं है। इसी संसद् द्वारा ही, विशेषकर दहेज-विरोधी अधिनियम के मामले में, विवादित स्त्रियों के संरक्षण की दृष्टि से कानून बनाया गया है। आतंकवाद के मामले में भी हम ऐसे ही अधिनियमिति लाने की चेष्टा कर रहे हैं और देश के लिए यह आवश्यक भी है, यदि हम बड़ी संख्या में मारे गये उन लोगों को ध्यान में रखें जिन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अपने प्राण गंवाए।

देश के लिए ऐसा विधान बनाना आवश्यक हैं। लेकिन इसके साथ ही, मैं आपका ध्यान "सूचना के प्रकटीकरण" की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके संबंध में काफी शोर-गुल हुआ था जबकि वर्ष 2001 में यह विधेयक सभा के समक्ष रखा गया था। प्रैस ने, खासकर समाचार-माध्यमों ने, इस पर काफी नाराजगी जाहिर की थी। यह देखना संतोषजनक है कि खंड 3, उपखंड (8) को इस विधेयक से निकाल दिया गया है। किन्तु, खंड 3, खंड (4) में लिखा गया है कि:

> "कोई भी व्यक्ति, जो यह जानते हुए भी कोई व्यक्ति विशेष आतंकवादी है, उसे स्वेच्छापूर्वक शरण देगा या संगोपित रखेगा अथवा शरण देने या संगोपित रखने की चेष्टा करेगा .....आदि, आदि।"

अब, यह कौन निर्धारित करेगा कि आरोपित व्यक्ति यह सब पहले से जानता था? यह सही है कि ऐसी काफी घटनाएं हो चुकी

[श्री भर्तृहरि महताब]

हैं। मुझे एक मार्मिक घटना याद आ रही है। कटक के पास पदमपुर नाम का एक ग्राम है। वहां दो व्यक्ति, दो या तीन साल से, एक मकान किराये पर लेकर रह रहे थे। वे किराए पर ट्रक आदि वाहन उपलब्ध कराने का काम करते थे। अचानक, एक दिन उत्तर प्रदेश पुलिस वहां के जिला पुलिस मुख्यालय में पहुंची और स्थानीय पुलिस से सहायता मांगी। पुलिसकर्मियों ने जाकर पूरे क्षेत्र में खोजबीन की। लोगों में भय व्याप्त हो गया और उन्होंने जानना चाहा कि क्या हुआ है और वे लोग उन लोगों की तलाश क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना था कि वे दोनों व्यक्ति लखनऊ में मार गिराए गए हैं। जबकि स्थानीय व्यक्तियों को यह पता ही नहीं था कि वे व्यक्ति आतंकवादी थे। उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ दस्तावेजों से पता लगा कि वे उस गांव में ठहरे हुए थे और वे ऐसे व्यक्ति के यहां रुके हुए थे, जिसने उन्हें अपना मकान किराए पर दिया था। इस प्रकार से स्थानीय प्रशासन और पुलिस को उनकी वास्तविकता का पता चला। ऐसे व्यक्ति देश भर में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है; लेकिन कोई यह कैसे जानेगा कि वह अपने घर में, मकान किराये पर देकर, जिन्हें शरण दे रहा है, वे आतंकवादी हैं?

उड़ीसा में हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि अनेक लोगों को काम करने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है। अब, मुम्बई या सूरत में रहने वाला कोई व्यक्ति पुलिस की पूछताछ को झेलकर अपने मकान मालिक को कैसे समझाएगा कि वह आतंकवादी नहीं है और वह व्यक्ति, जो अपना मकान किराए पर दे रहा है, वह कैसे समझेगा कि अमुक व्यक्ति आतंकवादी है या नहीं है? अभियोजक-एजेंसी को यह बात तय करने के लिए असीमित अधिकार दे दिया गया है कि अमुक व्यक्ति आतंकवादी है अथवा नहीं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर कुछ स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता है।

मेरी एक आशंका है। एक अन्य खंड की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। अध्याय 1, खंड 1, उपखंड (5) में, यह भी बताया गया है कि इस कानून के तहत किस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। ऐसा इन व्यक्तियों पर लागू होगा: (क) भारत के ऐसे नागरिक, जो भारत से बाहर रह रहे हों; (ख) सरकारी-सेवा कर रहे व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी तैनात हों; और (ग) भारत में पंजीकृत जलपोतों और वायुयानों पर कार्यरत व्यक्ति, चाहे व कहीं भी तैनात हों।

किंतु, विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। मैं सभा को हथियार गिराये जाने के उस चर्चित मामले का स्मरण कराना चाहूंगा, जो अभी भी विचाराधीन है। कुछ विदेशियों ने पश्चिम बंगाल के कतिपय स्थानों पर वायुयान से हथियार और गोला-बारूद गिराया था। इस सिलसिले में पकड़ा गया एक व्यक्ति मुम्बई विमानपत्तन से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। कुछ और व्यक्तियों को भी पकड़ा गया था। यह मामला अभी भी चल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या होगा! क्या इस विधेयक में इस प्रकार की विघटनकारी गतिविधियों को भी संज्ञान में लिया गया है? और, विदेशी नागरिक की परिभाषा क्या होगी?

निस्संदेह, धारा 49 के उपखंड 9 में विदेशी नागरिकों का उल्लेख है, भारतीय नागरिकों का नहीं। ऐसा उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि इसका उल्लेख प्रथम खंड में जिसमें विदेशी नागरिकों की बात की गई है किया जाये तो बेहतर होगा।

मैं एक अन्य पक्ष की बात करूंगा, विशेषकर अपनी आखिरी बात की तरफ - जो धारा 30 के बारे में है, जिसमें साथियों को संरक्षण देने का उल्लेख है। धारा 30 के तहत, साक्षी की पहचान गुप्त रखी जा सकती है जिसमें पूछताछ के दौरान आरोपी घाटे में रहेगा। मैं समझता हूं कि इस पर विचार-विमर्श होना चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए और मेरा कहना यह है कि जब भी सभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो और नियम बनाया जाये, तो इस संबंध में कतिपय प्रावधान रखे जाने चाहिए; चूंकि सभी उपखंडों में, विशेषकर इसके चार उपखंडों में, जो भी उल्लेख है उससे हमारे द्वारा अंगीकृत न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, आरोपी अलाभकर स्थिति में आ जाता है जबकि, राज्य के पास असीमित अधिकार आ जाता है। यह ठीक नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने हमारी संपत्ति को राज्यसात कर लिया था। 1975-77 के दौरान लागू आपातकाल में मेरे परिवार को जेल में डाल दिया गया था। मेरे कई मित्रों को भारत रक्षा और आंतरिक्ष सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बना लिया गया था। आज मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का ही एक हिस्सा हूं, लेकिन मेरी अपनी आशंकाएं हैं। द्रमुक पार्टी को भी आशंका क्यों है? मुझे आशंका क्यों है? हम सभी जागरूक, विधि-ज्ञान रखने वाले लोग हैं और कानून का पालन भी करते हैं, लेकिन, जब भी देश में अवास्तविकताएं आती हैं तो राज्य अक्सर अपने पास अत्यधिक शक्ति रख लेता है। समाज राज्य को यह शक्ति इसीलिए प्रदान करता है ताकि वह उसकी बेहतरी के लिए काम करे। किन्तु, अनेकों उदाहरण हैं जिनमें राज्य ने नागरिकता को मूल प्रकृति को ही अवरुद्ध कर डाला है। उसने नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा की बजाय अपने अधिकारों का दुरुपयोग ही किया।

मैं सरकार से केवल यही अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक में इस हेतु पर्याप्त प्रावधान करे कि इसका दुरुपयोग न हो। मैं आश्वस्त हूं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन

और नेतृत्व में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आगे, भविष्य में, भी इसका दुरुपयोग न हो। जब कोई अन्य दल या व्यक्ति सत्ता में हो, तो बहुत संभावना हो जाती है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है – जैसाकि 70 के दशक के मध्य में हुआ था।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): धन्यवाद, सभापति महोदय। प्रत्येक शांतिप्रिय और कानून को मानने वाला नागरिक आतंकवाद का विरोध करता है और उसका अंत करना चाहता है। यह मानवता के प्रति जघन्य अपराधों में से एक है। आतंकवाद समाप्त करने की आवश्यकता के संबंध में कोई दो राय नहीं हैं, चाहे यह जहां कहीं भी हो और जहां कहीं पर भी अपना प्रभाव दिखाता हो।

मानवता, सामाजिक न्याय और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। महोदय, भारत लगभग दो दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवादी हमलों के कारण हमारे लगभग 60,000 भाई-बहनों की कीमती जानें चली गयीं हैं। पिछली सरकार अर्थात् कांग्रेस सरकार ने आतंकवादी हिंसा को दूर करने के उद्देश्य से 'टाडा' नामक एक कानून पारित किया था। उस समय यह कहा गया था कि 'टाडा' का प्रयोग केवल आतंकवाद के विरोध में किया जायेगा और इससे आम आदमी पीड़ित नहीं होने दिया जायेगा। लेकिन वास्तविकता इससे पूर्णत: विपरीत है। इसके कारण लगभग 70,000 लोगों को जेलों में जाना पड़ा। उनमें से अधिकांश लोग गुजरात के थे। उस समय, आतंकवाद वहां तक नहीं पहुंचा था। 70,000 लोगों में से बहुत कम लोगों को अदालत में पेश किया गया और उससे भी कम लोगों पर दोष सिद्ध हो सका। 'टाडा' के प्रति गंभीर आपत्तियां प्रकट की गयीं और उसे निरसित करना पड़ा।

रात्रि 8.36 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

महोदय, 11 सितम्बर, को आतंकवादियों ने अचानक ठीक अमरीकी केन्द्र पर हमला बोल दिया। इसी दौरान, भारत भी आतंकवादी कार्यवाही का निशाना बनाया गया। भारत ही नहीं, अपितु क्यूबाई और फिलीस्तीनी भाई-बहनों को भी आतंकवादी कार्यवाही का निशाना बनाया गया। यही मेरा प्रश्न है। क्या 11 सितम्बर से विश्व में आतंकवाद आरंभ हुआ और क्या 11 सितम्बर की तिथि विश्व में आतंकवाद प्रारम्भ करने की पहली तिथि है? 11 सितम्बर के पश्चात्, भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सरकार ने एक सशक्त और कठोर कानून लाने की आवश्यकता महसूस की। अफगानिस्तान के युद्ध ने यह कठोर कानून लाने का स्वर्णिम अवसर और वातावरण प्रदान किया। अमरीकी राष्ट्रपति, श्री बुश ने कहा था "अमरीका का साथ न देने वाले आतंकवाद के समर्थक हैं" अमरीकी राष्ट्रपति की भांति, गृह मंत्री श्री आडवाणी ने अमृतसर में भा.ज.पा. की सभा में एक अभियान चलाया और भा.ज.पा. नेताओं ने कहा है कि वे श्री आडवाणी के नेतृत्व में इसे चला रहे है इसमें यह विचार व्यक्त किया जा रहा है कि पोटो का विरोध करने वाले देशभक्त नहीं है। क्या देशभक्ति पर भा.ज.पा. का एकाधिकार है?

महोदय, मेरी न्यायसंगत आशंका यह है कि पोटो का उपयोग राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध किया जायेगा। राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को पोटो के विशेष लक्ष्य के रूप में वरीयता दी जायेगी। जब 13 दिसम्बर को संसद पर हमला किया गया था तो उस समय पोटो लागू था। क्या हुआ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संसद में आतंकवादी हमला रोक पायी। गुजरात के दंगों में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैंने तो अभी-अभी अपना भाषण प्रारम्भ किया है।

सभापति महोदय : अभी आठ सदस्यों को और बोलना है। मैं प्रत्येक सदस्य को तीन मिनट का समय दूंगा।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं अपना भाषण दो तीन मिनट के भीतर पूरा कर दूंगा।

सभापति महोदय : अब रात्रि 8.40 बजे हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं अपनी बात पांच मिनट के भीतर पूरी कर दूंगा।

सभापति महोदय : आप पांच मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। छोटे दल भी हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, अब गुजरात जल रहा है। पोटो अब भी लागू है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गुजरात की त्रासदी को रोक पायेगी। गुजरात में अब तबाही हो रही है। इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध किया जायेगा।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वर्ष 1962 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो हमने परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए मिट्टी तेल के लिए आंदोलन किया था। मैं नजरबंद कर दिया गया। मुझे भारतीय रक्षा नियम (डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स) के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे जेल में नजरबंद किया गया था। यहां तक कि मुझे बी.ए. की अंतिम परीक्षा के समय पैरोल पर भी नहीं छोड़ा गया। इस तरह से मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। मैं समझता हूं कि यह सरकार पोटो का प्रयोग राजनैतिक विरोधियों, वामपंथी दलों, सरकार की जन-विरोधी नीति के विरुद्ध आंदोलन आरंभ करने वाले किसानों और मजदूरों के विरुद्ध करेगी। सरकार के पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है कि वह इस सरकार के कुशासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों के विरुद्ध पोटो को लागू करे।

उन्होंने पहले ही आंदोलन आरंभ कर दिया है। बंद कारखानों और उद्योगों के मजदूरों ने पहले ही आंदोलन आरंभ कर दिया है। किसान अपनी दुर्दशा सुधारने के लिए देश भर में पहले ही आंदोलन आरंभ कर चुके हैं। इस कठोर कानून का उपयोग उन लोगों के विरुद्ध किया जायेगा।

मेरा एक और प्रश्न कानून से संबंधित है। यह एक मूल कानून है।

सभापति महोदय : आपने अपराह्न 8.34 बजे अपना भाषण आरंभ किया था। अब, 10 मिनट बीत गए हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : माननीय गृह मंत्री और माननीय विधि मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि यदि प्रक्रियात्मक कानून और मूल कानून के बीच कोई विवाद है तो क्या मूल कानून लागू रहेगा अथवा प्रक्रियात्मक कानून? पुलिस को बहुत सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। पुलिस के सामने कहे गये कथन को साक्ष्यिक महत्व मिलेगा। महोदय, आप जानते हैं, पुलिस प्रताड़क उपायों के माध्यम से जनता से जबर्दस्ती तथ्य उगलवा रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह प्रावधान, मजिस्ट्रेट के सामने कहा गया वक्तव्य आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के प्रावधानों के विरुद्ध लागू होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इससे आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के प्रावधानों का महत्व नष्ट हो जायेगा। यह कानून आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 और 167 के विरुद्ध जाता है।

अत:, विधि के अनुसार, यह विधेयक तर्क संगत नहीं है। आगे, इसका प्रयोग राजनैतिक प्रतिद्वंदियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के विरुद्ध किया जायेगा। इसीलिए, लोगों के वृहत्तर कल्याण के लिए मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र): सभापति महोदय, आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पर सदन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करने पर मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज देश अंदरुनी और बाहरी आतंकवादी चुनौतियों से दो-चार हो रहा है। यह किसी से छुपा नहीं है कि किस प्रकार आतंकवाद का दानव दिन-प्रतिदिन अपने पांव फैलाता जा रहा है। बल्कि कुछ दिनो से तो आतंकवादी गतिविधियां इतना उग्र रूप धारण कर चुकी हैं कि किस प्रकार आतंकवादी सुनियोजित तरीके से अति आधुनिकतम तकनीकों के सहारे अपनी गतिविधियां करके हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को धकिया कर हमारी सुरक्षा तंत्र पर हावी होते जा रहे हैं। लाल किले पर हमला और वायुयान अपहरण आतंकवादियों की सुदृढ़ स्थिति के परिचायक हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के समर्थन से तो उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये लोग हमारी जम्मू-कश्मीर विधान सभा और हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था के गौरव की प्रतीक संसद पर हमला कर चुके हैं।

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था से और देश के आत्मसम्मान के लिए उग्रवाद से, आतंकवाद से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जायेगा। यह भी समूचे सदन में जितने भी सांसद उपस्थित हैं, सभी इस बात से परिचित हैं कि मौजूदा दंडिक न्याय प्रक्रिया इस जघन्य आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत नाकाफी हैं। इस जघन्य आतंकवाद को कुचलने के लिए इस किस्म के कुत्सित मनसूबे को नाकाम करने के लिए हमें पोटो 2002 के अध्यादेश को पारित करने की महति आवश्यकता है। आज समूचा विश्व आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो चुका है।

[अनुवाद]

आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या बन गया है।

[हिन्दी]

आज सर्वत्र यह अनुभव किया जा रहा है कि इस किस्म का कोई विशेष प्रभावशाली कानून बनाया जाए जिससे मानव अधिकारों का किसी प्रकार कोई हनन न हो और आतंकवाद के शत्रुओं से भी बखूबी निपटा जा सके।

11 सितम्बर के अमरीका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद को लेकर विश्व जनमत में भारी तब्दीलियां आई हैं और दुनिया के अनेक देश आज यह समझते हैं कि कुछ देश आतंकवाद को एक नई युद्ध की तकनीक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत शुरू से ही कहता आ रहा है कि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद को आधुनिक तकनीक के रूप में भारत से अनेक बार युद्ध में पराजित होने के बाद सन् 1971 से ही इस्तेमाल करता आ रहा है। आज के परिदृश्य में यह कहना कि पोटो कुत्सित, कुख्यात टाडा का ही एक दूसरा रूप है, बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि टाडा का उद्देश्य आतंकवाद को समाप्त करना था और पोटो का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। टाडा की विफलताओं से अनेक सबक सीखे गए हैं। इसलिए पोटो अस्तित्व में आया। हमें देश के हित में इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इस दलील में कोई दम नहीं है कि कानून बना देने से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता। आप देखिए, हत्या करना एक दंडनीय अपराध है लेकिन फिर भी हत्याएं हो रही हैं तो क्या इसका यह अर्थ लगा लिया जाए कि हत्यारे को सजा देने के लिए कोई कानून ही नहीं बनाया जाए। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहूंगी कि आज समय की मांग है कि हमें अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके मजबूत करके देश की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है क्योंकि यदि हम स्वयं को महफूज ही महसूस नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। आज हमें ऐसे हर कदम का समर्थन करना चाहिए जो देश के हित में हो।

आज मैं इस बात को भी जोर देकर कहना चाहूंगी कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर देश के हित में सोचना होगा और देश के हित में निर्णय लेने होंगे। हमें एकजुट होकर पोटो जैसे आतंकवाद निरोधक अध्यादेश को पास करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तत्परता दिखानी होगी ताकि देश की एकता, अखंडता और सम्पूर्णता की हर कीमत पर रक्षा की जा सके।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, जो टाडा कानून को पोटो के रूप में सदन में लाया गया है, इसका मैं विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि यह कानून लोकतंत्र की स्वतंत्रता के खिलाफ है और इसके पीछे राजनीतिक साथ भी है। कानून देश में सुशासन के लिए बनता है, सुरक्षा के लिए बनता है लेकिन पोटो कानून हमारे देश के लोगों के मन में शंका पैदा करता है और डैमोक्रेसी में देश की जो भूमिका होती है।

उसके मन में भी शंका पैदा हुई है और इसमें जो एमेंडमेंट किया गया, यह पोटो आर्डिनेंस का एमेंडमेंट पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेरी समझ में आता है कि पोटो कानून भविष्य में जो हमारा लोकतांत्रिक आन्दोलन होता है, उस आन्दोलन के खिलाफ यह कानून प्रयोग हो सकता है। इस कानून का दुरुपयोग होगा, जैसे टाडा का दुरुपयोग हुआ। हम लोग जानते हैं कि टाडा का कैसे दुरुपयोग किया गया, वैसे ही पोटो कानून का भी दुरुपयोग होगा। जो शंका हमारे देश की आम जनता की भावना में आई है, इसलिए मैं इसके विरोध में हूं। मानवाधिकार कमीशन ने भी पोटो के खिलाफ अपनी राय दी है, इसलिए इस कानून को सरकार को नहीं लाना चाहिए, इसको विदड्रा करना चाहिए। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस कानून को वापस ले।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): यह कहा गया था कि नौ बजे जवाब होगा, नौ बज गये हैं, जवाब होगा कि नहीं? *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): जवाब के लिए नौ बजे का एनाउंसमेंट किया गया था, उसका क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

चौधरी तालिब हुसैन (जम्मू): माननीय सभापति महोदय, टैरेरिज्म और वायलेंस का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीज नहीं होता और न ही टैरेरिज्म का जुगराफियाई हुदूद में मुकय्यद किया जा सकता है। उसको कन्फाइंड नहीं किया जा सकता। नोर्मल टाइम्स में स्टेट या मुल्क के इंस्टीट्यूशन के शहरी अपनी कुछ लिबर्टीज को खुद ही सरैण्डर कर देते हैं, लेकिन एब्नोर्मल टाइम में स्टेट को स्ट्रिंजेंट लॉज, फ्रेम करने पड़ते हैं। चुनांचे हमारे देश के सामने आज जो चुनौतियां हैं, चेलेंजेज हैं, उनका मुकाबला करने के लिए जो कानून आज इस हाउस में जेरे बहस आ रहा है, मैं समझता हूं कि यह कानून महज सख्त बनाने में मसला हल नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ और भी एकदामात करना निहायत ही जरूरी है। अगर मुल्क के सख्त कवानीन मुल्क के अमन और आशतों को तहाफुज देने में कामयाब होता तो आज तक जितने भी कानून बने, जो एण्टी स्मगलिंग लॉज थे या एण्टी एट्रासिटीज एगेन्स्ट वीमेन या वीकर सैक्शंस के लिए बने थे, मेरे ख्याल से वे जो कानून बने, उन्होंने इन चीजों को आज तक नहीं रोका। मैं माननीय गृह मंत्री से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जहां हम सख्त कानून बनाते हैं, वहां हमें यह देखना होगा कि पास्ट में अगर हमारा यह तजुर्बा है कि जो हमारे सख्त से सख्तगीर कवानीन बनें, अगर उन्होंने किसी मसले का, जिसके लिए वे कानून बने थे, उसका हल नहीं निकाला तो आइन्दा यह कानून किस तरीके से बाअसर हो सकेगा। मैं समझता हूं कि आज हमारी रियात जम्मू-कश्मीर जिस नाजुक दौर से गुजर रही है और हमारी नेशनल कांफ्रेंस जमात टैरेरिज्म के खिलाफ डा. फारुख अब्दुल्ला की कदायत में स्टैप्स, जो मैजर्स उठा रही है, वह किसी

[चौधरी तालिब हुसैन]

से पोशीदा नहीं है। हम समझते हैं कि उनके हाथ मजबूत करने की जरूरत है।

वहां जो भी मुल्क के मुफाद के इकदामात करने वाले लोग हैं, उनका ख्याल करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि कहीं ऐसे जो हार्श लॉज़ मुल्क के अंदर बनते हैं, जिन्होंने पास्ट में ज्यादा कामयाबी नहीं दिखाई, आइंदा अगर उनका एब्यूस हो जाता है, किसी वजह से सही इस्तेमाल नहीं होता, मैं समझता हूं कि मसले का हल नहीं होगा।

आज रियासते जम्मू-कश्मीर के जो फिगर्स बताए जा रहे हैं कि 60,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद का वहां शिकार हो गए। इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग भी मुत्तासिर हुए हैं और शहीद हुए हैं। लेकिन इसके साथ यह देखना होगा कि यह तादाद घट रही है या नहीं? अगर इस सख्त कानून के बनाने से भी यह मसला हल नहीं होता, अगर यह फिगर कम नहीं होती, अगर यह सालाना रिव्यू करने के बाद देखेंगे कि रोजमर्रा जो वहां 20 से 30 लोग मरते हैं टैरेरिज्म के खिलाफ लड़ते हुए, टैररिज्म की नजर हो जाते हैं, अगर उनकी तादाद में कमी नहीं आती, तो हम समझेंगे कि इस कानून का फायदा नहीं होगा। मुझे यकीन है कि जिस मकसद के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, उसमें अगर कामयाबी मिलती है तो यह बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। मैं गृह मंत्री जी को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी और रियासत जम्मू-कश्मीर की अवाम अमनो सलामती देखना चाहती है, ताफ्फुज देखना चाहती है, खुशगवार माहौल देखना चाहती है, जिसमें वह तामीर और तरक्की की मंजिलें तय कर सके। लिहाजा इसकी हिमायत में यह अर्ज कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री बीर सिंह महतो।

इससे पहले, मैं यह कहूंगा कि हम इसे 9 बजे तक समाप्त करने जा रहे हैं। इसे आठ माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। मैं सभा से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सूची को आप पूरा करना चाहते हैं अथवा हमें मंत्री जी से सीधे-सीधे उत्तर देने के लिए कहना चाहिए क्योंकि यदि मैं अन्य आठ सदस्यों को बोलने की अनुमति देता हूं तो इसमें 40 मिनट और लग जायेंगे।

...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : कृपया आप प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दें *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप प्रत्येक सदस्य को दो मिनट दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिये। आपने मेरा नाम पुकारा है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को 2 मिनट का समय दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): सभापति महोदय, कानून को मानने वाला भारत का प्रत्येक नागरिक इस विधेयक का विरोध कर रहा है। एक अध्यादेश के माध्यम से सरकार यह विधेयक लायी है और पश्चद्वार के माध्यम से यह विधेयक लायी है। ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है कि अध्यादेश के माध्यम से संसद की अनदेखी की जाए।

महोदय, यह विधेयक राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध है और यह लोकतंत्र पर एक हमला भी है। महोदय, मुझे विश्वास है कि इस विधेयक की मूल समस्या यह है कि इसका दुरुपयोग किया जायेगा और यह सरकार का एक स्थायी हथियार रहेगा। यद्यपि इस विधेयक की मान्यता की अवधि को घटाकर पांच से दो वर्ष कम कर दिया गया है, हमारा 'टाडा' के साथ भी ऐसा ही अनुभव रहा है जिसे दो वर्षों के लिए बनाया गया था और बाद में इसे दस वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसीलिए, हमारे विगत के अनुभव ने हमें यह सिखाया है कि आतंकवाद के आज के हथियार का उपयोग भारत के कानून को मानने वाले लोगों के विरुद्ध किया जा सकता है।

रात्रि 9.00 बजे

इसीलिए, महोदय, एक विशेष कानून के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा कानूनों में आतंकवाद से निपटने का समाधान है। 'पोटो' का क्षेत्र 'टाडा' से अधिक विस्तृत है। सुरक्षोपाय अति सीमित हैं और वे पर्याप्त नहीं हैं। पोटो को लाने के राजनैतिक कारण पहले से ही स्पष्ट हैं। हमारे गृह मंत्री जी पहले ही कह चुका है कि पोटो का विरोध करने वाले लोग राष्ट्रविरोधी हैं। इसीलिए, उनके राजनैतिक इरादे बहुत स्पष्ट हैं। इसीलिए, उनके राजनैतिक इरादे बहुत स्पष्ट हैं। यह एक ऐसा विधेयक है जो देश की एकता और अखंडता पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। यह राजनीति से प्रेरित है और इसीलिए अपनी पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

***श्री ए.के. मूर्ति** (चेंगलपट्टू): माननीय सभापति महोदय, मैं पोटो विधेयक के विधान पर इस चर्चा में भाग लेने के लिये मुझे अवसर प्रदान करने हेतु अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं जिसमें इस सम्मानित सभा के सभी दलों के विचार को ध्यान में रखते हुए संशोधन की जरूरत है। हम अपने सम्मानित नेता डा एस. रामदास के नेतृत्व वाली पट्टालि मक्कल काच्चि की ओर से इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

इस सभा के कई माननीय सदस्यों ने आशंका जताई कि निर्दोष नागरिकों और विपक्षी दलों के लोगों से बदला लेने के लिये इस विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकते हैं। सरकार ने माननीय सदस्यों द्वारा किये गये अनुरोध के जवाब में जरूरी सुरक्षापायो को विधेयक में शामिल करते हुये पोटो में संशोधन किया है।

हिरासत में लिये गये व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को सूचित करने का प्रावधान करना, बयानबाजी लेने के लिये क्रूरतम तरीकों से बचने पर जोर देना विशेष न्यायालयों के सम्मुख अपील का प्रावधान करना, किसी व्यक्ति को किसी आतंकवादी को केवल जानने के आधार पर गिरफ्तारी से बचना सुनिश्चित करना, जैसे कुछ ऐसे संशोधन हैं, जो पोटो को व्यापक विधेयक बनाने के लिये किये गये हैं।

अत: इस सभा के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी आशंकायें मिटायें और अपना सन्देह दूर करें।

आतंकवादी घुसपैठ और 13 दिसम्बर को हमारी संसद और 22 जनवरी को कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर हुए हमले कुछ और नहीं हमारे भारतीय लोकतंत्र पर आक्रमण हैं।

इस समय आतंकवादियों से हमारे राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा करने और इसे शान्ति उपवन बनाने हेतु देश में शान्ति सुनिश्चित करने तथा आतंकवाद को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता है। अत: हमारी पार्टी पी.एम.के. इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती है जिसमें इस देश से आतंकवाद का निवारण करने का प्रावधान किया गया है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदय, मैं इस आतंकवाद निवारण संबंधी अध्यादेश और विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं। प्रस्तावित कानून, कठोर, फासीवादी और अलोकतांत्रिक है। न्यायशास्त्र के सभी न्यायोचित सिद्धांतों को दर-किनार कर दिया गया है और कानून की यथेष्ठ प्रक्रिया को तोड़ा-मरोड़ा गया है।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि प्रस्तावित कानून से आतंकवादियों के समक्ष समर्पण करने की और पराजय की मानसिकता प्रतिबिम्बित होती है। आतंकवादी अधिकार और स्वतंत्रता पर आधारित हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को नष्ट करने पर आमादा है। लोकतांत्रिक प्रणालियां उस ताने-बाने को, जिसे आतंकवादी विनष्ट करना चाहते हैं, अधिकार और स्वतंत्रता के ताने-बाने को तोड़कर आतंकवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। इसलिए मेरा कहना है कि यह विधेयक आतंकवादियों के समक्ष समर्पण करने की और पराजय की मानसिकता का परिचायक है।

महोदय, यह विधेयक आतंकवाद के विरुद्ध जनाक्रोश के अनुचित प्रयोग की अभिव्यक्ति मात्र है।

सभापति महोदय, आतंकवाद को लेकर हम सब चिन्तित हैं। लेकिन यहां हमने भ्रष्टाचार का स्वागत करने, उत्पीड़न और मनचाही गिरफ्तारियों की अनुमति दे दी है। इससे निर्दोष लोगों को हर तरह से उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा और नागरिकों की तकलीफें और बढ़ जायेंगी।

महोदय, हमें विदेशी कानूनों के बारे में बताया गया है। बेहतर होगा कि हम उन विदेशी कानूनों की बात न करें। ग्रेट ब्रिटेन के मामले में वहां का आतंकवादरोधी (अस्थाई प्रावधान) अधिनियम यूरोपीय संधि के अनुच्छेद 15क के अन्तर्गत घोषित आपातकाल का परिणाम है। जहां यूरोपीय संधि राज्य निगरानी एजेंसी का कार्य करती है। हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारा कानून इस संबंध में ब्रिटिश कानून के समान नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय मुश्किल से मैंने अपना भाषण शुरू ही किया है। कृपया मेरी बात सुनिये।

सभापति महोदय : सी.पी.आई., आर.जे.डी., आर.एस.पी., जे.डी.(एस.), ए.आई.एफ.बी. इन सभी पार्टियों को मिलाकर 14 मिनट आवंटित किये गये थे और आप अकेले ही पहले 6 मिनट बोल चुके हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं 14 मिनट से अधिक का समय नहीं लूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिये।

---

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, ब्रिटिश कानून के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने की अवधि 48 घंटे है। जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अनुमति से बढ़ाकर 5 दिन किया जा सकता है लेकिन हमारे यहां निरुद्ध किये जाने की अवधि बिना कोई मामला दाखिल किये या मुकदमा चलाये बिना 90 दिन की है जिसे बढ़ाकर 180 दिन किया जा सकता है।

महोदय, संयुक्त राज्य अमेरीका के मामले में कानून की उचित प्रक्रिया निर्दोष मानने की अवधारणा आश्रित द्वारा शीघ्र मुकदमा चलाये जाने का अधिकार और गवाहों का सामना करने का अधिकार न तो स्थगित किया जाता है और न ही उसमें कोई कमी लाई जाती है। लेकिन हमारे उस तंत्र को भी देखिये जो यहां है। एक पुलिस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 60% गिरफ्तारियां मनमर्जी से कराई गई गिरफ्तारियां होती हैं। टाडा के अन्तर्गत मुश्किल से दोष सिद्धि पर 1.5% है। इसका मतलब 98% मामलों की न्यायिक जांच नहीं हो सकी।

सभापति महोदय, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आतंकवाद का जन्म मानवाधिक उल्लंघन से होता है और कानूनी ढांचे के अन्तर्गत इसका प्रभाव बढ़ता है। आतंकवाद से निपटने हेतु हमारे पास पर्याप्त कानून है। जरूरत है राजनैतिक इच्छाशक्ति और दलीय भावना से ऊपर उठने की। मैं एक अधिसूची की ओर संकेत करूंगा। इस अधिसूची में कई संगठनों को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।

इन संगठनों में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल को शामिल किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अध्यादेश और विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदय, सदन में हम आतंकवाद निवारण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। देश को आंतरिक रक्षा के प्रबन्धों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद सम्पूर्ण विश्व में फैल चुका है। आतंकवाद के द्वारा ही अमेरिका में भी घटना घटी है।

रात्रि 9.10 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

उसके बाद जम्मू-काश्मीर की विधान सभा पर घटना घटी। 13 दिसम्बर, 2001 को दुनिया का सबसे अच्छा, गौरवशाली और मजबूत लोकतंत्र लोक सभा पर हमला हुआ और सही मायनों में आतंकवाद निवारण विधेयक लाना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया था। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार को, जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक सही मायनों में आतंकवाद का मुकाबला डट कर नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में पोटो कानून है। ऐसा कोई कानून आज तक नहीं बनाया, जो किसी वर्ग या मजहब की खिलाफत करता हो। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील, के.के. सूद जी का विचार है कि पोटो कठोर होने के साथ-साथ मानवीय भी है, इसलिए यह ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में भी आतंकवाद निरोधक कानून बना था। यह अध्यादेश 1971 तक जारी रहा, उसके बाद 2 जुलाई, 1971 को मीसा (मेन्टेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) अस्तित्व में आया। मीसा और डी.आई.आर. आपातकाल के समय देश में लगा था, निश्चित रूप से हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। कांग्रेस को छोड़कर जितने एन.डी.ए. के पार्टनर है - चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या समाजवादी दल हो, हम सभी लोग मीसा और डी.आई.आर. के अंतर्गत काफी लम्बे अर्से तक जेल में रहे। इसलिए कांग्रेस के लोगों को आशंका है कि जिस तरह मीसा, डी.आई.आर. और टाडा का दुरुपयोग हुआ, उसी तरह पोटो कानून का भी दुरुपयोग होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस सतर्कता के साथ पोटो लाया जा रहा है, हमारी मान्यता है कि पोटो कानून का दुरुपयोग निश्चित रूप से नहीं होगा। काश्मीर की सीमा पर 60 हजार से भी ज्यादा भारत के लोगों को आतंकवादियों का शिकार होना पड़ा। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में निश्चित रूप से पोटो कानून देश में लगे और इस पर सदन के सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होना चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी दल के, माननीय सदन के सभी नेताओं को भी आग्रह किया है कि निश्चित रूप से इस पर सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल गलत इस्तेमाल के भय से करोड़ों देशवासियों का भविष्य आतंकवादियों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता, इसलिए निश्चित रूप से पोटो कानून को पास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

रात्रि 9.15 बजे

राष्ट्रपति से संदेश

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति से 18 मार्च, 2002 का निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:

> "25 फरवरी, 2002 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

रात्रि 9.16 बजे

[अनुवाद]

आतंकवाद निवारण (दूसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और आतंकवाद निवारण विधेयक – *जारी*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पोटो का पूरी तरह विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक किसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि एक ऐसी पार्टी द्वारा इसे लाया गया है जो देश को समुदाय और धर्म के आधार पर बांटना चाहती है।

लेकिन जब सुरक्षा के कारण लोगों को अधिक से अधिक हिरासत में रखने वाले कानूनों का प्रयोग किया जाता है तो इसका आशय यह है कि सरकार को देश के सामान्य कानूनों में विश्वास नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री से विशेष तौर पर इसका उत्तर चाहूंगा। क्या देश में कोई ऐसा अपराध है जो आई.पी.सी. के अन्तर्गत नहीं आता? क्या यह सच नहीं है कि विगत 150 वर्षों के दौरान आई.पी.सी. के प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू किया जाता रहा है? क्या यह सही नहीं है कि जिन लोगों ने विदेशी शासन के दौरान स्थापित शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उन पर भी आई.पी.सी. के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया और विदेशी सरकार द्वारा कोई निवारण कानून नहीं बनाया गया?

मैं पोटो का विरोध इसलिये करता हूं क्योंकि हिरासत में रखने वाला कोई भी निवारण अधिनियम गरीब विरोधी, कामगार विरोधी, मजदूर संघ विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी होता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री से इसका भी जवाब चाहता हूं कि पृष्ठ संख्या-3 के अंतिम विषय में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो आतंकवादी गुट या आतंकवादी संगठन का सदस्य है, उसे आजीवन सजा का दण्ड दिया गया है। मान लीजिए कि 15 लोगों का एक गैंग है और कोई नवयुवक इसमें शामिल होता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि गैंग गलत कार्य में संलिप्त है और वह नवयुवक किसी आतंकवादी कार्रवाई में शामिल नहीं होता है। लेकिन चूंकि वह उस गुट का कभी सदस्य था और इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत आजीवन सजा का कारावास है। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे निदोष व्यक्ति को दण्ड देंगे जो समूह में शामिल नहीं हुआ और जिसने किसी आतंकवादी कार्रवाई में भाग नहीं लिया। इसका मैं माननीय गृह मंत्री से विशिष्ट उत्तर चाहूंगा।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान 25 संगठनों की सूची जो पहले ही तैयार की गई है, की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी यह सुविचारित राय है कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो सामाजिक-राजनैतिक संगठन हैं जिनकी विचारधारा से आप शायद सहमत न हों। यह वामपंथी विचारधारा है। नि:संदेह वे कतिपय अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। 25 संगठनों की सूची में कुछ परिचित आतंकवादी संगठन हैं। परन्तु वे सभी संगठन अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। वे सभी संगठन देश में वामपंथी आंदोलन से संबंधित हैं। मैं भाजपा से सहमत नहीं हूं; मैं विश्व हिन्दू परिषद से सहमत नहीं हूं और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहमत नहीं हूं। परन्तु उनमें दूरी बनी हुई है। यदि वे एक ऐसी विचारधारा, जिसे पूरे देश में और पूरे विश्व में जाना जाता है, के साथ बने रह सकते हैं और इन संगठनों के लोग हाल ही में गुजरात की घटनाओं और गत सप्ताह देश के अन्य भागों की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं तो अन्य संगठन क्यों नहीं? ...*(व्यवधान)* उस समय भी यह अध्यादेश लागू था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): मुम्बई में बम विस्फोट की घटना में जो लोग मारे गए, उसके बारे में बात करो। क्या वे इनोसेंट नहीं थे। उस समय आप क्या कर रहे थे?

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे न्यायपालिका के बजाय पुलिस को अधिक शक्तियां देने

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

को कैसे उचित ठहरा सकते हैं? इस देश में स्थापित व्यवस्था के अनुसार एक सरकार है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है। पुलिस का काम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। क्या उसे जेल भेजा जाना चाहिए अथवा क्या उसे रिमांड पर भेजा जाना चाहिए; इसका निर्णय हमेशा न्यायालय द्वारा किया जाता है न कि पुलिस अधिकारी द्वारा।

इसलिए, मैं इन सभी प्रावधानों का पुरजोर विरोध करता हूं। हमें 'टाडा' का अनुभव लिया। हमने 'पासा' देखा। मुझे बहुत खेद है कि हमने उस अनुभव से कुछ नहीं सीखा। मैं आपको बताता हूं कि पंजाब की स्थिति में 'टाडा' अथवा 'पासा' के कारण सुधार नहीं हुआ बल्कि तभी हुआ जब वहां के लोगों ने निर्णय लिया कि वे पंजाब में आतंकवाद नहीं चाहते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सुस्पष्ट उत्तर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से कामरेड हनान मोल्लाह पहले ही बोल चुके हैं। मैं इसके गुण दोषों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय गृह मंत्री से केवल एक तथ्यात्मक जानकारी चाहता हूं।

महोदय, गत वर्ष के 24 अक्तूबर से 'पोटो' लागू है। इसलिए, यह परिचालित कानून है और करीब चार-पांच महीने बीत गए हैं। हमें यह कहा जा रहा है कि इसके दो पक्ष हैं; एक निरोधात्मक है और दूसरे में आसानी से मुकदमा चलाया जा सकता है, वह है दंडात्मक प्रक्रिया। मेरा मानना है कि सभा और इस देश को यह जानने का अधिकार है कि इन पांच महीनों के दौरान कितनी घटनाएं रोकी गई क्योंकि कानून का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों की आवृत्ति रोकने के लिए किया जाना है और कितने मुकदमें चल रहे हैं या शुरू किए गए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इन पांच महीनों के अंदर कोई विशेष न्यायालय गठित किए गए या नहीं क्योंकि मुकदमा विशेष न्यायालय के समक्ष है। ये बहुत आवश्यक सूचना है क्योंकि पूरे देश में यह छबि बनाई जा रही है कि विपक्षी दलों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण ऐसे अद्भूत कानून को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है या वैधानिक रूप नहीं दिया जा रहा है। 25 फरवरी से छः सप्ताह तक कानून अस्तित्व में नहीं होगा, यदि यह आज पारित नहीं होता है। इन सभी महीनों में यह कानून पूरी तरह से लागू हुआ है, और उन बदलावों के साथ नहीं जो आपके संतुष्ट करने के लिए प्रस्तावित हैं, आप समझते हैं आपका अहं प्रस्तावित बदलावों से संतुष्ट है। ये बदलाव अभी हुए भी नहीं हैं। नए अध्यादेश में यह हो सकता है। हमें खुशी है कि आपका अहं संतुष्ट है ...*(व्यवधान)*

इसलिए, हम माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि कितनी विदेशी पर्यटकों को पकड़ा गया है और उन पर कार्रवाई की गई है। कितने अन्दरूनी आतंकवादियों को पकड़ा गया है और उन पर कार्रवाई की गई है और उन पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया गया है ताकि उस कानून का औचित्य स्थापित किया जा सके?

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनादेश मानने वाला आदमी हूं। जब देवेगौड़ा जी की सरकार थी, उस वक्त यह कहते थे कि 13 दलों की खिचड़ी सरकार है लेकिन अब 23 दलों की खिचड़ी सरकार है। फिर भी मैं इनका आदर करता हूं। सत्ता पक्ष में रहते इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आतंकवाद रोकने की जवाबदेही है। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रभु राम जब अयोध्या आए तो सीता मां बहुत खुश थी। सीता मां ने बजरंग बली को एक कीमती हार दिया लेकिन उन्होंने हार का एक-एक दाना निकाल कर देखा कि इसमें प्रभु राम है या नहीं? लेकिन उन्हें राम दिखायी नहीं दिए। इस पर उन्होंने वह हार फेंक दिया। ऐसा ही पोटो कानून है। पूंछ न आबरू की रक्षा करती है और न ही मक्खी उड़ाती है। ऐसी ही स्थिति पोटो कानून की है। अब शेर के बीच रहने वाली भेड़ का डबल शिकार होने वाला है। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार श्री आडवाणी के द्वारा देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिये पोटो कानून लाने की कोशिश कर रही है। आतंकवाद को खत्म करने के लिये हमारा कोई विरोध नहीं क्योंकि हमने भी इस देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिये जन्म लिया है। खाली कानून लाने का क्या मतलब है? जब ये लोग मीसा में बंद थे, तब ये मांग कर रहे थे कि इन्हें बाहर आना है क्योंकि मीसा कानून भी ऐसा ही था। इसलिये मेरा आडवाणी जी से कहना है कि आडवाणी जी लाकर पोटो न काम करो खोटे। हमें डर है कि सरकार के खिलाफ विरोधी पार्टियां कोई शब्द निकालेंगी तो पता नहीं, कब हम पर पोटो लगायेगी, हमें अंदर कर देगी। यहां कोई अपील नहीं है, कानून नहीं। अगर कोई आतंकवादी है तो उसे अरेस्ट करना चाहिये और उसे सजा मिलनी चाहिये। अगर कोई आदमी किसी का नाम ले सकता है कि यह मेरे साथ था, अगर वह बोलेगा कि नहीं था, फिर भी बोला जायेगा कि मेरे साथ था। पालिटिकल लोगों पर अन्याय किया जायेगा।

उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि इस आतंकवाद को खत्म करने के लिये इस जंग को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है।

वाजपेयी साहब, आतंकवाद को खत्म करने के लिये जो जंग आपने छेड़ी है, उसमें हम आपके साथ हैं, मगर जब हम पाकिस्तान के संबंध में बोलते हैं तो कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, अगर बजरंग दल के खिलाफ बोलेगा तो कहते हैं कि जाओ। मेरे इतना कहना है कि अगर घर का कोई आदमी आतंकवादी बनता है तो उसे सबक सिखाने की आवश्यकता है और अगर मेरे घर में इस तरह का कोई आदमी पैदा होता है तो उसे ठीक करना चाहिये, उसे समझाना चाहिये। हम नहीं कहते कि उनको एकदम से अंदर करो। अंदर कर भी देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। उन्हें बताओं कि देश में कानून का राज आया है। बाबर राज आया होगा, मस्जिद बनी होगी। जब श्री राम का राज था, मंदिर बना होगा, बौद्ध राज्य होगा, बौद्ध बिहार बना होगा परन्तु अभी तो लोकतंत्र का राज है। अभी भारत में संविधान का राज्य है, सैकुलरिज्म का राज है। इसमें हिन्दू, मुसलमान और बौद्ध का राज है।

उपाध्यक्ष जी, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होंगे, उनका राज होगा लेकिन यहां हमारा राज भी है। सत्ता इनके हाथ में है। लोकतंत्र में कभी-कभी सत्ता आपके हाथ में होगी और कभी हमारे हाथ में भी होगी।

अटल जी, अगर हर रोज देश में होता रहेगा दंगा,
किसी दिन हम कर देंगे इस सरकार को नंगा।

यह सत्ता देश में शान्ति पैदा करने के लिये आयी है। आतंकवाद और गुंडागर्दी को खत्म करने के लिये सत्ता आई है। हम सब मिलकर डाल देंगे एन.डी.ए. पर पंगा। जब हमारी सरकार आयेगी तो हम खत्म करेंगे पूरा दंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी पोटो कानून का विरोध करती है और अच्छा काम करने के लिये आपका साथ जरूर देंगे।

अंत में मेरा इतना ही कहना है-

देश में फैलने वाले आतंकवाद की हम कर रहे हैं निंदा,

पार्लियामैन्ट, जम्मू-कश्मीर और उड़ीसा की घटनाओं से देश हो गया है शर्मिन्दा,

इसी तरह वी.एच.पी. और बजरंग दल को बंद करना होगा गुंडागर्दी का धंधा,

और पाकिस्तान पर एक दिन डालना होगा युद्ध का फंदा।

अंत में, हम और हमारी पार्टी इस पोटो कानून का विरोध करती है। धन्यवाद।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मान्यवार उपाध्यक्ष जी, जितने भी माननीय सदस्य आज की बहस में बोले हैं, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। पोटो के विषय में आज की चर्चा में कम से कम गर्मी कम थी, प्राय: प्रकाश अधिक था। हो सकता है इसलिए भी हो कि काफी समय से इस मामले में जो सार्वजनिक बहस चल रही है, चाहे वह इसके पक्ष में हों या विपक्ष में हों, उसमें गर्मी निकल गई और इसीलिए चर्चा बहुत अच्छी हुई। चर्चा और अच्छी होती अगर उसमें से कुछ सार्थक सुझाव निकलते। जब जयपाल रेड्डी जी ने आरम्भ किया था तब मुझे लगा कि वह रिव्यू के बारे में शायद कोई संशोधन प्रस्तुत करेंगे कि जो रिव्यू कमेटी हो, उसमें आपने जो व्यवस्था की है कि सिटिंग जज भी हो सकता है, रिटायर्ड जज भी हो सकता है, उसके बारे में शायद संशोधन करके कहें कि केवल सिटिंज जज ही होगा। लेकिन जब बाद में उन्होंने कंक्लूड किया, तब लगा कि इस प्रकार के सुझाव देने के मूड में पार्टी अभी भी नहीं है और उनका जो स्टैंड है कि हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं, वैसा ही स्टैंड है। हो सकता है अनुभव के आधार पर हम कुछ प्राप्त करें।

वैसे मैं मानता हूं कि जो आरम्भिक वक्ता थे, उसमें से ही इसके दोनों पक्ष सामने आ गये थे। आखिर जितना विवाद रहा है, जितनी सार्वजनिक बहस रही है, वह टाडा की तुलना में यह विधेयक कैसा है, टाडा में जो कमियां थी, वे भी इसमें हैं। क्योकि किसी ने कहा है

[अनुवाद]

यह टाडा का क्लोन है।

[हिन्दी]

जयपाल जी ने नहीं कहा, आपने क्लोन ऑफ टाडा करके कहा कि उसी को फिर से ले आये। मैं मानता हूं कि टाडा के अनुभव के बाद हम कुछ सीखे हैं और केवल अनुभव के बाद नहीं, लेकिन टाडा के बारे में जब भी अदालतों में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक प्रकार से तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उन्होंने सुझाव दिये। खासकर करतार सिंह का जो 1994 का केस है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक सुझाव दिये और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पूरे आधा दर्जन सुझाव दिये कि इसके आधार पर अगल बदला जाए तो यह टाडा भी ठीक है। वैसे तो उस टाडा को बाई मैज्योरिटी उन्होंने

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

अपहोल्ड किया। उसके जो-जो प्रोविजनस थे, सबको उन्होंने अपहोल्ड किया। लेकिन उसमें उन्होंने जो सुझाव दिये, हमें लगा कि जिस समय हम आतंकवाद के खिलाफ एक नये विधेयक का विचार कर रहे हैं तो उपयुक्त होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिये थे, उन्हें उसमें समाविष्ट कर दिया जाए। आखिर उसमें जो प्रोविजन्स थे और मेरे साथी, मेरे सहयोगी श्री अरुण जेटली, विधि मंत्री ने बहुत उत्कृष्ट ढंग से सब प्रावधानों का उल्लेख करके विस्तार से समझाने की कोशिश की कि सरकार का और बहुमत का इसके बारे में चिन्तन क्या है। वह चाहे कन्सैशंस के बारे में हो, चाहे बेल के बारे में हो। बेल के बारे में श्री सोमनाथ चटर्जी ने आखिर में एक सवाल पूछा। यह पोटो अधिनियम तो बनेगा जब हम पास करेंगे, दूसरा सदन पास करेगा, तब वह एक्ट बनेगा, इस समय तो ऑर्डिनेन्स है और अक्तूबर से ऑर्डिनेन्स है। माननीय सदस्य ने सही कहा कि पांच-छः महीने हो गए हैं उसको और इन पांच-छः महीनों में जम्मू और कश्मीर में 86 लोगों के खिलाफ पोटो की कार्रवाई की गई है लेकिन जिनमें से 10 लोगों को बेल प्राप्त हुई है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि टाडा में बेल नहीं मिलती थी और जिस समय जयपाल रेड्डी जी बोल रहे थे, वह बोल रहे थे कि इसमें भी आपने प्रावधान किया है कि साल भर तक नहीं मिलेगी, ऐसा प्रावधान नहीं है। साल भर के बाद तो जो प्रोविजन्स इसमें लगाए हैं, जिसके आधार भी कोर्ट बेल दे सकती है इन प्रावधानों के बावजूद। साल भर बाद ये प्रावधान नहीं होंगे और जो सामान्य कानून होगा, वह लागू होगा। ऐसा नहीं है कि साल भर तक बेल नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने जिक्र किया कि इन छः महीनों में ही जम्मू कश्मीर में जहां 86 लोग गिरफ्तार हुए पोटो के अधीन, उनमें से 10 लोगों की बेल प्राप्त हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : टोटल कितना हुआ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कुल मिलाकर जो जानकारी मुझे स्टेट से मिली है, उसके अनुसार मैं बता सकता हूं कि 145 लोग गिरफ्तार हुए देश भर में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : गुजरात मे हुए हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गुजरात में हुए हैं, जम्मू-कश्मीर में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, ये प्रमुख हैं। विदेशियों के बारे में आपने पूछा तो मेरी जानकारी में इसमें 5 पाकिस्तानी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : रैस्ट इंडियन्स हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, रैस्ट इंडियन्स हैं। कनफैशन्स के बारे में, बेल के बारे में, प्रिज़म्पशन ऑफ गिल्ट के बारे में तीन प्रावधान टाडा में भी थे जिन प्रावधानों को हमने सुप्रीम कोर्ट की सलाह के अनुसार और जो हमें इनपुट्स मिले, उसके अनुसार संशोधित करके पोटो में लाया है। फिर मीडिया के बारे में जो आपत्तियां थीं, मन में आशंकाएं थीं, उनको दूर करने के लिए मीडिया का जो पहले प्रोविजन था जिसमें मीडिया शब्द नहीं था, प्रैस शब्द नहीं था लेकिन उनके मन में आशंका थी कि इसका उपयोग हमारे खिलाफ किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से ड्रॉप किया है। एक एडीशनल प्रावधान जिसका जिक्र भी विधि मंत्री ने विस्तार से किया, जिसका अनुभव हमको महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ कि एडमिसिबल एविडेन्स, और एविडेन्स के नॉर्मल लॉ से हटकर इन्टरसैप्ट्स को भी एडमिसिबल एविडेन्स के रूप में स्वीकार किया जाए यह प्रावधान हमने जोड़ा है। मैं मानता हूं कि इन सब प्रावधानों के बारे में जो रिज़र्वेशन्स हैं, उनसे भी सबसे बड़ा रिज़र्वेशन रहा है संभावित दुरुपयोग के बारे में, कि इस प्रकार का कोई असाधारण कानून बनेगा तो आप एक प्रकार से पुलिस और एक्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को इतने अधिकार देंगे जिसके कारण उसका दुरुपयोग होगा। पोटो के प्रॉमल्गेट होने के छः महीने बाद, क्योंकि ऑर्डिनेन्स है, कानून नहीं बना है, कम से कम आज तक कह सकता हूं कि 146 केसेज़ हैं जिनके खिलाफ पोटो का उपयोग किया गया है तो आज तक भी किसी एक ने शिकायत नहीं की है कि अमुक स्थानों पर पोटो का दुरुपयोग किया गया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया अलग-अलग आंकड़ें दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं बाद में देने में समर्थ होऊंगा। अभी-अभी आपने मांगे हैं। मुझसे सूचना मांगी गई है। पहले मुझसे केवल जमानत के आवेदनों के बारे में पूछा गया था और मैं वह जानता हूं। मैं खोजूंगा। इसमें परेशानी नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : कितनी घटनाएं घटीं वह भी बताइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि अनेक सदस्यों ने हमें अपना अनुभव सुनाया और कहा कि आप तो भुक्तभोगी हैं, आप तो मीसा जैसे कानून में जेल में रहे, बहुत सारे कानून आए, किसी ने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट वाले भाषण का जिक्र किया और मैं मानता हूं कि वह सबसे अच्छे भाषणों में से था जो मैंने अब तक सुना है। मैं उस समय प्रैस गैलरी में हुआ करता था। उस समय के भाषण संभवतः यह उत्कृष्ट भाषणों से एक था। लेकिन उसमें राष्ट्रपाल जी

ने भी कहा, और भी कुछ सदस्यों ने कहा और एक गलतफहमी है कि यह जो पोटो है, वह कोई प्रिवेन्टिव डिटेन्शन का कानून है। नहीं है। यह केवल आतंकवाद निरोधक कानून नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक कानून है। और प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के जो कानून हैं, वह अलग हैं। वह एन.एस.ए. है। किसी ने सुझाव दिया कि आप इसका उपयोग न करके एन.एस.ए. का उपयोग क्यों नहीं करते?

महोदय, आज सुबह-सुबह विधि मंत्री जी ने इसका जवाब दिया था। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि शायद हिन्दुस्तान के इन 55 सालों के लोक तंत्र के इतिहास में जिस संवैधानिक प्रावधान का सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ वह आर्टीकल 352 था, जिसके दुरुपयोग के कारण हम लोग, चन्द्रशेखर जी, जैसे लोग, जो देश के प्रधान मंत्री रहे, ये सब लोग जेलों में थे। सोमनाथ जी जेल में नहीं थे, लेकिन आपके कुछ साथी थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ज्योतिर्मय बसु जेल में थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जानता हूं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब हम 19 महीने की जेल काट कर बाहर निकले और चुनाव हुए, तो जो सरकार बनी वह कांग्रेस की नहीं बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री बने तथा उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सामने जब यह बात आई कि संविधान के आर्टीकल 352 जैसे प्रावधान को जिसका इतना बड़ा दुरुपयोग किया गया उसे रहना चाहिए या नहीं, हमने इस पर विचार किया और सीरियस कंसीडरेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे खिलाफ इसका दुरुपयोग हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 352 जैसे प्रावधान की जरूरत नहीं है। आखिर धारा 352 का हर वार में उपयोग किया गया। 1965 की वार में, 1971 की वार में इमर्जेंसी लगाई गई।

[अनुवाद]

उस विशेष प्रावधान को लागू कर दिया गया था और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। ऐसा केवल 1975 में ही हुआ था कि इस आपात काल को आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था, बाह्य आक्रमण के कारण नहीं। इसलिए, उसके कारण हम सबको दंडित होना पड़ा। लेकिन क्योंकि हम दंडित हुए थे, हमने इसका निरसन नहीं चाहा। हमने नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने इसे बदला है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमने इसे बदला। टाडा को चेंज किया है जिससे उसका दुरुपयोग न हो सके। इस दृष्टि से किया है और मैंने इसका उदाहरण दिया बेल के बारे में भी जो आज कोर्ट ने निर्णय दिया है वह इसलिए दे सका कि इसमें ऐसा प्रावधान है, लेकिन महाराष्ट्र के लॉ में आपको बेल नहीं मिल सकती है।

महोदय, यहां पर टाडा की चर्चा हुई, गुजरात का भी जिक्र आया। मुझे याद है, मेरी पार्टी की ओर से भारतीय जनसंघ की ओर से टाडा के खिलाफ अहमदाबाद में कान्फ्रेंस हुई, उस समय फार्मर्स एजीटेशन चल रहा था, किसानों का आन्दोलन चल रहा था, उसे रोकने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया, हमने उसका विरोध किया था। हमने उसके दुरुपयोग का विरोध किया था। इसी प्रकार यदि आर्टीकल 352 का, टाडा का और अगर पोटो का दुरुपयोग होगा या दुरुपयोग करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसका विरोध होगा, लेकिन आज की परिस्थिति में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इसकी जरूरत है। ऐसा कौन सा कानून है, अगर आप किसी को असाधारण कानून देंगे, तो उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, लेकिन क्या उसके कारण वह स्टेंड लें जो जयपाल रेड्डी जी ने लिया। इस तरह के कानून पर तो हम महात्मा गांधी पर भी विश्वास नहीं करेंगे। यह बहुत अच्छा लगता है रैटोरिक के नाते, जिन कानूनों को आज सबेरे हमारे अरुण जेटली ने सुनाया कि टाडा ही नहीं अनेक कानून जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स, एसेंशियल कमोडिटीज, ब्लैकमार्कीटिर्सस के खिलाफ नियमों में ये प्रावधान हैं जिनके आधार पर आप कहते हैं ड्रेकौनियन पावर्स पुलिस को मिल गईं, वे इनके आधार पर यह कर देंगे, वह कर देंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि आप पुलिस वालों को भी इतना डिस्ट्रैस मत करिए। उनसे जब भी मेरी बात हुई है, उन्होंने पहले तो यह कहा कि प्रमुख रूप से हमारी इच्छा यह है कि आप अगर उग्रवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो कम से कम हमारे हाथ में हथियार तो दीजिए और जो अपना भाषण कनक्लूड करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि कोई भी हो लोकतंत्र में, उसके स्वाभाविक रूप का ही मानवाधिकारों के बारे में चिन्तन होना चाहिए और कानून बनाते समय उसका चिन्तन करना चाहिए। लेकिन इस मामले में आतंकवादी ऐसी भीषण समस्या है कि हम समझकर चलें। अगर हम अपने पुलिस के लोगों को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ अधिकार इतने नहीं देंगे तो मानवाधिकार के हनन की संभावना, उसका खतरा और ज्यादा बढ़ जायेगा क्योंकि हम उनसे यह तो कहते हैं कि आतंकवाद को रोको। आतंकवाद को रोकने का हम आग्रह करें और दूसरी तरफ उनको योग्य हथियार न दें, तो मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रखकर इस कानून को जिसमें सारे

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

के सारे सेफगार्ड इनकारपेट किये गये हैं, चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए हैं या आप में से किसी ने सुझाये हैं। उसके बाद इसमें वास्तव में कोई विवाद नहीं होना चाहिए और सर्वसम्मति से सारा सदन इसे पास कराये, यही मैं अनुरोध कर रहा हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इस कठोर कानून को जस-का-तस जाना चाहिए क्योंकि हमारा सुचिंतित मत है कि इस कानून को राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध लागू किया जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह मूल विधि है और यदि इस विधि और प्रक्रिया विधि में कोई विवाद है, तो प्रक्रिया कानून ही लागू होगा। इस मामले में पुलिस को असीम शक्तियां दे दी गई हैं। पुलिस के समक्ष दिया गया कोई भी वक्तव्य साक्ष्यगत महत्व का होगा। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 के विरुद्ध है और केवल यही नहीं, यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के भी विरुद्ध है। यह कानून कानून की दृष्टि से गलत है, प्रताड़क है और कानून के अनुसार तर्कसंगत नहीं है। इसलिए, मैं इस कठोर कानून का पूरी तरह से विरोध करता हूं। मैं संकल्प वापस नहीं ले रहा हूं और मैं मत विभाजन पर जोर दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प को सभा में मत विआजन के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

> ''कि यह सभा 30 दिसम्बर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आतंकवाद निवारण (दूसरा) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

> ''कि आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 से 64 विधेयक के अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 64 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

श्री बुसदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, हम मत विभाजन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। दीर्घाएं खाली करा दी जाएं।

अब महासचिव स्वचालित मत रिकार्डिंग प्रणाली के प्रचालन के बारे में प्रक्रिया की घोषणा कर सकते हैं।

महासचिव : माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मत रिकार्डिंग प्रणाली के प्रचालन में निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित किया जाता है। पहला मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक माननीय सदस्य/सदस्या अपने स्थान पर बैठ जाएं और वही से इस प्रणाली का प्रचालन करें।

दूसरा कृपया यह देखें कि माननीय अध्यक्ष महोदय की कुर्सी के दोनों ओर प्रदर्शन पट के ऊपर लाल बल्ब पहले से चमक रहा हैं। इसका अर्थ है कि यह प्रणाली मत दर्ज करने के लिए तैयार है।

तीसरा मतदान के लिए कृपया पहली घंटी बजने के तत्काल बाद निम्नलिखित दो बटन एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय सदस्य के सामने एक ''लाल'' बटन हैड फोन प्लेट के ऊपर और सीटों की डेस्क के ऊपर में लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन:

पक्ष में	–	हरा रंग
विपक्ष में	–	लाल रंग
भाग नहीं लिया	–	पीला रंग

* चार - दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है जब तक दूसरी घंटी न सुनाई दे और लाल बल्ब ''बुझ'' न जाए।

* महत्वपूर्ण निर्देश - माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरी घंटी बजाने तक दोनों बटनों को एक साथ दबायें नहीं रखा जाएगा तो उनका मत दर्ज नहीं होगा।

* कृपया मत विभाजन के दौरान पीले बटन (पी) को न दबाएं।

* माननीय सदस्य अपने मत को प्रदर्शन बोर्ड और अपनी डेस्क पर भी देख सकते हैं।

* यदि उनका मत दर्ज नहीं होता है तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाये।''

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या-1] [रात्रि 9.57 बजे

पक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्ला, श्री उमर

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

उमा भारती, कुमारी

उराम, श्री जुएल

*ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी.डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा.सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खान, श्री हसन

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गाड्डे, श्री राम मोहन

गावीत, श्री रामदास रुपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री हरिभाई

चौबे, श्री लाल मुनि

चौहान, श्री शिवराज सिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

*जय प्रकाश, श्री

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जावीया, श्री जी.जे.

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

ढिकले, श्री उत्तमराव

तिरुनावुकरसर, श्री सु.

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

दलित इजिलमलाई, श्री

दाहाल, श्री भीम

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दुराई, श्री एम.

देव, श्री बिक्रम केशरी

देवी, श्रीमती कैलाशो

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांडियन, श्री पी.एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री श्रीनिवास

पाठक, श्री हरिन

पार्थसारथी, श्री बी.के.

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगत, प्रो. दुखा

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मलयसामी, श्री के.

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्याला, श्री राजैया

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महताब, श्री भर्त्रुहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

माने, श्री शिवाजी

मारन, श्री मुरासोली

मिश्र, श्री राम नगीना

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री सत्यब्रत

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनिलाल, श्री

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.

मेघवाल, श्री कैलाश

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोहले, श्री पुन्नू लाल

मोहिते, श्री सुबोध

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी.बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजा, श्री ए.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री सी.पी.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

*राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

राव, डा. डी.वी.जी.शंकर

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन.आर.के.

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेनु कुमारी, श्रीमती

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, डा. साहिब सिंह

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

शशि कुमार, श्री

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

संघाणी, श्री दिलीप

सरोजा, डा. वी.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

*सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सेठी, श्री अर्जुन

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

*हुसैन, चौ. तालिब

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अय्यर, श्री मणि शंकर

अहमद, श्री ई.

आचार्य, श्री बसुदेव

आठवले, श्री रामदास

ईडन, श्री जार्ज

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

ओला, श्री शीश राम

कमलनाथ, श्री

*करूणाकरन, श्री के.

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुरुप, श्री सुरेश

कृष्णदास, श्री एन.एन.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्रीमती सोनिया

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

*गोगोई, श्री दीप

*गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

*चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्रीमती रीना

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

जहेदी, श्री महबूब

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

*जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

जालप्पा, श्री आर.एल.

जोस, श्री ए.सी.

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

*दास, श्री खागेन

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नायक, श्री ए. वेंकटेश

पटेल, श्री आत्माराम भाई

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पण्डा, श्री प्रबोध

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल, श्री आर.एस.

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

*पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पुगलिया, श्री नरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

फारूक, श्री एम.ओ.एच.

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बनातवाला, श्री जी.एम.

बर्मन, श्री रनेन

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बसवराज, श्री जी.एस.

बसु, श्री अनिल

*बिन्द, श्री रामरती

बेगम, नूर बानो

बौरी, श्रीमती संध्या

भगोरा, श्री ताराचंद

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री आर.एल.

भूरिया, श्री कांतिलाल

भौरा, श्री भान सिंह

मंडल, श्री सनत कुमार

*मकवाना, श्री सवशीभाई

महंत, डा. चरणदास

महतो, श्री बीर सिंह

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

यादव, श्री अखिलेश

यादव, श्री मुलायम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री पी.

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राय, श्री सुबोध

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्रीमती प्रभा

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

लाहिड़ी, श्री समीक

वंग्चा, श्री राजकुमार

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शहाबुद्दीन, मोहम्मद

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी.एस.

*शुक्ल, श्री श्यामाचरण

सईदुज्जमा, श्री

सर, श्री निखिलानन्द

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सांगतम, श्री के.ए.

सिंह, कुंवर अखिलेश

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्री राजो

सिह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के.पी.

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सोराके, श्री विनय कुमार

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा:-

पक्ष में	-	261
विपक्ष में	-	137

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

रात्रि 10.02 बजे

(इस समय श्रीमती सोनिया गांधी, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 19 मार्च, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.02$^{1}/_{2}$ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, 19 मार्च, 2002/28 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

***पक्ष में** : 261 + श्री ए. नरेन्द्र, श्री जय प्रकाश, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव, श्रीचन्द्र विजय सिंह और चौधरी तालिब हुसैन ने पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया। श्री सवशीभाई मकवाना और श्री श्यामाचरण शुक्ल ने पहले पक्ष में मतदान किया था किन्तु बाद में शुद्धि कर विपक्ष में मतदान किया = 261 + 5 - 2 = 264

विपक्ष में : 137 + श्री रामरती बिंद, श्री विकास चौधरी, श्री खागेन दास, श्री दीप गोगोई, श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, श्री के. करुणाकरन, श्री सवशी भाई मकवाना, श्री मधुसूदन मिस्त्री, श्री प्रकाश वी. पाटील और श्री श्यामा चरण शुक्ल ने पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की। मतदान किया = 137 + 11 = 148.

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।